

वर्ष 2022-2023 के लिए बजट प्रावधान, निवल प्राप्तियां और वसूलियां निम्नवत हैं:
(अधिक जानकारी इस विवरण के अंतिम स्तंभ में दर्शाए गए पृष्ठों पर हैं)

(₹ करोड़)

मंत्रालय/मांग	बजट अनुमान 2022-2023			पृष्ठ संख्या.
	राजस्व	पूंजी	कुल	
कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय	132474.37	39.25	132513.62	
1. कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग	123960.75	39.25	124000.00	1-7
2. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	8513.62	...	8513.62	8-10
परमाणु ऊर्जा विभाग	8440.34	14283.24	22723.58	
3. परमाणु ऊर्जा	8440.34	14283.24	22723.58	11-16
आयुष मंत्रालय	3050.00	...	3050.00	
4. आयुष मंत्रालय	3050.00	...	3050.00	17-21
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	107708.70	6.68	107715.38	
5. रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	207.67	1.33	209.00	22-24
6. उर्वरक विभाग	105262.18	0.05	105262.23	25-27
7. भेषज विभाग	2238.85	5.30	2244.15	28-31
नागर विमानन मंत्रालय	10590.54	76.46	10667.00	
8. नागर विमानन मंत्रालय	10590.54	76.46	10667.00	32-35
कोयला मंत्रालय	393.24	...	393.24	
9. कोयला मंत्रालय	393.24	...	393.24	36-37
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	12721.00	1700.00	14421.00	
10. वाणिज्य विभाग	5673.00	400.00	6073.00	38-42
11. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन	7048.00	1300.00	8348.00	43-47
संचार मंत्रालय	50367.78	55039.04	105406.82	
12. डाक विभाग	19931.40	888.62	20820.02	48-49
13. दूरसंचार विभाग	30436.38	54150.42	84586.80	50-54
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	215634.94	2049.52	217684.46	
14. उपभोक्ता मामले विभाग	1705.03	19.85	1724.88	55-57
15. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	213929.91	2029.67	215959.58	58-62
सहकारिता मंत्रालय	889.00	11.00	900.00	
16. सहकारिता मंत्रालय	889.00	11.00	900.00	63-64
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	692.52	40.50	733.02	
17. कारपोरेट कार्य मंत्रालय	692.52	40.50	733.02	65-67
संस्कृति मंत्रालय	2920.89	88.16	3009.05	
18. संस्कृति मंत्रालय	2920.89	88.16	3009.05	68-70

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियों का सारांश

मंत्रालय/मांग	बजट अनुमान 2022-2023			पृष्ठ संख्या.
	राजस्व	पूंजी	कुल	
रक्षा मंत्रालय	364746.55	160419.60	525166.15	
19. रक्षा मंत्रालय (सिविल)	12050.01	8049.99	20100.00	71-74
20. रक्षा सेवा (राजस्व)	233000.54	...	233000.54	75-77
21. रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	152369.61	152369.61	78-80
22. रक्षा पेंशन	119696.00	...	119696.00	81
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	2140.04	659.96	2800.00	
23. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	2140.04	659.96	2800.00	82-85
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	2203.51	450.00	2653.51	
24. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	2203.51	450.00	2653.51	86-89
शिक्षा मंत्रालय	104259.71	18.01	104277.72	
25. विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग	63449.37	...	63449.37	90-94
26. उच्चतर शिक्षा विभाग	40810.34	18.01	40828.35	95-105
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	13911.99	388.01	14300.00	
27. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	13911.99	388.01	14300.00	106-109
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	2915.00	115.00	3030.00	
28. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	2915.00	115.00	3030.00	110-114
विदेश मंत्रालय	15833.77	1416.23	17250.00	
29. विदेश मंत्रालय	15833.77	1416.23	17250.00	115-117
वित्त मंत्रालय	1412403.79	126375.66	1538779.45	
30. आर्थिक कार्य विभाग	6143.36	8396.90	14540.26	118-124
31. व्यय विभाग	476.88	0.01	476.89	125-126
32. वित्तीय सेवा विभाग	1102.70	4211.03	5313.73	127-132
33. लोक उद्यम विभाग	30.00	...	30.00	133-134
34. निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम)	290.42	...	290.42	135
35. राजस्व विभाग	121226.99	4.30	121231.29	136-139
36. प्रत्यक्ष कर	8866.80	440.00	9306.80	140-141
37. अप्रत्यक्ष कर	39738.67	1400.00	41138.67	142-144
38. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	5596.14	24.00	5620.14	145-146
39. व्याज अदायगियां	940651.02	...	940651.02	147-148
40. ऋण अदायगी	149-150
41. पेंशन	65840.81	...	65840.81	151-152
42. राज्यों को अंतरण	222440.00	111899.42	334339.42	153-156
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	5956.70	80.61	6037.31	
43. मत्स्यपालन विभाग	2093.90	24.57	2118.47	157-158
44. पशुपालन और डेयरी कार्य विभाग	3862.80	56.04	3918.84	159-162

मंत्रालय/मांग	बजट अनुमान 2022-2023			पृष्ठ संख्या.
	राजस्व	पूंजी	कुल	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	2941.99	...	2941.99	
45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	2941.99	...	2941.99	163-164
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	80568.08	5632.57	86200.65	
46. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	77367.43	5632.57	83000.00	165-177
47. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	3200.65	...	3200.65	178-180
भारी उद्योग मंत्रालय	3213.79	92.21	3306.00	
48. भारी उद्योग विभाग	3213.79	92.21	3306.00	181-184
गृह मंत्रालय	169023.33	16753.22	185776.55	
49. गृह मंत्रालय	7384.62	236.38	7621.00	185-189
50. मंत्रिमंडल	1202.22	508.82	1711.04	190-191
51. पुलिस	107187.99	10500.00	117687.99	192-197
52. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5116.43	587.22	5703.65	198-202
53. चंडीगढ़	4427.46	419.33	4846.79	203-205
54. दादर और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	1499.00	875.10	2374.10	206-209
55. लद्दाख	2553.29	3404.71	5958.00	210-212
56. लक्षद्वीप	1173.10	221.65	1394.75	213-215
57. दिल्ली को अंतरण	1168.00	...	1168.00	216
58. जम्मू और कश्मीर को अंतरण	35581.44	...	35581.44	217-218
59. पुडुचेरी को अंतरण	1729.78	0.01	1729.79	219
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	49208.45	27341.01	76549.46	
60. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	49208.45	27341.01	76549.46	220-226
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	3955.12	25.65	3980.77	
61. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	3955.12	25.65	3980.77	227-230
जल शक्ति मंत्रालय	85769.17	419.83	86189.00	
62. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग	18548.05	419.83	18967.88	231-237
63. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	67221.12	...	67221.12	238-240
श्रम और रोजगार मंत्रालय	16846.37	47.31	16893.68	
64. श्रम और रोजगार मंत्रालय	16846.37	47.31	16893.68	241-244
विधि और न्याय मंत्रालय	2432.94	1622.00	4054.94	
65. विधि और न्याय	1778.48	1615.00	3393.48	245-247
66. निर्वाचन आयोग	253.00	7.00	260.00	248
67. भारत का उच्चतम न्यायालय	401.46	...	401.46	249
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	20916.00	506.00	21422.00	
68. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	20916.00	506.00	21422.00	250-256

मंत्रालय/मांग	बजट अनुमान 2022-2023			पृष्ठ संख्या.
	राजस्व	पूंजी	कुल	
खान मंत्रालय	1446.79	61.21	1508.00	
69. खान मंत्रालय	1446.79	61.21	1508.00	257-259
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	4861.50	159.00	5020.50	
70. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	4861.50	159.00	5020.50	260-264
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	6888.94	11.74	6900.68	
71. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	6888.94	11.74	6900.68	265-268
पंचायती राज मंत्रालय	868.57	...	868.57	
72. पंचायती राज मंत्रालय	868.57	...	868.57	269-270
संसदीय कार्य मंत्रालय	66.40	...	66.40	
73. संसदीय कार्य मंत्रालय	66.40	...	66.40	271
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	2153.84	225.30	2379.14	
74. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	2111.88	225.30	2337.18	272-274
75. केंद्रीय सतर्कता आयोग	41.96	...	41.96	275
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	8339.86	600.00	8939.86	
76. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	8339.86	600.00	8939.86	276-280
योजना मंत्रालय	310.67	10.75	321.42	
77. योजना मंत्रालय	310.67	10.75	321.42	281-282
पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	1135.19	574.31	1709.50	
78. पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	1135.19	574.31	1709.50	283-286
विद्युत मंत्रालय	16061.63	13.11	16074.74	
79. विद्युत मंत्रालय	16061.63	13.11	16074.74	287-293
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय	1649.63	...	1649.63	
80. राष्ट्रपति के कर्मचारीवृद्ध, आवास और भत्ते	79.45	...	79.45	294
81. लोक सभा	800.00	...	800.00	295-296
82. राज्य सभा	430.96	...	430.96	297-298
83. उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	8.64	...	8.64	299
84. संघ लोक सेवा आयोग	330.58	...	330.58	300
रेल मंत्रालय	3267.13	137100.00	140367.13	
85. रेल मंत्रालय	3267.13	137100.00	140367.13	301-305
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	11363.71	187744.00	199107.71	
86. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	11363.71	187744.00	199107.71	306-309

(₹ करोड़)				
बजट अनुमान 2022-2023				
मंत्रालय/मांग	राजस्व	पूंजी	कुल	पृष्ठ संख्या.
ग्रामीण विकास मंत्रालय	138203.63	...	138203.63	
87. ग्रामीण विकास विभाग	135944.29	...	135944.29	310-314
88. भूमि संसाधन विभाग	2259.34	...	2259.34	315-316
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	14122.26	95.20	14217.46	
89. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	5917.30	82.70	6000.00	317-319
90. जैव प्रौद्योगिकी विभाग	2581.00	...	2581.00	320-321
91. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	5623.96	12.50	5636.46	322-323
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	2847.54	151.46	2999.00	
92. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	2847.54	151.46	2999.00	324-326
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	12899.92	235.01	13134.93	
93. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	11687.51	235.00	11922.51	327-334
94. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग	1212.41	0.01	1212.42	335-337
अंतरिक्ष विभाग	6234.40	7465.60	13700.00	
95. अंतरिक्ष विभाग	6234.40	7465.60	13700.00	338-340
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	5378.08	20.00	5398.08	
96. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	5378.08	20.00	5398.08	341-342
इस्पात मंत्रालय	47.00	...	47.00	
97. इस्पात मंत्रालय	47.00	...	47.00	343-344
कपड़ा मंत्रालय	12357.11	25.03	12382.14	
98. वस्त्र मंत्रालय	12357.11	25.03	12382.14	345-350
पर्यटन मंत्रालय	2400.00	...	2400.00	
99. पर्यटन मंत्रालय	2400.00	...	2400.00	351-354
जनजातीय कार्य मंत्रालय	8401.92	50.00	8451.92	
100. जनजातीय कार्य मंत्रालय	8401.92	50.00	8451.92	355-359
महिला और बाल विकास मंत्रालय	25170.28	2.00	25172.28	
101. महिला और बाल विकास मंत्रालय	25170.28	2.00	25172.28	360-364
युवा मामले और खेल मंत्रालय	3057.28	5.32	3062.60	
102. युवा मामले और खेल मंत्रालय	3057.28	5.32	3062.60	365-368
कुल जोड़	3194662.90	750245.77	3944908.67	

कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 1

कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	108600.72	21.80	108622.52	122961.57	56.00	123017.57	118257.69	36.55	118294.24	123960.75	39.25	124000.00
वसूलियां	-349.69	...	-349.69
प्राप्तियां
निवल	108251.03	21.80	108272.83	122961.57	56.00	123017.57	118257.69	36.55	118294.24	123960.75	39.25	124000.00

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

केंद्र का व्यय

केन्द्र का स्थापना व्यय

1. सचिवालय

1.01 सचिवालय	131.81	...	131.81	147.28	...	147.28	154.45	...	154.45	163.40	...	163.40
1.02 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	46.18	...	46.18	49.69	...	49.69	49.69	...	49.69	50.73	...	50.73
1.03 अन्य संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय	325.47	...	325.47	360.50	...	360.50	723.56	...	723.56	380.12	39.25	419.37

जोड़- सचिवालय

	503.46	...	503.46	557.47	...	557.47	927.70	...	927.70	594.25	39.25	633.50
--	--------	-----	--------	--------	-----	--------	--------	-----	--------	--------	-------	--------

केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम/परियोजनाएं

2. फसल बीमा योजना

2.01 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	14161.48	...	14161.48	16000.00	...	16000.00	15989.39	...	15989.39	15500.00	...	15500.00
----------------------------------	----------	-----	----------	----------	-----	----------	----------	-----	----------	----------	-----	----------

3. किसानों को अल्पावधि ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी

3.01 किसानों को अल्पावधि ऋण हेतु ब्याज सब्सिडी	17789.72	...	17789.72	19468.31	...	19468.31	18142.30	...	18142.30
------------------------------------------------	----------	-----	----------	----------	-----	----------	----------	-----	----------	-----	-----	-----

4. संशोधित ब्याज सबवैशन योजना (एमआईएसएस)

	19500.00	...	19500.00
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------	-----	----------

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
5. बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस-पीएसएस)	1357.91	...	1357.91	1500.50	...	1500.50	3595.61	...	3595.61	1500.00	...	1500.00
6. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना (पीएम-एएसएचए)	400.00	...	400.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
7. कल्याण योजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को दाल का वितरण	537.49	...	537.49	300.00	...	300.00	50.00	...	50.00	9.00	...	9.00
8. फसल अवशेष के स्वस्थाने प्रबंधन के लिए कृषि यांत्रिकीकरण का संवर्धन	570.72	...	570.72	700.00	...	700.00	700.00	...	700.00
9. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम - किसान)	60989.90	...	60989.90	65000.00	...	65000.00	67500.00	...	67500.00	68000.00	...	68000.00
10. प्रधानमंत्री किसान मान - धन योजना	110.00	...	110.00	50.00	...	50.00	0.50	...	0.50	100.00	...	100.00
11. 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन	240.83	...	240.83	700.00	...	700.00	250.00	...	250.00	500.00	...	500.00
12. कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ)	21.87	...	21.87	900.00	...	900.00	200.00	...	200.00	500.00	...	500.00
13. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन हनी मिशन (एनबीएचएम)	100.00	...	100.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम/परियोजनाएं	95779.92	...	95779.92	105018.81	...	105018.81	106428.80	...	106428.80	105710.00	...	105710.00
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
14. पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण	3.50	...	3.50	4.70	...	4.70	3.00	...	3.00	5.50	...	5.50
स्वायत्त निकाय												
15. राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान	8.19	...	8.19	9.82	...	9.82	6.00	...	6.00	25.00	...	25.00
16. राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज)	7.50	...	7.50	7.77	...	7.77	5.00	...	5.00	5.50	...	5.50
17. राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद	5.50	...	5.50	6.57	...	6.57	30.30	...	30.30
18. चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान	4.24	...	4.24	4.24	...	4.24	4.24	...	4.24	4.50	...	4.50
जोड़-स्वायत्त निकाय	25.43	...	25.43	28.40	...	28.40	45.54	...	45.54	35.00	...	35.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	28.93	...	28.93	33.10	...	33.10	48.54	...	48.54	40.50	...	40.50
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना												
19. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- प्रति बूंद अधिक फसल	2562.16	...	2562.16	4000.00	...	4000.00	2000.00	...	2000.00
हरित क्रांति												
20. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	2561.25	...	2561.25	3712.44	...	3712.44	2000.00	...	2000.00
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	1675.23	...	1675.23	2096.00	...	2096.00	1540.00	...	1540.00
22. राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना	...	0.89	0.89	...	12.00	12.00	...	6.00	6.00
23. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास	137.17	...	137.17	200.00	...	200.00	174.81	...	174.81
24. राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता परियोजना	200.21	0.02	200.23	313.00	2.00	315.00	99.34	0.66	100.00
25. वर्षा आधारित क्षेत्र विकास और जलवायु परिवर्तन	128.45	...	128.45	180.00	...	180.00	110.00	...	110.00
26. परम्परागत कृषि विकास योजना	381.05	...	381.05	450.00	...	450.00	100.00	...	100.00
27. राष्ट्रीय कृषि-वानिकी परियोजना	27.10	...	27.10	34.00	...	34.00	20.00	...	20.00
28. राष्ट्रीय बागवानी मिशन	1422.14	1.20	1423.34	2380.50	4.50	2385.00	1589.50	4.50	1594.00
29. बीज एवं पौध रोपण सामग्री उपमिशन	256.62	...	256.62	447.00	1.00	448.00	309.00	1.00	310.00
30. पौध संरक्षण एवं पौध संगरोध उपमिशन	21.40	12.92	34.32	34.00	11.00	45.00	29.00	2.00	31.00
31. कृषि विस्तार उपमिशन	886.33	...	886.33	1173.75	...	1173.75	924.00	...	924.00
32. सूचना प्रौद्योगिकी	42.52	...	42.52	50.00	...	50.00	55.19	...	55.19
33. कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन	992.94	6.77	999.71	1026.00	24.00	1050.00	829.11	20.89	850.00
34. एकीकृत कृषि संगणना एवं सांख्यिकी स्कीम	307.18	...	307.18	374.00	...	374.00	267.00	...	267.00
35. एकीकृत कृषि सहकारिता पर स्कीम	373.65	...	373.65	373.00	...	373.00	373.00	...	373.00
36. कृषि विपणन												
36.01 समेकित कृषि विपणन योजना	237.80	...	237.80	408.50	1.50	410.00	262.70	1.50	264.20
37. राष्ट्रीय बांस मिशन	75.21	...	75.21	100.00	...	100.00	70.00	...	70.00
38. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (ऑयलपाम)	100.00	...	100.00
जोड़-हरित क्रांति	9726.25	21.80	9748.05	13352.19	56.00	13408.19	8852.65	36.55	8889.20
39. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	10433.00	...	10433.00

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
40. कृषोन्नति योजना												
40.01 खाद्य एवं पोषण सुरक्षा	1395.00	...	1395.00
40.02 खाद्य तेल - जैतून का तेल	900.00	...	900.00
40.03 खाद्य तेल - तिलहन	600.00	...	600.00
40.04 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास	198.00	...	198.00
40.05 बागवानी का समेकित विकास	1900.00	...	1900.00
40.06 बीज एवं रोपण सामग्री	305.00	...	305.00
40.07 कृषि विस्तार	1000.00	...	1000.00
40.08 डिजिटल कृषि	60.00	...	60.00
40.09 कृषि गणना एवं सांख्यिकी	325.00	...	325.00
40.10 कृषि विपणन	500.00	...	500.00
जोड़- कृषोन्नति योजना	7183.00	...	7183.00
41. वास्तविक वसूलियां	-349.69	...	-349.69
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	11938.72	21.80	11960.52	17352.19	56.00	17408.19	10852.65	36.55	10889.20	17616.00	...	17616.00
कुल जोड़	108251.03	21.80	108272.8	122961.57	56.00	123017.5	118257.69	36.55	118294.2	123960.75	39.25	124000.00
			3			7			4			
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. फसल कार्य	79493.58	...	79493.58	78413.49	...	78413.49	84017.08	...	84017.08	80137.34	...	80137.34
2. मृदा और जल संरक्षण	26.25	...	26.25	28.30	...	28.30	29.35	...	29.35	30.10	...	30.10
3. कृषि वित्तीय संस्थान	17789.72	...	17789.72	17679.14	...	17679.14	14009.38	...	14009.38	17612.14	...	17612.14
4. सहकारिता	379.15	...	379.15	343.57	...	343.57	367.30	...	367.30
5. अन्य कृषि कार्यक्रम	529.58	...	529.58	1089.90	...	1089.90	524.27	...	524.27	2204.30	...	2204.30
6. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	123.39	...	123.39	147.28	...	147.28	154.45	...	154.45	163.40	...	163.40
7. फसल कार्य पर पूंजी परिव्यय	...	21.80	21.80	...	54.50	54.50	...	35.05	35.05	...	37.75	37.75

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50
जोड़-आर्थिक सेवाएं	98341.67	21.80	98363.47	97701.68	56.00	97757.68	99101.83	36.55	99138.38	100147.28	39.25	100186.53
अन्य												
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र	12242.70	...	12242.70	11731.80	...	11731.80	12332.60	...	12332.60
10. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	9804.03	...	9804.03	12667.66	...	12667.66	7178.28	...	7178.28	11286.04	...	11286.04
11. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	105.33	...	105.33	349.53	...	349.53	245.78	...	245.78	194.83	...	194.83
12. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय
जोड़-अन्य	9909.36	...	9909.36	25259.89	...	25259.89	19155.86	...	19155.86	23813.47	...	23813.47
कुल जोड़	108251.03	21.80	108272.8	122961.57	56.00	123017.5	118257.69	36.55	118294.2	123960.75	39.25	124000.00
			3			7			4			

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालयों, विभागीय कैंटीन एवं मंत्री (कृषि), भारतीय दूतावास रोम; विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों को योगदान और विभिन्न राज्यों में अवस्थित विभाग के अंतर्गत विभिन्न संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के खर्च के बाबत किया गया है।

2. **फसल बीमा योजना:** राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस), मौसम आधारित फसल बीमा योजना, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) को वापस लेने के बाद दिनांक 01.04.2016 से शुरू की गई। विभाग ने निर्दिष्ट प्रीमियम और दावा-समर्थन बीमा योजनाओं के स्थान पर बीमांकिक प्रीमियम-आधारित प्रणाली के लिए अग्रिम सब्सिडी कर दिया है।

4. **संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना (एमआईएसएस):** संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना के तहत, कृषि और अन्य संबद्ध गतिविधियों में लगे किसानों को 9% की बेंचमार्क दर पर 3.00 लाख रुपये तक का अल्पकालिक फसल ऋण उपलब्ध है। भारत सरकार बेंचमार्क दर पर 2% ब्याज छूट प्रदान करती है। ऋणों के शीघ्र और समय पर पुनर्भुगतान के लिए किसानों को अतिरिक्त 3% छूट भी दी जाती है; इस प्रकार प्रभावी ब्याज दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है। कार्यान्वयन एजेंसियों नामतः आरआरबी/सहकारी बैंकों के लिए नाबाई और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए आरबीआई को निधियां जारी की जाती हैं।

5. **बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस-पीएसएस):** इस स्कीम के तहत नेफेड, केंद्रीय वेयर हाउसिंग निगम, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी समिति परिसंघ और लघु किसान कृषि व्यापार मंच को केंद्रीय अभिकरणों के रूप में प्राधिकृत किया गया है ताकि वे मूल्य समर्थन स्कीम के तहत तिलहनों और दलहनों का प्रापण कार्य करने के साथ-साथ किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलवाने की दिशा में कार्य कर सकें। नाफेड, सेंट्रल वेयरहाउसिंग

कार्परेशन, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, लघु किसान कृषि व्यवसाय परिसंघ को मूल्य समर्थन योजना के तहत और किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य मुहैया कराने हेतु कार्य करने के लिए भी तिलहन और दलहन की खरीद करने के लिए केन्द्रीय एजेंसियों के रूप में नामित किया है।

6. **प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना (पीएम-एएसएसएचए):** प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), तिलहन और खोपरा, भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) और निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना (पीपीएसएस) की प्रायोगिक परियोजना सहित किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए है।

7. **कल्याण योजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को दाल का वितरण:** कल्याण योजना के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दलहन का वितरण-यह योजना मध्याह्न भोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आईसीडीएस आदि जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत उपयोग के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्गम मूल्य से 15/- रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी देकर मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत खरीदे गए दलहन के विशाल स्टॉक के निपटान के लिए है।

9. **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम - किसान):** देशभर के सभी किसान परिवारों को आय सहयोग प्रदान करने के लिए उन्हें अपने कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के साथ ही घरेलू जरूरतों संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए सक्षम बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) नामक एक नई केन्द्रीय सैंक्टर स्कीम शुरू की है। इस स्कीम का उद्देश्य किसान परिवारों को 2000/- ₹ की तीन तिमाही किस्तों में प्रति वर्ष 6000/- रूपए का भुगतान करना है जो कतिपय उच्चतर आय समूहों से संबंधित अपवादों के अधीन होगा। लगभग 12.50 करोड़ किसानों को इस स्कीम के दायरे में लाए जाने की संभावना है।

10. **प्रधानमंत्री किसान मान - धन योजना:** लघु और सीमांत किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा कंच की व्यवस्था करने की दृष्टि से, क्योंकि उनके पास वृद्धावस्था के लिए मामूली या शून्य बचत होती है और बाद में उनकी आजीविका का साधन नहीं रह जाता, तब उनकी सहायता के लिए सरकार ने एक और नई केन्द्रीय सेक्टर स्कीम कार्यान्वित करने का निर्णय लिया जिसके तहत इन किसानों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है। इस स्कीम के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पात्र लघु और सीमांत किसानों को 3000 रूपए प्रति माह की न्यूनतम नियत पेंशन प्रदान की जाएगी जो कतिपय अपवादी नियमों के अधीन है। इस स्कीम का उद्देश्य प्रथम तीन वर्षों के दौरान लगभग 3 करोड़ लाभग्राहियों को इसके दायरे में लाना है। यह एक स्वेचिछक और अंशदायी पेंशन स्कीम है जिसमें शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष है।

11. **10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन:** यह योजना सदस्य किसान उत्पादकों को उनकी उपज के लिए बेहतर नकदी और बाजार संपर्क के माध्यम से लागत प्रभावी उत्पादकता और उच्च शुद्ध आय बढ़ाने में योगदान देगी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से धारणीय किसान उत्पादक संगठन बनने में मदद मिलेगी

12. **कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ):** इस केन्द्रीय क्षेत्र की योजना को 8.7.2020 को मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन दिया गया था ताकि ब्याज छूट एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहारिक परियोजनाओं में निवेश करने हेतु मध्यम-दीर्घावधि ऋण का वित्तपोषण किया जा सके। इस योजना के तहत प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों (पैक्स), विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्व-सहायता समूह (एसएचजी), किसानों, संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), बहुदेशीय सहकारी समितियों, कृषि-उद्यमियों, स्टार्टअप और केन्द्रीय/राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक निजी साझेदारी वाली परियोजना के लिए ऋण के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रूपए प्रदान किए जाएंगे। इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत सभी ऋणों पर अधिकतम 2 करोड़ रूपए तक प्रति वर्ष 3% का ब्याज छूट दी जाएगी। यह छूट अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा, 2 करोड़ रूपए तक के ऋण के लिए सुक्ष्म एवं लघु उद्यम योजना के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के अंतर्गत इस वित्तपोषण योजना से पात्र उधारकर्ताओं को क्रेडिट गारंटी बीमा उपलब्ध होगा। इस बीमा के शुल्क का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।

13. **राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन हनी मिशन (एनबीएचएम):** एनबीएचएम को 2020-21 से 2022-23 तक 3 वर्षों के लिए शुरू किया गया है। मार्च 2023 के अंत तक 160000 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन, मधुमक्खी कॉलोनियों की संख्या को 42 लाख तक बढ़ाना, लगभग 4.60 लाख का रोजगार पैदा करना और शहद से आय में वृद्धि और फसलों की उपज में वृद्धि का लक्ष्य होगा। मुख्य घटकों/उप-योजनाओं के रूप में एनबीएचएम के 3 मिनी मिशन होंगे।

14. **पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण:** यह एक सांविधिक निकाय है जिसे विश्व व्यापार संगठन से हुए करार के तहत दायित्वों को पूरा करने के प्रयोजनार्थ 2001 में अधिनियम के तहत गठित किया गया। इसमें पादप प्रजातियों, किसानों और पौध रोपणकर्ताओं के अधिकारों और पादपों की नई किस्मों के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी प्रणाली कायम करने का प्रावधान किया गया है।

15. **राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान:** इस संस्थान का प्रावधान विविध और बदलती हुई कृषि-जलवायुगत परिस्थितियों में पर्यावरण के मद्देनजर संधारणीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन परिपाटियों को बढ़ावा देने, जैव सुरक्षा एवं क्षिप्राक्रमण प्रबंधन तथा केंद्र एवं राज्य सरकार को नैतिगत सहायता देने के लिए किया गया है।

16. **राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज):** यह संस्थान कृषिगत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विस्तार अधिकारियों, प्रबंधकों, वैज्ञानिकों, और प्रशासकों द्वारा प्रबंधन तकनीकी कौशल के अधिप्रापण को सुकर बनाता है ताकि

संधारणीय कृषिगत और मात्स्यिकी परिपाटियों पर किसानों और मछुवारों को बेहतर कारगर सहायता और सेवाएं उपलब्ध करा सके।

18. **चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान:** यह एक स्वायत्त निकाय है और कृषि विपणन क्षेत्र में दक्षता लाने के लिए किसानों के बीच जागरूकता लाने और सरकारी, सहकारी और निजी क्षेत्र में निर्णय निर्माताओं को परामर्श और नीति समर्थन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

39. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना:** यह कृषि क्षेत्र में अधिक विकास हासिल करने, किसानों को अधिक लाभ मुहैया कराने और खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि, तिलहन के उत्पादन और कृषि विस्तार पर ध्यान केंद्रित करके समेकित विकास का एक कार्यक्रम है। इस योजना का पुनर्गठन किया गया है और पूर्ववर्ती योजनाओं अर्थात् प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति बूंद अधिक फसल, परम्परागत कृषि विकास योजना, मृदा और स्वास्थ्य उर्वरता पर राष्ट्रीय परियोजना, वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास और जलवायु परिवर्तन, फसल अवशेषों के प्रबंधन सहित कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन आदि को आरकेवीवाई में विलय कर दिया गया है।

40.01. **खाद्य एवं पोषण सुरक्षा:** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-08 में क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ाने, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को बहाल करने और कृषि स्तर की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था; 2021-22 के दौरान, एनएफएसएम को 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के चिन्हित जिलों में लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत खाद्यान्न फसलों और वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से विभिन्न हस्तक्षेप किए जा रहे हैं। 2021-22 के बाद मिशन का उद्देश्य दालों और पोषक अनाजों पर विशेष बल देना है ताकि इन फसलों में पोषण सुरक्षा के साथ-साथ आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके।

40.02. **खाद्य तेल - ऑयल पाम:** वर्तमान में तिलहन और ऑयल पॉम को बढ़ावा देने की योजना एनएफएसएम के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। यह प्रस्तावित है कि इन गतिविधियों को दो नई योजनाओं के तहत शुरू किया जाएगा। चूंकि भारत कच्चे पाम तेल के आयात पर बहुत अधिक निर्भर रहता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय कीमत घरेलू कीमतों को प्रभावित करती है। किसानों को कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए इस योजना के माध्यम से एक नया तंत्र प्रस्तावित किया गया है ताकि पाम तेल रोपण के लिए किसानों का विश्वास पैदा करने के लिए लाभकारी रिटर्न सुनिश्चित किया जा सके। ऑयल पाम प्लांटेशन को आकर्षक बनाने के लिए एनईएस की विशेष सहायता के साथ पूर्ववर्ती योजना के तहत सहायता के मानदंड पर फिर से विचार किया जाएगा।

40.03. **खाद्य तेल - तिलहन-** भारत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार तिलहन फसल के लिए एक नया मिशन अर्थात् एनएमई-ओएस शुरू करने जा रही है। अगले 5 वर्षों में अर्थात् (2021-22 से 2025-26) में इस मिशन से 1676 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के साथ 54.10 मिलियन टन तिलहन की उपज होगी जो वर्तमान 1254 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के साथ 36.10 मिलियन टन तिलहन की उपज है। 3.5 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त तिलहन क्षेत्र (28.79 मिलियन हेक्टेयर से 32.31 मिलियन हेक्टेयर) को चावल वाले बंजर भूमि, अंतर-फसल, अधिक उपज वाले जिलों और गैर-पारंपरिक राज्यों/मौसम के माध्यम से तिलहन कृषि को सरसों एवं सोयाबीन मिशन तथा फसल विविधिकरण के अंतर्गत लाया जाएगा। इस मिशन से तेल आयात निर्भरता 52% घटकर 36% हो जाएगी।

40.04. **पूर्वांतर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास-** इस योजना का उद्देश्य पूर्वांतर क्षेत्र में जैविक खेती को सुविधाजनक बनाना, उसे प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है।

40.05. **बागवानी का समेकित विकास** - यह प्रावधान बागवानी क्षेत्र के समय विकास को बढ़ावा देने के लिए विधिवत बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सुनिश्चित करने के लिए है। इसमें गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता में वृद्धि, नवीनतम तकनीक का निदर्शन और किसानों के कौशल का उन्नयन, सूखे से निजात, जीवन रक्षक सिंचाई, फसलोपरान्त नुकसान में कमी और किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए बाजारों तक पहुंच शामिल है। मिशन में विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं जैसे नारियल विकास बोर्ड, बागवानी विकास बोर्ड और उत्पादन और फसलोपरान्त प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास, निर्माण, विस्तार के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी, बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और भंडारण के आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी विकास और बागवानी उत्पाद आदि के लिए अंतरण शामिल है।

40.06. **बीज एवं रोपण सामग्री** - मिशन का उद्देश्य बीज क्षेत्र को विकसित/मजबूत करना और सभी कृषि फसलों के उच्च उपज वाले प्रमाणित/गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन और गुणन को बढ़ाना और किसानों को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराना और पौधों की किस्मों, अधिकारों के संरक्षण के लिए किसानों और पौधों के प्रजनकों को पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली भी स्थापित करना है।

40.07. **कृषि विस्तार** - मिशन का लक्ष्य कृषक समुदाय विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों की आय और आजीविका में सुधार के लिए पहुंच से बाहर तक पहुंचना और तेज, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास की उपलब्धि में योगदान करना है।

40.08. **डिजिटल कृषि**- इसमें कृषि सूचना प्रणाली और सूचना प्रौद्योगिकी तथा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना कृषि को सुदृढ़ करना/प्रोत्साहन देना शामिल है जिसका उद्देश्य किसानों द्वारा कृषि संबंधी सूचनाएं समय पर प्राप्त करने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग करके तेजी से विकास करना है। इस बीच, किसानों की आय को दोगुना करने के मिशन के साथ-साथ, आधुनिक आईटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग, रोबोटिक्स आदि के उपयोग को शामिल करने और अनुकूलन के लिए परियोजना की मंजूरी के लिए योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन और राज्यों द्वारा कार्यक्रम के तहत विकसित किए जाने के लिए प्लेटफार्मों को वेब और मोबाइल एप्लिकेशन का अनुकूलन/स्थानांतरण के लिए विकसित किया गया है।

40.09. **कृषि संगणक और सांख्यिकी**- इस योजना में कृषि संगणना की पुनर्गठित योजना, कृषि अर्थव्यवस्था नीति में अध्ययन और कृषि सांख्यिकी में विकास और सुधार आदि शामिल हैं।

40.10. **कृषि विपणन**: इसे किसानों को प्रतिस्पर्धी बाजारों और अवसंरचना तक पहुंच प्रदान करने के लिए विकसित की गई है। इससे अंततः किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति में मदद मिलेगी। आईएसएएम केंद्र सरकार की एक छत्रक योजना है, जो बाजार संरचनाओं के निर्माण और सुधार, क्षमता निर्माण और बाजार की जानकारी तक पहुंच बनाने के माध्यम से कृषि उपज विपणन को नियंत्रित करने में राज्य सरकारों का समर्थन करती है। आईएसएएम के उप घटक कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई), राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम), विपणन अनुसंधान और सूचना नेटवर्क (एमआरआईएन), एगमार्क ग्रेडिंग सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण (एसएजीएफ) और सीसीएस-राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (सीसीएस एनआईएएम) हैं।

कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 2

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	7685.51	...	7685.51	8513.62	...	8513.62	8513.62	...	8513.62	8513.62	...	8513.62
वसूलियां	-131.74	...	-131.74
प्राप्तियां
निवल	7553.77	...	7553.77	8513.62	...	8513.62	8513.62	...	8513.62	8513.62	...	8513.62
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	12.58	...	12.58	14.05	...	14.05	14.09	...	14.09	39.68	...	39.68
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. कृषि विस्तार	236.72	...	236.72	328.00	...	328.00	284.00	...	284.00	243.72	...	243.72
3. कृषि इंजीनियरिंग	58.31	...	58.31	65.00	...	65.00	55.00	...	55.00	48.30	...	48.30
प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन												
4. कृषि-बानिकी अनुसंधान सहित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थाएं	170.43	...	170.43	195.00	...	195.00	168.00	...	168.00	144.90	...	144.90
5. जलवायु प्रतिरोध क्षमता कृषि पहल	49.83	...	49.83	55.00	...	55.00	47.00	...	47.00	40.87	...	40.87
जोड़-प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन	220.26	...	220.26	250.00	...	250.00	215.00	...	215.00	185.77	...	185.77
फसल विज्ञान												
6. फसल विज्ञान	592.59	...	592.59	708.00	...	708.00	615.00	...	615.00	526.08	...	526.08
7. बागवानी विज्ञान	175.72	...	175.72	212.00	...	212.00	183.00	...	183.00	157.53	...	157.53
8. राष्ट्रीय कृषि विज्ञान निधि	37.06	...	37.06	48.00	...	48.00	42.00	...	42.00	35.67	...	35.67
जोड़-फसल विज्ञान	805.37	...	805.37	968.00	...	968.00	840.00	...	840.00	719.28	...	719.28
पशु विज्ञान												
9. पशु विज्ञान	256.38	...	256.38	302.00	...	302.00	262.00	...	262.00	224.41	...	224.41
10. मात्स्यिकी विज्ञान	143.81	...	143.81	160.00	...	160.00	138.00	...	138.00	118.89	...	118.89
जोड़-पशु विज्ञान	400.19	...	400.19	462.00	...	462.00	400.00	...	400.00	343.30	...	343.30
कृषि शिक्षा												
11. कृषि विश्वविद्यालय और संस्थाएं	316.68	...	316.68	355.00	...	355.00	300.00	...	300.00	263.77	...	263.77
12. आर्थिक सांख्यिकी और प्रबंधन	29.46	...	29.46	33.00	...	33.00	28.00	...	28.00	24.51	...	24.51

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
13. राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना (ईएपी)	180.00	...	180.00	225.00	...	225.00	225.00	...	225.00	167.18	...	167.18
जोड़-कृषि शिक्षा	526.14	...	526.14	613.00	...	613.00	553.00	...	553.00	455.46	...	455.46
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	2246.99	...	2246.99	2686.00	...	2686.00	2347.00	...	2347.00	1995.83	...	1995.83
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
14. आईसीएआर मुख्यालय	4984.93	...	4984.93	5322.02	...	5322.02	5561.48	...	5561.48	5877.06	...	5877.06
15. केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय	427.96	...	427.96	470.95	...	470.95	562.95	...	562.95	599.45	...	599.45
16. राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी	1.60	...	1.60	1.60	...	1.60	1.60	...	1.60	1.60	...	1.60
17. कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड	11.45	...	11.45	19.00	...	19.00	26.50	...	26.50
जोड़-स्वायत्त निकाय	5425.94	...	5425.94	5813.57	...	5813.57	6152.53	...	6152.53	6478.11	...	6478.11
अन्य												
18. वास्तविक वसूलियां	-131.74	...	-131.74
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	5294.20	...	5294.20	5813.57	...	5813.57	6152.53	...	6152.53	6478.11	...	6478.11
कुल जोड़	7553.77	...	7553.77	8513.62	...	8513.62	8513.62	...	8513.62	8513.62	...	8513.62
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. कृषि अनुसंधान और शिक्षा	7547.81	...	7547.81	7857.70	...	7857.70	7881.35	...	7881.35	8013.39	...	8013.39
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	5.96	...	5.96	7.32	...	7.32	7.07	...	7.07	32.65	...	32.65
जोड़-आर्थिक सेवाएं	7553.77	...	7553.77	7865.02	...	7865.02	7888.42	...	7888.42	8046.04	...	8046.04
अन्य												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	648.60	...	648.60	625.20	...	625.20	467.58	...	467.58
जोड़-अन्य	648.60	...	648.60	625.20	...	625.20	467.58	...	467.58
कुल जोड़	7553.77	...	7553.77	8513.62	...	8513.62	8513.62	...	8513.62	8513.62	...	8513.62

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. एग्रिनोवेट इण्डिया लि.	...	5.11	5.11	3.49	3.49	...	5.00	5.00
जोड़	...	5.11	5.11	3.49	3.49	...	5.00	5.00

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (एएसआरबी) विभाग के वेतन और स्थापना व्यय पर होने वाले खर्च के लिए है। एएसआरबी डेयर का एक संलग्न कार्यालय है।

2. **कृषि विस्तार:** यह प्रावधान कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों के बुनियादी स्तर तक पहुंच बनाने के लिए क्रियाकलापों के लिए है जिससे अप्रपंक्ति कृषि तकनीकी का प्रचार और परिष्करण हो सके। इसमें स्थानीय प्रौद्योगिकी के संबंध में किसानों और विस्तार कार्मिकों का प्रशिक्षण, बीज तथा रोपण हेतु सामानों का वितरण और मृदा और जल के नमूनों की जांच शामिल हैं।

3. **कृषि इंजीनियरिंग:** यह प्रावधान कृषि यंत्रों, प्रक्रिया और मूल्य वर्धित प्रोटोकाल के अनुसंधान, विकास और परिष्करण के लिए प्रावधान है।

4. **कृषि-बानिकी अनुसंधान सहित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थाएं:** यह प्रावधान निम्न कृषि उत्पाकता और लाभकारिता, भूमि निम्नीकरण, निम्न जल उत्पाकदकता, मृदा स्वास्थ्य निम्नीकरण और निम्न पोषण उपयोग क्षमता, पारितंत्र सेवाओं में निम्नीकरण, अजैविक दवावों इत्यादि की समस्या का समाधान के अनुसंधान के लिए है। लंबे दौर में टिकाऊपन हेतु प्राकृतिक संसाधनों के आधार की कमी को दूर करने के लिए आवश्यक है।

5. **जलवायु प्रतिरोध क्षमता कृषि पहल:** यह प्रावधान भारतीय कृषि के जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और जलवायु संवेदनशीलता में वृद्धि के लिए कार्यनीतिक अनुसंधान और तकनीकी प्रदर्शन के प्रचालन हेतु है। अनुकूलन और कमी के ऊपर अनुसंधान में फसल, पशुधन, मात्स्यिकी और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन शामिल हैं।

6. **फसल विज्ञान:** अनुसंधान- का प्रावधान विशेषक-विशिष्ट अधिक पैदावार देनेवाली फील्ड फसल किस्मों / संकर किस्मों का विकास करने के लिए है जो विभिन्न अजैविक दवावों के अतिरिक्त नाशकजीवों और रोगों के प्रति सहिष्णुता के लिए है। पैदावार की किसी हानि के बिना गुणवत्ता को भी उचित महत्वं दिया जाता है। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सक्रिय सहयोग से अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी)/ नेटवर्क अनुसंधान परियोजनाएं विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में उन्नत फसल किस्मों/ संकर किस्मों का विकास करने, कम लागत में उत्पादन करने और पर्यावरण अनुकूल सुरक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास करने में कार्यरत हैं।

7. **बागवानी विज्ञान:** यह प्रावधान बागवानी आनुवंशिक संसाधनों को समृद्ध बनाने के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देने, जैव और अजैव दवावों के प्रति प्रतिरोधक मैकेनिज्म के साथ नई उप-प्रजातियों का विकास करने, उपयुक्त उत्पादन प्रौद्योगिकी और बागवानी एवं सब्जी की फसलों की स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली का विकास करने के लिए है।

8. **राष्ट्रीय कृषि विज्ञान निधि:** प्राथमिकता-प्राप्त अनुसंधान समस्याओं का समाधान करने के लिए कृषि में मूलभूत और कार्यनीतिक अनुसंधान को सहायता ।

9. **पशु विज्ञान:** यह प्रावधान खाद्य और पोषाहार सुरक्षा के लिए पशुधन और कुक्कुट क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि, लाभप्रदता, प्रतिस्पर्धा और टिकाऊपन से सहायता हेतु नई प्रौद्योगिकियों का विकास करने के लिए है। इससे उत्पादकता में वृद्धि करने और उसके द्वारा संभाव्यता और वास्तविक उत्पादन के बीच अंतर को कम करने के लिए मौजूदा और नए उभर रहे क्षेत्रों में पशुधन और कुक्कुट क्षेत्र में आवश्यकता-आधारित प्राथमिकता प्राप्त अनुसंधान में सहायता मिलेगी।

10. **मात्स्यिकी विज्ञान:** यह प्रावधान मात्स्यिकी और एक्वाकल्चर में अनुसंधान एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए है। इसमें संसाधनों के मूल्यांकन और प्रबंधन के क्षेत्र में तकनीकी, प्रशिक्षण, विश्लेषणात्मक, सलाहकारी सहायता और जलजीवपालन हैचरी और

मात्स्यिकी प्रणाली के लिए उत्तरदायी विकास संवर्धन प्रौद्योगिकियों और जलजीवपालन के लिए अंत-स्थलीय लवणीय मृदाओं के प्रणाली और प्रजाति विविधीकरण और उपयोग, मत्स्य स्वास्थ्य मॉनीटरिंग करने आदि के लिए है।

11. **कृषि विश्वविद्यालय और संस्थाएं:** यह प्रावधान देश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों जिनमें राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू), मानद विश्वविद्यालय (डीयू) एवं कृषि संकाय के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू) सम्मिलित हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यह योजना i) शैक्षणिक संस्थावनों के प्रत्यायन, ii) पूर्ण स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराने तथा iii) अत्याधुनिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के वैज्ञानिकों/ संकाय के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के आयोजन के जरिये कृषि शिक्षा के मानदंड को बनाये रखने एवं उसमें सुधार लाने के लिए भी जिम्मेदार है।

12. **आर्थिक सांख्यिकी और प्रबंधन:** यह प्रावधान कृषि आर्थिकी एवं कृषि सांख्यिकी के क्षेत्रों में नीति, प्रबंधन एवं डाटाबेस मुद्दों के समाधान के लिए अनुसंधान करने और उसी के अनुरूप अन्य योजनाओं तथा कृषि हितधारकों को आवश्यकता आधारित सहायता उपलब्ध कराने के लिए है।

13. **राष्ट्रीय कृषि उन्नत शिक्षा परियोजना (ईएपी):** यह विश्व बैंक और सरकार द्वारा वित्तपोषित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना है। यह प्रावधान राष्ट्रीय कृषि उन्नत शिक्षा परियोजना के बाह्य सहायता प्राप्त घटक के लिए है। परियोजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचे, शिक्षकों और छात्र उन्नति के समर्थन के लिए संसाधनों और तंत्र का विकास करना है, और कृषि विश्वविद्यालयों के बेहतर प्रशासन और प्रबंधन के लिए साधन उपलब्ध कराना है, ताकि वर्तमान कृषि शिक्षा व्यवस्था के मानक को ऊंचा उठाने के लिए एक समग्र माडल विकसित किया जा सके जो अधिक रोजगार प्रदान करता हो, उद्यमिता उन्मुख हो और वैश्विक कृषि शिक्षा मानकों पर समतुल्य हो।

14. **आईसीएआर मुख्यालय:** यह प्रावधान मुख्य रूप से वेतन, पेंशन एवं भाकृअप के तहत विभिन्न योजनाओं को प्रशासनिक एवं लॉजिस्टिक्स सहायता पर व्ययों के लिए है जिससे कि उन्हें प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किया जा सके।

15. **केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय:** यह प्रावधान वर्तमान में ब्यास कृषि-जलवायु स्थिति पर आधारित क्षेत्रीय शिक्षा, अनुसंधान एवं विस्तार क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए है।

16. **राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी:** प्रावधान कृषि अनुसंधान, शिक्षा एवं विस्तार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के लिए और वैज्ञानिक समुदाय के विचारों को विभिन्न स्तरों पर योजना निर्माताओं, नीति निर्धारकों/सलाहकारों को नीतिगत इनपुट के रूप में प्रस्तुत करने कृषि वैज्ञानिकों को एक फोरम उपलब्ध कराने के लिए है।

17. **कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड:** प्रावधान एक पृथक स्वायत्त निकाय के निर्माण के लिए हैं जो आईसीएआर के कृषि अनुसंधान सेवा (एआरएस) और आईसीएआर के अन्य ग्रुप ए पदों में भर्ती के लिए उत्तरदायी होगा।

परमाणु ऊर्जा विभाग

मांग संख्या 3

परमाणु ऊर्जा

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	14663.99	7452.84	22116.83	16392.20	11403.20	27795.40	15466.35	15835.57	31301.92	16518.81	15825.08	32343.89
वसूलियां	-84.78	-955.44	-1040.22	-106.17	-1527.43	-1633.60	-122.93	-1249.52	-1372.45	-155.05	-1541.84	-1696.89
प्राप्तियां	-5880.37	...	-5880.37	-7896.91	...	-7896.91	-7222.26	...	-7222.26	-7923.42	...	-7923.42
निवल	8698.84	6497.40	15196.24	8389.12	9875.77	18264.89	8121.16	14586.05	22707.21	8440.34	14283.24	22723.58
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	49.03	...	49.03	69.25	...	69.25	69.30	...	69.30	68.40	...	68.40
2. आणविक ऊर्जा विनियामक बोर्ड	64.17	...	64.17	89.74	...	89.74	86.66	...	86.66	95.15	...	95.15
3. आणविक अनुसंधान केन्द्र												
3.01 भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	2212.34	...	2212.34	2935.97	...	2935.97	2674.84	...	2674.84	2918.00	...	2918.00
	-30.65	...	-30.65	-30.50	...	-30.50	-35.50	...	-35.50	-35.50	...	-35.50
निवल	2181.69	...	2181.69	2905.47	...	2905.47	2639.34	...	2639.34	2882.50	...	2882.50
3.02 इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कलपक्कम	393.17	...	393.17	493.46	...	493.46	487.86	...	487.86	510.43	...	510.43
3.03 राजा रमन सेंटर फॉर एडवान्स्ड टेक्नॉलाजी, इंदौर	293.54	...	293.54	384.01	...	384.01	339.89	...	339.89	387.56	...	387.56
3.04 वैरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, कोलकाता	116.12	...	116.12	139.10	...	139.10	132.85	...	132.85	143.21	...	143.21
3.05 परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	272.28	...	272.28	329.19	...	329.19	324.50	...	324.50	374.35	...	374.35
जोड़- आणविक अनुसंधान केन्द्र	3256.80	...	3256.80	4251.23	...	4251.23	3924.44	...	3924.44	4298.05	...	4298.05
4. ईंधन चक्र सुविधा (नाभिकीय विनियामक बोर्ड)	487.93	...	487.93	653.17	...	653.17	524.99	...	524.99	712.64	...	712.64
5. सेवा इकाइयां	377.64	...	377.64	462.05	...	462.05	458.68	...	458.68	483.26	...	483.26
	-8.73	...	-8.73	-36.00	...	-36.00	-36.00	...	-36.00	-36.00	...	-36.00
निवल	368.91	...	368.91	426.05	...	426.05	422.68	...	422.68	447.26	...	447.26
6. विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (बीआरआईटी)	79.01	...	79.01	117.01	...	117.01	112.72	...	112.72	117.88	...	117.88
7. प्रबंधन सेवा समूह	0.57	...	0.57	0.88	...	0.88	0.88	...	0.88	0.96	...	0.96
8. नाभिकीय ईंधन परिसर												
8.01 सकल बजटीय सहायता	3307.31	...	3307.31	2945.63	...	2945.63	3270.92	...	3270.92	2917.69	...	2917.69

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8.02 घटाइए प्राप्तियां	-1713.41	...	-1713.41	-3693.36	...	-3693.36	-3293.59	...	-3293.59	-3861.70	...	-3861.70
8.03 कम वसूलियां	-32.97	...	-32.97	-25.00	...	-25.00	-35.00	...	-35.00	-40.00	...	-40.00
<i>निवल</i>	<i>1560.93</i>	<i>...</i>	<i>1560.93</i>	<i>-772.73</i>	<i>...</i>	<i>-772.73</i>	<i>-57.67</i>	<i>...</i>	<i>-57.67</i>	<i>-984.01</i>	<i>...</i>	<i>-984.01</i>
9. भारी जल उत्पादन सुविधा												
9.01 सकल बजटीय सहायता	41.93	1035.89	1077.82	70.42	1452.40	1522.82	60.00	1370.29	1430.29	97.86	1371.90	1469.76
9.02 कम-वसूली	-12.43	-900.01	-912.44	-14.67	-1481.00	-1495.67	-16.43	-1201.00	-1217.43	-43.55	-1481.00	-1524.55
<i>निवल</i>	<i>29.50</i>	<i>135.88</i>	<i>165.38</i>	<i>55.75</i>	<i>-28.60</i>	<i>27.15</i>	<i>43.57</i>	<i>169.29</i>	<i>212.86</i>	<i>54.31</i>	<i>-109.10</i>	<i>-54.79</i>
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	5896.85	135.88	6032.73	4890.35	-28.60	4861.75	5127.57	169.29	5296.86	4810.64	-109.10	4701.54
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
अनुसंधान एवं विकास												
10. अनुसंधान एवं विकास मूलभूत विज्ञान एवं अभियांत्रिकी	...	839.36	839.36
11. भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की अनुसंधान और विकास परियोजनाएं	1256.73	1256.73	...	1046.00	1046.00	...	1258.94	1258.94
12. द्रुत रिएक्टर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान एवं विकास	...	131.77	131.77
13. इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की अनुसंधान और विकास परियोजनाएं	300.00	300.00	...	228.16	228.16	...	244.04	244.04
14. लेजर, सिंकोट्रोन और एक्सिलरेटर के लिए प्रगत प्रौद्योगिकियां	...	89.98	89.98
15. राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र की आरएंडडी परियोजनाएं	180.00	180.00	...	90.00	90.00	...	100.00	100.00
16. अन्वेषण एवं खनन में विकास एवं अनुसंधान	...	89.37	89.37
17. खोज और अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निदेशालय की अनुसंधान और विकास परियोजनाएं	150.00	150.00	...	133.38	133.38	...	171.37	171.37
18. अन्य संस्थानों को अनुदान	55.31	...	55.31	75.00	...	75.00	53.00	...	53.00	71.00	...	71.00
जोड़-अनुसंधान एवं विकास	55.31	1150.48	1205.79	75.00	1886.73	1961.73	53.00	1497.54	1550.54	71.00	1774.35	1845.35
19. पश्चिम भाग ईंधन चक्र परियोजना	...	484.98	484.98
20. ईंधन पुनर्चक्रण परियोजनाएं	650.00	650.00	...	557.07	557.07	...	800.00	800.00
आवास और आस-पड़ोस विकास परियोजनाएं												
21. आवासीय परियोजनाएं	...	110.98	110.98	...	196.00	196.00	...	185.50	185.50	...	182.50	182.50
भारी जल सुविधाएं												
22. भारी जल बोर्ड	...	35.00	35.00
23. भारी जल परियोजनाओं में सुधार/आशोधन	103.00	103.00	...	30.00	30.00	...	25.97	25.97
24. फ्रीड स्टॉक												
24.01 सकल बजटीय सहायता	...	900.00	900.00	...	1480.00	1480.00	...	1200.00	1200.00	...	1480.00	1480.00
24.02 कम वसूलियां	...	-55.43	-55.43	...	-46.43	-46.43	...	-48.52	-48.52	...	-60.84	-60.84
<i>निवल</i>	<i>...</i>	<i>844.57</i>	<i>844.57</i>	<i>...</i>	<i>1433.57</i>	<i>1433.57</i>	<i>...</i>	<i>1151.48</i>	<i>1151.48</i>	<i>...</i>	<i>1419.16</i>	<i>1419.16</i>
25. भारी जल पूल प्रबंधन												
25.01 सकल बजटीय सहायता	1300.00	...	1300.00	1450.00	...	1450.00	1450.00	...	1450.00	1500.00	...	1500.00
25.02 कम प्राप्तियां	-1300.00	...	-1300.00	-1450.00	...	-1450.00	-1450.00	...	-1450.00	-1500.00	...	-1500.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<i>निवल</i>
जोड़-भारी जल सुविधाएं	...	879.57	879.57	...	1536.57	1536.57	...	1181.48	1181.48	...	1445.13	1445.13
26. विकिरण एवं आइसोटोप परियोजना	...	12.10	12.10	...	38.06	38.06	...	17.00	17.00	...	38.71	38.71
27. नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं	90.73	9.39	100.12	125.02	153.93	278.95	84.70	43.42	128.12	140.46	153.93	294.39
28. नाभिकीय ईंधन परियोजना	...	471.26	471.26
29. नाभिकीय ईंधन संरचना परियोजनाएं	540.00	540.00	...	568.06	568.06	...	597.50	597.50
30. एईआरवी विस्तार परियोजना	...	21.32	21.32	...	43.08	43.08	...	21.44	21.44	...	44.72	44.72
31. एडवान्सड टेक्नोलॉजी फ़ार एक्सिलरेटर	...	29.33	29.33
32. चर ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र की अनुसंधान विकास परियोजनाएं	80.00	80.00	...	35.00	35.00	...	67.21	67.21
33. अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं	9.80	221.54	231.34	10.00	400.00	410.00	6.35	920.00	926.35	7.85	955.17	963.02
34. उद्योग एवं खनिज परियोजनाएं	25.00	15.00	40.00	45.00	100.00	145.00	9.00	70.00	79.00	9.00	100.00	109.00
35. ईंधन चक्र परियोजनाएं (दूत रिएक्टर ईंधन चक्र सुविधा)	...	235.57	235.57
36. तीव्र रिएक्टर ईंधन चक्रण परियोजनाएं कल्पक्रम	600.00	600.00	...	421.50	421.50	...	660.00	660.00
37. नाभिकीय ईंधन भण्डार												
37.01 सकल वजतीय सहायता	2847.55	...	2847.55	2951.00	...	2951.00	2691.80	...	2691.80	2950.01	...	2950.01
37.02 कम प्राप्तियां	-2866.96	...	-2866.96	-2753.55	...	-2753.55	-2478.67	...	-2478.67	-2561.72	...	-2561.72
<i>निवल</i>	<i>-19.41</i>	<i>...</i>	<i>-19.41</i>	<i>197.45</i>	<i>...</i>	<i>197.45</i>	<i>213.13</i>	<i>...</i>	<i>213.13</i>	<i>388.29</i>	<i>...</i>	<i>388.29</i>
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	161.43	3641.52	3802.95	452.47	6224.37	6676.84	366.18	5518.01	5884.19	616.60	6819.22	7435.82
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
38. अन्य स्वायत्त निकाय	2607.51	...	2607.51	3006.30	...	3006.30	2582.41	...	2582.41	2958.10	...	2958.10
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
39. न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल)	...	2670.00	2670.00	...	3560.00	3560.00	...	8327.00	8327.00	...	7288.77	7288.77
40. यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	...	10.00	10.00	...	50.00	50.00	...	21.75	21.75	...	12.35	12.35
41. भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी)	...	40.00	40.00	...	70.00	70.00	...	550.00	550.00	...	272.00	272.00
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	...	2720.00	2720.00	...	3680.00	3680.00	...	8898.75	8898.75	...	7573.12	7573.12
अन्य												
42. अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा अभिकरण को अंशदान	33.05	...	33.05	40.00	...	40.00	45.00	...	45.00	55.00	...	55.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	2640.56	2720.00	5360.56	3046.30	3680.00	6726.30	2627.41	8898.75	11526.16	3013.10	7573.12	10586.22
कुल जोड़	8698.84	6497.40	15196.24	8389.12	9875.77	18264.89	8121.16	14586.05	22707.21	8440.34	14283.24	22723.58
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. विद्युत	76.48	...	76.48	331.78	...	331.78	306.03	...	306.03	537.75	...	537.75
2. उद्योग	2659.42	...	2659.42	804.65	...	804.65	1233.69	...	1233.69	576.28	...	576.28

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3. परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	5913.91	...	5913.91	7183.44	...	7183.44	6512.14	...	6512.14	7257.91	...	7257.91
4. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	49.03	...	49.03	69.25	...	69.25	69.30	...	69.30	68.40	...	68.40
5. विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	...	551.57	551.57	...	718.93	718.93	...	593.42	593.42	...	1337.70	1337.70
6. परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	2492.68	2492.68	...	4026.03	4026.03	...	3292.25	3292.25	...	3874.49	3874.49
7. परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	...	1283.15	1283.15	...	2040.81	2040.81	...	2363.38	2363.38	...	2674.05	2674.05
8. विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	...	2170.00	2170.00	...	3090.00	3090.00	...	8337.00	8337.00	...	6397.00	6397.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	8698.84	6497.40	15196.24	8389.12	9875.77	18264.89	8121.16	14586.05	22707.21	8440.34	14283.24	22723.58
कुल जोड़	8698.84	6497.40	15196.24	8389.12	9875.77	18264.89	8121.16	14586.05	22707.21	8440.34	14283.24	22723.58

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़			
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश																		
1. इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	...	14.00	14.00	...	14.00	14.00	...	14.00	14.00	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00			
2. इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड	...	61.35	61.35	...	152.80	152.80	...	143.20	143.20	...	132.50	132.50	...	132.50	132.50			
3. यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	10.00	44.11	54.11	50.00	52.77	102.77	21.75	41.35	63.10	12.35	153.82	166.17	12.35	153.82	166.17			
4. भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	40.00	...	40.00	70.00	...	70.00	550.00	0.40	550.40	272.00	0.46	272.46	272.00	0.46	272.46			
5. भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	2670.00	6495.00	9165.00	3560.00	10613.00	14173.00	8327.00	9488.00	17815.00	7288.77	11514.00	18802.77	7288.77	11514.00	18802.77			
जोड़	2720.00	6614.46	9334.46	3680.00	10832.57	14512.57	8898.75	9686.95	18585.70	7573.12	11825.78	19398.90	7573.12	11825.78	19398.90			

1. **सचिवालय:** परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) सचिवालय विभाग की विभिन्न गतिविधियों को क्रियान्वित कर रही देशभर में फैली संघटक इकाइयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सहायता प्राप्त संस्थानों के प्रशासनिक कार्यों की देख-रेख करता है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन छ: अनुसंधान एवं विकास इकाइयां, ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप (जीसीएनईपी) हरियाणा सहित तीन औद्योगिक इकाइयां, तीन सेवा संगठनों और 5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अलावा नौ सहायता प्राप्त संस्थान भी हैं। इस विभाग की एक शाखा-सचिवालय नई दिल्ली में भी है।

2. **आणविक ऊर्जा विनियामक बोर्ड:** परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (एईआरबी) विकिरणीय संरक्षा अनुबंधों को लागू करता है। विकिरणीय, नाभिकीय एवं औद्योगिक सुरक्षा विनियमों के निर्धारण के कार्य में प्रचालनरत संयंत्रों के लिए संरक्षा संवीक्षा समिति (एसएआरसीओपी), विकिरण अनुप्रयोगों के लिए संरक्षा संवीक्षा समिति (एसआरसी) एवं अन्य समितियाँ इसकी सहायता करती हैं।

3.01. **भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र:** भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) एक बहु-विषयी (मल्टी डिस्प्लिनरी) संगठन है जो समाज के लाभ हेतु परमाणु ऊर्जा एवं उसके अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक अनुसंधान एवं विकासात्मक कार्यक्रमों में लगा रहता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, विभाग की अन्य सभी इकाइयों को अनुसंधान एवं विकास सहायता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक सहायता लगातार उपलब्ध कराता है।

3.02. **इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कलपक्कम:** केन्द्र की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का दायरा रिपेक्टर घटकों के हाइड्रॉलिक अध्ययनों और रिपेक्टर इंजीनियरी अध्ययनों, सोडियम इंड्रूमेटेशन, पदार्थ विकास एवं अभिलक्षण तक फैला है। केन्द्र ने अन्तरराष्ट्रीय मानकों के साथ मैच्युअर फास्ट ब्रीडर फ्यूल साइकिल टेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए कई सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजनाओं को हाथ में लिया है।

- 3.03. **राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, इंदौर:** राजा रमना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र (आरआरकेट), इंदौर, कण त्वरकों और लेसरो तथा उनके अनुप्रयोगों के विकास में लगा है।
- 3.04. **वैरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, कोलकाता:** कोलकाता स्थित परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र (वीईसीसी), राष्ट्र के सबसे बड़े और स्वदेशी रूप से निर्मित प्रथम साइक्लोट्रॉन का प्रचालन कर रहा है और इसने भारत में प्रथम बार ऊर्जापूरित नियोन 20 और आर्गन 40 बीम का उत्पादन किया है। कई नाभिकीय भौतिक समुदाय द्वारा राष्ट्रीय सुविधा भारतीय गामा रे अरे की राष्ट्रीय सुविधा हेतु संचालित कई प्रयोगों को पूरा किया है।
- 3.05. **परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद:** परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों हेतु आवश्यक परमाणु खनिजों के सर्वेक्षण, पूर्वोक्षण एवं अन्वेषण का कार्य करता है।
4. **ईंधन चक्र सुविधा (नाभिकीय विनियामक बोर्ड):** न्यूक्लियर रिसाईकल बोर्ड (एनआरबी) को नाभिकीय ईंधन पुनः प्रसंस्करण संबंधी कार्यकलापों को करने हेतु सृजित किया गया है।
5. **सेवा इकाइयां:** इसमें तीन सेवा संस्थान शामिल हैं : (i) क्रय एवं भंडार निदेशालय डीपीएस, मुंबई, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण सामग्री की सही समय पर, सही स्थान पर और सही मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करना, (ii) निर्माण, सेवाएं एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय (डीसीएसईएम), मुंबई, मुंबई में डीएई की संपदा हेतु आवंटन और सुरक्षा सहित रिहायशी फ्लैटों, दुकानों, सरकारी इमारतों और संपदा प्रबंधन के संचालन, अनुभव और स्तरोन्नयन के लिए भी उत्तरदायी है, (iii) सामान्य सेवा संगठन (जीएसओ), कलपक्कम एक ऐसा सेवा संगठन है जो कलपक्कम में रिहायशी आवास, स्वास्थ्य सेवाओं जैसी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।
6. **विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (बीआरआईटी):** विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड का दायित्व निम्नवत है:- विभिन्न प्रकार के रेडियोआइसोटोप उत्पादों, जिनमें रेडियोभेषज एवं संबंधित उत्पाद, रेडियो इम्प्लोएसे किट, रेडियो रसायन, रेडियो चिह्नित यौगिक तथा न्यूक्लियोटाइड तथा सीलबंद विकिरण स्रोत, जैसे, कोबाल्ट-60, इरिडियम-192, सीजीएम-137 आदि का उत्पादन तथा आपूर्ति करना। विकिरण प्रौद्योगिकी उपस्कर, जैसे गामा रेडियोग्राफी कैमरे, रक्त किरणक एवं प्रयोगशाला गामा किरणकों का उत्पादन और आपूर्ति; स्वास्थ्य संबंधी देखरेख, खाद्य संसाधन एवं कृषि में उपयोग हेतु विकिरण संसाधन प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना तथा चिकित्सा उत्पाद, मसालों एवं अन्य उत्पादों के लिए विकिरण संसाधन सेवाएं उपलब्ध कराना, विकिरण प्रौद्योगिकी का प्रचार करना तथा वाणिज्यिक स्तर पर गामा विकिरण संसाधन संयंत्रों की स्थापना के लिए निजी उद्यमियों को सेवाएं उपलब्ध कराना।
7. **प्रबंधन सेवा समूह:** विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन में समन्वयन हेतु उत्तरदायी है।
8. **नाभिकीय ईंधन सप्तिश्रः** नाभिकीय ईंधन परिसर (एनएफसी) सभी दाबयुक्ती गुरुजल रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) के लिए जिरकोनियम एलाय क्लाड, प्राकृतिक तथा समृद्ध यूरेनियम ऑक्साइड फ्यूल असेम्बलीज के विनिर्माण हेतु उत्तरदायी है और केलोनिडिनया तथा पीएचडब्ल्यूआर के लिए प्रेसरव्यूब तथा वीडब्ल्यूआर के लिए स्केयर चैनल सहित इन रिएक्टरों हेतु बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स (वीडब्ल्यूआर) जिरकोनियम एलाय स्ट्रक्चरल संघटक हैं। इसके अलावा, एनएफसी नाभिकीय तथा गैर नाभिकीय प्रयोगों हेतु अन्तरराष्ट्रीय मानदण्डों के सीमलैस स्टेनलैस स्टील तथा स्पेशल एलाय ट्यूब्स एवं सामरिक उपयोग हेतु विशेष तथा उच्च परिशुद्धता सामग्रियों का भी उत्पादन करता है।
9. **भारी जल उत्पादन सुविधा:** भारी पानी बोर्ड दो हाइड्रोजन सल्फाइड वाटर एक्सचेंज प्रोसेस कोटा और मनुगुरु में और दो संयंत्र और अमोनिया-हाइड्रोजन एक्सचेंज प्रोसेस पर आधारित थल एवं हजीरा में स्थित भारी जल संयंत्रों का प्रचालन करता है।

11. **भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की अनुसंधान और विकास परियोजनाएं:** अनुसंधान एवं विकास के प्रयास नाभिकीय विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी, मूलभूत विज्ञान तथा संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित हैं और विद्युत उत्पादन तथा कृषि, स्वास्थ्य देखभाल एवं उद्योग के क्षेत्र में विकिरण प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग के लिए अग्रसर हैं।
13. **इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की अनुसंधान और विकास परियोजनाएं:** इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र ईंधन संविरचन और री-प्रोसेसिंग समर्थित नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम के दूसरे चरण के भाग के रूप में देश में तरल सोडियम शीतलित फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों की डिजाइन तथा विकास में लगा हुआ है। एफवीआर कार्यक्रम के आरंभ में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर स्वदेशी रूप से विकसित यूरेनियम-प्लूटोनियम कार्बाइड ईंधन से प्रचालनरत है।
15. **राजा रमना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र की आरएंडडी परियोजनाएं:** दस एमईवी लिनेक प्रणाली की डिजाइन तथा संस्थापन, कृषि विकिरण संसाधन सुविधाओं के लिए आईसोलेशन शील्ड तथा त्वरक की दीवार में ओजोन कंटेन्मेंट का विकास किया जा रहा है।
17. **खोज और अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निदेशालय की अनुसंधान और विकास परियोजनाएं:** इनकी गतिविधियों में परमाणु खनिजों का मूल्यांकन, विश्लेषण, अभिलक्षण तथा वर्गीकरण, रेडियोमीट्रिक उपकरणों का संविरचन तथा अयस्क निष्पन्न फ्लो शीटों का विकास शामिल है।
18. **अन्य संस्थानों को अनुदान:** परमाणु ऊर्जा विभाग नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (बीआरएनएस), राष्ट्रीय उच्चतर गणित बोर्ड (एनबीएचएम) तथा होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (एचबीएनआई) के माध्यम से क्रमशः नाभिकीय एवं संबद्ध क्षेत्रों तथा गणित में अनुसंधान को बढ़ावा देता है।
20. **ईंधन पुनर्चक्रण परियोजनाएं:** नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए ईंधन की आपूर्ति में सुधार के लिए एकीकृत नाभिकीय पुनर्चक्रण परियोजना का निर्माण।
21. **आवासीय परियोजनाएं:** गृह निर्माण योजना विभाग के कर्मचारियों के आवास सहित विभिन्न निर्माण गतिविधियों का संचालन करती है। यह निदेशालय विभिन्न आवासीय फ्लैटों, दुकानों, सरकारी इमारतों की गृहिलिटी बिल्डिंगों की विभिन्न सेवाओं के प्रचालन, अनुरक्षण एवं अपग्रेडेशन की जिम्मेदारी निभाता है तथा मुंबई स्थित संपदा के संपदा-प्रबंधन का कार्य भी करता है। निदेशालय अपने सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए भी निर्माण कार्यों को निष्पादित करता है।
23. **भारी जल परियोजनाओं में सुधार/आशोधन:** चिकित्सा, जीवन विज्ञान, संचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में झूटीरियम (डी) तथा भारी पानी के गैर-नाभिकीय अनुप्रयोगों के क्षेत्र में कार्य करता है। भारी पानी बोर्ड ने विभिन्न डी-चिह्नित यौगिकों के संश्लेषण का कार्य शुरू किया है।
24. **फीड स्टॉक:** वित्तीय वर्ष के दौरान भारी पानी की प्रामि तथा उत्पादन का मूल्य
25. **भारी जल पूल प्रबंधन:** भारी पानी के लिए परिनिर्जित सरकारी पूंजी का ब्याज का पूल प्रबंधन में उपयोग किया गया।
26. **विकिरण एवं आइसोटोप परियोजना:** किरणित सीओ-60 के भंडारण के लिए क्षमता में वृद्धि करने के लिए विखण्डन मोली परियोजना का निर्माण।

27. **नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं:** इसमें वे परियोजनाएं शामिल हैं जो इस विभाग की तरफ से बिजली क्षेत्र की घटक इकाइयों द्वारा या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित होती हैं।
29. **नाभिकीय ईंधन संरचना परियोजनाएं:** पीएचडब्ल्यूआर रिएक्टरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ईंधन बंडल के उत्पादन हेतु जिरकोलॉय संविचरन सुविधा सहित ईंधन संविचरन सुविधा की स्थापना।
30. **एईआरबी विस्तार परियोजना:** प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए एईआरबी की क्षमता निर्माण हेतु मुख्यालय में तए भवन तथा क्षेत्रीय नियामक केंद्रों का निर्माण।
32. **चर ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र की अनुसंधान विकास परियोजनाएं:** चिकित्सा साइक्लोट्रॉन की स्थापना, उन्नत कंप्यूटिंग, एएनयूआरआईबी की डिजाइन, सुपरकंडक्टिंग एक्सीलेरेटर घटकों के विकास से भविष्य में नाभिकीय भौतिकी में अनुसंधान होगा।
33. **अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं:** विभाग की ओर से अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र की संघटक इकाइयों द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किए जाने वाले आईटीईआर में योगदान के लिए प्रावधान के अतिरिक्त मेगा साइंस, पब्लिक आउटरिच, प्रबंधन कार्यक्रम अणुनेट परियोजनाएं जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं।
34. **उद्योग एवं खनिज परियोजनाएं:** इसमें वे परियोजनाएं शामिल हैं जिनका निष्पादन इस विभाग की ओर से आईएण्डएम क्षेत्र की संघटक इकाइयों द्वारा या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है।
36. **तीव्र रिएक्टर ईंधन चक्रण परियोजनाएं कलपद्धम:** आईजीसीएआर की ईंधन चक्र परियोजनाएं एफआरएफसीएफ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संवृत् ईंधन चक्र की एकीकृत सुविधा है।
37. **नाभिकीय ईंधन भण्डार:** यह भारी पानी उत्पादन की विभिन्न सुविधाओं से भारी पानी उत्पादन का मालसूची प्रबंधन है।
38. **अन्य स्वायत्त निकाय:** इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत ग्यारह स्वायत्त निकाय द्वारा किए जा रहे अनुसंधान और विकास कार्यक्रम शामिल हैं। इसमें महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम के लिए अलग प्रावधान, टाटा स्मारक केन्द्र द्वारा किए जा रहे कैंसर केयर, शिक्षा और अनुसंधान कार्यक्रम भी शामिल हैं।
39. **न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल):** न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु बिजलीघर के अभिकल्पन, निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण करने वाली एक नोडल एजेंसी है।
40. **यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड:** यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना यूरेनियम सांद्रण के उत्पादन हेतु यूरेनियम अयस्क के खनन तथा प्रोसेसिंग के उद्देश्य से की गई।
41. **भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी):** भाविनी का लक्ष्य वाणिज्यिक आधार पर विद्युत का उत्पादन करने के लिए पीएफबीआर से शुरुआत करते हुए द्रुत प्रजनक प्रौद्योगिकी आधारित नाभिकीय बिजलीघर/घरों के एकीकृत कार्यक्रम की योजना बनाना, कार्यान्वित करना तथा प्रचालित करना है।

42. **अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा अभिकरण को अंशदान:** भारत, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आईएईए) के प्रारंभ से ही उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का एक सदस्य रहा है तथा अंतर्राष्ट्रीय परिषदों एवं अन्य फेलोशिप विनियम कार्यक्रमों में भाग लेने के अतिरिक्त विशेषज्ञता वाले कार्यों हेतु विभागीय वैज्ञानिकों की सेवायें इस संस्था को उपलब्ध कराता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आईएईए) के अंतर्गत प्रावधान इस अंतर्राष्ट्रीय निकाय के लिए विभाग द्वारा किए गए योगदान की देखरेख करता है।

आयुष मंत्रालय
मांग संख्या 4
आयुष मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2291.98	...	2291.98	2970.30	...	2970.30	2664.42	...	2664.42	3050.00	...	3050.00
वसूलियां	-165.52	...	-165.52
प्राप्तियां
निवल	2126.46	...	2126.46	2970.30	...	2970.30	2664.42	...	2664.42	3050.00	...	3050.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	33.20	...	33.20	43.39	...	43.39	53.88	...	53.88	44.71	...	44.71
2. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड	49.96	...	49.96	62.13	...	62.13	18.15	...	18.15	13.82	...	13.82
3. भारतीय औषधि और होम्योपैथी भेषज संहिता आयोग	5.69	...	5.69	13.23	...	13.23	13.23	...	13.23	14.39	...	14.39
4. होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद	2.05	...	2.05
5. भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद	1.72	...	1.72
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	92.62	...	92.62	118.75	...	118.75	85.26	...	85.26	72.92	...	72.92
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
आयुष केंद्रीय क्षेत्रक योजना												
6. आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक चिकित्सा इत्यादि में कार्यरत गैर-सरकारी/निजी क्षेत्र के प्रत्यायित आयुष उत्कृष्टता केंद्रों को सहायता	19.93	...	19.93	13.00	...	13.00	0.02	...	0.02
7. आयुष और सार्वजनिक स्वास्थ्य	4.99	...	4.99	5.00	...	5.00	0.50	...	0.50
8. केंद्रीय औषध नियंत्रक, आयुष	0.04	...	0.04	1.50	...	1.50
9. सूचना, शिक्षा एवं संचार	20.93	...	20.93	46.20	...	46.20	34.84	...	34.84	43.88	...	43.88
10. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन	43.87	...	43.87	38.60	...	38.60	73.94	...	73.94	86.10	...	86.10
11. एएसयू औषधियों के लिए भेषज सतर्कता पहल	1.79	...	1.79	4.10	...	4.10
12. आयुष कार्मिकों का पुनर्भिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम/सतत चिकित्सा शिक्षा (आरओटीपी/सीएमई)	5.96	...	5.96	6.00	...	6.00	4.80	...	4.80
13. अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से बहिर्वर्ती अनुसंधान परियोजनाएं	7.92	...	7.92	8.77	...	8.77	2.14	...	2.14
14. चैम्पियन सेवा सैक्टर स्कीम	12.53	...	12.53	150.00	...	150.00	29.63	...	29.63	60.22	...	60.22

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
15. आयुर्वेद - जीव विज्ञान एकीकृत स्वास्थ्य और अनुसंधान पर कार्यक्रम	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
16. प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना	25.00	...	25.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
17. आयुर्जान	8.45	...	8.45	15.50	...	15.50
18. आयुर्स्वास्थ्य योजना	38.52	...	38.52	27.79	...	27.79
19. आयुष औषधी गुणवत्ता और उत्पादान संवर्धन योजना" (आओगुसी)	10.00	...	10.00	23.50	...	23.50
20. औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन संबंधी केंद्रीय क्षेत्रक योजना	31.30	...	31.30	48.49	...	48.49
जोड़-केंद्रीय क्षेत्रक योजना आयुष	117.96	...	117.96	298.67	...	298.67	235.14	...	235.14	306.98	...	306.98
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	117.96	...	117.96	298.67	...	298.67	235.14	...	235.14	306.98	...	306.98
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
21. केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली	4.90	...	4.90	5.16	...	5.16	3.41	...	3.41
22. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, नई दिल्ली	9.00	...	9.00	11.87	...	11.87	0.90	...	0.90
23. आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान	63.36	...	63.36	64.49	...	64.49	80.40	...	80.40
24. होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग	3.23	...	3.23	7.30	...	7.30
25. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग	14.31	...	14.31	22.44	...	22.44
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	13.90	...	13.90	80.39	...	80.39	86.34	...	86.34	110.14	...	110.14
स्वायत्त निकाय												
26. केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	264.16	...	264.16	328.27	...	328.27	309.37	...	309.37	358.50	...	358.50
27. केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद	130.50	...	130.50	167.58	...	167.58	143.58	...	143.58	143.70	...	143.70
28. केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद	164.05	...	164.05	167.79	...	167.79	157.73	...	157.73	175.80	...	175.80
29. <i>अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान</i>												
29.01 सकल बजटीय सहायता से सहायता	313.80	...	313.80	348.87	...	348.87	342.87	...	342.87	227.10	...	227.10
30. <i>राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता</i>												
30.01 सकल बजटीय सहायता से सहायता	145.05	...	145.05	148.12	...	148.12	119.54	...	119.54	78.74	...	78.74
31. <i>अन्य स्वायत्त निकाय</i>												
31.01 सकल बजटीय सहायता से सहायता	652.22	...	652.22	758.06	...	758.06	684.59	...	684.59	776.12	...	776.12
जोड़-स्वायत्त निकाय	1669.78	...	1669.78	1918.69	...	1918.69	1757.68	...	1757.68	1759.96	...	1759.96
अन्य												
32. वास्तविक वसूलियां	-165.52	...	-165.52
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	1518.16	...	1518.16	1999.08	...	1999.08	1844.02	...	1844.02	1870.10	...	1870.10
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन												
33. राष्ट्रीय आयुष मिशन	397.72	...	397.72	553.80	...	553.80	500.00	...	500.00	800.00	...	800.00
कुल जोड़	2126.46	...	2126.46	2970.30	...	2970.30	2664.42	...	2664.42	3050.00	...	3050.00
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	1728.86	...	1728.86	2316.80	...	2316.80	2062.67	...	2062.67	2143.32	...	2143.32
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	5.09	...	5.09	43.39	...	43.39	53.88	...	53.88	44.71	...	44.71
जोड़-सामाजिक सेवाएं	1733.95	...	1733.95	2360.19	...	2360.19	2116.55	...	2116.55	2188.03	...	2188.03
अन्य												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	121.31	...	121.31	102.47	...	102.47	181.97	...	181.97
4. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	369.18	...	369.18	463.80	...	463.80	422.40	...	422.40	610.00	...	610.00
5. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	23.33	...	23.33	25.00	...	25.00	23.00	...	23.00	70.00	...	70.00
जोड़-अन्य	392.51	...	392.51	610.11	...	610.11	547.87	...	547.87	861.97	...	861.97
कुल जोड़	2126.46	...	2126.46	2970.30	...	2970.30	2664.42	...	2664.42	3050.00	...	3050.00

1. **सचिवालय:** आयुष मंत्रालय को सचिवालयीय सेवा प्रदान करता है।

2. **राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड:** एएसयू एवं एच औषधियों के विनिर्माण हेतु सुनिश्चित गुणवत्ता की कच्ची सामग्री प्रदान करने के लिए औषधीय पादपों के स्व-स्थाने संरक्षण और पर-स्थाने कृषि को प्रोत्साहन देने के नजरिए से औषधीय पादप बोर्ड संवर्धनात्मक और संविदात्मक कृषि स्कीमें चलाता है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की पहल पर 27 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों में घरेलू खपत और निर्यात के लिए औषधीय पादपों की उच्च अग्रता प्राप्त कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए 32 राज्याय औषधीय पादप बोर्ड गठित किए गए हैं।

3. **भारतीय औषधि और होम्योपैथी भेषज संहिता आयोग:** यह आयुष मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है जो भारत में सभी आयुष औषधियों से संबंधित औषध परीक्षण हेतु एक अपीलीय प्राधिकरण है। इसके अलावा, यह संगठन सभी आयुष औषधियों के लिए मानक निर्धारित करता है जो भेषज संहिता के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

4. **होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद:** होम्योपैथिक औषधों की पहचान और शुद्धता के लिए मानक निर्धारित करना और विदेशी औषधों के स्थान पर स्वदेशी औषधों का पता लगाना।

5. **भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद:** एएसयू औषधों के परीक्षण हेतु मानक निर्धारित करना और गुणवत्तायुक्त नियंत्रण उपाय लागू करना तथा आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी औषधों का गुणवत्तायुक्त नियंत्रण परीक्षण करके केंद्रीय स्तर पर औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं नियमों को लागू करना।

6. **आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक चिकित्सा इत्यादि में कार्यरत गैर-सरकारी/निजी क्षेत्र के प्रत्यायित आयुष उत्कृष्टता केंद्रों को सहायता:** ख्याति प्राप्त आयुष संस्थाओं के कार्यों और सुविधाओं दोनों का उन्नयन उत्कृष्टता स्तर तक करने के लिए सृजनशील एवं नवाचारी प्रस्तावों को सहायता प्रदान करना।

7. **आयुष और सार्वजनिक स्वास्थ्य:** सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या के लिए आयुष उपचारों को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयुष चिकित्सा प्रेक्टिशनरों के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार और निजी संगठनों के नवाचारी प्रस्तावों को सहायता प्रदान करना।

8. **आयुष केंद्रीय औषध नियंत्रक:** केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) में आयुष की ऊर्ध्वाधर संरचना सृजित करना।

9. **सूचना, शिक्षा एवं संचार:** सभी के लिए स्वास्थ्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए श्रव्य-दृश्य शैक्षणिक सामग्री के उत्पादन सहित विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से आयुष पद्धतियों की प्रभावकारिता के बारे में समुदाय सदस्यों के बीच जागृति उत्पन्न करना। इस प्रावधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बढ़ावा देना भी शामिल है।

10. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन:** आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोबा-रिग्पा और होम्योपैथी के अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन, विकास और मान्यता को सुगम बनाने के लिए आयुष चिकित्सक पद्धतियों की वैश्विक स्वीकार्यता को प्रोत्साहन देना; उभरती स्वास्थ्य समस्याओं में आयुष क्षमताओं एवं उपयोगिता के बारे में जानकारी को बढ़ावा देना; अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष पणधारियों के वार्तालाप और विपणन विकास को अपनाना तथा अन्य देशों में आयुष की शैक्षिक पीठों की स्थापना करना।

11. **एसयूओ औषधियों के लिए भेषज सतर्कता पहल:** सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी की सुरक्षा निगरानी और विपणनोपरांत सर्वेक्षण के लिए सांस्थानिक तंत्र विकसित करना।
12. **आयुष कार्मिकों का पुनर्भिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम/सतत चिकित्सा शिक्षा (आरओटीपी/सीएमई):** आयुष कार्मिकों की व्यावसायिक सक्षमता एवं कौशल का उन्नयन करना।
13. **अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से बहिर्वर्ती अनुसंधान परियोजनाएं:** प्राथमिकतापरक बीमारियों के उपचार हेतु बहिर्वर्ती तरीके से अनुसंधान एवं विकास को सहायता देना, आयुष औषधों एवं उपचारों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता के लिए वैज्ञानिक साक्ष्यों को मानकीकृत करना/वैध बनाना तथा विकसित करना और अंतरविषयक दृष्टि कोणों के साथ आयुष पद्धति की वैज्ञानिक छान-बीन करना।
14. **चैम्पियन सेवा सैक्टर स्कीम:** आयुष स्वास्थ्य परिचर्या सुपर स्पेशियलिटी डे केयर अस्पताल की स्थापना और आयुष ग्रिड के कौशल विकास और स्थापना के माध्यम से आयुष क्षेत्र में चिकित्सा पर्यटन प्रदान करना।
15. **आयुर्वेद - जीव विज्ञान एकीकृत स्वास्थ्य और अनुसंधान पर कार्यक्रम:** योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के सुदृढीकरण और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की बेहतर समझ और प्रयोग के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी को लागू करके मूल विज्ञान और चिकित्सा की पारंपरिक पद्धतियों के साथ आयुर्वेद के समेकन के क्षेत्रों तथा व्यावहारिक मॉडलों का पता लगाने के लिए एक मंच विकसित करना है।
16. **प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना:** 4000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से हर्बल खेती करना, जैसा कि आत्म निर्भर भारत 2020 में घोषणा की गई थी।
17. **आयुर्ज्ञान:** आयुष मंत्रालय ने शैक्षणिक गतिविधियों, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण आदि के माध्यम से आयुष शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'आयुर्ज्ञान' योजना लागू की है।
18. **आयुस्वास्थ्य योजना:** यह एक अम्ब्रेला योजना है जिसमें आयुष मंत्रालय की पिछली योजना "आयुष और सार्वजनिक स्वास्थ्य" (पी एच आई) और "उत्कृष्टता केंद्र" (सी ओ ई) शामिल है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल (पी एच आई) के लिए आयुष का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य -2 (एसडीजी 2) और सतत विकास लक्ष्य -3 (एसडीजी 3) प्राप्त करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए आयुष हस्तक्षेप को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और निजी संगठन के अभिनव प्रस्तावों का समर्थन करना है। विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों में आयुष हस्तक्षेपों के माध्यम से आयुष प्रणालियों की प्रभावकारिता को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है। उत्कृष्टता केंद्र (सी ओ ई) का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार और आयुष को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक ऐसे अन्य क्षेत्रों में आयुष पेशेवरों की दक्षताओं को मजबूत करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के कार्यों और सुविधाओं दोनों की स्थापना और उन्नयन के लिए रचनात्मक और अभिनव प्रस्तावों का समर्थन करना है।
19. **आयुष औषध गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना" (आओगुसी):** आयुष औषध गुणवत्ता और उत्पादन संवर्धन योजना (आओगुसी) - आयुष औषधियों की गुणवत्ता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए।
20. **औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन संबंधी केंद्रीय क्षेत्रक योजना:** आयुष उद्योग और लोक चिकित्सा के लिए महत्वपूर्ण औषधीय पौधों के इन-सीटू और/या एक्स-सीटू संरक्षण, संसाधन संवर्धन को बढ़ावा देना है। औषधीय पौधों के सभी पहलुओं में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, कृषि तकनीकों का विकास, कटाई के बाद प्रबंधन, भंडारण और प्रसंस्करण, आणविक लक्षण वर्णन उपकरण विकसित करना आदि शामिल हैं। किसानों, संग्रहकर्ताओं और अन्य हितधारकों के लिए औषधीय पौधों पर आधारित आजीविका प्रणाली को बढ़ाना। गुणवत्ता आश्वासन, आपूर्ति शृंखला सुनिश्चित करना है और बाजार संबंध बनाना/इष्टतम करना है और मूल्यवर्धन करना है। सूचना, शिक्षा और संचार,

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और उचित अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन के माध्यम से मानव संसाधन विकास। दस्तावेजों, मोनोग्राफ, तकनीकी बुलेटिन, वृत्तचित्र, ब्रोशर, पोस्टर, अन्य प्रचार सामग्री आदि के प्रकाशन को बढ़ावा देना है। औषधीय पौधों की जैव विविधता के संदर्भ में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए कदम उठाना और द्विपक्षीय/अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।

21. **केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली:** होम्योपैथी के केंद्रीय रजिस्टर का अनुरक्षण, दूसरी अनुसूची में योग्यता को शामिल करने के लिए प्रत्यक्ष पंजीकरण और सिफारिशें, एचसीसी अधिनियम की धारा 12क के संदर्भ में नए कॉलेजों को मान्यता देने, सीटों को बढ़ाने एवं नए/उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सिफारिशें।
22. **भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, नई दिल्ली:** स्नातकपूर्व एवं स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थाओं का दौरा करके आईएसएम कॉलेजों में शिक्षा के न्यूनतम मानकों एवं अपेक्षाओं को निर्धारित एवं विनियमित करना, प्रवेश क्षमता को बढ़ाना और नए कॉलेज/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करना तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यसामग्री निर्धारित करना (ii) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची में/से चिकित्सा योग्यताओं (शामिल करना/निकालना) की मान्यता संबंधी मामलों में केंद्रीय सरकार को सलाह देना (iii) भारतीय चिकित्सा की योग्यताओं को मान्यता प्रदान करना (iv) चिकित्सा अभ्यासियों द्वारा अपनाए जाने वाले व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और आचार संहिता के मानक निर्धारित करना। (v) भारतीय चिकित्सा की केंद्रीय पंजीका का अनुरक्षण करना और उसे समय-समय पर संशोधित करना तथा (vi) भाचिप चिकित्साभ्यासियों को नामांकन/प्रत्यक्ष पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना।
23. **आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान:** यह संस्थान आयुर्वेद में शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान प्रदान करता है जिसे संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान किया गया है।
24. **राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग:** चिकित्सा शिक्षा प्रणाली का प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम जो गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती चिकित्सा शिक्षा की सुलभता में सुधार लाता है, देश के सभी हिस्सों में पर्याप्त उच्च गुणवत्ता के होम्योपैथी चिकित्सा पेशेवरों को सुनिश्चित करता है, जो समान एवं सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा को प्रोत्साहित करता है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करता है और सभी नागरिकों को होम्योपैथी चिकित्सा पेशेवरों की सेवाएं सुलभ कराता है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्य को प्रोत्साहित करता है, जो होम्योपैथी चिकित्सा पेशेवरों को उनके कार्यों में नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान अपनाने और अनुसंधान में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसका उद्देश्य चिकित्सा संस्थानों का आवधिक एवं पारदर्शी मूल्यांकन करना है और जो भारत के होम्योपैथी चिकित्सा रजिस्टर रखने की सुविधा प्रदान करता है और चिकित्सा सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानक लागू करता है, जो बदलती आवश्यकताओं को अपनाने के लिए नम्य है और जिसके पास उससे संबंधित या उसके पास आए हुए मामले के समाधान के लिए एक प्रभावी शिकायत समाधान तंत्र हो।
25. **भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयोग:** एक चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए जो गुणवत्ता और सस्ती चिकित्सा शिक्षा में सुधार करता है, देश के सभी हिस्सों में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। जो समान और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देता है। जो सामुदायिक स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करता है और ऐसे चिकित्सा पेशेवरों की सेवाओं को भी सभी नागरिकों के लिए सुलभ और सस्ती बनाता है। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों को बढ़ावा देता है, जो ऐसे चिकित्सा पेशेवरों को अपने काम में नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अपनाने और अनुसंधान में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जिसका उद्देश्य चिकित्सा संस्थानों का आवधिक और पारदर्शी मूल्यांकन है और भारत के लिए चिकित्सा प्रणाली के एक मेडिकल रजिस्टर के रखरखाव की सुविधा प्रदान करता है और चिकित्सा सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानकों को लागू करता है, जो बदलती जरूरतों के अनुकूल होने के लिए लचीला है।
26. **केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद:** आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के वैधिकरण हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू करना। अनुसंधान के मूल क्षेत्र हैं- औषधीय पादप अनुसंधान, चिकित्सा -नृजातीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, औषध मानकीकरण, भेषजसंहितागत अनुसंधान, नैदानिक अनुसंधान, साहित्यिक अनुसंधान और प्रलेखन।

27. **केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद:** होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के वैधीकरण हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू करना। अनुसंधान के मूल क्षेत्रों में शामिल हैं – औषधीय पादप अनुसंधान (चिकित्सा-नृजातीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, भेषज विज्ञान भेषज संहितागत अनुसंधान), औषध मानकीकरण, औषध परीक्षण, नैदानिक अनुसंधान, नैदानिक साहित्यिक अनुसंधान, बुनियादी मौलिक अनुसंधान एवं प्रलेखन।

28. **केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद:** नैदानिक अनुसंधान, औषध अनुसंधान, साहित्यिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण तथा आईईसी क्रियाकलाप शुरू करने तथा अनुसंधान अभिमुखी विस्तार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के अतिरिक्त औषधीय पादपों की कृषि के क्षेत्रों में यूनानी चिकित्सा पर अनुसंधान शुरू करना।

29. **अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान:** राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद में स्नातकोत्तर एवं पोस्टडॉक्टरल शिक्षा (एमडी/पीएचडी) का मानक-आधार तैयार करना।

30. **राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता:** ओपीडी और आईपीडी में मरीज देखभाल से संबंधित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाना।

31. **अन्य स्वायत्त निकाय:** इसमें आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान (आईपीजीटीआरए), जामनगर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), जयपुर, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (आरएवी), नई दिल्ली, राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस), चेन्नई, राष्ट्रीय यूनानी औषध संस्थान (एनआईयूएम), बेंगलोर, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई), नई दिल्ली, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन), पुणे, पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान (एनआईएच), शिलांग, पूर्वोत्तर पारंपरिक चिकित्सा संस्थान (एनआईईएफएम), पासीघाट, राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान, राष्ट्रीय सोवा-रिग्या संस्थान तथा राष्ट्रीय आयुष भेषज विज्ञान संस्थान, पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (एनआईएफएमआर), पासीघाट के लिए प्रावधान शामिल हैं।

33. **राष्ट्रीय आयुष मिशन:** (i) आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन के माध्यम से वैश्विक सुलभता के साथ किफायती आयुष सेवाएं उपलब्ध करना; स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के रूप में स्वास्थ्य सेवाओं को अपग्रेड करके व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना पीएचसी, सीएचसी एवं जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना (ii) राज्य स्तर पर आयुष शैक्षिक संस्थानों, फार्मसियों, औषधि परीक्षण का उन्नयन कर संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना (iii) औषधीय पादपों की कृषि को सहायता देना (iv) आयुष की आपूर्ति के लिए गुणवत्तानयुक्त और मानकीकृत घटकों का उत्पादन करना (v) विपणन के पञ्चवर्ती एवं अग्रवर्ती संबंधों के साथ औषधीय पादपों की जड़ी-बूटीय उद्योग और निर्यात विपणन से संचालित कृषि को सहायता प्रदान करना, फसलोपरांत प्रबंधन और प्रमाणन करना (vi) कृषि पद्धतियों में औषधीय पादपों का समेकन करना और (vii) औषधीय पादपों की मूल्य वर्धित मदों के निर्यात में वृद्धि करना।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

मांग संख्या 5

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	219.34	73.70	293.04	229.64	3.50	233.14	206.83	2.17	209.00	207.67	1.33	209.00
वसूलियां	-0.21	...	-0.21
प्राप्तियां
निवल	219.13	73.70	292.83	229.64	3.50	233.14	206.83	2.17	209.00	207.67	1.33	209.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	17.94	...	17.94	20.97	...	20.97	19.73	...	19.73	21.35	...	21.35
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. रसायन उन्नयन और विकास स्कीम	2.59	...	2.59	3.00	...	3.00	3.60	...	3.60	3.00	...	3.00
3. पेट्रो केमिकल्स का उन्नयन	23.06	...	23.06	53.73	...	53.73	51.13	...	51.13	48.50	...	48.50
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	25.65	...	25.65	56.73	...	56.73	54.73	...	54.73	51.50	...	51.50
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
4. भोपाल गैस त्रासदी संबंधी सहायता	18.74	...	18.74	22.06	...	22.06	18.53	...	18.53	23.08	...	23.08
स्वायत्त निकाय												
5. केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान	146.30	...	146.30	117.88	...	117.88	102.34	...	102.34	100.24	...	100.24
6. कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी)	10.50	...	10.50	12.00	...	12.00	11.50	...	11.50	11.50	...	11.50
जोड़-स्वायत्त निकाय	156.80	...	156.80	129.88	...	129.88	113.84	...	113.84	111.74	...	111.74
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	175.54	...	175.54	151.94	...	151.94	132.37	...	132.37	134.82	...	134.82
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
7. हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि.	...	73.70	73.70	...	3.50	3.50	...	2.17	2.17	...	1.33	1.33
कुल जोड़	219.13	73.70	292.83	229.64	3.50	233.14	206.83	2.17	209.00	207.67	1.33	209.00

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	201.19	...	201.19	202.97	...	202.97	181.63	...	181.63	181.17	...	181.17
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	17.94	...	17.94	20.97	...	20.97	19.73	...	19.73	21.35	...	21.35
3. पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए ऋण	...	73.70	73.70	...	3.50	3.50	...	2.17	2.17	...	1.33	1.33
जोड़-आर्थिक सेवाएं	219.13	73.70	292.83	223.94	3.50	227.44	201.36	2.17	203.53	202.52	1.33	203.85
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	5.70	...	5.70	5.47	...	5.47	5.15	...	5.15
जोड़-अन्य	5.70	...	5.70	5.47	...	5.47	5.15	...	5.15
कुल जोड़	219.13	73.70	292.83	229.64	3.50	233.14	206.83	2.17	209.00	207.67	1.33	209.00

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
एचआईएल इंडिया लिमिटेड												
1. एचआईएल इंडिया लिमिटेड	...	2.75	2.75	...	10.00	10.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
जोड़-एचआईएल इंडिया लिमिटेड	...	2.75	2.75	...	10.00	10.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड												
2. हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड	73.70	...	73.70	2.17	...	2.17	1.33	...	1.33
जोड़-हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड	73.70	...	73.70	2.17	...	2.17	1.33	...	1.33
जोड़	73.70	2.75	76.45	...	10.00	10.00	2.17	3.00	5.17	1.33	3.00	4.33

- सचिवालय:** वेतन, मुद्रास्फीति आदि में वृद्धि के लिए 21.35 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है।
- रसायन उन्नयन और विकास स्कीम:** यह प्रावधान रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग के संवर्धन एवं विकास के लिए जागरूकता लाने और सूचनाओं के प्रसार के लिए किया गया है।
- पेट्रोकेमिकल्स का उन्नयन:** यह प्रावधान पेट्रोरसायन की योजनाओं के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए है अर्थात् पेट्रोरसायन के क्षेत्र में समर्पित प्लास्टिक पार्क स्थापित करना और पॉलिमर टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना करने के लिए है।

- भोपाल गैस त्रासदी संबंधी सहायता:** ₹.23.08 करोड़ का यह प्रावधान भोपाल गैस पीड़ितों के अनुग्रह भुगतान और भोपाल कल्याण आयोग के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए है।
- केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान:** यह प्रावधान सीपीईटी योजना के अंतर्गत अकादमियों में क्षमता संवर्धन तथा कौशल विकास एवं अनुसंधान एवं अभिकल्प तथा प्रौद्योगिकी सहायता में क्षमता संवर्धन के लिए किया गया है।
- कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी):** यह प्रावधान सामान्य सहायता अनुदान (सामान्य, वेतन तथा पूंजी अस्तियां) के लिए है।

7. **हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि.:** एचएफएल की क्लोजर संबंधी देयता को ऑफसेट करने के लिए पूंजी क्षीर्ण के तहत 1.33 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

मांग संख्या 6

उर्वरक विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	131271.10	813.24	132084.34	83596.77	444.62	84041.39	149218.70	444.58	149663.28	109242.18	0.05	109242.23
वसूलियां	-3323.19	...	-3323.19	-4030.00	...	-4030.00	-8960.00	...	-8960.00	-3980.00	...	-3980.00
प्राप्तियां
निवल	127947.91	813.24	128761.15	79566.77	444.62	80011.39	140258.70	444.58	140703.28	105262.18	0.05	105262.23
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	31.64	...	31.64	37.08	...	37.08	36.28	...	36.28	39.75	...	39.75
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. यूरिया सन्निडी												
2.01 देशी यूरिया के लिए भुगतान	68807.41	...	68807.41	43236.28	...	43236.28	48612.00	...	48612.00	46596.78	...	46596.78
2.02 यूरिया के आयात के लिए भुगतान	25049.62	...	25049.62	19550.00	...	19550.00	36250.40	...	36250.40	20590.00	...	20590.00
2.03 उर्वरक सन्निडी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण	9.96	...	9.96	11.40	...	11.40	27.92	...	27.92	15.54	...	15.54
2.04 वसूली	-3317.72	...	-3317.72	-4030.00	...	-4030.00	-8960.00	...	-8960.00	-3980.00	...	-3980.00
निवल	90549.27	...	90549.27	58767.68	...	58767.68	75930.32	...	75930.32	63222.32	...	63222.32
3. पोषक तत्व आधारित सन्निडी												
3.01 स्वदेशी पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान	22288.36	...	22288.36	12460.00	...	12460.00	39062.66	...	39062.66	25200.00	...	25200.00
3.02 आयातित पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान	15015.37	...	15015.37	8260.00	...	8260.00	25087.34	...	25087.34	16800.00	...	16800.00
3.03 सिटी खाद के लिए भुगतान	68.74	...	68.74	42.00	...	42.00	42.00	...	42.00
जोड़- पोषक तत्व आधारित सन्निडी	37372.47	...	37372.47	20762.00	...	20762.00	64192.00	...	64192.00	42000.00	...	42000.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	127921.74	...	127921.74	79529.68	...	79529.68	140122.32	...	140122.32	105222.32	...	105222.32
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
4. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता	...	813.24	813.24	0.01	444.62	444.63	100.00	444.58	544.58	0.01	0.05	0.06
अन्य												
5. अनुसंधान एवं विकास	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
6. वसूली	-5.47	...	-5.47
जोड़-अन्य	-5.47	...	-5.47	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	-5.47	813.24	807.77	0.01	444.62	444.63	100.10	444.58	544.68	0.11	0.05	0.16
कुल जोड़	127947.91	813.24	128761.15	79566.77	444.62	80011.39	140258.70	444.58	140703.28	105262.18	0.05	105262.23
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. कृषि कार्य	37367.11	...	37367.11	20762.00	...	20762.00	64192.00	...	64192.00	42000.00	...	42000.00
2. उद्योग	90549.27	...	90549.27	58767.68	...	58767.68	76030.42	...	76030.42	63222.42	...	63222.42
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	31.53	...	31.53	37.08	...	37.08	36.28	...	36.28	39.75	...	39.75
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
5. उर्वरक उद्योगों के लिए ऋण	...	813.24	813.24	...	444.62	444.62	...	444.58	444.58	...	0.05	0.05
जोड़-आर्थिक सेवाएं	127947.91	813.24	128761.15	79566.77	444.62	80011.39	140258.70	444.58	140703.28	105262.18	0.05	105262.23
कुल जोड़	127947.91	813.24	128761.15	79566.77	444.62	80011.39	140258.70	444.58	140703.28	105262.18	0.05	105262.23

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	...	3.60	3.60	...	7.07	7.07	...	4.96	4.96	...	74.21	74.21
2. प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड	4.40	4.40	...	4.40	4.40	...	0.10	0.10
3. राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड	...	201.03	201.03	...	267.86	267.86	...	240.74	240.74	...	293.87	293.87
4. ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड	...	-101.36	-101.36	...	79.44	79.44	...	-63.56	-63.56	...	-1.86	-1.86
5. राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड	...	326.32	326.32	...	206.68	206.68	...	281.26	281.26	...	278.92	278.92
6. उर्वरक एवं रसायन ट्रावनकोर	340.00	340.00
7. मद्रास उर्वरक लिमिटेड	38.00	38.00
जोड़	...	429.59	429.59	...	943.45	943.45	...	467.80	467.80	...	645.24	645.24

1. सचिवालय: विभाग के सचिवालय के व्यय हेतु प्रावधान।

2.01. देशी यूरिया के लिए भुगतान: यह प्रावधान यूरिया के उत्पादन हेतु हुलाई सन्सिडी सहित उर्वरक नई मूल्य निर्धारण स्कीम (एनपीएस) के अंतर्गत सन्सिडी से संबंधित है। यह सन्सिडी स्कीम किसानों को उचित कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराने और उर्वरक उत्पादकों

को उनके निवेश पर उचित प्रतिलाभ दिलाने के लिए अभिप्रेत है। वितरण लाभ (मार्जिन) को घटाकर यथानिर्धारित रियायती मूल्य और वैधानिक रूप से निमेवित उपभोक्ता मूल्य के बीच के अंतर को सब्सिडी के रूप में अनुमत किया जाता है। सब्सिडी की मात्र रियायती मूल्य, उपभोक्ता मूल्य और उत्पादन के स्तर पर निर्भर करती है।

2.02. **रूरिया के आयात के लिए भुगतान:** चूंकि उर्वरकों की मांग पूरी करने हेतु स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहीं है, इसलिए कमी को पूरा किए जाने हेतु आयात की व्यवस्था की जाती है। शामिल लागत में विस्तृत रूप से आयातित उर्वरकों का मूल्य तथा उर्वरकों के प्रबंधन और वितरण की लागत होती है। किसानों को आयातित उर्वरकों का विक्रय मूल्य उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत विनियमित होता है तथा इस प्रकार उपभोक्ता मूल्य सांविधिक रूप से विनियमित होते हैं। यह विक्रय मूल्य स्वदेशी उत्पादन के विक्रय मूल्य के समान है। उर्वरकों की किसानों को की गई विक्री से प्राप्त धनराशि और सरकार की आयात लागत के बीच का अंतर आयातित उर्वरक पर राज सहायता का द्योतक है।

2.03. **उर्वरक सब्सिडी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:** यह प्रावधान ऑनलाइन बिलों पर सब्सिडी के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए है।

3.01. **स्वदेशी पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान:** किसानों के लिए रियायती दर पर विनियंत्रित फास्फेटयुक्त और पोटैशियुक्त उर्वरकों की विक्री पर पोषकतत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) स्कीम के तहत उर्वरक विनिर्माताओं/एजेंसियों को भुगतान का प्रावधान। रियायत से बेहतर मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए उर्वरक एनपीके पोषकतत्वों का संतुलित उपयोग हो सकेगा।

3.02. **आयातित पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान:** किसानों को रियायती दर पर विनियंत्रित फास्फेटयुक्त और पोटैशियुक्त उर्वरकों की विक्री पर पोषकतत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) स्कीम के तहत उर्वरकों के आयातकों/एजेंसियों को भुगतान का प्रावधान है। रियायत से बेहतर मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए उर्वरक एनपीके पोषकतत्वों का संतुलित उपयोग हो सकेगा।

4. **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता:** यह प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिए है।

5. **अनुसंधान एवं विकास:** यह प्रावधान अनुसंधान एवं विकास के लिए है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

मांग संख्या 7

भेषज विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	449.01	7.15	456.16	461.29	9.12	470.41	1758.20	148.12	1906.32	2238.85	5.30	2244.15
<i>वसूलियां</i>	-0.15	...	-0.15
<i>प्राप्तियां</i>	-1083.21	...	-1083.21
निवल	448.86	7.15	456.01	461.29	9.12	470.41	674.99	148.12	823.11	2238.85	5.30	2244.15
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	14.40	...	14.40	16.73	...	16.73	15.98	...	15.98	18.56	...	18.56
2. राष्ट्रीय भेषजीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण	12.74	...	12.74	14.80	...	14.80	14.01	...	14.01	17.79	...	17.79
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	27.14	...	27.14	31.53	...	31.53	29.99	...	29.99	36.35	...	36.35
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
3. राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर)	306.27	...	306.27	215.34	...	215.34	350.00	...	350.00	350.00	...	350.00
4. जन औषधि स्कीम	65.00	...	65.00	65.00	...	65.00	68.50	...	68.50	72.50	...	72.50
5. भेषज उद्योग का विकास	20.45	...	20.45	124.42	...	124.42	0.02	...	0.02
6. उपभोक्ता जागरूकता प्रचार और मूल्य मॉनीटरिंग	2.60	...	2.60	6.00	...	6.00	4.50	...	4.50	6.00	...	6.00
भेषज उद्योग विकास												
7. भेषज उद्योग का विकास												
7.01 भेषज संवर्धन एवं विकास योजना	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
7.02 सामान्य सुविधाओं के लिए भेषज उद्योग को सहायता/कलस्टर विकास	15.61	...	15.61	36.00	...	36.00
7.03 भेषज प्रौद्योगिकी की उन्नयन सहायता योजना (फीटियूएस)	0.01	...	0.01	62.00	...	62.00
<i>जोड़- भेषज उद्योग का विकास</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>17.62</i>	<i>...</i>	<i>17.62</i>	<i>100.00</i>	<i>...</i>	<i>100.00</i>
उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं												
8. उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन योजना												
8.01 थोक औषध भंडार का संवर्धन	36.24	...	36.24	900.00	...	900.00
8.02 भारत में क्रिटिकल की स्टार्टिंग मैटेरियल्स/ड्रग इंटरमेडिएट्स एण्ड फार्माश्यूटिकल इंटरमेडिएट्स के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना	2.79	...	2.79	390.00	...	390.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8.03 चिकित्सा उपकरण भंडारों का संवर्धन	137.02	...	137.02	120.00	...	120.00
8.04 चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण की उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना	3.31	...	3.31	216.00	...	216.00
8.05 भेषज के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
<i>जोड़- उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन योजना</i>	<i>182.36</i>	...	<i>182.36</i>	<i>1629.00</i>	...	<i>1629.00</i>
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	394.32	...	394.32	410.76	...	410.76	623.00	...	623.00	2157.50	...	2157.50
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
9. राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर)	27.55	...	27.55	19.00	...	19.00	22.00	...	22.00	45.00	...	45.00
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
10. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता	...	7.15	7.15	...	9.12	9.12	...	148.12	148.12	...	5.30	5.30
11. भेषज सा.क्षे.उ. से संबंधित हानियां बट्टे खाते डालना/माफ करना												
11.01 इंडिया ड्रग्स एंड फार्माश्यूटिकल्स लि.	889.50	...	889.50
	-889.50	...	-889.50
<i>निवल</i>
11.02 बंगाल केमिकल्स एंड फार्माश्यूटिकल्स लि.	193.71	...	193.71
	-193.71	...	-193.71
<i>निवल</i>
<i>निवल</i>
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	...	7.15	7.15	...	9.12	9.12	...	148.12	148.12	...	5.30	5.30
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	27.55	7.15	34.70	19.00	9.12	28.12	22.00	148.12	170.12	45.00	5.30	50.30
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
12. वसूली	-0.15	...	-0.15
कुल जोड़	448.86	7.15	456.01	461.29	9.12	470.41	674.99	148.12	823.11	2238.85	5.30	2244.15
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	434.46	...	434.46	406.85	...	406.85	596.70	...	596.70	2178.09	...	2178.09
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	14.40	...	14.40	16.73	...	16.73	15.98	...	15.98	18.56	...	18.56
3. रसायन और भेषज उद्योगों के लिए ऋण	...	7.15	7.15	...	9.12	9.12	...	148.12	148.12	...	5.30	5.30
जोड़-आर्थिक सेवाएं	448.86	7.15	456.01	423.58	9.12	432.70	612.68	148.12	760.80	2196.65	5.30	2201.95
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	37.71	...	37.71	62.31	...	62.31	42.20	...	42.20

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-अन्य	37.71	...	37.71	62.31	...	62.31	42.20	...	42.20
कुल जोड़	448.86	7.15	456.01	461.29	9.12	470.41	674.99	148.12	823.11	2238.85	5.30	2244.15

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़			
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश																		
1. कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड फार्माश्यूटिकल्स लि.	...	23.18	23.18	...	33.75	33.75	...	30.00	30.00	...	33.00	33.00	...	33.00	33.00			
2. इंडियन ड्रग्स एंड फार्माश्यूटिकल्स लि.	2.23	...	2.23	2.00	...	2.00	4.00	...	4.00	4.00			
3. हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.	2.52	...	2.52	122.09	...	122.09	1.26	...	1.26	1.26			
4. बंगाल केमिकल्स एंड फार्माश्यूटिकल्स लि.	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01			
5. बंगाल इम्यूनिटी लि.	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01			
6. राजस्थान ड्रग्स एंड फार्माश्यूटिकल्स लि.	2.40	...	2.40	24.00	...	24.00	0.01	...	0.01	0.01			
7. स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट एंड फार्माश्यूटिकल्स लि.	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01			
जोड़	7.15	23.18	30.33	...	33.75	33.75	148.12	30.00	178.12	5.30	33.00	38.30	...	33.00	38.30			

(₹ करोड़)

- सचिवालय:** यह प्रावधान भेषज विभाग के वेतन और स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।
- राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण:** यह प्रावधान एनपीपीए के सचिवालय एवं स्थापना व्यय के लिए रखा गया है।
- राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर):** यह प्रावधान 7 एनआईपीईआर अर्थात् मोहाली, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली के लिए स्थापना एवं अन्य व्यय के लिए किया गया है।
- जन औषधि स्कीम:** प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के कारगर क्रियान्वयन के लिए जन औषधि स्कीम के अंतर्गत।
- उपभोक्ता जागरूकता प्रचार और मूल्य मॉनीटरिंग:** यह प्रावधान उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और राज्य संसाधन यूनिटों को सहायता प्रदान करने के लिए है।

- 7.01. भेषज संवर्धन एवं विकास योजना:** इस योजना का उद्देश्य संगोष्ठियों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके और निर्यात के साथ-साथ निवेश, संचालन अध्ययन/विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए परामर्श के लिए भारत से बढ़ते प्रतिनिधिमंडल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में प्रचार, विकास और निर्यात को बढ़ावा देना है।
- 7.02. सामान्य सुविधाओं/क्लस्टर विकास के लिए भेषज उद्योग को सहायता :** इस योजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में एकमुश्त अनुदान सहायता के माध्यम से विभिन्न चरणों में जारी किया जाएगा ताकि इस उद्देश्य के लिए स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के लिए पहचान की गई बुनियादी ढांचे और सामान्य सुविधाओं के निर्माण के लिए जारी किया जा सके।
- 7.03. भेषज प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना:** उप-योजना का उद्देश्य पात्र लघु और मध्यम स्तर की फार्मा इकाइयों को जीएमपी अनुरूप विनिर्माण सुविधाओं के लिए बल्क ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स फॉर्मूलेशन दोनों के लिए व्याज सबवेंशन प्रदान करना है। डब्ल्यूएचओ-जीएमपी मानदंडों को प्राप्त करने के लिए अपने विनिर्माण बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने की इच्छुक पात्र इकाइयों को अपने बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए किसी भी वित्तीय संस्थान से ऋण सुरक्षित करना होगा।

8.01. **थोक औषध भंडार का संवर्धन :** थोक दवाओं की निर्माण लागत में उल्लेखनीय कमी लाने और इस तरह घरेलू थोक दवा उद्योग की प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पार्क में स्थित थोक दवा इकाइयों को विश्व स्तरीय सामान्य बुनियादी सुविधाएं (सीआईएफ) तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए देश में बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए।

8.02. **भारत में क्रिटिकल की स्टार्टिंग मैटेरियल्स (केएसएम)/ड्रग इंटरमेडिएट्स एवं एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इन्फ्रैस्ट्रक्चर्स के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना:** इस योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और महत्वपूर्ण केएसएम/डीआई/एपीआई में आयात निर्भरता को कम करना है। योजना के तहत पात्र उत्पादों के लिए चयनित आवेदक द्वारा किए गए प्रतिबद्ध निवेश और बिक्री के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।

8.03. **चिकित्सा उपकरण भंडार का संवर्धन:** भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग को विश्व में अग्रणी बनाने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करने के लिए। बड़ी हुई प्रतिस्पर्धा के लिए विश्व स्तरीय सामान्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से मानक परीक्षण और बुनियादी सुविधाओं तक आसान पहुंच के परिणामस्वरूप चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी जिससे घरेलू बाजार में चिकित्सा उपकरणों की बेहतर उपलब्धता और वहनीयता होगी।

8.04. **उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन योजना:** यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव करती है।

8.05. **भेषज के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना:** इस योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ाकर और दवा क्षेत्र में उच्च मूल्य के सामान के उत्पाद विविधीकरण में योगदान देकर भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना है।

9. **राष्ट्रीय भेषजीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर):** 7 एनआईपीईआर यानी मोहाली, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली के लिए वेतन भुगतान के लिए प्रावधान किया गया व्यय है।

10. **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता:** ये प्रावधान 6 फार्मास्यूटिकल्स सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए रखे गए ऋण के तहत हैं।

नागर विमानन मंत्रालय

मांग संख्या 8

नागर विमानन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	4040.28	49.90	4090.18	3184.15	40.52	3224.67	6033.39	66618.61	72652.00	10590.54	76.46	10667.00
वसूलियां	-1.61	...	-1.61
प्राप्तियां
निवल	4038.67	49.90	4088.57	3184.15	40.52	3224.67	6033.39	66618.61	72652.00	10590.54	76.46	10667.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	56.24	14.00	70.24	44.83	5.01	49.84	49.64	5.01	54.65	54.56	1.00	55.56
2. नागर विमानन महानिदेशालय	163.39	24.90	188.29	180.00	24.00	204.00	197.86	45.09	242.95	208.00	55.45	263.45
3. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	48.24	11.00	59.24	43.76	11.50	55.26	48.74	11.50	60.24	67.50	20.00	87.50
4. रेल सुरक्षा आयुक्त												
4.01 रेल सुरक्षा आयुक्त	13.21	...	13.21	15.00	...	15.00	14.50	...	14.50	16.50	...	16.50
5. कौशल विकास हेतु अनुदान												
5.01 कौशल विकास हेतु अनुदान	0.05	...	0.05	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
6. हवाई खेलों के प्रोत्साहन/विकास के लिए नागर विमानन मंत्रालय में संस्थानों के लिए सहायता अनुदान	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
7. एअर इंडिया के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने के लिए	165.00	...	165.00	165.00	...	165.00
8. वास्तविक वसूलियां	-1.60	...	-1.60
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	279.48	49.90	329.38	284.64	40.51	325.15	476.75	61.60	538.35	512.57	76.45	589.02
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
9. क्षेत्रीय संयोजकता स्कीम	700.00	...	700.00	600.00	...	600.00	994.03	...	994.03	600.71	...	600.71
10. विशेष अतिरिक्त भाग में उड़ान परिचालनों हेतु दो नए वायुयानों की खरीद	809.96	...	809.96	0.01	...	0.01	180.27	...	180.27	39.32	...	39.32
11. एयर इंडिया परिसंपत्ति धारक लिमिटेड (एसपीवी)	2183.62	...	2183.62	2268.99	...	2268.99	2217.00	...	2217.00	9259.91	...	9259.91
12. कृषि उड़ान योजना	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	3693.58	...	3693.58	2869.00	...	2869.00	3391.31	...	3391.31	9899.95	...	9899.95
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
स्वायत्त निकाय												
13. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी तथा राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय	25.14	...	25.14	7.33	...	7.33	7.33	...	7.33	8.01	...	8.01
14. विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण	10.48	...	10.48	10.00	...	10.00	24.00	...	24.00	20.00	...	20.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	35.62	...	35.62	17.33	...	17.33	31.33	...	31.33	28.01	...	28.01
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
15. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	29.99	...	29.99	13.18	...	13.18	190.00	...	190.00	150.01	...	150.01
16. रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
17. एअर इंडिया लि. को ऋण	4500.00	4500.00
18. कोविड अवधि के दौरान नकद घाटा के लिए एअर इंडिया लिमिटेड को सहायता अनुदान	1944.00	...	1944.00
19. एआईएचएल में इक्विटी निवेश												
19.01 एअर इंडिया लिमिटेड के पिछले सरकारी गारंटीकृत उधारों के पुनर्भूगतान के लिए एआईएचएल में इक्विटी निवेश	36254.00	36254.00
19.02 एअर इंडिया लिमिटेड के पिछले सरकारी गारंटीकृत उधारों एसएलबी लीज के पुनर्भूगतान के लिए एआईएचएल में इक्विटी निवेश	12357.00	12357.00
19.03 एअर इंडिया लिमिटेड के पिछले बकाया/देयताओं के पुनर्भूगतान के लिए एआईएचएल में इक्विटी निवेश	13446.00	13446.00
<i>जोड़- एआईएचएल में इक्विटी निवेश</i>	62057.00	62057.00
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	29.99	...	29.99	13.18	0.01	13.19	2134.00	66557.01	68691.01	150.01	0.01	150.02
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	65.61	...	65.61	30.51	0.01	30.52	2165.33	66557.01	68722.34	178.02	0.01	178.03
कुल जोड़	4038.67	49.90	4088.57	3184.15	40.52	3224.67	6033.39	66618.61	72652.00	10590.54	76.46	10667.00
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	14.00	14.00	...	5.01	5.01	...	5.01	5.01	...	1.00	1.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	...	14.00	14.00	...	5.01	5.01	...	5.01	5.01	...	1.00	1.00
आर्थिक सेवाएं												
2. नागर विमानन	3982.43	...	3982.43	3069.33	...	3069.33	5889.76	...	5889.76	10407.21	...	10407.21
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	56.24	...	56.24	44.83	...	44.83	49.64	...	49.64	54.56	...	54.56
4. नागर विमानन पर पूंजी परिव्यय	...	35.90	35.90	...	35.51	35.51	...	62113.60	62113.60	...	75.46	75.46
5. नागर विमानन के लिए ऋण	4500.00	4500.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	4038.67	35.90	4074.57	3114.16	35.51	3149.67	5939.40	66613.60	72553.00	10461.77	75.46	10537.23
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	69.99	...	69.99	93.99	...	93.99	128.77	...	128.77
जोड़-अन्य	69.99	...	69.99	93.99	...	93.99	128.77	...	128.77
कुल जोड़	4038.67	49.90	4088.57	3184.15	40.52	3224.67	6033.39	66618.61	72652.00	10590.54	76.46	10667.00

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			(₹ करोड़)		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़		आं. ब. बा. सं.	जोड़		आं. ब. बा. सं.	जोड़		आं. ब. बा. सं.	जोड़	
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. एयर इंडिया लिमिटेड	0.01	4127.00	4127.01	4500.00	...	4500.00
2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	5139.70	5139.70	...	3182.07	3182.07	...	4574.00	4574.00
3. पवनहंस लिमिटेड	7.00	7.00
4. रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
5. एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड	62057.00	...	62057.00
जोड़	0.02	9273.70	9273.72	66557.01	3182.07	69739.08	...	4574.00	4574.00

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय संस्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

2. **नागर विमानन महानिदेशालय:** यह प्रावधान डीजीसीए और इसके क्षेत्रीय और फील्ड कार्यालयों के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए है। प्रावधान में प्रशिक्षण परियोजनाएं, ईजीसीए परियोजना, डीजीसीए भवन का निर्माण शामिल हैं। इसमें अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन में भारत के योगदान के लिए किया गया प्रावधान भी शामिल है।

3. **नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो:** यह प्रावधान बीसीएएस और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए है। सुरक्षा उपस्करों, आईटी उपस्करों और रेडियोलॉजिकल डिटेक्शन उपस्करों की खरीद के लिए प्रावधान चिह्नित किया गया है। बजटीय प्रावधान मुख्यालय भवन के निर्माण के लिए भी किया गया है। बजट का प्रावधान इकाओं के सहकारी विमानन सुरक्षा कार्यक्रम और विमानन सुरक्षा से संबंधित कॉन्फ्रेंस और शिखर सम्मेलनों के लिए भारत के योगदान हेतु भी किया गया है।

4.01. **रेल सुरक्षा आयुक्त:** यह प्रावधान सीआरएस तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों जो कि रेल यात्रा और प्रचालनों में सुरक्षा से संबंधित है, के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए है।

5. **कौशल विकास हेतु अनुदान:** कौशल विकास के लिए नागरिक उड्डयन क्षेत्र में संस्थानों के लिए अनुदान सहायता

6. **हवाई खेलों के प्रोत्साहन/विकास के लिए नागर विमानन मंत्रालय में संस्थानों के लिए सहायता अनुदान:** एयरो स्पोर्ट्स के संवर्धन / विकास के लिए नागरिक उड्डयन में संस्थानों को सहायता अनुदान

7. **एयर इंडिया के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने के लिए:** विनिवेश के बाद एआई के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया है।

9. **क्षेत्रीय संयोजकता स्कीम:** यह प्रस्ताव नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी के लिए वायविलिटी गैप फंडिंग, हेतु 20 हवाई अड्डों के पुनरुद्धार और 90 आरसीएस मार्गों को शुरू करने के लिए है। एनईआर क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एयर कनेक्टिविटी और एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए एक नई योजना भी तैयार की गई है।

10. **विशेष अतिरिक्त भाग में उड़ान परिचालनों हेतु दो नए वायुयानों की खरीद:** यह प्रावधान विशेष अभियानों के लिए विमान की खरीद के लिए है।

11. **एयर इंडिया परिसंपत्ति धारक लिमिटेड (एसपीवी):** यह प्रावधान एअर इंडिया की वित्तीय पुनर्संरचना के परिणामस्वरूप एसपीवी को ऋण के अंतरण की सर्विसिंग के लिए रखा गया है।

12. **कृषि उड़ान योजना:** कृषि उड़ान योजना के लिए सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

13. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी तथा राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय:** राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के लिए बजटीय प्रावधान प्राथमिक रूप से विश्वविद्यालय भवन के निर्माण, वेतन तथा अन्य स्थापना व्ययों के लिए है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के लिए बजटीय सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

14. **विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण:** एईआरए के स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान।

15. **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण:** अरुणाचल प्रदेश के होलोगी में नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए बजटीय प्रावधान।

16. **रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड:** रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड की इक्विटी पूंजी में निवेश के लिए

17. **एअर इंडिया को ऋण:** प्रावधान कोविड 19 अवधि के दौरान नकद नुकसान को पूरा करने के लिए है।
18. **कोविड अवधि के दौरान नकद घाटा के लिए एअर इंडिया लिमिटेड को सहायता अनुदान:** प्रावधान कोविड 19 अवधि के दौरान नकद नुकसान को पूरा करने के लिए है।
19. **एआईएचएल में इक्विटी निवेश:** यह प्रावधान एअर इंडिया लिमिटेड के पिछले सरकारी गारंटीकृत उधारों एसएलवी लीज किरायों एवं पिछले बकाया/दियताओं के पुनर्भुगतान के लिए है। 14586.00 करोड़ रुपए खाता मूल्य की अमुख्य आस्तियों और अन्य संपत्तियों को एअर इंडिया से एअर इंडिया एस्सेट होल्डिंग लि. (एआईएचएल) को अंतरित किया गया है।

कोयला मंत्रालय

मांग संख्या 9

कोयला मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	571.64	...	571.64	534.88	...	534.88	644.09	...	644.09	393.24	...	393.24
वसूलियां
प्राप्तियां
निवल	571.64	...	571.64	534.88	...	534.88	644.09	...	644.09	393.24	...	393.24
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	25.85	...	25.85	35.74	...	35.74	35.74	...	35.74	39.09	...	39.09
2. सांविधिक निकाय, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय	19.09	...	19.09	25.96	...	25.96	26.71	...	26.71	26.65	...	26.65
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	44.94	...	44.94	61.70	...	61.70	62.45	...	62.45	65.74	...	65.74
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
कोयला और लिग्नाइट												
3. अनुसंधान और विकास	9.97	...	9.97	18.00	...	18.00	11.50	...	11.50	10.00	...	10.00
4. कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास	50.99	...	50.99	71.98	...	71.98	70.48	...	70.48	54.54	...	54.54
5. कोयला और लिग्नाइट का अन्वेषण	443.39	...	443.39	330.00	...	330.00	470.05	...	470.05	250.00	...	250.00
जोड़-कोयला और लिग्नाइट	504.35	...	504.35	419.98	...	419.98	552.03	...	552.03	314.54	...	314.54
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	504.35	...	504.35	419.98	...	419.98	552.03	...	552.03	314.54	...	314.54
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
6. कोयला खान पेंशन स्कीम	22.35	...	22.35	53.20	...	53.20	29.61	...	29.61	12.96	...	12.96
कुल जोड़	571.64	...	571.64	534.88	...	534.88	644.09	...	644.09	393.24	...	393.24
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. श्रम, रोजगार और कौशल विकास	22.35	...	22.35	53.20	...	53.20	29.61	...	29.61	12.96	...	12.96
जोड़-सामाजिक सेवाएं	22.35	...	22.35	53.20	...	53.20	29.61	...	29.61	12.96	...	12.96
आर्थिक सेवाएं												

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2. कोयला और लिग्नाइट	523.44	...	523.44	403.94	...	403.94	523.54	...	523.54	309.74	...	309.74
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	25.85	...	25.85	35.74	...	35.74	35.74	...	35.74	39.09	...	39.09
जोड़-आर्थिक सेवाएं	549.29	...	549.29	439.68	...	439.68	559.28	...	559.28	348.83	...	348.83
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	42.00	...	42.00	55.20	...	55.20	31.45	...	31.45
जोड़-अन्य	42.00	...	42.00	55.20	...	55.20	31.45	...	31.45
कुल जोड़	571.64	...	571.64	534.88	...	534.88	644.09	...	644.09	393.24	...	393.24

	बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश									
1. एनएलसी इंडिया लिमिटेड	...	2881.04	2881.04	...	2061.00	2061.00	...	2061.00	2061.00
2. कोल इंडिया लिमिटेड	...	13283.83	13283.83	...	14685.00	14685.00	...	14685.00	14685.00
3. सिंगरेनी कॉलरीज़ कंपनी लिमिटेड	...	1310.08	1310.08	...	2500.00	2500.00	...	2000.00	2000.00
जोड़	...	17474.95	17474.95	...	19246.00	19246.00	...	18746.00	18746.00

(₹ करोड़)

- सचिवालय:** इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के व्यय सहित कोयला मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।
- सांविधिक निकाय, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय:** यह प्रावधान मनोनित प्राधिकार एवं कोयला नियंत्रण संगठन से संबंधित स्थापना व्यय के लिए है।
- अनुसंधान और विकास:** कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के लिए प्रावधान है। मुख्य जोर कोयला खदानों में स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है।
- कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास:** यह प्रावधान सुरक्षा कार्यों और सुरक्षा सुधार के माध्यम से कोयले के संरक्षण के लिए है। इसमें कोलफील्ड क्षेत्रों में सड़क और रेल परिवहन अवसंरचना का विकास भी शामिल है और कोलफील्ड क्षेत्रों में भूमि सुधार और धसांब नियंत्रण सहित पर्यावरण संरक्षण उपाय करने का प्रावधान है।
- कोयला और लिग्नाइट का अन्वेषण:** यह प्रावधान कोयले की मांग में हुई पर्याप्त वृद्धि को पूरा करने के उद्देश्य से कोयले की उपलब्धता का आकलन करने हेतु आरंभिक ड्रिलिंग करने के लिए है। इसमें गैर-सीआईएल कोयला खनन ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग के लिए भी प्रावधान है जिसमें कि सृजित की गई भूवैज्ञानिक रिपोर्ट खनन कोयला की तैयारी के लिए कोयला खनन और समय घटाने के संबंध में निवेश के निर्णय लेने में

संभावित निवेशकों को मदद कर सके। इस कदम से कोयला खनन उद्योग में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना केंद्रीय खान योजना और डिजायन संस्थान लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) द्वारा क्रियान्वित की जाती है।

6. **कोयला खान पेंशन स्कीम:** कोयला खान पेंशन योजना 1998 के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार कर्मचारी के वेतन का एक और दो तिहाई प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा योगदान करती है बशर्ते कि एक कर्मचारी के मामले में जिसका वेतन रुपये से अधिक है। 1600/- प्रति माह, केंद्र सरकार द्वारा देय अंशदान रुपये के वेतन पर देय अधिकतम राशि के बराबर होगा। केवल 1600/- प्रति माह। तदनुसार प्रावधान किया गया है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 10

वाणिज्य विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	4155.82	427.00	4582.82	4699.01	287.00	4986.01	6554.00	867.00	7421.00	5673.00	400.00	6073.00
वसूलियां	-1420.79	-6.06	-1426.85
प्राप्तियां
निवल	2735.03	420.94	3155.97	4699.01	287.00	4986.01	6554.00	867.00	7421.00	5673.00	400.00	6073.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	128.81	37.00	165.81	150.00	27.00	177.00	134.45	27.00	161.45	150.48	...	150.48
2. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय	33.43	...	33.43	45.00	...	45.00	36.41	...	36.41	46.20	...	46.20
3. व्यापार आयुक्त	190.92	...	190.92	200.00	...	200.00	212.60	...	212.60	230.12	...	230.12
4. विशेष आर्थिक क्षेत्र को सहायता	86.91	...	86.91	101.65	...	101.65	103.93	...	103.93	117.24	...	117.24
5. विदेश व्यापार एवं निर्यात संवर्धन												
5.01 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	39.21	...	39.21	42.00	...	42.00	42.00	...	42.00	40.60	...	40.60
5.02 व्यापार सुधार और व्यापार रक्षा	23.57	...	23.57	23.00	...	23.00	26.87	...	26.87	27.80	...	27.80
5.03 विदेश व्यापार महानिदेशालय	147.46	...	147.46	160.00	...	160.00	170.67	...	170.67	183.43	...	183.43
5.04 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	84.14	...	84.14	20.00	...	20.00	2.00	...	2.00	10.00	...	10.00
जोड़- विदेश व्यापार एवं निर्यात संवर्धन	294.38	...	294.38	245.00	...	245.00	241.54	...	241.54	261.83	...	261.83
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	734.45	37.00	771.45	741.65	27.00	768.65	728.93	27.00	755.93	805.87	...	805.87
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
6. कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी ई डी ए)	82.60	...	82.60	85.00	...	85.00	85.00	...	85.00	80.00	...	80.00
7. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)	110.00	...	110.00	110.00	...	110.00	110.00	...	110.00	116.00	...	116.00
8. निर्यात योजनाओं के लिए व्यापार अवसंरचना (टीआईईएस)	59.99	...	59.99	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	71.00	...	71.00
9. शुल्क वापसी स्कीम	472.28	...	472.28	377.00	...	377.00	241.00	...	241.00	221.00	...	221.00
10. चाय बोर्ड	209.19	...	209.19	375.00	...	375.00	353.65	...	353.65	131.92	...	131.92
11. कॉफी बोर्ड	174.60	...	174.60	180.00	...	180.00	188.41	...	188.41	226.21	...	226.21
12. रबड़ बोर्ड	187.69	...	187.69	190.00	...	190.00	263.95	...	263.95	268.76	...	268.76
13. मसाला बोर्ड	100.65	...	100.65	100.00	...	100.00	115.50	...	115.50	115.50	...	115.50

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
14. काजू निर्यात संवर्धन परिपद	5.00	...	5.00
निर्यात संवर्धन योजनाएं												
15. बाजार सुलभता पहल	171.31	...	171.31	200.00	...	200.00	190.00	...	190.00	200.00	...	200.00
16. राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता	744.00	...	744.00	450.00	...	450.00
17. रत्न तथा आपूर्ण क्षेत्र	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	8.67	...	8.67
18. ई सी जी सी(निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम) में निवेश	...	390.00	390.00	...	260.00	260.00	...	760.00	760.00	...	400.00	400.00
19. ब्याज समकरण स्कीम	1667.00	...	1667.00	1900.00	...	1900.00	3151.15	...	3151.15	2621.50	...	2621.50
20. निर्यात उधार हेतु उद्दीपन पैकेज-निर्वीक योजना	0.01	...	0.01
21. <i>मेटल एंड मिनिरल ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमएमटीसी)</i>												
21.01 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए सब्याज ऋण	80.00	80.00
22. कृषि निर्यात नीति का कार्यान्वयन	1.00	...	1.00	100.00	...	100.00
जोड़-निर्यात संवर्धन योजनाएं	1844.31	390.00	2234.31	2205.01	260.00	2465.01	4093.82	840.00	4933.82	3271.50	400.00	3671.50
23. परियोजना विकास निधि	5.00	...	5.00	0.60	...	0.60	16.50	...	16.50
24. परिवहन और संभार-तंत्र पर चैम्पियन सेवा सैक्टर स्कीम	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
25. अंतरराष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केन्द्र-सीआरआईटी (डब्ल्यूटीओ अध्ययन केन्द्र)	15.66	...	15.66	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	41.00	...	41.00
26. निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए) योजना	100.00	...	100.00	150.00	...	150.00	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	3356.97	390.00	3746.97	3887.02	260.00	4147.02	5806.93	840.00	6646.93	4809.40	400.00	5209.40
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
27. <i>स्वायत्त संस्थाएं</i>												
27.01 भारतीय विदेश व्यापार संस्थान	30.00	...	30.00	60.00	...	60.00	10.00	...	10.00	40.00	...	40.00
27.02 भारतीय पैकेजिंग संस्थान	3.00	...	3.00	8.00	...	8.00	5.85	...	5.85	15.00	...	15.00
27.03 निर्यात निरीक्षण परिषद	0.01	...	0.01
जोड़- स्वायत्त संस्थाएं	33.00	...	33.00	68.01	...	68.01	15.85	...	15.85	55.00	...	55.00
अन्य												
28. सरकारी ई-बाजार विशेष प्रयोजन व्यवस्था (जीईएम एसपीवी)	25.00	...	25.00
29. प्रतिनिधिमंडल का विदेश गमन	0.02	...	0.02	0.35	...	0.35	0.20	...	0.20	0.45	...	0.45
30. विदेश से प्रतिनिधिमंडल	0.19	...	0.19	0.83	...	0.83	0.83	...	0.83	0.98	...	0.98
31. विदेश व्यापार संबंधी विवाद पर व्यय	1.14	...	1.14	1.15	...	1.15	1.26	...	1.26	1.30	...	1.30
32. वास्तविक बसूली	-1415.74	-6.06	-1421.80
जोड़-अन्य	-1389.39	-6.06	-1395.45	2.33	...	2.33	2.29	...	2.29	2.73	...	2.73
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	-1356.39	-6.06	-1362.45	70.34	...	70.34	18.14	...	18.14	57.73	...	57.73
कुल जोड़	2735.03	420.94	3155.97	4699.01	287.00	4986.01	6554.00	867.00	7421.00	5673.00	400.00	6073.00

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. आपूर्ति और निपटान	23.84	...	23.84
2. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	37.00	37.00	...	27.00	27.00	...	27.00	27.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	23.84	37.00	60.84	...	27.00	27.00	...	27.00	27.00
आर्थिक सेवाएं												
3. पौधरोपण	-708.43	...	-708.43	555.40	...	555.40	626.91	...	626.91	621.95	...	621.95
4. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	128.70	...	128.70	150.00	...	150.00	134.45	...	134.45	150.48	...	150.48
5. विदेशी व्यापार और निर्यात संबर्द्धन	3290.92	...	3290.92	3693.61	...	3693.61	5492.64	...	5492.64	4774.73	...	4774.73
6. विदेशी व्यापार और निर्यात संबर्द्धन पर पूंजी परिव्यय	...	-6.06	-6.06
7. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	...	390.00	390.00	...	260.00	260.00	...	760.00	760.00	...	400.00	400.00
8. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों के लिए ऋण	80.00	80.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	2711.19	383.94	3095.13	4399.01	260.00	4659.01	6254.00	840.00	7094.00	5547.16	400.00	5947.16
अन्य												
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00	125.84	...	125.84
जोड़-अन्य	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00	125.84	...	125.84
कुल जोड़	2735.03	420.94	3155.97	4699.01	287.00	4986.01	6554.00	867.00	7421.00	5673.00	400.00	6073.00

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़			
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश																		
1. आईटीपीओ	104.03	...	104.03	...	407.00	407.00	...	250.00	250.00	...	468.00	468.00	...	468.00	468.00	...	468.00	468.00
2. ईसीजीसी	260.00	...	260.00	760.00	...	760.00	400.00	...	400.00	400.00	400.00
जोड़	104.03	...	104.03	260.00	407.00	667.00	760.00	250.00	1010.00	400.00	468.00	868.00	...	468.00	868.00	868.00

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान कार्यालय भवन 'वाणिज्य भवन के निर्माण हेतु प्रावधान सहित विभाग के सचिवालयी स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

2. **वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय:** वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय भारत की व्यापार सांख्यिकी और वाणिज्यिक सूचना के संग्रहण, संकलन एवं प्रसार के लिए भारत सरकार का अग्रणी संगठन है।

3. **व्यापार आसूक्त:** विदेश स्थित भारतीय मिशनों के कार्यरत 106 वाणिज्यिक कार्यालय हैं। विदेश स्थित वाणिज्यिक कार्यालय संस्थागत ढांचा प्रदान करते हैं और वे विश्व के साथ भारत के व्यापार एवं आर्थिक आदान-प्रदान का संबर्द्धन करने के लिए होते हैं। इन स्कंधों का प्राथमिक कार्य वैश्विक बाजार की प्रवृत्तियों, व्यापारिक कार्यकलापों से संबंधित पूरक सूचना के जरिए व्यापारिक एवं आर्थिक नीतियां तैयार करने में सरकार की सहायता करना है। यह प्रावधान इन वाणिज्यिक कार्यालयों के स्थापना सम्बन्धी व्यय हेतु है।

4. **विशेष आर्थिक क्षेत्र को सहायता:** यह प्रावधान मुख्यतः घरेलू टैरिफ क्षेत्रों से अलग अंतः क्षेत्रों के रूप में स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के प्रशासनिक व्यय के लिए है जिनका उद्देश्य निर्यात संवर्धन के लिए शुल्क मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, उक्त क्षेत्र के भीतर स्थित निर्यातमुख इकाइयों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं।

5.01. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** विश्व व्यापार संगठन को भारत का वार्षिक अंशदान

5.02. **व्यापार सुधार और व्यापार रक्षा:** व्यापार उपचार और व्यापार रक्षा के लिए प्रावधान शामिल हैं।

5.03. **विदेश व्यापार महानिदेशालय:** डी जी एफ टी निदेशालय भारतीय निर्यात के संवर्धन के मुख्य उद्देश्य के साथ विदेश व्यापार नीति को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। इसके कार्यान्वयन में विभिन्न शुल्क निष्प्रभावीकरण योजनाएं जैसे अग्रिम प्राधिकार, शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार, शुल्क हकदारी पासबुक, माने गए निर्यात, शुल्क प्रतिअदायगी तथा अंतिम उत्पाद शुल्क वापसी, निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु और अन्य प्रोत्साहन योजनाएं शामिल हैं।

5.04. **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन:** इसमें दुबई में अक्टूबर, 2020 से अप्रैल, 2021 तक आयोजित होने वाले वर्ल्ड एक्सपो 2020 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और भागीदारी का प्रावधान शामिल है।

6. **कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी ई डी ए):** कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) का गठन कृषि निर्यात के अनुसूचित उत्पादों के विकास एवं संवर्धन के लिए दिसंबर, 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 (1986 का 2) के तहत किया गया।

7. **समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए):** समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण समुद्री निर्यात पर विशेष बल के साथ समुद्री उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार है।

8. **निर्यात योजनाओं के लिए व्यापार अवसरचना (टीआईईएस):** इस स्कीम में बॉर्डर हाट, लैंड कस्टम स्टेशन, जांच सुविधा, जांच एवं प्रमाणन लैब, व्यापार संवर्धन केंद्र, शुल्क पत्तन, निर्यात भंडारण आदि जैसी अत्यधिक निर्यात संपर्क वाली परियोजनाओं के लिए निधि का प्रावधान है।

9. **शुल्क वापसी स्कीम:** समवत निर्यात उत्पादों में प्रयुक्त कच्चे माल पर संदत सीमा शुल्क /उत्पाद शुल्क का रिफण्ड / टीईडी का रिफण्ड।

10. **चाय बोर्ड:** चाय बोर्ड का गठन भारत में चाय उद्योग के समग्र विकास पर काम करने के लिए किया गया था। बोर्ड का फोकस चाय उद्योग एवं व्यापार के विकास, विशेष रूप से खेती के क्षेत्रफल में विस्तार, उत्पादन, चाय की गुणवत्ता में सुधार, उत्पादकों के सहकारी प्रयासों के संवर्धन तथा चाय में अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों को प्रोत्साहन देने, चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए संवर्धनात्मक अभियान आयोजित करने तथा पंजीकरण एवं लाइसेंस जारी करने जैसे विनियामक कार्यों पर केंद्रित है। बोर्ड चाय सांख्यिकी के संग्रहण एवं प्रसार में भी प्रमुख भूमिका भी निभाता है तथा चाय बागानों के ऐसे मजदूरों के लिए कल्याणकारी उपायों को लागू करता है, जो बागान श्रम अधिनियम 1951 जैसे संवैधानिक प्रावधानों के तहत शामिल नहीं हैं।

11. **काँफी बोर्ड:** काँफी बोर्ड मुख्य रूप से अनुसंधान, विस्तार, विकास, बाजार आसूचना, विदेशी एवं आंतरिक संवर्धन तथा कल्याणकारी उपायों के क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को संकेन्द्रित करता है।बोर्ड को सौंपे गए मुख्य कार्य इस प्रकार हैं : काँफी उद्योग के हित में कृषि एवं

प्रौद्योगिकीय अनुसंधान को बढ़ावा देना, उनके विकास के लिए काँफी एस्टेट को सहायता प्रदान करना, भारत में पैदा होने वाली काँफी की बिक्री एवं खपत को भारत में एवं अन्यत्र बढ़ावा देना, काँफी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अन्य प्रचालनों का प्रबंधन करना।

12. **रबड़ बोर्ड:** रबर बोर्ड देश में रबर उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार है और इसके लिए यह वैज्ञानिक, तकनीकी एवं आर्थिक अनुसंधान में मदद करता है और प्रोत्साहित करता है, रोपण, खाद डालने, छिड़काव करने, हार्बेस्टिंग, खेती की उन्नत विधियों में उत्पादकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है; रबर के प्रसंस्करण एवं विपणन में सुधार लाता है; और एस्टेट के स्वामियों, डीलरों, प्रोसेसर तथा रबर उत्पाद विनिर्माताओं से आंकड़े एकत्र करता है। काम करने की बेहतर स्थितियां प्रदान करना और रबर बागान के मजदूरों को सुविधाएं एवं प्रोत्साहन प्रदान करना/ उनमें सुधार लाना भी बोर्ड का कार्य है।

13. **मसाला बोर्ड:** मसाला बोर्ड छोटी एवं बड़ी दोनों इलायची उद्योग के समग्र विकास, विपणन तथा मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की अनुसूची में सूचीबद्ध 52 मसालों के निर्यात संवर्धन के लिए उत्तरदायी है।

14. **काजू निर्यात संवर्धन परिषद:** नये क्रेताओं, बाजारों की पहचान करना, बाजार की तबीनतम रूझानों एवं आवश्यकताओं को समझना, उद्योग, उपलब्धता, प्रदायगी क्षमता, गुणवत्ता मानक, बाजार परिदृश्य के बारे में जागरूकता पैदा करना, क्रेताओं एवं विक्रेताओं के साथ बातचीत और इसके माध्यम से निर्यात संवर्धन।

15. **बाजार सुलभता पहल:** बाजार पहुंच पहल स्कीम को स्थाई आधार पर भारत के निर्यात का संवर्धन करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करने के लिए तैयार किया गया है। व्यक्तिगत निर्यातकों की सहायता करने के लिए प्रावधान हैं उत्पाद पंजीकरण तथा विदेश में इंजीनियरिंग फार्मास्यूटिकल उत्पादों के परीक्षण प्रभागों के लिए। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों के संगठनों निर्यात संवर्धन परिषदों पंजीकृत व्यापार संवर्धन संगठनों वस्तु बोर्डों, मान्यताप्राप्त शीर्ष व्यापार निकायों तथा मान्यताप्राप्त औद्योगिक क्लस्टर्स को सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र गतिविधियों के तहत विदेशों में विपणन परियोजनाएं, क्षमता निर्माण, सांविधिक अनुपालन के लिए सहायता, अध्ययन, परियोजना विकास आदि शामिल हैं।

16. **राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता:** राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता का उद्देश्य निर्यात की ऐसी परियोजनाओं के सेक्टरों को क्रेडिट बीमा सहायता प्रदान करना है जो ईसीजीसी की बीमांकन क्षमता से अधिक हैं। राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता न्यास द्वारा राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता का अनुरक्षण एवं प्रचालन किया जाता है जो वाणिज्य विभाग एवं ईसीजीसी द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक सार्वजनिक न्यास है।

17. **रत्न तथा आभूषण क्षेत्र:** जेम एंड ज्वैलरी मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को सपोर्ट करने के लिए 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के तहत जेम एंड ज्वैलरी सेक्टर के लिए 50 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 13 कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीजी सी) स्थापित करने की योजना शामिल की गई थी। इस योजना को जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जी जेईपीसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

18. **ई सी जी सी(निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम) में निवेश:** ईसीजीसी का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को वाणिज्यिक या राजनीतिक कारणों की वजह से निर्यात आय की प्राप्ति न होने के जोखिम के लिए विभिन्न प्रकार की बीमा सुरक्षा प्रदान करना और बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्यातकों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने हेतु विभिन्न प्रकार की गारंटी प्रदान कर देश के निर्यातों में सहायता करना है।

19. **व्याज समकरण स्कीम:** निर्यात में तेजी लाने के लिए कुछ श्रम गहन तथा अन्य निर्यात उन्मुक्त क्षेत्रों को सब्सिडी प्रदान करना

20. **निर्यात उधार हेतु उद्दीपन पैकेज-निर्वाक योजना:** स्टिमलस पैकेज फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट-निर्विक योजना निर्यात ऋण में वृद्धि करेगी।
21. **मेटल एंड मिनिरल ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमएमटीसी):** मेटल्स एंड मिनिरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कंपनी के शेयर पूंजी में वृद्धि के लिए इक्विटी शेयरों को आवंटित किया है। चूंकि भारत सरकार कंपनी की कुल इक्विटी शेयर पूंजी में हिस्सेदारी रखती है, इसलिए कुल शेयर पूंजी में वृद्धि हुई है। इसलिए एमएमटीसी के संबंध में पूंजीगत व्यय (निवेश) के लिए एक मिलान प्रावधान किया गया है।
22. **कृषि निर्यात नीति का कार्यान्वयन:** राज्य एजेंसियों, संस्थागत तंत्र, समूह, उत्पादन वृद्धि, विपणन तथा अनुसंधान एवं विकास में सहायता के लिए प्रावधान।
23. **परियोजना विकास निधि:** परियोजना विकास निधि (पीडीएफ) का उद्देश्य भारतीय उद्योग के सदस्यों द्वारा सीएलएमवी क्षेत्र में निवेशों को बढ़ावा देना है। पीडीएफ का संचालन, स्पेशल परपज व्हिफ्लैकल्स (एसपीवी) मूजित करके सहयोगी भारतीय कारपोरेटों द्वारा सीएलएमवी क्षेत्र में निवेश के लिए अभिजात परियोजनाओं का वित्तपोषण करने हेतु एक्जिम बैंक द्वारा किया जाएगा। पीडीएफ से क्षेत्र में भारत की उपस्थिति और इसके परिणामस्वरूप भारतीय व्यापार को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
24. **परिवहन और संभार-तंत्र पर चैम्पियन सेवा सैक्टर स्कीम:** मंत्रिमंडल ने उनके विकास को बढ़ावा देने और उनकी क्षमता को साकार करने के लिए 12 पहचान की गई चैम्पियन सेवा क्षेत्रों पर ध्यान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, वाणिज्य मंत्रालय के विकास को साकार करने के लिए स्क्रिनिंग समिति को सचिवालय समर्थन प्रदान करेगा।
25. **अंतरराष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केन्द्र-सीआरआईटी (डब्ल्यूटीओ अध्ययन केन्द्र):** सेंटर फॉर डब्ल्यूटीओ स्टडीज (सीडब्ल्यूटीओएस) की अनुसंधान क्षमताओं का विस्तार करने के लिए एक नया संस्थान बनाया गया है जिसका नाम बदलकर इंस्टीट्यूशन सीआरआईटी (सेंटर फॉर रिसर्च इन इंटरनेशनल ट्रेड) है, जो आईआईएफटी का हिस्सा बना रहेगा।
26. **निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए) योजना:** यह योजना कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु माल-भाड़ा नुकसान को कम करने के लिए माल-भाड़ा की अंतरराष्ट्रीय घटकों के लिए सहायता प्रदान करेगा तथा कृषि उत्पादों की विपणन के लिए सहायता प्रदान करेगा जिससे विदेशी बाजारों में ब्रेंडेड कृषि उत्पादों की निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना है।
- 27.01. **भारतीय विदेश व्यापार संस्थान:** मानव संसाधन विकास डाटा के सृजन विश्लेषण प्रसार तथा अनुसंधान के संचालन के माध्यम से देश के विदेश व्यापार प्रबंधन को पेशेवर बनाने तथा निर्यात बढ़ाने में मदद के लिए एक स्वायत्त संगठन के रूप में भारत सरकार द्वारा 1963 में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का गठन किया गया।
- 27.02. **भारतीय पैकेजिंग संस्थान:** भारतीय पैकेजिंग संस्थान की स्थापना अच्छी पैकेजिंग के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने, पैकेजिंग तथा पैकेजिंग डिजाइन में अध्ययन अनुसंधान एवं विकास करने और प्रोत्साहित करने, पैकेजों के लिए मानकों की सिफारिश करने, पैकेजों पैकेजिंग सामग्रियों का परीक्षण करना मूल्यांकन करने और प्रमाणित करने, परामर्शी सेवाएं प्रदान करने, कारगर सुधार के लिए वस्तुवार और देशवार निर्यात के लिए पैकेजिंग का अध्ययन करने, संगम ज्ञापन में यथा निर्धारित पैकेजिंग प्रौद्योगिकी में दीर्घावधिक एवं अल्पावधिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी।
- 27.03. **निर्यात निरीक्षण परिषद:** ईआईसी की स्थापना भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण और लदान पूर्व जांच के माध्यम से निर्यात व्यापार के तीव्र विकास की व्यवस्था के लिए निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण अधिनियम 1963 की धारा 3 के तहत की गई थी। यह

अधिनियम केंद्र सरकार को निम्नीलिखित का अधिकार प्रदान करता है ऐसी वस्तुएं अधिसूचित करना जो निर्यात से पूर्व गुणवत्ता नियंत्रण या निरीक्षण अथवा दोनों के अधीन होंगी।

28. **सरकारी ई-बाजार विशेष प्रयोजन व्यवस्था (जीईएम एसपीवी):** सरकारी ई-बाजार स्थल विशेष प्रयोजन माध्यम एक राष्ट्रीय सरकारी अधिप्राप्ति कंपनी है, इसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अपेक्षित माल और सेवाओं की खरीद के लिए प्रावधान करने हेतु है। जेम एसपीवी केन्द्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों, केन्द्रीय और राज्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और स्थानीय निकायों को आम प्रयोग की वस्तुओं और सेवाओं को पारदर्शी तरीके से एंड टू एंड बाजार के स्थल उपलब्ध कराएगा।
29. **प्रतिनिधिमंडल का विदेश गमन:** बैठक तथा व्यापार करारों के लिए विदेश जाने वाले प्रतिनिधि मंडल के संबंध में व्यय हेतु प्रावधान।
30. **विदेश से प्रतिनिधिमंडल:** बैठक तथा व्यापार करारों के लिए विदेश से आने वाले प्रतिनिधि मंडलों के लिए प्रावधान।
31. **विदेश व्यापार संबंधी विवाद पर व्यय:** इसमें विदेशी व्यापार पर विवाद पर होने वाले व्यय का प्रावधान शामिल है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 11

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	6761.78	797.35	7559.13	6570.66	1211.58	7782.24	6696.42	1685.58	8382.00	7048.00	1300.00	8348.00
<i>वसूलियां</i>	-30.59	...	-30.59
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	6731.19	797.35	7528.54	6570.66	1211.58	7782.24	6696.42	1685.58	8382.00	7048.00	1300.00	8348.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	90.40	...	90.40	100.00	...	100.00	121.48	...	121.48	114.36	...	114.36
2. <i>बौद्धिक संपदा</i>												
2.01 बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड का सुदृढीकरण (आईपीएबी)	6.62	...	6.62	10.15	...	10.15	0.37	...	0.37
2.02 पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक	181.56	...	181.56	193.72	...	193.72	196.43	...	196.43	207.95	...	207.95
2.03 प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय	2.03	...	2.03	2.71	...	2.71	0.67	...	0.67
2.04 बौद्धिक नीति अधिकार (आईपीआर) नीति प्रबंधन	3.70	...	3.70	9.45	...	9.45	6.34	...	6.34	7.28	...	7.28
2.05 पेटेंट अभिकल्प और ट्रेड मार्क महानियंत्रक में अवसंरचना विकास (आईडीसीजीपीडीटीएम)	...	19.95	19.95	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	16.50	16.50
<i>जोड़- बौद्धिक संपदा</i>	<i>193.91</i>	<i>19.95</i>	<i>213.86</i>	<i>216.03</i>	<i>10.00</i>	<i>226.03</i>	<i>203.81</i>	<i>10.00</i>	<i>213.81</i>	<i>215.23</i>	<i>16.50</i>	<i>231.73</i>
3. <i>संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय</i>												
3.01 पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ)	57.00	...	57.00	60.77	...	60.77	60.67	...	60.67	66.16	...	66.16
3.02 नमक आयुक्त	26.68	...	26.68	31.62	...	31.62	30.92	...	30.92	31.58	...	31.58
3.03 प्रशुल्क आयोग	6.34	...	6.34	6.95	...	6.95	6.95	...	6.95	7.92	...	7.92
3.04 बॉयलर सर्वेक्षण	0.45	...	0.45	0.15	...	0.15	0.25	...	0.25
<i>जोड़- संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय</i>	<i>90.02</i>	<i>...</i>	<i>90.02</i>	<i>99.79</i>	<i>...</i>	<i>99.79</i>	<i>98.69</i>	<i>...</i>	<i>98.69</i>	<i>105.91</i>	<i>...</i>	<i>105.91</i>
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	374.33	19.95	394.28	415.82	10.00	425.82	423.98	10.00	433.98	435.50	16.50	452.00
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
4. भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी)	153.10	...	153.10	150.00	...	150.00	200.00	...	200.00
5. फुटवेयर, लेदर और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम (एफएलएडीपी)	208.00	...	208.00
6. औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूस)	24.08	...	24.08	13.00	...	13.00	5.60	...	5.60	5.08	...	5.08

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
7. मूल्य एवं उत्पादन आंकड़े	10.33	...	10.33	12.70	...	12.70	19.46	...	19.46	16.23	...	16.23
राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर												
8. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी)	2600.00	...	2600.00	2000.00	...	2000.00	1089.57	...	1089.57	1500.00	...	1500.00
9. प्रदर्शनी-सह-अभिसमय केन्द्र, द्वारका	...	347.41	347.41	...	245.58	245.58	...	245.58	245.58
जोड़-राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर	2600.00	347.41	2947.41	2000.00	245.58	2245.58	1089.57	245.58	1335.15	1500.00	...	1500.00
मेक इन इंडिया												
10. निवेश संवर्धन हेतु योजना	85.37	...	85.37	90.49	...	90.49	181.00	...	181.00	189.00	...	189.00
11. निधियों का कोष	...	429.99	429.99	...	830.00	830.00	...	1330.00	1330.00	...	1000.00	1000.00
12. क्रेडिट गारंटी निधि	300.00	...	300.00
13. स्टार्ट-अप इंडिया	15.23	...	15.23	20.83	...	20.83	32.83	...	32.83	50.00	...	50.00
14. स्टार्टअप इंडिया प्रारंभिक निधि स्कीम	126.00	126.00	...	100.00	100.00	...	283.50	283.50
15. व्यापार करने की सुगमता	7.87	...	7.87	10.00	...	10.00	9.90	...	9.90	12.00	...	12.00
16. सफेद बजाजी सामान (एसी एवंएलईडी लाइट) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम	1.00	...	1.00	1.18	...	1.18	3.54	...	3.54
जोड़-मेक इन इंडिया	108.47	429.99	538.46	422.32	956.00	1378.32	224.91	1430.00	1654.91	254.54	1283.50	1538.04
पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास												
17. पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईपीपी)	200.00	...	200.00	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00	20.00	...	20.00
18. उत्तर पूर्व औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस) 2017	15.00	...	15.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	150.00	...	150.00
19. परिवहन/ माल भाड़ा सब्सिडी स्कीम	385.00	...	385.00	350.00	...	350.00	382.94	...	382.94	300.00	...	300.00
20. विशेष श्रेणी के राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए पैकेज	44.96	...	44.96	20.00	...	20.00	30.00	...	30.00	29.50	...	29.50
21. जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास स्कीम,2017	100.00	...	100.00	50.00	...	50.00	110.00	...	110.00
22. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास स्कीम,2017	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	31.90	...	31.90
23. जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का औद्योगिक विकास	104.50	...	104.50	1.82	...	1.82	150.00	...	150.00
जोड़-पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास	644.96	...	644.96	854.50	...	854.50	744.76	...	744.76	791.40	...	791.40
24. पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों के लिए केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी की वापसी	2716.00	...	2716.00	2507.92	...	2507.92	3807.92	...	3807.92	3631.64	...	3631.64
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	6256.94	777.40	7034.34	5960.44	1201.58	7162.02	6092.22	1675.58	7767.80	6406.89	1283.50	7690.39
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
25. स्वायत्त संगठन												
25.01 स्वायत्तशासी संस्थाओं को सहायता	71.64	...	71.64	133.17	...	133.17	123.25	...	123.25	136.78	...	136.78
25.02 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन	0.75	...	0.75	0.80	...	0.80	0.80	...	0.80	0.80	...	0.80
25.03 एशियाई उत्पादकता संगठन /संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन	17.17	...	17.17	18.59	...	18.59	18.39	...	18.39	24.87	...	24.87
25.04 स्वायत्तशासी निकायों को सहायता	40.95	...	40.95	41.84	...	41.84	37.78	...	37.78	43.16	...	43.16

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़- स्वायत्त संगठन	130.51	...	130.51	194.40	...	194.40	180.22	...	180.22	205.61	...	205.61
अन्य												
26. वास्तविक वसूली	-30.59	...	-30.59
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	99.92	...	99.92	194.40	...	194.40	180.22	...	180.22	205.61	...	205.61
कुल जोड़	6731.19	797.35	7528.54	6570.66	1211.58	7782.24	6696.42	1685.58	8382.00	7048.00	1300.00	8348.00
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	57.00	...	57.00	60.77	...	60.77	60.67	...	60.67	66.16	...	66.16
2. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	19.95	19.95	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	16.50	16.50
जोड़-सामान्य सेवाएं	57.00	19.95	76.95	60.77	10.00	70.77	60.67	10.00	70.67	66.16	16.50	82.66
आर्थिक सेवाएं												
3. उद्योग	423.60	...	423.60	804.94	...	804.94	634.70	...	634.70	692.68	...	692.68
4. उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	5957.04	...	5957.04	4441.72	...	4441.72	3821.55	...	3821.55	4455.09	...	4455.09
5. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	90.30	...	90.30	100.00	...	100.00	121.48	...	121.48	114.36	...	114.36
6. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	204.97	...	204.97	228.93	...	228.93	223.60	...	223.60	231.66	...	231.66
7. अन्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	777.40	777.40	...	1201.58	1201.58	...	1675.58	1675.58	...	1283.50	1283.50
जोड़-आर्थिक सेवाएं	6675.91	777.40	7453.31	5575.59	1201.58	6777.17	4801.33	1675.58	6476.91	5493.79	1283.50	6777.29
अन्य												
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र	934.30	...	934.30	1834.42	...	1834.42	1488.05	...	1488.05
9. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	-1.72	...	-1.72
जोड़-अन्य	-1.72	...	-1.72	934.30	...	934.30	1834.42	...	1834.42	1488.05	...	1488.05
कुल जोड़	6731.19	797.35	7528.54	6570.66	1211.58	7782.24	6696.42	1685.58	8382.00	7048.00	1300.00	8348.00

1. **सचिवालय:** उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, आर्थिक सलाहकार कार्यालय के सचिवालय संबंधी व्यय हेतु व्यवस्था करता है।

2.01. **बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड सुदृढीकरण स्कीम (आईपीएबी):** इसकी स्थापना पेटेंट नियंत्रक, व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार, भौगोलिक निदर्शन, प्रतिलिप्याधिकार और पौधा किस्म एवं किसान के अधिकार मामलों के संबंध में निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने के लिए की गई है। ये आईपीएबी उच्च न्यायालयों के अपीलीय क्षेत्राधिकार को प्रतिस्थापित करता है। इस बजट प्रावधान में वेतन और इस बोर्ड के अन्य संस्थापन की आवश्यकता संबंधी व्यय के लिए व्यवस्था है।

2.02. **पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक:** महानियंत्रक पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न: यह कार्यालय औद्योगिक संपदा अधिकारों नामतः पेटेंट अधिनियम, 1970, डिजाइन अधिनियम, 2000, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999, भौगोलिक उपनिदर्शन

अधिनियम, 1999, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 तथा अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिविन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 से संबंधित कानूनों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।

2.03. **प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय:** कॉपीराइट कार्यालय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 9 के तहत संवैधानिक रूप से स्थापित कार्यालय है। कॉपीराइट कार्यालय कॉपीराइट के रजिस्ट्रार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है, जो केन्द्र सरकार निर्देशों के तहत कार्य करता है।

2.04. **बौद्धिक नीति अधिकार (आईपीआर) नीति प्रबंधन:** बौद्धिक नीति अधिकार (आईपीआर) नीति प्रबंधन दो योजनाओं का संशोधित संस्करण है जिसमें एक है बौद्धिक संपदा अधिकार संवर्धन एवं प्रबंधन प्रकोष्ठ (सीआईपीएएम) और दूसरा है संपूर्ण शिक्षा और शैक्षणिक समुदाय के लिए आईपीआर में अध्ययन और अनुसंधान (एसपीआरआईएचए)(पूर्व में कापीराइट और आईपीआर का संवर्धन)। यह योजना राष्ट्रीय आईपीआर नीति के रूप में है और भारत में आईपीआर जागरूकता, व्यावसायीकरण और प्रवर्तन को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर देती है और साथ ही आईपीआर के विभिन्न

क्षेत्रों में अध्ययन / अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों में आईपी शिक्षण भी प्रदान करती है। एसपीआरआईएचपी का लक्ष्य बौद्धिक संपदा शैक्षणिक एवं अनुसंधान सुविधा प्रदान करना है।

2.05. पेटेंट अभिकल्प और ट्रेड मार्क महानियंत्रक में अवसंरचना विकास (आईडीसीजीपीडीटीएम): पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क के महानियंत्रक में अवसंरचना विकास (आईडीसीजीपीडीटीएम) पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रकके कार्यालय के तहत विभिन्न कार्यालयों के अवसंरचना के विकास के लिए सहायता प्रदान करेगा।

3.01. पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ): यह संगठन की स्थापना संबंधी लागत हेतु प्रावधान करता है जो भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 तथा ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 तथा इनके तहत बनाए गए अनेक नियमों का संचालन करता है। यह संगठन विनिर्माण, स्वामित्व, बिक्री, प्रयोग, परिवहन, विस्फोटक/पेट्रोलियम/गैस सिलेंडर तथा प्रेशर वेसल के आयात/निर्यात हेतु लाइसेंस प्रदान करता है। यह संगठन पाइपलाइनों सहित पेट्रोलियम और विस्फोटक से संबंधित पर्यावरण अधिनियम के तहत खतरनाक रसायन नियमावली 1989 से संबंधित विनिर्माण, भंडारण और आयात का संचालन करता है। यह कार्यालय इन अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले सभी मुद्दों पर सभी प्राधिकरणों को सलाह देता है तथा संगठन द्वारा विनाश, ज्वल और खराब विस्फोटकों (सैन्य विस्फोटकों के अलावा) का उत्तरदायित्व लेता है।

3.02. नमक आयुक्त: यह संगठन नमक के उत्पादन की आयोजना, लक्ष्यों तथा नमक के वितरण, मूल्य निगरानी अध्ययन एवं विभागीय नमक भूमि की देखभाल, नमक संबंधी मानकों तथा गुणवत्ता को बनाए रखने, नमक के निर्यात हेतु उत्तरदायी है। राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम (एनआईडीडीसीपी) के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है। यह आयोडीन युक्त नमक सहित नमक के उत्पादन और तर्कसंगत वितरण को नियंत्रित करता है। यह नियमित रूप से नमक की कीमत और उपलब्धता पर भी निगरानी रखता है। बजट में संगठन के स्थापना प्रभार तथा विकास/कल्याण कार्य हेतु प्रावधान किया गया है।

3.03. प्रशुल्क आयोग: भारत सरकार ने सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) और अन्य ग्राहक (क्लाइंट) संगठनों को सलाह देने के लिए प्रशुल्क आयोग की स्थापना की है और निष्पक्ष और न्यायोचित तरीके से संसूचित निर्णय लेने की सुविधा के लिए अध्ययन आधारित इनपुट प्रदान करते हैं और जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए व्यावहारिक सिफारिशों के साथ निर्णय लेने की अपनी क्षमताओं को सक्षम और तीव्र बनाते हैं। यह बजट, आयोग के स्थापना खर्चों को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है।

3.04. बॉयलर सर्वेक्षण: बॉयलर के संचालन और प्रबंधन संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन और बॉयलर अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रदान किया जाता है।

4. भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी): भारतीय फुटवियर चमड़ा और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम (आईएफएलएडीपी) का मुख्य उद्देश्य, चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र के लिए आधारभूत अवसंरचना का विकास करना, विशेष रूप से चमड़ा क्षेत्र से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करना, अतिरिक्त निवेश, रोजगार सृजन और उत्पादन वृद्धि में सहायता प्रदान करना है।

5. फुटवेयर, लेदर और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम (एफएलएडीपी): भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) का नाम बदलकर वित्त वर्ष 2022-23 में फुटवियर, चर्म और सहायक वस्तु विकास कार्यक्रम (एफएलएडीपी) कर दिया गया है।

6. औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूएस): यह औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता अवसंरचना प्रदान करके उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए। चयनित कार्यशील क्लस्टरों में अवसंरचना विकास, राज्य सरकार की कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा।

7. मूल्य एवं उत्पादन आंकड़े: यह योजना 'मूल्य और उत्पादन सांख्यिकी' स्कीम दो जारी पुरानी स्कीमों का विलय करके बनाई गई थी। 12 वीं योजना अवधि के दौरान, ओईए एक योजनागत स्कीम तथा व्यवसाय सेवा मूल्य सूचकांक विकास का संचालन कर रहा था। इसी तरह, डीपीआईआईटी भी औद्योगिक सांख्यिकी का सुदृढ़ीकरण स्कीम का संचालन कर रहा था। इस स्कीम के तहत आवंटित निधि केवल राजस्व व्यय (व्यावसायिक सेवाओं) के लिए है तथा मुख्य रूप से वेतन और मानदेय के भुगतान के लिए और संविदा क्षेत्र के जांचकर्ताओं और पर्यवेक्षकों के परिवहन भत्ते के लिए उपयोग किया जाता है जो एनएसएसओ द्वारा डेटा संग्रहण में लगे हुए हैं तथा आर्थिक सलाहकार द्वारा नियुक्त सलाहकारों को भुगतान अथवा पेशेवर सेवाओं का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाता है।

8. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी): भारत सरकार ने 7 दिसंबर, 2016 को भारत में औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं के समन्वित और एकीकृत विकास के लिए मौजूदा दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) परियोजना कार्यान्वयन न्यास निधि (पीआईटीएफ) के दायरे के विस्तार को मंजूरी दी थी और इसे राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) के रूप में पुनः नामित किया गया। एनआईसीडीआईटी, डीपीआईआईटी के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है और वर्तमान में 11 विभिन्न औद्योगिक कॉरिडोर तथा भविष्य में होने वाले विभिन्न औद्योगिक कॉरिडोर भी एनआईसीडीआईटी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे।

9. प्रदर्शनी-सह-अभिसमय केन्द्र, द्वारका: भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो केन्द्र द्वारका, नई दिल्ली की परिकल्पना देश में वैश्विक प्रदर्शनियों को आकर्षित करने के लिए एक प्रतिष्ठित संरचना और केंद्र के रूप में की गई है।

10. निवेश संवर्धन हेतु योजना: विभाग ने मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की है, जो भारत को निवेश स्थल और विनिर्माण केन्द्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक वैश्विक संवर्धनात्मक अभियान है। इस पहल का उद्देश्य कार्यबल, अवसंरचना, कच्चे माल तथा अन्य सुविधाओं की अपार क्षमता वाले देश के रूप में स्थापित करना है ताकि देश में निवेश आकर्षित किया जा सके। मेक इन इंडिया पहल को सुदृढ़ करने के लिए डीपीआईआईटी द्वारा, अन्वयों के साथ-साथ, निवेशक सुविधा, निवेशक आऊटरीच, परियोजना प्रबंधन तथा निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को सहायता प्रदान करने जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

11. निधियों का कोष: भारतीय स्टार्टअप परिवेश को अत्यावश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने और घरेलू पूंजी तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कार्पस के साथ स्टार्टअप के लिए निधियों के कोष (एफएफएस) को कार्यान्वित किया जा रहा है। एफएफएस को भारतीय लघु उद्योग बैंक (सिडबी) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। वर्ष 2015-16 में 500 करोड़ रुपये, वर्ष 2016-17 में 100 करोड़ रुपये, वर्ष 2019-20 में 431.3044 करोड़ रुपये, वर्ष 2020-21 में 429.99 करोड़ रुपये, तथा वर्ष 2021-22 में 830 करोड़ रुपये एफएफएस कार्पस के लिए जारी किए गए थे। 30 नवम्बर, 2021 तक कुल 2291.2944 करोड़ रुपये की निधि जारी कि गई है।

12. क्रेडिट गारंटी निधि: विभाग में स्टार्टअप के लिए अत्यधिक आवश्यक ऋण वित्तपोषण प्रदान करने के लिए 2000 करोड़ के परिव्यय के साथ स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस) सृजित करने की प्रक्रिया चल रही है। संकल्पना की प्रूफ, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 945 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (एसआईएसएफएस) पर भी विचार किया जा रहा है।

13. स्टार्ट-अप इंडिया: भारत अब विश्व के सबसे बड़े स्टार्टअप परिवेश में शामिल है। भारत सरकार अपनी इकाइयों के बीच उद्यमिता की पूर्ण क्षमता और नवप्रयोग की भावना का लाभ उठाने के लिए स्टार्टअप परिवेश को सहायता प्रदान करती रही है। युवा उद्यमियों ने स्टार्टअप के क्षेत्र में अपना वर्षस्व कायम कर रखा है। नवप्रयोग अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमी प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। स्टार्टअप का एक बड़ा हिस्सा टियर-II और टियर-III के गैर-महानगरीय शहरों से संबंध रखता है।

14. **स्टार्टअप इंडिया प्रारंभिक निधि स्कीम:** भारतीय स्टार्ट-अप परिवेश 'अवधारणा के साक्ष्य' और प्रारंभिक चरण में पूंजी की अपर्याप्ता का सामना करता है। अवधारणा का साक्ष्य उपलब्ध कराने के बाद ही स्टार्ट-अप को एंजेल निवेशकों और उद्यम पूंजी फर्मों से भारतीय स्टार्ट-अप परिवेश अवधारणा के साक्ष्य और प्रारंभिक चरण में पूंजी की अपर्याप्ता का सामना करता है। अवधारणा का साक्ष्य उपलब्ध कराने के बाद ही स्टार्ट-अप को एंजेल निवेशकों और उद्यम पूंजी फर्मों से निधीयन उपलब्ध होता है। इसी प्रकार, बैंक भी उन्हीं आवेदकों को ऋण देते हैं जिनके पास पहले से परिसम्पत्ति हो। डीपीआईआईटी अवधारणा के साक्ष्य, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और वाणिज्यीकरण हेतु स्टार्ट-अप को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) का कार्यान्वयन रहा है।

15. **व्यापार करने की सुगमता:** इस परियोजना का उद्देश्य केंद्र, राज्य तथा स्थानीय प्रशासन की सभी व्यवसाय तथा निवेश संबंधी विनियामक सेवाओं तक को सुविधाजनक बनाकर पहुंच सुनिश्चित करके भारत में एक व्यवसाय और निवेशक अनुकूल परिवेश सृजित करना है।

16. **सफेद बजाजी सामान (एसी एवं एलईडी लाइट) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम:** माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 वर्ष की अवधि के लिए 6.238 करोड़ रुपये के परिव्यय से 7 अप्रैल, 2021 को व्हाइट गुड्स के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को अनुमोदन प्रदान किया है। इस स्कीम को 16 अप्रैल, 2021 को ई-राजपत्र में अधिसूचित किया गया था और स्कीम के दिशा-निर्देश 4 जून, 2021 को डीपीआईआईटी की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए थे। यह स्कीम भारत में व्हाइट गुड्स के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगी और इसके विनिर्माण के लिए बड़े निवेश आकर्षित करेगी। व्हाइट गुड्स क्षेत्र द्वारा अगले दशक में दो अंकों की विकास दर हासिल करने की उम्मीद है।

17. **पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईपीपी):** पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007 को 31.03.2017 को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, इस योजना की देख-रेख 31.03.2027 तक जारी रखी जाएगी।

18. **उत्तर पूर्व औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईपीपीएस) 2017:** पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने और रोजगार को बढ़ाने और आय सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए, एक नई योजना नामतः पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना (एनईआईपीपीएस), 2017 दिनांक 12.04.2018 को अधिसूचित की गई थी जो कि 01.04.2017 से पांच वर्षों के लिए लागू की गई (31.03.2017 को एनईआईआईपीपी, 2007 के समाप्त होने के बाद)।

19. **परिवहन/ माल भाड़ा सस्मिडी स्कीम:** दिनांक 22.11.2016 से परिवहन / मालभाड़ा सस्मिडी योजना (एफएसएस), 2013 को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, दिनांक 22.11.2016 की डीपीआईआईटी की अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पहले इस योजना के तहत पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों, दिनांक 21.11.2021 तक इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।

20. **विशेष श्रेणी के राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए पैकेज:** यह पैकेज संघ शासित प्रदेश जम्मू तथा कश्मीर, संघ शासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों के लिए है ताकि इन संघ शासित प्रदेशों/राज्यों के औद्योगिक विकास में तेजी लाई जा सके।

21. **जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास स्कीम, 2017:** केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए औद्योगिक विकास स्कीम (आईडीएस, 2017) 23 अप्रैल, 2018 को अधिसूचित की गई थी। इस स्कीम के तहत लाभों में ऋण तक पहुंच के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी), व्यापक बीमा प्रोत्साहन (सीसीआईआई), केंद्रीय ब्यालज प्रोत्साहन (सीआईआई) शामिल हैं। दिनांक 01.01.2019 की अधिसूचना के जरिए चार और घटकों, यथा जीएसटी प्रतिपूर्ति, आयकर प्रतिपूर्ति, परिवहन प्रोत्साहन और रोजगार प्रोत्साहन को शामिल किया गया था। इस स्कीम के तहत लाभों का दावा करने की इच्छुक इकाइयों

के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए विभाग द्वारा इन-हाउस पोर्टल का विकास किया गया है। यह स्कीम दिनांक 15.06.2017 से 31.03.2021 तक वैध है।

स्कीमों के तहत अधिकार प्राप्ति समिति ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की 212 इकाइयों (जम्मू और कश्मीर=202, लद्दाख = 10) को पंजीकरण प्रदान किया है।

22. **हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास स्कीम, 2017:** हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2022 तक लागू औद्योगिक विकास स्कीम 23 अप्रैल, 2018 को अधिसूचित की गई थी। इस स्कीम के तहत लाभों में ऋण तक पहुंच के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी) और व्यापक बीमा प्रोत्साहन (सीसीआईआई) शामिल हैं।

स्कीम के तहत अधिकार प्राप्ति समिति ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की 685 इकाइयों (हिमाचल प्रदेश=441, उत्तराखंड= 244) को पंजीकरण प्रदान किया है।

23. **जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का औद्योगिक विकास:** जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की नई स्कीम अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी और 31.03.2037 तक जारी रहेगी जो स्कीम की अवधि के दौरान 28400 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से निम्नलिखित प्रोत्साहन: i. पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन, ii. पूंजीगत व्याज सहायता, iii. वस्तु और सेवा कर संबद्ध प्रोत्साहन (जीएसटीएलआई) और iv. कार्यशील पूंजी व्याज सहायता प्रदान करती है।

24. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों के लिए केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी की वापसी:** सद्भावना प्रदर्शित करने के उपाय के रूप में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में स्थित पात्र इकाइयों हेतु जीएसटी व्यवस्था के तहत बजटीय सहायता स्कीम को 05.10.2017 को अधिसूचित किया गया था ताकि 01.07.2017 से शेष अवधि के लिए उनके दावों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से नई जीएसटी व्यवस्था में परिवर्तन करने में पात्र इकाइयों को सहायता प्रदान की जा सके, लेकिन ऐसा 30.06.2027 बाद नहीं किया जाएगा और इसमें करों के मामले में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 58% तक सीमित होगी जिसे राज्यों की हिस्सेदारी के हस्तांतरण से हासिल किया गया है।

25.01. **स्वायत्तशासी संस्थाओं को सहायता:** इस परियोजना के अंतर्गत, स्वायत्त संस्थाओं अर्थात् पांच राष्ट्रीय डिजाइन संस्थादन अहमदाबाद, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और असम, केंद्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद्, केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् को सहायता प्रदान की जाती है।

25.02. **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन:** डब्ल्यूआईपीओ की भारतीय सदस्यता के लिए अंशदान के लिए प्रावधान

25.03. **एशियाई उत्पादकता संगठन /संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन:** आसियान उत्पादकता संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) के भारतीय सदस्यता के लिए अंशदान हेतु प्रावधान।

25.04. **स्वायत्तशासी निकायों को सहायता:** इस परियोजना के तहत स्वायत्त संस्थानों जैसे राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद्, सीमेंट उद्योग के लिए विकास परिषद्, कागज, लुगदी और संबद्ध उद्योग के लिए विकास परिषद् और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् को सहायता प्रदान की जाती है।

संचार मंत्रालय
मांग संख्या 12
डाक विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	29261.20	897.42	30158.62	34263.18	910.09	35173.27	32247.88	932.33	33180.21	35507.27	888.62	36395.89	
<i>वसूलियां</i>	-933.59	...	-933.59	-935.00	...	-935.00	-815.00	...	-815.00	-850.00	...	-850.00	
<i>प्राप्तियां</i>	-10632.31	...	-10632.31	-17710.05	...	-17710.05	-13398.34	...	-13398.34	-14725.87	...	-14725.87	
निवल	17695.30	897.42	18592.72	15618.13	910.09	16528.22	18034.54	932.33	18966.87	19931.40	888.62	20820.02	
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. स्थापना संबंधी व्यय													
1.01	वेतन और भत्ते	16858.73	...	16858.73	19610.00	...	19610.00	19000.00	...	19000.00	20350.00	...	20350.00
1.02	पेंशन	9759.61	...	9759.61	11681.40	...	11681.40	10500.00	...	10500.00	12100.00	...	12100.00
1.03	अन्य व्यय	1329.32	11.16	1340.48	1677.90	15.00	1692.90	1610.24	18.00	1628.24	1822.39	18.00	1840.39
1.04	घटाए- डाक प्राप्तियां	-10632.31	...	-10632.31	-17710.05	...	-17710.05	-13398.34	...	-13398.34	-14725.87	...	-14725.87
	<i>निवल</i>	<i>17315.35</i>	<i>11.16</i>	<i>17326.51</i>	<i>15259.25</i>	<i>15.00</i>	<i>15274.25</i>	<i>17711.90</i>	<i>18.00</i>	<i>17729.90</i>	<i>19546.52</i>	<i>18.00</i>	<i>19564.52</i>
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं													
2.	डाक प्रचालन	366.74	613.07	979.81	337.95	636.02	973.97	310.78	638.76	949.54	363.45	602.05	965.50
3.	वित्तीय सेवाएं	...	4.28	4.28
4.	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक	...	220.00	220.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00
5.	मानव संसाधन प्रबंधन	13.21	2.65	15.86	20.93	4.07	25.00	11.86	5.57	17.43	20.93	4.07	25.00
6.	संपदा प्रबंधन	...	46.26	46.26	...	55.00	55.00	...	70.00	70.00	0.50	64.50	65.00
	जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	379.95	886.26	1266.21	358.88	895.09	1253.97	322.64	914.33	1236.97	384.88	870.62	1255.50
	कुल जोड़	17695.30	897.42	18592.72	15618.13	910.09	16528.22	18034.54	932.33	18966.87	19931.40	888.62	20820.02
ख. विकास शीर्ष													
आर्थिक सेवाएं													
1.	डाक सेवाएं	17695.30	...	17695.30	15583.24	...	15583.24	18008.16	...	18008.16	19896.24	...	19896.24
2.	डाक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	677.42	677.42	...	639.58	639.58	...	655.01	655.01	...	618.23	618.23
3.	सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	...	220.00	220.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-आर्थिक सेवाएं	17695.30	897.42	18592.72	15583.24	839.58	16422.82	18008.16	855.01	18863.17	19896.24	818.23	20714.47
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	34.89	...	34.89	26.38	...	26.38	35.16	...	35.16
5. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	70.51	70.51	...	77.32	77.32	...	70.39	70.39
जोड़-अन्य	34.89	70.51	105.40	26.38	77.32	103.70	35.16	70.39	105.55
कुल जोड़	17695.30	897.42	18592.72	15618.13	910.09	16528.22	18034.54	932.33	18966.87	19931.40	888.62	20820.02

	बजट			बजट			बजट			बजट		
	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक	220.00	...	220.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00
जोड़	220.00	...	220.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00

(₹ करोड़)

1. **स्थापना संबंधी व्यय:** डाक विभाग अपने स्थापना संबंधी और स्कीमों/परियोजनाओं पर व्यय करता है। स्थापना संबंधी व्यय में मुख्यतः वेतन, पेंशन और अन्य व्यय हैं। अन्य व्यय में विभाग के सभी कार्यचालन व्यय शामिल हैं।

2. **डाक प्रचालन:** डाक प्रचालन में सड़क परिवहन तंत्र स्थापित करने और डाक वाहनों में जीपीएस का प्रावधान करने के अलावा बड़े शहरों में स्पीड पोस्ट हब एवं पार्सल बुकिंग केन्द्र करने संबंधी घटक शामिल हैं। इस स्कीम में पोस्टल ई-कमर्स बुकिंग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 800 डाकघर निर्यात केन्द्र (डीएनके) स्थापित करने के साथ-साथ डाक घरों, पार्सल केन्द्रों और अंतर-राष्ट्रीय व्यवसायिक केन्द्रों में अवसंरचनाओं के उन्नयन के घटक भी शामिल हैं। डाक तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए, ग्रामिण व्यवसाय में बामपंथ प्रभावित क्षेत्रों में डाक घरों की शाखाएं खोलने और डाक घरों की सुलभता पर भी विचार किया गया है। सामान्य सेवा केन्द्रों का एक नया घटक जोड़ा गया है जिसका उद्देश्य विभिन्न नागरिक उन्मुखी सेवाओं जैसकि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएमएसवीए निधि), प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत), प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम), प्रधानमंत्री लघु व्यापार मान-धन योजना (एलवीएम) आदि का लाभ प्रदान करना है।

सोशल मीडिया, टिकट संग्रहण गतिविधियों और और अन्य विपणन संबंधी रणनीतियों के माध्यम से विज्ञापन, प्रचार और विपणन के लिए एक सहायक घटक जारी रखा जा रहा है। इसके अलावा, नए डाक घरों के लिए सेवा गुणवत्ता (क्यूओएस) प्रमाणपत्र और मौजूदा क्यूओएस प्रमाणपत्र का नवीकरण प्राप्त करने पर भी विचार किया जा रहा है।

4. **भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक:** 'भारत डाक भुगतान बैंक' को पूंजी सहायता प्रदान करने के लिए प्रावधान।

5. **मानव संसाधन प्रबंधन:** यह प्रावधान मानव संसाधन प्रबंधन के लिए है, जिसमें प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार शामिल है।

6. **संपदा प्रबंधन:** यह प्रावधान भवनों के निर्माण सहित संपदा प्रबंधन के लिए है।

संचार मंत्रालय

मांग संख्या 13

दूरसंचार विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	45154.71	8356.11	53510.82	41803.44	31133.56	72937.00	38380.04	10670.17	49050.21	32436.38	63111.42	95547.80
वसूलियां	-7200.62	-4000.00	-11200.62	-9000.00	-5200.00	-14200.00	-8300.00	-5200.00	-13500.00	-2000.00	-8961.00	-10961.00
प्राप्तियां
निवल	37954.09	4356.11	42310.20	32803.44	25933.56	58737.00	30080.04	5470.17	35550.21	30436.38	54150.42	84586.80
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	660.72	...	660.72	789.91	...	789.91	869.15	...	869.15	901.30	...	901.30
2. पेंशन	14928.36	...	14928.36	15350.00	...	15350.00	16374.16	...	16374.16	19000.00	...	19000.00
3. श्रम रोजगार और कौशल विकास	4.46	...	4.46	4.09	...	4.09	4.10	...	4.10	0.42	...	0.42
4. विनियामक निकाय												
4.01 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सामान्य निधि	90.00	113.00	203.00	100.00	110.00	210.00	92.00	113.00	205.00	90.00	135.60	225.60
4.02 दूरसंचार विवाद समाधान और अपीलिय अधिकरण (टीडी सैट)	19.15	...	19.15	18.50	...	18.50	17.81	...	17.81	19.20	...	19.20
जोड़- विनियामक निकाय	109.15	113.00	222.15	118.50	110.00	228.50	109.81	113.00	222.81	109.20	135.60	244.80
5. मानव संसाधन प्रबंधन (एनआईसीएफ)	5.00	32.00	37.00	30.00	28.00	58.00
6. स्वच्छता कार्य योजना हेतु विशेष सहायता	2.50	...	2.50	2.00	...	2.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	15702.69	113.00	15815.69	16262.50	110.00	16372.50	17364.72	145.00	17509.72	20042.92	163.60	20206.52
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों/परियोजनाएं												
सार्वभौमिक सेवा दायिता निधि												
7. दूरसंचार अवसंरचना के मुजन एवं संवर्धन के लिए सेवा प्रदाताओं को अतिपूर्ति												
7.01 सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि को अंतरण	7200.00	...	7200.00	9000.00	...	9000.00	8300.00	...	8300.00	2000.00	7000.00	9000.00
7.02 दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अति-पूर्ति	1280.21	...	1280.21	2000.00	...	2000.00	1300.00	...	1300.00	2000.00	...	2000.00
7.03 भारत नेट	5919.79	...	5919.79	7000.00	...	7000.00	7000.00	...	7000.00	...	7000.00	7000.00
7.04 सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि से पूरी की गई राशि	-7200.00	...	-7200.00	-9000.00	...	-9000.00	-8300.00	...	-8300.00	-2000.00	-7000.00	-9000.00
निवल	7200.00	...	7200.00	9000.00	...	9000.00	8300.00	...	8300.00	2000.00	7000.00	9000.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
रक्षा स्पेक्ट्रम												
8. रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क												
8.01 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण	...	4000.00	4000.00	...	5200.00	5200.00	...	5200.00	5200.00	...	1961.00	1961.00
8.02 रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर आधारित नेटवर्क	...	4000.00	4000.00	...	5200.00	5200.00	...	5200.00	5200.00	...	1961.00	1961.00
8.03 घटाएं- केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में से पूरी की गई राशि	...	-4000.00	-4000.00	...	-5200.00	-5200.00	...	-5200.00	-5200.00	...	-1961.00	-1961.00
<i>निवल</i>	...	4000.00	4000.00	...	5200.00	5200.00	...	5200.00	5200.00	...	1961.00	1961.00
दूरसंचार विभाग परियोजनाएं												
9. मानव संसाधन प्रबंधन												
9.01 राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान	2.98	41.77	44.75	26.03	53.97	80.00
10. बेतार आयोजना तथा समन्वय												
10.01 बेतार आयोजना एवं समन्वय	11.59	...	11.59	13.99	0.01	14.00	15.80	0.01	15.81	15.00	0.01	15.01
10.02 बेतार निगरानी सेवाएं	35.69	4.43	40.12	40.50	8.55	49.05	40.50	10.35	50.85	45.00	16.00	61.00
<i>जोड़- बेतार आयोजना तथा समन्वय</i>	<i>47.28</i>	<i>4.43</i>	<i>51.71</i>	<i>54.49</i>	<i>8.56</i>	<i>63.05</i>	<i>56.30</i>	<i>10.36</i>	<i>66.66</i>	<i>60.00</i>	<i>16.01</i>	<i>76.01</i>
11. दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र	...	14.77	14.77	...	20.00	20.00	...	5.00	5.00	...	15.00	15.00
12. प्रौद्योगिकी विकास और निवेश संवर्धन	7.27	...	7.27	9.00	...	9.00	6.45	...	6.45	19.00	...	19.00
13. उपग्रह गेटवे की स्थापना (वीएसएनएल को सहायता)	...	11.52	11.52	...	0.01	0.01
14. कार्यालय भवन का निर्माण	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
15. स्वच्छता कार्य योजना के लिए विशेष सहायता	0.06	...	0.06	2.50	...	2.50
16. दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केन्द्र	15.00	15.00	10.00	10.00
17. दूरसंचार कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (टी-सर्ट)	...	6.47	6.47	...	23.00	23.00	...	16.00	16.00	...	31.80	31.80
18. केन्द्रीय उपस्कर पहचान रजिस्टर (सीईआईआर)	...	5.02	5.02	...	13.00	13.00	...	12.00	12.00	...	13.00	13.00
19. अमरनाथ यात्रा के लिए दूरसंचार संपर्क मुहैया कराने हेतु वीएसएनएल को निधियां प्रदान करना	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
20. 5जी कनेक्टिविटी टेस्ट बेड	...	54.13	54.13	...	0.01	0.01	...	1.80	1.80	...	10.00	10.00
21. चैम्पियन सेवा सैक्टर स्कीम												
21.01 दूरसंचार क्षेत्र के लिए नवाचार का संवर्धन और भावी प्रौद्योगिकियों को सहेजना	1.07	...	1.07	5.00	...	5.00	9.00	...	9.00	3.50	...	3.50
22. भारत में टेलीकॉम और नेटवर्किंग उत्पादों के विनिर्माण के संवर्धन हेतु उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	527.68	...	527.68
23. डिजिटल इन्टेलिजेंस यूनिट परियोजना	10.00	10.00
जोड़-दूरसंचार विभाग परियोजनाएं	58.66	138.11	196.77	98.02	133.56	231.58	71.75	45.17	116.92	611.18	105.82	717.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	7258.66	4138.11	11396.77	9098.02	5333.56	14431.58	8371.75	5245.17	13616.92	2611.18	9066.82	11678.00
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
24. टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट)	305.92	...	305.92	325.70	...	325.70	400.00	...	400.00	500.00	...	500.00
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
25. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता												
25.01 महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को न्यूनतम बैकल्पिक कर (एमएटी)/सीडीएमए स्पेक्ट्रम की वापसी/एमटीएनएल बांडों/ एफटीटीएच पर ब्याज के भुगतान के लिए आर्थिक सहायता	383.23	...	383.23	383.21	...	383.21	383.57	...	383.57	383.57	...	383.57
25.02 भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड को वित्तीय राहत/अनुप्रेरण	85.40	105.00	190.40	0.01	80.00	80.01	...	80.00	80.00	0.01	200.00	200.01
25.03 बीएसएनएल में पूंजी निवेश	14115.00	14115.00	44720.00	44720.00
25.04 4जी स्पेक्ट्रम के लिए एमटीएनएल में पूंजी निवेश	6295.00	6295.00
25.05 बीएसएनएल/एमटीएनएल कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ले रहे कर्मचारियों को अनुग्रही भुगतान	11162.86	...	11162.86
25.06 स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम का कार्यान्वयन (बीएसएनएल/एमटीएनएल)	3028.26	...	3028.26	3000.00	...	3000.00	3530.00	...	3530.00	3300.00	...	3300.00
25.07 जीएसटी के भुगतान के लिए बीएसएनएल को सहायता अनुदान	2541.00	...	2541.00	3550.00	...	3550.00
25.08 जीएसटी के भुगतान के लिए एमटीएनएल को सहायता अनुदान	1133.00	...	1133.00
जोड़- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता	14659.75	105.00	14764.75	7057.22	20490.00	27547.22	3913.57	80.00	3993.57	7233.58	44920.00	52153.58
अन्य												
26. अन्तरराष्ट्रीय सहयोग	27.07	...	27.07	60.00	...	60.00	30.00	...	30.00	48.70	...	48.70
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	14992.74	105.00	15097.74	7442.92	20490.00	27932.92	4343.57	80.00	4423.57	7782.28	44920.00	52702.28
कुल जोड़	37954.09	4356.11	42310.20	32803.44	25933.56	58737.00	30080.04	5470.17	35550.21	30436.38	54150.42	84586.80
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	14928.36	...	14928.36	15350.00	...	15350.00	16374.16	...	16374.16	19000.00	...	19000.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	14928.36	...	14928.36	15350.00	...	15350.00	16374.16	...	16374.16	19000.00	...	19000.00
सामाजिक सेवाएं												
2. श्रम, रोजगार और कौशल विकास	4.46	...	4.46	4.09	...	4.09	4.10	...	4.10	0.42	...	0.42
जोड़-सामाजिक सेवाएं	4.46	...	4.46	4.09	...	4.09	4.10	...	4.10	0.42	...	0.42
आर्थिक सेवाएं												
3. अन्य संचार सेवाएं	22360.55	...	22360.55	15726.87	...	15726.87	11970.06	...	11970.06	10284.66	...	10284.66
4. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	660.72	...	660.72	789.91	...	789.91	869.15	...	869.15	901.30	...	901.30
5. दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	105.00	105.00	...	80.00	80.00	...	80.00	80.00	...	200.00	200.00
6. अन्य संचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	4251.11	4251.11	...	25333.56	25333.56	...	4870.17	4870.17	...	53032.62	53032.62
जोड़-आर्थिक सेवाएं	23021.27	4356.11	27377.38	16516.78	25413.56	41930.34	12839.21	4950.17	17789.38	11185.96	53232.62	64418.58
अन्य												
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र	932.57	...	932.57	862.57	...	862.57	250.00	...	250.00
8. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	520.00	520.00	...	520.00	520.00	...	917.80	917.80

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-अन्य	932.57	520.00	1452.57	862.57	520.00	1382.57	250.00	917.80	1167.80
कुल जोड़	37954.09	4356.11	42310.20	32803.44	25933.56	58737.00	30080.04	5470.17	35550.21	30436.38	54150.42	84586.80

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. भारतीय टेलीफोन उद्योग	105.00	116.00	221.00	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00	200.00	...	200.00
2. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	...	132.39	132.39	6295.00	300.00	6595.00	...	150.00	150.00	...	200.00	200.00
3. सी डॉट	...	89.44	89.44	...	110.00	110.00	...	110.00	110.00	...	110.00	110.00
4. भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	...	5072.00	5072.00	...	9200.00	9200.00	...	5750.00	5750.00
5. टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इण्डिया लि0	...	17.77	17.77	...	22.28	22.28
6. भारत संचार निगम लिमिटेड	...	3120.00	3120.00	14115.00	5000.00	19115.00	...	5000.00	5000.00	44720.00	...	44720.00
जोड़	105.00	8547.60	8652.60	20490.00	14632.28	35122.28	80.00	11010.00	11090.00	44920.00	310.00	45230.00

(₹ करोड़)

- सचिवालय- आर्थिक सेवाएं:** यह प्रावधान दूरसंचार विभाग और प्रशासन महानिदेशालय, जिसमें सीसीए/एटर्म प्रकोष्ठ, दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र, प्रशासक यूएसओ निधि तथा केन्द्रीयकृत निगरानी प्रणाली शामिल है, से संबंधित हिस्से के लिए संचार मंत्रालय के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए किया गया है।
- पेंशन:** यह प्रावधान दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के पेंशनगत लाभों के लिए किया गया है, जिसमें दिनांक 1.4.2014 से भारत संचार निगम लिमिटेड तथा एमटीएनएल में आमेलित किए गए कर्मचारी शामिल हैं।
- श्रम रोजगार और कौशल विकास:** यह प्रावधान पं. दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान खोलने के लिए प्रायोगिक योजना हेतु है।
- विनियामक निकाय:** यह प्रावधान भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को निधि अंतरित करने तथा प्राधिकरण के कार्यालय भवन का निर्माण करने के लिए है। यह प्रावधान दूरसंचार विवाद समाधान तथा अपीलीय अधिकरण से संबंधित व्यय के लिए है।
- मानव संसाधन प्रबंधन (एनआईसीएफ):** यह प्रावधान राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान के परिचालनिक व्यय के लिए और प्रशिक्षण देने के लिए है।
- स्वच्छता कार्य योजना हेतु विशेष सहायता:** यह प्रावधान स्वच्छता कार्य योजना के लिए विशेष सहायता के लिए है।

- दूरसंचार अवसंरचना के सृजन एवं संवर्धन के लिए सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति:** यह प्रावधान दूरसंचार अवसंरचना का सृजन करने तथा इसका संवर्धन करने तथा सार्वजनिक ग्रामीण टेलीफोनों का प्रचालन और रख-रखाव करने सहित ग्रामीण तथा दूरदराज के इलाकों में लोगों को विभिन्न दूरसंचार सेवाओं तक अभिगम प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति करने के लिए है। इसमें पूर्वोक्त क्षेत्र के लिए भी व्यवस्था की गई है। इसमें सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को अंतरण हेतु प्रावधान भी शामिल है।
- 7.03. भारत नेट:** देश में सभी पंचायतों को ब्राडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अपेक्षित टेलीकॉम अवसंरचना के सृजन के लिए भारत नेट परियोजना और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राडबैंड सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए सेवा प्रदाताओं को भेद-भाव रहित सुलभता प्रदान करने के लिए प्रावधान है।
- रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क:** यह प्रावधान रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क प्रदान करने के लिए है। इस व्यय का वित्तपोषण केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से किया जाता है।
- बेतार आयोजना तथा समन्वय:** (i) यह प्रावधान बेतार निगरानी संगठन के व्यय हेतु है, जो रेडियो आवृत्ति प्रबंधन हेतु निगरानी प्रेक्षकों के आधार पर तकनीकी और संबद्ध आंकड़े उपलब्ध करवाता है, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय रेडियो विनियमों को लागू करवाता है तथा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कतिपय सांविधिक प्रकार्यों का निष्पादन करने के साथ-साथ कारगर राष्ट्रीय रेडियो आवृत्ति प्रबंधन के लिए रेडियो ट्रान्समिशन के संबंध में चौबीसों घण्टे निगरानी करता है। इसमें सिविल कार्यों पर होने वाले व्यय

का प्रावधान भी शामिल है; तथा (ii) यह प्रावधान बेतार आयोजना तथा समन्वय स्कंध से संबंधित व्यय के लिए है। यह स्कंध ट्रांसमिटिंग और रिसेविंग स्टेशनों के लिए भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम, 1885 के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत लाइसेंस जारी करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बेतार प्रचालनों की जांच करता है।

11. **दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र:** यह प्रावधान दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र से संबंधित व्यय के लिए है।
12. **प्रौद्योगिकी विकास और निवेश संवर्धन:** यह प्रावधान प्रौद्योगिकी विकास तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए है।
13. **उपग्रह गेटवे की स्थापना (बीएसएनएल को सहायता):** यह प्रावधान बीएसएनएल के लिए सेटेलाइट गेटवे सहायता की स्थापना करने के लिए किया गया है।
16. **दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केन्द्र:** यह प्रावधान दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केन्द्र के लिए किया गया है।
17. **दूरसंचार कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (टी-सर्ट):** यह प्रावधान दूरसंचार कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (टी-सीईआरटी) हेतु किया गया है।
18. **केन्द्रीय उपस्कर पहचान रजिस्टर (सीईआईआर):** यह प्रावधान केन्द्रीय उपस्कर पहचान रजिस्टर (सीईआईआर) हेतु किया गया है।
20. **5जी कनेक्टिविटी टेस्ट बेड:** यह प्रावधान 5जी कनेक्टिविटी टेस्ट बेड के लिए है।
21. **चैम्पियन सेवा सैक्टर स्कीम:** यह प्रावधान दूरसंचार क्षेत्र की भावी प्रौद्योगिकियों के नवाचार और इनक्यूबेशन के संवर्धन के लिए है।
22. **भारत में टेलीकॉम और नेटवर्किंग उत्पादों के विनिर्माण के संवर्धन हेतु उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:** दूरसंचार विभाग में उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का उद्देश्य भारत में दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पाद विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत उन कम्पनियों/निकायों को सहायता प्रदान की जाएगी जो भारत में विशिष्ट दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पाद बनाने में लगी हैं।
23. **डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर यूनिट परियोजना:** डिजिटल आसूचना इकाई (डीआईयू) परियोजना का उद्देश्य दूरसंचार संसाधनों में संलिप्त शोखाधड़ी गतिविधि जैसेकि अवांछित व्यावसायिक संवाद आदि की छानबीन करना है।
24. **टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट):** यह प्रावधान टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) पर होने वाले व्यय के लिए किया गया है।
- 25.01. **महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी)/सीडीएमए स्पेक्ट्रम की वापसी/एमटीएनएल बांडों/ एफटीटीएच पर ब्याज के भुगतान के लिए आर्थिक सहायता:** यह प्रावधान स्पेक्ट्रम प्रभारों की वापसी/सीडीएमए स्पेक्ट्रम प्रभारों के रूप में इक्विटी लगाने के बदले में एमटीएनएल द्वारा जारी बाण्डों के ब्याज का भुगतान करने के लिए है।

25.02. **भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड को वित्तीय राहत/अनुप्रेरण:** यह प्रावधान भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड को वित्तीय राहत देने/इक्विटी लगाने के लिए किया गया है।

25.03. **बीएसएनएल में पूंजी निवेश:** बीएसएनएल में 4-जी स्पेक्ट्रम, प्रौद्योगिकी उन्नयन और पुनर्संचना के लिए पूंजी देने हेतु प्रावधान किया गया।

25.06. **स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम का कार्यान्वयन (बीएसएनएल/एमटीएनएल):** स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रणाली (बीएसएनएल/एमटीएनएल) के कार्यान्वयन हेतु प्रावधान किया गया।

25.07. **जीएसटी के भुगतान के लिए बीएसएनएल को सहायता अनुदान:** 4-जी स्पेक्ट्रम पर जीएसटी भुगतान के लिए बीएसएनएल को सहायक अनुदान देने के लिए प्रावधान किया गया।

26. **अन्तरराष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के लिए किया गया है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

मांग संख्या 14

उपभोक्ता मामले विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	11355.49	33.37	11388.86	3191.55	46.05	3237.60	2697.73	19.41	2717.14	1742.53	19.85	1762.38
<i>वसूलियां</i>	-23.39	...	-23.39	-263.50	...	-263.50	-263.50	...	-263.50	-37.50	...	-37.50
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	11332.10	33.37	11365.47	2928.05	46.05	2974.10	2434.23	19.41	2453.64	1705.03	19.85	1724.88
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	92.77	...	92.77	103.60	...	103.60	105.39	...	105.39	125.88	...	125.88
	-0.03	...	-0.03
<i>निवल</i>	<i>92.74</i>	<i>...</i>	<i>92.74</i>	<i>103.60</i>	<i>...</i>	<i>103.60</i>	<i>105.39</i>	<i>...</i>	<i>105.39</i>	<i>125.88</i>	<i>...</i>	<i>125.88</i>
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों/परियोजनाएं												
उपभोक्ता संरक्षण												
2. मूल्य स्थिरीकरण कोष	11135.30	...	11135.30	2700.00	...	2700.00	2250.00	...	2250.00	1500.00	...	1500.00
3. कॉन्फोनेट	29.50	...	29.50	26.00	...	26.00	32.00	...	32.00	27.00	...	27.00
4. उपभोक्ता जागरूकता (विज्ञापन एवं प्रचार)	42.25	...	42.25	44.50	...	44.50	23.00	...	23.00	25.00	...	25.00
	-0.42	...	-0.42
<i>निवल</i>	<i>41.83</i>	<i>...</i>	<i>41.83</i>	<i>44.50</i>	<i>...</i>	<i>44.50</i>	<i>23.00</i>	<i>...</i>	<i>23.00</i>	<i>25.00</i>	<i>...</i>	<i>25.00</i>
5. उपभोक्ता हेल्पलाइन	1.20	...	1.20	0.50	...	0.50	0.40	...	0.40
6. उपभोक्ता संरक्षण सेल	7.31	...	7.31	9.50	...	9.50	6.81	...	6.81	7.00	...	7.00
7. मूल्य निगरानी ढांचा	0.99	...	0.99	2.00	...	2.00	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50
8. उपभोक्ता मंचों का सुदृढीकरण, उपभोक्ता परामर्श एवं मध्यस्थता	1.17	...	1.17	8.00	...	8.00	2.79	...	2.79	6.00	...	6.00
9. <i>उपभोक्ता कल्याण निधि</i>												
9.01 उपभोक्ता कल्याण निधि	22.92	...	22.92	263.50	...	263.50	263.50	...	263.50	37.50	...	37.50
9.02 उपभोक्ता कल्याण निधि से पूरी की गई राशि	-22.92	...	-22.92	-263.50	...	-263.50	-263.50	...	-263.50	-37.50	...	-37.50
<i>निवल</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
जोड़-उपभोक्ता संरक्षण	11217.30	...	11217.30	2790.50	...	2790.50	2316.50	...	2316.50	1566.50	...	1566.50
विविध माप विज्ञान एवं गुणवत्ता आश्वासन												

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
10. भारतीय मानक संस्थान												
10.01 भारत में सोने पर हॉलमार्किंग/परख केंद्रों की स्थापना करना	0.50	...	0.50	0.75	...	0.75	0.10	...	0.10	0.75	...	0.75
10.02 राष्ट्रीय मानकीकरण प्रणाली	0.50	...	0.50	0.75	...	0.75
जोड़- भारतीय मानक संस्थान	1.00	...	1.00	1.50	...	1.50	0.10	...	0.10	0.75	...	0.75
11. राष्ट्रीय परीक्षण शाला	8.84	4.59	13.43	11.95	11.55	23.50	9.45	4.05	13.50	9.10	5.65	14.75
	-0.02	...	-0.02
निवल	8.82	4.59	13.41	11.95	11.55	23.50	9.45	4.05	13.50	9.10	5.65	14.75
12. तोल एवं माप अवसंरचना का सुदृढीकरण और क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं और भारतीय विधिक माप-पद्धति संस्थान का सुदृढीकरण	12.24	28.78	41.02	20.50	34.50	55.00	2.79	15.36	18.15	2.80	14.20	17.00
जोड़-विधिक माप विज्ञान एवं गुणवत्ता आश्वासन	22.06	33.37	55.43	33.95	46.05	80.00	12.34	19.41	31.75	12.65	19.85	32.50
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	11239.36	33.37	11272.73	2824.45	46.05	2870.50	2328.84	19.41	2348.25	1579.15	19.85	1599.00
कुल जोड़	11332.10	33.37	11365.47	2928.05	46.05	2974.10	2434.23	19.41	2453.64	1705.03	19.85	1724.88
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	1.00	...	1.00	1.35	...	1.35	0.09	...	0.09	0.68	...	0.68
2. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	46.94	...	46.94	53.93	...	53.93	50.81	...	50.81	53.98	...	53.98
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	27.92	...	27.92	29.81	...	29.81	30.50	...	30.50	32.02	...	32.02
4. नागरिक आपूर्ति	11236.45	...	11236.45	2534.10	...	2534.10	2107.18	...	2107.18	1448.72	...	1448.72
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	19.79	...	19.79	28.61	...	28.61	12.32	...	12.32	12.91	...	12.91
6. अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	...	4.59	4.59	...	9.20	9.20	...	2.70	2.70	...	4.17	4.17
7. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	28.78	28.78	...	29.00	29.00	...	13.56	13.56	...	12.50	12.50
जोड़-आर्थिक सेवाएं	11332.10	33.37	11365.47	2647.80	38.20	2686.00	2200.90	16.26	2217.16	1548.31	16.67	1564.98
अन्य												
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र	280.25	...	280.25	233.33	...	233.33	156.72	...	156.72
9. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	7.85	7.85	...	3.15	3.15	...	3.18	3.18
जोड़-अन्य	280.25	7.85	288.10	233.33	3.15	236.48	156.72	3.18	159.90
कुल जोड़	11332.10	33.37	11365.47	2928.05	46.05	2974.10	2434.23	19.41	2453.64	1705.03	19.85	1724.88

1. सचिवालय: यह प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. मूल्य स्थिरीकरण कोष: दालों, प्याजों तथा आलुओं का बफर स्टॉक बनाए रखने तथा बाजार में उक्त वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता कराने की व्यवस्था का प्रावधान है ताकि जरूरत पड़ने पर मूल्यों को नीचे लाया जा सके।

3. कॉन्फोनेट: प्रावधान में नेटवर्किंग तथा समूचे देश में उपभोक्ता मंचों को हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा तकनीकी सहायता वाले व्यक्ति उपलब्ध कराना है।

4. उपभोक्ता जागरूकता (विज्ञापन एवं प्रचार): यह प्रावधान विज्ञापन तथा प्रचार-प्रसार के माध्यम से उपभोक्ता शिक्षा एवं जागरूकता सृजन के लिए है।

5. **उपभोक्ता हेल्पलाइन:** यह प्रावधान उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान हेतु उपभोक्ता हेल्पलाइन की स्थापना करने और उनके संचालन के लिए है।
6. **उपभोक्ता संरक्षण सेल:** यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कराया जाए। केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की वार्षिक बैठकें संचालित करने तथा राष्ट्रीय/विश्व-उपभोक्ता दिवस मनाने के लिए व्यय।
7. **मूल्य निगरानी ढांचा:** यह प्रावधान केंद्र, राज्यों के मूल्य निगरानी कक्षों के साथ-साथ एन.आई.सी. को सुदृढ़ बनाने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए है।
8. **उपभोक्ता मंचों का सुदृढ़ीकरण, उपभोक्ता परामर्श एवं मध्यस्थता:** यह प्रावधान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में राज्य/जिला स्तरीय उपभोक्ता मंचों की स्थापना के साथ-साथ स्थापित किए गए नए उपभोक्ता मंचों में बुनियादी कार्यालय अवसंरचना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए है। उपभोक्ता मंचों के भवनों में उपभोक्ता परामर्श तथा मध्यस्थता केंद्रों की स्थापना के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- 9.01. **उपभोक्ता कल्याण निधि:** यह प्रावधान उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को तथा उपभोक्ता वस्तुओं की जांच और तुलनात्मक जांच करने के लिए प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए है।
- 10.01. **भारत में सोने पर हॉलमार्किंग/परख केंद्रों की स्थापना करना:** यह प्रावधान निजी उद्यमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए भारत में स्वर्ण हॉलमार्किंग/परख केंद्रों की स्थापना के लिए है। शिल्पकारों के लिए प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन भी किया जाता है।
- 10.02. **राष्ट्रीय मानकीकरण प्रणाली:** यह प्रावधान विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों/सेमिनारों में भाग लेते हुए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों को तैयार करने के लिए है।
11. **राष्ट्रीय परीक्षण शाला:** यह प्रावधान राष्ट्रीय परीक्षण शाला के फील्ड कार्यालयों में विभिन्न प्रयोगशालाओं की स्थापना करने/उन्नयन करने के लिए है जिसमें (आग्नेयास्त्रों को छोड़कर) भारी मशीनरी सहित सभी वस्तुओं का परीक्षण किया जाता है।
12. **तोल एवं माप अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं और भारतीय विधिक माप-पद्धति संस्थान का सुदृढ़ीकरण:** यह प्रावधान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उनकी विधिक माप विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए मशीनरी तथा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए है। कार्यशील मानक/गौण मानक प्रयोगशालाओं, नियंत्रक कार्यालयों तथा अनुसंधान एवं विकास केंद्रों की स्थापना के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

मांग संख्या 15

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	554244.84	11188.35	565433.19	251248.34	52725.96	303974.30	299363.35	12636.65	312000.00	213929.91	12029.67	225959.58
<i>वसूलियां</i>	-1.49	...	-1.49
<i>प्राप्तियां</i>	...	-10000.00	-10000.00	...	-50000.00	-50000.00	...	-10000.00	-10000.00	...	-10000.00	-10000.00
निवल	554243.35	1188.35	555431.70	251248.34	2725.96	253974.30	299363.35	2636.65	302000.00	213929.91	2029.67	215959.58
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	60.96	...	60.96	73.91	...	73.91	72.42	...	72.42	81.67	...	81.67
2. राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर	19.86	3.82	23.68	22.63	5.75	28.38	22.24	5.55	27.79	27.37	3.80	31.17
3. खाद्य, गोदाम और भांडागारण के अन्य स्थापना व्यय	16.21	...	16.21	21.01	...	21.01	19.58	...	19.58	24.03	27.06	51.09
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	97.03	3.82	100.85	117.55	5.75	123.30	114.24	5.55	119.79	133.07	30.86	163.93
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
खाद्य सब्सिडी												
4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य निगम को खाद्य राजसहायता	462789.00	...	462789.00	202616.00	...	202616.00	210929.00	...	210929.00	145919.90	...	145919.90
5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति के लिए खाद्य राजसहायता	78337.77	...	78337.77	40000.00	...	40000.00	75290.11	...	75290.11	60561.19	...	60561.19
6. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देय चीनी राजसहायता	203.37	...	203.37	220.00	...	220.00	250.00	...	250.00	350.00	...	350.00
जोड़-खाद्य सब्सिडी	541330.14	...	541330.14	242836.00	...	242836.00	286469.11	...	286469.11	206831.09	...	206831.09
7. भारतीय खाद्य निगम को देय अर्थोपाय अग्रिम												
7.01 भारतीय खाद्य निगम को देय अर्थोपाय अग्रिम	...	10000.00	10000.00	...	50000.00	50000.00	...	10000.00	10000.00	...	10000.00	10000.00
7.02 भारतीय खाद्य निगम को देय अर्थोपाय अग्रिम का पुनर्भुगतान	...	-10000.00	-10000.00	...	-50000.00	-50000.00	...	-10000.00	-10000.00	...	-10000.00	-10000.00
<i>निवल</i>
8. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों के राज्य के भीतर और उचित दर दुकानों के डीलरों को संदत्त मार्जिन के लिए राज्य की एजेंसियों को सहायता	6482.54	...	6482.54	4000.00	...	4000.00	6000.00	...	6000.00
9. चीनी मौसम 2017-18 के लिए चीनी मिलों को सहायता हेतु स्कीम	8.11	...	8.11
10. चीनी मौसम 2018-19 के लिए चीनी मिलों को सहायता हेतु स्कीम	900.00	...	900.00	200.00	...	200.00	123.00	...	123.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
11. चीनी के 40 एलएमटी के बफर स्टॉक का मुजन और अनुरक्षण की स्कीम	500.00	...	500.00	600.00	...	600.00	700.00	...	700.00
12. चीनी के बफर स्टॉक का मुजन और अनुरक्षण की स्कीम	100.00	...	100.00	50.00	...	50.00	65.00	...	65.00
13. चीनी मौसम 2019-2020 के लिए चीनी मिलों को सहायता हेतु स्कीम	3900.00	...	3900.00	1000.00	...	1000.00	2150.00	...	2150.00
14. इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम	150.00	...	150.00	300.00	...	300.00	160.00	...	160.00	300.00	...	300.00
15. निर्यात के संबंध में आंतरिक परिवहन, मालभाड़ा, देखरेख तथा अन्य प्रभारों का भुगतान करने हेतु स्कीम	300.59	...	300.59	3.20	...	3.20
16. चीनी मिलों को सरल ऋण प्रदान करने संबंधी स्कीम	418.00	...	418.00
17. निर्यात खेपों पर चीनी कारखानों को आंतरिक परिवहन तथा भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति और अन्य अनुज्ञेय दावों का भुगतान	0.36	...	0.36
18. चीनी के निर्यात पर हैंडलिंग, अपग्रेडिंग और अन्य कार्रवाई संबंधी लागत सहित विपणन लागत तथा अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक परिवहन की लागत एवं माल भाड़ा प्रभारों पर किए गए व्यय हेतु चीनी मिलों को सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम	2000.00	...	2000.00	3500.00	...	3500.00
चीनी उद्योग का विकास												
<i>19. चीनी उद्योग के विकास की स्कीमें</i>												
19.01 चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता/अन्य व्यय	30.00	...	30.00	22.00	...	22.00	22.00	...	22.00	16.00	...	16.00
19.02 चीनी कारखानों के पुनर्स्थापन /आधुनिकीकरण के लिए ऋण	...	20.00	20.00	...	10.00	10.00	2.10	2.10
19.03 गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण	5.00	5.00	...	1.10	1.10	...	4.07	4.07
19.04 विद्युत परियोजनाओं के खोई आधारित सह-उत्पादन के लिए चीनी कारखानों को ऋण	...	72.56	72.56	...	70.00	70.00	...	50.00	50.00	...	21.57	21.57
19.05 एनहाइड्रस अल्कोहल या अल्कोहल से इथेनॉल के उत्पादन हेतु चीनी कारखानों को ऋण	...	51.97	51.97	...	80.00	80.00	...	70.00	70.00	...	41.07	41.07
<i>जोड़- चीनी उद्योग के विकास की स्कीमें</i>	<i>30.00</i>	<i>144.53</i>	<i>174.53</i>	<i>22.00</i>	<i>165.00</i>	<i>187.00</i>	<i>22.00</i>	<i>121.10</i>	<i>143.10</i>	<i>16.00</i>	<i>68.81</i>	<i>84.81</i>
20. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालन का सुदृढीकरण	3.02	...	3.02	8.17	...	8.17	1.40	...	1.40	2.00	...	2.00
21. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समेकित प्रबंधन	12.65	...	12.65	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	40.00	...	40.00
22. भंडारण और गोदाम	0.80	40.00	40.80	4.79	55.21	60.00	4.79	10.00	14.79	3.20	30.00	33.20
23. वास्तविक वसूलियां	-1.49	...	-1.49
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	554134.72	184.53	554319.25	251045.96	220.21	251266.17	299223.50	131.10	299354.60	207192.29	98.81	207291.10
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
24. भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण	9.25	...	9.25	14.83	...	14.83	13.98	...	13.98	18.03	...	18.03
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
25. भारतीय खाद्य निगम की इकट्टी पूंजी में निवेश	...	1000.00	1000.00	...	2500.00	2500.00	...	2500.00	2500.00	...	1900.00	1900.00
अन्य												
26. पी. डी. एस. - प्रशिक्षण	0.02	...	0.02
27. पी. डी. एस.- मूल्यांकन, निगरानी और अनुसंधान	0.81	...	0.81	0.72	...	0.72
28. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभभोगियों में जागरूकता पैदा करना	1.75	...	1.75	3.67	...	3.67

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-अन्य	2.58	...	2.58	4.39	...	4.39
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	9.25	1000.00	1009.25	14.83	2500.00	2514.83	16.56	2500.00	2516.56	22.42	1900.00	1922.42
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
29. चावल का पौष्टिकीकरण सुदृढीकरण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इसका वितरण	2.35	...	2.35	70.00	...	70.00	9.05	...	9.05	10.13	...	10.13
30. राष्ट्रीकरण खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों को राज्य के भीतर लाने ले जाने, इनके प्रबंधन और उचित मूल्य वाली दुकानों के डीलरों को संदत्त मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता के मानदंडों में संशोधन	6572.00	...	6572.00
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	2.35	...	2.35	70.00	...	70.00	9.05	...	9.05	6582.13	...	6582.13
कुल जोड़	554243.35	1188.35	555431.70	251248.34	2725.96	253974.30	299363.35	2636.65	302000.00	213929.91	2029.67	215959.58
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	554181.37	...	554181.37	250696.74	...	250696.74	298875.44	...	298875.44	213231.23	...	213231.23
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	60.89	...	60.89	73.91	...	73.91	72.42	...	72.42	81.67	...	81.67
3. खाद्य भंडारण और भाण्डागारण पर पूंजी परिव्यय	...	1043.82	1043.82	...	2520.75	2520.75	...	2505.55	2505.55	...	1940.86	1940.86
4. खाद्य भंडारण और भाण्डागारण के लिए ऋण
5. उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	...	144.53	144.53	...	165.00	165.00	...	121.10	121.10	...	68.81	68.81
जोड़-आर्थिक सेवाएं	554242.26	1188.35	555430.61	250770.65	2685.75	253456.40	298947.86	2626.65	301574.51	213312.90	2009.67	215322.57
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	408.19	...	408.19	406.99	...	406.99	607.60	...	607.60
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1.09	...	1.09	69.50	...	69.50	8.50	...	8.50	9.41	...	9.41
8. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	40.21	40.21	...	10.00	10.00	...	20.00	20.00
जोड़-अन्य	1.09	...	1.09	477.69	40.21	517.90	415.49	10.00	425.49	617.01	20.00	637.01
कुल जोड़	554243.35	1188.35	555431.70	251248.34	2725.96	253974.30	299363.35	2636.65	302000.00	213929.91	2029.67	215959.58

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			(₹ करोड़)		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
जमा सहकारी समितियों को उधार												
2. केंद्रीय भंडारण निगम	...	255.29	255.29	...	205.33	205.33	...	205.68	205.68	...	225.16	225.16
3. सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड	...	20.78	20.78	...	40.00	40.00	...	12.00	12.00	...	22.20	22.20
जोड़-जमा सहकारी समितियों को उधार	...	276.07	276.07	...	245.33	245.33	...	217.68	217.68	...	247.36	247.36
भारतीय खाद्य निगम												
1. भारतीय खाद्य निगम	1040.00	56636.28	57676.28	2555.21	102495.00	105050.21	2510.00	88995.00	91505.00	1930.00	87495.00	89425.00
जोड़-भारतीय खाद्य निगम	1040.00	56636.28	57676.28	2555.21	102495.00	105050.20	2510.00	88995.00	91505.00	1930.00	87495.00	89425.00
जोड़	1040.00	56912.35	57952.35	2555.21	102740.33	105295.54	2510.00	89212.68	91722.68	1930.00	87742.36	89672.36

- सचिवालय:** यह प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।
- राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर:** यह प्रावधान राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के स्थापना व्यय के लिए है।
- खाद्य, गोदाम और भांडागारण के अन्य स्थापना व्यय:** यह प्रावधान शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय, भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसन्धान संस्थान, केन्द्रीय अनाज विज्ञान प्रयोगशाला, गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष के स्थापना व्यय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अनाज परिषद और अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद के सदस्यता शुल्क के लिए है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य निगम को खाद्य राजसहायता:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम के लिए (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा भारत सरकार की अन्य कल्याणकारी स्कीमों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत तथा उनके निर्गम मूल्य के बीच के अन्तर तथा (ii) बफर स्टॉक/कार्यनीतिक रिजर्व की रखरखाव लागत की प्रतिपूर्ति करने के लिए खाद्यान्नों के लेन-देन के संबंध में सन्डि के लिए है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति के लिए खाद्य राजसहायता:** यह प्रावधान खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत खरीद योजना के अंतर्गत केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की खरीद करने वाली राज्य सरकारों को खाद्य सन्डि प्रदान करने के संबंध में है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देय चीनी राजसहायता:** यह प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अन्वयय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को चीनी राज सहायता प्रदान करने के लिए है।
- 7.01. भारतीय खाद्य निगम को देय अर्थोपाय अग्रिम:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के लिए खाद्यान्न की खरीद के सम्बन्ध में अपनी नकद धन की प्रवाह आवश्यकताओं की पूर्ति, बफर स्टॉक आवश्यकताओं और खाद्यान्न हैंडलिंग को अर्थोपाय अग्रिम हेतु है। इस अग्रिम को उसी वित्त वर्ष में समायोजित कर लिया जाएगा।

14. **इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी**

स्कीम: यह प्रावधान चीनी मिलों के लिए एथनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नए इंजीनरिंग बॉयलरों की स्थापना करके मौजूदा डिस्टिलरियों में वर्ष के दौरान कार्य दिवस की संख्या बढ़ाकर तथा चीनी मिलों से संबद्ध नई डिस्टिलरियों की स्थापना करके एथनॉल उत्पादन क्षमता में विस्तार करने के लिए है।

19.01. **चीनी उपक्रमों अन्य व्यय के लिए को वित्तीय सहायता/:** यह प्रावधान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को एजेंसी कमीशन के भुगतान करने के लिए है।

19.02. **चीनी कारखानों के पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण के लिए ऋण:** यह व्यय चीनी कारखानों के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिए रियायती ऋण प्रदान करने के लिए है।

19.03. **गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण:** यह प्रावधान गन्ना विकास हेतु चीनी मिलों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए है।

19.04. **विद्युत परियोजनाओं के खोई आधारित सह-उत्पादन के लिए चीनी कारखानों को ऋण:** यह प्रावधान खोई आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के लिए चीनी कारखानों को रियायती ऋण देने हेतु है।

19.05. **एनहाइड्रस अल्कोहल या अल्कोहल से इथेनॉल के उत्पादन हेतु चीनी कारखानों को ऋण:** यह प्रावधान अल्कोहल से एनहाइड्रस अल्कोहल अथवा एथनॉल के उत्पादन के लिए चीनी कारखानों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए है।

20. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालन का सुदृढीकरण:** यह प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण से संबंधित स्कीमों यथा - राज्य खाद्य आयोग और गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को सहायता।

21. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समेकित प्रबंधन:** यह प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन पर खर्च के लिए है।

22. **भंडारण और गोदाम:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों के द्वारा भंडारण क्षमता के निर्माण (गोदाम और साइलो) के लिए है।
24. **भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण:** यह प्रावधान भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण को प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) तथा नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों/ट्रांस्क्रामेंशन प्लान की ऑनलाईन मानीटरिंग हेतु स्थापना व्यय एवं आई टी समर्थित प्रणाली संबंधी व्यय के लिए अनुदान-सहायता-वेतन तथा अनुदान-सहायता-सामान्य प्रदान करने के लिए है।
25. **भारतीय खाद्य निगम की इक्विटी पूंजी में निवेश:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम की इक्विटी पूंजी में निवेश के लिए है।
26. **पी. डी. एस. – प्रशिक्षण:** इस प्रोजेक्ट (पूर्ववर्ती 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचालनों का सुदृढीकरण' योजना का घटक) के तहत प्रावधान राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को उनके द्वारा पहले से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी) की प्राप्ति के अग्रधीन 10% शेष सुगतान करने के लिए है। इस प्रोजेक्ट की समाप्ति तिथि 31.03.2022 है।
27. **पी. डी. एस.- मूल्यांकन, निगरानी और अनुसंधान:** इस प्रोजेक्ट (पूर्ववर्ती 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचालनों का सुदृढीकरण' योजना का घटक) के तहत प्रावधान चरण- II (2020-23) के लिए विभिन्न राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में रा. खा. सु. अधि. (एनएफएसए) के कार्यान्वयन के समवर्ती मूल्यांकन के लिए लगे निगरानी संस्थानों को भुगतान करने के लिए है। इस प्रोजेक्ट की समाप्ति तिथि 31.03.2024 है।
28. **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभभोगियों में जागरूकता पैदा करना:** इस प्रोजेक्ट (पूर्ववर्ती 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचालनों का सुदृढीकरण' योजना का घटक) के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) लाभार्थियों के बीच उनके अधिकार और निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्यों को उनसे प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है। इस परियोजना की समाप्ति तिथि 31.03.2024 है।
29. **चावल का पौष्टिकीकरण सुदृढीकरण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इसका वितरण:** यह प्रावधान 15 चयनित जिलों में प्रायोगिक आधार पर एनीमिया तथा सूक्ष्मपोषक तत्वों की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पौष्टिकीकृत चावल के वितरण के लिए है।
30. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों को राज्य के भीतर लाने ले जाने, इनके प्रबंधन और उचित मूल्य वाली दुकानों के डीलरों को संदत्त मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता के मानदंडों में संशोधन:** यह प्रावधान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खाद्यान्नों के रखरखाव, अंतर्राज्यीय संचलन और उचित दर दुकानों के डीलरों को संदत्त मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने हेतु राज्य-सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए है।

सहकारिता मंत्रालय

मांग संख्या 16

सहकारिता मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	889.00	11.00	900.00
वसूलियां
प्राप्तियां
निवल	889.00	11.00	900.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय												
1.01	सचिवालय	98.10	11.00	109.10
1.02	अन्य संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय	10.90	...	10.90
जोड़- सचिवालय												
...												
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2.	समेकित कृषि सहकारिता योजना (आईएसएसी)	50.00	...	50.00
3.	सहकारी ऋण गारंटी निधि	1.00	...	1.00
4.	सहकारी शिक्षा	30.00	...	30.00
5.	सहकारी प्रशिक्षण	25.00	...	25.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
...												
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
6.	राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी)	39.00	...	39.00
7.	वैकुण्ठलाल मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (वैप्रीकॉम),	11.00	...	11.00
जोड़-स्वायत्त निकाय												
...												
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
...												
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं												

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण	350.00	...	350.00
9. सहकारिताओं के माध्यम से समृद्धि	274.00	...	274.00
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	624.00	...	624.00
कुल जोड़	889.00	11.00	900.00
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	11.00	11.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	11.00	11.00
आर्थिक सेवाएं												
2. सहकारिता	156.40	...	156.40
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	98.10	...	98.10
जोड़-आर्थिक सेवाएं	254.50	...	254.50
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	73.00	...	73.00
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	561.50	...	561.50
जोड़-अन्य	634.50	...	634.50
कुल जोड़	889.00	11.00	900.00

1.01. **सचिवालय:** यह प्रावधान सहकारिता मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए है और इसमें सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय शामिल हैं।

2. **समेकित कृषि सहकारिता योजना (आईएसएसी):** यह सहकारिता मंत्रालय की मौजूदा केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और अब तक इसकी सभी अनिवार्य गतिविधियों का ख्याल रखती रही है। तथापि, विस्तारित जनादेश के साथ एक नए मंत्रालय के निर्माण के साथ, इस योजना को वित्त वर्ष 2022-23 से कई अन्य नई योजनाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। तथापि, शेष अनुसूचित देनदारियों की देखभाल के लिए इस बजट शीर्ष के साथ केवल वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जारी रखने का प्रस्ताव है।

3. **सहकारी ऋण गारंटी निधि:** यह पैक्स एवं अन्य प्राथमिक सहकारी समितियों के ऋणों पर ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए बनाई जा रही नई योजना है।

4. **सहकारी शिक्षा:** इस योजना का उद्देश्य सहकारी शिक्षा को पाठ्यक्रम के रूप में और स्कूलों और विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम के रूप में शुरू करना है। यह सहकारिता के क्षेत्र में अनुसंधान पर भी ध्यान देगा।

5. **सहकारी प्रशिक्षण:** इस योजना का उद्देश्य देश में मौजूदा सहकारी प्रशिक्षण संरचना को मजबूत करना और एक नई योजना के माध्यम से प्रशिक्षण विधियों का आधुनिकीकरण करना है।

6. **राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी):** एनसीसीटी देश में सहकारी प्रशिक्षण के आयोजन, निगरानी और मूल्यांकन व्यवस्था के लिए जिम्मेदार एक सोसायटी है। अनुदान सहायता वेतन का प्रावधान है।

7. **वैकुण्ठलाल मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (बैंगलूर):** यह एक राष्ट्रीय स्तर का सहकारी प्रशिक्षण संस्थान है। यह एनसीसीटी के प्रशासनिक दायरे में आता है और वर्तमान में इसकी बजटीय आवश्यकताओं को एनसीसीटी को जारी सहायता अनुदान के माध्यम से पूरा किया जाता है। इसे वित्त वर्ष 2022-23 के बाद से अपने स्वयं के बजटीय आवंटन के साथ एक पूर्ण स्वतंत्र संस्थान में बदलने की परिकल्पना की गई है।

8. **प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण:** इस योजना का उद्देश्य 63000 कार्यात्मक पैक्स का कम्प्यूटरीकरण करना है जिससे पैक्स के कामकाज में दक्षता, लाभप्रदता, पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि हो सके।

9. **सहकारिताओं के माध्यम से समृद्धि:** यह योजना देश में सहकारी समितियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से उन्हें वित्त, प्रौद्योगिकी और अवसरचका के संदर्भ में आवश्यक सहायता प्रदान करने और उन्हें सफल आर्थिक संस्थाओं में बदलने के उद्देश्य से निम्नलिखित कई उप-घटकों के साथ एक छत्रक योजना है: क. पैक्स का पुनर्पूँजीकरण, ख. नए पैक्स के लिए बीज राशि, ग. निष्क्रिय पैक्स का पुनरुद्धार, घ. एफपीओ की तर्ज पर पैक्स का बहु-भूमिका सहकारी समितियों में परिवर्तन, ङ. ब्रांडिंग, विपणन और व्यापार में सहकारी समितियों को सहायता, च. बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पूंजीगत सन्निधि और छ. सहकारी समितियों के राष्ट्रीय डेटाबेस का निर्माण

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 17

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	633.17	33.37	666.54	686.13	51.00	737.13	639.45	40.30	679.75	712.52	40.50	753.02
<i>वसूलियां</i>	-13.96	...	-13.96	-25.00	...	-25.00	-20.00	...	-20.00	-20.00	...	-20.00
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	619.21	33.37	652.58	661.13	51.00	712.13	619.45	40.30	659.75	692.52	40.50	733.02
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	257.44	...	257.44	246.45	...	246.45	220.61	...	220.61	230.06	...	230.06
2. कारपोरेट विधि नियमन												
2.01 संयुक्त स्टॉक कंपनियों का रजिस्ट्रार	56.37	...	56.37	65.77	...	65.77	66.46	...	66.46	70.27	...	70.27
2.02 क्षेत्रीय निदेशक, आधिकारिक परिसमापक और कंपनी अधिनियम के अधीन विभिन्न निकायों के संदर्भ में अन्य व्यय	225.61	...	225.61	253.41	...	253.41	253.22	...	253.22	282.49	...	282.49
जोड़- कारपोरेट विधि नियमन	281.98	...	281.98	319.18	...	319.18	319.68	...	319.68	352.76	...	352.76
3. वास्तविक वसूलियां	-0.12	...	-0.12
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	539.30	...	539.30	565.63	...	565.63	540.29	...	540.29	582.82	...	582.82
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
4. लेखांकन और वित्त सेवाओं पर चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना	5.00	...	5.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
कारपोरेट आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली												
5. कारपोरेट आंकड़ा प्रबंधन (सीडीएम)	4.53	...	4.53	5.50	...	5.50	5.15	...	5.15	5.67	...	5.67
6. डाटा माइनिंग प्रणाली (डीएमएस)	...	0.06	0.06	...	1.00	1.00	...	0.30	0.30	...	0.50	0.50
जोड़-कारपोरेट आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली	4.53	0.06	4.59	5.50	1.00	6.50	5.15	0.30	5.45	5.67	0.50	6.17
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	4.53	0.06	4.59	10.50	1.00	11.50	5.16	0.30	5.46	5.68	0.50	6.18
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
7. भारतीय दिवालियापन और शोधन अक्षमता बोर्ड	26.58	...	26.58	39.00	...	39.00	28.00	...	28.00	58.02	...	58.02
8. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	47.64	...	47.64	46.00	...	46.00	46.00	...	46.00	46.00	...	46.00
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	74.22	...	74.22	85.00	...	85.00	74.00	...	74.00	104.02	...	104.02

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अन्य												
9. निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि												
निवेशकों को दावा न किए गए लाभों की वापसी	15.00	...	15.00	25.00	...	25.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
9.02 घटाएं आईईपीएफ से की गई वसूलियां	-13.84	...	-13.84	-25.00	...	-25.00	-20.00	...	-20.00	-20.00	...	-20.00
	<i>निवल</i>		<i>1.16</i>									
10. मुख्य निर्माण कार्य - भूमि और भवन	...	33.31	33.31	...	50.00	50.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00
जोड़-अन्य	1.16	33.31	34.47	...	50.00	50.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	75.38	33.31	108.69	85.00	50.00	135.00	74.00	40.00	114.00	104.02	40.00	144.02
कुल जोड़	619.21	33.37	652.58	661.13	51.00	712.13	619.45	40.30	659.75	692.52	40.50	733.02
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	310.65	...	310.65	302.95	...	302.95	271.77	...	271.77	281.74	...	281.74
2. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	308.56	...	308.56	358.18	...	358.18	347.68	...	347.68	410.78	...	410.78
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	33.37	33.37	...	51.00	51.00	...	40.30	40.30	...	40.50	40.50
जोड़-आर्थिक सेवाएं	619.21	33.37	652.58	661.13	51.00	712.13	619.45	40.30	659.75	692.52	40.50	733.02
कुल जोड़	619.21	33.37	652.58	661.13	51.00	712.13	619.45	40.30	659.75	692.52	40.50	733.02

1. **सचिवालय:** इसमें मंत्रालय के सचिवालय व्यय और ई-गवर्नेंस परियोजना (एमसीए-21) के लिए प्रावधान है।

2.01. **संयुक्त स्टॉक कंपनियों का रजिस्ट्रार:** इसमें विभिन्न राज्यों में स्थित कंपनी रजिस्ट्रार-सह-आधिकारिक परिसमापक कार्यालयों और कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयों पर होने वाले व्यय का प्रावधान है। इन कार्यालयों के मुख्य कार्य कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और कंपनी अधिनियम, 1956 की शेष धाराओं के अधीन पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों की रजिस्ट्री, वार्षिक रिटर्न, तुलन पत्र और अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा करना तथा ऐसी संवीक्षा के परिणामस्वरूप ध्यान में आने वाली अनियमितताओं पर अपेक्षित कार्रवाई करना है। कंपनी रजिस्ट्रार-सह-आधिकारिक परिसमापक दोनों प्रकारों अर्थात् पूंजीकरण का कार्य और परिसमापन के प्रयोजनों के लिए आधिकारिक परिसमापक का कार्य करते हैं। ये कार्यालय उच्च न्यायालयों के साथ संबद्ध होते हैं और ये अनिवार्य परिसमापन के अधीन कंपनियों के प्रभारी होते हैं।

2.02. **क्षेत्रीय निदेशक, आधिकारिक परिसमापक और कंपनी अधिनियम के अधीन विभिन्न निकायों के संदर्भ में अन्य व्यय:** क्षेत्रीय निदेशक अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कंपनी रजिस्ट्रार-सह-आधिकारिक परिसमापक कार्यालयों, कंपनी रजिस्ट्रार और आधिकारिक परिसमापक कार्यालयों का पर्यवेक्षण, परामर्श एवं मार्गदर्शन करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार आधिकारिक परिसमापक की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है और ये उच्च न्यायालयों से संबद्ध होते हैं। ये कार्यालय परिसमापन के अधीन वाली कंपनियों के प्रभारी होते हैं। महानिदेशक, कारपोरेट कार्य की भूमिका मंत्रालय और देश भर के क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच संपर्क स्थापित करने की है।

अन्य व्यय में, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ), राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी), राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी), प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (कॉम्पैट), राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), राष्ट्रीय

वित्तीय रिपोर्टिंग अपील अधिकरण (एनएफआरए), विशेष न्यायालय और निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण के लिए प्रावधान है।

4. **लेखांकन और वित्त सेवाओं पर चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना:** वित्तीय सेवाओं में लेखांकन पर चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के तहत जीएसटी खाता सहायक योजना के लिए प्रावधान है।

5. **कारपोरेट आंकड़ा प्रबंधन (सीडीएम):** कारपोरेट डाटा प्रबंधन योजना में मंत्रालय में इन-हाउस डाटा माइनिंग और विश्लेषणात्मक सुविधा तैयार करने का प्रस्ताव है जिससे इसकी कारपोरेट रजिस्ट्री में मौजूद सूचना के विशाल संग्रह का प्रभावी उपयोग किया जा सके। इस सुविधा का लक्ष्य सभी हितधारकों को अधिक सुगम तरीके से प्रामाणिक और सही डाटा उपलब्ध कराने के साथ-साथ, इस मंत्रालय और अन्य नीतिगत या निर्णय लेने वाली सरकारी या गैर सरकारी एजेंसियों को व्यवस्थित और संरचित तरीके से सूचना उपलब्ध कराना है।

6. **डाटा माइनिंग प्रणाली (डीएमएस):** इसमें कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रणाली के लिए अतिरिक्त साफ्टवेयर लाइसेंस और आईटी संबंधी उत्पादों के प्रापण के लिए पूंजी खंड के अधीन खर्च का प्रावधान है।

7. **भारतीय दिवालियापन और शोधन अक्षमता बोर्ड:** दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अनुसार इस मंत्रालय ने कारपोरेट निकायों, भागीदारी फर्मों और व्यक्तियों का समयबद्ध रीति में पुनर्गठन और दिवालियापन समाधान करने से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए भारतीय दिवालियापन और शोधन अक्षमता बोर्ड का गठन किया है ताकि ऐसे व्यक्तियों की आस्तियों के मूल्य की अधिकतम वृद्धि करने, उद्यमिता और ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा देने और सरकारी देयराशियों के भुगतान की प्राथमिकता के क्रम में परिवर्तन

सहित सभी पक्षकारों के हितों में संतुलन बनाया जा सके तथा इससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए भारतीय दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता तैयार की जा सके।

8. **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग:** भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने के लिए की गई है। पूर्ववर्ती एमआरटीपी आयोग के समक्ष लंबित सभी मामले प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण या प्रतिस्पर्धा आयोग को अंतरित हो गए हैं। इसमें सामान्य अनुदान सहायता, अनुदान-सहायता वेतन और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान आदि का प्रावधान है।

9.01. **निवेशकों को दावा न किए गए लाभांश की वापसी:** दावेदारों को भुगतान/दावा न की गई राशि का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) से संवितरण करने के लिए प्रावधान है।

9.02. **घटाए गए आईईपीएफ से की गई वसूलियां:** निवेशकों को लौटाने हेतु निधि में से आहरण का प्रावधान है।

10. **मुख्य निर्माण कार्य - भूमि और भवन:** इसमें कार्यालय परिसर के निर्माण कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास हेतु भूमि/भवन/निर्माण पर होने वाले खर्च का प्रावधान है।

संस्कृति मंत्रालय
मांग संख्या 18
संस्कृति मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2123.44	20.21	2143.65	2609.23	78.76	2687.99	2609.23	55.77	2665.00	2920.89	88.16	3009.05
वसूलियां	-8.47	...	-8.47
प्राप्तियां
निवल	2114.97	20.21	2135.18	2609.23	78.76	2687.99	2609.23	55.77	2665.00	2920.89	88.16	3009.05
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय सहित सचिवालय	39.09	...	39.09	50.70	...	50.70	74.15	...	74.15	57.84	...	57.84
2. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई)	849.70	0.24	849.94	1015.27	27.36	1042.63	905.43	10.00	915.43	1052.98	27.36	1080.34
3. पुस्तकालय और अभिलेखागार	75.59	2.45	78.04	85.17	14.90	100.07	98.24	13.77	112.01	103.46	24.30	127.76
4. संग्रहालय	79.22	12.79	92.01	86.35	22.50	108.85	110.46	26.00	136.46	114.43	22.50	136.93
5. भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (एन.एस.आई.)	28.68	4.73	33.41	34.41	13.00	47.41	33.41	5.00	38.41	37.30	13.00	50.30
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	1072.28	20.21	1092.49	1271.90	77.76	1349.66	1221.69	54.77	1276.46	1366.01	87.16	1453.17
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
6. शताब्दियां एवं वर्षगांठ, समारोह और स्कीमें	79.43	...	79.43	144.64	...	144.64	135.18	...	135.18	110.00	...	110.00
7. कला संस्कृति विकास योजना	122.40	...	122.40	167.43	1.00	168.43	176.30	1.00	177.30	185.85	1.00	186.85
8. संग्रहालयों का विकास	133.03	...	133.03	128.18	...	128.18	162.70	...	162.70	180.00	...	180.00
9. पुस्तकालयों और अभिलेखागारों का विकास	0.77	...	0.77	1.65	...	1.65	23.00	...	23.00
10. वैश्विक भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	6.12	...	6.12	9.90	...	9.90	10.50	...	10.50	13.57	...	13.57
11. पांडुलिपियों के परिरक्षण हेतु राष्ट्रीय मिशन	3.69	...	3.69	3.28	...	3.28
12. राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण और रोड मैप मिशन	19.13	...	19.13
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	344.67	...	344.67	454.20	1.00	455.20	486.33	1.00	487.33	531.55	1.00	532.55
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
13. अकादमियों को सहायता	276.82	...	276.82	341.57	...	341.57	349.53	...	349.53	365.35	...	365.35
14. संग्रहालयों को सहायता	241.58	...	241.58	293.81	...	293.81	287.09	...	287.09	315.32	...	315.32
15. पुस्तकालयों को सहायता	84.38	...	84.38	100.11	...	100.11	94.82	...	94.82	99.13	...	99.13

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
16. बौद्ध तिब्बती संस्थान एवं स्मारक	90.21	...	90.21	127.15	...	127.15	133.88	...	133.88	123.04	...	123.04
जोड़-स्वायत्त निकाय	692.99	...	692.99	862.64	...	862.64	865.32	...	865.32	902.84	...	902.84
अन्य												
17. अनुदानग्राही निकाय	13.50	...	13.50	20.49	...	20.49	35.89	...	35.89	120.49	...	120.49
18. वास्तविक वसूलियां	-8.47	...	-8.47
जोड़-अन्य	5.03	...	5.03	20.49	...	20.49	35.89	...	35.89	120.49	...	120.49
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	698.02	...	698.02	883.13	...	883.13	901.21	...	901.21	1023.33	...	1023.33
कुल जोड़	2114.97	20.21	2135.18	2609.23	78.76	2687.99	2609.23	55.77	2665.00	2920.89	88.16	3009.05
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. कला और संस्कृति	2075.89	...	2075.89	2513.01	...	2513.01	2486.35	...	2486.35	2809.80	...	2809.80
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	39.08	...	39.08	50.70	...	50.70	74.15	...	74.15	57.84	...	57.84
3. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	...	20.21	20.21	...	78.76	78.76	...	55.77	55.77	...	88.16	88.16
जोड़-सामाजिक सेवाएं	2114.97	20.21	2135.18	2563.71	78.76	2642.47	2560.50	55.77	2616.27	2867.64	88.16	2955.80
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	45.52	...	45.52	48.73	...	48.73	53.25	...	53.25
जोड़-अन्य	45.52	...	45.52	48.73	...	48.73	53.25	...	53.25
कुल जोड़	2114.97	20.21	2135.18	2609.23	78.76	2687.99	2609.23	55.77	2665.00	2920.89	88.16	3009.05

1. **केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय सहित सचिवालय:** इसमें मंत्रालय के सचिवालय और केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार के वेतन एवं संबद्ध मदों पर होने वाले व्यय सम्मिलित हैं।

2. **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई):** भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष 1861 में की गई थी। यह संस्कृति मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। इसके मुख्य कार्यों में विश्व विरासत स्मारकों तथा पुरावशेषों सहित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों और स्थलों का संरक्षण, परिरक्षण और विकास करना, केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों तथा स्थलों के आस-पास बगीचों का रख-रखाव तथा नए बगीचों का विकास करना, प्राचीन स्थलों का अन्वेषण और उत्खनन करना, शिलालेखों और भारतीय वास्तुकला का विशेष अध्ययन करना, पुरातत्व स्थल संग्रहालयों का अनुरक्षण करना, पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम का प्रचालन करना तथा पुरातत्व के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और प्रशिक्षण देना शामिल है। इसके 3691 (22 विश्व विरासत, 10 ऐतिहासिक और 100 आदर्श स्मारकों सहित) केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारक (विश्व विरासत स्मारकों सहित) हैं जिसमें प्रागैतिहासिक पाषाण काल के स्थल, मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर तथा किले शामिल हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन भी शुरू किया गया है।

3. **पुस्तकालय और अभिलेखागार:** इसमें भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय और केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय के व्यय हेतु प्रावधान है।

4. **संग्रहालय:** इसमें राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण/सक्षम प्राधिकरण के व्यय के लिए प्रावधान है।

5. **भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (एन.एस.आई.):** इसमें वर्ष 1945 में स्थापित भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण के व्यय के लिए प्रावधान है। यह भारत के लोगों का जैव-सांस्कृतिक अन्वेषण/अनुसंधान करता है तथा भारत के लोगों के बारे में वैज्ञानिक महत्व के दस्तावेजों का संग्रहण और परिरक्षण करता है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण अपने मानव विज्ञान अनुसंधान के माध्यम से देश की जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के संबंध में योगदान देता है।

6. **शताब्दियां एवं वर्षगांठ, समारोह और स्कीमे:** इसमें वर्ष 2019-20 के दौरान शताब्दियों एवं वर्षगांठ से संबंधित समारोहों तथा विगत समारोहों के अवशिष्ट कार्यक्रमों के लिए प्रावधान है। इसमें महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

7. **कला संस्कृति विकास योजना:** इस छत्र योजनाओं में मिशन और योजनाएं शामिल हैं; दांडी संबंधित परियोजनाएं और गांधी विरासत स्थल मिशन, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता की योजना, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए

छात्रवृत्ति और फैलोशिप, सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता योजना, कलाकारों को पेंशन और चिकित्सा सहायता योजना, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत योजना, राष्ट्रीय पुरस्कार योजना और सेवा भोज योजना।

8. **संग्रहालयों का विकास:** यह प्रावधान संग्रहालय अनुदान स्कीम, विज्ञान की संस्कृति के संवर्द्धन हेतु स्कीम, भारत के प्रधानमंत्रियों से संबंधित संग्रहालय, वाडनगर में राष्ट्रीय प्रायोगिक स्थल संग्रहालय और संग्रहालयों में सॉफ्टवेयर के संग्रह प्रबंधन से संबंधित कार्यकलापों के व्यय के लिए है।

9. **पुस्तकालयों और अभिलेखागारों का विकास:** यह प्रावधान राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुरालेखीय निधान सरकारी पुस्तकालय और संग्रहालय के लिए वित्तीय सहायता की योजना, पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों, पुराने और दुर्लभ दस्तावेजों के परिरक्षण, संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता योजना, पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों के अभिलेखों के इतिहास से संबंधित गतिविधियों के खर्च के लिए है।

10. **वैश्विक भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान वैश्विक भागीदारी स्कीम, परियोजना मौसम, और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को योगदान से संबंधित गतिविधियों के व्यय के लिए है।

12. **राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण और रोड मैप मिशन:** इसमें डेटा मैपिंग, जनसांख्यिकी निर्माण, प्रक्रियाओं को औपचारिक रूप देना और सभी सांस्कृतिक गतिविधियों को बेहतर परिणामों के लिए एक छत्र के नीचे लाना शामिल है।

13. **अकादमियों को सहायता:** इसमें स्वायत्त निकायों अर्थात् संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान और सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों हेतु व्यय का प्रावधान शामिल है।

14. **संग्रहालयों को सहायता:** इसमें स्वायत्त निकायों अर्थात् विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, इलाहाबाद संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय कला संरक्षण एवं संग्रहालय विज्ञान इतिहास संग्रहालय संस्थान, सालारजंग संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय और नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय हेतु व्यय का प्रावधान शामिल है।

15. **पुस्तकालयों को सहायता:** इसमें स्वायत्त निकायों अर्थात् राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी (कोलकाता), खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी और रामपुर रजा पुस्तकालय हेतु व्यय का प्रावधान शामिल है।

16. **बौद्ध तिब्बती संस्थान एवं स्मारक:** इसमें स्वायत्त निकायों अर्थात् गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान, नव नालंदा महाविहार, केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, केन्द्रीय हिमालयी सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान, केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान और भारतीय बौद्ध दर्शन संस्थान, ताबो, हेतु व्यय का प्रावधान शामिल है।

17. **अनुदानग्राही निकाय:** इसमें वृंदावन अनुसंधान संस्थान, तिब्बत हाउस, बौद्ध सांस्कृतिक अध्ययन तवांग बौद्ध मठ केन्द्र, नामग्याल तिब्बती शास्त्र संस्थान, जीआरएल बौद्ध मठ विद्यालय बोमडिला, तिब्बती कार्य पुस्तकालय एवं अभिलेखागार, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, एशियाटिक सोसाइटी (मुंबई), तंजावुर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल पुस्तकालय, केन्द्रीय पुस्तकालय और कोन्नेमारा सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित कार्यकलापों के लिए व्यय का प्रावधान शामिल है।

रक्षा मंत्रालय

मांग संख्या 19

रक्षा मंत्रालय (सिविल)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	27775.16	8831.81	36606.97	30088.93	7748.41	37837.34	30559.37	10503.04	41062.41	32050.01	11624.99	43675.00
<i>वसूलियां</i>	-105.00	-3211.82	-3316.82	-105.00	-2575.00	-2680.00	...	-3575.00	-3575.00	...	-3575.00	-3575.00
<i>प्राप्तियां</i>	-15768.89	...	-15768.89	-19900.00	...	-19900.00	-19900.00	...	-19900.00	-20000.00	...	-20000.00
निवल	11901.27	5619.99	17521.26	10083.93	5173.41	15257.34	10659.37	6928.04	17587.41	12050.01	8049.99	20100.00
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय सामान्य सेवाएं	1958.92	...	1958.92	2188.46	...	2188.46	2362.74	...	2362.74	2623.34	...	2623.34
2. सीमा सड़क विकास बोर्ड सचिवालय	2775.39	...	2775.39	2654.08	...	2654.08	3037.42	...	3037.42	3327.36	...	3327.36
3. तटरक्षक संगठन	2547.28	2503.21	5050.49	2594.72	2650.00	5244.72	2797.26	3236.46	6033.72	3063.92	4246.37	7310.29
4. रक्षा संपदा संगठन	404.53	...	404.53	348.60	...	348.60	373.30	...	373.30	396.33	...	396.33
5. जम्मू व कश्मीर लाइट इंफैंट्री	1395.81	...	1395.81	1451.13	...	1451.13	1598.05	...	1598.05	1678.80	...	1678.80
6. थलसेना न्यायाधिकरण	36.36	...	36.36	44.94	...	44.94	39.22	...	39.22	45.32	...	45.32
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	9118.29	2503.21	11621.50	9281.93	2650.00	11931.93	10207.99	3236.46	13444.45	11135.07	4246.37	15381.44
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा निष्पादित कार्य												
7. केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण	105.00	3100.00	3205.00	105.00	2500.00	2605.00	...	3500.00	3500.00	...	3500.00	3500.00
8. सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत निर्माण कार्य												
8.01 सकल बजटीय सहायता	...	3104.28	3104.28	...	2500.00	2500.00	...	3500.00	3500.00	...	3500.00	3500.00
8.02 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से प्राप्त राशि	...	-3100.00	-3100.00	...	-2500.00	-2500.00	...	-3500.00	-3500.00	...	-3500.00	-3500.00
<i>निवल</i>	...	4.28	4.28
9. सामरिक सड़कों के लिए राज्यों को अनुदान												
9.01 सकल बजटीय सहायता	54.89	...	54.89	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	55.00	...	55.00
9.02 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से प्राप्त राशि	-105.00	...	-105.00	-50.00	...	-50.00
<i>निवल</i>	-50.11	...	-50.11	50.00	...	50.00	55.00	...	55.00
10. अन्य कार्य												
10.01 सकल बजटीय सहायता	948.93	...	948.93	800.00	...	800.00	845.00	...	845.00	1000.00	...	1000.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
10.02 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से प्राप्त राशि	-55.00	...	-55.00
<i>निवल</i>	<i>948.93</i>	...	<i>948.93</i>	<i>745.00</i>	...	<i>745.00</i>	<i>845.00</i>	...	<i>845.00</i>	<i>1000.00</i>	...	<i>1000.00</i>
जोड़-सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा निष्पादित कार्य	1003.82	3104.28	4108.10	850.00	2500.00	3350.00	895.00	3500.00	4395.00	1055.00	3500.00	4555.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	1003.82	3104.28	4108.10	850.00	2500.00	3350.00	895.00	3500.00	4395.00	1055.00	3500.00	4555.00
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
आवास												
11. रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/कैंटीन स्टोर विभाग स्टाफ क्वार्टरों का रखरखाव व मरम्मत	44.34	...	44.34	52.00	...	52.00	56.38	...	56.38	59.94	...	59.94
12. रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/कैंटीन स्टोर विभाग के लिए आवासीय सुविधाएं-स्टाफ क्वार्टर	...	5.70	5.70	...	7.57	7.57	...	15.77	15.77	...	17.05	17.05
जोड़-आवास	44.34	5.70	50.04	52.00	7.57	59.57	56.38	15.77	72.15	59.94	17.05	76.99
लोक निर्माण कार्य												
13. रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/सशस्त्र सेना अधिकरण-अन्य भवन के निर्माण के लिए पूंजीगत परिव्यय	...	5.13	5.13	...	13.80	13.80	...	140.86	140.86	...	184.53	184.53
14. विविध ऋण	...	0.85	0.85	...	1.35	1.35	...	1.35	1.35	...	1.35	1.35
15. कैंटीन स्टोर विभाग												
15.01 कैंटीन स्टोर विभाग	17503.71	0.82	17504.53	19800.00	0.69	19800.69	19400.00	33.60	19433.60	19800.00	100.69	19900.69
15.02 घटाएं: राजस्व प्राप्ति	-15768.89	...	-15768.89	-19900.00	...	-19900.00	-19900.00	...	-19900.00	-20000.00	...	-20000.00
<i>निवल</i>	<i>1734.82</i>	<i>0.82</i>	<i>1735.64</i>	<i>-100.00</i>	<i>0.69</i>	<i>-99.31</i>	<i>-500.00</i>	<i>33.60</i>	<i>-466.40</i>	<i>-200.00</i>	<i>100.69</i>	<i>-99.31</i>
जोड़-अन्य	1779.16	12.50	1791.66	-48.00	23.41	-24.59	-443.62	191.58	-252.04	-140.06	303.62	163.56
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	1779.16	12.50	1791.66	-48.00	23.41	-24.59	-443.62	191.58	-252.04	-140.06	303.62	163.56
कुल जोड़	11901.27	5619.99	17521.26	10083.93	5173.41	15257.34	10659.37	6928.04	17587.41	12050.01	8049.99	20100.00
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. न्याय प्रशासन	36.36	...	36.36	44.94	...	44.94	39.22	...	39.22	45.32	...	45.32
2. सीमा शुल्क	2547.28	...	2547.28	2594.72	...	2594.72	2797.26	...	2797.26	3063.92	...	3063.92
3. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	5138.84	...	5138.84	5191.14	...	5191.14	5773.46	...	5773.46	6347.03	...	6347.03
4. पुलिस	1395.81	...	1395.81	1451.13	...	1451.13	1598.05	...	1598.05	1678.80	...	1678.80
5. लोक निर्माण कार्य	24.38	...	24.38	27.88	...	27.88	30.38	...	30.38	32.78	...	32.78
6. विविध सामान्य सेवाएं	1734.82	...	1734.82	-100.00	...	-100.00	-500.00	...	-500.00	-200.00	...	-200.00
7. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	2503.21	2503.21	...	2650.00	2650.00	...	3236.46	3236.46	...	4246.37	4246.37
8. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	5.13	5.13	...	13.80	13.80	...	140.86	140.86	...	184.53	184.53
9. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.82	0.82	...	0.69	0.69	...	33.60	33.60	...	100.69	100.69
जोड़-सामान्य सेवाएं	10877.49	2509.16	13386.65	9209.81	2664.49	11874.30	9738.37	3410.92	13149.29	10967.85	4531.59	15499.44

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
सामाजिक सेवाएं												
10. आवास	19.96	...	19.96	24.12	...	24.12	26.00	...	26.00	27.16	...	27.16
11. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	...	5.70	5.70	...	7.57	7.57	...	15.77	15.77	...	17.05	17.05
जोड़-सामाजिक सेवाएं	19.96	5.70	25.66	24.12	7.57	31.69	26.00	15.77	41.77	27.16	17.05	44.21
आर्थिक सेवाएं												
12. सड़क और पुल	1053.93	...	1053.93	850.00	...	850.00	845.00	...	845.00	1000.00	...	1000.00
13. सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	...	3104.28	3104.28	...	2250.00	2250.00	...	3150.00	3150.00	...	3150.00	3150.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	1053.93	3104.28	4158.21	850.00	2250.00	3100.00	845.00	3150.00	3995.00	1000.00	3150.00	4150.00
अन्य												
14. पूर्वोत्तर क्षेत्र	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.50	...	5.50
15. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	-50.11	...	-50.11	-5.00	...	-5.00	45.00	...	45.00	49.50	...	49.50
16. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	250.00	250.00	...	350.00	350.00	...	350.00	350.00
17. विविध ऋण	...	0.85	0.85	...	1.35	1.35	...	1.35	1.35	...	1.35	1.35
जोड़-अन्य	-50.11	0.85	-49.26	...	251.35	251.35	50.00	351.35	401.35	55.00	351.35	406.35
कुल जोड़	11901.27	5619.99	17521.26	10083.93	5173.41	15257.34	10659.37	6928.04	17587.41	12050.01	8049.99	20100.00

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	...	403.32	403.32	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	100.00	100.00
2. बीईएमएल लिमिटेड	...	42.49	42.49
3. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	...	460.00	460.00	...	1035.00	1035.00	...	450.00	450.00	...	500.00	500.00
4. भारत डायनामिक्स लिमिटेड	...	57.30	57.30	60.00	60.00	...	80.00	80.00
5. मन्नगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	...	41.06	41.06	...	1402.00	1402.00	...	71.50	71.50	...	100.00	100.00
6. मिश्र धातु निगम लिमिटेड	...	158.26	158.26	...	1184.68	1184.68	...	186.13	186.13	...	175.00	175.00
7. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	...	108.00	108.00	...	965.00	965.00	...	75.00	75.00	...	43.00	43.00
8. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	...	154.00	154.00	...	1032.00	1032.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00
9. हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड	...	1344.00	1344.00	1400.00	1400.00	...	1800.00	1800.00
जोड़	...	2768.43	2768.43	...	5623.68	5623.68	...	2287.63	2287.63	...	2838.00	2838.00

1. **सचिवालय सामान्य सेवाएं:** यह प्रावधान रक्षा सचिवालय (अर्थात् रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, सैन्य कार्य विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास, भू-पू.सैनिक कल्याण विभाग, वित्त प्रभाग तथा आईडीएसए) और रक्षा लेखा विभाग के व्यय हेतु है। इस प्रावधान में रक्षा परीक्षण अवसंरचना स्कीम, रक्षा कोरिडोर और आईडीएक्स योजना के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान भी शामिल है।

कैंटीन स्टोर विभाग की राजस्व प्राप्तियों का अनुमान संअ 2021-22 में ₹ 19,900 करोड़ तथा वअ 2022-23 में ₹ 20,000 करोड़ किया गया है।

2. **सीमा सड़क विकास बोर्ड सचिवालय:** स्थापना संबंधी व्यय के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन के लिए प्रावधान।

3. **तटरक्षक संगठन:** तटरक्षक संगठन पर राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान।

4. **रक्षा संपदा संगठन:** यह प्रावधान रक्षा संपदा संगठन के लिए किया गया है जिसका मुख्य कार्य छावनी बोर्डों का प्रशासन, छावनी से बाहर या भीतर कहीं भी स्थित रक्षा भूमि का प्रबंधन, रक्षा प्रयोजनों के लिए अचल संपत्तियों की मांग करना एवं किराए पर लेना आदि हैं।

5. **जम्मू व कश्मीर लाइट इंफैंट्री:** जम्मू एंड कश्मीर लाइट इंफैंट्री जोकि मई 1977 तक जे एंड के मिलिशिया के नाम से जानी जाती थी, वर्तमान में भारतीय सेना की पूर्ण विकसित रेजीमेंट है जिसके पास रेजिमेंटल सेंटर और रिकार्ड कार्यालय के अलावा 15 बटालियन हैं।

6. **थलसेना न्यायाधिकरण:** यह प्रावधान सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिकरण अधिनियम 2007 के अंतर्गत स्थापित 'सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (ए एफटी) के लिए किया गया है।

7. **केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण:** यह प्रावधान केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि में अंतरण तथा सीमा सड़क विकास बोर्ड को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों को विकसित करने के लिए तथा सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा विभिन्न राज्यों तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में सीमावर्ती क्षेत्रों में कतिपय रणनीतिक महत्व की सड़कों को निर्मित करने के लिए अनुदान शामिल है। सीमावर्ती सड़कों के निर्माण का पूर्ण व्यय केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से पूरा किया जाएगा।

11. **रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन /कैंटीन स्टोर विभाग के स्टाफ क्वार्टरों का रखरखाव व मरम्मत:** यह प्रावधान रक्षा लेखा विभाग और रक्षा संपदा संगठन के स्टाफ के लिए आवासीय भवनों के रख-रखाव एवं मरम्मत के लिए है।

12. **रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/कैंटीन स्टोर विभाग के लिए आवासीय सुविधाएं-स्टाफ क्वार्टर:** यह प्रावधान कैंटीन स्टोर्स विभाग, रक्षा लेखा विभाग और रक्षा संपदा संगठन के स्टाफ के लिए आवासीय सुविधाओं के लिए है। यह प्रावधान रक्षा लेखा विभाग, रक्षा संपदा संगठन के स्टाफ के लिए तैयार आवासीय भवनों की खरीद के लिए है।

13. **रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/सशस्त्र सेना अधिकरण-अन्य भवन के निर्माण के लिए पूंजीगत परिव्यय:** यह प्रावधान रक्षा लेखा विभाग, सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल से संबंधित कार्यालय भवन के निर्माण के लिए और रक्षा संपदा संगठन द्वारा रक्षा भूमि के लिए कार्यालय भवन/चारदीवारी/बाउंडरी खम्भों/संरचना के लिए है।

14. **विविध ऋण:** सीएसडी की यूनिट संचालित कैंटीन आदि के लिए विविध ऋणों के लिए प्रावधान।

15.01. **कैंटीन स्टोर विभाग:** कैंटीन स्टोर्स विभाग, मंत्रालय का विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम है। यह संपूर्ण भारत में रक्षा सेवाओं के सदस्यों को उचित और किफायती दर पर दैनिक आवश्यकताओं के घरेलू सामान तथा अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराने का कार्य करता है। इस शीर्ष में निवल कार्यचालन व्यय (सकल व्यय से अधिक प्राप्तियां) का प्रावधान किया गया है।

रक्षा मंत्रालय
मांग संख्या 20
रक्षा सेवा (राजस्व)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	224351.76	...	224351.76	232046.93	...	232046.93	238717.09	...	238717.09	239743.71	...	239743.71	
वसूलियां	-8838.04	...	-8838.04	-11340.19	...	-11340.19	-2168.22	...	-2168.22	-73.36	...	-73.36	
प्राप्तियां	-9725.13	...	-9725.13	-8679.18	...	-8679.18	-6981.64	...	-6981.64	-6669.81	...	-6669.81	
निवल	205788.59	...	205788.59	212027.56	...	212027.56	229567.23	...	229567.23	233000.54	...	233000.54	
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. थलसेना													
1.01	थलसेना के वेतन और भत्ते	88832.47	...	88832.47	93749.57	...	93749.57	99844.46	...	99844.46	107209.03	...	107209.03
1.02	सहायक बलों के वेतन और भत्ते तथा विविध खर्च	1713.97	...	1713.97	1954.77	...	1954.77	2210.77	...	2210.77	2243.33	...	2243.33
1.03	असैन्य कर्मियों के वेतन और भत्ते	6058.61	...	6058.61	7213.93	...	7213.93	6816.67	...	6816.67	7254.95	...	7254.95
1.04	परिवहन	3103.97	...	3103.97	4100.00	...	4100.00	4400.00	...	4400.00	4100.00	...	4100.00
1.05	मिलिट्री फार्म	79.71	...	79.71	49.00	...	49.00	25.00	...	25.00	5.14	...	5.14
1.06	पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना	4626.15	...	4626.15	3332.51	...	3332.51	4412.51	...	4412.51	3582.51	...	3582.51
1.07	निरीक्षण गुणवत्ता लेखापरीक्षा महानिदेशालय (डीजीक्यूए)	1017.97	...	1017.97	1274.40	...	1274.40	1122.49	...	1122.49	1284.08	...	1284.08
1.08	भंडार	20320.99	...	20320.99	20332.00	...	20332.00	22141.60	...	22141.60	20383.10	...	20383.10
1.09	निर्माण कार्य	7859.50	...	7859.50	8480.72	...	8480.72	8818.83	...	8818.83	8765.65	...	8765.65
1.10	राष्ट्रीय राइफल	6914.26	...	6914.26	7323.48	...	7323.48	7591.48	...	7591.48	9306.95	...	9306.95
1.11	राष्ट्रीय कैडेट कोर	1503.85	...	1503.85	1635.76	...	1635.76	1849.43	...	1849.43	1956.43	...	1956.43
1.12	अन्य व्यय	3149.58	...	3149.58	3475.17	...	3475.17	3716.62	...	3716.62	3125.91	...	3125.91
1.13	घटाएं: राजस्व प्राप्तियां	-4369.44	...	-4369.44	-4102.78	...	-4102.78	-4308.31	...	-4308.31	-4319.31	...	-4319.31
	निवल	140811.59	...	140811.59	148818.53	...	148818.53	158641.55	...	158641.55	164897.77	...	164897.77
2. नौसेना													
2.01	नौसेना के वेतन और भत्ते	6658.86	...	6658.86	7432.00	...	7432.00	7832.00	...	7832.00	9133.42	...	9133.42
2.02	असैन्य कर्मियों के वेतन और भत्ते	2455.03	...	2455.03	3094.33	...	3094.33	3245.32	...	3245.32	3524.70	...	3524.70
2.03	परिवहन	399.50	...	399.50	374.20	...	374.20	414.20	...	414.20	474.20	...	474.20
2.04	मरम्मत और पुनर्संज्ञा	2244.65	...	2244.65	1555.95	...	1555.95	1555.95	...	1555.95	1555.95	...	1555.95

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2.05 भंडार	7242.44	...	7242.44	6053.93	...	6053.93	6143.93	...	6143.93	6053.93	...	6053.93
2.06 निर्माण कार्य	1813.82	...	1813.82	1495.67	...	1495.67	1494.68	...	1494.68	1454.46	...	1454.46
2.07 संयुक्त स्टाफ	2981.60	...	2981.60	3339.51	...	3339.51	3174.74	...	3174.74	3194.67	...	3194.67
2.08 अन्य व्यय	914.44	...	914.44	715.09	...	715.09	765.09	...	765.09	765.09	...	765.09
2.09 घटाएं: राजस्व प्राप्तियां	-1544.29	...	-1544.29	-700.00	...	-700.00	-700.00	...	-700.00	-750.00	...	-750.00
	<i>निवल</i> 23166.05	...	23166.05	23360.68	...	23360.68	23925.91	...	23925.91	25406.42	...	25406.42
3. वायुसेना												
3.01 वायुसेना के वेतन और भत्ते	15984.13	...	15984.13	16346.50	...	16346.50	17321.59	...	17321.59	18345.68	...	18345.68
3.02 असैन्य कर्मियों के वेतन और भत्ते	1530.32	...	1530.32	1617.20	...	1617.20	1597.85	...	1597.85	1692.32	...	1692.32
3.03 परिवहन	990.33	...	990.33	1087.49	...	1087.49	839.38	...	839.38	1087.49	...	1087.49
3.04 भंडार	12805.25	...	12805.25	9428.91	...	9428.91	12471.50	...	12471.50	9678.90	...	9678.90
3.05 निर्माण कार्य	2505.89	...	2505.89	2561.63	...	2561.63	2436.06	...	2436.06	2508.26	...	2508.26
3.06 विशेष परियोजनाएं	0.31	...	0.31	50.00	...	50.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
3.07 अन्य व्यय	799.73	...	799.73	860.80	...	860.80	916.63	...	916.63	860.80	...	860.80
3.08 घटाएं: राजस्व प्राप्तियां	-1790.73	...	-1790.73	-1300.00	...	-1300.00	-1300.00	...	-1300.00	-1300.00	...	-1300.00
	<i>निवल</i> 32825.23	...	32825.23	30652.53	...	30652.53	34283.02	...	34283.02	32873.46	...	32873.46
4. रक्षा आयुध निर्माणियां												
4.01 निदेशन एवं प्रशासन	143.38	...	143.38	170.00	...	170.00	325.00	...	325.00	475.00	...	475.00
4.02 अनुसंधान एवं विकास	80.97	...	80.97	100.00	...	100.00	42.00	...	42.00
4.03 रखरखाव-मशीनरी एवं उपस्कर	34.18	...	34.18	50.00	...	50.00	15.00	...	15.00
4.04 विनिर्माण	6017.35	...	6017.35	6986.00	...	6986.00	3658.00	...	3658.00
4.05 परिवहन	72.57	...	72.57	140.00	...	140.00	44.00	...	44.00
4.06 नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	344.32	...	344.32	400.00	...	400.00	142.50	...	142.50
4.07 भंडार	2964.48	...	2964.48	4121.11	...	4121.11	1878.00	...	1878.00
4.08 निर्माण कार्य	171.17	...	171.17	200.00	...	200.00	77.50	...	77.50
4.09 नवीकरण आरक्षित निधि को/से अंतरण - नवीकरण आरक्षित निधि आयुध निर्माणियां	130.68	...	130.68	50.00	...	50.00	-125.00	...	-125.00
4.10 अन्य व्यय	1106.79	...	1106.79	1040.00	...	1040.00	491.00	...	491.00
4.11 घटाएं - थलसेना, नौसेना, वायुसेना आदि को की गई आपूर्तियों के लिए वसूलियां	-8410.27	...	-8410.27	-10866.83	...	-10866.83	-1969.86	...	-1969.86
4.12 घटाएं राजस्व प्राप्तियां	-1652.56	...	-1652.56	-2276.40	...	-2276.40	-323.33	...	-323.33	-0.50	...	-0.50
	<i>निवल</i> 1003.06	...	1003.06	113.88	...	113.88	4254.81	...	4254.81	474.50	...	474.50
5. अनुसंधान और विकास												
5.01 प्रशिक्षण	8.36	...	8.36	23.00	...	23.00	13.50	...	13.50	23.00	...	23.00
5.02 अनुसंधान/अनुसंधान विकास	257.88	...	257.88	612.50	...	612.50	432.08	...	432.08	593.37	...	593.37
5.03 सेवा कार्मिक के वेतन एवं भत्ते	434.63	...	434.63	488.00	...	488.00	488.00	...	488.00	530.00	...	530.00

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
5.04 असैन्य कर्मियों के वेतन और भत्ते	3178.86	...	3178.86	3515.55	...	3515.55	3445.55	...	3445.55	3740.00	...	3740.00
5.05 परिवहन	54.72	...	54.72	220.00	...	220.00	100.00	...	100.00	220.00	...	220.00
5.06 भंडार	2915.21	...	2915.21	2969.12	...	2969.12	2635.01	...	2635.01	2889.00	...	2889.00
5.07 निर्माण कार्य	1056.65	...	1056.65	1050.97	...	1050.97	1195.00	...	1195.00	1148.02	...	1148.02
5.08 अन्य व्यय	444.46	...	444.46	502.80	...	502.80	502.80	...	502.80	505.00	...	505.00
5.09 घटाएं: राजस्व प्राप्तियां	-368.11	...	-368.11	-300.00	...	-300.00	-350.00	...	-350.00	-300.00	...	-300.00
	<i>निवल</i> 7982.66	...	7982.66	9081.94	...	9081.94	8461.94	...	8461.94	9348.39	...	9348.39
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	205788.59	...	205788.59	212027.56	...	212027.56	229567.23	...	229567.23	233000.54	...	233000.54
कुल जोड़	205788.59	...	205788.59	212027.56	...	212027.56	229567.23	...	229567.23	233000.54	...	233000.54
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. रक्षा सेवाएं-थल सेना	140811.59	...	140811.59	148818.53	...	148818.53	158641.55	...	158641.55	164897.77	...	164897.77
2. रक्षा सेवाएं-नौ सेना	23166.05	...	23166.05	23360.68	...	23360.68	23925.91	...	23925.91	25406.42	...	25406.42
3. रक्षा सेवाएं-वायु सेना	32825.23	...	32825.23	30652.53	...	30652.53	34283.02	...	34283.02	32873.46	...	32873.46
4. रक्षा सेवाएं-आयुध कारखाने	1003.06	...	1003.06	113.88	...	113.88	4254.81	...	4254.81	474.50	...	474.50
5. रक्षा सेवाएं- अनुसंधान और विकास	7982.66	...	7982.66	9081.94	...	9081.94	8461.94	...	8461.94	9348.39	...	9348.39
जोड़-सामान्य सेवाएं	205788.59	...	205788.59	212027.56	...	212027.56	229567.23	...	229567.23	233000.54	...	233000.54
कुल जोड़	205788.59	...	205788.59	212027.56	...	212027.56	229567.23	...	229567.23	233000.54	...	233000.54

अनुमानों का ब्यौरा रक्षा सेवाओं के 'रक्षा सेवा अनुमानों' में दिया गया है। रक्षा आयुध कारखानों को 1.10.2021 से 7 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निगमित किया गया है। बजट अनुमान 2022-23 में आयुध निदेशालय (समन्वय एवं सेवाएं) के व्यय की व्यवस्था की गई है।

रक्षा मंत्रालय

मांग संख्या 21

रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	...	134304.92	134304.92	...	135060.72	135060.72	...	138850.90	138850.90	...	152369.61	152369.61
वसूलियां
प्राप्तियां
निवल	...	134304.92	134304.92	...	135060.72	135060.72	...	138850.90	138850.90	...	152369.61	152369.61
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों/परियोजनाएं												
थलसेना												
1. भूमि-थल सेना	...	55.59	55.59	...	291.00	291.00	...	407.00	407.00	...	580.00	580.00
2. निर्माण कार्य - थल सेना	...	3743.35	3743.35	...	5572.00	5572.00	...	5455.97	5455.97	...	5596.41	5596.41
3. वायुयान एवं एयरो इंजन - थल सेना	...	3581.76	3581.76	...	4223.80	4223.80	...	2495.30	2495.30	...	2070.00	2070.00
4. भारी और मध्यम वाहन	...	1358.69	1358.69	...	2673.00	2673.00	...	1942.42	1942.42	...	1817.17	1817.17
5. अन्य उपस्कर - थल सेना	...	17426.26	17426.26	...	23490.10	23490.10	...	14897.37	14897.37	...	21721.68	21721.68
6. चल स्टॉक	...	106.43	106.43	...	100.00	100.00	...	50.00	50.00	...	100.00	100.00
7. राष्ट्रीय राइफल	...	1.65	1.65	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00
8. राष्ट्रीय कैडेट कोर	...	8.21	8.21	...	15.00	15.00	...	12.00	12.00	...	13.00	13.00
9. पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना	...	5.29	5.29	...	17.00	17.00	...	17.00	17.00	...	17.00	17.00
10. सैनिक फार्म	...	-1.80	-1.80	0.03	0.03
जोड़-थलसेना	...	26285.43	26285.43	...	36481.90	36481.90	...	25377.09	25377.09	...	32015.26	32015.26
नौसेना												
11. भूमि - नौ सेना	...	4.58	4.58	...	17.00	17.00	...	12.00	12.00	...	17.00	17.00
12. निर्माण कार्य - नौ सेना	...	994.01	994.01	...	1002.00	1002.00	...	1302.00	1302.00	...	1056.31	1056.31
13. वायुयान एवं एयरो इंजन	...	9073.75	9073.75	...	5511.20	5511.20	...	8014.20	8014.20	...	5925.94	5925.94
14. भारी और मध्यम वाहन	...	25.42	25.42	...	30.00	30.00	...	15.00	15.00	...	30.00	30.00
15. अन्य उपस्कर - नौ सेना	...	7354.28	7354.28	...	5500.00	5500.00	...	7500.00	7500.00	...	6000.00	6000.00
16. नौसेना बेड़े	...	20197.98	20197.98	...	16000.00	16000.00	...	24717.00	24717.00	...	29452.00	29452.00
17. नौसेना गोदी/ परियोजनाएं	...	3433.22	3433.22	...	3989.82	3989.82	...	3489.82	3489.82	...	3842.06	3842.06

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
18. संयुक्त स्टाफ	...	583.52	583.52	...	1203.53	1203.53	...	971.52	971.52	...	1267.68	1267.68
जोड़-नौसेना	...	41666.76	41666.76	...	33253.55	33253.55	...	46021.54	46021.54	...	47590.99	47590.99
वायुसेना												
19. भूमि - वायु सेना	...	10.54	10.54	...	511.27	511.27	...	73.70	73.70	...	547.18	547.18
20. निर्माण कार्य - वायु सेना	...	1605.31	1605.31	...	2407.84	2407.84	...	2361.56	2361.56	...	2663.52	2663.52
21. वायुयान एवं एयरो इंजन - वायु सेना	...	35680.98	35680.98	...	24268.20	24268.20	...	26730.15	26730.15	...	18966.18	18966.18
22. भारी एवं मध्यम वाहन - वायु सेना	...	20.86	20.86	...	120.00	120.00	...	93.46	93.46	...	210.00	210.00
23. अन्य उपस्कर - वायु सेना	...	20370.07	20370.07	...	24481.43	24481.43	...	21883.32	21883.32	...	32308.90	32308.90
24. विशेष परियोजनाएं	...	449.77	449.77	...	1426.03	1426.03	...	688.74	688.74	...	890.87	890.87
जोड़-वायुसेना	...	58137.53	58137.53	...	53214.77	53214.77	...	51830.93	51830.93	...	55586.65	55586.65
25. रक्षा आयुध निर्माणियां	...	376.89	376.89	...	665.00	665.00	...	204.00	204.00
26. नवनिर्मित डीपीएसयू हेतु आपातकालीन प्राधिकरण	2500.00	2500.00	...	2500.00	2500.00
27. अनुसंधान एवं विकास	...	7724.30	7724.30	...	11375.50	11375.50	...	9875.50	9875.50	...	11981.81	11981.81
28. निरीक्षण-गुणवत्ता लेखा परीक्षा महानिदेशालय (डीजीक्यूए)	...	8.09	8.09	...	20.00	20.00	...	15.00	15.00	...	20.00	20.00
तकनीकी विकास -सृजन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतिकृति विकास के लिए सहायता												
29. थलसेना की परियोजनाएं	...	35.50	35.50	...	50.00	50.00	100.00	100.00
30. वायुसेना की परियोजनाएं	...	70.42	70.42	1383.84	1383.84	...	1264.90	1264.90
जोड़-तकनीकी विकास -सृजन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतिकृति विकास के लिए सहायता	...	105.92	105.92	...	50.00	50.00	...	1383.84	1383.84	...	1364.90	1364.90
लोक उद्यम में निवेश												
31. सार्वजनिक उद्यमों में निवेश	1643.00	1643.00	...	1310.00	1310.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	...	134304.92	134304.92	...	135060.72	135060.72	...	138850.90	138850.90	...	152369.61	152369.61
कुल जोड़	...	134304.92	134304.92	...	135060.72	135060.72	...	138850.90	138850.90	...	152369.61	152369.61
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	134304.92	134304.92	...	135060.72	135060.72	...	138850.90	138850.90	...	152369.61	152369.61
जोड़-सामान्य सेवाएं	...	134304.92	134304.92	...	135060.72	135060.72	...	138850.90	138850.90	...	152369.61	152369.61
कुल जोड़	...	134304.92	134304.92	...	135060.72	135060.72	...	138850.90	138850.90	...	152369.61	152369.61

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

	बजट			बजट			बजट			(₹ करोड़)		
	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
1. बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड	310.14	...	310.14	282.00	...	282.00
2. एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड	347.74	...	347.74	226.00	...	226.00
3. ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड	3.86	...	3.86	7.00	...	7.00
4. इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड	24.82	...	24.82	8.00	...	8.00
5. मुनिशन्स इंडिया लिमिटेड	696.55	...	696.55	577.00	...	577.00
6. ड्रूप कम्फर्टर्स लिमिटेड	7.04	...	7.04	7.00	...	7.00
7. यंत्र इंडिया लिमिटेड	252.85	...	252.85	203.00	...	203.00
जोड़	1643.00	...	1643.00	1310.00	...	1310.00

अनुमानों का व्यौरा रक्षा सेवाओं के 'रक्षा सेवा अनुमान' में दिया गया है। रक्षा आयुध कारखानों को 1.10.2021 से 7 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निगमित किया गया है।

रक्षा मंत्रालय
मांग संख्या 22
रक्षा पेंशन

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	128065.88	...	128065.88	115850.00	...	115850.00	116878.00	...	116878.00	119696.00	...	119696.00
वसूलियां	-0.11	...	-0.11
प्राप्तियां
निवल	128065.77	...	128065.77	115850.00	...	115850.00	116878.00	...	116878.00	119696.00	...	119696.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ												
1.01 थलसेना	111506.62	...	111506.62	99921.00	...	99921.00	100661.00	...	100661.00	102808.00	...	102808.00
1.02 नौसेना	5895.22	...	5895.22	5694.00	...	5694.00	5766.00	...	5766.00	5944.00	...	5944.00
1.03 वायुसेना	10640.07	...	10640.07	10211.00	...	10211.00	10432.00	...	10432.00	10925.00	...	10925.00
जोड़- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	128041.91	...	128041.91	115826.00	...	115826.00	116859.00	...	116859.00	119677.00	...	119677.00
2. पुरस्कार-थलसेना, नौसेना, वायुसेना	23.86	...	23.86	24.00	...	24.00	19.00	...	19.00	19.00	...	19.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	128065.77	...	128065.77	115850.00	...	115850.00	116878.00	...	116878.00	119696.00	...	119696.00
कुल जोड़	128065.77	...	128065.77	115850.00	...	115850.00	116878.00	...	116878.00	119696.00	...	119696.00
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ												
जोड़-सामान्य सेवाएं	128065.77	...	128065.77	115850.00	...	115850.00	116878.00	...	116878.00	119696.00	...	119696.00
कुल जोड़	128065.77	...	128065.77	115850.00	...	115850.00	116878.00	...	116878.00	119696.00	...	119696.00

1. **पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ:** तीन सेवाओं अर्थात् थलसेना, नौसेना और वायुसेना तथा आयुध फैक्टरियों आदि के सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिक (रक्षा असैन्य कर्मचारियों सहित) के संबंध में पेंशन प्रभारों के लिए प्रावधान किया गया है। इसमें सेवा पेंशन, ग्रेच्युटी, परिवार पेंशन, अशक्तता पेंशन, पेंशन का सांराशीकरण मूल्य, छुट्टी नकदीकरण आदि का भुगतान शामिल है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

मांग संख्या 23

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1537.64	358.35	1895.99	2031.51	652.49	2684.00	2021.51	641.49	2663.00	2140.04	670.96	2811.00
वसूलियां	-6.33	-36.00	-42.33	...	-26.00	-26.00	...	-5.00	-5.00	...	-11.00	-11.00
प्राप्तियां
निवल	1531.31	322.35	1853.66	2031.51	626.49	2658.00	2021.51	636.49	2658.00	2140.04	659.96	2800.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	14.92	...	14.92	16.51	...	16.51	17.84	...	17.84	18.41	...	18.41
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें												
2. पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें	377.15	8.67	385.82	342.55	42.00	384.55	342.50	42.00	384.50	604.42	40.00	644.42
	-6.33	...	-6.33
<i>निवल</i>	370.82	8.67	379.49	342.55	42.00	384.55	342.50	42.00	384.50	604.42	40.00	644.42
3. पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें-विशेष विकास परियोजनाएं	187.01	...	187.01	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	57.45	...	57.45
जोड़-पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें												
पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल	557.83	8.67	566.50	542.55	42.00	584.55	542.50	42.00	584.50	661.87	40.00	701.87
4. पूर्वोत्तर एवं सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल	197.28	144.56	341.84	404.50	176.45	580.95	404.50	176.45	580.95
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस)												
5.01 एनईएसआईडीएस कार्यक्रम	420.70	...	420.70	630.00	...	630.00	628.72	...	628.72	678.79	...	678.79
5.02 पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम	25.05	...	25.05	45.00	...	45.00	45.00	...	45.00	60.00	...	60.00
5.03 पूर्वोत्तर एवं सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल	550.00	130.00	680.00
<i>जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस)</i>	445.75	...	445.75	675.00	...	675.00	673.72	...	673.72	1288.79	130.00	1418.79
जोड़-पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल												
पूर्वोत्तर सड़क परियोजनाएं	643.03	144.56	787.59	1079.50	176.45	1255.95	1078.22	176.45	1254.67	1288.79	130.00	1418.79
6. पूर्वोत्तर राज्य सड़क पीएमयू (एडीबी से सहायता प्राप्त)												
6.01 परियोजना प्रबंधन इकाई	0.53	...	0.53	0.55	...	0.55	0.55	...	0.55	0.30	...	0.30
7. पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम												

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
7.01 कार्यक्रम घटक	...	135.12	135.12	...	374.04	374.04	...	374.04	374.04	...	435.96	435.96
7.02 ईएपी घटक	281.00	...	281.00	321.65	...	321.65	300.32	...	300.32	60.00	...	60.00
जोड़- पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम	281.00	135.12	416.12	321.65	374.04	695.69	300.32	374.04	674.36	60.00	435.96	495.96
जोड़-पूर्वोत्तर सड़क परियोजनाएं	281.53	135.12	416.65	322.20	374.04	696.24	300.87	374.04	674.91	60.30	435.96	496.26
विशेष विकास पैकेज												
8. बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद	11.00	...	11.00	3.31	...	3.31	30.00	...	30.00
9. कार्बी आंगलांग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद	21.55	...	21.55	37.75	...	37.75	67.44	...	67.44	40.00	...	40.00
10. दीमा हसाओ प्रादेशिक परिषद	12.45	...	12.45	22.00	...	22.00	35.00	...	35.00
जोड़-विशेष विकास पैकेज	34.00	...	34.00	70.75	...	70.75	70.75	...	70.75	105.00	...	105.00
11. पूर्वोत्तर उद्यम विकास स्कीम (नीडस) पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम को ऋण	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	40.00	40.00	...	50.00	50.00
12. सामाजिक और अवसरचर्चागत विकास निधि	...	36.00	36.00	...	26.00	26.00	...	5.00	5.00	...	11.00	11.00
	...	-36.00	-36.00	...	-26.00	-26.00	...	-5.00	-5.00	...	-11.00	-11.00
<i>निवल</i>
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	1516.39	318.35	1834.74	2015.00	622.49	2637.49	1992.34	632.49	2624.83	2115.96	655.96	2771.92
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
13. पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	11.33	2.00	13.33	5.67	2.00	7.67
14. पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि.	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	11.33	4.00	15.33	5.67	4.00	9.67
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	11.33	4.00	15.33	5.67	4.00	9.67
कुल जोड़	1531.31	322.35	1853.66	2031.51	626.49	2658.00	2021.51	636.49	2658.00	2140.04	659.96	2800.00
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	14.92	...	14.92	16.51	...	16.51	17.84	...	17.84	18.41	...	18.41
2. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	19.74	...	19.74	20.59	...	20.59	20.59	...	20.59	22.59	...	22.59
जोड़-सामान्य सेवाएं	34.66	...	34.66	37.10	...	37.10	38.43	...	38.43	41.00	...	41.00
आर्थिक सेवाएं												
3. ग्राम और लघु उद्योग के लिए ऋण	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00
4. उद्योग और खनिजों को अन्य ऋण	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	40.00	40.00	...	50.00	50.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	...	34.00	34.00	...	34.00	34.00	...	44.00	44.00	...	54.00	54.00
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	776.66	...	776.66	952.51	...	952.51	962.51	...	962.51	1816.59	...	1816.59
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	719.99	...	719.99	1041.90	...	1041.90	1020.57	...	1020.57	282.45	...	282.45
7. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	...	288.35	288.35	...	592.49	592.49	...	592.49	592.49	...	605.96	605.96

10. **दीमा हसाओ प्रादेशिक परिषद:** यह एक विशेष विकास पैकेज है जिसके माध्यम से इस क्षेत्र की अवसंरचनागत एवं विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।
11. **पूर्वोत्तर उद्यम विकास स्कीम (नीडस) पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम को ऋण:** पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. (नेडफी) को गुवाहाटी स्थित इसके पंजीकृत कार्यालय के साथ 9 अगस्त 1995 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में निगमित किया गया था। नेडफी का उद्देश्य इस क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल अर्थक्षम औद्योगिक अवसंरचनागत एवं कृषि-उद्यानिकी परियोजनाओं की पहचान, वित्तपोषण और संवर्धन द्वारा इस क्षेत्र में आर्थिक विकास की गति को तेज करना है। इसका नाम बदलकर उत्तर पूर्व उद्यम विकास योजना (एनईईडीएस) कर दिया गया है। यह प्रावधान नेडफी को दीर्घकालिक सरल ऋण प्रदान करने के लिए किया गया है।
12. **सामाजिक और अवसंरचनागत विकास निधि:** यह एक विशेष निधि है जिसके माध्यम से अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में अवसंरचनागत सुविधाओं का निर्माण एवं उन्नयन किया जाता है।
13. **पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम:** पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (नेरामेक) एक केन्द्रीय लोक उपक्रम है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि एवं बागवानी उत्पादों के खाद्य प्रसंस्करण एवं व्यापार को बढ़ावा देने का कार्य करता है। यह प्रावधान इसके व्यापार क्रियाकलापों के लिए निगम द्वारा कार्यशील पूंजी का उपयोग करने के लिए और 18 अगस्त, 2021 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन लिमिटेड (एनईआरएएमएसी) के पुनरुद्धार के लिए व्यय को पूरा करने के लिए भी किया गया है।
14. **पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि.:** पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम (एनईएचएचडीसी) को मार्च 1977 में इस क्षेत्र के निर्मित उत्पादों के उत्पाद तथा डिजाइन विकास, प्रशिक्षण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा उत्पादों के विपणन के लिए विकासात्मक एवं संवर्धनात्मक इनपुट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। मंत्रालय प्रदर्शनियों में भागीदारी आदि जैसे संवर्धनात्मक क्रियाकलापों में होने वाली नकदी हानि की भरपाई के लिए एनईएचएचडीसी को ऋण मुहैया कराता है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
मांग संख्या 24
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1218.26	69.70	1287.96	1738.69	163.00	1901.69	2150.10	224.00	2374.10	2207.94	450.00	2657.94
वसूलियां	-13.36	-0.06	-13.42	-4.56	...	-4.56	-4.56	...	-4.56	-4.43	...	-4.43
प्राप्तियां
निवल	1204.90	69.64	1274.54	1734.13	163.00	1897.13	2145.54	224.00	2369.54	2203.51	450.00	2653.51
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	34.96	...	34.96	42.00	...	42.00	562.81	...	562.81	46.60	...	46.60
2. मौसम विज्ञान	415.44	...	415.44	442.72	...	442.72	469.75	...	469.75	514.03	...	514.03
	-3.27	...	-3.27	-4.56	...	-4.56	-4.56	...	-4.56	-4.43	...	-4.43
निवल	412.17	...	412.17	438.16	...	438.16	465.19	...	465.19	509.60	...	509.60
3. समुद्रविज्ञानीय सर्वेक्षण (ओआरवी तथा एफओआरवी) तथा समुद्र सजीव संसाधन (एमएलआर)	9.00	...	9.00	25.00	...	25.00	24.56	...	24.56	9.00	...	9.00
4. राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ.)	11.13	...	11.13	12.80	...	12.80	12.40	...	12.40	14.00	...	14.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	467.26	...	467.26	517.96	...	517.96	1064.96	...	1064.96	579.20	...	579.20
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
5. समुद्री सेवाएं, मॉडेलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी (ओ-स्मार्ट)	227.60	5.85	233.45	421.17	15.00	436.17	384.00	10.00	394.00	435.00	25.00	460.00
6. वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-मॉडेलिंग प्रेक्षण प्रणालियां तथा सेवाएं (एकरॉस)	166.98	50.86	217.84	337.00	123.00	460.00	180.00	159.00	339.00	260.00	200.00	460.00
7. ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फियर (पेसर)	109.64	...	109.64	115.00	...	115.00	108.00	...	108.00	140.24	...	140.24
8. भूकंप विज्ञान और भूगर्भविज्ञान (सेज)	25.75	12.99	38.74	85.00	25.00	110.00	47.17	25.00	72.17	75.00	25.00	100.00
9. अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण लोक संपर्क (रीचआउट)	34.52	...	34.52	60.00	...	60.00	58.00	...	58.00	65.00	...	65.00
10. डीप ओशियन मिशन (डीओएम)	120.00	30.00	150.00	450.00	200.00	650.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	564.49	69.70	634.19	1018.17	163.00	1181.17	897.17	224.00	1121.17	1425.24	450.00	1875.24
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
11. भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (इंफोइस)	22.60	...	22.60	24.50	...	24.50	22.81	...	22.81	25.80	...	25.80
12. राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एन. आई. ओ.टी.)	43.00	...	43.00	49.25	...	49.25	42.90	...	42.90	49.40	...	49.40
13. राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर), गोवा	21.72	...	21.72	24.00	...	24.00	21.60	...	21.60	23.67	...	23.67
14. भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आई.आई.टी.एम.)	83.42	...	83.42	84.25	...	84.25	83.10	...	83.10	86.30	...	86.30
15. राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र (एन सेस)	12.50	...	12.50	16.00	...	16.00	13.00	...	13.00	13.90	...	13.90
जोड़-स्वायत्त निकाय	183.24	...	183.24	198.00	...	198.00	183.41	...	183.41	199.07	...	199.07
अन्य												
16. वास्तविक वसूलियां	-10.09	-0.06	-10.15
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	173.15	-0.06	173.09	198.00	...	198.00	183.41	...	183.41	199.07	...	199.07
कुल जोड़	1204.90	69.64	1274.54	1734.13	163.00	1897.13	2145.54	224.00	2369.54	2203.51	450.00	2653.51
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. समुद्र विज्ञान अनुसंधान	432.89	...	432.89	658.92	...	658.92	723.87	...	723.87	1133.11	...	1133.11
2. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	44.50	...	44.50	72.80	...	72.80	70.40	...	70.40	79.00	...	79.00
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	34.95	...	34.95	42.00	...	42.00	562.81	...	562.81	46.60	...	46.60
4. मौसम विज्ञान	692.56	...	692.56	960.41	...	960.41	788.46	...	788.46	944.80	...	944.80
5. समुद्र विज्ञान अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	...	5.85	5.85	...	15.00	15.00	...	40.00	40.00	...	225.00	225.00
6. मौसम विज्ञान पर पूंजीगत परिव्यय	...	63.79	63.79	...	148.00	148.00	...	184.00	184.00	...	225.00	225.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	1204.90	69.64	1274.54	1734.13	163.00	1897.13	2145.54	224.00	2369.54	2203.51	450.00	2653.51
कुल जोड़	1204.90	69.64	1274.54	1734.13	163.00	1897.13	2145.54	224.00	2369.54	2203.51	450.00	2653.51

1. **सचिवालय:** बजट प्रावधान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विभागीय लेखाकन संगठन को शामिल करते हुए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए आवश्यक है।

2. **मौसम विज्ञान:** भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) मौसम विज्ञान, भूकंप विज्ञान और संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है। प्राथमिक उद्देश्य हैं:- (i) मौसम संबंधी प्रेक्षण और कृषि, सिंचाई, विमानन, तीर्थयात्रा आदि जैसी मौसम-संबंधित गतिविधियों के इष्टतम संचालन के लिए वर्तमान और पूर्वानुमान मौसम संबंधी सूचना प्रदान करना। (ii) उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, धूल भरे तूफानों, भारी बारिश और बर्फ, शीत और लू आदि जैसी प्रचंड मौसम की घटनाओं, जिनके कारण जान और माल की हानि होती है, की चेतावनी देना, तथा (iii) विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कस्टरमाइज्डी मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वायु प्रदूषण निगरानी और पूर्वानुमान के क्षेत्र में देश के अन्य वैज्ञानिक संगठनों के साथ संपर्क बनाए रखना।

3. **समुद्रविज्ञानीय सर्वेक्षण (ओआरवी तथा एफओआरवी) तथा समुद्र सजीव संसाधन (एमएलआर):** केन्द्रीय हिन्द महासागर बेसिन तथा दक्षिणी महासागर सहित अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में सजीव एवं गैर-सजीव दोनों संसाधनों के अन्वेषण के लिए बहुविध महासागरीय अनुसंधान और सर्वेक्षण करने के लिए समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान (ओआरवी) सागर कन्या और मत्स्यिकी समुद्र-वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान

(एफओआरवी) –सागर सम्पदा प्रमुख प्लेटफॉर्म रहे हैं। समुद्री सजीव संसाधन (एमएलआर) कार्यक्रम का प्रारंभ गहरे समुद्र मात्स्यिकी संसाधनों का आकलन करने तथा भौतिक और जैविक अन्वेषणकार्यों को स्पष्ट करने के लिए किया गया था। भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र से दोहन योग्य संसाधन का अनुमान लगाने के लिए इन कार्यक्रमों के तहत आकलन सर्वेक्षण तथा मॉनीटरिंग कार्यकलाप अत्यावश्यक हैं। समुद्री सजीव संसाधन तथा पारिस्थितिकी केन्द्र (सीएमएलआरई) ने उपग्रह तथा स्व-स्थाने डेटा का उपयोग करके भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में 4.32 एमटीए की मत्स्य संभावना का व्यवस्थित रूप से अनुमान लगाया है।

4. **राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ.):** राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र लगातार अनुसंधान और विकास के माध्यम से भारत और पड़ोसी क्षेत्रों में अधिक विश्वसनीयता और सटीकता के साथ उन्नत संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान प्रणालियां विकसित कर रहा है तथा नए एवं नवीन अनुप्रयोगों का प्रदर्शन कर रहा है, ज्ञान, कौशल और तकनीकी आधारों के उच्चतम स्तर को बनाए रख रहा है। एनसीएमआरडब्ल्यूएफ की रीयल-टाइम डेटा समावेशन प्रणाली रीयल-टाइम निर्वाध मौसम पूर्वानुमान मॉडलों को चलाने के लिए प्रारंभिक स्थितियां तैयार करती है जो दिनों से लेकर ऋतुओं तक पूर्वानुमान देती है और आईएमडी के पूर्वानुमानकर्ताओं को मूल्यांकन मार्गदर्शन प्रदान करती है। एनसीएमआरडब्ल्यूएफ में चलाए जा रहे उच्च विभेदन वैश्विक और क्षेत्रीय एनसेंबल पूर्वानुमान मॉडलों का उपयोग प्रचंड मौसम चेतावनी के लिए संभावित पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए प्रचालनात्मक रूप से किया जा रहा है।

5. **समुद्री सेवाएं, मॉडेलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी (ओ-स्मार्टी):** समुद्री क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रमों में शामिल हैं (i) भारत के आसपास के समुद्रों से समय-श्रृंखला डेटा प्राप्त करने के लिए महासागर प्रेक्षण नेटवर्क के एक सैट को बनाए रखना और मजबूत करना। यह नियमित निगरानी, उपग्रह डेटा को मान्य बनाने और समुद्री वायुमंडलीय मॉडल हेतु महत्वपूर्ण इनपुट के लिए उपयोगी है। वे समुद्र की गतिशीलता, जलवायु परिवर्तनशीलता, समुद्र दशा का पूर्वानुमान, समुद्र तल की विविधताओं, समुद्र प्रवाह अध्ययन आदि की बेहतर समझ में मदद करते हैं। (ii) भारत और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के लिए बुलेटिन जारी करने के लिए समुद्र सूचना सेवाओं, का सैट प्रदान करना समुद्री सजीव संसाधनों की जैव विविधता का आकलन, भारत के तटीय जलस्वास्थ्य की आवधिक निगरानी, तटीय समुद्री क्षेत्र का प्रबंधन, 24X7 आधार पर प्रचालन सुनामी चेतावनी प्रणाली प्रदान करना है। (iii) ईईजेड में स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और हिंद महासागर के गहरे समुद्र खनिज संसाधनों की खोज की जा रही है। इनमें गैस हाइड्रेट्स, पॉली-मेटैलिक नोड्यूल्स, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड मिनरल्स, कोबाल्ट क्रस्ट्स शामिल हैं, जिनमें हिंद महासागर के मध्य महासागरीय क्षेत्रों में उपलब्ध मूल्यवान उत्तम धातुएं हैं, (iv) अनुसंधान और विकासात्मक गतिविधियों को शुरू करने के लिए अनुसंधान जलयानों का संचालन और रखरखाव, (v) समुद्री ऊर्जा, गहरे समुद्र में खनन, तटीय पर्यावरण इंजीनियरिंग और समुद्री इंस्ट्रुमेंटेशन, समुद्र तटीय सुविधा, और मानव रहित पनडुब्बी के संचालन के लिए समुद्र प्रौद्योगिकी का विकास। दूर से संचालित होने वाले उप समुद्र स्व-स्थाने मृदा परीक्षक (रोसिस) और पनडुब्बी विकसित किए गए हैं।
6. **वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-मॉडेलिंग प्रेक्षण प्रणालियां तथा सेवाएं (एकरॉस):** यह कार्यक्रम (i) निगरानी की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला अर्थात् कृषि, विमानन, शहर के पूर्वानुमान, रक्षा और खेल, और देश में मौसम और जलवायु संबंधी सेवाओं को एकीकृत करने और उनमें सुधार करने के एक केंद्रित उद्देश्य के साथ पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए एक समर्पित पूर्वानुमान प्रणाली की स्थापना सहित आपदा तैयारी प्रदान करने के लिए वायुमंडलीय प्रेक्षण प्रणालियों को बनाए रखने और मजबूत करने से संबंधित है (ii) भारत में मानसून के मौसम और जलवायु पूर्वानुमान के लिए आवश्यक वायुमंडलीय मॉडल के एक सेट के विकास के लिए पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों डेटा लघु और मध्यम श्रेणी से लेकर मौसमी पैमाने तक के अलग-अलग समय और स्थान के पैमाने पर गंभीर मौसम जैसे चक्रवात भारी बारिश, तुफान, बाढ़, लू, कोहरा और हवा की गुणवत्ता, एरोसोल और बादलों की सूक्ष्म भौतिक विशेषताएं और संबंधित पर्यावरणीय परिस्थितियों के विशिष्ट पूर्वानुमान आत्मसात करना (iii) जलवायु दीर्घकालिक (बहुदशकीय) सिमुलेशन के कारण जल और अन्य जलवायु सेवाओं के कई ऐतिहासिक और क्षेत्रीय परिदृश्य उत्पन्न करने के लिए जलवायु परिवर्तन अनुसंधान करना, बदलते जल चक्र और पुरापाषाणकालीन अध्ययनों की समझ बढ़ाने के लिए अनुसंधान करना। (iv) सभी मॉडलिंग गतिविधियों, पूर्वानुमान, डेटा सेंटर और डेटा एनालिटिक्स, पर्यावरणीय प्रेक्षणों के लिए हवाई प्लेटफॉर्म सुविधाओं को शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के 24X7 आधार पर संचालन और रखरखाव।
7. **ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फियर (पेसर):** इस कार्यक्रम को अंटार्कटिक, आर्कटिक, दक्षिणी महासागर और हिमालय पर विशेष जोर देने के साथ ध्रुवीय और हिमामंडलसे संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कार्यक्रम (i) ध्रुवीय क्षेत्र और आसपास के महासागरों में देश के रणनीतिक और वैज्ञानिक हितों को सुनिश्चित करने से संबंधित है (ii) अंटार्कटिका, आर्कटिक, हिमालय और दक्षिणी महासागर में दीर्घावधि के फ्रंटलाइन वैज्ञानिक कार्यक्रमों को जारी रखने (iii) भारतीय अंटार्कटिक, आर्कटिक, हिमालय, दक्षिणी महासागर अभियानों की वार्षिक योजना बनाने समन्वय और कार्यान्वयन से संबंधित है। (iv) अंटार्कटिका, आर्कटिक और हिमालय में भारतीय अनुसंधान केंद्रों का रखरखाव और (v) देश में एक अत्याधुनिक ध्रुवीय अनुसंधान और रसद सुविधाओं की स्थापना।
8. **भूकंप विज्ञान और भूगर्भविज्ञान (सेज):** यह कार्यक्रम (i) भूकंप और इससे संबंधित मुद्दों, भूकंपीय जोखिम मूल्यांकन और सूक्ष्मीकरण पर निगरानी और जानकारी प्रदान करने के लिए भूकंपीय प्रेक्षण प्रणालियों को बनाए रखने और मजबूत करने, (ii) भूकंप विज्ञान, ठोस-पृथ्वी और भूविज्ञान से संबंधित अनुसंधान है। (iii) भूगतिकी और सतह प्रक्रियाएं (iv) कोयना-वरना क्षेत्र में गहरे बोर होल की जांच (v) एकीकृत महासागर ड्रिलिंग कार्यक्रम के माध्यम से समुद्री भू वैज्ञानिक अध्ययन, सबसे बड़े जियोडड लो, गहरे समुद्र में ड्रिलिंग का अध्ययन और इतिहासपुनर्निर्माण के लिए और जलवायु परिवर्तन, कटाव की दर आदि संबंधित अध्ययन (vi) भू-कालक्रम सुविधा की स्थापना से संबंधित है।

9. **अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण लोक संपर्क (रीचआउट):** प्रौद्योगिकी विकास सहित पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अकादमिक / अनुसंधान संगठनों को अतिरिक्त बाह्य सहायता प्रदान करना (ii) बहु संस्थागत और बहु विषयक वैज्ञानिक विशेषज्ञता एकीकरण के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में केंद्रित अनुसंधान को बढ़ावा देना। (iii) राष्ट्रीय सुविधाओं की स्थापना का समर्थन (iv) पीठ प्रोफेसरो सहित क्षमता निर्माण, एम.टेक पाठ्यक्रम, ईएसटीसी सेल की स्थापना, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सेवाओं के आर्थिक लाभों का मूल्यांकन (v) बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (विम्सटेक) संगठन के लिए पहल के सदस्य देशों के लिए प्रशिक्षण (vi) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संबंधित संयुक्त गतिविधियां मेलों / प्रदर्शनियों में भागीदारी के माध्यम से जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम, विशिष्ट दिवस मनाना, पृथ्वी प्रणाली विज्ञान से संबंधित क्षेत्रों में कार्यशालाओं / सेमिनार/ संगोष्ठियों को बढ़ावा देना / सहायता करना। (vii) पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में कुशल जनशक्ति का विकास, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अनुसंधान फेलो कार्यक्रम (ix) प्रचालन समुद्रविज्ञान अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र और (x) पृथ्वी प्रणाली विज्ञान नॉलेज रिसोर्स सिस्टम का सृजन और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और इसके सभी संस्थानों में नॉलेज रिसोर्स सेंटर (केआरसी) की स्थापना।

10. **डीप ओशियन मिशन (डीओएम):** डीप ओशन मिशन का उद्देश्य समुद्र की गहराईयों में छिपे संसाधनों का अन्वेषण करना तथा उनके संवहनीय उपयोग हेतु प्रौद्योगिकियां विकसित करना है। इस मिशन की छह प्रमुख थीम हैं, इनके नाम हैं (i) गहरे समुद्र में खनन, मानवयुक्त पनडुब्बियों, तथा अंडरवॉटर रोबोटिक्स के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना; (ii) महासागर जलवायु परिवर्तन परामर्श सेवाओं का विकास (iii) गहरे-समुद्र की जैवविविधता के अन्वेषण एवं संरक्षण हेतु प्रौद्योगिकीगत नवप्रवर्तन (iv) गहरे समुद्र का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण; (v) समुद्र से ऊर्जा एवं पेयजल (vi) समुद्री जीव विज्ञान हेतु उन्नत समुद्री केन्द्र। इस मिशन के प्रमुख कार्यों में गहरे समुद्र तलों की मैपिंग तथा प्रौद्योगिकियों का विकास किया जाना है जैसे कि समुद्र में 6000 मीटर जल की गहराई की रेटिंग वाली मानवयुक्त पनडुब्बियां, गहरे समुद्र में खनन हेतु खनन प्रणाली, गहरे समुद्र में मौजूद जैव संसाधनों का संवहनीय उपयोग, तथा अपतटीय ऊष्मीय ऊर्जा-चलित विलवणीकरण संयंत्रों हेतु अभियांत्रिकी विन्यास विकसित करना। अनुसंधान को औद्योगिक अनुप्रयोगों में रूपांतरित करने के द्वारा समुद्री जैविकी एवं अभियांत्रिकी में मानव क्षमता विकसित की जाएगी।

11. **भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (इंकोइस):** यह संस्थान सतत समुद्री प्रेक्षणों के माध्यम से समाज, उद्योग, सरकार एवं वैज्ञानिक समुदाय को समुद्री सूचना एवं परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है तथा योजनाबद्ध एवं सेंकेंद्रित अनुसंधान द्वारा लगातार सुधार करता है।

12. **राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एन. आई. ओ.टी.):** पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एन.आई.ओ.टी. का प्रमुख उद्देश्य विश्वसनीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित करना है, ताकि भारत के लगभग दो तिहाई भू-भाग में फैले भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में सजीव एवं निर्जीव संसाधनों के दोहन से जुड़ी विभिन्न अभियांत्रिक समस्याओं का समाधान किया जा सके।

13. **राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर), गोवा:** एनसीपीओआर ध्रुवीय एवं दक्षिणी महासागर क्षेत्रों में देश की अनुसंधान गतिविधियों के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संस्थान है। संस्थान के प्रमुख उद्देश्य ध्रुवीय एवं समुद्री विज्ञान, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, एक्सटेंडेड कॉन्टीनेंटल शेल्फ तथा अरब महासागर में डीप सी ड्रिलिंग इत्यादि हैं।

14. **भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आई.आई.टी.एम.):** आईआईटीएम मौसम एवं जलवायु पूर्वानुमानों में सुधार, तथा जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों के आकलन एवं दीर्घकालिक पूर्वानुमान हेतु पृथ्वी प्रणाली मॉडल के विकास हेतु आवश्यक समुद्री-वायुमण्डल जलवायु प्रणाली पर आधारभूत अनुसंधान करता है। इन्हें सुसंगत वैज्ञानिक कार्यक्रम (प्रेक्षण एवं मॉडलिंग समेत) संचालित करने के द्वारा समुद्री-वायुमण्डल में अनुसंधान के उन्नतीकरण, तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने के साथ ही अत्याधुनिक अनुसंधान संचालित करने हेतु मानव संसाधन विकास में सतत निवेश करने के माध्यम से हासिल किया जाता है।

15. **राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र (ऐन सेस):** एनसेस ठोस पृथ्वी विज्ञान के उभरते क्षेत्रों में बहुविधात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देता है, पृथ्वी विज्ञान अनुप्रयोगों में इस ज्ञान का उपयोग करने के द्वारा सेवाएं प्रदान करता है, तथा चुने हुए क्षेत्रों में नेतृत्व क्षमताएं निर्मित करता है।

शिक्षा मंत्रालय
मांग संख्या 25
विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	84013.96	...	84013.96	103673.66	...	103673.66	96969.95	...	96969.95	111549.37	...	111549.37
वसूलियां	-32172.32	...	-32172.32	-48800.00	...	-48800.00	-45000.00	...	-45000.00	-48100.00	...	-48100.00
प्राप्तियां
निवल	51841.64	...	51841.64	54873.66	...	54873.66	51969.95	...	51969.95	63449.37	...	63449.37
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	26.08	...	26.08	30.00	...	30.00	31.69	...	31.69	35.00	...	35.00
2. प्रौढ शिक्षा निदेशालय	2.20	...	2.20	3.00	...	3.00	2.61	...	2.61	3.00	...	3.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	28.28	...	28.28	33.00	...	33.00	34.30	...	34.30	38.00	...	38.00
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
3. शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार	0.68	...	0.68	1.50	...	1.50	1.00	...	1.00	5.00	...	5.00
4. राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना												
4.01 राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम को सहायता	350.00	...	350.00	284.20	...	284.20	350.00	...	350.00
4.02 सकल बजट सहायता से सहायता	146.00	...	146.00
4.03 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से सहायता	175.11	...	175.11
जोड़- राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना	321.11	...	321.11	350.00	...	350.00	284.20	...	284.20	350.00	...	350.00
5. राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना												
5.01 बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रोत्साहन स्कीम के लिए सहायता	1.00	...	1.00
5.02 सकल बजट सहायता से सहायता	0.17	...	0.17
जोड़- राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना	0.17	...	0.17	1.00	...	1.00
6. ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड (ओडीबी)	1.00	...	1.00
7. प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम (ध्रुव)	10.00	...	10.00	1.00	...	1.00	3.26	...	3.26
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	321.96	...	321.96	363.50	...	363.50	286.20	...	286.20	358.26	...	358.26
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
8. केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)												

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8.01	6800.00	...	6800.00	6800.00	...	6800.00	7650.00	...	7650.00
8.02	2000.00	...	2000.00
8.03	2100.00	...	2100.00
8.04	2336.00	...	2336.00
<i>जोड़- केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)</i>	<i>6436.00</i>	...	<i>6436.00</i>	<i>6800.00</i>	...	<i>6800.00</i>	<i>6800.00</i>	...	<i>6800.00</i>	<i>7650.00</i>	...	<i>7650.00</i>
9. नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)												
9.01	3800.00	...	3800.00	3740.00	...	3740.00	4115.00	...	4115.00
9.02	3478.87	...	3478.87
<i>जोड़- नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)</i>	<i>3478.87</i>	...	<i>3478.87</i>	<i>3800.00</i>	...	<i>3800.00</i>	<i>3740.00</i>	...	<i>3740.00</i>	<i>4115.00</i>	...	<i>4115.00</i>
10. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)	388.42	...	388.42	500.00	...	500.00	452.00	...	452.00	510.00	...	510.00
11. केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए)	69.19	...	69.19	70.00	...	70.00	61.95	...	61.95	62.00	...	62.00
12. राष्ट्रीय बाल भवन	15.48	...	15.48	22.00	...	22.00	19.00	...	19.00	22.00	...	22.00
13. राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) को अंतरण	2000.00	...	2000.00	4800.00	...	4800.00	3000.00	...	3000.00
14. राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरी की गई राशि	-2000.00	...	-2000.00	-4800.00	...	-4800.00	-3000.00	...	-3000.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	10387.96	...	10387.96	11192.00	...	11192.00	11072.95	...	11072.95	12359.00	...	12359.00
अन्य												
15. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष को अंतरण	7000.00	...	7000.00	7000.00	...	7000.00	10100.00	...	10100.00
16. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी की गई राशि	-7000.00	...	-7000.00	-7000.00	...	-7000.00	-10100.00	...	-10100.00
जोड़-अन्य
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	10387.96	...	10387.96	11192.00	...	11192.00	11072.95	...	11072.95	12359.00	...	12359.00
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं												
राष्ट्रीय शिक्षा मिशन												
17. समग्र शिक्षा												
17.01	31050.15	...	31050.15	29999.99	...	29999.99	37383.35	...	37383.35
17.02	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
17.03	27834.57	...	27834.57
<i>जोड़- समग्र शिक्षा</i>	<i>27834.57</i>	...	<i>27834.57</i>	<i>31050.16</i>	...	<i>31050.16</i>	<i>30000.00</i>	...	<i>30000.00</i>	<i>37383.36</i>	...	<i>37383.36</i>
18. अध्यापक प्रशिक्षण तथा प्रौढ़ शिक्षा												
18.01	78.16	...	78.16	250.00	...	250.00	2.75	...	2.75
18.02	10.49	...	10.49
18.03	127.00	...	127.00
<i>जोड़- अध्यापक प्रशिक्षण तथा प्रौढ़ शिक्षा</i>	<i>88.65</i>	...	<i>88.65</i>	<i>250.00</i>	...	<i>250.00</i>	<i>2.75</i>	...	<i>2.75</i>	<i>127.00</i>	...	<i>127.00</i>

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़
जोड़-राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	27923.22	...	27923.22	31300.16	...	31300.16	30002.75	...	30002.75	37510.36	...	37510.36
राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम												
19. राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम												
19.01 विद्यालयों में राष्ट्रीय मिड डे मील कार्यक्रम को सहायता	11500.00	...	11500.00	10233.75	...	10233.75
19.02 सकल बजटीय सहायता से सहायता	12878.15	...	12878.15
जोड़- राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	12878.15	...	12878.15	11500.00	...	11500.00	10233.75	...	10233.75
20. प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)	10233.75	...	10233.75
21. एस्पायर (परिणामों के सुधार हेतु राज्य शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा)	600.00	...	600.00
22. प्रतिमान	1800.00	...	1800.00
23. राज्यों के लिए शिक्षण-ज्ञान अर्जन और परिणाम सुदृढीकरण-ईएपी	91.77	...	91.77	485.00	...	485.00	340.00	...	340.00	550.00	...	550.00
24. प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) को अंतरण	30168.34	...	30168.34	37000.00	...	37000.00	35000.00	...	35000.00	38000.00	...	38000.00
25. प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) से पूरी की गई राशि	-30168.34	...	-30168.34	-37000.00	...	-37000.00	-35000.00	...	-35000.00	-38000.00	...	-38000.00
अल्पसंख्यक विकास अम्ब्रीला कार्यक्रम												
26. मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना	214.28	...	214.28
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	41107.42	...	41107.42	43285.16	...	43285.16	40576.50	...	40576.50	50694.11	...	50694.11
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
27. वास्तविक वसूलियां	-3.98	...	-3.98
कुल जोड़	51841.64	...	51841.64	54873.66	...	54873.66	51969.95	...	51969.95	63449.37	...	63449.37
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. सामान्य शिक्षा	11041.10	...	11041.10	15127.77	...	15127.77	15157.21	...	15157.21	17735.95	...	17735.95
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	26.04	...	26.04	30.00	...	30.00	31.69	...	31.69	35.00	...	35.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	11067.14	...	11067.14	15157.77	...	15157.77	15188.90	...	15188.90	17770.95	...	17770.95
अन्य												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	4919.77	...	4919.77	4878.92	...	4878.92	5895.37	...	5895.37
4. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	39950.08	...	39950.08	33480.11	...	33480.11	30161.10	...	30161.10	37929.50	...	37929.50
5. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	824.42	...	824.42	1316.01	...	1316.01	1741.03	...	1741.03	1853.55	...	1853.55
जोड़-अन्य	40774.50	...	40774.50	39715.89	...	39715.89	36781.05	...	36781.05	45678.42	...	45678.42
कुल जोड़	51841.64	...	51841.64	54873.66	...	54873.66	51969.95	...	51969.95	63449.37	...	63449.37

(₹ करोड़)

बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
------------	----------------	------	------------	----------------	------	------------	----------------	------	------------	----------------	------

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़			(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद	495.00	495.00
जोड़	495.00	495.00

1. **सचिवालय:** इसमें विभाग के सचिवालय व्यय का प्रावधान होता है।

2. **प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय:** प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (डीएई) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करता आ रहा है। इस निदेशालय की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में देश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों को अकादमिक और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी।

3. **शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार:** वर्ष 1958 में स्थापित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्राथमिक, मिडिल तथा माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत मेधावी शिक्षकों को सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष 5 सितम्बर (शिक्षक दिवस) को प्रदान किए जाते हैं।

4. **राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना:** राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना, जो वर्ष 2008 में आरंभ की गई थी, में कक्षा IX स्तर पर 6000/- रुपये प्रतिवर्ष (500/- रुपये प्रतिमास) की एक लाख छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रावधान है जो पात्रता मानदंडों को पूरा करने की शर्त पर कक्षा XII तक जारी रह सकती हैं। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना है ताकि उनमें कक्षा VIII में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम किया जा सके और उन्हें माध्यमिक स्तर अर्थात् कक्षा XII तक पढ़ाई जारी रखने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। इस योजना में, संशोधित अनुमान 2021-22 और बजट अनुमान 2022-23 में माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) का प्रावधान क्रमशः रु 250 करोड़ और रु. 300 करोड़ है।

5. **राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना:** वर्ष 2006-07 के लिए बजट पेश करते समय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रही बालिकाओं को प्रोत्साहन प्रदान करने की योजना वर्ष 2008-09 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य एक ऐसे समर्थकारी परिवेश की स्थापना करना है कि स्कूल बीच में छोड़ने की दर को कम किया जा सके और अ.जा./अ.ज.जा. समुदायों की बालिकाओं का माध्यमिक स्कूलों में नामांकन बढ़ाकर उन्हें वहां बनाए रखने को सुनिश्चित किया जा सके।

6. **ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड (ओडीबी):** ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड योजना में शिक्षण और अध्ययन के लिए कक्षा-केंद्रिक डिजिटल पहल का प्रावधान है तथा इसे देश के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा IX से XII के लिए कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

7. **प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम (ध्रुव):** यह योजना अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध/ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों द्वारा चुनिंदा प्रतिभावान छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक पहल है।

8. **केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस):** केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना वर्ष 1965 में एक पंजीकृत निकाय के रूप में की गई थी जो केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना, नियंत्रण तथा उनके प्रबंधन के लिए पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थानांतरणीय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस योजना में, संशोधित अनुमान 2021-22 और बजट अनुमान 2022-23 में माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) का प्रावधान क्रमशः रु 1000 करोड़ और रु. 2500 करोड़ है। राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ) का प्रावधान संशोधित अनुमान 2021-22 में रु 3000 करोड़ है।

9. **नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस):** आवासीय स्कूलों की स्थापना के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (वर्ष 1992 में यथासंशोधित) के अनुसरण में, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जा सके, 1986 में भारत सरकार द्वारा देश के प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) खोलने की एक केन्द्रीय योजना आरंभ की गई थी। ये जेएनवी नवोदय विद्यालय समिति नामक एक स्वायत्त संगठन द्वारा चलाई जाती है जिसकी स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत, वर्ष 1986 में की गई थी। एनवीएस योजना में संशोधित अनुमान 2021-22 और बजट अनुमान 2022-23 में माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) का प्रावधान क्रमशः रु 2000 करोड़ और रु. 2300 करोड़ है।

10. **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी):** राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की स्थापना, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1961 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षा विभागों को शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यवाही को अंतिम रूप देने सहित उनकी नीतियों और प्रमुख कार्यक्रमों को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के लिए, विशेषकर स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता युक्त सुधार लाने हेतु सलाह तथा सहायता देने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।

11. **केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए):** केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए) वर्ष 1961 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। इस प्रशासन का मुख्य उद्देश्य हमारे देश के विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों में फैले हुए तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है।

12. **राष्ट्रीय बाल भवन:** राष्ट्रीय बाल भवन (एनबीवी), नई दिल्ली की स्थापना भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की पहल पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 1956 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी जो शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित है। राष्ट्रीय बाल भवन 5-16 वर्षों के आयु समूह के बच्चों विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों में सृजनात्मकता हासिल करने की दिशा में अपना योगदान करता आ रहा है।

17. **समग्र शिक्षा:** पूर्ववर्ती सर्वे शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढीकरण योजनाओं को समग्र शिक्षा योजना में विलय कर दिया गया है। विलय का आशय विद्यालयी शिक्षा को सर्वांगीण दृष्टिकोण प्रदान करना है। इस योजना में, संशोधित अनुमान 2021-22 में, प्राथमिक शिक्षा कोष (पीएसके) और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) का प्रावधान क्रमशः रु 25000 करोड़ और रु. 3750 करोड़ है। बजट अनुमान 2022-23 में, प्राथमिक शिक्षा कोष (पीएसके) और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) का प्रावधान क्रमशः रु 28000 करोड़ और रु. 5000 करोड़ है।

18.01. **पढ़ना लिखना अभियान:** साक्षर भारत की मौजूदा योजना को पढ़ना लिखना अभियान के रूप में संशोधित किया गया है, जिसके तहत वयस्क शिक्षार्थियों को साक्षर बनाया जाना है।

18.02. **भाषा शिक्षकों की नियुक्ति:** इस योजना के अंतर्गत, गैर हिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति, उन स्थानों में जहां 25% से अधिक जनसंख्या उर्दू बोलने वाले समुदाय की है, वहां उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति, उन हिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्कूलों में, जो इसकी मांग करते हैं में एक तीसरी भाषा पढ़ाने के लिए आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

18.03. **नया भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी):** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की 'वयस्क शिक्षा और आजीवन शिक्षा' पर सिफारिशों के साथ संरेखित करके वित्तीय वर्ष 2022-27 के लिए 'नया भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी)' वयस्क शिक्षा की एक नई केंद्र प्रायोजित योजना है।

19. **राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम:** स्कूलों के बच्चों में नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति को बढ़ाना देने के साथ-साथ उनमें पोषणगत स्तरों को बढ़ाने के उद्देश्य से 1995 में राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषण सहायता कार्यक्रम आरंभ किया गया था। 2008-09 से आगे यह कार्यक्रम देशभर के सभी क्षेत्रों में कक्षा I से VIII तक पढ़ रहे सभी बच्चों को कवर करता है। इस योजना में, संशोधित अनुमान 2021-22 में प्रारम्भिक शिक्षा कोष (पीएसके) का प्रावधान रु 10000 करोड़ है।

20. **प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण):** प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम - पोषण) जिसे पहले स्कूलों में मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में जाना जाता था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य पात्र स्कूलों में कक्षा I-VIII में पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएसके) योजना में प्रारम्भिक शिक्षा कोष (पीएसके) का प्रावधान रु 10000 करोड़ है।

21. **एस्पायर (परिणामों के सुधार हेतु राज्य शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा):** एक्सीलरेटिंग स्टेट एजुकेशन प्रोग्राम टू इम्प्रूव रिजल्ट्स (एस्पायर), एशियाई विकास बैंक द्वारा समर्थित एक केंद्र प्रायोजित योजना को पांच राज्यों गुजरात, असम, झारखंड, तमिलनाडु और उत्तराखंड में छह साल की अवधि में 500 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 3700 करोड़ रुपये) की कुल वित्तीय सहायता के साथ लागू करने का प्रस्ताव है।

22. **प्रतिमान:** इस स्कीम का उद्देश्य है उत्कृष्टता के 15000 से अधिक स्कूल तैयार करना जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने में मदद करेंगे और समय के साथ उदाहरण और उत्कृष्टता के स्कूलों के रूप में उभरेंगे। वे एनईपी 2020 की दूरदृष्टि के अनुसार अपने-अपने क्षेत्रों में एक समान, समावेशी और आनंदमय स्कूल वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में नेतृत्व प्रदान करेंगे और विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी जरूरतों और बच्चों की विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं वाले बच्चों की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करेंगे और उन्हें अपनी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाएंगे।

23. **राज्यों के लिए शिक्षण-ज्ञान अर्जन और परिणाम सुदृढीकरण-ईएपी:** राज्यों के लिए शिक्षण – ज्ञान अर्जन और परिणामों का सुदृढीकरण परियोजना का उद्देश्य राज्यों को ऐसी पहल विकसित, कार्यान्वित करने उनका मूल्यांकन करने और उनमें सुधार लाने में सहायता पहुंचाना है, जिसका सीधा संबंध शिक्षा परिणामों और श्रम बाजार परिणामों को बेहतर बनाने के लिए विद्यालय द्वारा परिवर्तनशील कार्यनीतियों पर कार्य करने से है। परियोजना का समग्र ध्यान और इसके घटक गुणवत्ता आधारित ज्ञान अर्जन परिणामों के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप हैं।

26. **मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना:** इस योजना में मदरसों में गुणवत्ता सुधार लाने की व्यवस्था है ताकि मुस्लिम बच्चे औपचारिक शिक्षा विषय में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के मानक प्राप्त कर सकें।

शिक्षा मंत्रालय
मांग संख्या 26
उच्चतर शिक्षा विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	34475.36	205.74	34681.10	65325.15	25.50	65350.65	57592.86	14.71	57607.57	55060.34	18.01	55078.35
वसूलियां	-2303.34	...	-2303.34	-27000.00	...	-27000.00	-21576.00	...	-21576.00	-14250.00	...	-14250.00
प्राप्तियां
निवल	32172.02	205.74	32377.76	38325.15	25.50	38350.65	36016.86	14.71	36031.57	40810.34	18.01	40828.35
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	96.28	0.06	96.34	130.00	10.00	140.00	133.78	0.20	133.98	144.17	10.00	154.17
2. हिन्दी निदेशालय	18.32	...	18.32	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	36.00	...	36.00
3. वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी)	13.04	...	13.04	12.00	...	12.00	10.00	...	10.00	12.00	...	12.00
4. केन्द्रीय भारतीय भाषाएं संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर तथा क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	23.75	5.68	29.43	43.38	14.50	57.88	32.10	14.50	46.60	52.00	8.00	60.00
5. विदेशों में स्थित शैक्षणिक संस्थान	4.04	...	4.04	7.56	...	7.56	10.00	...	10.00	11.21	...	11.21
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	155.43	5.74	161.17	222.94	24.50	247.44	215.88	14.70	230.58	255.38	18.00	273.38
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
उच्चतर शिक्षा												
6. राष्ट्रीय खेलकूद एवं वैलनेस पहल	1.00	...	1.00
7. सामाजिक दायित्वों के अनुपालन हेतु राष्ट्रीय पहल	1.00	...	1.00
8. राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर्स	0.29	...	0.29	1.30	...	1.30	0.38	...	0.38	0.27	...	0.27
9. केन्द्रीय हिमालयी अध्ययन विश्वविद्यालय (सीयूएचएस) सहित बहु-विषयक शोध विश्वविद्यालयों की स्थापना, उत्कृष्टता केन्द्रों, मानविकी में राष्ट्रीयता उत्कृष्टता केन्द्रों का सृजन	0.10	...	0.10	0.01	...	0.01
10. उच्चतर शिक्षा निधियन अभिकरण (एचईएफए)	...	200.00	200.00	...	1.00	1.00	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
11. विश्व स्तरीय संस्थान
11.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	1016.30	...	1016.30	1710.00	...	1710.00	1200.00	...	1200.00	1700.00	...	1700.00
12. प्रधानमंत्री बालिका छात्रावास	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
13. भारतीय ज्ञान प्रणाली	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
14. उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए ग्लू अनुदान	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
जोड़-उच्चतर शिक्षा	1016.59	200.00	1216.59	1743.40	1.00	1744.40	1240.38	0.01	1240.39	1740.28	0.01	1740.29
छात्र वित्तीय सहायता												
15. गारंटी निधि के लिए ब्याज सहायता तथा अंशदान												
15.01 ब्याज सस्मिडी को सहायता और गारंटी निधियों के लिए अंशदान	1900.00	...	1900.00	1500.00	...	1500.00	1400.00	...	1400.00
15.02 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से मदद	1476.79	...	1476.79
जोड़- गारंटी निधि के लिए ब्याज सहायता तथा अंशदान	1476.79	...	1476.79	1900.00	...	1900.00	1500.00	...	1500.00	1400.00	...	1400.00
16. कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति												
16.01 महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति हेतु सहायता	207.32	...	207.32	207.32	...	207.32	252.85	...	252.85
16.02 सकल बजटीय सहायता से मदद	2.22	...	2.22
16.03 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से मदद	163.88	...	163.88
जोड़- कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	166.10	...	166.10	207.32	...	207.32	207.32	...	207.32	252.85	...	252.85
17. जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना	128.00	...	128.00	225.00	...	225.00	225.00	...	225.00	225.00	...	225.00
18. पीएम शोध अध्येतावृत्ति	63.28	...	63.28	150.00	...	150.00	156.93	...	156.93	200.00	...	200.00
जोड़-छात्र वित्तीय सहायता	1834.17	...	1834.17	2482.32	...	2482.32	2089.25	...	2089.25	2077.85	...	2077.85
डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग												
19. आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	36.66	...	36.66	150.00	...	150.00	83.71	...	83.71	400.00	...	400.00
20. आभासी कक्षाओं और व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) तैयार करना	68.00	...	68.00	200.00	...	200.00	80.00	...	80.00
21. ई-शोध सिंधु	154.61	...	154.61	154.61	...	154.61	150.00	...	150.00
22. उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस)	12.34	...	12.34	20.00	...	20.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
23. राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय	7.90	...	7.90	20.00	...	20.00	15.00	...	15.00
24. राष्ट्रीय अकादमिक डिपोजिटरी	1.00	...	1.00	0.10	...	0.10
25. पीएम ई-विद्या	50.00	...	50.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
26. एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी)	50.00	...	50.00	28.79	...	28.79	10.90	...	10.90
जोड़-डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग	279.51	...	279.51	645.61	...	645.61	367.51	...	367.51	421.01	...	421.01
अनुसंधान और नवोन्मेष												
27. अग्रणी क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान	4.51	...	4.51
28. राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार पहल	8.73	...	8.73	35.00	...	35.00	10.00	...	10.00	17.80	...	17.80
29. उच्च शैक्षणिक संस्थानों में स्टार्टअप इंडिया पहल	167.50	...	167.50	100.00	...	100.00	30.00	...	30.00	60.00	...	60.00
30. उन्नत भारत अभियान	6.13	...	6.13	7.40	...	7.40	7.40	...	7.40	12.60	...	12.60
31. इंफ्रेंट अनुसंधान पहल का कार्यान्वयन (अनुसंधान नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी पर प्रभाव)	25.00	...	25.00	5.00	...	5.00	10.00	...	10.00
32. समाज विज्ञान में प्रभावपूर्ण नीति शोध (इंप्रेस)	12.00	...	12.00	25.00	...	25.00	23.00	...	23.00	17.26	...	17.26
33. शैक्षिक एवं अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (स्पाक)	10.00	...	10.00	45.01	...	45.01	74.00	...	74.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
34. विज्ञान में परिवर्तनकारी एवं उन्नत अनुसंधान योजना (स्टार्स)	15.00	...	15.00	25.00	...	25.00	22.00	...	22.00	25.00	...	25.00
35. तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार-ईएपी	10.00	...	10.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
जोड़-अनुसंधान और नवोन्मेष	213.87	...	213.87	237.40	...	237.40	144.41	...	144.41	218.66	...	218.66
36. पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन												
36.01 सकल बजटीय सहायता से मदद	22.90	...	22.90	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00	95.00	...	95.00
37. राष्ट्रीय सांस्थानिक रैंकिंग कार्यवाही	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	4.00	...	4.00
38. शैक्षिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल (ज्ञान)	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00	10.00	...	10.00
39. भारत सरकार का तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (ईएपी)												
39.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	170.00	...	170.00	20.00	...	20.00	34.68	...	34.68
39.02 राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से सहायता	426.40	...	426.40
जोड़- भारत सरकार का तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (ईएपी)	596.40	...	596.40	20.00	...	20.00	34.68	...	34.68
40. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम	175.00	...	175.00	500.00	...	500.00	150.00	...	150.00	500.00	...	500.00
41. भारत में अध्ययन	19.59	...	19.59	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00
42. योजना, प्रशासन और वैश्विक कार्यक्रम	59.79	...	59.79	141.70	...	141.70	100.20	...	100.20	110.20	...	110.20
43. आसियान अध्येतावृत्ति	0.92	...	0.92	10.00	...	10.00	2.00	...	2.00	10.00	...	10.00
चैंपियन सेवाएं क्षेत्र योजना												
44. शिक्षा सेवाएं-उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण	87.21	...	87.21	160.00	...	160.00	160.00	...	160.00	200.00	...	200.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	4308.95	200.00	4508.95	6068.43	1.00	6069.43	4411.43	0.01	4411.44	5412.00	0.01	5412.01
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
45. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)												
45.01 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सहायता	4693.20	...	4693.20	4723.20	...	4723.20	4900.91	...	4900.91
45.02 सकल बजटीय सहायता से मदद	1403.75	...	1403.75
45.03 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से मदद	2405.26	...	2405.26
जोड़- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)	3809.01	...	3809.01	4693.20	...	4693.20	4723.20	...	4723.20	4900.91	...	4900.91
46. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)												
46.01 सकल बजटीय सहायता से मदद	385.00	...	385.00	416.00	...	416.00	416.00	...	416.00	420.00	...	420.00
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	4194.01	...	4194.01	5109.20	...	5109.20	5139.20	...	5139.20	5320.91	...	5320.91
स्वायत्त निकाय												
47. केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (सीयूएस)												
47.01 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सहायता	7270.26	...	7270.26	8519.76	...	8519.76	8990.00	...	8990.00
47.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	23.12	...	23.12	53.00	...	53.00	48.00	...	48.00	55.00	...	55.00
47.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	126.00	...	126.00	320.00	...	320.00	270.00	...	270.00	375.00	...	375.00
47.04 सकल बजटीय सहायता से मदद	1949.36	...	1949.36
47.05 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष को सहायता	6268.59	...	6268.59

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़- केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (सीयूएस)	8367.07	...	8367.07	7643.26	...	7643.26	8837.76	...	8837.76	9420.00	...	9420.00
48. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश												
48.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	4.80	...	4.80	60.35	...	60.35	20.11	...	20.11	56.66	...	56.66
49. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय												
49.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	1.78	...	1.78	53.80	...	53.80	13.37	...	13.37	44.00	...	44.00
50. केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहित मानद विश्वविद्यालय	433.52	...	433.52	351.00	...	351.00	418.00	...	418.00	393.25	...	393.25
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान												
51. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता												
51.01 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को अनुदान	6536.02	...	6536.02	7464.84	...	7464.84	7545.00	...	7545.00
51.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	175.70	...	175.70	450.00	...	450.00	270.00	...	270.00	270.00	...	270.00
51.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	396.19	...	396.19	550.00	...	550.00	380.00	...	380.00	380.00	...	380.00
51.04 सकल बजटीय सहायता से मदद	641.72	...	641.72
51.05 राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता (एनआईएफ)	1870.97	...	1870.97
51.06 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से मदद	3370.70	...	3370.70
जोड़- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता	6455.28	...	6455.28	7536.02	...	7536.02	8114.84	...	8114.84	8195.00	...	8195.00
52. आईआईटी हैदराबाद (ईएपी)	225.30	...	225.30	150.00	...	150.00	230.00	...	230.00	300.00	...	300.00
जोड़-भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	6680.58	...	6680.58	7686.02	...	7686.02	8344.84	...	8344.84	8495.00	...	8495.00
भारतीय प्रबंध संस्थान												
53. भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) को सहायता												
53.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	178.03	...	178.03	141.00	...	141.00	350.59	...	350.59	323.50	...	323.50
53.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	6.76	...	6.76	85.00	...	85.00	20.00	...	20.00	50.00	...	50.00
53.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	280.43	...	280.43	250.00	...	250.00	280.41	...	280.41	280.42	...	280.42
जोड़- भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) को सहायता	465.22	...	465.22	476.00	...	476.00	651.00	...	651.00	653.92	...	653.92
54. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता												
54.01 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और आईआईईएसटी को अनुदान	3735.00	...	3735.00	3574.37	...	3574.37	4035.00	...	4035.00
54.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	34.84	...	34.84	80.00	...	80.00	45.00	...	45.00	177.00	...	177.00
54.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	27.50	...	27.50	120.00	...	120.00	80.00	...	80.00	152.00	...	152.00
54.04 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	2269.41	...	2269.41
54.05 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से सहायता	920.70	...	920.70
जोड़- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता	3252.45	...	3252.45	3935.00	...	3935.00	3699.37	...	3699.37	4364.00	...	4364.00
भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर)												
55. भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को सहायता												
55.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	867.15	...	867.15	811.00	...	811.00	1006.00	...	1006.00	1343.20	...	1343.20
55.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	13.68	...	13.68	30.00	...	30.00	10.00	...	10.00	7.70	...	7.70
55.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	112.13	...	112.13	105.00	...	105.00	105.00	...	105.00	28.63	...	28.63

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़- भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को सहायता	992.96	...	992.96	946.00	...	946.00	1121.00	...	1121.00	1379.53	...	1379.53
56. भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता												
56.01 सकल वजतीय सहायता (जीवीएस) से मदद	601.00	...	601.00	618.15	...	618.15	618.15	...	618.15	720.25	...	720.25
56.02 एचईएफए ऋण के तहत व्याज	2.98	...	2.98	3.50	...	3.50	3.50	...	3.50	7.00	...	7.00
जोड़- भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता	603.98	...	603.98	621.65	...	621.65	621.65	...	621.65	727.25	...	727.25
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान												
57. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान/संस्थानों (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम) को सहायता												
57.01 सकल वजतीय सहायता (जीवीएस) से मदद	172.16	...	172.16	217.45	...	217.45	239.95	...	239.95	259.52	...	259.52
57.02 एचईएफए ऋण के तहत व्याज	1.46	...	1.46	3.90	...	3.90	0.40	...	0.40	3.00	...	3.00
57.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	21.54	...	21.54	5.00	...	5.00
जोड़- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान/संस्थानों (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम) को सहायता	195.16	...	195.16	226.35	...	226.35	240.35	...	240.35	262.52	...	262.52
58. सरकारी निजी भागीदारी प्रणाली में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना	144.02	...	144.02	167.00	...	167.00	167.00	...	167.00	280.00	...	280.00
जोड़-भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान	339.18	...	339.18	393.35	...	393.35	407.35	...	407.35	542.52	...	542.52
59. मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए परिषदों/संस्थानों को अनुदान	168.88	...	168.88	256.30	...	256.30	202.30	...	202.30	311.68	...	311.68
60. भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए संस्थानों को अनुदान	378.62	...	378.62	433.00	...	433.00	197.50	...	197.50	250.00	...	250.00
61. भारतीय भाषा विश्वविद्यालय और अनुवाद संस्थान	50.00	...	50.00	10.01	...	10.01
62. राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान मुंबई	60.57	...	60.57	53.90	...	53.90	53.90	...	53.90	65.00	...	65.00
63. आयोजना एवं वास्तुविद विद्यालय (एसपीए)												
63.01 सकल वजतीय सहायता (जीवीएस) से मदद	98.75	...	98.75	175.00	...	175.00	115.00	...	115.00	154.90	...	154.90
64. राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीआर)	155.09	...	155.09	173.00	...	173.00	150.00	...	150.00	225.00	...	225.00
65. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास और कानपुर	19.28	...	19.28	24.25	...	24.25	24.25	...	24.25	26.77	...	26.77
66. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्यू)	110.50	...	110.50	103.00	...	103.00	103.00	...	103.00	105.00	...	105.00
67. अन्य संस्थानों को सहायता												
67.01 सकल वजतीय सहायता (जीवीएस) से मदद	389.64	...	389.64	463.70	...	463.70	454.39	...	454.39	538.60	...	538.60
67.02 एचईएफए ऋण के तहत व्याज	3.30	...	3.30	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00
67.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	3.59	...	3.59	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
जोड़- अन्य संस्थानों को सहायता	396.53	...	396.53	479.70	...	479.70	470.39	...	470.39	554.60	...	554.60
जोड़-स्वायत्त निकाय	22529.76	...	22529.76	23914.58	...	23914.58	25450.79	...	25450.79	27779.09	...	27779.09
अन्य												
68. माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कोष को अंतरण	18000.00	...	18000.00	18000.00	...	18000.00	14250.00	...	14250.00
69. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी की गई राशि	-18000.00	...	-18000.00	-18000.00	...	-18000.00	-14250.00	...	-14250.00
70. राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण	2500.00	...	2500.00	9000.00	...	9000.00	3576.00	...	3576.00

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
71. राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरी की गई राशि	-2297.41	...	-2297.41	-9000.00	...	-9000.00	-3576.00	...	-3576.00
जोड़-अन्य	202.59	...	202.59
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	26926.36	...	26926.36	29023.78	...	29023.78	30589.99	...	30589.99	33100.00	...	33100.00
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
राष्ट्रीय शिक्षा मिशन												
72. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)												
72.01 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को सहायता	3000.00	...	3000.00	793.26	...	793.26	2042.95	...	2042.95
72.02 सकल बजटीय सहायता से मदद	165.20	...	165.20
जोड़- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)	165.20	...	165.20	3000.00	...	3000.00	793.26	...	793.26	2042.95	...	2042.95
73. वास्तविक वसूलियां	-5.93	...	-5.93
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	159.27	...	159.27	3000.00	...	3000.00	793.26	...	793.26	2042.95	...	2042.95
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
74. विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों के वेतनमान में सुधार	622.01	...	622.01	10.00	...	10.00	6.30	...	6.30	0.01	...	0.01
कुल जोड़	32172.02	205.74	32377.76	38325.15	25.50	38350.65	36016.86	14.71	36031.57	40810.34	18.01	40828.35
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. सामान्य शिक्षा	16698.34	...	16698.34	17682.18	...	17682.18	17261.69	...	17261.69	18784.39	...	18784.39
2. तकनीकी शिक्षा	14605.75	...	14605.75	14870.77	...	14870.77	15107.17	...	15107.17	16863.29	...	16863.29
3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	92.99	...	92.99	130.00	...	130.00	133.78	...	133.78	144.17	...	144.17
4. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	...	205.74	205.74	...	25.50	25.50	...	14.71	14.71	...	18.01	18.01
जोड़-सामाजिक सेवाएं	31397.08	205.74	31602.82	32682.95	25.50	32708.45	32502.64	14.71	32517.35	35791.85	18.01	35809.86
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	3012.20	...	3012.20	2806.66	...	2806.66	3256.20	...	3256.20
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	770.02	...	770.02	2530.00	...	2530.00	702.56	...	702.56	1648.79	...	1648.79
7. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	4.92	...	4.92	100.00	...	100.00	5.00	...	5.00	113.50	...	113.50
जोड़-अन्य	774.94	...	774.94	5642.20	...	5642.20	3514.22	...	3514.22	5018.49	...	5018.49
कुल जोड़	32172.02	205.74	32377.76	38325.15	25.50	38350.65	36016.86	14.71	36031.57	40810.34	18.01	40828.35

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़		आं. ब. बा. सं.	जोड़		आं. ब. बा. सं.	जोड़		आं. ब. बा. सं.	जोड़	
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1.	...	30.50	30.50	42.97	42.97
जोड़	...	30.50	30.50	42.97	42.97

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय व्यय के लिए है। प्रस्तावित बजट प्रशिक्षण तथा परामर्शी प्रभागों आदि के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों की खरीद, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए है जिनकी जरूरत मंत्रालय के दोनों विभागों के भीतर ई-अभिशासन के सुदृढीकरण के लिए है। यह प्रावधान शिक्षा मंत्रालय के प्रस्तावित नए भवन के लिए भी है।

2. **हिन्दी निदेशालय:** केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी और चेन्नई स्थित इसके 4 क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में 1960 में की गई थी ताकि सम्पर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार एवं विकास किया जा सके। यह द्विभाषी/त्रिभाषी शब्दकोशों के प्रकाशन, पत्राचार पाठ्यक्रम और हिंदी लेखकों को पुरस्कार प्रदान करने की योजनाएं चलाता है।

3. **वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी):** वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना अक्टूबर, 1961 में की गई थी ताकि हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली तैयार की जा सके। आयोग विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों को हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में तैयार करने की एक स्कीम चलाता है ताकि विश्वविद्यालय स्तर पर अनुदेश का माध्यम भारतीय भाषाओं में परिवर्तित करने में सहायता प्रदान की जा सके और यह क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें तैयार करने के लिए राज्य स्तरीय शिक्षाविदों से समन्वय करता है।

4. **केन्द्रीय भारतीय भाषाएं संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर तथा क्षेत्रीय भाषा केन्द्र:** केन्द्रीय भारतीय भाषाएं संस्थान अपने मुख्य परिसर मैसूर एवं सात अन्य क्षेत्रीय केन्द्र जो क्रमशः भुवनेश्वर, गुवाहाटी, लखनऊ, मैसूर, पटियाला, पुणे एवं सोलन में स्थित हैं, की स्थापना जुलाई 1969 में की गई थी। यह भारत सरकार की भाषा नीति के कार्यान्वयन/विकास में सहायता करता है और भारतीय भाषाओं के विकास के लिए भाषा विज्ञापन के क्षेत्र, भाषा शिक्षा-शास्त्र, भाषा तकनीक तथा भाषा का समाज में उपयोग के क्षेत्र में शोध करता है। यह विभिन्न भाषाओं के स्कूल शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

5. **विदेशों में स्थित शैक्षणिक संस्थान:** इसमें यूनेस्को, पेरिस में भारत के स्थाई शिष्टमंडल के प्रावधान के साथ-साथ पेरिस और न्यूयार्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास के लिए प्रावधान भी शामिल है।

6. **राष्ट्रीय खेलकूद एवं वैलनेस पहल:** इस योजना को बंद कर दिया गया है।

7. **सामाजिक दायित्वों के अनुपालन हेतु राष्ट्रीय पहल:** इस योजना को बंद कर दिया गया है।

8. **राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर्स:** यह स्कीम राष्ट्रीय शोध प्रोफेसरों द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में असाधारण योगदानों के लिए मान्यता प्रदान करने के संबंध में है। इस योजना के तहत एनआरपी को शोध कार्य जारी रखने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

9. **केन्द्रीय हिमालयी अध्ययन विश्वविद्यालय (सीयूएचएस) सहित बहु-विषयक शोध विश्वविद्यालयों की स्थापना, उत्कृष्टतों केन्द्रों, मानविकी में राष्ट्रीयता उत्कृष्टता केन्द्रों का सृजन:** इसमें केन्द्रीय हिमालयी अध्ययन विश्वाविद्यालय सहित बहु-विषयक शोध विश्वविद्यालयों की स्थापना, राष्ट्रीय मानविकी उत्कृष्टता एवं उत्कृष्टता केन्द्रों के सृजन का प्रावधान है।

10. **उच्चतर शिक्षा निधियन अभिकरण (एचईएफए):** उच्चतर शिक्षा निधियन अभिकरण, एक अलाभकारी संगठन जिसकी स्थापना बाजार से निधियां जुटाने और उसकी पूर्ति दान और कारपोरेट सामाजिक दायित्व की निधियों से करने के लिए हुई है। इन निधियों का उपयोग हमारे शीर्ष संस्थानों में अवसंरचना में सुधार लाने हेतु वित्तपोषण करने के लिए किया जाना है और इसको आंतरिक प्रोद्भवनों के माध्यम से पूरा किया जाना है।

11. **विश्व स्तरीय संस्थान:** यह प्रावधान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में दस विश्व स्तरीय संस्थानों की स्थापना करने के लिए है, इनकी स्थापना तर्कसंगत समय में समर्थकारी विनियामक वातावरण उपलब्ध करवाते हुए की जाएगी जो उन्हें शिक्षण एवं शोध में वैश्विक उत्कृष्टता स्तर हासिल करने में सहायक होगा।

12. **प्रधानमंत्री बालिका छात्रावास:** यह स्कीम शिक्षा मंत्रालय के जम्मू और कश्मीर के लिए 2015 के पीएम विकास पैकेज के लिए है। इस स्कीम के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर में बालिका छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा।

13. **भारतीय ज्ञान प्रणाली:** यह स्कीम एनईपी की सिफारिशों पर आधारित है। प्राचीन भारत से तात्विक ज्ञान और इसका आधुनिक भारत में योगदान और इसकी सफलताओं और चुनौतियों को जहां कहीं भी संगत हो पूरे स्कूल के पाठ्यक्रम में, विशेष रूप से जनजातीय ज्ञान और स्वदेशी एवं ज्ञान अर्जन के पारंपरिक तरीकों सहित भारतीय ज्ञान प्रणालियों में सटीक और वैज्ञानिक तरीके से सम्मिलित किया जाएगा।

14. **उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए ग्लू अनुदान:** भारत सरकार द्वारा समर्थित संस्थानों के लिए औपचारिक अम्बेला संरचना तैयार करने के उद्देश्य से ग्लू ग्रांट को अलग रखा गया है, ताकि स्वायत्तता बनाए रखते हुए बेहतर तालमेल बनाए जा सके।

15. **गारंटी निधि के लिए ब्याज सहायता तथा अंशदान:** वर्ष 2009-10 से केन्द्र सरकार शोध अधिस्थगन अवधि के दौरान शिक्षा ऋण पर उन छात्रों को ब्याज सहायता प्रदान कर रही है जिनकी पारिवारिक आय प्रतिवर्ष 4.5 लाख रूपए से कम है। छात्र ऋण गारंटी कायिक निधि का सृजन क्रेडिट गारंटी न्यास प्रबंधन के अंतर्गत किया जाएगा ताकि छात्र ऋण की अदायगी में चूक के प्रति गारंटी मिल सके। इससे ऋणदाता संस्थानों को छात्रों द्वारा ऋण लौटाने में पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी, जिससे वे और अधिक छात्र ऋण देने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसके अतिरिक्त, सरकारी गारंटी से छात्र ऋण पर ब्याज की दर भी कम होगी।

16. **कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति:** केन्द्रीय क्षेत्र की इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष स्कूलों से पास होने वाले 2 प्रतिशत छात्रों को कॉलेजों तथा विश्व विद्यालय से उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। विलंब रोकने के लिए छात्रवृत्ति की राशि लाभार्थियों को सीधे ई-बैंकिंग के माध्यम से सवितरित की जाती है। संशोधित अनुमान 2021-22 में एमयूएसके के माध्यम से ₹206.32 करोड़ को आवंटन का निधीयन किया जाएगा। जबकि बजट अनुमान 2022-23 में 250 करोड़ रुपये के आवंटन को निधिपोषित किया जाएगा।

17. **जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना:** जम्मू एवं कश्मीर हेतु विशेष छात्रवृत्ति स्कीम का उद्देश्य जम्मू एवं कश्मीर के युवाओं को राज्य से बाहर ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो उन्हें देश के शेष भाग के उनके समकक्षों के साथ संपर्क करने का अवसर प्रदान करेगी, जिससे वे मुख्य धारा का हिस्सा बनेंगे। हर वर्ष 5000 नई छात्रवृत्तियां प्रदान किए जाने की योजना है। चिकित्सा और इंजीनियरिंग स्टीम में स्थानों की अंतःपरिवर्तनीयता का प्रावधान है, वशतें सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों का विकल्प देने वाले छात्रों की संख्या में किसी कमी से बचत हो। छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क और अनुरक्षण भत्ते के लिए प्रदान की जाती है।

18. **पीएम शोध अध्येतावृत्ति:** इस स्कीम के अंतर्गत उत्कृष्ट छात्र जिन्होंने आईआईएससी/आईआईटी/एनआईटी/आईआईएसआईआर/आईआईआईटी से बी. टेक या एकीकृत एम. टेक या विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एमएससी पूरी की है या अंतिम वर्ष में है उन्हें आईआईटी/आईआईएससी में पीएचडी कार्यक्रम में सीधे दाखिला दिया जाएगा। ऐसे छात्र को, जो पात्रता मानदण्ड पूरा करते हैं और चयन प्रक्रिया के द्वारा चुने जाते हैं जैसाकि पीएमआरएफ दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है, प्रथम दो वर्षों के लिए प्रतिमाह 70,000 रुपये अध्येतावृत्ति दी जाएगी, तीसरे वर्ष प्रतिमाह 75,000 रुपये और चौथे तथा पांचवें वर्ष में प्रतिमाह 80,000 रुपये दिया जाएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में और सेमिनारों में शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए उनकी विदेश यात्रा व्यय पूरा करने हेतु पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक अध्येता को 2.00 लाख रुपये का शोध अनुदान दिया जाएगा। तीन वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतम 3,000 अध्येता (प्रतिवर्ष 1000) का चयन किया जाएगा।

19. **आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन:** उच्च शिक्षा संस्थानों के सभी शिक्षार्थियों के लाभ के लिए शिक्षण और सीखने की अधिगम प्रक्रिया सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (एनएमईआईसीटी) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन आईसीटी की परिकल्पना की गई है ताकि आईसीटी की क्षमता का उपयोग किया जा सके। इसमें ई-शिक्षा के लिए उपयुक्त अध्यापन पर ध्यान केंद्रित करने की योजना है, आभासी प्रयोगशालाओं, ऑन लाइन परीक्षण और प्रमाणन के माध्यम से प्रयोग करने वालों को सुविधा प्रदान की जाती है और शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करने और डायरेक्ट टू होम टीवी चैनल आदि की मार्गदर्शिका और शिक्षकों को ऑन-लाइन उपलब्धता के लिए शिक्षक ऑनलाइन उपलब्ध रहते हैं।

20. **आभासी कक्षाओं और व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) तैयार करना:** स्वयं और एमओओसी के तहत आभासी कक्षाएं सभी भौगोलिक क्षेत्रों में गुणवत्ता शिक्षा व्यापक रूप से प्रदान करने हेतु सहायता प्रदान करने में अध्ययन समर्थ प्रौद्योगिकी के नए प्रकार हैं। व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) अधिकांश प्रशिक्षुओं को गुणवत्ता युक्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए एक सस्ता तंत्र है। शीर्ष संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण संकाय, उत्कृष्ट पाठ्यक्रमों के शिक्षण के लाभ सभी संस्थाओं के छात्रों और संकाय के बीच, भले ही वह कहीं भी हों, आभासी कक्षाओं और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से पहुंचाए जा सकते हैं जिससे शिक्षा सचमुच निर्बाध और सीमाओं से मुक्त होगी। वित्त वर्ष 2022-23 से इस स्कीम को क्र.सं. 19 पर दी गई स्कीम के साथ मिला दिया गया है।

21. **ई-शोध सिंधु:** यह योजना उच्चतर शिक्षा विभाग के माध्यम से देश में इलैक्ट्रॉनिक संसाधनों के सन्सक्रिप्शन के लिए निधीयन प्रदान करेगी। यह विश्वविद्यालय, कालेजों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और अन्य संस्थानों को पत्रिकाएं उपलब्ध कराएगी। वित्त वर्ष 2022-23 से, इस स्कीम को क्र.सं. 19 पर दी गई स्कीम के साथ मिला दिया गया है।

22. **उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस):** इस योजना का लक्ष्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण आवधिक शैक्षणिक आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए सरकारी सांख्यिकी प्रणाली को सुदृढ़ करना है ताकि संपूर्ण देश में शिक्षा क्षेत्र के प्रदर्शन एवं क्षेत्रीय भिन्नता का आकलन एवं समीक्षा की जा सके।

23. **राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय:** मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत, सिंगल विंडो सर्व सुविधा के साथ अध्ययन संसाधनों की वर्चुअल रिपोजिटरी के कार्य ढांचे को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (एनडीएल) पायलेट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। यह प्रवेश और प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने हेतु संपूर्ण विश्व की सर्वश्रेष्ठ पद्धति से सीखने और तैयारी करने में लोगों को समर्थ बनाने और बहुत संसाधनों से अंतसंयोजित अन्वेषण के लिए अनुसंधानकर्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 से, इस स्कीम को क्र.सं. 19 पर दी गई स्कीम में मिला दिया गया है।

24. **राष्ट्रीय अकादमिक डिपोजिटरी:** यह सभी हितधारकों के लिए कुशल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से प्रशासनिक और शैक्षणिक सुधार लाने के लिए एक पहल है। एनएडी शैक्षणिक संस्थानों/बोर्डों / पात्रता मूल्यांकन निकायों द्वारा डिजिटल प्रारूप में दर्ज किए गए शैक्षणिक अबाइवॉ (डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, मार्कशीट आदि) का 24x7 ऑनलाइन स्टोर हाउस है। एनएडी न केवल एक अकादमिक पुरस्कार के लिए आसान पहुंच और पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करता है बल्कि इसकी प्रामाणिकता और सुरक्षित भंडारण की गारंटी देता है और उसे विधिमाम्य करता है।

25. **पीएम ई-विद्या:** यह नई स्कीम डिजीटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा तथा शिक्षा की बहुविध पहुंच को समर्थ बनाने के लिए डिजीटल उपकरणों के प्रावधान संबंधी सभी प्रयासों का एकीकरण करती है। इस स्कीम से विद्यार्थी और शिक्षक डिजीटल शिक्षा के प्रति बहुविध पहुंच प्राप्त कर सकेंगे।

26. **एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी):** इस स्कीम में उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों द्वारा अर्जित क्रेडिट के स्टोरेज एवं डिलीवरी हेतु एक डिजीटल निक्षेपागार के विकास की परिकल्पना की गई है। क्रेडिट का एक अकादमिक बैंक स्थापित किया जाएगा जिसमें विभिन्न मान्यताप्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अर्जित अकादमिक क्रेडिट को डिजीटल तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा ताकि अर्जित क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए उच्चतर शिक्षा संस्थान से डिग्री प्रदान की जा सके।

27. **अग्रणी क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान:** जैव प्रौद्योगिकी, जैव सूचना विज्ञान, नैनो-सामग्री, नैनो-टेक्नोलॉजीज, मेकट्रोनिक्स, उच्च निष्पादन कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग/औद्योगिक डिजाइन, पेशेवर / व्यावसायिक नैतिकता, और कौशल विकास सहित प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

28. **राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार पहल:** 20 नए डिजाइन नवाचार केन्द्र, एक मुक्त डिजाइन स्कूल और राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार नेटवर्क की स्थापना और इन्हें आपस में जोड़ना। ओडीए सहयोगी शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से अधिकतम पहुंच को सुनिश्चित करेगा। एनडीआईएन डिजाइन शिक्षा की पहुंच और विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन स्कूलों का नेटवर्क होगा और देश में डिजाइन शिक्षा और नवाचार के स्तर को बढ़ाएगा।

29. **उच्च शैक्षणिक संस्थानों में स्टार्टअप इंडिया पहल:** प्रौद्योगिकी अंतरण, की राष्ट्रीय पहल की पूर्ववर्ती स्कीम अब उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में स्टार्टअप इंडिया पहल के नए रूप में शुरू की गई है। इस पहल के तहत अंतर्राष्ट्रीय संयोजनों को सशक्त करने और सहयोगी और संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों हेतु अनुसंधान पार्क के कार्यवाहक के माध्यम से उद्योग के साथ ऐसे संपर्कों को जोड़ने में अधिकांश भारतीय संस्थाओं को शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किये जाएंगे।

30. **उन्नत भारत अभियान:** उन्नत भारत अभियान मिशन उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं को विकास चुनौतियों की पहचान करके और धारणीय विकास को गति प्रदान करने के लिए उचित समाधान विकसित करके ग्रामीण भारत में लोगों के साथ कार्य करने में समर्थ बनाएगा।

इसका लक्ष्य उभरते हुए व्यवसायों के लिए ज्ञान और पद्धतियां उपलब्ध कराकर समावेशी शैक्षिक प्रणाली और समाज के बीच महत्वपूर्ण चक्र स्थापित करना और ग्रामीण भारत की विकास आवश्यकताओं के वास्तविक कार्य करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टरों की क्षमताओं को बढ़ाना है।

31. **इंफ्रिट अनुसंधान पहल का कार्यान्वयन (अनुसंधान नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी पर प्रभाव):** यह योजना प्रमुख संस्थानों में शोध को उन क्षेत्रों में लगाने का इरादा रखती है जो देश के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा उपयोगी हो सकती है। इस पहल के अंतर्गत, 10 चयनित डोमेन के तहत अनुसंधान परियोजनाओं को एमएचआरडी और अन्य भाग लेने वाले मंत्रालयों/विभागों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है। द्वितीय चरण इंफ्रिट-II को थोड़ा संशोधित कार्यनीति के साथ शुरू किया गया है।

32. **समाज विज्ञान में प्रभावपूर्ण नीति शोध (इंफ्रेस):** इंफ्रेस स्कीम का मुख्य उद्देश्य भारत में सामाजिक विज्ञान में नीतिसंगत अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है, और इस तरह, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया और हमारे समाज की तरक्की में योगदान देना है।

33. **शैक्षिक एवं अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (स्पार्क):** अकादमिक एवं अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना या स्पार्क स्कीम का उद्देश्य पहले चरण में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समस्याओं को संयुक्त रूप से हल करने के लिए भारतीय संस्थानों तथा चुनिंदा 28 देशों से विश्व के सर्वोत्तम संस्थानों के बीच अकादमिक और अनुसंधान सहयोग को सुसाध्य बनाते हुए भारत के उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की अनुसंधान स्थिति में सुधार लाना है।

34. **विज्ञान में परिवर्तनकारी एवं उन्नत अनुसंधान योजना (स्टार्स):** इस स्कीम का उद्देश्य धारणीय और साम्यापूर्ण भारत के लिए विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान का समेकन करना है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों के विज्ञान संकाय में अनुसंधान संस्कृति को पोषित करना, विज्ञान को स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि आदि प्रमुख सेक्टरों में देश की जरूरतों तथा मुद्दों का निराकरण करने की दिशा में अभिमुख करना और वैज्ञानिक अनुसंधान में अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क हासिल करना स्कीम के प्रमुख उद्देश्य है।

35. **तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार-ईएपी:** यह नई स्कीम है जिसका उद्देश्य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के उद्देश्यों के साथ एकीकरण करना और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लक्ष्यों को पूरा करना है। इसे पूरे देश भर में लगभग 350 सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त इंजीनियरी संस्थानों और संबंधन-प्राप्त तकनीकी विश्वविद्यालयों में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। यह परियोजना विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना होगी। जिसके तहत आईटीए के अंतर्गत विश्वबैंक से प्राप्त विदेशी ऋण लिए जाएंगे।

36. **पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन:** इस कार्यक्रम का लक्ष्य शिक्षा के समग्र सेक्टर पर व्यापक फोकस देना है। यह प्रभावशाली समन्वयन के माध्यम से शिक्षकों और शिक्षण से संबंधित चल रहे कार्यक्रमों को समेकित और सशक्त करेगा। यह वर्तमान सभी पहलों के बीच तालमेल विकसित करने के लिए एकीकृत मंच उपलब्ध कराएगा और शिक्षण/संकाय संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए व्यापक साधन के रूप में कार्य करेगा। इस कार्यक्रम में एकल स्तर पर क्षमता को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है और यह सेवा पूर्व और सेवाकालीन स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण को महत्व देने के लिए सांस्थानिक अवसरचना को बढ़ाएगा।

37. **राष्ट्रीय सांस्थानिक रैंकिंग कार्यवाही:** यह कार्यवाही देश भर में संस्थाओं को रैंक प्रदान करने की कार्यविधि दर्शाता है। यह कार्यविधि विभिन्न विश्वविद्यालयों और कालेजों की रैंकिंग के लिए व्यापक पैरामीटर की पहचान करने हेतु शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित कोर समिति द्वारा व्यापक विचार-विमर्श कर और समग्र सिफारिशों के आधार पर बनाई गई है।

38. **शैक्षिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल (ज्ञान):** इसका लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय रूप से उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों और उद्यमियों का प्रतिभा पूल बनाना और उनके भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ जुड़ाव को प्रोत्साहन देना है जिससे देश के वर्तमान शैक्षिक संसाधनों को बढ़ाया जा सके, गुणवत्ता पूर्ण सुधार की गति को बढ़ाया जा सके और वैश्विक उत्कृष्टता के लिए भारत की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षमता को आगे बढ़ाया जा सके।

39. **भारत सरकार का तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (ईएपी):** यह विश्व बैंक से निधिबद्ध परियोजना है जिसके कार्यक्रमों का प्रकार है : (i) शैक्षिक उत्कृष्टता नेटवर्किंग इंजीनियरिंग संस्थान का विकास (ii) केन्द्रीय सेक्टर के तहत प्रबंधन क्षमता बढ़ाना।

40. **प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम:** इस योजना में स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमा होल्डरों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से उत्तीर्ण 12वीं कक्षा उत्तीर्ण बोकेशनल छात्रों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु अवसर प्रदान किये जाते हैं और यह चारबीओएटी/बीओपीटी के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

41. **भारत में अध्ययन:** इस पहल का उद्देश्य विश्व के शैक्षणिक पहल में अपनी स्थिति को उन्नत करते हुए, समूचे विश्व के विद्यार्थियों के लिए भारत को एक अधिमान्य शैक्षणिक केन्द्र बनाना है। इससे पूरे विश्वभर से विद्यार्थी समुदाय के लिए यह सुकर हो सकेगा कि वे भारत में आकर यहां के शीर्ष संस्थानों की सर्वोत्तम अकादमिक शिक्षा को अनुभव कर सकें जिससे विश्वभर के विद्यार्थियों की गुणवत्तायुक्त बढ़ती शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

42. **योजना, प्रशासन और वैश्विक कार्यक्रम:** इसमें वैश्विक भागीदारी प्रबंधन, फार्मैसी शिक्षा और होटल प्रबंधन, अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अनुवीक्षण समिति, संगोष्ठियों, समिति बैठकों पर व्यय आदि, गैर सरकारी सदस्यों को टीए/डीए, शास्त्री इंडो कनाडियन इन्स्ट्र्यूट, भारत में संयुक्त राष्ट्र शिक्षा प्रतिष्ठान को आयकर और सीमा-शुल्क वापस करना, युनेस्को को अंशदान, युनेस्को सम्मेलनों आदि में प्रतिनियुक्ति और शिष्टमंडल, भारत में विदेशी शिष्टमंडल का दौरा, और समितियों/सम्मेलनों की बैठकों का आयोजन तथा युनेस्को के लक्ष्यों और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन, एशियन प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक, अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग के लिए पहल शामिल है।

43. **आसियान अध्येतावृत्ति:** भारत और आसियान के बीच गहन और ऐतिहासिक संबंधों को मान्यता प्रदान करते हुए, इस स्कीम का उद्देश्य आसियान देशों के छात्रों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में एकीकृत पीएचडी कार्यक्रम पूरा करने के लिए 1000 तक अध्येतावृत्तियां प्रदान करना है।

44. **शिक्षा सेवाएं-उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण:** यह शिक्षा सेवाओं के क्षेत्र में चैम्पियन सेवा सेक्टर के लिए सरकार की कार्यवाही योजना का एक घटक है। इससे विभिन्न अभिजात क्रियाकलापों के माध्यम से भारत की शिक्षा सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में सहायता मिलेगी।

45. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी):** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना विश्वविद्यालयों में मानकों के समन्वयन और निर्धारण के प्रयोजन से 1956 में संसद के अधिनियम के तहत हुई थी। जबकि यूजीसी सभी पात्र विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करता है, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सहायता का प्रावधान अलग से किया जाता है। संशोधित अनुमान 2020-21 में, मस्क के माध्यम से ₹4723.20 करोड़ के आवंटन को निधिपोषित किया जाएगा जबकि 2002-23 में ₹4305 करोड़ के आवंटन को मस्क के माध्यम से निधिपोषित किया जाएगा।

46. **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई):** अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नई दिल्ली की स्थापना वर्ष 1945 में परामर्श निकाय के रूप में हुई थी। इसे 1987 में संसद के एक अधिनियम द्वारा सांविधिक दर्जा दिया गया था, जो 28 मार्च, 1988 से प्रभाव में आया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मुख्य कार्य देशभर में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की उचित योजना और समन्वित विकास, तकनीकी शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों के नियोजित गुणवत्तापरक विकास एवं विनियमन तथा उचित रखरखाव के संबंध में ऐसी शिक्षा में गुणात्मक सुधार को बढ़ावा देना है।

47. **केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (सीयूसए):** केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय है जिनकी स्थापना अनुसंधान और अनुदेशीय सुविधाएं प्रदान करते हुए, अंतर-विषयक अध्ययन उपलब्ध कराते हुए और शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में नवाचार के माध्यम से ज्ञान के सृजन

ओर प्रसार को ध्यान रखते हुए की गई है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय अपने संबंधित अधिनियम और उसके तहत निर्मित संविधियों तथा अध्यादेशों द्वारा अधिशासित होते हैं। सं.अ. 2021-22 में, रु.7479.79 करोड़ का आबंटन एमयूएसके के माध्यम से किया जाएगा जबकि रु.750 करोड़ एनआईएफ के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा। व.अ. 2022-23 में, रु.2500 करोड़ का आबंटन एमयूएसके के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा।

48. **केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश:** केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश के लिए आबंटन का प्रावधान है।

49. **आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय:** आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालयों के लिए आबंटन का प्रावधान है।

50. **केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहित मानव विश्वविद्यालय:** विश्वविद्यालय से इतर उच्चतर शिक्षा का कोई संस्थान जो अध्ययन के किसी विशिष्ट क्षेत्र में अत्यधिक उच्च मानकों पर कार्यरत है, केन्द्र सरकार द्वारा (यूजीसी के परामर्श पर) मानव विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया जा सकता है। जिन संस्थानों को मानव विश्व विद्यालय घोषित किया जाता है वे विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक हैसियत एवं विशेषाधिकारों का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। कुछ मानव विश्वविद्यालयों का निधियन यूजीसी द्वारा किया जाता है तथा कुछ का वित्तीय प्रबंधन निजी स्रोतों से होता है।

51. **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता:** भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के रूप में स्थापित किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में वैश्विक स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करना; संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करना और शिक्षा अर्जन को बढ़ावा देने एवं ज्ञान का प्रसार करने के लिए काम करना है। इन प्रमुख संस्थानों को सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। व.अ. 2021-22 में रु.1536.02 करोड़ का निधियन एमयूएसके के माध्यम से किया जाएगा जबकि रु.1750 करोड़ का निधियन एनआईएफ के माध्यम से किया जाएगा।

52. **आईआईटी हैदराबाद (ईएपी):** आईआईटी हैदराबाद की ईएपी परियोजनाओं के लिए आबंटन का प्रावधान है।

53. **भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) को सहायता:** भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्थापना प्रबंधन में शैक्षिक प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्शी के उद्देश्यों से उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में की गई थी। ये संस्थान, स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीपी), अध्येतावृत्ति कार्यक्रम, प्रबंधन विकास कार्यक्रम और संगठन आधारित कार्यक्रमों को संचालित कर रहे हैं।

54. **राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और आईआईएसटी को सहायता:** इसमें एनआईटी और आईआईएसटी के लिए प्रावधान शामिल हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान केन्द्रीय रूप से निधीकृत स्वायत्त तकनीकी संस्थान हैं और इन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान को एनआईटीएसईआर अधिनियम के अंतर्गत शामिल करके बंगाल अभियांत्रिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवपुर नामक राज्य विश्वविद्यालय से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में परिवर्तित किया गया है। सं.अ. 2021-22 में, रु.2235 करोड़ का आबंटन एमयूएसके के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा जबकि रु.1076 करोड़ एनआईएफ के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा। व.अ. 2022-23 में, रु.2500 करोड़ का आबंटन एमयूएसके के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा।

55. **भारतीय विज्ञान शिक्षा एव अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को सहायता:** आईआईएसईआर भारत में एक अनूठी पहल है जहां शिक्षण और शिक्षा को आधुनिक शोध के साथ पूर्णतः एकीकृत किया गया है जो अनुसंधान के बौद्धिक रूप से जीवंत माहौल में जिज्ञासा और सृजनात्मकता दोनों को बढ़ावा देते हैं। प्रत्येक आईआईएसईआर एक स्वायत्त संस्था है जो अपने स्वयं के मास्टर्स और डॉक्टरेट डिग्री देते हैं।

56. **भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता:** भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) 1909 में स्थापित किया गया था। कालांतर में आईआईएससी भारत में उन्नत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान और शिक्षा के लिए शीर्ष संस्थान बन गया है।

57. **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान/संस्थानों (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम) को सहायता:** इसमें इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर, कांचीपुरम और कुरुनूल में स्थित केन्द्रीय रूप से वित्तपोषित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए निधियों का प्रावधान शामिल है।

58. **सरकारी निजी भागीदारी प्रणाली में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना:** आईटी पेशेवरों की मांग को देखते हुए, सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए हैं।

59. **मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए परिषदों/संस्थानों को अनुदान:** इस पहल में प्रतिभावान छात्रों को मानविकी में कार्यक्रमों को चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उसके शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार लाया जाता है। इस योजना के तहत शामिल किए गए परिषदों में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर), भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएमईआर), शिमला, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (आईसीपीआर), नई दिल्ली, राष्ट्रीय ग्रामीण परिषद संस्थान (एनसीआरआई), भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर), नई दिल्ली हैं।

60. **भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए संस्थानों को अनुदान:** इसमें राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद, केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान और भारतीय भाषाओं में गुणवत्तायुक्त उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पहल हेतु प्रावधान शामिल हैं।

61. **भारतीय भाषा विश्वविद्यालय और अनुवाद संस्थान:** इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं और मातृभाषाओं का संवर्धन और भारत की भाषाओं से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देना है। भारतीय भाषा विश्वविद्यालय के अंतर्गत भारतीय अनुवाद और निर्वचन संस्थान होगा। नई शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार, इस प्रकार का संस्थान राष्ट्र तथा राष्ट्र के लिए सही मायनों में महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करेगा और भाषा और विषय के असंख्य बहुभाषी विशेषज्ञों तथा अनुवाद और निर्वचन के विशेषज्ञों को नियोजित करेगा जिससे सभी भारतीय भाषाओं के संवर्धन में मदद मिलेगी।

62. **राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान मुम्बई:** राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान मुम्बई (एनआईटीआईई), मुम्बई 1963 में अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के माध्यम से यूएनडीपी की सहायता के साथ भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। एनआईटीआईई को गुणता सुधार कार्यक्रम केन्द्र के रूप में मान्यता भी प्रदान की गई है।

63. **आयोजना एवं वास्तुविद विद्यालय (एसपीए):** आयोजना तथा वास्तुविद विद्यालयों को देश के तथा विश्व के ऐसे संस्थानों में अपनी कोटि के शीर्ष संस्थानों के रूप में माना जाता है जो मानव बस्तियों को उसके सभी पहलुओं में अभिकल्पित और विकसित करने में विशिष्ट शिक्षा प्रदान करता है। इस बजट लाइन में नए तथा पुराने एसपीए के लिए प्रावधान शामिल हैं।

64. **राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीआर):** यह ऐसे संस्थानों की स्थापना की एक पहल है जिनका उद्देश्य देश के डिग्री एवं डिप्लोमा स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को सेवापूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली के गुणवत्ता सुधार से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजन भी करना है।

65. **प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास और कानपुर:** भारत सरकार ने भारत के चार क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे चार प्रशिक्षुता बोर्ड/व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड स्थापित किये हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961, जिसे वर्ष 1973 और 1986 में संशोधित किया गया था, के प्रावधानों के अंतर्गत स्नातक/तकनीशियन/तकनीशियन (व्यावसायिक) प्रशिक्षुओं को वास्तविक कार्यशील वातावरण में नौकरी पर एक वर्ष के लिए प्रशिक्षण देकर नए इंजीनियरों की क्षमता में सुधार करना है।

66. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इगू):** इगू की स्थापना जनता के सभी वर्गों, विशेषकर लाभवंचित वर्गों को उच्चतर शिक्षा के प्रति पहुंच प्रदान करने, सतत शिक्षा प्रदान करने, ज्ञान और कौशल का उन्नयन करने; महिला, पिछड़े क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों आदि में रहने वाले लोगों जैसे विशिष्ट लक्षित समूहों के लिए उच्चतर शिक्षा के विशेष कार्यक्रमों को शुरू करने और मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए संसद अधिनियम के तहत 1985 में की गई थी। इगू का राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों (एसओयू) के विकास में योगदान रहा है और इगू के कार्यकलापों के लिए सहायता से इतर इगू के माध्यम से राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता देने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।

67. **अन्य संस्थानों को सहायता:** इसमें विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रावधान शामिल है – भारतीय विश्वविद्यालय संघ, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, प्रचार-प्रसार कार्यकलापों और स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए अनुदान, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (निएपा), अरोविले प्रबंधन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग तथा एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी और सीआईटी कोकराझार और जीकेसीआईईटी मालदा सहित अन्य संस्थानों को सहायता प्रदान करना है।

72. **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा):** यह केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य राज्य की उच्चतर एवं तकनीकी संस्थाओं को कार्यनीतिक निधियन प्रदान करना है। राज्य, व्यापक राज्य उच्चतर शिक्षा योजनाओं को तैयार करेंगे जिनमें विस्तार, साम्यता और उत्कृष्टता के मुद्दों को एक साथ हल करने के लिए परस्पर-संबद्ध कार्यनीति का प्रयोग किया जाएगा। केन्द्रीय निधियन को राज्य उच्चतर शिक्षा के शैक्षिक, प्रशासनिक और वित्तीय सुधार के साथ जोड़ा जाएगा। सं.अ. 2021-22 में, एमयूसके के माध्यम से रु.229.67 करोड़ के आबंटन का निधियन किया जाएगा, जबकि ब.अ. 2022-23 में रु.700 करोड़ का आबंटन एमयूसके के माध्यम से निधीकृत किया जाएगा।

74. **विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों के वेतनमान में सुधार:** इसमें विश्वविद्यालय और महाविद्यालयीन शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन के लिए राज्य सरकारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की देयता को पूरा करने का प्रावधान किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
मांग संख्या 27
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	5172.57	350.63	5523.20	9274.66	446.00	9720.66	9174.25	407.00	9581.25	13911.99	388.01	14300.00
वसूलियां	-126.90	...	-126.90
प्राप्तियां
निवल	5045.67	350.63	5396.30	9274.66	446.00	9720.66	9174.25	407.00	9581.25	13911.99	388.01	14300.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	92.89	...	92.89	109.33	...	109.33	104.07	...	104.07	109.82	...	109.82
2. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र	1076.30	231.89	1308.19	1150.00	250.00	1400.00	1150.00	250.00	1400.00	1192.00	258.00	1450.00
3. विनियामक प्राधिकरण												
3.01 मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी)	95.13	4.01	99.14	110.00	10.00	120.00	104.91	10.00	114.91	110.00	10.00	120.00
3.02 साइबर सुरक्षा (सीईआरटी- इन)	37.00	54.73	91.73	60.00	156.00	216.00	66.30	147.00	213.30	95.00	120.00	215.00
3.03 प्रमाणीकरण प्राधिकरणों का नियंत्रक (सीसीए)	6.71	...	6.71	9.00	...	9.00	8.00	...	8.00	9.00	...	9.00
जोड़- विनियामक प्राधिकरण	138.84	58.74	197.58	179.00	166.00	345.00	179.21	157.00	336.21	214.00	130.00	344.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	1308.03	290.63	1598.66	1438.33	416.00	1854.33	1433.28	407.00	1840.28	1515.82	388.00	1903.82
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम												
4. इलेक्ट्रॉनिकी अभिशासन												
4.01 कार्यक्रम घटक	389.99	...	389.99	400.00	...	400.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00
4.02 ईएपी घटक	15.00	...	15.00	25.00	...	25.00	35.00	...	35.00	25.00	...	25.00
जोड़- इलेक्ट्रॉनिकी अभिशासन	404.99	...	404.99	425.00	...	425.00	535.00	...	535.00	525.00	...	525.00
5. जनशक्ति विकास	190.00	...	190.00	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00	350.00	...	350.00
6. राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क	584.00	...	584.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	650.00	...	650.00
7. इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहन (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर्स)	418.62	60.00	478.62	2601.32	30.00	2631.32	2014.00	...	2014.00	2402.99	0.01	2403.00
8. इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर के बड़े पैमाने हेतु पीएलआई	5300.00	...	5300.00
9. आईटी/आईटीईएस उद्योग को प्रोत्साहन	98.55	...	98.55	150.00	...	150.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
10. साइबर सुरक्षा परियोजनाएं	79.99	...	79.99	200.00	...	200.00	339.00	...	339.00	300.00	...	300.00
11. आईटी/इलेक्ट्रॉनिक्स/सीसीवीटी में अनुसंधान और विकास	420.91	...	420.91	700.00	...	700.00	700.00	...	700.00	598.17	...	598.17
12. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए)	250.00	...	250.00	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00	250.00	...	250.00
13. डिजिटल भुगतान का संवर्धन	523.48	...	523.48	1500.00	...	1500.00	1500.00	...	1500.00	200.00	...	200.00
14. चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़-डिजिटल इंडिया कार्यक्रम	2970.54	60.00	3030.54	6776.33	30.00	6806.33	6388.00	...	6388.00	10676.17	0.01	10676.18
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	2970.54	60.00	3030.54	6776.33	30.00	6806.33	6388.00	...	6388.00	10676.17	0.01	10676.18
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
15. प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी-डैक)	127.00	...	127.00	200.00	...	200.00	217.00	...	217.00	250.00	...	250.00
16. सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी (सी-मेट)	40.00	...	40.00	80.00	...	80.00	78.00	...	78.00	100.00	...	100.00
17. एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और रिसर्च सोसायटी (समीर)	88.00	...	88.00	120.00	...	120.00	116.00	...	116.00	150.00	...	150.00
18. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)	613.00	...	613.00	600.00	...	600.00	884.97	...	884.97	1110.00	...	1110.00
19. भाषकराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना संस्थान	20.00	...	20.00	50.00	...	50.00	48.00	...	48.00	100.00	...	100.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	888.00	...	888.00	1050.00	...	1050.00	1343.97	...	1343.97	1710.00	...	1710.00
अन्य												
20. डिजिटल इंडिया का परिधान पूर्ववर्ती मीडिया लेब एशिया	6.00	...	6.00	10.00	...	10.00	9.00	...	9.00	10.00	...	10.00
21. वास्तविक वसूलियां	-126.90	...	-126.90
जोड़-अन्य	-120.90	...	-120.90	10.00	...	10.00	9.00	...	9.00	10.00	...	10.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	767.10	...	767.10	1060.00	...	1060.00	1352.97	...	1352.97	1720.00	...	1720.00
कुल जोड़	5045.67	350.63	5396.30	9274.66	446.00	9720.66	9174.25	407.00	9581.25	13911.99	388.01	14300.00
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	3263.73	...	3263.73	6734.69	...	6734.69	6396.41	...	6396.41	10432.55	...	10432.55
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	1168.94	...	1168.94	1259.33	...	1259.33	1254.07	...	1254.07	1301.82	...	1301.82
3. जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	613.00	...	613.00	600.00	...	600.00	884.97	...	884.97	1110.00	...	1110.00
4. दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	118.74	118.74	...	196.00	196.00	...	157.00	157.00	...	130.01	130.01
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	231.89	231.89	...	250.00	250.00	...	250.00	250.00	...	258.00	258.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	5045.67	350.63	5396.30	8594.02	446.00	9040.02	8535.45	407.00	8942.45	12844.37	388.01	13232.38
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	680.64	...	680.64	638.80	...	638.80	1067.62	...	1067.62
जोड़-अन्य	680.64	...	680.64	638.80	...	638.80	1067.62	...	1067.62
कुल जोड़	5045.67	350.63	5396.30	9274.66	446.00	9720.66	9174.25	407.00	9581.25	13911.99	388.01	14300.00

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय की स्थापना खर्च के लिए है।

2. **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र:** राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) का एक संबद्ध कार्यालय है। यह नागरिक केंद्रित सेवाओं की प्रदायगी के लिए ई-शासन, आईसीटी अवसंरचना, अनुप्रयोग और सेवाएं प्रदान करने वाला शीर्ष वैज्ञानिक/तकनीकी संगठन है।

3.01. **मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी):** मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) निदेशालय एक संबद्ध कार्यालय है जो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उद्योग और सरकार के लिए परीक्षण, अंशोधन, प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान करता है।

3.02. **साइबर सुरक्षा (सीईआरटी- इन):** आईटी अधिनियम 2000 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार सीईआरटी-इन स्थापित किया गया है। सीईआरटी-इन साइबर घटनाओं पर सूचना के संग्रहण, विश्लेषण और प्रचार-प्रसार, सूचना सुरक्षा प्रक्रियाओं, पद्धतियों, साइबर घटनाओं की रोकथाम, अनुक्रिया और रिपोर्टिंग से संबंधित दिशा-निदेश, परामर्श निर्देश, आरक्षितता नोट और श्वेतपत्र जारी करने जैसे साइबर सुरक्षा के क्षेत्र से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

3.03. **प्रमाणन प्राधिकारियों का नियंत्रक (सीसीए) :** सीसीए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) जारी करने के लिए प्रमाणन प्राधिकारियों (सीए) को लाइसेंस जारी करता है। सीसीए, सीए की सार्वजनिक कुंजियों का प्रमाणन करता है, सीए द्वारा बनाए रखे जाने वाले मानकों का निगरान करता है और अन्य वे प्रकार्य निष्पादित करता है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 18 में शामिल किए गए हैं।

4. **इलेक्ट्रॉनिकी अभिशासन:** व्यापक रूप में ई-गवर्नेंस का उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न विधियों के माध्यम से एकीकृत और अंतर-प्रचालनीय प्रणालियों के माध्यम से उनके इलाके में सभी प्रकार की सरकारी सेवाओं की, ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए, प्रदायगी करना है। विश्व बैंक समर्थित "इंडिया: लोक सेवाओं की ई-प्रदायगी" परियोजना इलेक्ट्रॉनिकी शासन योजना के तहत एक बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना है जिसके तहत नीतियों, मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी, परियोजना विकास आदि के व्यापक क्षेत्रों में भारत सरकार और राज्यों/संघ राज्यों की विभिन्न ई-शासन पहल के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

5. **जनशक्ति विकास:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी उद्योग के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। इन पहल में औपचारिक क्षेत्रों से सामने आने वाली कमियों की पहचान करना और इन कमियों को दूर करने के लिए गैर-औपचारिक और औपचारिक क्षेत्र में कार्यक्रमों की योजना बनाना, शामिल है।

6. **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क:** इस योजना को देश भर के ज्ञान संस्थानों को कनेक्ट करने के लिए कई गीगाबिट बैंडविड्थ के साथ राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना करने के लिए शुरू किया गया है।

7. **इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहन (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर):** सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर रही है ताकि उद्योग के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए समर्थकारी वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण "डिजिटल इंडिया" और "मेक इन इंडिया" कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। निवल शून्य आयात प्राप्त करने का इसका लक्ष्य इसके आशय की एक शानदार अभिव्यक्ति है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति, 2019 (एनपीई 2019) में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने हेतु देश में चिपसेट सहित प्रमुख कल-पुरजे विकसित करने और उद्योग के लिए समर्थकारी वातावरण बनाने के

लिए देश में क्षमताओं को प्रोत्साहित करके इलेक्ट्रॉनिकी सिस्टम डिजाइन एंड मैनुफैक्चरिंग (ईएसडीएम) के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में भारत को स्थापित करने की परिकल्पना की गयी है।

8. **इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर के बड़े पैमाने हेतु पीएलआई:** उत्पादन से जुड़ी दो प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और क्रमशः मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक कल-पुरजों और आईटी हार्डवेयर में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक कल-पुरजों के लिए पीएलआई योजना के तहत, भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष 2019-20 से अधिक) पर 6% से 3% की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और पात्र कंपनियों को लक्ष्य खंड के तहत पांच साल की अवधि तक कवर किया जाएगा। आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना के तहत, भारत में निर्मित लैपटॉप, सर्वर, टैबलेट और आल-इन-वन पीसी के लिए पात्र कंपनियों को वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष 2019-20 से अधिक) पर 4% से 2% की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और पात्र कंपनियों को लक्ष्य खंड के तहत चार साल की अवधि तक कवर किया जाएगा।

9. **आईटी/आईटीईएस उद्योग को प्रोत्साहन:** डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत देश भर में बीपीओ/आईटीईएस प्रचालनों को प्रोत्साहित करने के लिए, विशेष रूप से डिजिटल कमी वाले क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजन करने के लिए और आईटी/ आईटीईएस उद्योग के संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए, आईटी के लिए नौकरियों स्तंभ के अन्तर्गत दो योजनाओं (एनईवीपीएस और आईवीपीएस) का कार्यान्वयन शुरू किया गया है।

10. **साइबर सुरक्षा परियोजनाएं:** इस योजना का उद्देश्य सुरक्षा नीति, अनुपालन और आश्वासन, सुरक्षा, घटना-प्रारंभिक चेतावनी और अनुक्रिया, सुरक्षा प्रशिक्षण, कानूनी ढांचे और सहयोग को सक्षम बनाने के लिए कई तरह की पहल शुरू करके देश के साइबर स्पेस को सुरक्षित करने की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना है।

11. **आईटी/इलेक्ट्रॉनिकी/सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास:** अनुसंधान एवं विकास का समर्थन करके उभरती हुई प्रौद्योगिकी का प्रसार और समामेलन आवश्यक अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना और वैज्ञानिक एवं तकनीकी मानव पूंजी बनाने के अलावा इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। इन प्रयासों के परिणाम से देश में स्टार्ट-अप आधार में वृद्धि, आईपी पोर्टफोलियो में बड़ोतरी, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और प्रविधि के विकास तथा विनिर्माण के लिए भारतीय कंपनियों को इसके हस्तांतरण की उम्मीद है। विभाग द्वारा समर्थित केंद्रित अनुसंधान एवं विकास को इलेक्ट्रॉनिकी (इलेक्ट्रॉनिकी सिस्टम डिजाइन और अनुप्रयोग, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक, नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक संघटक और सामग्री प्रौद्योगिकी, चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिकी और स्वास्थ्य सूचना विज्ञान, नवाचार संवर्धन और स्टार्ट-अप, टीडीआईएल के तहत राष्ट्रीय भाषा प्रौद्योगिकी मिशन (एनएलटीएम), उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग (एचपीसी) में अनुसंधान एवं विकास के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसमें राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन; सूचना प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास (ब्लॉकचैन, क्लाउड प्रौद्योगिकी, कृत्रिम आसूचना, परसेप्टन इंजीनियरिंग और डेटा एनालिटिक्स); सीसी एंड बीटी में अनुसंधान एवं विकास (अगली पीढ़ी संचार -5जी और उससे आगे, संज्ञानात्मक और सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो और नेटवर्क, क्लाउड संचार, आईओटी, बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्रॉडबैंड वायरलेस प्रौद्योगिकी और सामरिक इलेक्ट्रॉनिकी); और सुरक्षा विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास शामिल हैं।

12. **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए):** इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए, खासकर डिजिटल भुगतान के लिए कंप्यूटर या डिजिटल एक्सेस डिवाइस संचालित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना है।

13. **डिजिटल भुगतान का संवर्धन:** हमारे देश के प्रत्येक भाग को डिजिटल भुगतान सेवाओं के औपचारिक दायरे में लाने के लिए भारत सरकार ने डिजिटल भुगतानों के प्रोत्साहन को उच्चतम प्राथमिकता दी है। भारत के सभी नागरिकों को सुविधाजनक, आसान, किरायायती त्वरित और सुरक्षित तरीके से बाधारहित डिजिटल भुगतान करने की सुविधा प्रदान करना इसका लक्ष्य है।

14. **बैंपियन सेवा क्षेत्र योजना:** इस योजना ने विकास को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने, रोजगार उत्पन्न करने, गुणवत्ता और मानकों में सुधार करने की क्षमता को साकार करने के लिए 12 बैंपियन सेवा क्षेत्रों की पहचान की है। सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी और आईटीईएस) 12 अभिजात क्षेत्रों में से एक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नोडल मंत्रालय है।

15. **प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी-डैक):** सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी तथा संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए शीर्ष अनुसंधान एवं विकास संगठन है। इसके बेंगलूरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मोहाली, मुम्बई, नोएडा, पटना, पुणे, सिलचर तथा तिरुवनंतपुरम शहरों में 12 केन्द्र हैं। सी-डैक जिन प्रमुख क्षेत्रों में फिलहाल काम कर रहा है उनमें उच्च कार्यनिष्पादन, गिड और क्लाउड कम्प्यूटिंग (राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन सहित); बहुभाषी कम्प्यूटिंग; पेशेवर इलेक्ट्रॉनिकी; सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी; साइबर सुरक्षा और साइबर फोरेंसिक्स; स्वास्थ्य सूचना विज्ञान; और शिक्षण और प्रशिक्षण शामिल हैं।

16. **सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (सी-मेट):** यह उच्च प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री में काम कर रही एमईआईटीवाई की एक पंजीकृत वैज्ञानिक सोसायटी है जिसमें एलटीसीसी इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग, ऊर्जा भंडारण सामग्री (रिचार्जबल बैटरी, सुपर कैपेसिटर, हाइड्रोजन स्टोरेज), अक्षय ऊर्जा सामग्री (सौर सेल, हाइड्रोजन और ईंधन सेल), फोटोनिक्स के साथ एडिटिव मैनुफैक्चरिंग, क्वांटम सामग्री और नैनो सामग्री सहित 2डी सामग्री शामिल हैं। C-MET अल्ट्राप्योर इलेक्ट्रॉनिक मेटेरियल्स कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स (SiC), इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज और RoHS कंप्लायंस पर भी काम कर रहा है, साथ ही माइक्रोवेव डाइइलेक्ट्रिक्स मेटेरियल्स और पैकेजिंग, एक्स्पूटर्स / सेंसर्स के लिए मल्टिलेयर सेरामिक्स और बायोमेडिकल एप्लीकेशन के लिए प्लास्मोनिक मेटेरियल्स सेंसर पर भी काम कर रहा है।

17. **एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और रिसर्च सोसायटी (समीर):** यह विभाग की एक पंजीकृत वैज्ञानिक संस्था है जो माइक्रोवेव, मिलीमीटरवेव और विद्युत चुंबकत्व के उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में इन प्रौद्योगिकियों के लिए अनुप्रयोग डेवलप करने के विशेष लक्ष्य के साथ काम कर रहा है। इसके मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी में पांच केन्द्र हैं।

18. **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई):** सुशासन की दृष्टि से सख्ति, लाभ और सेवाओं के कुशल, पारदर्शी और लक्षित वितरण के लिए, जिसके लिए भारत की संचित निधि/राज्यों की संचित निधि से व्यय किया जाता है, व्यवस्था करने हेतु (वित्तीय और अन्य सख्ति, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 को लागू करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की स्थापना की गई है। इसलिए, इसका उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी सेवाओं के निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निष्पादन के माध्यम से 'सुशासन' प्रदान करना है। यह जीवन को आसान बनाने की दिशा में प्रत्येक निवासी को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है।

19. **भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना संस्थान:** यह एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसाइटी है, जो प्रौद्योगिकी विकास और प्रबंधन, अनुसंधान और विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा, क्षमता निर्माण और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहायक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उद्यमिता विकास की सुविधा प्रदान करने के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एमईआईटीवाई के तहत पंजीकृत है।

20. **डिजिटल इंडिया कापॉरेशन पूर्ववर्ती मीडिया लैब एशिया:** यह एमईआईटीवाई के अंतर्गत धारा 8 कम्पनी के रूप में गठित की गई है, जो आम आदमी के लिए आजीविका सृजन, दिव्यांग सशक्तिकरण, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षण के क्षेत्र में आईसीटी समाधानों के लाभ पर केंद्रित रूप से कार्य करता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

मांग संख्या 28

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2029.84	33.09	2062.93	3014.10	122.48	3136.58	2738.14	48.51	2786.65	3170.00	115.00	3285.00
वसूलियां	-96.01	...	-96.01	-261.65	...	-261.65	-261.65	...	-261.65	-250.00	...	-250.00
प्राप्तियां	-5.00	...	-5.00	-5.00	...	-5.00	-5.00	...	-5.00
निवल	1933.83	33.09	1966.92	2747.45	122.48	2869.93	2471.49	48.51	2520.00	2915.00	115.00	3030.00
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	122.63	...	122.63	147.82	...	147.82	145.31	...	145.31	168.74	...	168.74
2. संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय												
2.01 क्षेत्रीय कार्यालय	29.68	0.13	29.81	45.00	5.40	50.40	45.00	0.40	45.40	48.50	1.50	50.00
2.02 राष्ट्रीय वनरोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड	9.57	...	9.57	9.50	...	9.50	7.19	...	7.19	8.30	...	8.30
2.03 भारतीय वन सर्वेक्षण	25.53	0.24	25.77	30.00	0.58	30.58	30.83	0.15	30.98	33.50	0.50	34.00
2.04 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी	24.24	7.30	31.54	42.00	9.50	51.50	39.79	9.50	49.29	43.50	5.00	48.50
2.05 राज्य वन सेवा एवं रेंजर कॉलेज	12.12	5.16	17.28	14.50	10.00	24.50	13.44	9.45	22.89	15.50	18.00	33.50
2.06 वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो	8.32	...	8.32	11.00	...	11.00	11.50	...	11.50	12.50	...	12.50
2.07 भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण	61.63	6.12	67.75	72.00	6.00	78.00	73.00	6.00	79.00	79.00	6.00	85.00
2.08 भारतीय प्राणिशास्त्र सर्वेक्षण	59.72	6.27	65.99	67.00	15.00	82.00	70.00	11.00	81.00	78.75	9.00	87.75
2.09 राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय	11.18	2.89	14.07	12.00	7.00	19.00	12.93	7.00	19.93	15.00	7.00	22.00
2.10 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण	34.25	...	34.25	43.00	61.00	104.00	44.00	0.01	44.01	45.00	61.00	106.00
जोड़- संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय	276.24	28.11	304.35	346.00	114.48	460.48	347.68	43.51	391.19	379.55	108.00	487.55
3. राष्ट्रीय प्राणी उद्यान												
3.01 सकल बजटीय सहायता	20.10	4.98	25.08	23.00	8.00	31.00	27.00	5.00	32.00	27.50	7.00	34.50
3.02 गेट प्राप्तियां घटाएं	-5.00	...	-5.00	-5.00	...	-5.00	-5.00	...	-5.00
निवल	20.10	4.98	25.08	18.00	8.00	26.00	22.00	5.00	27.00	22.50	7.00	29.50
4. राष्ट्रीय प्राधिकरण												
4.01 सकल बजटीय सहायता	89.31	...	89.31	261.65	...	261.65	261.65	...	261.65	250.00	...	250.00
4.02 राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति बनीकरण निधि से प्राप्त राशि घटाएं	-89.31	...	-89.31	-261.65	...	-261.65	-261.65	...	-261.65	-250.00	...	-250.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<i>निम्न</i>
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	418.97	33.09	452.06	511.82	122.48	634.30	514.99	48.51	563.50	570.79	115.00	685.79
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
पर्यावरण ज्ञान और क्षमता निर्माण												
5. वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण												
5.01 कार्यक्रम घटक	1.96	...	1.96	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00	8.62	...	8.62
5.02 ईएपी घटक
जोड़- वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	1.96	...	1.96	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00	8.62	...	8.62
6. पारिस्थितिकी कार्य बल	38.00	...	38.00	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	70.00	...	70.00
जोड़-पर्यावरण ज्ञान और क्षमता निर्माण	39.96	...	39.96	70.00	...	70.00	65.00	...	65.00	78.62	...	78.62
राष्ट्रीय तटीय प्रबन्धन कार्यक्रम												
7. राष्ट्रीय तटीय मिशन (एनसीएम)												
7.01 कार्यक्रम घटक	7.34	...	7.34	50.00	...	50.00	30.90	...	30.90	25.00	...	25.00
7.02 ईएपी घटक	61.00	...	61.00	150.00	...	150.00	70.00	...	70.00	170.00	...	170.00
जोड़- राष्ट्रीय तटीय मिशन (एनसीएम)	68.34	...	68.34	200.00	...	200.00	100.90	...	100.90	195.00	...	195.00
पर्यावरण संरक्षण, प्रबन्धन और धारणीय विकास												
8. प्रदूषण उपशमन	5.45	...	5.45
9. घातक पदार्थों का प्रबंधन (एचएसएम)												
9.01 कार्यक्रम घटक	3.30	...	3.30	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	4.50	...	4.50
9.02 ईएपी घटक
जोड़- घातक पदार्थों का प्रबंधन (एचएसएम)	3.30	...	3.30	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	4.50	...	4.50
10. जलवायु परिवर्तन कार्रवाई योजना	20.40	...	20.40	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
11. राष्ट्रीय अनुकूलन कोष	43.08	...	43.08	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00
12. हिमालय अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन	29.45	...	29.45	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	48.00	...	48.00
जोड़-पर्यावरण संरक्षण, प्रबन्धन और धारणीय विकास	101.68	...	101.68	136.00	...	136.00	136.00	...	136.00	142.50	...	142.50
पर्यावरण जागरूकता, नीति, आयोजना और परिणाम मूल्यांकन हेतु निर्णय सहायक प्रणाली												
13. पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण	49.62	...	49.62	77.13	...	77.13	72.73	...	72.73	58.70	...	58.70
14. पर्यावरण सूचना प्रणाली (ईएनवीआईएस)	19.39	...	19.39	35.00	...	35.00	30.27	...	30.27	23.50	...	23.50
15. उत्कृष्टता केन्द्र	4.81	...	4.81
16. संरक्षण और विकास के लिए अनुसंधान और विकास	2.58	...	2.58	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	4.75	...	4.75
जोड़-पर्यावरण जागरूकता, नीति, आयोजना और परिणाम मूल्यांकन हेतु निर्णय सहायक प्रणाली	76.40	...	76.40	117.13	...	117.13	108.00	...	108.00	86.95	...	86.95
17. प्रदूषण नियंत्रण	267.41	...	267.41	470.00	...	470.00	390.10	...	390.10	460.00	...	460.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	553.79	...	553.79	993.13	...	993.13	800.00	...	800.00	963.07	...	963.07
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
18. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	99.50	...	99.50	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
19. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	7.19	...	7.19	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00	10.00	...	10.00
20. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण	10.80	...	10.80	19.50	...	19.50	19.50	...	19.50	17.50	...	17.50
21. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण	7.40	...	7.40	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
22. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	17.00	...	17.00
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	124.89	...	124.89	160.50	...	160.50	160.50	...	160.50	154.50	...	154.50
स्वायत्त निकाय												
23. जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान	16.70	...	16.70	24.00	...	24.00	24.00	...	24.00	22.00	...	22.00
24. भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद	218.03	...	218.03	220.00	...	220.00	230.00	...	230.00	210.00	...	210.00
25. भारतीय वन प्रबंधन संस्थान	23.50	...	23.50	27.75	...	27.75	27.75	...	27.75	25.00	...	25.00
26. भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान	10.25	...	10.25	8.25	...	8.25	8.25	...	8.25	7.45	...	7.45
27. भारतीय वन्यजीव संस्थान	22.00	...	22.00	25.50	...	25.50	25.50	...	25.50	23.00	...	23.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	290.48	...	290.48	305.50	...	305.50	315.50	...	315.50	287.45	...	287.45
अन्य												
28. सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र (एसएसीओएन)	10.50	...	10.50	10.50	...	10.50	9.00	...	9.00
29. वास्तविक वसूलियां	-6.70	...	-6.70
जोड़-अन्य	-6.70	...	-6.70	10.50	...	10.50	10.50	...	10.50	9.00	...	9.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	408.67	...	408.67	476.50	...	476.50	486.50	...	486.50	450.95	...	450.95
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
पर्यावरण, वानिकी और वन्य जीव												
30. हरित भारत संबंधित राष्ट्रीय मिशन												
30.01 हरित भारत मिशन- राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम	157.62	...	157.62	235.00	...	235.00	205.00	...	205.00	300.00	...	300.00
30.02 ग्रीन इंडिया मिशन-राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (ईएपी घटक)	0.42	...	0.42	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	17.50	...	17.50
30.03 वन की आग की रोकथाम और प्रबंधन	32.86	...	32.86	40.00	...	40.00	35.00	...	35.00	44.19	...	44.19
जोड़- हरित भारत संबंधित राष्ट्रीय मिशन	190.90	...	190.90	290.00	...	290.00	255.00	...	255.00	361.69	...	361.69
31. वन्यजीव वास स्थानों का समेकित विकास												
31.01 बाघ परियोजना	194.70	...	194.70	250.00	...	250.00	220.00	...	220.00	300.00	...	300.00
31.02 हाथी परियोजना	24.95	...	24.95	33.00	...	33.00	32.00	...	32.00	35.00	...	35.00
31.03 वन्य जीव पर्यावासों का विकास	89.56	...	89.56	116.00	...	116.00	96.00	...	96.00	132.50	...	132.50
31.04 वन्यजीव का पर्यावास विकास (ईएपी घटक)	10.00	...	10.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	42.50	...	42.50
जोड़- वन्यजीव वास स्थानों का समेकित विकास	319.21	...	319.21	414.00	...	414.00	363.00	...	363.00	510.00	...	510.00
32. प्राकृतिक संसाधनों तथा पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण												

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
32.01 जैव विविधता संरक्षण	7.93	...	7.93	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	8.50	...	8.50
32.02 जलीय पारिस्थितिकी का संरक्षण	32.86	...	32.86	48.40	...	48.40	38.40	...	38.40	48.40	...	48.40
32.03 जलीय पारिस्थितिकी का संरक्षण (ईएपी घटक)	1.50	...	1.50	1.60	...	1.60	1.60	...	1.60	1.60	...	1.60
जोड़- प्राकृतिक संसाधनों तथा पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण	42.29	...	42.29	62.00	...	62.00	52.00	...	52.00	58.50	...	58.50
जोड़-पर्यावरण, वानिकी और वन्य जीव	552.40	...	552.40	766.00	...	766.00	670.00	...	670.00	930.19	...	930.19
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	552.40	...	552.40	766.00	...	766.00	670.00	...	670.00	930.19	...	930.19
कुल जोड़	1933.83	33.09	1966.92	2747.45	122.48	2869.93	2471.49	48.51	2520.00	2915.00	115.00	3030.00
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. वानिकी और वन्य जीवन	475.45	...	475.45	586.50	...	586.50	591.08	...	591.08	594.00	...	594.00
2. पारिस्थितिकी और पर्यावरण	803.52	...	803.52	1235.58	...	1235.58	1066.43	...	1066.43	1215.75	...	1215.75
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	122.63	...	122.63	147.82	...	147.82	145.31	...	145.31	168.74	...	168.74
4. वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय	...	17.81	17.81	...	33.48	33.48	...	24.50	24.50	...	32.00	32.00
5. अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	...	15.28	15.28	...	89.00	89.00	...	24.01	24.01	...	83.00	83.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	1401.60	33.09	1434.69	1969.90	122.48	2092.38	1802.82	48.51	1851.33	1978.49	115.00	2093.49
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	179.00	...	179.00	147.00	...	147.00	193.00	...	193.00
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	532.23	...	532.23	594.90	...	594.90	520.57	...	520.57	742.06	...	742.06
8. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3.65	...	3.65	1.10	...	1.10	1.45	...	1.45
जोड़-अन्य	532.23	...	532.23	777.55	...	777.55	668.67	...	668.67	936.51	...	936.51
कुल जोड़	1933.83	33.09	1966.92	2747.45	122.48	2869.93	2471.49	48.51	2520.00	2915.00	115.00	3030.00

1 - 4. केन्द्र का स्थापना व्यय: यह प्रावधान राष्ट्रीय प्राणी उद्यान एवं राष्ट्रीय प्राधिकरण सहित सचिवालय व्यय एवं सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए है। अन्य स्थापना संबंधी व्यय प्रावधानों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रभाव आकलन, मीडिया, प्रचार और सूचना के प्रावधान भी शामिल हैं।

5 और 6. पर्यावरणीय ज्ञान और क्षमता निर्माण - अम्ब्रेला सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम की दो उप-स्कीमें - (i) वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (ii) इको टास्क फोर्स हैं। योजना 'वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण' का लक्ष्य वानिकी क्षेत्र के कर्मियों के प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर की पूरी जरूरत को कवर करना है। इको टास्क योजना गंभीर अवक्रमण या दूरवर्ती अवस्थिति की वजह से खराब हो गए भू-भाग की पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना करने के लिए रक्षा मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

7. राष्ट्रीय तट प्रबंधन कार्यक्रम : मंत्रालय का उत्तरदायित्व मछुआरों सहित तटीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा; तटीय भागों का संरक्षण, सुरक्षा करना और वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर वहनीय विकास को बढ़ावा देना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में संरक्षण, सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भी मंत्रालय उत्तरदायी है। तटीय राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में विश्व बैंक की सहायता से एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन परियोजना भी क्रियान्वित की जा रही है।

8-12. पर्यावरण-संरक्षण, प्रबंधन और वहनीय विकास : अम्ब्रेला स्कीम स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के विकास और औद्योगिक संयंत्रों में प्रदूषण का उपशमन करने में भी सहायता देती है। जलवायु परिवर्तन के खतरे की बढ़ती मान्यता और घरेलू नीति निर्माण एवं नियोजन के क्षेत्र के रूप में इसके महत्व को इस अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत पहचान मिली है, जिसके अंतर्गत प्रदूषण उपशमन के कार्यक्रमों/परियोजनाओं, खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि और राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

13 - 16 पर्यावरण के प्रति जागरूकता, नीति, नियोजन और निष्कर्ष मूल्यांकन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली : स्कीम प्रदर्शनियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता लाती है और पर्यावरण संबंधी शिक्षा प्रदान करती है। अन्य उद्देश्यों में पर्यावरण से जुड़ी सूचना का संग्रह, बड़े हितधारकों को सूचना का संप्रेषण और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन शामिल हैं। पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रावधानों में स्वच्छता कार्य योजना के प्रावधान शामिल हैं।

17. **प्रदूषण नियंत्रण:** प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण की अवधारणा रखी गई है जिसमें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) को वित्तपोषण शामिल है।

18 - 21. सांविधिक और विनियामक निकाय : मंत्रालय में चार निकाय हैं - केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण (सीजेडए), राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए)।

22. **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग:** वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग: एक नवगठित सांविधिक और विनियामक निकाय। यह आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु कार्य करता है।

23- 27. स्वायत्त निकाय : मंत्रालय अनुसंधान और विकास कार्यों में लगे विभिन्न स्वायत्त निकायों/संस्थानों, नामतः भारतीय वानिकी प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम), भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (आईपीआईआरटीआई), भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यू आईआई), जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण और वहनीय विकास संस्थान (जीबीपीएनआईएचईएसडी) को सहायता देता है।

28. **सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र (एसएसीओएन):** सलीम अली पक्षी विज्ञान और राष्ट्रीय इतिहास केंद्र (एसएसीओएन): पक्षी विज्ञान पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्राकृतिक इतिहास के समूचे क्षेत्र को शामिल करने हेतु एक पंजीकृत सोसाइटी।

30. **हरित भारत संबंधित राष्ट्रीय मिशन:** वन क्षेत्र में वृद्धि करने और मौजूदा वन भूमि की सुरक्षा के लिए मंत्रालय की दो योजनागत स्कीमें हैं, नामतः हरित भारत मिशन -राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम और वन अग्नि निवारण प्रबंधन। वन प्रबंधन योजना की गहनता का नाम 2018-19 में वन अग्नि निवारण प्रबंधन में बदल दिया गया है।

31. **वन्यजीव वास स्थानों का समेकित विकास:** देश के वन्यजीवों के संरक्षण के लिए मंत्रालय की तीन मुख्य स्कीमें हैं; नामतः व्याघ्र परियोजना, हाथी परियोजना और वन्यजीव पर्यावासों का विकास।

32. **प्राकृतिक संसाधनों तथा पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण:** देश के प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी-प्रणाली के संरक्षण के लिए मंत्रालय जैव-क्षेत्रों, नमभूमि और झील जैसे क्षेत्रों में प्रयास करता रहा है।

विदेश मंत्रालय

मांग संख्या 29

विदेश मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	13223.35	1142.49	14365.84	16663.98	1490.75	18154.73	14919.41	1080.59	16000.00	15838.77	1416.23	17255.00
<i>वसूलियां</i>	-33.17	-3.44	-36.61	-5.00	...	-5.00
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	13190.18	1139.05	14329.23	16663.98	1490.75	18154.73	14919.41	1080.59	16000.00	15833.77	1416.23	17250.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	396.91	...	396.91	522.85	...	522.85	489.73	...	489.73	541.79	...	541.79
2. राजदूतावास एवं मिशन	2797.16	...	2797.16	3240.07	...	3240.07	3397.99	...	3397.99	3769.06	...	3769.06
3. पासपोर्ट एवं उत्प्रवासन	936.61	...	936.61	1328.63	...	1328.63	1056.28	...	1056.28	996.67	...	996.67
4. विदेश में महिलाओं के कल्याण के लिए योजना												
4.01 वन स्टाप सेंटर (निर्भया निधि से वित्त-पोषित)	5.00	...	5.00
4.02 निर्भया निधि से पूरी की गई धनराशि	-5.00	...	-5.00
<i>निवल</i>
5. मंत्रालय के अन्य व्यय	112.08	603.34	715.42	156.14	610.00	766.14	86.95	600.00	686.95	144.22	710.00	854.22
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	4242.76	603.34	4846.10	5247.69	610.00	5857.69	5030.95	600.00	5630.95	5451.74	710.00	6161.74
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम/परियोजनाएं												
देशों को सहायता												
6. भूटान	1558.52	539.15	2097.67	2124.20	880.75	3004.95	1274.64	480.59	1755.23	1560.01	706.23	2266.24
7. अफगानिस्तान	348.82	...	348.82	350.00	...	350.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00
8. बांग्लादेश	177.98	...	177.98	200.00	...	200.00	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00
9. नेपाल	879.10	...	879.10	992.00	...	992.00	650.00	...	650.00	750.00	...	750.00
10. श्रीलंका	44.81	...	44.81	200.00	...	200.00	50.00	...	50.00	200.00	...	200.00
11. मालदीव	160.20	...	160.20	250.00	...	250.00	260.00	...	260.00	360.00	...	360.00
12. म्यानमार	347.06	...	347.06	400.00	...	400.00	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00
13. मंगोलिया	0.48	...	0.48	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	12.00	...	12.00
14. अफ्रीकी देश	226.28	...	226.28	300.00	...	300.00	200.00	...	200.00	250.00	...	250.00

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
15. यूरेशियाई देश	45.42	...	45.42	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	140.00	...	140.00
16. लैटिन अमरीकी देश	11.77	...	11.77	40.00	...	40.00	55.00	...	55.00	40.00	...	40.00
17. अन्य विकासशील देश	117.13	...	117.13	130.00	...	130.00	90.00	...	90.00	150.00	...	150.00
18. आपदा राहत	6.87	...	6.87	20.00	...	20.00	5.00	...	5.00	10.00	...	10.00
19. चाबहार पत्तन	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
20. मॉरीशस	652.06	...	652.06	900.00	...	900.00	900.00	...	900.00	900.00	...	900.00
21. सेथेल्स	90.29	...	90.29	160.00	...	160.00	20.00	...	20.00	14.06	...	14.06
जोड़-देशों को सहायता	4666.79	539.15	5205.94	6268.20	880.75	7148.95	4806.64	480.59	5287.23	5586.07	706.23	6292.30
22. अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण/कार्यक्रमों को सहायता	386.57	...	386.57	476.20	...	476.20	401.20	...	401.20	447.70	...	447.70
23. संस्कृति और विरासत परियोजना हेतु सहायता	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	5053.36	539.15	5592.51	6754.40	880.75	7635.15	5217.84	480.59	5698.43	6043.77	706.23	6750.00
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
24. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर)	217.50	...	217.50	300.00	...	300.00	239.74	...	239.74	320.00	...	320.00
25. अन्य स्वशासी निकायों को सहायता	24.79	...	24.79	33.14	...	33.14	43.41	...	43.41	34.90	...	34.90
जोड़-स्वायत्त निकाय	242.29	...	242.29	333.14	...	333.14	283.15	...	283.15	354.90	...	354.90
अन्य												
26. विशेष कूटनीतिक खर्च	2600.39	...	2600.39	3000.01	...	3000.01	3240.01	...	3240.01	3100.01	...	3100.01
27. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	584.15	...	584.15	565.97	...	565.97	679.86	...	679.86	518.86	...	518.86
28. नालंदा विश्वविद्यालय	200.00	...	200.00	250.00	...	250.00	350.00	...	350.00	200.00	...	200.00
29. दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय	61.28	...	61.28	314.00	...	314.00	94.00	...	94.00	128.00	...	128.00
30. वीवीआईपी यात्राओं के लिए एयर इंडिया के वायुयानों की रखरखाव लागत	230.81	...	230.81	150.00	...	150.00
31. सीमाओं का रेखांकन	0.27	...	0.27	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
32. प्रवासी भारतीय दिवस महोत्सव	20.00	...	20.00	5.00	...	5.00	10.00	...	10.00
33. विदेशी तीर्थयात्राओं के संबंधित व्यय	0.02	...	0.02	1.00	...	1.00	0.13	...	0.13	1.00	...	1.00
34. विनिमय द्वारा हानि	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
35. प्रशिक्षण	8.02	...	8.02	25.76	...	25.76	16.46	...	16.46	23.48	...	23.48
36. वास्तविक वसूलियां	-33.17	-3.44	-36.61
जोड़-अन्य	3651.77	-3.44	3648.33	4328.75	...	4328.75	4387.47	...	4387.47	3983.36	...	3983.36
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	3894.06	-3.44	3890.62	4661.89	...	4661.89	4670.62	...	4670.62	4338.26	...	4338.26
कुल जोड़	13190.18	1139.05	14329.23	16663.98	1490.75	18154.73	14919.41	1080.59	16000.00	15833.77	1416.23	17250.00
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	392.78	...	392.78	522.85	...	522.85	489.73	...	489.73	541.79	...	541.79

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2. विदेशी मामले	7751.76	...	7751.76	9386.72	...	9386.72	9211.83	...	9211.83	9248.20	...	9248.20
3. विविध सामान्य सेवाएं	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
4. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	254.80	254.80	...	260.00	260.00	...	310.00	310.00	...	410.00	410.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	8144.54	254.80	8399.34	9909.58	260.00	10169.58	9701.57	310.00	10011.57	9790.00	410.00	10200.00
सामाजिक सेवाएं												
5. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	...	345.10	345.10	...	350.00	350.00	...	290.00	290.00	...	300.00	300.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	...	345.10	345.10	...	350.00	350.00	...	290.00	290.00	...	300.00	300.00
अन्य												
6. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	5045.64	...	5045.64	6754.40	...	6754.40	5217.84	...	5217.84	6043.77	...	6043.77
7. विदेशी सरकारों को अग्रिम	...	539.15	539.15	...	880.75	880.75	...	480.59	480.59	...	706.23	706.23
जोड़-अन्य	5045.64	539.15	5584.79	6754.40	880.75	7635.15	5217.84	480.59	5698.43	6043.77	706.23	6750.00
कुल जोड़	13190.18	1139.05	14329.23	16663.98	1490.75	18154.73	14919.41	1080.59	16000.00	15833.77	1416.23	17250.00

1. **सचिवालय:** यह विदेश मंत्रालय सचिवालय, मुख्यालयों में लोक राजनय, स्टेट सुविधा एवं जानकारी सहायता, छात्रावास और आवासीय परिसर के संबंध में व्यय की व्यवस्था करता है।

2. **राजदूतावास एवं मिशन:** यह विदेशों में मिशनों/केंद्रों में भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए व्यय की व्यवस्था करता है।

3. **पासपोर्ट एवं उत्खवासन:** यह पासपोर्ट कार्यालयों, यात्रा दस्तावेजों की छपाई, पासपोर्ट आवेदनों और फाइलों की स्कैनिंग, पासपोर्ट प्रिंटरों की लीज, पासपोर्ट प्रिंटरों की खरीद, पासपोर्ट कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण, केंद्रीय अधिनियमों के प्रशासन, उत्खवासियों के महासंरक्षक के लिए राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों को भुगतान, भारत को जानिए कार्यक्रम, विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, विदेशों में रहने वाले भारतीयों के साथ सांस्कृतिक संबंधों के संवर्धन इत्यादि के संबंध में व्यय की व्यवस्था करता है।

4. **विदेश में महिलाओं के कल्याण के लिए योजना:** विदेश में समस्या का सामना कर रही महिलाओं को निर्भया निधि से वित्तीय/चिकित्सा/कानूनी सहायता प्रदान करना।

5. **मंत्रालय के अन्य व्यय:** यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, गण्यमान्य व्यक्तियों के मनोरंजन, कलाकृतियों की खरीद, विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत वापस भेजने, युद्ध/तामरिक उपद्रव के कारण भारतीयों को निकालने, विदेशों में उच्चस्तरीय दौरों, लोक निर्माण कार्य एवं हाउसिंग के संबंध में पूंजीगत परिव्यय, स्वर्णप्रवास योजना इत्यादि के संबंध में व्यय की व्यवस्था करता है।

6 - 23. देशों को सहायता, अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को सहायता: यह प्रावधान आस-पड़ोस के देशों और अन्य विकासशील देशों को भारत की बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय सहायता और सहयोग कार्यक्रमों के लिए है। यह सहायता भारत की सीमाओं से लगे देशों और अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और लैटिन अमरीका के देशों को भी मुहैया कराई जाती है। इसके अंतर्गत आपदा राहत और लोकोपकारी सहायता के लिए भी व्यय की व्यवस्था की जाती है। इस प्रावधान में भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान को वित्तीय सहायता भी शामिल है।

24 और 25. स्वायत्त निकाय: इसमें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर), भारतीय विश्व कार्य परिषद (आईसीडब्ल्यूए) और गुट-निरपेक्ष एवं अन्य विकासशील देशों के लिए अनुसंधान, सूचना प्रणाली सोसायटी (आरआईएस) एवं प्रवास के लिए भारत केंद्र के लिए सहायता अनुदान-वेतन तथा सहायता अनुदान-सामान्य के लिए व्यय की व्यवस्था की गई है।

26-35. अन्य केंद्रीय क्षेत्र व्यय (अन्य): इसके अंतर्गत विवेकाधीन व्यय, राष्ट्रमंडल सचिवालय, अंतरराष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, सार्क सचिवालय, दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय और नालन्दा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए व्यय की व्यवस्था की गई है। यह अति-अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की यात्रा के लिए एयर इंडिया के विमान की रख-रखाव लागत, सीमाओं के सीमांकन के लिए भी व्यय की व्यवस्था करता है। इससे प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन, कैलाश मानसरोवर यात्रा, भारतीय अंतरराष्ट्रीय विधि सोसायटी, चीनी अध्ययन संस्थान की सहायता, भूमि कल्याण अध्ययन केंद्र, यूएन शांति स्थापना केंद्र और विदेश सेवा संस्थान संबंधी व्यय के लिए भी व्यय की व्यवस्था की जाती है।

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 30
आर्थिक कार्य विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	6062.91	20792.78	26855.69	4649.12	94900.41	99549.53	5718.97	49449.86	55168.83	6736.88	13189.92	19926.80	
वसूलियां	-0.09	-5721.24	-5721.33	...	-6518.00	-6518.00	...	-5407.61	-5407.61	...	-3518.00	-3518.00	
प्राप्तियां	-649.02	-7226.81	-7875.83	-128.34	-31775.01	-31903.35	-628.45	-33516.67	-34145.12	-593.52	-1275.02	-1868.54	
निवल	5413.80	7844.73	13258.53	4520.78	56607.40	61128.18	5090.52	10525.58	15616.10	6143.36	8396.90	14540.26	
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. सचिवालय													
1.01	आर्थिक कार्य विभाग	121.28	...	121.28	156.59	...	156.59	176.32	...	176.32	211.28	...	211.28
2. संबद्ध कार्यालय													
2.01	दूतावास, वॉशिंगटन, बीजिंग, टोक्यो आदि के आर्थिक विंग	13.06	...	13.06	18.29	...	18.29	23.38	...	23.38	19.42	...	19.42
2.02	वायदा बाजार आयोग	0.18	...	0.18	0.34	...	0.34	0.19	...	0.19	0.30	...	0.30
2.03	प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण	6.15	...	6.15	20.84	...	20.84	15.71	...	15.71	17.39	...	17.39
2.04	पंद्रहवां वित्त आयोग	15.00	...	15.00
जोड़- संबद्ध कार्यालय													
34.39		...	34.39	39.47	...	39.47	39.28	...	39.28	37.11	...	37.11	
3. वास्तविक वसूलियों													
-0.08		...	-0.08	
155.59		...	155.59	196.06	...	196.06	215.60	...	215.60	248.39	...	248.39	
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय													
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम/परियोजनाएं													
4. राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ)													
4.01	राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण	...	2000.00	2000.00	...	2500.00	2500.00	...	2500.00	2500.00
4.02	सकल बजटीय सहायता	2.99	3567.45	3570.44	3.00	5000.01	5003.01	1.67	5000.01	5001.68	3.00	5000.01	5003.01
4.03	राष्ट्रीय निवेश निधि से प्राप्त राशि	...	-2000.00	-2000.00	...	-2500.00	-2500.00	...	-2500.00	-2500.00
<i>निवल</i>													
2.99		3567.45	3570.44	3.00	5000.01	5003.01	1.67	5000.01	5001.68	3.00	5000.01	5003.01	
5. अर्थक्षमता अंतर निधियन													
23.76		...	23.76	240.00	10.00	250.00	130.00	10.00	140.00	400.00	100.00	500.00	
ब्याज समकरण सहायता													
6. भारतीय कंपनी													
208.59		...	208.59	225.00	...	225.00	203.00	...	203.00	
7. एक्जिम बैंक													
2397.49		...	2397.49	1776.01	...	1776.01	1100.00	...	1100.00	

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) के अंतर्गत ऋण सीमा	1300.00	...	1300.00
जोड़-ब्याज समकरण सहायता	2606.08	...	2606.08	2001.01	...	2001.01	1303.00	...	1303.00	1300.00	...	1300.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	2632.83	3567.45	6200.28	2244.01	5010.01	7254.02	1434.67	5010.01	6444.68	1703.00	5100.01	6803.01
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय अंशदान												
9. आईएमएफ दिल्ली के किराया लागत में अंशदान	0.25	...	0.25	0.28	...	0.28	0.28	...	0.28	0.28	...	0.28
10. अंतरराष्ट्रीय बचत बैंक संस्थान को अंशदान	0.09	...	0.09	0.10	...	0.10
11. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)	95.89	...	95.89	125.80	...	125.80	125.80	...	125.80	120.00	...	120.00
12. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं:	87.10	...	87.10	117.77	...	117.77	118.39	...	118.39	103.24	...	103.24
13. एएफडीएफ के एमडीआरआई को अंशदान												
13.01 सकल बजटीय सहायता	3.54	...	3.54	4.18	...	4.18	4.18	...	4.18	4.32	...	4.32
13.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-3.54	...	-3.54	-4.18	...	-4.18	-4.18	...	-4.18	-4.32	...	-4.32
निवल
14. आईडीए को अंशदान												
14.01 सकल बजटीय सहायता	500.00	...	500.00	0.01	...	0.01	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00
14.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-500.00	...	-500.00	-0.01	...	-0.01	-500.00	...	-500.00	-500.00	...	-500.00
निवल
15. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग: (अंतरराष्ट्रीय अंशदान)	61.96	...	61.96	62.85	...	62.85	62.95	...	62.95	62.82	...	62.82
16. एशियाई विकास निधि में अंशदान												
16.01 सकल बजटीय सहायता	0.01	...	0.01
16.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-0.01	...	-0.01
निवल
17. एशियाई विकास निधि में अंशदान-12												
17.01 सकल बजटीय सहायता	75.60	...	75.60
17.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-75.60	...	-75.60
निवल
18. एशियाई विकास निधि में अंशदान-13												
18.01 सकल बजटीय सहायता	89.15	...	89.15	89.20	...	89.20	89.20	...	89.20
18.02 घटाएं-प्रतिभूतियों के निर्गमन के माध्यम से पूर्ति	-89.15	...	-89.15	-89.20	...	-89.20	-89.20	...	-89.20
निवल
19. एएफडीएफ के लिए अंशदान												
19.01 सकल बजटीय सहायता	69.88	...	69.88	34.99	...	34.99	35.07	...	35.07
19.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-69.88	...	-69.88	-34.99	...	-34.99	-35.07	...	-35.07

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<i>निवल</i>
20. क्लाइमेट एक्शन पियर (सीएपीई) को योगदान	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
21. एसईईटीएफ के लिए अंशदान	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़-अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय अंशदान	245.29	...	245.29	306.82	...	306.82	307.44	...	307.44	286.36	...	286.36
22. उधार के लिए नई व्यवस्था:												
22.01 सकल बजट	1000.00	1000.00	...	100.00	100.00	...	0.01	0.01
22.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-1000.00	-1000.00	...	-100.00	-100.00	...	-0.01	-0.01
<i>निवल</i>
23. मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल												
23.01 एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरीद	...	1365.85	1365.85	...	1518.00	1518.00	...	1007.61	1007.61	...	1518.00	1518.00
23.02 घटाएं वसूलियां	...	-1365.85	-1365.85	...	-1518.00	-1518.00	...	-1007.61	-1007.61	...	-1518.00	-1518.00
<i>निवल</i>
24. आरक्षित निधि												
24.01 गारंटी मोचन निधि	1600.00	...	1600.00	600.00	...	600.00	939.07	...	939.07	1000.00	...	1000.00
24.02 गोल्ड आरक्षित फंड	677.11	...	677.11	997.50	...	997.50	2000.01	...	2000.01	2498.00	...	2498.00
जोड़- आरक्षित निधि	2277.11	...	2277.11	1597.50	...	1597.50	2939.08	...	2939.08	3498.00	...	3498.00
25. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग												
25.01 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठक हेतु व्यय (ब्रिक्स/सार्क/इंटरनेशनल करप्शन हंटर्स एलायंस/न्यू डेवलपमेंट बैंक और जीआईजेड के लिए सेवा कर)	31.60	...	31.60	25.69	...	25.69	20.06	...	20.06	20.18	...	20.18
26. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश												
26.01 आईएफआई में निवेश	...	10385.01	10385.01	...	4495.61	4495.61	...	7042.34	7042.34	...	1740.69	1740.69
26.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि (एडीबी/एफ, एएफडीबी/एफ, आईएमएफ)	...	-7122.33	-7122.33	...	-1000.01	-1000.01	...	-3641.67	-3641.67	...	-1000.01	-1000.01
<i>निवल</i>	...	3262.68	3262.68	...	3495.60	3495.60	...	3400.67	3400.67	...	740.68	740.68
27. अन्य व्यय:												
27.01 कालातीत मामलों में केन्द्रीय प्रतिभूतियों पर ब्याज भुगतान और सरकारी खाते में जमा हुई अदावी प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान।	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
27.02 संरक्षित बचत योजनाएं	0.10	...	0.10	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
27.03 आईएमएफ को देय मूल्यांकन प्रभार	0.64	...	0.64
27.04 अन्य सामान्य आर्थिक सेवा के अंतर्गत अन्य व्यय	27.03	...	27.03	68.46	...	68.46	107.03	...	107.03	241.54	...	241.54
27.05 नई योजनाएं	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
27.06 भारत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड (आईआईपीडीएफ)	0.75	...	0.75	0.75	...	0.75	50.00	...	50.00
27.07 गोल्ड मुद्राकरण योजना 2015 के लिए कमीशन	31.94	...	31.94	65.00	...	65.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
जोड़- अन्य व्यय:	59.10	...	59.10	134.88	0.01	134.89	157.84	0.01	157.85	341.60	0.01	341.61

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
28. केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/संस्थानों में कौशल निर्माण प्रशिक्षण	30.00	...	30.00
29. सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण												
29.01 गृह निर्माण अग्रिम	...	97.95	97.95	...	175.00	175.00	...	175.00	175.00	...	175.00	175.00
29.02 मोटर वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	...	0.04	0.04	...	0.24	0.24	...	0.24	0.24	...	0.24	0.24
29.03 कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम	...	48.30	48.30	...	74.76	74.76	...	74.76	74.76	...	74.76	74.76
29.04 घटाएं प्राप्तियां	...	-104.48	-104.48	...	-275.00	-275.00	...	-275.00	-275.00	...	-275.00	-275.00
<i>निवल</i>	...	41.81	41.81	...	-25.00	-25.00	...	-25.00	-25.00	...	-25.00	-25.00
30. लघु बचत योजनाएं	12.29	...	12.29	15.82	...	15.82	15.83	...	15.83	15.83	...	15.83
	-0.01	...	-0.01
<i>निवल</i>	12.28	...	12.28	15.82	...	15.82	15.83	...	15.83	15.83	...	15.83
31. बजट के लिए मशीनों की खरीद	3.00	3.00
32. आवास संबंधी पूंजी परिव्यय	...	0.17	0.17	...	20.00	20.00	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
33. अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक लिए ब्रिज लोन	...	54.43	54.43	...	55.46	55.46	...	56.20	56.20
34. स्वर्ण मुद्राकरण योजना												
34.01 स्वर्ण जमा	...	1273.89	1273.89	...	2500.00	2500.00	...	1900.00	1900.00	...	2000.00	2000.00
34.02 घटाएं वसूलियां	...	-2355.39	-2355.39	...	-2500.00	-2500.00	...	-1900.00	-1900.00	...	-2000.00	-2000.00
<i>निवल</i>	...	-1081.50	-1081.50
35. इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा एडीबी एवं केएफडब्ल्यू को ऋण की चुकौती	...	35.35	35.35	...	34.34	34.34	...	34.34	34.34	...	31.17	31.17
36. रियायती साझेदार ऋण (सीपीएल)	...	49.07	49.07	...	49.34	49.34	...	49.34	49.34	...	50.02	50.02
37. मध्यम आय समूह के लिए किरायायती आवासन	...	915.27	915.27	...	2250.00	2250.00	...	1000.00	1000.00	...	1500.00	1500.00
38. अवसंरचना योजना के लिए सहायता	44714.64	44714.64
39. एनआईआईएफ अवसंरचना ऋण वित्तीय आधार में पूंजी समावेशन	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00
40. आकस्मिकता निधि में अंतरण												
40.01 आकस्मिकता निधि में अंतरण	29500.00	29500.00	...	29500.00	29500.00
40.02 संचित निधि से विनियोजन	-29500.00	-29500.00	...	-29500.00	-29500.00
<i>निवल</i>
जोड़-अन्य	2625.38	4277.28	6902.66	2080.71	51597.39	53678.10	3440.25	5515.57	8955.82	4191.97	3296.89	7488.86
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	2625.38	4277.28	6902.66	2080.71	51597.39	53678.10	3440.25	5515.57	8955.82	4191.97	3296.89	7488.86
कुल जोड़	5413.80	7844.73	13258.53	4520.78	56607.40	61128.18	5090.52	10525.58	15616.10	6143.36	8396.90	14540.26

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. अन्य राजकोषीय सेवाएं	12.62	...	12.62	16.20	...	16.20	16.11	...	16.11	16.11	...	16.11
2. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	121.23	...	121.23	156.59	...	156.59	176.32	...	176.32	211.28	...	211.28
3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	21.15	...	21.15	20.84	...	20.84	15.71	...	15.71	17.39	...	17.39
4. विविध सामान्य सेवाएं	1600.03	...	1600.03	600.03	...	600.03	939.10	...	939.10	1000.03	...	1000.03
5. मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल पर पूंजी परिव्यय	...	-1081.50	-1081.50
6. लेखन सामग्री और छपाई पर पूंजी परिव्यय	3.00	3.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	1755.03	-1081.50	673.53	793.66	3.00	796.66	1147.24	...	1147.24	1244.81	...	1244.81
सामाजिक सेवाएं												
7. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.10	...	0.10	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
8. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.17	0.17	...	20.00	20.00	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़-सामाजिक सेवाएं	0.10	0.17	0.27	...	20.00	20.00	0.03	0.01	0.04	0.03	0.01	0.04
आर्थिक सेवाएं												
9. कृषि वित्तीय संस्थान	95.89	...	95.89	125.80	...	125.80	125.80	...	125.80	120.00	...	120.00
10. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	2.99	...	2.99	3.00	...	3.00	1.67	...	1.67	3.00	...	3.00
11. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	0.66	...	0.66	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
12. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	860.15	...	860.15	1508.11	...	1508.11	2429.75	...	2429.75	3392.50	...	3392.50
13. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	...	5482.72	5482.72	...	8250.01	8250.01	...	7000.01	7000.01	...	7500.01	7500.01
14. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	...	3262.68	3262.68	...	3495.60	3495.60	...	3400.67	3400.67	...	740.68	740.68
15. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	44724.65	44724.65	...	10.01	10.01	...	100.01	100.01
16. कृषि वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण	...	49.07	49.07	...	49.34	49.34	...	49.34	49.34	...	50.02	50.02
17. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों के लिए ऋण	...	35.35	35.35	...	34.34	34.34	...	34.34	34.34	...	31.17	31.17
18. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण	...	54.43	54.43	...	55.46	55.46	...	56.20	56.20
19. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण
जोड़-आर्थिक सेवाएं	959.03	8884.25	9843.28	1637.57	56609.40	58246.97	2557.24	10550.57	13107.81	3515.52	8421.89	11937.41
अन्य												
20. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	2699.64	...	2699.64	2089.55	...	2089.55	1386.01	...	1386.01	1383.00	...	1383.00
21. सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	...	41.81	41.81	...	-25.00	-25.00	...	-25.00	-25.00	...	-25.00	-25.00
22. आकस्मिकता निधि को विनियोग
जोड़-अन्य	2699.64	41.81	2741.45	2089.55	-25.00	2064.55	1386.01	-25.00	1361.01	1383.00	-25.00	1358.00
कुल जोड़	5413.80	7844.73	13258.53	4520.78	56607.40	61128.18	5090.52	10525.58	15616.10	6143.36	8396.90	14540.26

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि लि.	3567.45	...	3567.45	5000.01	...	5000.01	5000.01	...	5000.01	5000.01	...	5000.01
2. एडीवी और केएफडब्ल्यू को अवसंरचना लीजिंग एवं वित्तीय सेवा लि. द्वारा ऋण की अदायगी	35.35	...	35.35	34.34	...	34.34	34.34	...	34.34	31.17	...	31.17
जोड़	3602.80	...	3602.80	5034.35	...	5034.35	5034.35	...	5034.35	5031.18	...	5031.18

- सचिवालय:** यह प्रावधान आर्थिक कार्य विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।
- संबद्ध कार्यालय:** यह प्रावधान आर्थिक कार्य विभाग के संबद्ध कार्यालयों अर्थात् वाशिंगटन, बीजिंग, टोक्यो दूतावास आदि के आर्थिक स्कन्ध आदि, वायदा बाजार आयोग (एफएमसी), प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) के स्थापना व्यय के लिए है।
- राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ):** यह प्रावधान राष्ट्रीय निवेश और इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआईआईएफ) लिमिटेड में अंतरण और निवेश के लिए है और उसके प्रबंधन शुल्क के लिए है।
- अर्थक्षमता अंतर निधियन:** यह प्रावधान सरकारी निजी साझेदारी (पीपीपी) के अंतर्गत अर्थक्षमता अंतर निधियन (वी.जी.एफ.) के प्रावधान के माध्यम से अवसंरचना परियोजनाओं को बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए है।
- भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएस) के अंतर्गत ऋण सीमा:** यह प्रावधान रियायती दर पर वित्तपोषण, एग्जिम बैंक को अतिदेय पुराने व्याज सहित भारतीय विकास एवं आर्थिक सहायता स्कीम (आईडीईएस) के अंतर्गत ऋण व्यवस्था के लिए व्याज समकरण सहयोग के निमित्त है।
- आईएमएफ दिल्ली के किराया लागत में अंशदान:** यह प्रावधान आईएमएफ दिल्ली के किराया लागत में अंशदान के लिए है।
- अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी):** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) को अंशदान देने के लिए है।
- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं:** यह प्रावधान तकनीकी सहयोग हेतु राष्ट्रमंडल निधि, अफ्रीकी विकास बैंक के साथ तकनीकी सहयोग, राजकोपीय संबंधों पर आर्थिक सहायता और विकास नेटवर्क संगठनों को अंशदान, जीएफटीएम और जीएवीआई को अंशदान के अंतर्गत अंशदान देने सहित अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए है।
- एफडीएफ के एमडीआरआई को अंशदान:** यह प्रावधान अफ्रीकी विकास निधि के बहुपक्षीय ऋण राहत पहल में अंशदान करने के लिए है।
- आईडीए को अंशदान:** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) को अंशदान देने के लिए है।
- अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग: (अंतरराष्ट्रीय अंशदान):** यह प्रावधान अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में अंशदान, वैश्विक पर्यावरण न्यास निधि आदि में अंशदान) में अंशदान के लिए है।
- एशियाई विकास निधि-13 में अंशदान:** यह प्रावधान एशियाई विकास निधि-13 में अंशदान करने के लिए है।
- क्लाइमेट एक्शन पियर (सीएपीई) को योगदान:** क्लाइमेट एक्शन पियर एक्सचेंज (सीएपीई) में भारत के योगदान के लिए सांकेतिक प्रावधान किया गया है।
- एसईडीएफ के लिए अंशदान:** साउथ-साउथ एक्सपीरियंस एक्सचेंज ट्रस्ट फंड (एसईडीएफ) में योगदान के लिए प्रावधान है।
- उधार के लिए नई व्यवस्था:** यह प्रावधान उधार लेने की नई व्यवस्था में निवेश के लिए नोट खरीद करार को आगे बढ़ाने के लिए है।
- मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल:** यह प्रावधान भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और सिक्का निर्माण निगम लिमिटेड से सिक्कों की खरीद के लिए है।
- वारक्षित निधि:** यह प्रावधान गारंटी मोचन निधि, सॉवरेन स्वर्ण बांड स्कीम और स्वर्ण मुद्राकरण स्कीम में अंतरण के लिए है।
- अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग:** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन/बैठक (त्रिक्स/सार्क/एनडीवी/इंटरनेशनल करप्शन इंटरस एलायंस के लिए) और जीआईजेड को सेवाकर के लिए है।
- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश:** इसमें अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईवीआरडी), एशियाई विकास बैंक को अभिदान, अफ्रीकी विकास बैंक को अभिदान और मूल्य के अनुरक्षण दायित्व (एमओवी) दायित्व के प्रति भारत का अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में

निवेश तथा सामान्य पूंजी वर्द्धन (जीसीआई) के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्त कारपोरेशन में निवेश हेतु प्रावधान शामिल है। इस प्रावधान में आईएमएफ के उधारी संसाधनों में भारत का अंशदान भी शामिल है।

27. **अन्य व्यय:** यह प्रावधान कालातीत मामलों में केंद्रीय प्रतिभूति पर व्याज भुगतान और सरकारी खातों में जमा अदावी प्रतिभूतियों, संरक्षित बचत स्कीमों के भुगतान, आईएमएफ को भुगतान योग्य निर्धारण प्रभार, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं आदि, आईआईपीडीएफ के तहत अन्य व्यय और गोल्ड मुद्रीकरण योजना 2015 के लिए कमीशन भुगतान के लिए है। नई घोषणाओं के लिए सांकेतिक प्रावधान भी किया गया है।

28. **केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/संस्थानों में क्षमता निर्माण प्रशिक्षण:** यह प्रावधान केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/संस्थानों में क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण के लिए है।

29. **सरकारी सेवकों आदि को ऋण:** यह एक संयुक्त मांग है जिसमें सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों और उनके अधीनस्थ संगठनों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों हेतु उनके कर्मचारियों को ऋणों और अग्रिमों के भुगतान के लिए प्रावधान है। इसमें आवास खरीदने के लिए संसद सदस्यों को अग्रिम देने हेतु प्रावधान भी शामिल है।

जिस प्रयोजन से सब्याज ऋण अग्रिम दिया जाता है उनमें मकान निर्माण और कम्प्यूटरों आदि की खरीद शामिल है।

30. **लघु बचत योजनाएं:** यह प्रावधान राष्ट्रीय बचत संस्थान के सचिवालयी व्यय और सरकार की लघु बचत योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए है।

32. **आवास संबंधी पूंजी परिव्यय:** यह प्रावधान आईईएस अधिकारियों के लिए दिल्ली में 90 आवासों की इकाईयों के निर्माण के लिए रखा गया है।

34. **स्वर्ण मुद्रीकरण योजना:** यह प्रावधान स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम, 2015 के तहत जुटाए गए सोने के मूल्य के लिए है।

35. **इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा एडीबी एवं केएफडब्ल्यू को ऋण की चुकौती:** इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लि. द्वारा एडीबी और केएफडब्ल्यू को ऋण के भुगतान के लिए प्रावधान है।

36. **रियायती साझेदार ऋण (सीपीएल):** यह प्रावधान कृषि विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय निधि (आईएफडी) को रियायती साझेदार ऋण के भुगतान के लिए रखा गया है।

37. **मध्यम आय समूह के लिए सस्ता आवासन:** यह प्रावधान मध्यम आय समूह के लिए किफायती आवासन हेतु विशेष विंडो बनाने के लिए है।

39. **एनआईआईएफ अवसंरचना ऋण वित्तीय आधार में पूंजी समावेशन:** यह प्रावधान एनआईआईएफ अवसंरचना ऋण वित्तीय आधार में पूंजी समावेशन हेतु है जिसमें असीम अवसंरचना वित्त लिमिटेड (एआईएफएल) और एनआईआईएफ अवसंरचना वित्त लिमिटेड (एनआईआईएफ आईएफएल) शामिल हैं।

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 31
व्यय विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	289.31	...	289.31	454.74	...	454.74	459.57	...	459.57	476.88	0.01	476.89
वसूलियां	-0.15	...	-0.15
प्राप्तियां
निवल	289.16	...	289.16	454.74	...	454.74	459.57	...	459.57	476.88	0.01	476.89
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय सामान्य सेवाएं	240.32	...	240.32	391.92	...	391.92	403.17	...	403.17	419.47	0.01	419.48
2. शासकीय लेखा और वित्त संस्थान	6.32	...	6.32	8.00	...	8.00	7.97	...	7.97	8.34	...	8.34
3. नई पेंशन योजना के लिए नेशनल सिन्डोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड प्रभार	31.26	...	31.26	33.00	...	33.00	30.00	...	30.00	31.00	...	31.00
4. वास्तविक वसूलियां	-0.15	...	-0.15
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	277.75	...	277.75	432.92	...	432.92	441.14	...	441.14	458.81	0.01	458.82
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
5. राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान	11.41	...	11.41	21.82	...	21.82	18.43	...	18.43	18.07	...	18.07
कुल जोड़	289.16	...	289.16	454.74	...	454.74	459.57	...	459.57	476.88	0.01	476.89
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	240.20	...	240.20	391.92	...	391.92	403.17	...	403.17	419.47	...	419.47
2. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	48.99	...	48.99	62.82	...	62.82	56.40	...	56.40	57.41	...	57.41
3. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	0.01	0.01
जोड़-सामान्य सेवाएं	289.19	...	289.19	454.74	...	454.74	459.57	...	459.57	476.88	0.01	476.89
आर्थिक सेवाएं												
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	-0.03	...	-0.03
जोड़-आर्थिक सेवाएं	-0.03	...	-0.03
कुल जोड़	289.16	...	289.16	454.74	...	454.74	459.57	...	459.57	476.88	0.01	476.89

- सचिवालय सामान्य सेवाएँ:** यह प्रावधान महालेखा नियंत्रक के कार्यालय सहित व्यय विभाग के सचिवालय व्यय और महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के लिए नए भवन के लिए लोक निर्माण कार्यों के लिए है।
- शासकीय लेखा और वित्त संस्थान:** यह प्रावधान सिविल लेखा संगठन के समूह ख और ग कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान किए जाने से संबंधित व्यय के लिए है।
- नई पेंशन योजना के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड प्रभार:** यह प्रावधान नई पेंशन स्कीम के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को सेवा प्रभारों के भुगतान संबंधी व्यय के लिए है।
- राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान:** यह प्रावधान राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम) द्वारा सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्र सरकार के वित्त और लेखा अधिकारियों को पेशेवर प्रशिक्षण देने के शुल्क की प्रतिपूर्ति और स्थापना व्यय के लिए अनुदान और एनआईएफएम भवन के स्तरोन्नयन के लिए है।

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 32
वित्तीय सेवाएं विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	10289.16	38650.00	48939.16	3710.78	47800.03	51510.81	3187.87	79118.00	82305.87	1102.71	6072.06	7174.77
वसूलियां	-82.66	-6000.00	-6082.66	...	-2000.00	-2000.00	...	-32084.00	-32084.00	...	-1861.02	-1861.02
प्राप्तियां	-90.00	-20000.00	-20090.00	-0.01	-20000.01	-20000.02	-150.00	-15000.00	-15150.00	-0.01	-0.01	-0.02
निवल	10116.50	12650.00	22766.50	3710.77	25800.02	29510.79	3037.87	32034.00	35071.87	1102.70	4211.03	5313.73
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय- सामान्य सेवाएं	56.63	...	56.63	58.84	...	58.84	59.35	...	59.35	66.89	...	66.89
	-0.03	...	-0.03
<i>निवल</i>	<i>56.60</i>	...	<i>56.60</i>	<i>58.84</i>	...	<i>58.84</i>	<i>59.35</i>	...	<i>59.35</i>	<i>66.89</i>	...	<i>66.89</i>
2. निदेशन और प्रशासन												
2.01 विशेष न्यायालय का कार्यालय	2.49	...	2.49	3.05	...	3.05	3.31	...	3.31	3.75	...	3.75
2.02 अभिरक्षक का कार्यालय	7.07	...	7.07	8.61	...	8.61	7.27	...	7.27	8.85	...	8.85
2.03 ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)	140.30	...	140.30	141.34	...	141.34	141.01	...	141.01	153.77	...	153.77
	-0.16	...	-0.16
<i>निवल</i>	<i>140.14</i>	...	<i>140.14</i>	<i>141.34</i>	...	<i>141.34</i>	<i>141.01</i>	...	<i>141.01</i>	<i>153.77</i>	...	<i>153.77</i>
2.04 न्यायालय परिसमापक का कार्यालय	0.04	...	0.04	0.03	...	0.03	0.02	...	0.02	0.03	...	0.03
<i>जोड़- निदेशन और प्रशासन</i>	<i>149.74</i>	...	<i>149.74</i>	<i>153.03</i>	...	<i>153.03</i>	<i>151.61</i>	...	<i>151.61</i>	<i>166.40</i>	...	<i>166.40</i>
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	206.34	...	206.34	211.87	...	211.87	210.96	...	210.96	233.29	...	233.29
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनःपूंजीकरण												
3. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनःपूंजीकरण	0.01	0.01	0.01	0.01
4. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनः पूंजीकरण (बांडों के माध्यम से)												
4.01 सकल बजटीय सहायता	...	20000.00	20000.00	...	20000.00	20000.00	...	15000.00	15000.00	...	0.01	0.01
4.02 पीएसबी को विशेष प्रतिभूतियों के निर्गमन के जरिए पूरा करके घटाएं	...	-20000.00	-20000.00	...	-20000.00	-20000.00	...	-15000.00	-15000.00	...	-0.01	-0.01
<i>निवल</i>

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण	0.01	0.01	0.01	0.01
एक्विजिशन बैंक												
5. भारत के निर्यात-आयात बैंक की शेयर पूंजी में अभिदान	...	1300.00	1300.00	...	1500.00	1500.00	...	750.00	750.00	...	1500.00	1500.00
6. बीमा कम्पनियों का पुनः पूंजीकरण												
6.01 राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण	...	5000.00	5000.00	0.01	0.01
6.02 सकल बजटीय सहायता	...	9950.00	9950.00	0.01	0.01
6.03 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरी की गई रकम	...	-5000.00	-5000.00	-0.01	-0.01
<i>निवल</i>	...	9950.00	9950.00	0.01	0.01
वित्तीय संस्थाओं को सहायता												
7. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की शेयर पूंजी में अभिदान												
7.01 राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण	...	1000.00	1000.00	...	2000.00	2000.00	...	2000.00	2000.00
7.02 सकल बजटीय सहायता	...	1000.00	1000.00	...	2000.00	2000.00	...	2000.00	2000.00	...	500.00	500.00
7.03 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरी की गई रकम	...	-1000.00	-1000.00	...	-2000.00	-2000.00	...	-2000.00	-2000.00
<i>निवल</i>	...	1000.00	1000.00	...	2000.00	2000.00	...	2000.00	2000.00	...	500.00	500.00
8. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्पूंजीकरण												
8.01 राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण	4084.00	4084.00	...	1361.00	1361.00
8.02 सकल बजटीय सहायता	...	200.00	200.00	...	1200.00	1200.00	...	4084.00	4084.00	...	1361.00	1361.00
8.03 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरा की गई राशि	-4084.00	-4084.00	...	-1361.00	-1361.00
<i>निवल</i>	...	200.00	200.00	...	1200.00	1200.00	...	4084.00	4084.00	...	1361.00	1361.00
9. आईआईएफसीएल में इक्विटी सहायता (बॉन्ड के माध्यम से)												
9.01 सकल बजटीय सहायता	0.01	0.01
9.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-0.01	-0.01
<i>निवल</i>
10. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को इक्विटी सहायता	...	200.00	200.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00
11. बाह्य सहायता प्राप्त संघटकों के लिए आईसीआईसीआई बैंक को अनुदान	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
12. आधार समर्थित भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) में अंशदान	19.04	...	19.04	10.00	...	10.00	8.00	...	8.00	0.01	...	0.01
13. इंडो स्विस् कॉर्पोरेशन-VI के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए नाबार्ड को अनुदान	0.84	...	0.84	0.84	...	0.84	0.84	...	0.84	0.84	...	0.84
14. आवास ऋणों पर ब्याज सहायता के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को सब्सिडी	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
15. भारत में निम्न आय आवास वित्त के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को विश्व बैंक की सहायता	0.01	0.01
16. दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएसएफ) से जारी प्रतिभूतियों का मोचन												
16.01 सकल बजटीय सहायता	90.00	...	90.00	0.01	...	0.01	150.00	...	150.00	0.01	...	0.01
16.02 घटाएं – दबावग्रस्त आस्ति के स्थिरीकरण निधि से	-90.00	...	-90.00	-0.01	...	-0.01	-150.00	...	-150.00	-0.01	...	-0.01
<i>निवल</i>

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
17. राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषक एवं विकास बैंक से अनुदान												
17.01 राष्ट्रीय निवेश निधि से अंतरण	5000.00	5000.00
17.02 सकल बजटीय सहायता	5000.00	5000.00
17.03 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरी की गई रकम	-5000.00	-5000.00
<i>निवल</i>	5000.00	5000.00
जोड़-वित्तीय संस्थाओं को सहायता	19.88	1400.00	1419.88	10.86	3300.01	3310.87	8.84	11184.00	11192.84	0.87	1961.00	1961.87
सामाजिक सुरक्षा स्कीमें												
18. प्रधानमंत्री जन-धन बीमा योजना (पीएमजेडीबीवाई) को सहायता	0.01	...	0.01
19. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में सरकार का सह-अंशदान	273.00	...	273.00	153.00	...	153.00	203.00	...	203.00	200.01	...	200.01
20. वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन योजना के लिए एलआईसी को व्याज सन्निधि	45.05	...	45.05	65.00	...	65.00	65.00	...	65.00	94.56	...	94.56
	-82.47	...	-82.47
<i>निवल</i>	-37.42	...	-37.42	65.00	...	65.00	65.00	...	65.00	94.56	...	94.56
21. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) (प्रचार-प्रसार तथा जागरूकता)	5.00	...	5.00	3.00	...	3.00	0.01	...	0.01
22. कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएस)	50.00	50.00	...	250.00	250.00
23. प्रधान मंत्री वय वंदन योजना (पीएमवीवीआई)	152.77	...	152.77	345.02	...	345.02	120.06	...	120.06	473.92	...	473.92
जोड़-सामाजिक सुरक्षा स्कीमें	388.35	...	388.35	568.03	...	568.03	391.06	50.00	441.06	768.50	250.00	1018.50
क्रेडिट गारंटी निधियां												
24. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) (एनसीजीटीसी के द्वारा)	2500.00	...	2500.00	10.00	...	10.00	100.00	...	100.00
25. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मुद्रा लिमिटेड द्वारा किए गए अन्य उपायों के संबंध में जागरूकता पैदा करना और प्रचार करना	5.00	...	5.00	2.01	...	2.01	0.01	...	0.01
26. सूक्ष्म वित्त संस्थानों हेतु क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएमएफआई)	50.00	50.00	...	500.00	500.00
27. स्टैण्ड-अप इंडिया (एनसीजीटीसी के द्वारा)	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	0.01	...	0.01
28. स्टैण्डअप इंडिया और सिडबी द्वारा किए गए अन्य उपायों के संबंध में जागरूकता पैदा करना और प्रचार करना	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	0.01	...	0.01
29. फैक्ट्रिंग के लिए क्रेडिट गारंटी निधि (एनसीजीटीसी के द्वारा)	0.01	...	0.01
जोड़-क्रेडिट गारंटी निधियां	100.00	...	100.00	2610.01	...	2610.01	117.01	50.00	167.01	100.03	500.00	600.03
30. पात्र एमएसएमई लेनदारों के लिए गारंटी आपातकालीन ऋण सुविधा हेतु (जीईसीएल) राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड को सहायता (एनसीजीटीसी)	4000.00	...	4000.00
31. आंशिक ऋण गारंटी योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटी लागू करने पर दावों के निपटान के लिए ऋण												
31.01 सकल बजटीय सहायता	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	500.00	500.00
31.02 गारंटी मोचन निधि से पूरा करके घटाएं	-1000.00	-1000.00	...	-500.00	-500.00
<i>निवल</i>	1000.00	1000.00
32. शिशु ऋण के तुरत पुनर्भुगतान (सन्निधि) पर 2 प्रतिशत की व्याज आर्थिक सहायता पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को	775.00	...	775.00	310.00	...	310.00	310.00	...	310.00	0.01	...	0.01

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़			(₹ करोड़)			
	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश																						
1. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	1000.00	...	1000.00	2000.00	...	2000.00	2000.00	...	2000.00	500.00	...	500.00										
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूँजीकरण	200.00	...	200.00	1200.00	...	1200.00	4084.00	...	4084.00	1361.00	...	1361.00										
3. भारतीय निर्यात आयात बैंक	1300.00	...	1300.00	1500.00	...	1500.00	750.00	...	750.00	1500.00	...	1500.00										
4. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूँजीकरण	20000.00	...	20000.00	20000.00	...	20000.00	15000.00	...	15000.00	0.02	...	0.02										
5. इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	200.00	...	200.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00										
6. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	0.01	...	0.01										
7. बीमा कंपनियों का पुनः पूँजीकरण	9950.00	...	9950.00	0.01	...	0.01										
8. नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट	20000.00	...	20000.00	0.01	...	0.01										
जोड़	32650.00	...	32650.00	24800.01	...	24800.01	41934.00	...	41934.00	3461.04	...	3461.04										

- सचिवालय- सामान्य सेवाएं:** यह प्रावधान वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।
- निवेश और प्रशासन:** ये प्रावधान प्रतिभूतियों के लेन-देन में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संयवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय के कार्यालय, अभिरक्षक कार्यालय, ऋण वसूली अधिकरण एवं न्यायालय परिसमापक के कार्यालय के लिए है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनःपूँजीकरण:** हाल के प्रदर्शन के आधार पर समीक्षा के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में राशि पर और भी पूँजी का समावेशन करने के लिए सांकेतिक प्रावधान किया गया है।
- भारतीय निर्यात-आयात बैंक की शेयर पूँजी में अभिदान:** यह प्रावधान बैंक की चुकता पूँजी को इसकी प्राधिकृत पूँजी के स्तर तक बढ़ाने के लिए इच्छिटी सहायता/अभिदान के रूप में एक्जिम बैंक के लिए है।
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की शेयर पूँजी में अभिदान:** राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की शेयर पूँजी में अंशदान हेतु प्रावधान है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्पूँजीकरण:** यह प्रावधान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनःपूँजीकरण के लिए है।
- भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को इच्छिटी सहायता:** यह प्रावधान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के बिजनेस कार्यक्रम और पूँजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इच्छिटी समर्थन के लिए है।

- बहु सहायता प्राप्त संघटकों के लिए आईसीआईसीआई बैंक को अनुदान:** यह प्रावधान भारत सरकार और जर्मनी सरकार के बीच द्विपक्षीय ऋण समझौते के अंतर्गत क्रेडिटएग्लैंड फर वाइडरौफआउट (केएफडब्ल्यू) द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को दिए गए ऋणों के लिए व्याज विभेदक निधि (आईडीएफ) के अंतर्गत जमा की गई राशि पर आईसीआईसीआई बैंक को अनुदान के भुगतान हेतु है।
- आधार समर्थित भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) में अंशदान:** यह प्रावधान आधार समर्थित भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) में अंशदान के लिए है।
- इंडो स्विस सहयोग-VI के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए नाबार्ड को अनुदान:** यह प्रावधान इंडो स्विस सहयोग- VI परियोजना करार के अंतर्गत नाबार्ड के दावों के निपटान के लिए भुगतान हेतु है।
- आवास ऋण पर व्याज सहायता के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को सब्सिडी:** यह प्रावधान आवास ऋण पर व्याज सहायता के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को सहायता देने के लिए है।
- अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में सरकार का सह-अंशदान:** यह प्रावधान सरकार के सह-अंशदान, एग्रीगेटर को प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए पीएफआरडीए को निधि सहयोग एवं अटल पेंशन योजना के तहत प्रचारपरक अभियान के लिए है।
- वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन योजना के लिए एलआईसी को व्याज सब्सिडी:** यह प्रावधान भारतीय जीवन बीमा निगम को पॉलिसी धारकों को पेंशन/वार्षिकी के लिए व्याज की आर्थिक सहायता के भुगतान तथा पॉलिसी धारकों के नामिती को खरीद मूल्य के बराबर एकमुश्त राशि के भुगतान के लिए है।

21. **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (प्रचार-प्रसार तथा जागरूकता):** यह प्रावधान प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (पीएमजेजीबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के प्रचार और जागरूकता के लिए है।
22. **कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए लोन गारंटी योजना (एलजीएससीएस):** यह प्रावधान कोविड प्रभावित क्षेत्रों (एलजीएससीएस) के लिए ऋण गारंटी योजना हेतु किया गया है।
23. **प्रधान मंत्री वय वंदन योजना (पीएमवीवीआई):** यह प्रावधान बाजार की अनिश्चित स्थिति के कारण 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वयोवृद्ध व्यक्तियों के ब्याज की आय के भविष्य में गिरावट के प्रति उन्हें संरक्षण देने हेतु और प्रधान मंत्री वय वंदन योजना (पीएमवीवीआई) के अंतर्गत वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी भारतीय जीवन बीमा निगम को ब्याज की आर्थिक सहायता के भुगतान के लिए है।
24. **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) (एनसीजीटीसी के द्वारा):** यह प्रावधान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत दिए गए ऋण को क्रेडिट गारंटी निधि हेतु राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।
25. **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मुद्रा लिमिटेड द्वारा किए गए अन्य उपायों के संबंध में जानगरूकता पैदा करना और प्रचार करना:** यह प्रावधान मुद्रा लिमिटेड के माध्यम से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के लिए प्रचार और जागरूकता के लिए है।
26. **सूक्ष्म वित्त संस्थानों हेतु क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएमएफआई):** यह प्रावधान सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ऋण गारंटी योजना हेतु किया गया है।
27. **स्टैंड-अप इंडिया (एनसीजीटीसी के द्वारा):** यह प्रावधान अनु.जाति/अनु.जनजाति तथा महिला उद्यमियों द्वारा ग्रीन फील्ड उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टैंडअप इंडिया पहल स्थापित करने के लिए क्रेडिट गारंटी निधि के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।
28. **स्टैंडअप इंडिया और सिडबी द्वारा किए गए अन्य उपायों के संबंध में जानगरूकता पैदा करना और प्रचार:** यह प्रावधान सिडबी के माध्यम से स्टैंडअप इंडिया के लिए प्रचार और जागरूकता के लिए है।
32. **शिशु ऋण के तुरंत पुनर्भुगतान (सब्सिडी) पर 2 प्रतिशत की ब्याज आर्थिक सहायता पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सीडबी) को सब्सिडी:** शिशु ऋण (आर्थिक सहायता) के त्वरित भुगतान के लिए 2 प्रतिशत के ब्याज की आर्थिक सहायता पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा आर्थिक सहायता।
33. **राष्ट्रीय अवसररचना वित्तपोषक एवं विकास बैंक (एनएबीएफआईडी) को पूंजी सहायता:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अवसररचना वित्तपोषक एवं विकास बैंक के पूंजीकरण हेतु किया गया है।

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 33
लोक उद्यम विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	16.15	...	16.15	21.81	...	21.81	27.00	150.00	177.00	30.00	...	30.00
वसूलियां	-0.04	...	-0.04
प्राप्तियां
निवल	16.11	...	16.11	21.81	...	21.81	27.00	150.00	177.00	30.00	...	30.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	12.44	...	12.44	13.26	...	13.26	20.20	150.00	170.20	21.45	...	21.45
2. वास्तविक वसूलियां	-0.03	...	-0.03
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	12.41	...	12.41	13.26	...	13.26	20.20	150.00	170.20	21.45	...	21.45
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उपयुक्त कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन												
3. परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन योजना	0.75	...	0.75	3.40	...	3.40	2.70	...	2.70	3.40	...	3.40
4. केन्द्रीय लोक उद्यमों (सीपीएसई) और राज्य स्तरीय लोक उद्यमों से संबंधित जेनेरिक मुद्दों पर अनुसंधान, विकास एवं परामर्श	2.95	...	2.95	5.15	...	5.15	4.10	...	4.10	5.15	...	5.15
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	3.70	...	3.70	8.55	...	8.55	6.80	...	6.80	8.55	...	8.55
कुल जोड़	16.11	...	16.11	21.81	...	21.81	27.00	150.00	177.00	30.00	...	30.00
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	3.69	...	3.69	7.70	...	7.70	6.12	...	6.12	7.70	...	7.70
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	12.42	...	12.42	13.26	...	13.26	20.20	...	20.20	21.45	...	21.45
3. अन्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	150.00	150.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	16.11	...	16.11	20.96	...	20.96	26.32	150.00	176.32	29.15	...	29.15
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	0.85	...	0.85	0.68	...	0.68	0.85	...	0.85

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-अन्य	0.85	...	0.85	0.68	...	0.68	0.85	...	0.85
कुल जोड़	16.11	...	16.11	21.81	...	21.81	27.00	150.00	177.00	30.00	...	30.00

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** (i) इसके अंतर्गत विभाग के सचिवालय, सरकारी क्षेत्र के महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न उद्यमों के गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों के चयन के लिए सर्व समिति पर व्यय के लिए निधि उपलब्ध कराई जाती है। इसमें प्रशिक्षण, हार्डवेयरों और सॉफ्टवेयरों की अधिप्राप्ति के साथ-साथ सॉफ्टवेयर के विकास एवं रखरखाव तथा कार्यालय परिसर के आधुनिकीकरण सहित सूचना प्रौद्योगिकी के लिए भी निधि का प्रावधान किया जाता है। (ii) गैर-प्रमुख आस्तियों, जिनमें सरकारी मंत्रालयों/विभाग और लोक उद्यमों के पास पड़ी फालतू भूमि शामिल हैं, के मुद्रीकरण के लिए गठित विशेष प्रयोजनीय साधन, जो एक कम्पनी है, में निवेश के निमित्त।

3. **परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन योजना:** केंद्रीय लोक उद्यमों के पृथक्कृत कर्मचारियों/वीआरएस विकल्पधारियों के परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ)/राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) को फंड प्रदान किया जाता है। इस स्कीम की निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए भी फंड का उपयोग किया जाता है। सी. आर. आर. स्कीम से जुड़े हुए परामर्शदाताओं के भुगतान।

4. **केन्द्रीय लोक उद्यमों और राज्य स्तरीय लोक उद्यमों से संबंधित जेनेरिक मुद्दों पर अनुसंधान, विकास एवं परामर्श :** निधि का उपयोग (i) सम्मेलनों / सेमिनारों / कार्यशालाओं के आयोजन तथा समझौता ज्ञापन एवं उस पर वार्ता तथा मूल्यांकन प्रक्रिया सहित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के जेनेरिक मुद्दों पर विषय वस्तुगत अध्ययन/परामर्श करने, (ii) केन्द्रीय लोक उद्यमों के कार्यपालकों एवं कर्मचारियों तथा लोक उद्यम विभाग के कर्मचारियों को कार्यपालकों एवं कर्मचारियों के कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षण देने, (iii) गैर सरकारी निदेशकों पर विशेष जोर के साथ सीपीएसई के बोर्डों में शामिल निदेशकों को प्रशिक्षण देना दिशा-निर्देशों में शामिल किया गया है (iv) समझौता ज्ञापन से संबंधित कार्यकलापों की प्रशासनिक एवं संचार तंत्र व्यवस्था से जुड़े विभिन्न व्यय को दिशा-निर्देशों में शामिल किया गया है (v) अंतर्राष्ट्रीय उद्यम संवर्धन केन्द्र (आईसीपीई) को अंशदान का भुगतान करने, (vi) आरडीसी स्कीम से जुड़े परामर्शदाताओं/प्रोग्रामरों आदि को भुगतान आरडीसी स्कीम से किया जाना प्रस्तावित किया गया है और (vii) केन्द्रीय लोक उद्यमों/राज्य लोक उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण के प्रकाशन के लिए किया जाता है।

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 34

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	71.72	...	71.72	110.52	...	110.52	96.88	...	96.88	290.42	...	290.42
वसूलियां
प्राप्तियां
निवल	71.72	...	71.72	110.52	...	110.52	96.88	...	96.88	290.42	...	290.42
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	71.72	...	71.72	110.52	...	110.52	96.88	...	96.88	290.42	...	290.42
कुल जोड़	71.72	...	71.72	110.52	...	110.52	96.88	...	96.88	290.42	...	290.42
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	71.72	...	71.72	110.52	...	110.52	96.88	...	96.88	290.42	...	290.42
जोड़-आर्थिक सेवाएं	71.72	...	71.72	110.52	...	110.52	96.88	...	96.88	290.42	...	290.42
कुल जोड़	71.72	...	71.72	110.52	...	110.52	96.88	...	96.88	290.42	...	290.42

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** इस शीर्ष के अधीन सचिवालय के स्थापना संबंधी व्यय तथा परामर्शी शुल्क आदि का भुगतान करने की व्यवस्था की जाती है। डीआईपीएएम को प्रशासनिक मंत्रालयों/नीति आयोग की सिफारिशों पर पूंजी पुनर्नियतन, निर्णयों सहित केन्द्रीय लोक के उपक्रमों में विनिवेश नीति मामले, केन्द्रीय लोक उपक्रमों में इकट्टी के विनिवेश सहित इकट्टी में केन्द्र सरकार के निवेश के प्रबंधन का अधिदेश प्राप्त है।

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 35
राजस्व विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	268877.80	0.15	268877.95	201499.62	13.02	201512.64	209793.75	11.67	209805.42	227548.22	4.30	227552.52
वसूलियां	-137050.47	...	-137050.47	-100077.26	...	-100077.26	-97589.98	...	-97589.98	-106093.23	...	-106093.23
प्राप्तियां	-164.95	...	-164.95	-200.00	...	-200.00	-310.00	...	-310.00	-228.00	...	-228.00
निवल	131662.38	0.15	131662.53	101222.36	13.02	101235.38	111893.77	11.67	111905.44	121226.99	4.30	121231.29
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	324.10	...	324.10	452.03	...	452.03	468.05	...	468.05	424.61	...	424.61
2. मूल्य वृद्धि कर (वैट) स्कीम का क्रियान्वयन	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
3. प्रवर्तन निदेशालय	256.38	...	256.38	311.49	...	311.49	308.72	...	308.72	357.57	...	357.57
4. स्वापक नियंत्रण	32.35	...	32.35	37.65	...	37.65	41.50	...	41.50	41.46	...	41.46
5. विशेष जांच दल	2.28	...	2.28	3.13	...	3.13	2.94	...	2.94	2.99	...	2.99
6. वास्तविक वसूलियां	-0.53	...	-0.53
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	614.58	...	614.58	804.31	...	804.31	821.21	...	821.21	826.64	...	826.64
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
7. राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान	18.91	...	18.91	8.50	...	8.50	8.88	...	8.88	9.42	...	9.42
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
8. जीएसटीएन-एसपीवी में निवेश	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
अन्य												
9. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	8.76	...	8.76	11.06	...	11.06	12.18	...	12.18	11.57	...	11.57
10. अन्य व्यय	44.81	...	44.81	52.04	...	52.04	49.15	...	49.15	55.85	...	55.85
11. अफीम एवं क्षारोद्य कारखाना												
11.01 अफीम और क्षारोद्य कारखानों में कार्यशील व्यय	179.94	...	179.94	281.83	...	281.83	273.56	...	273.56	318.15	...	318.15
11.02 घटाएं राजस्व प्राप्ति	-164.95	...	-164.95	-200.00	...	-200.00	-310.00	...	-310.00	-228.00	...	-228.00
11.03 अफीम और क्षारोद्य कारखानों में पूंजीगत व्यय	...	0.14	0.14	...	10.00	10.00	...	6.66	6.66	...	1.28	1.28
जोड़- अफीम एवं क्षारोद्य कारखाना	14.99	0.14	15.13	81.83	10.00	91.83	-36.44	6.66	-29.78	90.15	1.28	91.43

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12. राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण संवर्द्धन समिति	0.15	...	0.15	0.01	...	0.01
13. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	0.01	0.01	...	2.00	2.00	...	0.01	0.01
14. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
15. जीएसटीएन (वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क) पर प्रयोक्ता प्रभार	241.33	...	241.33	264.44	...	264.44	243.32	...	243.32	233.32	...	233.32
जोड़-अन्य	309.89	0.14	310.03	409.52	13.01	422.53	268.21	11.66	279.87	390.90	4.29	395.19
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	328.80	0.15	328.95	418.02	13.02	431.04	277.09	11.67	288.76	400.32	4.30	404.62
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
16. बेट को लाने एवं बेट से संबंधित व्यय के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को क्षतिपूर्ति	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
17. केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को हटाए जाने के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को क्षतिपूर्ति	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
18. जीएसटी को लागू करने पर हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति												
18.01 जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अंतरण	106317.00	...	106317.00	100000.00	...	100000.00	110795.47	...	110795.47	120000.00	...	120000.00
18.02 राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को निर्गम	136988.47	...	136988.47	100000.00	...	100000.00	97500.00	...	97500.00	106000.00	...	106000.00
18.03 जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि से पूरी की गई राशि	-136988.47	...	-136988.47	-100000.00	...	-100000.00	-97500.00	...	-97500.00	-106000.00	...	-106000.00
	<i>निवल</i> 106317.00	...	106317.00	100000.00	...	100000.00	110795.47	...	110795.47	120000.00	...	120000.00
19. पिछले वर्ष के असंभाजित आईजीएसटी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भाग का अंतरण	24402.00	...	24402.00
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	130719.00	...	130719.00	100000.03	...	100000.03	110795.47	...	110795.47	120000.03	...	120000.03
कुल जोड़	131662.38	0.15	131662.53	101222.36	13.02	101235.38	111893.77	11.67	111905.44	121226.99	4.30	121231.29
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. आय और व्यय पर करों का संग्रहण	0.15	...	0.15	0.01	...	0.01
2. अन्य राजकोषीय सेवाएं	564.43	...	564.43	639.73	...	639.73	614.44	...	614.44	659.93	...	659.93
3. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	323.67	...	323.67	452.04	...	452.04	468.05	...	468.05	424.62	...	424.62
4. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	40.29	...	40.29	48.58	...	48.58	52.25	...	52.25	52.25	...	52.25
5. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
6. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	0.01	0.01	...	2.00	2.00	...	0.01	0.01
जोड़-सामान्य सेवाएं	928.39	0.01	928.40	1140.50	0.02	1140.52	1134.74	2.01	1136.75	1136.81	0.02	1136.83
सामाजिक सेवाएं												
7. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
आर्थिक सेवाएं												
8. अन्य उद्योग	14.99	...	14.99	81.83	...	81.83	-36.44	...	-36.44	90.15	...	90.15
9. अन्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	0.14	0.14	...	10.00	10.00	...	6.66	6.66	...	1.28	1.28
जोड़-आर्थिक सेवाएं	14.99	0.14	15.13	81.83	10.00	91.83	-36.44	6.66	-29.78	90.15	1.28	91.43
अन्य												
10. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	121651.46	...	121651.46	93000.02	...	93000.02	103394.47	...	103394.47	111600.02	...	111600.02
11. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	9067.54	...	9067.54	7000.01	...	7000.01	7401.00	...	7401.00	8400.01	...	8400.01
जोड़-अन्य	130719.00	...	130719.00	100000.03	...	100000.03	110795.47	...	110795.47	120000.03	...	120000.03
कुल जोड़	131662.38	0.15	131662.53	101222.36	13.02	101235.38	111893.77	11.67	111905.44	121226.99	4.30	121231.29

	बजट 2022-2023			बजट 2021-2022			बजट 2020-2021			(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. लोक उद्यम में निवेश												
1. जीएसटीएन एसपीवी में निवेश	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01

1. **सचिवालय:** टीपीआरयू, माल और सेवा कर परिषद सचिवालय, आय कर ओवरसीज यूनिट्स, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, वित्तीय आसूचना एकक- भारत, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी; प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीईसी, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति की जब्ती) अधिनियम और स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणों और प्रबंधन समिति सहित राजस्व विभाग के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2. **मूल्य वृद्धि कर (वैट) स्कीम का क्रियान्वयन:** मूल्य वृद्धि कर (वैट) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के कारण राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को होने वाली राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति के लिए सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

3. **प्रवर्तन निदेशालय:** यह प्रावधान प्रवर्तन निदेशालय के व्यय के लिए किया गया है जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रवर्तन से संबंधित है।

4. **स्वापक नियंत्रण:** इसमें केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो और औषध दुरुपयोग नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय निधि (एनएफसीडीए) से होने वाले व्यय के लिए प्रावधान शामिल हैं।

5. **विशेष जांच दल:** यह प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार गठित किए गए विशेष जांच दल के आवर्ती व्यय के लिए है।

7. **राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान:** यह प्रावधान राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) को सहायता अनुदान देने के लिए किया गया है।

8. **जीएसटीएन-एसपीवी में निवेश:** माल एवं सेवा कर नेटवर्क विशेष प्रयोजन व्यवस्था में शेयर के अधिग्रहण का प्रावधान है।

9. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान धनशोधन पर एशिया/प्रशांत समूह, एग्मॉन्ट समूह और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) की सदस्यताओं के लिए वार्षिक अंशदान हेतु है।

10. **अन्य व्यय:** इसमें तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति की जब्ती) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत अपील अधिकरण, सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण (सीस्टेट) और धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत न्याय निर्णयन प्राधिकरण के लिए किया गया प्रावधान शामिल है।

11. **अफीम एवं क्षारोद्य कारखाना:** यह प्रावधान गाजीपुर और नीमच स्थित अफीम कारखाना और क्षारोद्य कार्य के निवल व्यय हेतु है जिसमें अफीम उत्पाद की खरीद भी शामिल है। केंद्र सरकार का अफीम की खेती पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है और वह चिकित्सात्मक एवं वैज्ञानिक जरूरतों हेतु प्रोसेसिंग एवं विक्रय के लिए संपूर्ण उत्पाद का क्रय करती है।
12. **राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण संवर्द्धन समिति:** यह प्रावधान आयकर अधिनियम के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण संवर्द्धन समिति के व्यय को पूरा करने के लिए है।
13. **लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय:** यह प्रावधान राजस्व विभाग (राजस्व भवन आदि) के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए है।
14. **आवास पर पूंजीगत परिव्यय:** यह प्रावधान प्रवर्तन निदेशालय के लिए रिहायशी फ्लैटों की खरीद/निर्माण के लिए किया गया है।
15. **जीएसटीएन (माल एवं सेवा कर नेटवर्क) पर प्रयोक्ता प्रभार:** प्रचालन उपरांत व्यय में केंद्र सरकार के हिस्से के सापेक्ष माल एवं सेवा कर तंत्र को प्रयोक्ता प्रभार के भुगतान हेतु प्रावधान किया गया है।
16. **वैट को लाने एवं वैट से संबंधित व्यय के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को क्षतिपूर्ति:** सांकेतिक प्रावधान वैट को लागू किए जाने और वैट संबंधी व्यय के कारण राजस्व हानियों के लिए राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति के लिए है।
17. **केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को हटाए जाने के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को क्षतिपूर्ति:** सांकेतिक प्रावधान केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को हटाए जाने के कारण संघ राज्य क्षेत्रों को हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति हेतु है।
- 18.01. **जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अंतरण:** जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 2017 के तहत भारत की संचित निधि में एकत्रित उपकर में से लोक लेखा में जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अंतरण करने का प्रावधान है।
- 18.02. **राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्गम:** वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को होने वाली राजस्व हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए यह प्रावधान रखा गया है।
- 18.03. **जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि से पूरी की गई धनराशि:** यह प्रावधान माल और सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के कारण राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को हुई राजस्व हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए है, जिसे जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर कोष से पूरा किया जाना है।

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 36
प्रत्यक्ष कर

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	7229.93	173.14	7403.07	8180.34	352.00	8532.34	8206.89	302.00	8508.89	8866.80	442.00	9308.80	
<i>वसूलियां</i>	-6.64	-0.05	-6.69	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00	
<i>प्राप्तियां</i>	
निवल	7223.29	173.09	7396.38	8180.34	350.00	8530.34	8206.89	300.00	8506.89	8866.80	440.00	9306.80	
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. आय और व्यय पर करों का संग्रहण													
1.01	आय कर का संग्रहण	6110.32	...	6110.32	6912.39	...	6912.39	6934.82	...	6934.82	7492.45	...	7492.45
1.02	निगम कर का संग्रहण	939.02	...	939.02	1063.44	...	1063.44	1066.90	...	1066.90	1152.68	...	1152.68
1.03	वास्तविक वसूली	-6.64	...	-6.64
	<i>निवल</i>	<i>7042.70</i>	...	<i>7042.70</i>	<i>7975.83</i>	...	<i>7975.83</i>	<i>8001.72</i>	...	<i>8001.72</i>	<i>8645.13</i>	...	<i>8645.13</i>
2. संपत्ति, प्रतिभूति लेनदेन और अन्य करों का संग्रहण													
2.01	धन कर का संग्रहण	18.06	...	18.06	20.45	...	20.45	20.52	...	20.52	22.17	...	22.17
2.02	प्रतिभूति लेनदेन कर	36.12	...	36.12	40.90	...	40.90	41.03	...	41.03	44.33	...	44.33
2.03	अन्य करों का संग्रहण	126.41	...	126.41	143.16	...	143.16	143.62	...	143.62	155.17	...	155.17
2.04	तैयार निर्मित आवास की खरीद : कार्यालय भवन	...	113.95	113.95	...	225.11	225.11	...	200.00	200.00	...	286.00	286.00
2.05	तैयार निर्मित आवास की खरीद : आवासीय भवन	...	58.15	58.15	...	124.89	124.89	...	100.00	100.00	...	154.00	154.00
	<i>जोड़- धन, प्रतिभूति लेनदेन और अन्य करों का संग्रहण</i>	<i>180.59</i>	<i>172.10</i>	<i>352.69</i>	<i>204.51</i>	<i>350.00</i>	<i>554.51</i>	<i>205.17</i>	<i>300.00</i>	<i>505.17</i>	<i>221.67</i>	<i>440.00</i>	<i>661.67</i>
	जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	7223.29	172.10	7395.39	8180.34	350.00	8530.34	8206.89	300.00	8506.89	8866.80	440.00	9306.80
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय													
अन्य													
3. आयकर अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति का अधिग्रहण													
3.01	सकल व्यय	...	1.04	1.04	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
3.02	घटाइए-बिक्री प्राप्तियां	...	-0.05	-0.05	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00
	<i>निवल</i>	...	<i>0.99</i>	<i>0.99</i>
कुल जोड़		7223.29	173.09	7396.38	8180.34	350.00	8530.34	8206.89	300.00	8506.89	8866.80	440.00	9306.80

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. आय और व्यय पर करों का संग्रहण	7042.70	...	7042.70	7975.83	...	7975.83	8001.72	...	8001.72	8645.13	...	8645.13
2. धन कर, प्रतिभूति लेनदेन कर तथा अन्य करों का संग्रहण	180.59	...	180.59	204.51	...	204.51	205.17	...	205.17	221.67	...	221.67
3. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	113.94	113.94	...	225.11	225.11	...	200.00	200.00	...	286.00	286.00
4. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.00	1.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	7223.29	114.94	7338.23	8180.34	225.11	8405.45	8206.89	200.00	8406.89	8866.80	286.00	9152.80
सामाजिक सेवाएं												
5. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	...	58.15	58.15	...	124.89	124.89	...	100.00	100.00	...	154.00	154.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	...	58.15	58.15	...	124.89	124.89	...	100.00	100.00	...	154.00	154.00
कुल जोड़	7223.29	173.09	7396.38	8180.34	350.00	8530.34	8206.89	300.00	8506.89	8866.80	440.00	9306.80

1.01. **आय कर का संग्रहण:** इसमें उस प्रत्यक्ष कर संगठन के लिए किया गया प्रावधान शामिल है जो केंद्र सरकार द्वारा व्यक्तिगत आय, एचयूएफ, फर्म, एओपी, न्यास और अन्य निर्धारिती, जिसमें कि कारपोरेट निर्धारिती नहीं आते हैं, की आय पर लगाए और वसूले गए सभी प्रकार के प्रत्यक्ष करों को देखता है।

1.02. **निगम कर का संग्रहण:** इसमें उस प्रत्यक्ष कर संगठन के लिए किया गया प्रावधान शामिल है जो केंद्र सरकार द्वारा कारपोरेट निर्धारिती की आय पर लगाए और वसूले गए सभी प्रत्यक्ष करों को देखता है।

2.01. **धन कर का संग्रहण:** इसमें उस प्रत्यक्ष कर संगठन के लिए किया गया प्रावधान शामिल है जो केंद्र सरकार द्वारा धन पर लगाए और वसूले गए सभी प्रत्यक्ष करों को देखता है।

2.02. **प्रतिभूति लेनदेन कर:** इसमें उस प्रत्यक्ष कर संगठन के लिए किया गया प्रावधान शामिल है जो केंद्र सरकार द्वारा प्रतिभूति पर लगाए और वसूले गए सभी प्रत्यक्ष करों को देखता है।

2.03. **अन्य करों का संग्रहण:** इसमें उस प्रत्यक्ष कर संगठन के लिए किया गया प्रावधान शामिल है जो केंद्र सरकार द्वारा उपर्युक्त करों से भिन्न अन्य करों पर लगाए और वसूले गए सभी प्रत्यक्ष करों को देखता है।

2.04. **तैयार निर्मित आवास की खरीद : कार्यालय भवन:** यह प्रावधान प्रत्यक्ष कर संगठन से संबंधित कार्यालय प्रयोजन के लिए बने-बनाए कार्यालय/ भवन की खरीद/भूमि की खरीद/भवन के निर्माण से संबंधित है।

2.05. **तैयार निर्मित आवास की खरीद : आवासीय भवन:** यह प्रावधान प्रत्यक्ष कर संगठन से संबंधित आवासीय प्रयोजन के लिए बने-बनाए भवन/आवासीय भवन की खरीद/भूमि की खरीद/भवन के निर्माण से संबंधित है।

3. **आयकर अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति का अधिग्रहण:** यह प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XXC में परिकल्पित केंद्र सरकार द्वारा अचल संपत्ति के अग्रक्रय से संबंधित बिक्री से प्राप्त आय एवं पहले से हासिल किया गया सुरक्षा शुल्क, संपत्ति के अनुरक्षण और रखरखाव के आय के लिए है।

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 37
अप्रत्यक्ष कर

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	7168.11	216.10	7384.21	20907.27	452.00	21359.27	73960.99	978.00	74938.99	39739.17	1400.00	41139.17	
वसूलियां	-4.09	...	-4.09	-24.50	...	-24.50	-0.50	...	-0.50	-0.50	...	-0.50	
प्राप्तियां	
निवल	7164.02	216.10	7380.12	20882.77	452.00	21334.77	73960.49	978.00	74938.49	39738.67	1400.00	41138.67	
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. सीमा शुल्क													
1.01	सीमा शुल्क का संग्रहण	2064.98	...	2064.98	2367.56	...	2367.56	2295.23	...	2295.23	2547.85	...	2547.85
1.02	सीमा शुल्क का स्थापना खर्च	...	5.49	5.49	...	105.00	105.00	...	78.00	78.00	...	200.00	200.00
1.03	निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों एवं करों की माफी (आरओडीटीईपी)	13000.00	...	13000.00	12454.00	...	12454.00	13699.40	...	13699.40
1.04	राज्य एवं केन्द्रीय करों एवं उगाहियों पर छूट (आरओएससीटीएल)	6946.00	...	6946.00	7640.60	...	7640.60
	जोड़- सीमा शुल्क	2064.98	5.49	2070.47	15367.56	105.00	15472.56	21695.23	78.00	21773.23	23887.85	200.00	24087.85
2. बकायों का एकमुश्त भुगतान													
2.01	भारत से मर्चेडाइज निर्यात स्कीम (एमईआईएस)	29599.20	...	29599.20	3288.80	...	3288.80
2.02	भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एसईआईएस)	6001.20	...	6001.20	4000.80	...	4000.80
2.03	राज्य एवं केन्द्रीय करों एवं उगाहियों पर छूट (आरओएससीटीएल)	5286.00	...	5286.00
2.04	निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों एवं करों की माफी (आरओडीटीईपी)	2568.00	...	2568.00	546.00	...	546.00
2.05	टारगेट प्लस स्कीम	1549.02	...	1549.02	1032.68	...	1032.68
2.06	फोकस प्रोडक्ट स्कीम एवं मार्केट लिंकड प्रोडक्ट स्कीम	565.68	...	565.68	377.12	...	377.12
2.07	स्टेटस होल्डर्स इन्सैटिव स्कीम (एसएचआईएस)	378.90	...	378.90	169.20	...	169.20
2.08	राज्य उगाही स्कीम पर छूट (आरओएसएल)	264.00	...	264.00	66.00	...	66.00
2.09	फोकस मार्केट स्कीम	175.27	...	175.27	116.85	...	116.85
2.10	विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना	136.15	...	136.15	90.76	...	90.76
2.11	मोबाइल फोनों के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त तदर्थ बोनस प्रोत्साहन	109.80	...	109.80	12.20	...	12.20

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2.12 वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहन स्कीम (वार्षिक एवं तिमाही)	82.75	...	82.75	149.90	...	149.90
2.13 भारत से सेवा-प्राप्त स्कीम (एसएफआईएस)	6.66	...	6.66
जोड़- बकायों का एकमुश्त भुगतान	46722.63	...	46722.63	9850.31	...	9850.31
3. केंद्रीय उत्पाद शुल्क/केन्द्रीय माल और सेवा कर												
3.01 केंद्रीय उत्पाद शुल्क / केन्द्रीय माल और सेवा कर का संग्रहण	4047.14	...	4047.14	4413.71	...	4413.71	4438.58	...	4438.58	4851.82	...	4851.82
3.02 उत्पाद शुल्क/केन्द्रीय माल और सेवा कर का स्थापना खर्च	1045.35	...	1045.35	1079.50	...	1079.50	1082.05	...	1082.05	1128.69	...	1128.69
3.03 आवास - रख-रखाव और मरम्मत	10.64	...	10.64	22.00	...	22.00	22.00	...	22.00	20.00	...	20.00
3.04 बने बनाए मकानों की खरीद-कार्यालय भवन	...	62.20	62.20	...	139.00	139.00	...	536.00	536.00	...	780.00	780.00
3.05 बने बनाए मकानों की खरीद-आवासीय भवन	...	148.41	148.41	...	208.00	208.00	...	364.00	364.00	...	420.00	420.00
जोड़- केंद्रीय उत्पाद शुल्क/केन्द्रीय माल और सेवा कर	5103.13	210.61	5313.74	5515.21	347.00	5862.21	5542.63	900.00	6442.63	6000.51	1200.00	7200.51
4. वास्तविक वसूलियां	-4.09	...	-4.09
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	7164.02	216.10	7380.12	20882.77	452.00	21334.77	73960.49	978.00	74938.49	39738.67	1400.00	41138.67
कुल जोड़	7164.02	216.10	7380.12	20882.77	452.00	21334.77	73960.49	978.00	74938.49	39738.67	1400.00	41138.67
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. सीमा शुल्क	2063.86	...	2063.86	15367.56	...	15367.56	68417.86	...	68417.86	33738.16	...	33738.16
2. केंद्रीय वस्तु और सेवा कर एवं एकीकृत वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	5089.52	...	5089.52	5493.21	...	5493.21	5520.63	...	5520.63	5980.51	...	5980.51
3. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	5.49	5.49	...	105.00	105.00	...	78.00	78.00	...	200.00	200.00
4. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	62.20	62.20	...	139.00	139.00	...	536.00	536.00	...	780.00	780.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	7153.38	67.69	7221.07	20860.77	244.00	21104.77	73938.49	614.00	74552.49	39718.67	980.00	40698.67
सामाजिक सेवाएं												
5. आवास	10.64	...	10.64	22.00	...	22.00	22.00	...	22.00	20.00	...	20.00
6. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	...	148.41	148.41	...	208.00	208.00	...	364.00	364.00	...	420.00	420.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	10.64	148.41	159.05	22.00	208.00	230.00	22.00	364.00	386.00	20.00	420.00	440.00
कुल जोड़	7164.02	216.10	7380.12	20882.77	452.00	21334.77	73960.49	978.00	74938.49	39738.67	1400.00	41138.67

- 1.01. **सीमा शुल्क का संग्रहण:** इसमें स्थापना और सीमाशुल्क विंग के अन्य व्यय , सीमा शुल्क कल्याण कोष में अंतरण और अन्य विभाग को भुगतान से संबंधित प्रावधान आते हैं।
- 1.02. **सीमा शुल्क का स्थापना खर्च:** तस्करीरोधी उपकरणों, कंटेनर स्केनर्स, मेरीन फ्लीट की खरीद और एक्सबीआईएस आदि की खरीद पर आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए प्रावधान किया गया है।

1.03. **निर्यात उत्पादों पर शुल्कों एवं करों की माफी (आरबीडीटीईपी):** निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की माफी- स्क्रिप आधारित योजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है।

1.04. **राज्य एवं केन्द्रीय करों एवं उगाहियों पर छूट (आरओएससीटीएल):** यह प्रावधान राज्य और केंद्रीय करों और उगाही पर छूट के लिए किया गया है।

2. **बकायों का एकमुश्त भुगतान:** यह प्रावधान स्क्रिप आधारित योजनाओं के बकाया के एकमुश्त भुगतान के लिए किया गया है।

3.01. **केंद्रीय उत्पाद शुल्क / केन्द्रीय माल और सेवा कर का संग्रहण:** यह प्रावधान केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संगठन के स्थापना खर्च, जिसमें केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, एकीकृत वस्तु और सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली पर आने वाले अन्य खर्च शामिल हैं, और उपभोक्ता कल्याण कोष के लिए प्रावधान है।

3.02. **उत्पाद शुल्क / केन्द्रीय माल और सेवा कर का स्थापना खर्च:** यह प्रावधान मुख्य रूप से निष्पादन प्रबंधन, लेखा-परीक्षा, प्रणाली एवं डाटा प्रबंधन, नासिन, सतर्कता, प्रचार एवं जनसंपर्क निदेशालय, करदाता सेवा निदेशालय, माल एवं सेवा कर निदेशालय, माल एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय, सेटलमेंट कमीशन पर स्थापना और अन्य खर्च के लिए किया गया है।

3.03. **आवासन-अनुरक्षण एवं मरम्मत :** यह प्रावधान विभाग के स्वामित्व में आने वाले आवासीय भवनों की देखरेख और मरम्मत के लिए है।

3.04. **बने बनाए मकानों की खरीद-कार्यालय भवन:** इसमें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड से संबंधित बने बनाए कार्यालय भवन और भूमि की खरीद के लिए तथा कार्यालय भवनों के निर्माण आदि से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

3.05. **बने बनाए मकानों की खरीद-आवासीय भवन:** इसमें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के लिए बने बनाए आवासीय भवनों और भूमि की खरीद तथा आवासीय मकानों के निर्माण आदि से संबंधित प्रावधान आते हैं।

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 38

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	5035.24	7.91	5043.15	5409.97	24.95	5434.92	5387.21	54.95	5442.16	5952.56	24.00	5976.56
वसूलियां	-302.72	...	-302.72	-342.78	...	-342.78	-337.52	...	-337.52	-356.42	...	-356.42
प्राप्तियां
निवल	4732.52	7.91	4740.43	5067.19	24.95	5092.14	5049.69	54.95	5104.64	5596.14	24.00	5620.14
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक	168.59	...	168.59	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	229.07	...	229.07
2. सिविल लेखा परीक्षा एवं लेखा कार्यालय												
2.01 सिविल लेखापरीक्षा कार्यालय	2458.05	...	2458.05	2702.51	...	2702.51	2670.47	...	2670.47	2982.71	...	2982.71
2.02 सिविल लेखा कार्यालय	1640.08	...	1640.08	1638.63	...	1638.63	1638.44	...	1638.44	1519.59	...	1519.59
2.03 केन्द्रीकृत प्रापण	237.67	...	237.67
2.04 प्रशिक्षण	75.63	...	75.63
जोड़- सिविल लेखा परीक्षा एवं लेखा कार्यालय	4098.13	...	4098.13	4341.14	...	4341.14	4308.91	...	4308.91	4815.60	...	4815.60
3. डाक एवं दूरसंचार लेखापरीक्षा कार्यालय	143.12	...	143.12	162.32	...	162.32	162.92	...	162.92	168.15	...	168.15
4. रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय	255.79	...	255.79	291.52	...	291.52	295.00	...	295.00	299.61	...	299.61
5. रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय	114.21	...	114.21	129.98	...	129.98	132.01	...	132.01	133.99	...	133.99
6. वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय	203.50	...	203.50	215.67	...	215.67	217.96	...	217.96	254.31	...	254.31
7. विदेश स्थित लेखापरीक्षा कार्यालय	23.13	...	23.13	34.42	...	34.42	34.47	...	34.47	34.15	...	34.15
8. अन्य व्यय	28.77	...	28.77	34.92	...	34.92	35.94	...	35.94	17.68	...	17.68
9. बने बनाए कार्यालय भवनों की खरीद	...	5.27	5.27	...	14.00	14.00	...	14.00	14.00	...	15.00	15.00
10. बने बनाए रिहायशी भवनों की खरीद	...	2.64	2.64	...	10.95	10.95	...	40.95	40.95	...	9.00	9.00
11. किये गये व्यय के प्रति समायोजित वसूलियां												
11.01 भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक	-3.34	...	-3.34	-8.25	...	-8.25	-8.94	...	-8.94	-9.39	...	-9.39
11.02 लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालय	-299.38	...	-299.38	-334.53	...	-334.53	-328.58	...	-328.58	-347.03	...	-347.03
जोड़	-302.72	...	-302.72	-342.78	...	-342.78	-337.52	...	-337.52	-356.42	...	-356.42
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	4732.52	7.91	4740.43	5067.19	24.95	5092.14	5049.69	54.95	5104.64	5596.14	24.00	5620.14

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल जोड़	4732.52	7.91	4740.43	5067.19	24.95	5092.14	5049.69	54.95	5104.64	5596.14	24.00	5620.14
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. लेखा परीक्षा	4732.52	...	4732.52	5067.19	...	5067.19	5049.69	...	5049.69	5596.14	...	5596.14
2. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	5.27	5.27	...	14.00	14.00	...	14.00	14.00	...	15.00	15.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	4732.52	5.27	4737.79	5067.19	14.00	5081.19	5049.69	14.00	5063.69	5596.14	15.00	5611.14
सामाजिक सेवाएं												
3. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.64	2.64	...	10.95	10.95	...	40.95	40.95	...	9.00	9.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	...	2.64	2.64	...	10.95	10.95	...	40.95	40.95	...	9.00	9.00
कुल जोड़	4732.52	7.91	4740.43	5067.19	24.95	5092.14	5049.69	54.95	5104.64	5596.14	24.00	5620.14

1. **भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक:** इस मांग में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित हैं।

2.01. **सिविल लेखापरीक्षा कार्यालय:** इस मांग में सिविल लेखापरीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

2.02. **सिविल लेखा कार्यालय:** इस मांग में सिविल लेखा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

2.03. **केन्द्रीकृत प्रापण:** यह प्रावधान ओआईओएस सहित आईएण्डएडी की सभी केन्द्रीकृत खरीद से संबंधित व्यय के लिए हैं।

2.04. **प्रशिक्षण:** यह प्रावधान आईएण्डएडी के सभी प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधित व्यय के लिए हैं।

3. **डाक एवं दूरसंचार लेखापरीक्षा कार्यालय:** इस मांग में डाक एवं दूरसंचार लेखापरीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

4. **रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय:** इस मांग में रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

5. **रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय:** इस मांग में रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

6. **वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय:** इस मांग में वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

7. **विदेश स्थित लेखापरीक्षा कार्यालय:** इस मांग में विदेश स्थित लेखापरीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

8. **अन्य व्यय:** इस मांग में राष्ट्रीय लेखापरीक्षा तथा लेखा अकादमी शिमला एवं भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग की विभागीय कैन्टीनों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

9. **बने बनाए कार्यालय भवनों की खरीद:** यह प्रावधान कार्यालय भवनों के नवीनीकरण कार्यों और उनमें दूसरी विभिन्न सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने के लिए है।

10. **बने बनाए रिहायशी भवनों की खरीद:** यह प्रावधान फ्लैटों की खरीद, रिहायशी मकानों के नवीनीकरण कार्यों और उनमें दूसरी विभिन्न सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने के लिए है।

11.01. **भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक:** संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षा कार्यालयों तथा मुख्यालय में रेलवे लेखा परीक्षा स्कंध पर किये गये व्यय के प्रति समायोजित वसूलियां।

11.02. **लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालय:** डाक तथा दूरसंचार लेखा परीक्षा कार्यालयों और रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालयों पर किये गये व्यय के प्रति समायोजित वसूलियां।

वित्त मंत्रालय
सं 39 (विनियोग)
ब्याज अदायगियां

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	720985.20	...	720985.20	847195.79	...	847195.79	837186.70	...	837186.70	970003.67	...	970003.67
वसूलियां	-1.27	...	-1.27	-7500.00	...	-7500.00	-14000.00	...	-14000.00
प्राप्तियां	-41115.35	...	-41115.35	-37494.47	...	-37494.47	-15895.70	...	-15895.70	-15352.65	...	-15352.65
निवल	679868.58	...	679868.58	809701.32	...	809701.32	813791.00	...	813791.00	940651.02	...	940651.02
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
1. ऋण की कमी के लिए प्रीमियम का पूर्व-भुगतान	9047.36	...	9047.36	7485.12	...	7485.12	5689.26	...	5689.26	3213.61	...	3213.61
2. आंतरिक ऋण पर ब्याज												
2.01 बाजार ऋण	504357.28	...	504357.28	578609.48	...	578609.48	575959.86	...	575959.86	657048.70	...	657048.70
2.02 घटाएं : राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एक के बाद एक ऋणों पर जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि से पूरी की गई धनराशि	-7500.00	...	-7500.00	-14000.00	...	-14000.00
2.03 कम उपार्जित ब्याज	-41115.35	...	-41115.35	-37494.47	...	-37494.47	-15895.70	...	-15895.70	-15352.65	...	-15352.65
2.04 नकद प्रबंधन बिलों पर छूट	595.09	...	595.09	2000.00	...	2000.00	1000.00	...	1000.00
2.05 क्षतिपूर्ति और अन्य बंधपत्र	3352.43	...	3352.43	4757.59	...	4757.59	5253.55	...	5253.55	8656.47	...	8656.47
2.06 14 दिवसीय राजकोपीय बिल	1720.12	...	1720.12	3000.00	...	3000.00	1750.00	...	1750.00	2500.00	...	2500.00
2.07 91 दिवसीय राजकोपीय बिल	5983.80	...	5983.80	7671.83	...	7671.83	7927.32	...	7927.32	9145.29	...	9145.29
2.08 182 दिवसीय राजकोपीय बिल	8368.23	...	8368.23	10453.38	...	10453.38	8472.64	...	8472.64	11535.69	...	11535.69
2.09 364 दिवसीय राजकोपीय बिल पर छूट	15893.49	...	15893.49	18642.06	...	18642.06	16484.25	...	16484.25	20856.70	...	20856.70
2.10 ऋणों का प्रबंधन	1903.44	...	1903.44	2500.00	...	2500.00	1650.00	...	1650.00	2500.00	...	2500.00
2.11 अर्थोपाय अग्रिम	1345.37	...	1345.37	2000.00	...	2000.00	1000.00	...	1000.00
2.12 विशेष प्रतिभूतियों के रूपांतरण में जारी की गई बाजार योग्य प्रतिभूतियां	2142.25	...	2142.25	2135.57	...	2135.57	2001.91	...	2001.91	1745.89	...	1745.89
2.13 बाजार स्थिरीकरण योजना
2.14 पुनर्पूंजीकरण बंध पत्रों पर ब्याज	17689.57	...	17689.57	18281.82	...	18281.82	17689.57	...	17689.57	17689.57	...	17689.57
2.15 सरकार नियंत्रित अन्य बैंकिंग कम्पनियों के प्रति पुनर्पूंजीकरण बंधपत्रों पर ब्याज	1603.20	...	1603.20	1010.95	...	1010.95	1603.20	...	1603.20	1603.20	...	1603.20
2.16 सावरन गोल्ड बांड योजना 2015 पर ब्याज	503.12	...	503.12	1029.29	...	1029.29	890.41	...	890.41	1209.73	...	1209.73

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2.17 स्वर्ण मुद्राकरण योजना 2015 पर व्याज	113.78	...	113.78	225.00	...	225.00	160.00	...	160.00	170.00	...	170.00
जोड़- आंतरिक ऋण पर व्याज	524455.82	...	524455.82	614822.50	...	614822.50	616447.01	...	616447.01	707308.59	...	707308.59
3. बाह्य ऋणों पर व्याज	8203.70	...	8203.70	10617.00	...	10617.00	7096.20	...	7096.20	7925.90	...	7925.90
4. लघु बचत, भविष्य निधियों इत्यादि पर व्याज												
4.01 लघु बचत जमा, बचत पत्रों तथा परिचालन व्यय पर व्याज	79258.14	...	79258.14	112692.12	...	112692.12	121055.84	...	121055.84	159127.22	...	159127.22
4.02 राज्य भविष्य निधियां	16383.63	...	16383.63	19402.46	...	19402.46	16972.17	...	16972.17	17576.44	...	17576.44
4.03 बीमा तथा पेंशन निधियां	7380.25	...	7380.25	7162.00	...	7162.00	7410.00	...	7410.00	7134.00	...	7134.00
4.04 गैर सरकारी भविष्य निधि की विशेष जमा	3473.36	...	3473.36	4121.04	...	4121.04	3729.03	...	3729.03	3953.37	...	3953.37
4.05 अन्य विशेष जमा	15192.69	...	15192.69	16729.85	...	16729.85	18579.56	...	18579.56	18309.98	...	18309.98
जोड़- लघु बचत, भविष्य निधियों इत्यादि पर व्याज	121688.07	...	121688.07	160107.47	...	160107.47	167746.60	...	167746.60	206101.01	...	206101.01
5. रिजर्व निधियों पर व्याज	490.01	...	490.01	617.85	...	617.85	814.82	...	814.82	819.93	...	819.93
6. अन्य दायित्वों पर व्याज												
6.01 तेल कंपनियों को विशेष बांड	9989.96	...	9989.96	9989.96	...	9989.96	9989.96	...	9989.96	9195.96	...	9195.96
6.02 भारतीय खाद्य निगम को जारी विशेष बांड	1319.26	...	1319.26	1319.26	...	1319.26	1319.26	...	1319.26	1319.26	...	1319.26
6.03 उर्वरक कंपनियों को जारी विशेष बांड	1173.58	...	1173.58	1173.58	...	1173.58	1173.58	...	1173.58	1173.58	...	1173.58
6.04 एसबीआई राइट्स के लिए बांड	834.67	...	834.67	834.67	...	834.67	834.67	...	834.67	834.67	...	834.67
6.05 पीएलआई को विशेष बांड	1612.48	...	1612.48	1231.18	...	1231.18	1540.68	...	1540.68	1530.18	...	1530.18
6.06 अन्य को व्याज	1054.94	...	1054.94	1502.73	...	1502.73	1138.96	...	1138.96	1228.33	...	1228.33
जोड़- अन्य दायित्वों पर व्याज	15984.89	...	15984.89	16051.38	...	16051.38	15997.11	...	15997.11	15281.98	...	15281.98
7. वास्तविक वसूलियां	-1.27	...	-1.27
जोड़-अन्य	679868.58	...	679868.58	809701.32	...	809701.32	813791.00	...	813791.00	940651.02	...	940651.02
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	679868.58	...	679868.58	809701.32	...	809701.32	813791.00	...	813791.00	940651.02	...	940651.02
कुल जोड़	679868.58	...	679868.58	809701.32	...	809701.32	813791.00	...	813791.00	940651.02	...	940651.02
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. ऋण की कटौती या परिवर्जन के लिए विनियोग	9047.36	...	9047.36	7485.12	...	7485.12	5689.26	...	5689.26	3213.61	...	3213.61
2. व्याज भुगतान	670821.22	...	670821.22	802216.20	...	802216.20	808101.74	...	808101.74	937437.41	...	937437.41
जोड़-सामान्य सेवाएं	679868.58	...	679868.58	809701.32	...	809701.32	813791.00	...	813791.00	940651.02	...	940651.02
कुल जोड़	679868.58	...	679868.58	809701.32	...	809701.32	813791.00	...	813791.00	940651.02	...	940651.02

इस विनियोग में शामिल संपूर्ण व्यय को संविधान के अनुच्छेद 112(3)(ग) के अंतर्गत भारत की संविधि पर 'प्रभारित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

जीएसटी की कमी के लिए जुटाई गई बाजार ऋणों पर व्याज भुगतान को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बारी बारी के आधार पर प्रदान किया जाता है जिसे जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि से पूरा किया जाता है।

इस विनियोग में केंद्रीय सरकार की ऋण देयताओं, आंतरिक और बाह्य दोनों, पर व्याज-प्रभारों के लिए प्रावधान है। इसमें वाणिज्यिक विभागों जैसे रेलवे की अन्य आरक्षित निधियों, मूल्यह्रास के अलावा सरकार के पास जमा भविष्य निधियों, विशेष जमा राशि पर देय व्याज हेतु प्रावधान शामिल है। केंद्रीय सरकार के ऋण तथा अन्य देयताओं के प्रबंध हेतु प्रावधान भी इस विनियोग में शामिल किए गए हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

मांग संख्या 28

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2029.84	33.09	2062.93	3014.10	122.48	3136.58	2738.14	48.51	2786.65	3170.00	115.00	3285.00
वसूलियां	-96.01	...	-96.01	-261.65	...	-261.65	-261.65	...	-261.65	-250.00	...	-250.00
प्राप्तियां	-5.00	...	-5.00	-5.00	...	-5.00	-5.00	...	-5.00
निवल	1933.83	33.09	1966.92	2747.45	122.48	2869.93	2471.49	48.51	2520.00	2915.00	115.00	3030.00
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	122.63	...	122.63	147.82	...	147.82	145.31	...	145.31	168.74	...	168.74
2. संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय												
2.01 क्षेत्रीय कार्यालय	29.68	0.13	29.81	45.00	5.40	50.40	45.00	0.40	45.40	48.50	1.50	50.00
2.02 राष्ट्रीय वनरोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड	9.57	...	9.57	9.50	...	9.50	7.19	...	7.19	8.30	...	8.30
2.03 भारतीय वन सर्वेक्षण	25.53	0.24	25.77	30.00	0.58	30.58	30.83	0.15	30.98	33.50	0.50	34.00
2.04 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी	24.24	7.30	31.54	42.00	9.50	51.50	39.79	9.50	49.29	43.50	5.00	48.50
2.05 राज्य वन सेवा एवं रेंजर कॉलेज	12.12	5.16	17.28	14.50	10.00	24.50	13.44	9.45	22.89	15.50	18.00	33.50
2.06 वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो	8.32	...	8.32	11.00	...	11.00	11.50	...	11.50	12.50	...	12.50
2.07 भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण	61.63	6.12	67.75	72.00	6.00	78.00	73.00	6.00	79.00	79.00	6.00	85.00
2.08 भारतीय प्राणिशास्त्र सर्वेक्षण	59.72	6.27	65.99	67.00	15.00	82.00	70.00	11.00	81.00	78.75	9.00	87.75
2.09 राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय	11.18	2.89	14.07	12.00	7.00	19.00	12.93	7.00	19.93	15.00	7.00	22.00
2.10 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण	34.25	...	34.25	43.00	61.00	104.00	44.00	0.01	44.01	45.00	61.00	106.00
जोड़- संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय	276.24	28.11	304.35	346.00	114.48	460.48	347.68	43.51	391.19	379.55	108.00	487.55
3. राष्ट्रीय प्राणी उद्यान												
3.01 सकल बजटीय सहायता	20.10	4.98	25.08	23.00	8.00	31.00	27.00	5.00	32.00	27.50	7.00	34.50
3.02 गेट प्राप्तियां घटाएं	-5.00	...	-5.00	-5.00	...	-5.00	-5.00	...	-5.00
निवल	20.10	4.98	25.08	18.00	8.00	26.00	22.00	5.00	27.00	22.50	7.00	29.50
4. राष्ट्रीय प्राधिकरण												
4.01 सकल बजटीय सहायता	89.31	...	89.31	261.65	...	261.65	261.65	...	261.65	250.00	...	250.00
4.02 राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति बनीकरण निधि से प्राप्त राशि घटाएं	-89.31	...	-89.31	-261.65	...	-261.65	-261.65	...	-261.65	-250.00	...	-250.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<i>निम्न</i>
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	418.97	33.09	452.06	511.82	122.48	634.30	514.99	48.51	563.50	570.79	115.00	685.79
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
पर्यावरण ज्ञान और क्षमता निर्माण												
5. वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण												
5.01 कार्यक्रम घटक	1.96	...	1.96	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00	8.62	...	8.62
5.02 ईएपी घटक
जोड़- वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	1.96	...	1.96	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00	8.62	...	8.62
6. पारिस्थितिकी कार्य बल	38.00	...	38.00	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	70.00	...	70.00
जोड़-पर्यावरण ज्ञान और क्षमता निर्माण	39.96	...	39.96	70.00	...	70.00	65.00	...	65.00	78.62	...	78.62
राष्ट्रीय तटीय प्रबन्धन कार्यक्रम												
7. राष्ट्रीय तटीय मिशन (एनसीएम)												
7.01 कार्यक्रम घटक	7.34	...	7.34	50.00	...	50.00	30.90	...	30.90	25.00	...	25.00
7.02 ईएपी घटक	61.00	...	61.00	150.00	...	150.00	70.00	...	70.00	170.00	...	170.00
जोड़- राष्ट्रीय तटीय मिशन (एनसीएम)	68.34	...	68.34	200.00	...	200.00	100.90	...	100.90	195.00	...	195.00
पर्यावरण संरक्षण, प्रबन्धन और धारणीय विकास												
8. प्रदूषण उपशमन	5.45	...	5.45
9. घातक पदार्थों का प्रबंधन (एचएसएम)												
9.01 कार्यक्रम घटक	3.30	...	3.30	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	4.50	...	4.50
9.02 ईएपी घटक
जोड़- घातक पदार्थों का प्रबंधन (एचएसएम)	3.30	...	3.30	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	4.50	...	4.50
10. जलवायु परिवर्तन कार्रवाई योजना	20.40	...	20.40	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
11. राष्ट्रीय अनुकूलन कोष	43.08	...	43.08	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00
12. हिमालय अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन	29.45	...	29.45	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	48.00	...	48.00
जोड़-पर्यावरण संरक्षण, प्रबन्धन और धारणीय विकास	101.68	...	101.68	136.00	...	136.00	136.00	...	136.00	142.50	...	142.50
पर्यावरण जागरूकता, नीति, आयोजना और परिणाम मूल्यांकन हेतु निर्णय सहायक प्रणाली												
13. पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण	49.62	...	49.62	77.13	...	77.13	72.73	...	72.73	58.70	...	58.70
14. पर्यावरण सूचना प्रणाली (ईएनवीआईएस)	19.39	...	19.39	35.00	...	35.00	30.27	...	30.27	23.50	...	23.50
15. उत्कृष्टता केन्द्र	4.81	...	4.81
16. संरक्षण और विकास के लिए अनुसंधान और विकास	2.58	...	2.58	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	4.75	...	4.75
जोड़-पर्यावरण जागरूकता, नीति, आयोजना और परिणाम मूल्यांकन हेतु निर्णय सहायक प्रणाली	76.40	...	76.40	117.13	...	117.13	108.00	...	108.00	86.95	...	86.95
17. प्रदूषण नियंत्रण	267.41	...	267.41	470.00	...	470.00	390.10	...	390.10	460.00	...	460.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	553.79	...	553.79	993.13	...	993.13	800.00	...	800.00	963.07	...	963.07
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
18. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	99.50	...	99.50	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
19. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	7.19	...	7.19	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00	10.00	...	10.00
20. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण	10.80	...	10.80	19.50	...	19.50	19.50	...	19.50	17.50	...	17.50
21. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण	7.40	...	7.40	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
22. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	17.00	...	17.00
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	124.89	...	124.89	160.50	...	160.50	160.50	...	160.50	154.50	...	154.50
स्वायत्त निकाय												
23. जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान	16.70	...	16.70	24.00	...	24.00	24.00	...	24.00	22.00	...	22.00
24. भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद	218.03	...	218.03	220.00	...	220.00	230.00	...	230.00	210.00	...	210.00
25. भारतीय वन प्रबंधन संस्थान	23.50	...	23.50	27.75	...	27.75	27.75	...	27.75	25.00	...	25.00
26. भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान	10.25	...	10.25	8.25	...	8.25	8.25	...	8.25	7.45	...	7.45
27. भारतीय वन्यजीव संस्थान	22.00	...	22.00	25.50	...	25.50	25.50	...	25.50	23.00	...	23.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	290.48	...	290.48	305.50	...	305.50	315.50	...	315.50	287.45	...	287.45
अन्य												
28. सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र (एसएसीओएन)	10.50	...	10.50	10.50	...	10.50	9.00	...	9.00
29. वास्तविक वसूलियां	-6.70	...	-6.70
जोड़-अन्य	-6.70	...	-6.70	10.50	...	10.50	10.50	...	10.50	9.00	...	9.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	408.67	...	408.67	476.50	...	476.50	486.50	...	486.50	450.95	...	450.95
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
पर्यावरण, वानिकी और वन्य जीव												
30. हरित भारत संबंधित राष्ट्रीय मिशन												
30.01 हरित भारत मिशन- राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम	157.62	...	157.62	235.00	...	235.00	205.00	...	205.00	300.00	...	300.00
30.02 ग्रीन इंडिया मिशन-राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (ईएपी घटक)	0.42	...	0.42	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	17.50	...	17.50
30.03 वन की आग की रोकथाम और प्रबंधन	32.86	...	32.86	40.00	...	40.00	35.00	...	35.00	44.19	...	44.19
जोड़- हरित भारत संबंधित राष्ट्रीय मिशन	190.90	...	190.90	290.00	...	290.00	255.00	...	255.00	361.69	...	361.69
31. वन्यजीव वास स्थानों का समेकित विकास												
31.01 बाघ परियोजना	194.70	...	194.70	250.00	...	250.00	220.00	...	220.00	300.00	...	300.00
31.02 हाथी परियोजना	24.95	...	24.95	33.00	...	33.00	32.00	...	32.00	35.00	...	35.00
31.03 वन्य जीव पर्यावासों का विकास	89.56	...	89.56	116.00	...	116.00	96.00	...	96.00	132.50	...	132.50
31.04 वन्यजीव का पर्यावास विकास (ईएपी घटक)	10.00	...	10.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	42.50	...	42.50
जोड़- वन्यजीव वास स्थानों का समेकित विकास	319.21	...	319.21	414.00	...	414.00	363.00	...	363.00	510.00	...	510.00
32. प्राकृतिक संसाधनों तथा पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण												

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
32.01 जैव विविधता संरक्षण	7.93	...	7.93	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	8.50	...	8.50
32.02 जलीय पारिस्थितिकी का संरक्षण	32.86	...	32.86	48.40	...	48.40	38.40	...	38.40	48.40	...	48.40
32.03 जलीय पारिस्थितिकी का संरक्षण (ईएपी घटक)	1.50	...	1.50	1.60	...	1.60	1.60	...	1.60	1.60	...	1.60
जोड़- प्राकृतिक संसाधनों तथा पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण	42.29	...	42.29	62.00	...	62.00	52.00	...	52.00	58.50	...	58.50
जोड़-पर्यावरण, वानिकी और वन्य जीव	552.40	...	552.40	766.00	...	766.00	670.00	...	670.00	930.19	...	930.19
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	552.40	...	552.40	766.00	...	766.00	670.00	...	670.00	930.19	...	930.19
कुल जोड़	1933.83	33.09	1966.92	2747.45	122.48	2869.93	2471.49	48.51	2520.00	2915.00	115.00	3030.00
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. वानिकी और वन्य जीवन	475.45	...	475.45	586.50	...	586.50	591.08	...	591.08	594.00	...	594.00
2. पारिस्थितिकी और पर्यावरण	803.52	...	803.52	1235.58	...	1235.58	1066.43	...	1066.43	1215.75	...	1215.75
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	122.63	...	122.63	147.82	...	147.82	145.31	...	145.31	168.74	...	168.74
4. वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय	...	17.81	17.81	...	33.48	33.48	...	24.50	24.50	...	32.00	32.00
5. अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	...	15.28	15.28	...	89.00	89.00	...	24.01	24.01	...	83.00	83.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	1401.60	33.09	1434.69	1969.90	122.48	2092.38	1802.82	48.51	1851.33	1978.49	115.00	2093.49
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	179.00	...	179.00	147.00	...	147.00	193.00	...	193.00
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	532.23	...	532.23	594.90	...	594.90	520.57	...	520.57	742.06	...	742.06
8. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3.65	...	3.65	1.10	...	1.10	1.45	...	1.45
जोड़-अन्य	532.23	...	532.23	777.55	...	777.55	668.67	...	668.67	936.51	...	936.51
कुल जोड़	1933.83	33.09	1966.92	2747.45	122.48	2869.93	2471.49	48.51	2520.00	2915.00	115.00	3030.00

1 - 4. केन्द्र का स्थापना व्यय: यह प्रावधान राष्ट्रीय प्राणी उद्यान एवं राष्ट्रीय प्राधिकरण सहित सचिवालय व्यय एवं सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए है। अन्य स्थापना संबंधी व्यय प्रावधानों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रभाव आकलन, मीडिया, प्रचार और सूचना के प्रावधान भी शामिल हैं।

5 और 6. पर्यावरणीय ज्ञान और क्षमता निर्माण - अम्ब्रेला सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम की दो उप-स्कीमें - (i) वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (ii) इको टास्क फोर्स हैं। योजना 'वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण' का लक्ष्य वानिकी क्षेत्र के कर्मियों के प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर की पूरी जरूरत को कवर करना है। इको टास्क योजना गंभीर अवक्रमण या दूरवर्ती अवस्थिति की वजह से खराब हो गए भू-भाग की पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना करने के लिए रक्षा मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

7. राष्ट्रीय तट प्रबंधन कार्यक्रम : मंत्रालय का उत्तरदायित्व मछुआरों सहित तटीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा; तटीय भागों का संरक्षण, सुरक्षा करना और वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर वहनीय विकास को बढ़ावा देना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में संरक्षण, सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भी मंत्रालय उत्तरदायी है। तटीय राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में विश्व बैंक की सहायता से एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन परियोजना भी क्रियान्वित की जा रही है।

8-12. पर्यावरण-संरक्षण, प्रबंधन और वहनीय विकास : अम्ब्रेला स्कीम स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के विकास और औद्योगिक संयंत्रों में प्रदूषण का उपशमन करने में भी सहायता देती है। जलवायु परिवर्तन के खतरे की बढ़ती मान्यता और घरेलू नीति निर्माण एवं नियोजन के क्षेत्र के रूप में इसके महत्व को इस अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत पहचान मिली है, जिसके अंतर्गत प्रदूषण उपशमन के कार्यक्रमों/परियोजनाओं, खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि और राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

13 - 16 पर्यावरण के प्रति जागरूकता, नीति, नियोजन और निष्कर्ष मूल्यांकन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली : स्कीम प्रदर्शनियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता लाती है और पर्यावरण संबंधी शिक्षा प्रदान करती है। अन्य उद्देश्यों में पर्यावरण से जुड़ी सूचना का संग्रह, बड़े हितधारकों को सूचना का संप्रेषण और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन शामिल हैं। पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रावधानों में स्वच्छता कार्य योजना के प्रावधान शामिल हैं।

17. **प्रदूषण नियंत्रण:** प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण की अवधारणा रखी गई है जिसमें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) को वित्तपोषण शामिल है।

18 - 21. सांविधिक और विनियामक निकाय : मंत्रालय में चार निकाय हैं - केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण (सीजेडए), राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए)।

22. **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग:** वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग: एक नवगठित सांविधिक और विनियामक निकाय। यह आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु कार्य करता है।

23- 27. स्वायत्त निकाय : मंत्रालय अनुसंधान और विकास कार्यों में लगे विभिन्न स्वायत्त निकायों/संस्थानों, नामतः भारतीय वानिकी प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम), भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (आईपीआईआरटीआई), भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यू आईआई), जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण और वहनीय विकास संस्थान (जीबीपीएनआईएचईएसडी) को सहायता देता है।

28. **सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र (एसएसीओएन):** सलीम अली पक्षी विज्ञान और राष्ट्रीय इतिहास केंद्र (एसएसीओएन): पक्षी विज्ञान पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्राकृतिक इतिहास के समूचे क्षेत्र को शामिल करने हेतु एक पंजीकृत सोसाइटी।

30. **हरित भारत संबंधित राष्ट्रीय मिशन:** वन क्षेत्र में वृद्धि करने और मौजूदा वन भूमि की सुरक्षा के लिए मंत्रालय की दो योजनागत स्कीमें हैं, नामतः हरित भारत मिशन -राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम और वन अग्नि निवारण प्रबंधन। वन प्रबंधन योजना की गहनता का नाम 2018-19 में वन अग्नि निवारण प्रबंधन में बदल दिया गया है।

31. **वन्यजीव वास स्थानों का समेकित विकास:** देश के वन्यजीवों के संरक्षण के लिए मंत्रालय की तीन मुख्य स्कीमें हैं; नामतः व्याघ्र परियोजना, हाथी परियोजना और वन्यजीव पर्यावासों का विकास।

32. **प्राकृतिक संसाधनों तथा पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण:** देश के प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी-प्रणाली के संरक्षण के लिए मंत्रालय जैव-क्षेत्रों, नमभूमि और झील जैसे क्षेत्रों में प्रयास करता रहा है।

विदेश मंत्रालय

मांग संख्या 29

विदेश मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	13223.35	1142.49	14365.84	16663.98	1490.75	18154.73	14919.41	1080.59	16000.00	15838.77	1416.23	17255.00
<i>वसूलियां</i>	-33.17	-3.44	-36.61	-5.00	...	-5.00
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	13190.18	1139.05	14329.23	16663.98	1490.75	18154.73	14919.41	1080.59	16000.00	15833.77	1416.23	17250.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	396.91	...	396.91	522.85	...	522.85	489.73	...	489.73	541.79	...	541.79
2. राजदूतावास एवं मिशन	2797.16	...	2797.16	3240.07	...	3240.07	3397.99	...	3397.99	3769.06	...	3769.06
3. पासपोर्ट एवं उत्प्रवासन	936.61	...	936.61	1328.63	...	1328.63	1056.28	...	1056.28	996.67	...	996.67
4. विदेश में महिलाओं के कल्याण के लिए योजना												
4.01 वन स्टाप सेंटर (निर्भया निधि से वित्त-पोषित)	5.00	...	5.00
4.02 निर्भया निधि से पूरी की गई धनराशि	-5.00	...	-5.00
<i>निवल</i>
5. मंत्रालय के अन्य व्यय	112.08	603.34	715.42	156.14	610.00	766.14	86.95	600.00	686.95	144.22	710.00	854.22
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	4242.76	603.34	4846.10	5247.69	610.00	5857.69	5030.95	600.00	5630.95	5451.74	710.00	6161.74
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों/परियोजनाएं												
देशों को सहायता												
6. भूटान	1558.52	539.15	2097.67	2124.20	880.75	3004.95	1274.64	480.59	1755.23	1560.01	706.23	2266.24
7. अफगानिस्तान	348.82	...	348.82	350.00	...	350.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00
8. बांग्लादेश	177.98	...	177.98	200.00	...	200.00	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00
9. नेपाल	879.10	...	879.10	992.00	...	992.00	650.00	...	650.00	750.00	...	750.00
10. श्रीलंका	44.81	...	44.81	200.00	...	200.00	50.00	...	50.00	200.00	...	200.00
11. मालदीव	160.20	...	160.20	250.00	...	250.00	260.00	...	260.00	360.00	...	360.00
12. म्यानमार	347.06	...	347.06	400.00	...	400.00	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00
13. मंगोलिया	0.48	...	0.48	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	12.00	...	12.00
14. अफ्रीकी देश	226.28	...	226.28	300.00	...	300.00	200.00	...	200.00	250.00	...	250.00

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
15. यूरेशियाई देश	45.42	...	45.42	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	140.00	...	140.00
16. लैटिन अमरीकी देश	11.77	...	11.77	40.00	...	40.00	55.00	...	55.00	40.00	...	40.00
17. अन्य विकासशील देश	117.13	...	117.13	130.00	...	130.00	90.00	...	90.00	150.00	...	150.00
18. आपदा राहत	6.87	...	6.87	20.00	...	20.00	5.00	...	5.00	10.00	...	10.00
19. चाबहार पत्तन	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
20. मॉरीशस	652.06	...	652.06	900.00	...	900.00	900.00	...	900.00	900.00	...	900.00
21. सेथेल्स	90.29	...	90.29	160.00	...	160.00	20.00	...	20.00	14.06	...	14.06
जोड़-देशों को सहायता	4666.79	539.15	5205.94	6268.20	880.75	7148.95	4806.64	480.59	5287.23	5586.07	706.23	6292.30
22. अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण/कार्यक्रमों को सहायता	386.57	...	386.57	476.20	...	476.20	401.20	...	401.20	447.70	...	447.70
23. संस्कृति और विरासत परियोजना हेतु सहायता	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	5053.36	539.15	5592.51	6754.40	880.75	7635.15	5217.84	480.59	5698.43	6043.77	706.23	6750.00
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
24. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर)	217.50	...	217.50	300.00	...	300.00	239.74	...	239.74	320.00	...	320.00
25. अन्य स्वशासी निकायों को सहायता	24.79	...	24.79	33.14	...	33.14	43.41	...	43.41	34.90	...	34.90
जोड़-स्वायत्त निकाय	242.29	...	242.29	333.14	...	333.14	283.15	...	283.15	354.90	...	354.90
अन्य												
26. विशेष कूटनीतिक खर्च	2600.39	...	2600.39	3000.01	...	3000.01	3240.01	...	3240.01	3100.01	...	3100.01
27. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	584.15	...	584.15	565.97	...	565.97	679.86	...	679.86	518.86	...	518.86
28. नालंदा विश्वविद्यालय	200.00	...	200.00	250.00	...	250.00	350.00	...	350.00	200.00	...	200.00
29. दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय	61.28	...	61.28	314.00	...	314.00	94.00	...	94.00	128.00	...	128.00
30. वीवीआईपी यात्राओं के लिए एयर इंडिया के वायुयानों की रखरखाव लागत	230.81	...	230.81	150.00	...	150.00
31. सीमाओं का रेखांकन	0.27	...	0.27	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
32. प्रवासी भारतीय दिवस महोत्सव	20.00	...	20.00	5.00	...	5.00	10.00	...	10.00
33. विदेशी तीर्थयात्राओं के संबंधित व्यय	0.02	...	0.02	1.00	...	1.00	0.13	...	0.13	1.00	...	1.00
34. विनिमय द्वारा हानि	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
35. प्रशिक्षण	8.02	...	8.02	25.76	...	25.76	16.46	...	16.46	23.48	...	23.48
36. वास्तविक वसूलियां	-33.17	-3.44	-36.61
जोड़-अन्य	3651.77	-3.44	3648.33	4328.75	...	4328.75	4387.47	...	4387.47	3983.36	...	3983.36
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	3894.06	-3.44	3890.62	4661.89	...	4661.89	4670.62	...	4670.62	4338.26	...	4338.26
कुल जोड़	13190.18	1139.05	14329.23	16663.98	1490.75	18154.73	14919.41	1080.59	16000.00	15833.77	1416.23	17250.00
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	392.78	...	392.78	522.85	...	522.85	489.73	...	489.73	541.79	...	541.79

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2. विदेशी मामले	7751.76	...	7751.76	9386.72	...	9386.72	9211.83	...	9211.83	9248.20	...	9248.20
3. विविध सामान्य सेवाएं	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
4. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	254.80	254.80	...	260.00	260.00	...	310.00	310.00	...	410.00	410.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	8144.54	254.80	8399.34	9909.58	260.00	10169.58	9701.57	310.00	10011.57	9790.00	410.00	10200.00
सामाजिक सेवाएं												
5. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	...	345.10	345.10	...	350.00	350.00	...	290.00	290.00	...	300.00	300.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	...	345.10	345.10	...	350.00	350.00	...	290.00	290.00	...	300.00	300.00
अन्य												
6. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	5045.64	...	5045.64	6754.40	...	6754.40	5217.84	...	5217.84	6043.77	...	6043.77
7. विदेशी सरकारों को अग्रिम	...	539.15	539.15	...	880.75	880.75	...	480.59	480.59	...	706.23	706.23
जोड़-अन्य	5045.64	539.15	5584.79	6754.40	880.75	7635.15	5217.84	480.59	5698.43	6043.77	706.23	6750.00
कुल जोड़	13190.18	1139.05	14329.23	16663.98	1490.75	18154.73	14919.41	1080.59	16000.00	15833.77	1416.23	17250.00

1. **सचिवालय:** यह विदेश मंत्रालय सचिवालय, मुख्यालयों में लोक राजनय, स्टेट सुविधा एवं जानकारी सहायता, छात्रावास और आवासीय परिसर के संबंध में व्यय की व्यवस्था करता है।

2. **राजदूतावास एवं मिशन:** यह विदेशों में मिशनों/केंद्रों में भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए व्यय की व्यवस्था करता है।

3. **पासपोर्ट एवं उत्खवासन:** यह पासपोर्ट कार्यालयों, यात्रा दस्तावेजों की छपाई, पासपोर्ट आवेदनों और फाइलों की स्कैनिंग, पासपोर्ट प्रिंटरों की लीज, पासपोर्ट प्रिंटरों की खरीद, पासपोर्ट कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण, केंद्रीय अधिनियमों के प्रशासन, उत्खवासियों के महासंरक्षक के लिए राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों को भुगतान, भारत को जानिए कार्यक्रम, विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, विदेशों में रहने वाले भारतीयों के साथ सांस्कृतिक संबंधों के संवर्धन इत्यादि के संबंध में व्यय की व्यवस्था करता है।

4. **विदेश में महिलाओं के कल्याण के लिए योजना:** विदेश में समस्या का सामना कर रही महिलाओं को निर्भया निधि से वित्तीय/चिकित्सा/कानूनी सहायता प्रदान करना।

5. **मंत्रालय के अन्य व्यय:** यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, गण्यमान्य व्यक्तियों के मनोरंजन, कलाकृतियों की खरीद, विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत वापस भेजने, युद्ध/तामरिक उपद्रव के कारण भारतीयों को निकालने, विदेशों में उच्चस्तरीय दौरों, लोक निर्माण कार्य एवं हाउसिंग के संबंध में पूंजीगत परिव्यय, स्वर्णप्रवास योजना इत्यादि के संबंध में व्यय की व्यवस्था करता है।

6 - 23. देशों को सहायता, अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को सहायता: यह प्रावधान आस-पड़ोस के देशों और अन्य विकासशील देशों को भारत की बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय सहायता और सहयोग कार्यक्रमों के लिए है। यह सहायता भारत की सीमाओं से लगे देशों और अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और लैटिन अमरीका के देशों को भी मुहैया कराई जाती है। इसके अंतर्गत आपदा राहत और लोकोपकारी सहायता के लिए भी व्यय की व्यवस्था की जाती है। इस प्रावधान में भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान को वित्तीय सहायता भी शामिल है।

24 और 25. स्वायत्त निकाय: इसमें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर), भारतीय विश्व कार्य परिषद (आईसीडब्ल्यूए) और गुट-निरपेक्ष एवं अन्य विकासशील देशों के लिए अनुसंधान, सूचना प्रणाली सोसायटी (आरआईएस) एवं प्रवास के लिए भारत केंद्र के लिए सहायता अनुदान-वेतन तथा सहायता अनुदान-सामान्य के लिए व्यय की व्यवस्था की गई है।

26-35. अन्य केंद्रीय क्षेत्र व्यय (अन्य): इसके अंतर्गत विवेकाधीन व्यय, राष्ट्रमंडल सचिवालय, अंतरराष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, सार्क सचिवालय, दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय और नालन्दा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए व्यय की व्यवस्था की गई है। यह अति-अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की यात्रा के लिए एयर इंडिया के विमान की रख-रखाव लागत, सीमाओं के सीमांकन के लिए भी व्यय की व्यवस्था करता है। इससे प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन, कैलाश मानसरोवर यात्रा, भारतीय अंतरराष्ट्रीय विधि सोसायटी, चीनी अध्ययन संस्थान की सहायता, भूमि कल्याण अध्ययन केंद्र, यूएन शांति स्थापना केंद्र और विदेश सेवा संस्थान संबंधी व्यय के लिए भी व्यय की व्यवस्था की जाती है।

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 30
आर्थिक कार्य विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	6062.91	20792.78	26855.69	4649.12	94900.41	99549.53	5718.97	49449.86	55168.83	6736.88	13189.92	19926.80	
वसूलियां	-0.09	-5721.24	-5721.33	...	-6518.00	-6518.00	...	-5407.61	-5407.61	...	-3518.00	-3518.00	
प्राप्तियां	-649.02	-7226.81	-7875.83	-128.34	-31775.01	-31903.35	-628.45	-33516.67	-34145.12	-593.52	-1275.02	-1868.54	
निवल	5413.80	7844.73	13258.53	4520.78	56607.40	61128.18	5090.52	10525.58	15616.10	6143.36	8396.90	14540.26	
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. सचिवालय													
1.01	आर्थिक कार्य विभाग	121.28	...	121.28	156.59	...	156.59	176.32	...	176.32	211.28	...	211.28
2. संबद्ध कार्यालय													
2.01	दूतावास, वॉशिंगटन, बीजिंग, टोक्यो आदि के आर्थिक विंग	13.06	...	13.06	18.29	...	18.29	23.38	...	23.38	19.42	...	19.42
2.02	वायदा बाजार आयोग	0.18	...	0.18	0.34	...	0.34	0.19	...	0.19	0.30	...	0.30
2.03	प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण	6.15	...	6.15	20.84	...	20.84	15.71	...	15.71	17.39	...	17.39
2.04	पंद्रहवां वित्त आयोग	15.00	...	15.00
जोड़- संबद्ध कार्यालय													
34.39		34.39	...	34.39	39.47	...	39.47	39.28	...	39.28	37.11	...	37.11
3. वास्तविक वसूलियां													
-0.08		-0.08	...	-0.08
155.59		155.59	...	155.59	196.06	...	196.06	215.60	...	215.60	248.39	...	248.39
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय													
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम/परियोजनाएं													
4. राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ)													
4.01	राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण	...	2000.00	2000.00	...	2500.00	2500.00	...	2500.00	2500.00
4.02	सकल बजटीय सहायता	2.99	3567.45	3570.44	3.00	5000.01	5003.01	1.67	5000.01	5001.68	3.00	5000.01	5003.01
4.03	राष्ट्रीय निवेश निधि से प्राप्त राशि	...	-2000.00	-2000.00	...	-2500.00	-2500.00	...	-2500.00	-2500.00
<i>निवल</i>													
2.99		3567.45	3570.44	3.00	5000.01	5003.01	1.67	5000.01	5001.68	3.00	5000.01	5003.01	
5. अर्थक्षमता अंतर निधियन													
23.76		...	23.76	240.00	10.00	250.00	130.00	10.00	140.00	400.00	100.00	500.00	
ब्याज समकरण सहायता													
6.	भारतीय कंपनी	208.59	...	208.59	225.00	...	225.00	203.00	...	203.00
7.	एक्जिम बैंक	2397.49	...	2397.49	1776.01	...	1776.01	1100.00	...	1100.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) के अंतर्गत ऋण सीमा	1300.00	...	1300.00
जोड़-ब्याज समकरण सहायता	2606.08	...	2606.08	2001.01	...	2001.01	1303.00	...	1303.00	1300.00	...	1300.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	2632.83	3567.45	6200.28	2244.01	5010.01	7254.02	1434.67	5010.01	6444.68	1703.00	5100.01	6803.01
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय अंशदान												
9. आईएमएफ दिल्ली के किराया लागत में अंशदान	0.25	...	0.25	0.28	...	0.28	0.28	...	0.28	0.28	...	0.28
10. अंतरराष्ट्रीय बचत बैंक संस्थान को अंशदान	0.09	...	0.09	0.10	...	0.10
11. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)	95.89	...	95.89	125.80	...	125.80	125.80	...	125.80	120.00	...	120.00
12. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं:	87.10	...	87.10	117.77	...	117.77	118.39	...	118.39	103.24	...	103.24
13. एएफडीएफ के एमडीआरआई को अंशदान												
13.01 सकल बजटीय सहायता	3.54	...	3.54	4.18	...	4.18	4.18	...	4.18	4.32	...	4.32
13.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-3.54	...	-3.54	-4.18	...	-4.18	-4.18	...	-4.18	-4.32	...	-4.32
<i>निवल</i>
14. आईडीए को अंशदान												
14.01 सकल बजटीय सहायता	500.00	...	500.00	0.01	...	0.01	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00
14.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-500.00	...	-500.00	-0.01	...	-0.01	-500.00	...	-500.00	-500.00	...	-500.00
<i>निवल</i>
15. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग: (अंतरराष्ट्रीय अंशदान)	61.96	...	61.96	62.85	...	62.85	62.95	...	62.95	62.82	...	62.82
16. एशियाई विकास निधि में अंशदान												
16.01 सकल बजटीय सहायता	0.01	...	0.01
16.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-0.01	...	-0.01
<i>निवल</i>
17. एशियाई विकास निधि में अंशदान-12												
17.01 सकल बजटीय सहायता	75.60	...	75.60
17.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-75.60	...	-75.60
<i>निवल</i>
18. एशियाई विकास निधि में अंशदान-13												
18.01 सकल बजटीय सहायता	89.15	...	89.15	89.20	...	89.20	89.20	...	89.20
18.02 घटाएं-प्रतिभूतियों के निर्गमन के माध्यम से पूर्ति	-89.15	...	-89.15	-89.20	...	-89.20	-89.20	...	-89.20
<i>निवल</i>
19. एएफडीएफ के लिए अंशदान												
19.01 सकल बजटीय सहायता	69.88	...	69.88	34.99	...	34.99	35.07	...	35.07
19.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-69.88	...	-69.88	-34.99	...	-34.99	-35.07	...	-35.07

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<i>निवल</i>
20. क्लाइमेट एक्शन पियर (सीएपीई) को योगदान	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
21. एसईईटीएफ के लिए अंशदान	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़-अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय अंशदान	245.29	...	245.29	306.82	...	306.82	307.44	...	307.44	286.36	...	286.36
22. उधार के लिए नई व्यवस्था:												
22.01 सकल बजट	1000.00	1000.00	...	100.00	100.00	...	0.01	0.01
22.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-1000.00	-1000.00	...	-100.00	-100.00	...	-0.01	-0.01
<i>निवल</i>
23. मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल												
23.01 एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरीद	...	1365.85	1365.85	...	1518.00	1518.00	...	1007.61	1007.61	...	1518.00	1518.00
23.02 घटाएं वसूलियां	...	-1365.85	-1365.85	...	-1518.00	-1518.00	...	-1007.61	-1007.61	...	-1518.00	-1518.00
<i>निवल</i>
24. आरक्षित निधि												
24.01 गारंटी मोचन निधि	1600.00	...	1600.00	600.00	...	600.00	939.07	...	939.07	1000.00	...	1000.00
24.02 गोल्ड आरक्षित फंड	677.11	...	677.11	997.50	...	997.50	2000.01	...	2000.01	2498.00	...	2498.00
जोड़- आरक्षित निधि	2277.11	...	2277.11	1597.50	...	1597.50	2939.08	...	2939.08	3498.00	...	3498.00
25. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग												
25.01 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठक हेतु व्यय (ब्रिक्स/सार्क/इंटरनेशनल करप्शन हंटर्स एलायंस/न्यू डेवलपमेंट बैंक और जीआईजेड के लिए सेवा कर)	31.60	...	31.60	25.69	...	25.69	20.06	...	20.06	20.18	...	20.18
26. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश												
26.01 आईएफआई में निवेश	...	10385.01	10385.01	...	4495.61	4495.61	...	7042.34	7042.34	...	1740.69	1740.69
26.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि (एडीबी/एफ, एएफडीबी/एफ, आईएमएफ)	...	-7122.33	-7122.33	...	-1000.01	-1000.01	...	-3641.67	-3641.67	...	-1000.01	-1000.01
<i>निवल</i>	...	3262.68	3262.68	...	3495.60	3495.60	...	3400.67	3400.67	...	740.68	740.68
27. अन्य व्यय:												
27.01 कालातीत मामलों में केन्द्रीय प्रतिभूतियों पर ब्याज भुगतान और सरकारी खाते में जमा हुई अदावी प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान।	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
27.02 संरक्षित बचत योजनाएं	0.10	...	0.10	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
27.03 आईएमएफ को देय मूल्यांकन प्रभार	0.64	...	0.64
27.04 अन्य सामान्य आर्थिक सेवा के अंतर्गत अन्य व्यय	27.03	...	27.03	68.46	...	68.46	107.03	...	107.03	241.54	...	241.54
27.05 नई योजनाएं	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
27.06 भारत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड (आईआईपीडीएफ)	0.75	...	0.75	0.75	...	0.75	50.00	...	50.00
27.07 गोल्ड मुद्राकरण योजना 2015 के लिए कमीशन	31.94	...	31.94	65.00	...	65.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
जोड़- अन्य व्यय:	59.10	...	59.10	134.88	0.01	134.89	157.84	0.01	157.85	341.60	0.01	341.61

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
28. केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/संस्थानों में कौशल निर्माण प्रशिक्षण	30.00	...	30.00
29. सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण												
29.01 गृह निर्माण अग्रिम	...	97.95	97.95	...	175.00	175.00	...	175.00	175.00	...	175.00	175.00
29.02 मोटर वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	...	0.04	0.04	...	0.24	0.24	...	0.24	0.24	...	0.24	0.24
29.03 कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम	...	48.30	48.30	...	74.76	74.76	...	74.76	74.76	...	74.76	74.76
29.04 घटाएं प्राप्तियां	...	-104.48	-104.48	...	-275.00	-275.00	...	-275.00	-275.00	...	-275.00	-275.00
<i>निवल</i>	...	41.81	41.81	...	-25.00	-25.00	...	-25.00	-25.00	...	-25.00	-25.00
30. लघु बचत योजनाएं	12.29	...	12.29	15.82	...	15.82	15.83	...	15.83	15.83	...	15.83
	-0.01	...	-0.01
<i>निवल</i>	12.28	...	12.28	15.82	...	15.82	15.83	...	15.83	15.83	...	15.83
31. बजट के लिए मशीनों की खरीद	3.00	3.00
32. आवास संबंधी पूंजी परिव्यय	...	0.17	0.17	...	20.00	20.00	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
33. अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक लिए ब्रिज लोन	...	54.43	54.43	...	55.46	55.46	...	56.20	56.20
34. स्वर्ण मुद्राकरण योजना												
34.01 स्वर्ण जमा	...	1273.89	1273.89	...	2500.00	2500.00	...	1900.00	1900.00	...	2000.00	2000.00
34.02 घटाएं वसूतियां	...	-2355.39	-2355.39	...	-2500.00	-2500.00	...	-1900.00	-1900.00	...	-2000.00	-2000.00
<i>निवल</i>	...	-1081.50	-1081.50
35. इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा एडीबी एवं केएफडब्ल्यू को ऋण की चुकौती	...	35.35	35.35	...	34.34	34.34	...	34.34	34.34	...	31.17	31.17
36. रियायती साझेदार ऋण (सीपीएल)	...	49.07	49.07	...	49.34	49.34	...	49.34	49.34	...	50.02	50.02
37. मध्यम आय समूह के लिए किरायायती आवासन	...	915.27	915.27	...	2250.00	2250.00	...	1000.00	1000.00	...	1500.00	1500.00
38. अवसंरचना योजना के लिए सहायता	44714.64	44714.64
39. एनआईआईएफ अवसंरचना ऋण वित्तीय आधार में पूंजी समावेशन	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00
40. आकस्मिकता निधि में अंतरण												
40.01 आकस्मिकता निधि में अंतरण	29500.00	29500.00	...	29500.00	29500.00
40.02 संचित निधि से विनियोजन	-29500.00	-29500.00	...	-29500.00	-29500.00
<i>निवल</i>
जोड़-अन्य	2625.38	4277.28	6902.66	2080.71	51597.39	53678.10	3440.25	5515.57	8955.82	4191.97	3296.89	7488.86
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	2625.38	4277.28	6902.66	2080.71	51597.39	53678.10	3440.25	5515.57	8955.82	4191.97	3296.89	7488.86
कुल जोड़	5413.80	7844.73	13258.53	4520.78	56607.40	61128.18	5090.52	10525.58	15616.10	6143.36	8396.90	14540.26

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. अन्य राजकोषीय सेवाएं	12.62	...	12.62	16.20	...	16.20	16.11	...	16.11	16.11	...	16.11
2. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	121.23	...	121.23	156.59	...	156.59	176.32	...	176.32	211.28	...	211.28
3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	21.15	...	21.15	20.84	...	20.84	15.71	...	15.71	17.39	...	17.39
4. विविध सामान्य सेवाएं	1600.03	...	1600.03	600.03	...	600.03	939.10	...	939.10	1000.03	...	1000.03
5. मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल पर पूंजी परिव्यय	...	-1081.50	-1081.50
6. लेखन सामग्री और छपाई पर पूंजी परिव्यय	3.00	3.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	1755.03	-1081.50	673.53	793.66	3.00	796.66	1147.24	...	1147.24	1244.81	...	1244.81
सामाजिक सेवाएं												
7. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.10	...	0.10	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
8. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.17	0.17	...	20.00	20.00	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़-सामाजिक सेवाएं	0.10	0.17	0.27	...	20.00	20.00	0.03	0.01	0.04	0.03	0.01	0.04
आर्थिक सेवाएं												
9. कृषि वित्तीय संस्थान	95.89	...	95.89	125.80	...	125.80	125.80	...	125.80	120.00	...	120.00
10. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	2.99	...	2.99	3.00	...	3.00	1.67	...	1.67	3.00	...	3.00
11. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	0.66	...	0.66	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
12. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	860.15	...	860.15	1508.11	...	1508.11	2429.75	...	2429.75	3392.50	...	3392.50
13. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	...	5482.72	5482.72	...	8250.01	8250.01	...	7000.01	7000.01	...	7500.01	7500.01
14. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	...	3262.68	3262.68	...	3495.60	3495.60	...	3400.67	3400.67	...	740.68	740.68
15. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	44724.65	44724.65	...	10.01	10.01	...	100.01	100.01
16. कृषि वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण	...	49.07	49.07	...	49.34	49.34	...	49.34	49.34	...	50.02	50.02
17. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों के लिए ऋण	...	35.35	35.35	...	34.34	34.34	...	34.34	34.34	...	31.17	31.17
18. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण	...	54.43	54.43	...	55.46	55.46	...	56.20	56.20
19. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण
जोड़-आर्थिक सेवाएं	959.03	8884.25	9843.28	1637.57	56609.40	58246.97	2557.24	10550.57	13107.81	3515.52	8421.89	11937.41
अन्य												
20. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	2699.64	...	2699.64	2089.55	...	2089.55	1386.01	...	1386.01	1383.00	...	1383.00
21. सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	...	41.81	41.81	...	-25.00	-25.00	...	-25.00	-25.00	...	-25.00	-25.00
22. आकस्मिकता निधि को विनियोग
जोड़-अन्य	2699.64	41.81	2741.45	2089.55	-25.00	2064.55	1386.01	-25.00	1361.01	1383.00	-25.00	1358.00
कुल जोड़	5413.80	7844.73	13258.53	4520.78	56607.40	61128.18	5090.52	10525.58	15616.10	6143.36	8396.90	14540.26

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि लि.	3567.45	...	3567.45	5000.01	...	5000.01	5000.01	...	5000.01	5000.01	...	5000.01
2. एडीवी और केएफडब्ल्यू को अवसंरचना लीजिंग एवं वित्तीय सेवा लि. द्वारा ऋण की अदायगी	35.35	...	35.35	34.34	...	34.34	34.34	...	34.34	31.17	...	31.17
जोड़	3602.80	...	3602.80	5034.35	...	5034.35	5034.35	...	5034.35	5031.18	...	5031.18

- सचिवालय:** यह प्रावधान आर्थिक कार्य विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।
- संबद्ध कार्यालय:** यह प्रावधान आर्थिक कार्य विभाग के संबद्ध कार्यालयों अर्थात् वाशिंगटन, बीजिंग, टोक्यो दूतावास आदि के आर्थिक स्कन्ध आदि, वायदा बाजार आयोग (एफएमसी), प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) के स्थापना व्यय के लिए है।
- राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ):** यह प्रावधान राष्ट्रीय निवेश और इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआईआईएफ) लिमिटेड में अंतरण और निवेश के लिए है और उसके प्रबंधन शुल्क के लिए है।
- अर्थक्षमता अंतर निधियन:** यह प्रावधान सरकारी निजी साझेदारी (पीपीपी) के अंतर्गत अर्थक्षमता अंतर निधियन (वी.जी.एफ.) के प्रावधान के माध्यम से अवसंरचना परियोजनाओं को बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए है।
- भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएस) के अंतर्गत ऋण सीमा:** यह प्रावधान रियायती दर पर वित्तपोषण, एग्जिम बैंक को अतिदेय पुराने व्याज सहित भारतीय विकास एवं आर्थिक सहायता स्कीम (आईडीईएस) के अंतर्गत ऋण व्यवस्था के लिए व्याज समकरण सहयोग के निमित्त है।
- आईएमएफ दिल्ली के किराया लागत में अंशदान:** यह प्रावधान आईएमएफ दिल्ली के किराया लागत में अंशदान के लिए है।
- अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी):** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) को अंशदान देने के लिए है।
- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं:** यह प्रावधान तकनीकी सहयोग हेतु राष्ट्रमंडल निधि, अफ्रीकी विकास बैंक के साथ तकनीकी सहयोग, राजकोपीय संबंधों पर आर्थिक सहायता और विकास नेटवर्क संगठनों को अंशदान, जीएफटीएम और जीएवीआई को अंशदान के अंतर्गत अंशदान देने सहित अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए है।
- एफडीएफ के एमडीआरआई को अंशदान:** यह प्रावधान अफ्रीकी विकास निधि के बहुपक्षीय ऋण राहत पहल में अंशदान करने के लिए है।
- आईडीए को अंशदान:** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) को अंशदान देने के लिए है।
- अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग: (अंतरराष्ट्रीय अंशदान):** यह प्रावधान अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में अंशदान, वैश्विक पर्यावरण न्यास निधि आदि में अंशदान) में अंशदान के लिए है।
- एशियाई विकास निधि-13 में अंशदान:** यह प्रावधान एशियाई विकास निधि-13 में अंशदान करने के लिए है।
- क्लाइमेट एक्शन पियर (सीएपीई) को योगदान:** क्लाइमेट एक्शन पियर एक्सचेंज (सीएपीई) में भारत के योगदान के लिए सांकेतिक प्रावधान किया गया है।
- एसईडीएफ के लिए अंशदान:** साउथ-साउथ एक्सपीरियंस एक्सचेंज ट्रस्ट फंड (एसईडीएफ) में योगदान के लिए प्रावधान है।
- उधार के लिए नई व्यवस्था:** यह प्रावधान उधार लेने की नई व्यवस्था में निवेश के लिए नोट खरीद करार को आगे बढ़ाने के लिए है।
- मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल:** यह प्रावधान भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और सिक्का निर्माण निगम लिमिटेड से सिक्कों की खरीद के लिए है।
- वारक्षित निधि:** यह प्रावधान गारंटी मोचन निधि, सॉवरेन स्वर्ण बांड स्कीम और स्वर्ण मुद्राकरण स्कीम में अंतरण के लिए है।
- अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग:** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन/बैठक (त्रिक्स/सार्क/एनडीवी/ इंटरनेशनल करप्शन इंटरर्स एलायंस के लिए) और जीआईजेड को सेवाकर के लिए है।
- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश:** इसमें अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईवीआरडी), एशियाई विकास बैंक को अभिदान, अफ्रीकी विकास बैंक को अभिदान और मूल्य के अनुरक्षण दायित्व (एमओवी) दायित्व के प्रति भारत का अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में

निवेश तथा सामान्य पूंजी वर्द्धन (जीसीआई) के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्त कारपोरेशन में निवेश हेतु प्रावधान शामिल है। इस प्रावधान में आईएमएफ के उधारी संसाधनों में भारत का अंशदान भी शामिल है।

27. **अन्य व्यय:** यह प्रावधान कालातीत मामलों में केंद्रीय प्रतिभूति पर ब्याज भुगतान और सरकारी खातों में जमा अदावी प्रतिभूतियों, संरक्षित बचत स्कीमों के भुगतान, आईएमएफ को भुगतान योग्य निर्धारण प्रभार, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं आदि, आईआईपीडीएफ के तहत अन्य व्यय और गोल्ड मुद्राकरण योजना 2015 के लिए कमीशन भुगतान के लिए है। नई घोषणाओं के लिए सांकेतिक प्रावधान भी किया गया है।

28. **केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/संस्थानों में क्षमता निर्माण प्रशिक्षण:** यह प्रावधान केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/संस्थानों में क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण के लिए है।

29. **सरकारी सेवकों आदि को ऋण:** यह एक संयुक्त मांग है जिसमें सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों और उनके अधीनस्थ संगठनों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों हेतु उनके कर्मचारियों को ऋणों और अग्रिमों के भुगतान के लिए प्रावधान है। इसमें आवास खरीदने के लिए संसद सदस्यों को अग्रिम देने हेतु प्रावधान भी शामिल है।

जिस प्रयोजन से सब्याज ऋण अग्रिम दिया जाता है उनमें मकान निर्माण और कम्प्यूटरों आदि की खरीद शामिल है।

30. **लघु बचत योजनाएं:** यह प्रावधान राष्ट्रीय बचत संस्थान के सचिवालयी व्यय और सरकार की लघु बचत योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए है।

32. **आवास संबंधी पूंजी परिव्यय:** यह प्रावधान आईईएस अधिकारियों के लिए दिल्ली में 90 आवासों की इकाईयों के निर्माण के लिए रखा गया है।

34. **स्वर्ण मुद्राकरण योजना:** यह प्रावधान स्वर्ण मुद्राकरण स्कीम, 2015 के तहत जुटाए गए सोने के मूल्य के लिए है।

35. **इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा एडीबी एवं केएफडब्ल्यू को ऋण की चुकौती:** इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लि. द्वारा एडीबी और केएफडब्ल्यू को ऋण के भुगतान के लिए प्रावधान है।

36. **रियायती साझेदार ऋण (सीपीएल):** यह प्रावधान कृषि विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय निधि (आईएफडी) को रियायती साझेदार ऋण के भुगतान के लिए रखा गया है।

37. **मध्यम आय समूह के लिए सस्ता आवासन:** यह प्रावधान मध्यम आय समूह के लिए किफायती आवासन हेतु विशेष विंडो बनाने के लिए है।

39. **एनआईआईएफ अवसंरचना ऋण वित्तीय आधार में पूंजी समावेशन:** यह प्रावधान एनआईआईएफ अवसंरचना ऋण वित्तीय आधार में पूंजी समावेशन हेतु है जिसमें असीम अवसंरचना वित्त लिमिटेड (एआईएफएल) और एनआईआईएफ अवसंरचना वित्त लिमिटेड (एनआईआईएफ आईएफएल) शामिल हैं।

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 31
व्यय विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	289.31	...	289.31	454.74	...	454.74	459.57	...	459.57	476.88	0.01	476.89
वसूलियां	-0.15	...	-0.15
प्राप्तियां
निवल	289.16	...	289.16	454.74	...	454.74	459.57	...	459.57	476.88	0.01	476.89
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय सामान्य सेवाएं	240.32	...	240.32	391.92	...	391.92	403.17	...	403.17	419.47	0.01	419.48
2. शासकीय लेखा और वित्त संस्थान	6.32	...	6.32	8.00	...	8.00	7.97	...	7.97	8.34	...	8.34
3. नई पेंशन योजना के लिए नेशनल सिन्डोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड प्रभार	31.26	...	31.26	33.00	...	33.00	30.00	...	30.00	31.00	...	31.00
4. वास्तविक वसूलियां	-0.15	...	-0.15
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	277.75	...	277.75	432.92	...	432.92	441.14	...	441.14	458.81	0.01	458.82
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
5. राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान	11.41	...	11.41	21.82	...	21.82	18.43	...	18.43	18.07	...	18.07
कुल जोड़	289.16	...	289.16	454.74	...	454.74	459.57	...	459.57	476.88	0.01	476.89
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	240.20	...	240.20	391.92	...	391.92	403.17	...	403.17	419.47	...	419.47
2. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	48.99	...	48.99	62.82	...	62.82	56.40	...	56.40	57.41	...	57.41
3. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	0.01	0.01
जोड़-सामान्य सेवाएं	289.19	...	289.19	454.74	...	454.74	459.57	...	459.57	476.88	0.01	476.89
आर्थिक सेवाएं												
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	-0.03	...	-0.03
जोड़-आर्थिक सेवाएं	-0.03	...	-0.03
कुल जोड़	289.16	...	289.16	454.74	...	454.74	459.57	...	459.57	476.88	0.01	476.89

- सचिवालय सामान्य सेवाएँ:** यह प्रावधान महालेखा नियंत्रक के कार्यालय सहित व्यय विभाग के सचिवालय व्यय और महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के लिए नए भवन के लिए लोक निर्माण कार्यों के लिए है।
- शासकीय लेखा और वित्त संस्थान:** यह प्रावधान सिविल लेखा संगठन के समूह ख और ग कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान किए जाने से संबंधित व्यय के लिए है।
- नई पेंशन योजना के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड प्रभार:** यह प्रावधान नई पेंशन स्कीम के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को सेवा प्रभारों के भुगतान संबंधी व्यय के लिए है।
- राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान:** यह प्रावधान राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम) द्वारा सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्र सरकार के वित्त और लेखा अधिकारियों को पेशेवर प्रशिक्षण देने के शुल्क की प्रतिपूर्ति और स्थापना व्यय के लिए अनुदान और एनआईएफएम भवन के स्तरोन्नयन के लिए है।

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 32
वित्तीय सेवाएं विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	10289.16	38650.00	48939.16	3710.78	47800.03	51510.81	3187.87	79118.00	82305.87	1102.71	6072.06	7174.77
वसूलियां	-82.66	-6000.00	-6082.66	...	-2000.00	-2000.00	...	-32084.00	-32084.00	...	-1861.02	-1861.02
प्राप्तियां	-90.00	-20000.00	-20090.00	-0.01	-20000.01	-20000.02	-150.00	-15000.00	-15150.00	-0.01	-0.01	-0.02
निवल	10116.50	12650.00	22766.50	3710.77	25800.02	29510.79	3037.87	32034.00	35071.87	1102.70	4211.03	5313.73
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय- सामान्य सेवाएं	56.63	...	56.63	58.84	...	58.84	59.35	...	59.35	66.89	...	66.89
	-0.03	...	-0.03
<i>निवल</i>	<i>56.60</i>	...	<i>56.60</i>	<i>58.84</i>	...	<i>58.84</i>	<i>59.35</i>	...	<i>59.35</i>	<i>66.89</i>	...	<i>66.89</i>
2. निदेशन और प्रशासन												
2.01 विशेष न्यायालय का कार्यालय	2.49	...	2.49	3.05	...	3.05	3.31	...	3.31	3.75	...	3.75
2.02 अभिरक्षक का कार्यालय	7.07	...	7.07	8.61	...	8.61	7.27	...	7.27	8.85	...	8.85
2.03 ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)	140.30	...	140.30	141.34	...	141.34	141.01	...	141.01	153.77	...	153.77
	-0.16	...	-0.16
<i>निवल</i>	<i>140.14</i>	...	<i>140.14</i>	<i>141.34</i>	...	<i>141.34</i>	<i>141.01</i>	...	<i>141.01</i>	<i>153.77</i>	...	<i>153.77</i>
2.04 न्यायालय परिसमापक का कार्यालय	0.04	...	0.04	0.03	...	0.03	0.02	...	0.02	0.03	...	0.03
<i>जोड़- निदेशन और प्रशासन</i>	<i>149.74</i>	...	<i>149.74</i>	<i>153.03</i>	...	<i>153.03</i>	<i>151.61</i>	...	<i>151.61</i>	<i>166.40</i>	...	<i>166.40</i>
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	206.34	...	206.34	211.87	...	211.87	210.96	...	210.96	233.29	...	233.29
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूँजीकरण												
3. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनःपूँजीकरण	0.01	0.01	0.01	0.01
4. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनः पूँजीकरण (बांडों के माध्यम से)												
4.01 सकल बजटीय सहायता	...	20000.00	20000.00	...	20000.00	20000.00	...	15000.00	15000.00	...	0.01	0.01
4.02 पीएसबी को विशेष प्रतिभूतियों के निर्गमन के जरिए पूरा करके घटाएं	...	-20000.00	-20000.00	...	-20000.00	-20000.00	...	-15000.00	-15000.00	...	-0.01	-0.01
<i>निवल</i>

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण	0.01	0.01	0.01	0.01
एक्विजिशन बैंक												
5. भारत के निर्यात-आयात बैंक की शेयर पूंजी में अभिदान	...	1300.00	1300.00	...	1500.00	1500.00	...	750.00	750.00	...	1500.00	1500.00
6. बीमा कम्पनियों का पुनः पूंजीकरण												
6.01 राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण	...	5000.00	5000.00	0.01	0.01
6.02 सकल बजटीय सहायता	...	9950.00	9950.00	0.01	0.01
6.03 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरी की गई रकम	...	-5000.00	-5000.00	-0.01	-0.01
<i>निवल</i>	...	9950.00	9950.00	0.01	0.01
वित्तीय संस्थाओं को सहायता												
7. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की शेयर पूंजी में अभिदान												
7.01 राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण	...	1000.00	1000.00	...	2000.00	2000.00	...	2000.00	2000.00
7.02 सकल बजटीय सहायता	...	1000.00	1000.00	...	2000.00	2000.00	...	2000.00	2000.00	...	500.00	500.00
7.03 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरी की गई रकम	...	-1000.00	-1000.00	...	-2000.00	-2000.00	...	-2000.00	-2000.00
<i>निवल</i>	...	1000.00	1000.00	...	2000.00	2000.00	...	2000.00	2000.00	...	500.00	500.00
8. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्पूंजीकरण												
8.01 राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण	4084.00	4084.00	...	1361.00	1361.00
8.02 सकल बजटीय सहायता	...	200.00	200.00	...	1200.00	1200.00	...	4084.00	4084.00	...	1361.00	1361.00
8.03 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरा की गई राशि	-4084.00	-4084.00	...	-1361.00	-1361.00
<i>निवल</i>	...	200.00	200.00	...	1200.00	1200.00	...	4084.00	4084.00	...	1361.00	1361.00
9. आईआईएफसीएल में इक्विटी सहायता (बॉन्ड के माध्यम से)												
9.01 सकल बजटीय सहायता	0.01	0.01
9.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-0.01	-0.01
<i>निवल</i>
10. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को इक्विटी सहायता	...	200.00	200.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00
11. बाह्य सहायता प्राप्त संघटकों के लिए आईसीआईसीआई बैंक को अनुदान	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
12. आधार समर्थित भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) में अंशदान	19.04	...	19.04	10.00	...	10.00	8.00	...	8.00	0.01	...	0.01
13. इंडो स्विस् कॉर्पोरेशन-VI के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए नाबार्ड को अनुदान	0.84	...	0.84	0.84	...	0.84	0.84	...	0.84	0.84	...	0.84
14. आवास ऋणों पर ब्याज सहायता के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को सब्सिडी	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
15. भारत में निम्न आय आवास वित्त के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को विश्व बैंक की सहायता	0.01	0.01
16. दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएसएफ) से जारी प्रतिभूतियों का मोचन												
16.01 सकल बजटीय सहायता	90.00	...	90.00	0.01	...	0.01	150.00	...	150.00	0.01	...	0.01
16.02 घटाएं – दबावग्रस्त आस्ति के स्थिरीकरण निधि से	-90.00	...	-90.00	-0.01	...	-0.01	-150.00	...	-150.00	-0.01	...	-0.01
<i>निवल</i>

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
17. राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषक एवं विकास बैंक से अनुदान												
17.01 राष्ट्रीय निवेश निधि से अंतरण	5000.00	5000.00
17.02 सकल बजटीय सहायता	5000.00	5000.00
17.03 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरी की गई रकम	-5000.00	-5000.00
<i>निवल</i>	5000.00	5000.00
जोड़-वित्तीय संस्थाओं को सहायता	19.88	1400.00	1419.88	10.86	3300.01	3310.87	8.84	11184.00	11192.84	0.87	1961.00	1961.87
सामाजिक सुरक्षा स्कीमें												
18. प्रधानमंत्री जन-धन बीमा योजना (पीएमजेडीबीवाई) को सहायता	0.01	...	0.01
19. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में सरकार का सह-अंशदान	273.00	...	273.00	153.00	...	153.00	203.00	...	203.00	200.01	...	200.01
20. वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन योजना के लिए एलआईसी को व्याज सन्निधि	45.05	...	45.05	65.00	...	65.00	65.00	...	65.00	94.56	...	94.56
	-82.47	...	-82.47
<i>निवल</i>	-37.42	...	-37.42	65.00	...	65.00	65.00	...	65.00	94.56	...	94.56
21. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) (प्रचार-प्रसार तथा जागरूकता)	5.00	...	5.00	3.00	...	3.00	0.01	...	0.01
22. कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएस)	50.00	50.00	...	250.00	250.00
23. प्रधान मंत्री वय वंदन योजना (पीएमवीवीआई)	152.77	...	152.77	345.02	...	345.02	120.06	...	120.06	473.92	...	473.92
जोड़-सामाजिक सुरक्षा स्कीमें	388.35	...	388.35	568.03	...	568.03	391.06	50.00	441.06	768.50	250.00	1018.50
क्रेडिट गारंटी निधियां												
24. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) (एनसीजीटीसी के द्वारा)	2500.00	...	2500.00	10.00	...	10.00	100.00	...	100.00
25. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मुद्रा लिमिटेड द्वारा किए गए अन्य उपायों के संबंध में जागरूकता पैदा करना और प्रचार करना	5.00	...	5.00	2.01	...	2.01	0.01	...	0.01
26. सूक्ष्म वित्त संस्थानों हेतु क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएमएफआई)	50.00	50.00	...	500.00	500.00
27. स्टैण्ड-अप इंडिया (एनसीजीटीसी के द्वारा)	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	0.01	...	0.01
28. स्टैण्डअप इंडिया और सिडबी द्वारा किए गए अन्य उपायों के संबंध में जागरूकता पैदा करना और प्रचार करना	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	0.01	...	0.01
29. फैक्ट्रिंग के लिए क्रेडिट गारंटी निधि (एनसीजीटीसी के द्वारा)	0.01	...	0.01
जोड़-क्रेडिट गारंटी निधियां	100.00	...	100.00	2610.01	...	2610.01	117.01	50.00	167.01	100.03	500.00	600.03
30. पात्र एमएसएमई लेनदारों के लिए गारंटी आपातकालीन ऋण सुविधा हेतु (जीईसीएल) राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड को सहायता (एनसीजीटीसी)	4000.00	...	4000.00
31. आंशिक ऋण गारंटी योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटी लागू करने पर दावों के निपटान के लिए ऋण												
31.01 सकल बजटीय सहायता	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	500.00	500.00
31.02 गारंटी मोचन निधि से पूरा करके घटाएं	-1000.00	-1000.00	...	-500.00	-500.00
<i>निवल</i>	1000.00	1000.00
32. शिशु ऋण के तुरत पुनर्भुगतान (सन्निधि) पर 2 प्रतिशत की व्याज आर्थिक सहायता पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को	775.00	...	775.00	310.00	...	310.00	310.00	...	310.00	0.01	...	0.01

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

	बजट			बजट			बजट			(₹ करोड़)		
	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	1000.00	...	1000.00	2000.00	...	2000.00	2000.00	...	2000.00	500.00	...	500.00
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूँजीकरण	200.00	...	200.00	1200.00	...	1200.00	4084.00	...	4084.00	1361.00	...	1361.00
3. भारतीय निर्यात आयात बैंक	1300.00	...	1300.00	1500.00	...	1500.00	750.00	...	750.00	1500.00	...	1500.00
4. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूँजीकरण	20000.00	...	20000.00	20000.00	...	20000.00	15000.00	...	15000.00	0.02	...	0.02
5. इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	200.00	...	200.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
6. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	0.01	...	0.01
7. बीमा कंपनियों का पुनः पूँजीकरण	9950.00	...	9950.00	0.01	...	0.01
8. नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट	20000.00	...	20000.00	0.01	...	0.01
जोड़	32650.00	...	32650.00	24800.01	...	24800.01	41934.00	...	41934.00	3461.04	...	3461.04

- सचिवालय- सामान्य सेवाएं:** यह प्रावधान वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।
- निवेश और प्रशासन:** ये प्रावधान प्रतिभूतियों के लेन-देन में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संयंत्र अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय के कार्यालय, अभिरक्षक कार्यालय, ऋण वसूली अधिकरण एवं न्यायालय परिसमापक के कार्यालय के लिए है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनःपूँजीकरण:** हाल के प्रदर्शन के आधार पर समीक्षा के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में राशि पर और भी पूँजी का समावेशन करने के लिए सांकेतिक प्रावधान किया गया है।
- भारतीय निर्यात-आयात बैंक की शेयर पूँजी में अभिदान:** यह प्रावधान बैंक की चुकता पूँजी को इसकी प्राधिकृत पूँजी के स्तर तक बढ़ाने के लिए इच्छिटी सहायता/अभिदान के रूप में एक्जिम बैंक के लिए है।
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की शेयर पूँजी में अभिदान:** राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की शेयर पूँजी में अंशदान हेतु प्रावधान है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्पूँजीकरण:** यह प्रावधान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनःपूँजीकरण के लिए है।
- भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को इच्छिटी सहायता:** यह प्रावधान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के बिजनेस कार्यक्रम और पूँजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इच्छिटी समर्थन के लिए है।

- बहु सहायता प्राप्त संघटकों के लिए आईसीआईसीआई बैंक को अनुदान:** यह प्रावधान भारत सरकार और जर्मनी सरकार के बीच द्विपक्षीय ऋण समझौते के अंतर्गत क्रेडिटएग्लैंड फर वाइडरौफआउट (केएफडब्ल्यू) द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को दिए गए ऋणों के लिए व्याज विभेदक निधि (आईडीएफ) के अंतर्गत जमा की गई राशि पर आईसीआईसीआई बैंक को अनुदान के भुगतान हेतु है।
- आधार समर्थित भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) में अंशदान:** यह प्रावधान आधार समर्थित भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) में अंशदान के लिए है।
- इंडो स्विस सहयोग-VI के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए नाबार्ड को अनुदान:** यह प्रावधान इंडो स्विस सहयोग- VI परियोजना करार के अंतर्गत नाबार्ड के दावों के निपटान के लिए भुगतान हेतु है।
- आवास ऋण पर व्याज सहायता के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को सब्सिडी:** यह प्रावधान आवास ऋण पर व्याज सहायता के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को सहायता देने के लिए है।
- अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में सरकार का सह-अंशदान:** यह प्रावधान सरकार के सह-अंशदान, एग्रीगेटर को प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए पीएफआरडीए को निधि सहयोग एवं अटल पेंशन योजना के तहत प्रचारपरक अभियान के लिए है।
- वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन योजना के लिए एलआईसी को व्याज सब्सिडी:** यह प्रावधान भारतीय जीवन बीमा निगम को पॉलिसी धारकों को पेंशन/वार्षिकी के लिए व्याज की आर्थिक सहायता के भुगतान तथा पॉलिसी धारकों के नामिती को खरीद मूल्य के बराबर एकमुश्त राशि के भुगतान के लिए है।

21. **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (प्रचार-प्रसार तथा जागरूकता):** यह प्रावधान प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (पीएमजेजीबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के प्रचार और जागरूकता के लिए है।
22. **कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए लोन गारंटी योजना (एलजीएससीएस):** यह प्रावधान कोविड प्रभावित क्षेत्रों (एलजीएससीएस) के लिए ऋण गारंटी योजना हेतु किया गया है।
23. **प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (पीएमवीवीआई):** यह प्रावधान बाजार की अनिश्चित स्थिति के कारण 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वयोवृद्ध व्यक्तियों के ब्याज की आय के भविष्य में गिरावट के प्रति उन्हें संरक्षण देने हेतु और प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (पीएमवीवीआई) के अंतर्गत वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी भारतीय जीवन बीमा निगम को ब्याज की आर्थिक सहायता के भुगतान के लिए है।
24. **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) (एनसीजीटीसी के द्वारा):** यह प्रावधान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत दिए गए ऋण को क्रेडिट गारंटी निधि हेतु राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।
25. **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मुद्रा लिमिटेड द्वारा किए गए अन्य उपायों के संबंध में जानगरूकता पैदा करना और प्रचार करना:** यह प्रावधान मुद्रा लिमिटेड के माध्यम से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के लिए प्रचार और जागरूकता के लिए है।
26. **सूक्ष्म वित्त संस्थानों हेतु क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएमएफआई):** यह प्रावधान सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ऋण गारंटी योजना हेतु किया गया है।
27. **स्टैंड-अप इंडिया (एनसीजीटीसी के द्वारा):** यह प्रावधान अनु.जाति/अनु.जनजाति तथा महिला उद्यमियों द्वारा ग्रीन फील्ड उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टैंडअप इंडिया पहल स्थापित करने के लिए क्रेडिट गारंटी निधि के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।
28. **स्टैंडअप इंडिया और सिडबी द्वारा किए गए अन्य उपायों के संबंध में जानगरूकता पैदा करना और प्रचार:** यह प्रावधान सिडबी के माध्यम से स्टैंडअप इंडिया के लिए प्रचार और जागरूकता के लिए है।
32. **शिशु ऋण के तुरंत पुनर्भुगतान (सब्सिडी) पर 2 प्रतिशत की ब्याज आर्थिक सहायता पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सीडबी) को सब्सिडी:** शिशु ऋण (आर्थिक सहायता) के त्वरित भुगतान के लिए 2 प्रतिशत के ब्याज की आर्थिक सहायता पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा आर्थिक सहायता।
33. **राष्ट्रीय अवसररचना वित्तपोषक एवं विकास बैंक (एनएबीएफआईडी) को पूंजी सहायता:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अवसररचना वित्तपोषक एवं विकास बैंक के पूंजीकरण हेतु किया गया है।

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 33
लोक उद्यम विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	16.15	...	16.15	21.81	...	21.81	27.00	150.00	177.00	30.00	...	30.00
वसूलियां	-0.04	...	-0.04
प्राप्तियां
निवल	16.11	...	16.11	21.81	...	21.81	27.00	150.00	177.00	30.00	...	30.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	12.44	...	12.44	13.26	...	13.26	20.20	150.00	170.20	21.45	...	21.45
2. वास्तविक वसूलियां	-0.03	...	-0.03
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	12.41	...	12.41	13.26	...	13.26	20.20	150.00	170.20	21.45	...	21.45
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उपयुक्त कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन												
3. परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन योजना	0.75	...	0.75	3.40	...	3.40	2.70	...	2.70	3.40	...	3.40
4. केन्द्रीय लोक उद्यमों (सीपीएसई) और राज्य स्तरीय लोक उद्यमों से संबंधित जेनेरिक मुद्दों पर अनुसंधान, विकास एवं परामर्श	2.95	...	2.95	5.15	...	5.15	4.10	...	4.10	5.15	...	5.15
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	3.70	...	3.70	8.55	...	8.55	6.80	...	6.80	8.55	...	8.55
कुल जोड़	16.11	...	16.11	21.81	...	21.81	27.00	150.00	177.00	30.00	...	30.00
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	3.69	...	3.69	7.70	...	7.70	6.12	...	6.12	7.70	...	7.70
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	12.42	...	12.42	13.26	...	13.26	20.20	...	20.20	21.45	...	21.45
3. अन्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	150.00	150.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	16.11	...	16.11	20.96	...	20.96	26.32	150.00	176.32	29.15	...	29.15
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	0.85	...	0.85	0.68	...	0.68	0.85	...	0.85

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-अन्य	0.85	...	0.85	0.68	...	0.68	0.85	...	0.85
कुल जोड़	16.11	...	16.11	21.81	...	21.81	27.00	150.00	177.00	30.00	...	30.00

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** (i) इसके अंतर्गत विभाग के सचिवालय, सरकारी क्षेत्र के महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न उद्यमों के गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों के चयन के लिए सर्व समिति पर व्यय के लिए निधि उपलब्ध कराई जाती है। इसमें प्रशिक्षण, हार्डवेयरों और सॉफ्टवेयरों की अधिप्राप्ति के साथ-साथ सॉफ्टवेयर के विकास एवं रखरखाव तथा कार्यालय परिसर के आधुनिकीकरण सहित सूचना प्रौद्योगिकी के लिए भी निधि का प्रावधान किया जाता है। (ii) गैर-प्रमुख आस्तियों, जिनमें सरकारी मंत्रालयों/विभाग और लोक उद्यमों के पास पड़ी फालतू भूमि शामिल हैं, के मुद्रीकरण के लिए गठित विशेष प्रयोजनीय साधन, जो एक कम्पनी है, में निवेश के निमित्त।

3. **परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन योजना:** केंद्रीय लोक उद्यमों के पृथक्कृत कर्मचारियों/वीआरएस विकल्पधारियों के परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ)/राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) को फंड प्रदान किया जाता है। इस स्कीम की निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए भी फंड का उपयोग किया जाता है। सी. आर. आर. स्कीम से जुड़े हुए परामर्शदाताओं के भुगतान।

4. **केन्द्रीय लोक उद्यमों और राज्य स्तरीय लोक उद्यमों से संबंधित जेनेरिक मुद्दों पर अनुसंधान, विकास एवं परामर्श :** निधि का उपयोग (i) सम्मेलनों / सेमिनारों / कार्यशालाओं के आयोजन तथा समझौता ज्ञापन एवं उस पर वार्ता तथा मूल्यांकन प्रक्रिया सहित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के जेनेरिक मुद्दों पर विषय वस्तुगत अध्ययन/परामर्श करने, (ii) केन्द्रीय लोक उद्यमों के कार्यपालकों एवं कर्मचारियों तथा लोक उद्यम विभाग के कर्मचारियों को कार्यपालकों एवं कर्मचारियों के कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षण देने, (iii) गैर सरकारी निदेशकों पर विशेष जोर के साथ सीपीएसई के बोर्डों में शामिल निदेशकों को प्रशिक्षण देना दिशा-निर्देशों में शामिल किया गया है (iv) समझौता ज्ञापन से संबंधित कार्यकलापों की प्रशासनिक एवं संचार तंत्र व्यवस्था से जुड़े विभिन्न व्यय को दिशा-निर्देशों में शामिल किया गया है (v) अंतर्राष्ट्रीय उद्यम संवर्धन केन्द्र (आईसीपीई) को अंशदान का भुगतान करने, (vi) आरडीसी स्कीम से जुड़े परामर्शदाताओं/प्रोग्रामरों आदि को भुगतान आरडीसी स्कीम से किया जाना प्रस्तावित किया गया है और (vii) केन्द्रीय लोक उद्यमों/राज्य लोक उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण के प्रकाशन के लिए किया जाता है।

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 34

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	71.72	...	71.72	110.52	...	110.52	96.88	...	96.88	290.42	...	290.42
वसूलियां
प्राप्तियां
निवल	71.72	...	71.72	110.52	...	110.52	96.88	...	96.88	290.42	...	290.42
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	71.72	...	71.72	110.52	...	110.52	96.88	...	96.88	290.42	...	290.42
कुल जोड़	71.72	...	71.72	110.52	...	110.52	96.88	...	96.88	290.42	...	290.42
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	71.72	...	71.72	110.52	...	110.52	96.88	...	96.88	290.42	...	290.42
जोड़-आर्थिक सेवाएं	71.72	...	71.72	110.52	...	110.52	96.88	...	96.88	290.42	...	290.42
कुल जोड़	71.72	...	71.72	110.52	...	110.52	96.88	...	96.88	290.42	...	290.42

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** इस शीर्ष के अधीन सचिवालय के स्थापना संबंधी व्यय तथा परामर्शी शुल्क आदि का भुगतान करने की व्यवस्था की जाती है। डीआईपीएएम को प्रशासनिक मंत्रालयों/नीति आयोग की सिफारिशों पर पूंजी पुनर्नियतन, निर्णयों सहित केन्द्रीय लोक के उपक्रमों में विनिवेश नीति मामले, केन्द्रीय लोक उपक्रमों में इक्रिटी के विनिवेश सहित इक्रिटी में केन्द्र सरकार के निवेश के प्रबंधन का अधिदेश प्राप्त है।

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 35
राजस्व विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	268877.80	0.15	268877.95	201499.62	13.02	201512.64	209793.75	11.67	209805.42	227548.22	4.30	227552.52
वसूलियां	-137050.47	...	-137050.47	-100077.26	...	-100077.26	-97589.98	...	-97589.98	-106093.23	...	-106093.23
प्राप्तियां	-164.95	...	-164.95	-200.00	...	-200.00	-310.00	...	-310.00	-228.00	...	-228.00
निवल	131662.38	0.15	131662.53	101222.36	13.02	101235.38	111893.77	11.67	111905.44	121226.99	4.30	121231.29
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	324.10	...	324.10	452.03	...	452.03	468.05	...	468.05	424.61	...	424.61
2. मूल्य वृद्धि कर (वैट) स्कीम का क्रियान्वयन	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
3. प्रवर्तन निदेशालय	256.38	...	256.38	311.49	...	311.49	308.72	...	308.72	357.57	...	357.57
4. स्वापक नियंत्रण	32.35	...	32.35	37.65	...	37.65	41.50	...	41.50	41.46	...	41.46
5. विशेष जांच दल	2.28	...	2.28	3.13	...	3.13	2.94	...	2.94	2.99	...	2.99
6. वास्तविक वसूलियां	-0.53	...	-0.53
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	614.58	...	614.58	804.31	...	804.31	821.21	...	821.21	826.64	...	826.64
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
7. राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान	18.91	...	18.91	8.50	...	8.50	8.88	...	8.88	9.42	...	9.42
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
8. जीएसटीएन-एसपीवी में निवेश	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
अन्य												
9. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	8.76	...	8.76	11.06	...	11.06	12.18	...	12.18	11.57	...	11.57
10. अन्य व्यय	44.81	...	44.81	52.04	...	52.04	49.15	...	49.15	55.85	...	55.85
11. अफीम एवं क्षारोद्य कारखाना												
11.01 अफीम और क्षारोद्य कारखानों में कार्यशील व्यय	179.94	...	179.94	281.83	...	281.83	273.56	...	273.56	318.15	...	318.15
11.02 घटाएं राजस्व प्राप्ति	-164.95	...	-164.95	-200.00	...	-200.00	-310.00	...	-310.00	-228.00	...	-228.00
11.03 अफीम और क्षारोद्य कारखानों में पूंजीगत व्यय	...	0.14	0.14	...	10.00	10.00	...	6.66	6.66	...	1.28	1.28
जोड़- अफीम एवं क्षारोद्य कारखाना	14.99	0.14	15.13	81.83	10.00	91.83	-36.44	6.66	-29.78	90.15	1.28	91.43

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12. राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण संवर्द्धन समिति	0.15	...	0.15	0.01	...	0.01
13. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	0.01	0.01	...	2.00	2.00	...	0.01	0.01
14. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
15. जीएसटीएन (वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क) पर प्रयोक्ता प्रभार	241.33	...	241.33	264.44	...	264.44	243.32	...	243.32	233.32	...	233.32
जोड़-अन्य	309.89	0.14	310.03	409.52	13.01	422.53	268.21	11.66	279.87	390.90	4.29	395.19
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	328.80	0.15	328.95	418.02	13.02	431.04	277.09	11.67	288.76	400.32	4.30	404.62
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
16. बेट को लाने एवं बेट से संबंधित व्यय के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को क्षतिपूर्ति	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
17. केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को हटाए जाने के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को क्षतिपूर्ति	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
18. जीएसटी को लागू करने पर हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति												
18.01 जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अंतरण	106317.00	...	106317.00	100000.00	...	100000.00	110795.47	...	110795.47	120000.00	...	120000.00
18.02 राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को निर्गम	136988.47	...	136988.47	100000.00	...	100000.00	97500.00	...	97500.00	106000.00	...	106000.00
18.03 जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि से पूरी की गई राशि	-136988.47	...	-136988.47	-100000.00	...	-100000.00	-97500.00	...	-97500.00	-106000.00	...	-106000.00
	<i>निवल</i> 106317.00	...	106317.00	100000.00	...	100000.00	110795.47	...	110795.47	120000.00	...	120000.00
19. पिछले वर्ष के असंभाजित आईजीएसटी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भाग का अंतरण	24402.00	...	24402.00
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	130719.00	...	130719.00	100000.03	...	100000.03	110795.47	...	110795.47	120000.03	...	120000.03
कुल जोड़	131662.38	0.15	131662.53	101222.36	13.02	101235.38	111893.77	11.67	111905.44	121226.99	4.30	121231.29
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. आय और व्यय पर करों का संग्रहण	0.15	...	0.15	0.01	...	0.01
2. अन्य राजकोषीय सेवाएं	564.43	...	564.43	639.73	...	639.73	614.44	...	614.44	659.93	...	659.93
3. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	323.67	...	323.67	452.04	...	452.04	468.05	...	468.05	424.62	...	424.62
4. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	40.29	...	40.29	48.58	...	48.58	52.25	...	52.25	52.25	...	52.25
5. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
6. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	0.01	0.01	...	2.00	2.00	...	0.01	0.01
जोड़-सामान्य सेवाएं	928.39	0.01	928.40	1140.50	0.02	1140.52	1134.74	2.01	1136.75	1136.81	0.02	1136.83
सामाजिक सेवाएं												
7. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
आर्थिक सेवाएं												
8. अन्य उद्योग	14.99	...	14.99	81.83	...	81.83	-36.44	...	-36.44	90.15	...	90.15
9. अन्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	0.14	0.14	...	10.00	10.00	...	6.66	6.66	...	1.28	1.28
जोड़-आर्थिक सेवाएं	14.99	0.14	15.13	81.83	10.00	91.83	-36.44	6.66	-29.78	90.15	1.28	91.43
अन्य												
10. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	121651.46	...	121651.46	93000.02	...	93000.02	103394.47	...	103394.47	111600.02	...	111600.02
11. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	9067.54	...	9067.54	7000.01	...	7000.01	7401.00	...	7401.00	8400.01	...	8400.01
जोड़-अन्य	130719.00	...	130719.00	100000.03	...	100000.03	110795.47	...	110795.47	120000.03	...	120000.03
कुल जोड़	131662.38	0.15	131662.53	101222.36	13.02	101235.38	111893.77	11.67	111905.44	121226.99	4.30	121231.29

	बजट 2022-2023			बजट 2021-2022			बजट 2020-2021			(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. लोक उद्यम में निवेश												
1. जीएसटीएन एसपीवी में निवेश	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01

1. **सचिवालय:** टीपीआरयू, माल और सेवा कर परिषद सचिवालय, आय कर ओवरसीज यूनिट्स, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, वित्तीय आसूचना एकक- भारत, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी; प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीईसी, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति की जब्ती) अधिनियम और स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणों और प्रबंधन समिति सहित राजस्व विभाग के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2. **मूल्य वृद्धि कर (वैट) स्कीम का क्रियान्वयन:** मूल्य वृद्धि कर (वैट) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के कारण राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को होने वाली राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति के लिए सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

3. **प्रवर्तन निदेशालय:** यह प्रावधान प्रवर्तन निदेशालय के व्यय के लिए किया गया है जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रवर्तन से संबंधित है।

4. **स्वापक नियंत्रण:** इसमें केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो और औषध दुरुपयोग नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय निधि (एनएफसीडीए) से होने वाले व्यय के लिए प्रावधान शामिल हैं।

5. **विशेष जांच दल:** यह प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार गठित किए गए विशेष जांच दल के आवर्ती व्यय के लिए है।

7. **राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान:** यह प्रावधान राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) को सहायता अनुदान देने के लिए किया गया है।

8. **जीएसटीएन-एसपीवी में निवेश:** माल एवं सेवा कर नेटवर्क विशेष प्रयोजन व्यवस्था में शेयर के अधिग्रहण का प्रावधान है।

9. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान धनशोधन पर एशिया/प्रशांत समूह, एग्मॉन्ट समूह और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) की सदस्यताओं के लिए वार्षिक अंशदान हेतु है।

10. **अन्य व्यय:** इसमें तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति की जब्ती) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत अपील अधिकरण, सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण (सीस्टेट) और धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत न्याय निर्णयन प्राधिकरण के लिए किया गया प्रावधान शामिल है।

11. **अफीम एवं क्षारोद्य कारखाना:** यह प्रावधान गाजीपुर और नीमच स्थित अफीम कारखाना और क्षारोद्य कार्य के निवल व्यय हेतु है जिसमें अफीम उत्पाद की खरीद भी शामिल है। केंद्र सरकार का अफीम की खेती पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है और वह चिकित्सात्मक एवं वैज्ञानिक जरूरतों हेतु प्रोसेसिंग एवं विक्रय के लिए संपूर्ण उत्पाद का क्रय करती है।
12. **राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण संवर्द्धन समिति:** यह प्रावधान आयकर अधिनियम के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण संवर्द्धन समिति के व्यय को पूरा करने के लिए है।
13. **लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय:** यह प्रावधान राजस्व विभाग (राजस्व भवन आदि) के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए है।
14. **आवास पर पूंजीगत परिव्यय:** यह प्रावधान प्रवर्तन निदेशालय के लिए रिहायशी फ्लैटों की खरीद/निर्माण के लिए किया गया है।
15. **जीएसटीएन (माल एवं सेवा कर नेटवर्क) पर प्रयोक्ता प्रभार:** प्रचालन उपरांत व्यय में केंद्र सरकार के हिस्से के सापेक्ष माल एवं सेवा कर तंत्र को प्रयोक्ता प्रभार के भुगतान हेतु प्रावधान किया गया है।
16. **वैट को लाने एवं वैट से संबंधित व्यय के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को क्षतिपूर्ति:** सांकेतिक प्रावधान वैट को लागू किए जाने और वैट संबंधी व्यय के कारण राजस्व हानियों के लिए राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति के लिए है।
17. **केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को हटाए जाने के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को क्षतिपूर्ति:** सांकेतिक प्रावधान केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को हटाए जाने के कारण संघ राज्य क्षेत्रों को हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति हेतु है।
- 18.01. **जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अंतरण:** जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 2017 के तहत भारत की संचित निधि में एकत्रित उपकर में से लोक लेखा में जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अंतरण करने का प्रावधान है।
- 18.02. **राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्गम:** वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को होने वाली राजस्व हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए यह प्रावधान रखा गया है।
- 18.03. **जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि से पूरी की गई धनराशि:** यह प्रावधान माल और सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के कारण राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को हुई राजस्व हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए है, जिसे जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर कोष से पूरा किया जाना है।

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 36
प्रत्यक्ष कर

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	7229.93	173.14	7403.07	8180.34	352.00	8532.34	8206.89	302.00	8508.89	8866.80	442.00	9308.80	
वसूलियां	-6.64	-0.05	-6.69	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00	
प्राप्तियां	
निवल	7223.29	173.09	7396.38	8180.34	350.00	8530.34	8206.89	300.00	8506.89	8866.80	440.00	9306.80	
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. आय और व्यय पर करों का संग्रहण													
1.01	आय कर का संग्रहण	6110.32	...	6110.32	6912.39	...	6912.39	6934.82	...	6934.82	7492.45	...	7492.45
1.02	निगम कर का संग्रहण	939.02	...	939.02	1063.44	...	1063.44	1066.90	...	1066.90	1152.68	...	1152.68
1.03	वास्तविक वसूली	-6.64	...	-6.64
	निवल	7042.70	...	7042.70	7975.83	...	7975.83	8001.72	...	8001.72	8645.13	...	8645.13
2. संपत्ति, प्रतिभूति लेनदेन और अन्य करों का संग्रहण													
2.01	धन कर का संग्रहण	18.06	...	18.06	20.45	...	20.45	20.52	...	20.52	22.17	...	22.17
2.02	प्रतिभूति लेनदेन कर	36.12	...	36.12	40.90	...	40.90	41.03	...	41.03	44.33	...	44.33
2.03	अन्य करों का संग्रहण	126.41	...	126.41	143.16	...	143.16	143.62	...	143.62	155.17	...	155.17
2.04	तैयार निर्मित आवास की खरीद : कार्यालय भवन	...	113.95	113.95	...	225.11	225.11	...	200.00	200.00	...	286.00	286.00
2.05	तैयार निर्मित आवास की खरीद : आवासीय भवन	...	58.15	58.15	...	124.89	124.89	...	100.00	100.00	...	154.00	154.00
	जोड़- धन, प्रतिभूति लेनदेन और अन्य करों का संग्रहण	180.59	172.10	352.69	204.51	350.00	554.51	205.17	300.00	505.17	221.67	440.00	661.67
	जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	7223.29	172.10	7395.39	8180.34	350.00	8530.34	8206.89	300.00	8506.89	8866.80	440.00	9306.80
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय													
अन्य													
3. आयकर अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति का अधिग्रहण													
3.01	सकल व्यय	...	1.04	1.04	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
3.02	घटाइए-बिक्री प्राप्तियां	...	-0.05	-0.05	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00
	निवल	...	0.99	0.99
कुल जोड़		7223.29	173.09	7396.38	8180.34	350.00	8530.34	8206.89	300.00	8506.89	8866.80	440.00	9306.80

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. आय और व्यय पर करों का संग्रहण	7042.70	...	7042.70	7975.83	...	7975.83	8001.72	...	8001.72	8645.13	...	8645.13
2. धन कर, प्रतिभूति लेनदेन कर तथा अन्य करों का संग्रहण	180.59	...	180.59	204.51	...	204.51	205.17	...	205.17	221.67	...	221.67
3. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	113.94	113.94	...	225.11	225.11	...	200.00	200.00	...	286.00	286.00
4. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.00	1.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	7223.29	114.94	7338.23	8180.34	225.11	8405.45	8206.89	200.00	8406.89	8866.80	286.00	9152.80
सामाजिक सेवाएं												
5. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	...	58.15	58.15	...	124.89	124.89	...	100.00	100.00	...	154.00	154.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	...	58.15	58.15	...	124.89	124.89	...	100.00	100.00	...	154.00	154.00
कुल जोड़	7223.29	173.09	7396.38	8180.34	350.00	8530.34	8206.89	300.00	8506.89	8866.80	440.00	9306.80

1.01. **आय कर का संग्रहण:** इसमें उस प्रत्यक्ष कर संगठन के लिए किया गया प्रावधान शामिल है जो केंद्र सरकार द्वारा व्यक्तिगत आय, एचयूएफ, फर्म, एओपी, न्यास और अन्य निर्धारिती, जिसमें कि कारपोरेट निर्धारिती नहीं आते हैं, की आय पर लगाए और वसूले गए सभी प्रकार के प्रत्यक्ष करों को देखता है।

1.02. **निगम कर का संग्रहण:** इसमें उस प्रत्यक्ष कर संगठन के लिए किया गया प्रावधान शामिल है जो केंद्र सरकार द्वारा कारपोरेट निर्धारिती की आय पर लगाए और वसूले गए सभी प्रत्यक्ष करों को देखता है।

2.01. **धन कर का संग्रहण:** इसमें उस प्रत्यक्ष कर संगठन के लिए किया गया प्रावधान शामिल है जो केंद्र सरकार द्वारा धन पर लगाए और वसूले गए सभी प्रत्यक्ष करों को देखता है।

2.02. **प्रतिभूति लेनदेन कर:** इसमें उस प्रत्यक्ष कर संगठन के लिए किया गया प्रावधान शामिल है जो केंद्र सरकार द्वारा प्रतिभूति पर लगाए और वसूले गए सभी प्रत्यक्ष करों को देखता है।

2.03. **अन्य करों का संग्रहण:** इसमें उस प्रत्यक्ष कर संगठन के लिए किया गया प्रावधान शामिल है जो केंद्र सरकार द्वारा उपर्युक्त करों से भिन्न अन्य करों पर लगाए और वसूले गए सभी प्रत्यक्ष करों को देखता है।

2.04. **तैयार निर्मित आवास की खरीद : कार्यालय भवन:** यह प्रावधान प्रत्यक्ष कर संगठन से संबंधित कार्यालय प्रयोजन के लिए बने-बनाए कार्यालय/ भवन की खरीद/भूमि की खरीद/भवन के निर्माण से संबंधित है।

2.05. **तैयार निर्मित आवास की खरीद : आवासीय भवन:** यह प्रावधान प्रत्यक्ष कर संगठन से संबंधित आवासीय प्रयोजन के लिए बने-बनाए भवन/आवासीय भवन की खरीद/भूमि की खरीद/भवन के निर्माण से संबंधित है।

3. **आयकर अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति का अधिग्रहण:** यह प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XXC में परिकल्पित केंद्र सरकार द्वारा अचल संपत्ति के अग्रक्रय से संबंधित बिक्री से प्राप्त आय एवं पहले से हासिल किया गया सुरक्षा शुल्क, संपत्ति के अनुरक्षण और रखरखाव के आय के लिए है।

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 37
अप्रत्यक्ष कर

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	7168.11	216.10	7384.21	20907.27	452.00	21359.27	73960.99	978.00	74938.99	39739.17	1400.00	41139.17	
वसूलियां	-4.09	...	-4.09	-24.50	...	-24.50	-0.50	...	-0.50	-0.50	...	-0.50	
प्राप्तियां	
निवल	7164.02	216.10	7380.12	20882.77	452.00	21334.77	73960.49	978.00	74938.49	39738.67	1400.00	41138.67	
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. सीमा शुल्क													
1.01	सीमा शुल्क का संग्रहण	2064.98	...	2064.98	2367.56	...	2367.56	2295.23	...	2295.23	2547.85	...	2547.85
1.02	सीमा शुल्क का स्थापना खर्च	...	5.49	5.49	...	105.00	105.00	...	78.00	78.00	...	200.00	200.00
1.03	निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों एवं करों की माफी (आरओडीटीईपी)	13000.00	...	13000.00	12454.00	...	12454.00	13699.40	...	13699.40
1.04	राज्य एवं केन्द्रीय करों एवं उगाहियों पर छूट (आरओएससीटीएल)	6946.00	...	6946.00	7640.60	...	7640.60
	जोड़- सीमा शुल्क	2064.98	5.49	2070.47	15367.56	105.00	15472.56	21695.23	78.00	21773.23	23887.85	200.00	24087.85
2. बकायों का एकमुश्त भुगतान													
2.01	भारत से मर्चेडाइज निर्यात स्कीम (एमईआईएस)	29599.20	...	29599.20	3288.80	...	3288.80
2.02	भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एसईआईएस)	6001.20	...	6001.20	4000.80	...	4000.80
2.03	राज्य एवं केन्द्रीय करों एवं उगाहियों पर छूट (आरओएससीटीएल)	5286.00	...	5286.00
2.04	निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों एवं करों की माफी (आरओडीटीईपी)	2568.00	...	2568.00	546.00	...	546.00
2.05	टारगेट प्लस स्कीम	1549.02	...	1549.02	1032.68	...	1032.68
2.06	फोकस प्रोडक्ट स्कीम एवं मार्केट लिंकड प्रोडक्ट स्कीम	565.68	...	565.68	377.12	...	377.12
2.07	स्टेटस होल्डर्स इन्सेंटिव स्कीम (एसएचआईएस)	378.90	...	378.90	169.20	...	169.20
2.08	राज्य उगाही स्कीम पर छूट (आरओएसएल)	264.00	...	264.00	66.00	...	66.00
2.09	फोकस मार्केट स्कीम	175.27	...	175.27	116.85	...	116.85
2.10	विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना	136.15	...	136.15	90.76	...	90.76
2.11	मोबाइल फोनों के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त तदर्थ बोनस प्रोत्साहन	109.80	...	109.80	12.20	...	12.20

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2.12 वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहन स्कीम (वार्षिक एवं तिमाही)	82.75	...	82.75	149.90	...	149.90
2.13 भारत से सेवा-प्राप्त स्कीम (एसएफआईएस)	6.66	...	6.66
जोड़- बकायों का एकमुश्त भुगतान	46722.63	...	46722.63	9850.31	...	9850.31
3. केंद्रीय उत्पाद शुल्क /केंद्रीय माल और सेवा कर												
3.01 केंद्रीय उत्पाद शुल्क / केंद्रीय माल और सेवा कर का संग्रहण	4047.14	...	4047.14	4413.71	...	4413.71	4438.58	...	4438.58	4851.82	...	4851.82
3.02 उत्पाद शुल्क /केंद्रीय माल और सेवा कर का स्थापना खर्च	1045.35	...	1045.35	1079.50	...	1079.50	1082.05	...	1082.05	1128.69	...	1128.69
3.03 आवास - रख-रखाव और मरम्मत	10.64	...	10.64	22.00	...	22.00	22.00	...	22.00	20.00	...	20.00
3.04 बने बनाए मकानों की खरीद-कार्यालय भवन	...	62.20	62.20	...	139.00	139.00	...	536.00	536.00	...	780.00	780.00
3.05 बने बनाए मकानों की खरीद-आवासीय भवन	...	148.41	148.41	...	208.00	208.00	...	364.00	364.00	...	420.00	420.00
जोड़- केंद्रीय उत्पाद शुल्क /केंद्रीय माल और सेवा कर	5103.13	210.61	5313.74	5515.21	347.00	5862.21	5542.63	900.00	6442.63	6000.51	1200.00	7200.51
4. वास्तविक वसूलियां	-4.09	...	-4.09
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	7164.02	216.10	7380.12	20882.77	452.00	21334.77	73960.49	978.00	74938.49	39738.67	1400.00	41138.67
कुल जोड़	7164.02	216.10	7380.12	20882.77	452.00	21334.77	73960.49	978.00	74938.49	39738.67	1400.00	41138.67
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. सीमा शुल्क	2063.86	...	2063.86	15367.56	...	15367.56	68417.86	...	68417.86	33738.16	...	33738.16
2. केंद्रीय वस्तु और सेवा कर एवं एकीकृत वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	5089.52	...	5089.52	5493.21	...	5493.21	5520.63	...	5520.63	5980.51	...	5980.51
3. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	5.49	5.49	...	105.00	105.00	...	78.00	78.00	...	200.00	200.00
4. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	62.20	62.20	...	139.00	139.00	...	536.00	536.00	...	780.00	780.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	7153.38	67.69	7221.07	20860.77	244.00	21104.77	73938.49	614.00	74552.49	39718.67	980.00	40698.67
सामाजिक सेवाएं												
5. आवास	10.64	...	10.64	22.00	...	22.00	22.00	...	22.00	20.00	...	20.00
6. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	...	148.41	148.41	...	208.00	208.00	...	364.00	364.00	...	420.00	420.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	10.64	148.41	159.05	22.00	208.00	230.00	22.00	364.00	386.00	20.00	420.00	440.00
कुल जोड़	7164.02	216.10	7380.12	20882.77	452.00	21334.77	73960.49	978.00	74938.49	39738.67	1400.00	41138.67

- 1.01. **सीमा शुल्क का संग्रहण:** इसमें स्थापना और सीमाशुल्क विंग के अन्य व्यय , सीमा शुल्क कल्याण कोष में अंतरण और अन्य विभाग को भुगतान से संबंधित प्रावधान आते हैं।
- 1.02. **सीमा शुल्क का स्थापना खर्च:** तस्करीरोधी उपकरणों, कंटेनर स्केनर्स, मेरीन फ्लीट की खरीद और एक्सबीआईएस आदि की खरीद पर आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए प्रावधान किया गया है।

- 1.03. **निर्यात उत्पादों पर शुल्कों एवं करों की माफी (आरबीडीटीईपी):** निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की माफी- स्क्रिप आधारित योजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है।
- 1.04. **राज्य एवं केंद्रीय करों एवं उगाहियों पर छूट (आरओएससीटीएल):** यह प्रावधान राज्य और केंद्रीय करों और उगाही पर छूट के लिए किया गया है।
2. **बकायों का एकमुश्त भुगतान:** यह प्रावधान स्क्रिप आधारित योजनाओं के बकाया के एकमुश्त भुगतान के लिए किया गया है।

3.01. **केंद्रीय उत्पाद शुल्क / केन्द्रीय माल और सेवा कर का संग्रहण:** यह प्रावधान केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संगठन के स्थापना खर्च, जिसमें केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, एकीकृत वस्तु और सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली पर आने वाले अन्य खर्च शामिल हैं, और उपभोक्ता कल्याण कोष के लिए प्रावधान है।

3.02. **उत्पाद शुल्क / केन्द्रीय माल और सेवा कर का स्थापना खर्च:** यह प्रावधान मुख्य रूप से निष्पादन प्रबंधन, लेखा-परीक्षा, प्रणाली एवं डाटा प्रबंधन, नासिन, सतर्कता, प्रचार एवं जनसंपर्क निदेशालय, करदाता सेवा निदेशालय, माल एवं सेवा कर निदेशालय, माल एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय, सेटलमेंट कमीशन पर स्थापना और अन्य खर्च के लिए किया गया है।

3.03. **आवासन-अनुरक्षण एवं मरम्मत :** यह प्रावधान विभाग के स्वामित्व में आने वाले आवासीय भवनों की देखरेख और मरम्मत के लिए है।

3.04. **बने बनाए मकानों की खरीद-कार्यालय भवन:** इसमें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड से संबंधित बने बनाए कार्यालय भवन और भूमि की खरीद के लिए तथा कार्यालय भवनों के निर्माण आदि से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

3.05. **बने बनाए मकानों की खरीद-आवासीय भवन:** इसमें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के लिए बने बनाए आवासीय भवनों और भूमि की खरीद तथा आवासीय मकानों के निर्माण आदि से संबंधित प्रावधान आते हैं।

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 38

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	5035.24	7.91	5043.15	5409.97	24.95	5434.92	5387.21	54.95	5442.16	5952.56	24.00	5976.56
वसूलियां	-302.72	...	-302.72	-342.78	...	-342.78	-337.52	...	-337.52	-356.42	...	-356.42
प्राप्तियां
निवल	4732.52	7.91	4740.43	5067.19	24.95	5092.14	5049.69	54.95	5104.64	5596.14	24.00	5620.14
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक	168.59	...	168.59	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	229.07	...	229.07
2. सिविल लेखा परीक्षा एवं लेखा कार्यालय												
2.01 सिविल लेखापरीक्षा कार्यालय	2458.05	...	2458.05	2702.51	...	2702.51	2670.47	...	2670.47	2982.71	...	2982.71
2.02 सिविल लेखा कार्यालय	1640.08	...	1640.08	1638.63	...	1638.63	1638.44	...	1638.44	1519.59	...	1519.59
2.03 केन्द्रीकृत प्रापण	237.67	...	237.67
2.04 प्रशिक्षण	75.63	...	75.63
जोड़- सिविल लेखा परीक्षा एवं लेखा कार्यालय	4098.13	...	4098.13	4341.14	...	4341.14	4308.91	...	4308.91	4815.60	...	4815.60
3. डाक एवं दूरसंचार लेखापरीक्षा कार्यालय	143.12	...	143.12	162.32	...	162.32	162.92	...	162.92	168.15	...	168.15
4. रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय	255.79	...	255.79	291.52	...	291.52	295.00	...	295.00	299.61	...	299.61
5. रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय	114.21	...	114.21	129.98	...	129.98	132.01	...	132.01	133.99	...	133.99
6. वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय	203.50	...	203.50	215.67	...	215.67	217.96	...	217.96	254.31	...	254.31
7. विदेश स्थित लेखापरीक्षा कार्यालय	23.13	...	23.13	34.42	...	34.42	34.47	...	34.47	34.15	...	34.15
8. अन्य व्यय	28.77	...	28.77	34.92	...	34.92	35.94	...	35.94	17.68	...	17.68
9. बने बनाए कार्यालय भवनों की खरीद	...	5.27	5.27	...	14.00	14.00	...	14.00	14.00	...	15.00	15.00
10. बने बनाए रिहायशी भवनों की खरीद	...	2.64	2.64	...	10.95	10.95	...	40.95	40.95	...	9.00	9.00
11. किये गये व्यय के प्रति समायोजित वसूलियां												
11.01 भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक	-3.34	...	-3.34	-8.25	...	-8.25	-8.94	...	-8.94	-9.39	...	-9.39
11.02 लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालय	-299.38	...	-299.38	-334.53	...	-334.53	-328.58	...	-328.58	-347.03	...	-347.03
जोड़	-302.72	...	-302.72	-342.78	...	-342.78	-337.52	...	-337.52	-356.42	...	-356.42
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	4732.52	7.91	4740.43	5067.19	24.95	5092.14	5049.69	54.95	5104.64	5596.14	24.00	5620.14

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल जोड़	4732.52	7.91	4740.43	5067.19	24.95	5092.14	5049.69	54.95	5104.64	5596.14	24.00	5620.14
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. लेखा परीक्षा	4732.52	...	4732.52	5067.19	...	5067.19	5049.69	...	5049.69	5596.14	...	5596.14
2. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	5.27	5.27	...	14.00	14.00	...	14.00	14.00	...	15.00	15.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	4732.52	5.27	4737.79	5067.19	14.00	5081.19	5049.69	14.00	5063.69	5596.14	15.00	5611.14
सामाजिक सेवाएं												
3. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.64	2.64	...	10.95	10.95	...	40.95	40.95	...	9.00	9.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	...	2.64	2.64	...	10.95	10.95	...	40.95	40.95	...	9.00	9.00
कुल जोड़	4732.52	7.91	4740.43	5067.19	24.95	5092.14	5049.69	54.95	5104.64	5596.14	24.00	5620.14

1. **भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक:** इस मांग में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित हैं।

2.01. **सिविल लेखापरीक्षा कार्यालय:** इस मांग में सिविल लेखापरीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

2.02. **सिविल लेखा कार्यालय:** इस मांग में सिविल लेखा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

2.03. **केन्द्रीकृत प्रापण:** यह प्रावधान ओआईओएस सहित आईएण्डएडी की सभी केन्द्रीकृत खरीद से संबंधित व्यय के लिए हैं।

2.04. **प्रशिक्षण:** यह प्रावधान आईएण्डएडी के सभी प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधित व्यय के लिए हैं।

3. **डाक एवं दूरसंचार लेखापरीक्षा कार्यालय:** इस मांग में डाक एवं दूरसंचार लेखापरीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

4. **रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय:** इस मांग में रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

5. **रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय:** इस मांग में रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

6. **वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय:** इस मांग में वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

7. **विदेश स्थित लेखापरीक्षा कार्यालय:** इस मांग में विदेश स्थित लेखापरीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

8. **अन्य व्यय:** इस मांग में राष्ट्रीय लेखापरीक्षा तथा लेखा अकादमी शिमला एवं भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग की विभागीय कैन्टीनों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

9. **बने बनाए कार्यालय भवनों की खरीद:** यह प्रावधान कार्यालय भवनों के नवीनीकरण कार्यों और उनमें दूसरी विभिन्न सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने के लिए है।

10. **बने बनाए रिहायशी भवनों की खरीद:** यह प्रावधान फ्लैटों की खरीद, रिहायशी मकानों के नवीनीकरण कार्यों और उनमें दूसरी विभिन्न सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने के लिए है।

11.01. **भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक:** संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षा कार्यालयों तथा मुख्यालय में रेलवे लेखा परीक्षा स्कंध पर किये गये व्यय के प्रति समायोजित वसूलियां।

11.02. **लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालय:** डाक तथा दूरसंचार लेखा परीक्षा कार्यालयों और रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालयों पर किये गये व्यय के प्रति समायोजित वसूलियां।

वित्त मंत्रालय
सं 39 (विनियोग)
ब्याज अदायगियां

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	720985.20	...	720985.20	847195.79	...	847195.79	837186.70	...	837186.70	970003.67	...	970003.67
वसूलियां	-1.27	...	-1.27	-7500.00	...	-7500.00	-14000.00	...	-14000.00
प्राप्तियां	-41115.35	...	-41115.35	-37494.47	...	-37494.47	-15895.70	...	-15895.70	-15352.65	...	-15352.65
निवल	679868.58	...	679868.58	809701.32	...	809701.32	813791.00	...	813791.00	940651.02	...	940651.02
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
1. ऋण की कमी के लिए प्रीमियम का पूर्व-भुगतान	9047.36	...	9047.36	7485.12	...	7485.12	5689.26	...	5689.26	3213.61	...	3213.61
2. आंतरिक ऋण पर ब्याज												
2.01 बाजार ऋण	504357.28	...	504357.28	578609.48	...	578609.48	575959.86	...	575959.86	657048.70	...	657048.70
2.02 घटाएं : राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एक के बाद एक ऋणों पर जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि से पूरी की गई धनराशि	-7500.00	...	-7500.00	-14000.00	...	-14000.00
2.03 कम उपार्जित ब्याज	-41115.35	...	-41115.35	-37494.47	...	-37494.47	-15895.70	...	-15895.70	-15352.65	...	-15352.65
2.04 नकद प्रबंधन बिलों पर छूट	595.09	...	595.09	2000.00	...	2000.00	1000.00	...	1000.00
2.05 क्षतिपूर्ति और अन्य बंधपत्र	3352.43	...	3352.43	4757.59	...	4757.59	5253.55	...	5253.55	8656.47	...	8656.47
2.06 14 दिवसीय राजकोपीय बिल	1720.12	...	1720.12	3000.00	...	3000.00	1750.00	...	1750.00	2500.00	...	2500.00
2.07 91 दिवसीय राजकोपीय बिल	5983.80	...	5983.80	7671.83	...	7671.83	7927.32	...	7927.32	9145.29	...	9145.29
2.08 182 दिवसीय राजकोपीय बिल	8368.23	...	8368.23	10453.38	...	10453.38	8472.64	...	8472.64	11535.69	...	11535.69
2.09 364 दिवसीय राजकोपीय बिल पर छूट	15893.49	...	15893.49	18642.06	...	18642.06	16484.25	...	16484.25	20856.70	...	20856.70
2.10 ऋणों का प्रबंधन	1903.44	...	1903.44	2500.00	...	2500.00	1650.00	...	1650.00	2500.00	...	2500.00
2.11 अर्थोपाय अग्रिम	1345.37	...	1345.37	2000.00	...	2000.00	1000.00	...	1000.00
2.12 विशेष प्रतिभूतियों के रूपांतरण में जारी की गई बाजार योग्य प्रतिभूतियां	2142.25	...	2142.25	2135.57	...	2135.57	2001.91	...	2001.91	1745.89	...	1745.89
2.13 बाजार स्थिरीकरण योजना
2.14 पुनर्पूंजीकरण बंध पत्रों पर ब्याज	17689.57	...	17689.57	18281.82	...	18281.82	17689.57	...	17689.57	17689.57	...	17689.57
2.15 सरकार नियंत्रित अन्य बैंकिंग कम्पनियों के प्रति पुनर्पूंजीकरण बंधपत्रों पर ब्याज	1603.20	...	1603.20	1010.95	...	1010.95	1603.20	...	1603.20	1603.20	...	1603.20
2.16 सावरन गोल्ड बांड योजना 2015 पर ब्याज	503.12	...	503.12	1029.29	...	1029.29	890.41	...	890.41	1209.73	...	1209.73

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2.17 स्वर्ण मुद्राकरण योजना 2015 पर व्याज	113.78	...	113.78	225.00	...	225.00	160.00	...	160.00	170.00	...	170.00
जोड़- आंतरिक ऋण पर व्याज	524455.82	...	524455.82	614822.50	...	614822.50	616447.01	...	616447.01	707308.59	...	707308.59
3. बाह्य ऋणों पर व्याज	8203.70	...	8203.70	10617.00	...	10617.00	7096.20	...	7096.20	7925.90	...	7925.90
4. लघु बचत, भविष्य निधियों इत्यादि पर व्याज												
4.01 लघु बचत जमा, बचत पत्रों तथा परिचालन व्यय पर व्याज	79258.14	...	79258.14	112692.12	...	112692.12	121055.84	...	121055.84	159127.22	...	159127.22
4.02 राज्य भविष्य निधियां	16383.63	...	16383.63	19402.46	...	19402.46	16972.17	...	16972.17	17576.44	...	17576.44
4.03 बीमा तथा पेंशन निधियां	7380.25	...	7380.25	7162.00	...	7162.00	7410.00	...	7410.00	7134.00	...	7134.00
4.04 गैर सरकारी भविष्य निधि की विशेष जमा	3473.36	...	3473.36	4121.04	...	4121.04	3729.03	...	3729.03	3953.37	...	3953.37
4.05 अन्य विशेष जमा	15192.69	...	15192.69	16729.85	...	16729.85	18579.56	...	18579.56	18309.98	...	18309.98
जोड़- लघु बचत, भविष्य निधियों इत्यादि पर व्याज	121688.07	...	121688.07	160107.47	...	160107.47	167746.60	...	167746.60	206101.01	...	206101.01
5. रिजर्व निधियों पर व्याज	490.01	...	490.01	617.85	...	617.85	814.82	...	814.82	819.93	...	819.93
6. अन्य दायित्वों पर व्याज												
6.01 तेल कंपनियों को विशेष बांड	9989.96	...	9989.96	9989.96	...	9989.96	9989.96	...	9989.96	9195.96	...	9195.96
6.02 भारतीय खाद्य निगम को जारी विशेष बांड	1319.26	...	1319.26	1319.26	...	1319.26	1319.26	...	1319.26	1319.26	...	1319.26
6.03 उर्वरक कंपनियों को जारी विशेष बांड	1173.58	...	1173.58	1173.58	...	1173.58	1173.58	...	1173.58	1173.58	...	1173.58
6.04 एसबीआई राइट्स के लिए बांड	834.67	...	834.67	834.67	...	834.67	834.67	...	834.67	834.67	...	834.67
6.05 पीएलआई को विशेष बांड	1612.48	...	1612.48	1231.18	...	1231.18	1540.68	...	1540.68	1530.18	...	1530.18
6.06 अन्य को व्याज	1054.94	...	1054.94	1502.73	...	1502.73	1138.96	...	1138.96	1228.33	...	1228.33
जोड़- अन्य दायित्वों पर व्याज	15984.89	...	15984.89	16051.38	...	16051.38	15997.11	...	15997.11	15281.98	...	15281.98
7. वास्तविक वसूलियां	-1.27	...	-1.27
जोड़-अन्य	679868.58	...	679868.58	809701.32	...	809701.32	813791.00	...	813791.00	940651.02	...	940651.02
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	679868.58	...	679868.58	809701.32	...	809701.32	813791.00	...	813791.00	940651.02	...	940651.02
कुल जोड़	679868.58	...	679868.58	809701.32	...	809701.32	813791.00	...	813791.00	940651.02	...	940651.02
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. ऋण की कटौती या परिवर्जन के लिए विनियोग	9047.36	...	9047.36	7485.12	...	7485.12	5689.26	...	5689.26	3213.61	...	3213.61
2. व्याज भुगतान	670821.22	...	670821.22	802216.20	...	802216.20	808101.74	...	808101.74	937437.41	...	937437.41
जोड़-सामान्य सेवाएं	679868.58	...	679868.58	809701.32	...	809701.32	813791.00	...	813791.00	940651.02	...	940651.02
कुल जोड़	679868.58	...	679868.58	809701.32	...	809701.32	813791.00	...	813791.00	940651.02	...	940651.02

इस विनियोग में शामिल संपूर्ण व्यय को संविधान के अनुच्छेद 112(3)(ग) के अंतर्गत भारत की संविधि पर 'प्रभारित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

जीएसटी की कमी के लिए जुटाई गई बाजार ऋणों पर व्याज भुगतान को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बारी बारी के आधार पर प्रदान किया जाता है जिसे जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि से पूरा किया जाता है।

इस विनियोग में केंद्रीय सरकार की ऋण देयताओं, आंतरिक और बाह्य दोनों, पर व्याज-प्रभारों के लिए प्रावधान है। इसमें वाणिज्यिक विभागों जैसे रेलवे की अन्य आरक्षित निधियों, मूल्यह्रास के अलावा सरकार के पास जमा भविष्य निधियों, विशेष जमा राशि पर देय व्याज हेतु प्रावधान शामिल है। केंद्रीय सरकार के ऋण तथा अन्य देयताओं के प्रबंध हेतु प्रावधान भी इस विनियोग में शामिल किए गए हैं।

वित्त मंत्रालय
सं 40 (विनियोजन)
ऋण की अदायगी

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	...	6184635.33	6184635.33	...	6944151.48	6944151.48	...	6062577.74	6062577.74	...	7075067.16	7075067.16	
वसूलियां	
प्राप्तियां	...	-6184635.33	-6184635.33	...	-6944151.48	-6944151.48	...	-6062577.74	-6062577.74	...	-7075067.16	-7075067.16	
निवल	
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय													
अन्य													
1. केन्द्र सरकार का आंतरिक ऋण													
1.01	बाजार ऋण	...	227208.32	227208.32	...	287792.28	287792.28	...	270728.72	270728.72	...	376387.56	376387.56
1.02	बाईबैंक/स्वीचिंग	...	153417.57	153417.57	...	180000.00	180000.00	...	120000.00	120000.00	...	100000.00	100000.00
1.03	14 दिवसीय राजकोषीय हंडियां	...	3695125.03	3695125.03	...	3604159.92	3604159.92	...	3875630.66	3875630.66	...	4069412.19	4069412.19
1.04	91 दिवसीय राजकोषीय हंडियां	...	732774.82	732774.82	...	656245.84	656245.84	...	802464.83	802464.83	...	843270.56	843270.56
1.05	182दिवसीय राजकोषीय हंडियां	...	507349.73	507349.73	...	366157.61	366157.61	...	394426.48	394426.48	...	468945.48	468945.48
1.06	364 दिवसीय राजकोषीय हंडियां	...	217670.00	217670.00	...	455794.04	455794.04	...	458240.00	458240.00	...	399899.20	399899.20
1.07	नगद प्रबंधन हंडियां	...	160000.00	160000.00	...	250000.00	250000.00	100000.00	100000.00
1.08	अर्थोपाय अग्रिम	...	398990.00	398990.00	...	1000000.00	1000000.00	500000.00	500000.00
1.09	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी प्रतिभूतियों का मोचन	...	10543.62	10543.62	...	7568.80	7568.80	...	7600.76	7600.76	...	7674.91	7674.91

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
1.10 क्षतिपूर्तियां और अन्य बांड्स	...	317.64	317.64	...	3087.47	3087.47	...	3343.58	3343.58	...	16893.61	16893.61
1.11 एनएसएसएफ को जारी की गई प्रतिभूतियों का मोचन	...	42502.46	42502.46	...	91343.37	91343.37	...	86748.55	86748.55	...	141509.67	141509.67
1.12 डाक जीवन बीमा निधि	...	4000.00	4000.00	7000.00	7000.00	...	9893.68	9893.68
1.13 स्वर्ण मौद्रिकरण योजना	...	9.29	9.29	...	380.00	380.00	...	250.00	250.00	...	270.00	270.00
1.14 सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना	...	11.49	11.49	...	696.15	696.15	...	120.06	120.06	...	300.00	300.00
1.15 प्राप्तियां घटाएं	...	-6149919.97	-6149919.97	...	-6903225.48	-6903225.48	...	-6026553.64	-6026553.64	...	-7034456.86	-7034456.86
<i>निवल</i>
2. बाह्य ऋण												
2.01 सकल बजटीय सहायता	...	34715.36	34715.36	...	40926.00	40926.00	...	36024.10	36024.10	...	40610.30	40610.30
2.02 प्राप्तियां घटाएं	...	-34715.36	-34715.36	...	-40926.00	-40926.00	...	-36024.10	-36024.10	...	-40610.30	-40610.30
<i>निवल</i>
जोड़-अन्य
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय
कुल जोड़
ख. विकास शीर्ष												
अन्य												
1. केन्द्र सरकार का आन्तरिक ऋण
2. विदेशी ऋण
जोड़-अन्य
कुल जोड़

आंतरिक और विदेशी ऋण: इस विनियोजन में केन्द्र सरकार द्वारा जुटाए गए आंतरिक और विदेशी ऋण की अदायगी हेतु प्रावधान शामिल है और इसमें विभिन्न परिपक्वताओं वाली राजकोषीय हंडियों के मोचन, नकद प्रबंधन हंडियों के जरिए अल्पावधिक उधार, अर्थापाय अग्रिम, पुनर्खरीद/ऋण कटौती में परिवर्तन और ऋण पोर्टफोलियो प्रबंधन आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 41
पेंशन

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	62820.22	...	62820.22	56873.12	...	56873.12	64005.12	...	64005.12	66840.81	...	66840.81
वसूलियां	-95.59	...	-95.59
प्राप्तियां	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00
निवल	62724.63	...	62724.63	55873.12	...	55873.12	63005.12	...	63005.12	65840.81	...	65840.81
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ												
1.01 अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते	31964.53	...	31964.53	25646.00	...	25646.00	30661.00	...	30661.00	32625.00	...	32625.00
1.02 पेंशन का परिवर्तित मूल्य	4464.38	...	4464.38	5156.00	...	5156.00	5156.00	...	5156.00	5030.00	...	5030.00
1.03 उपदान	4538.95	...	4538.95	4626.80	...	4626.80	5480.80	...	5480.80	5428.23	...	5428.23
1.04 परिवारिक पेंशन	9165.18	...	9165.18	8017.75	...	8017.75	8681.75	...	8681.75	9207.38	...	9207.38
1.05 छुट्टी नकदीकरण	2491.05	...	2491.05	2497.24	...	2497.24	2900.24	...	2900.24	2924.00	...	2924.00
1.06 भविष्य निधि में अंशदान	5.93	...	5.93	7.05	...	7.05	7.05	...	7.05	6.05	...	6.05
1.07 विविध पेंशन संबंधी भुगतान	6715.05	...	6715.05	7374.74	...	7374.74	7470.74	...	7470.74	7867.39	...	7867.39
1.08 अन्य	0.35	...	0.35	1.21	...	1.21	1.21	...	1.21	1.21	...	1.21
1.09 वास्तविक वसूलियां	-95.59	...	-95.59
निवल	59249.83	...	59249.83	53326.79	...	53326.79	60358.79	...	60358.79	63089.26	...	63089.26
2. राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार के पेंशन संबंधी प्रभार												

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2.01 दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान	3435.05	...	3435.05	3501.35	...	3501.35	3601.35	...	3601.35	3701.35	...	3701.35
2.02 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से कम प्राप्त होने वाली धनराशि घटाएं	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00
<i>निवल</i>	<i>3435.05</i>	<i>...</i>	<i>3435.05</i>	<i>2501.35</i>	<i>...</i>	<i>2501.35</i>	<i>2601.35</i>	<i>...</i>	<i>2601.35</i>	<i>2701.35</i>	<i>...</i>	<i>2701.35</i>
3. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण												
3.01 जमा संबद्ध बीमा योजना	36.98	...	36.98	41.28	...	41.28	41.28	...	41.28	46.10	...	46.10
3.02 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना	1.65	...	1.65	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
3.03 अन्य	0.10	...	0.10	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60
3.04 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को भुगतान जमा संबद्ध बीमा योजना	1.02	...	1.02	1.10	...	1.10	1.10	...	1.10	1.50	...	1.50
<i>जोड़- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</i>	<i>39.75</i>	<i>...</i>	<i>39.75</i>	<i>44.98</i>	<i>...</i>	<i>44.98</i>	<i>44.98</i>	<i>...</i>	<i>44.98</i>	<i>50.20</i>	<i>...</i>	<i>50.20</i>
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	62724.63	...	62724.63	55873.12	...	55873.12	63005.12	...	63005.12	65840.81	...	65840.81
कुल जोड़	62724.63	...	62724.63	55873.12	...	55873.12	63005.12	...	63005.12	65840.81	...	65840.81
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	62684.88	...	62684.88	55828.14	...	55828.14	62960.14	...	62960.14	65790.61	...	65790.61
जोड़-सामान्य सेवाएं	62684.88	...	62684.88	55828.14	...	55828.14	62960.14	...	62960.14	65790.61	...	65790.61
सामाजिक सेवाएं												
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	39.75	...	39.75	44.98	...	44.98	44.98	...	44.98	50.20	...	50.20
जोड़-सामाजिक सेवाएं	39.75	...	39.75	44.98	...	44.98	44.98	...	44.98	50.20	...	50.20
कुल जोड़	62724.63	...	62724.63	55873.12	...	55873.12	63005.12	...	63005.12	65840.81	...	65840.81

1. **पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ:** इस मांग में भारत की संचित निधि पर प्रभारित की जाने वाली अन्य मदों के साथ-साथ पेंशन और उपदान के भुगतान के लिए प्रावधान शामिल हैं, जो बाद में राज्य सरकारों से वसूला जाता है।

2. **राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार के पेंशन संबंधी प्रभार:** यह प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान के लिए है। मुख्य शीर्ष '0071 - पेंशन और अन्य

सेवानिवृत्ति लाभ में अंशदान और वसूलियां के तहत प्राप्तियां राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त होने वाली देय राशि ('1000 करोड़) के कारण है।

3. **सामाजिक सुरक्षा और कल्याण:** इसमें अंशदायी और अन्य भविष्य निधियों, जमा संबद्ध बीमा योजना और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना में अंशदान के लिए प्रावधान शामिल हैं।

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 42
राज्यों को अंतरण

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	203566.83	148802.28	352369.11	292333.77	56850.01	349183.78	276838.15	201100.00	477938.15	235240.00	132380.01	367620.01
वसूलियां	-5824.28	...	-5824.28	-6100.00	...	-6100.00	-6130.00	...	-6130.00	-6400.00	...	-6400.00
प्राप्तियां	-5820.00	-129250.13	-135070.13	-6100.00	-43681.78	-49781.78	-6130.00	-180283.92	-186413.92	-6400.00	-20480.59	-26880.59
निवल	191922.55	19552.15	211474.70	280133.77	13168.23	0	264578.15	20816.08	285394.23	222440.00	111899.42	334339.42

क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण

वित्त आयोग अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत अनुदान

1. हस्तांतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान	74340.00	...	74340.00	118452.00	...	118452.00	118452.00	...	118452.00	86201.00	...	86201.00
2. राज्य आपदा मोचन कोष के लिए सहायता अनुदान	22262.43	...	22262.43	22184.00	...	22184.00	17747.20	...	17747.20	18635.20	...	18635.20
3. राज्य आपदा शमन निधि हेतु सहायता अनुदान	4436.80	...	4436.80	4658.80	...	4658.80
4. स्थानीय निकायों के लिए अनुदान												
4.01 ग्रामीण निकाय	60750.00	...	60750.00	44901.00	...	44901.00	42623.00	...	42623.00	46513.00	...	46513.00
4.02 शहरी निकाय	26710.07	...	26710.07	22114.00	...	22114.00	14614.00	...	14614.00	22908.00	...	22908.00
जोड़- स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	87460.07	...	87460.07	67015.00	...	67015.00	57237.00	...	57237.00	69421.00	...	69421.00
5. स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु अनुदान	13192.00	...	13192.00	13192.00	...	13192.00	13192.00	...	13192.00
6. अन्य अनुदान
जोड़-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत अनुदान	184062.50	...	184062.50	220843.00	...	220843.00	211065.00	...	211065.00	192108.00	...	192108.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-वित्त आयोग अनुदान	184062.50	...	184062.50	220843.00	...	220843.00	211065.00	...	211065.00	192108.00	...	192108.00
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
7. विशेष सहायता	1996.16	...	1996.16	15000.00	...	15000.00	5000.00	...	5000.00	15000.00	...	15000.00
8. कोविड-19 टीकाकरण हेतु सहायता	35000.00	...	35000.00	39000.00	...	39000.00	5000.00	...	5000.00
9. पूंजी व्यय हेतु राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता	...	11830.29	11830.29	...	10000.00	10000.00	...	15000.00	15000.00	...	100000.00	100000.00
10. जीएसटी मुआवजे में हुई कमी के बदले राज्यों को बैंक टू बैंक ऋण	...	110208.00	110208.00	...	0.01	0.01	...	159000.00	159000.00	...	0.01	0.01
	...	-110208.00	-110208.00	...	-0.01	-0.01	...	-159000.00	-159000.00	...	-0.01	-0.01
<i>निवल</i>
11. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुदान)	3431.06	...	3431.06	3000.00	...	3000.00	4165.00	...	4165.00	3722.00	...	3722.00
12. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (बड़े ऋण)	...	26763.99	26763.99	...	46750.00	46750.00	...	27000.00	27000.00	...	32280.00	32280.00
	...	-19042.13	-19042.13	...	-43581.77	-43581.77	...	-21183.92	-21183.92	...	-20380.58	-20380.58
<i>निवल</i>	...	7721.86	7721.86	...	3168.23	3168.23	...	5816.08	5816.08	...	11899.42	11899.42
13. राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष को अंतरण												
13.01 राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष को अंतरण	5820.00	...	5820.00	6100.00	...	6100.00	6130.00	...	6130.00	6400.00	...	6400.00
13.02 घटाएं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (सीमा-शुल्क)	-721.19	...	-721.19	-850.00	...	-850.00	-880.00	...	-880.00	-900.00	...	-900.00
13.03 घटाएं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)	-5098.81	...	-5098.81	-5250.00	...	-5250.00	-5250.00	...	-5250.00	-5500.00	...	-5500.00
<i>निवल</i>
14. राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से राज्यों को सहायता												
14.01 राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से राज्यों को सहायता	8257.11	...	8257.11	12390.77	...	12390.77	9000.00	...	9000.00	10408.00	...	10408.00
14.02 राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से राज्यों को सहायता	2478.15	...	2478.15	2602.00	...	2602.00
14.03 राशि में हुई कमी को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से अंतरण से पूरी की गई राशि	-5820.00	...	-5820.00	-6100.00	...	-6100.00	-6130.00	...	-6130.00	-6400.00	...	-6400.00
<i>निवल</i>	2437.11	...	2437.11	6290.77	...	6290.77	5348.15	...	5348.15	6610.00	...	6610.00
15. राहत हेतु अग्रिम सहायता के रूप में ऋण (पहले अर्थापय)	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अग्रिम)	-100.00	-100.00	...	-100.00	-100.00	...	-100.00	-100.00
<i>निवल</i>
16. वास्तविक वसूलियां	-4.28	...	-4.28
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	7860.05	19552.15	27412.20	59290.77	13168.23	72459.00	53513.15	20816.08	74329.23	30332.00	111899.42	142231.4
कुल जोड़	191922.55	19552.15	211474.70	280133.77	13168.23	293302.0	264578.15	20816.08	285394.23	222440.00	111899.42	334339.4
						0						2
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. विविध सामान्य सेवाएं	-4.28	...	-4.28
जोड़-सामान्य सेवाएं	-4.28	...	-4.28
सामाजिक सेवाएं												
2. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	35000.00	...	35000.00	39000.00	...	39000.00	5000.00	...	5000.00
3. प्राकृतिक आपदा खाते पर राहत	2437.11	...	2437.11	6290.77	...	6290.77	2870.00	...	2870.00	4008.00	...	4008.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	2437.11	...	2437.11	41290.77	...	41290.77	41870.00	...	41870.00	9008.00	...	9008.00
अन्य												
4. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	189489.72	...	189489.72	238843.00	...	238843.00	222708.15	...	222708.15	213432.00	...	213432.00
5. राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	...	19552.15	19552.15	...	13168.23	13168.23	...	20816.08	20816.08	...	111899.42	111899.42
जोड़-अन्य	189489.72	19552.15	209041.87	238843.00	13168.23	252011.2	222708.15	20816.08	243524.23	213432.00	111899.42	325331.4
कुल जोड़	191922.55	19552.15	211474.70	280133.77	13168.23	293302.0	264578.15	20816.08	285394.23	222440.00	111899.42	334339.4
						0						2

1. **हस्तांतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान:** वित्त आयोग ने केंद्रीय करो और परियोजनाओं में प्रत्येक राज्य की साझेदारी तय कर दी है। प्रत्येक राज्य का राजस्व घाटा अनुदान राज्य की अनुमानित राजस्व प्राप्तियों पर आधारित को अनुमानित होता है। प्रत्येक राज्य की आबंटन की हिस्सेदारी अनुमानित विचलन पूर्व राजस्व घाटे आधारित होती है।

2. **राज्य आपदा मोचन कोष के लिए सहायता अनुदान:** वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को आपदा राहत के लिए वित्तपोषण हेतु आबंटन कर दिया गया है।

3. **राज्य आपदा शमन निधि हेतु सहायता अनुदान:** राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीएमएफ) के लिए सहायता अनुदान

4. **स्थानीय निकायों के लिए अनुदान:** वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों (ग्रामीण तथा शहरी) के लिए अनुदान किए गए हैं।
5. **स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु अनुदान:** वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु आबंटन कर दिया गया है।
6. **अन्य अनुदान:** वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अन्य विभिन्न अनुदानों के लिए आबंटन कर दिया गया है।
7. **विशेष सहायता:** यह प्रावधान (क) प्रतिबद्ध देयताओं जिनके लिए बजट प्रावधान नहीं किया जाता है, और (ख) राज्यों के लिए अन्य आवश्यकता आधारित सहायता के लिए निर्धारित किया गया है।
8. **कोविड-19 टीकाकरण हेतु सहायता:** यह प्रावधान कोविड-19 टीकाकरण में व्यय को पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चिन्हित किया गया है।
9. **पूँजी व्यय हेतु राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता:** यह प्रावधान वर्तमान वृहत् आर्थिक परिदृश्य के कारण पूँजी व्यय हेतु राज्यों को ऋण देने के लिए चिन्हित किया गया है।
10. **जीएसटी मुआवजे में हुई कमी के बदले राज्यों को बैंक टू बैंक ऋण:** यह प्रावधान जीएसटी प्रतिपूर्ति में कमी के बदले राज्यों को बैंक-टू-बैंक ऋण देने के लिए बनाया गया है।
11. **बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुदान):** विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता इसी मांग से दी जाती है। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर अप्रैल, 2005 से बाह्य सहायता को बैंक टू बैंक अंतरित करने की नई प्रणाली लागू की गई थी जिसके अंतर्गत पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों को उन्हीं शर्तों पर -बाह्य सहायता उपलब्ध करायी जाती है, जिन शर्तों पर केन्द्र सरकार को दाता एजेंसियों से सहायता प्राप्त होती है। अंतरण की एक नई व्यवस्था आरंभ की गई थी जिन पर यह राज्यों को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अनुदान घटक के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है।
12. **बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (बड़े ऋण):** राज्यों को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ऋण घटक के लिए धनराशि का प्रावधान पूँजी भाग के तहत किया गया है। इसके ऋण घटक की वसूली मुख्य शीर्ष 6002 के तहत की जाती है।
- 13.01. **राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष को अंतरण:** प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के तहत राहत पर व्यय।
- 14.01. **राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से राज्यों को सहायता:** गंभीर प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के तहत राज्यों को राज्य आपदा मोचन कोष से धनराशि की पूर्ति के लिए तत्काल पश्चात् राहत दी जाती है। राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से सहायता, असाधारण कठिनाई और प्राकृतिक आपदाओं के समय में राज्यों को तत्काल सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।
- 14.02. **राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीएमएफ) से राज्यों को सहायता**
15. **राहत हेतु अग्रिम सहायता के रूप में ऋण (पहले अर्धोपाय अग्रिम):** अस्थायी अग्रिम का यह प्रावधान अल्पकालिक नकदी के असंतुलन से निपटने में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए है।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मांग संख्या 43

मत्स्यपालन विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	878.59	4.69	883.28	1192.16	28.68	1220.84	1389.54	17.75	1407.29	2093.90	24.57	2118.47
वसूलियां	-0.65	...	-0.65
प्राप्तियां
निवल	877.94	4.69	882.63	1192.16	28.68	1220.84	1389.54	17.75	1407.29	2093.90	24.57	2118.47
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय												
1.01 स्थापना व्यय	14.74	...	14.74	26.03	...	26.03	47.28	...	47.28	26.53	...	26.53
1.02 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	3.48	...	3.48	2.20	...	2.20	2.20	...	2.20	2.20	...	2.20
जोड़- सचिवालय	18.22	...	18.22	28.23	...	28.23	49.48	...	49.48	28.73	...	28.73
2. मात्स्यिकी संस्थान	115.89	4.69	120.58	121.09	28.68	149.77	108.02	17.75	125.77	150.77	24.57	175.34
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	134.11	4.69	138.80	149.32	28.68	178.00	157.50	17.75	175.25	179.50	24.57	204.07
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामकीय निकाय												
3. तटीय जलकृषि प्राधिकरण	3.00	...	3.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.40	...	4.40
स्वायत्त निकाय												
4. राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड	32.25	...	32.25	23.84	...	23.84	18.04	...	18.04	19.00	...	19.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	35.25	...	35.25	27.84	...	27.84	22.04	...	22.04	23.40	...	23.40
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं												
नीली क्रांति												
5. मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि	9.50	...	9.50	15.00	...	15.00	10.00	...	10.00	12.00	...	12.00
6. प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसएसवाई)	699.73	...	699.73	1000.00	...	1000.00	1200.00	...	1200.00	1879.00	...	1879.00
जोड़-नीली क्रांति	709.23	...	709.23	1015.00	...	1015.00	1210.00	...	1210.00	1891.00	...	1891.00
7. वास्तविक वसूलियां	-0.65	...	-0.65
जोड़-केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं	708.58	...	708.58	1015.00	...	1015.00	1210.00	...	1210.00	1891.00	...	1891.00
कुल जोड़	877.94	4.69	882.63	1192.16	28.68	1220.84	1389.54	17.75	1407.29	2093.90	24.57	2118.47
ख. विकास शीर्ष												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
आर्थिक सेवाएं												
1. मत्स्य पालन	263.57	...	263.57	400.41	...	400.41	354.95	...	354.95	526.76	...	526.76
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	18.22	...	18.22	28.23	...	28.23	49.48	...	49.48	28.73	...	28.73
3. मत्स्य पालन पर पूंजी परिव्यय	...	4.69	4.69	...	28.68	28.68	...	17.75	17.75	...	24.57	24.57
जोड़-आर्थिक सेवाएं	281.79	4.69	286.48	428.64	28.68	457.32	404.43	17.75	422.18	555.49	24.57	580.06
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	107.52	...	107.52	122.01	...	122.01	189.91	...	189.91
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	543.10	...	543.10	601.00	...	601.00	833.10	...	833.10	1277.00	...	1277.00
6. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	53.05	...	53.05	55.00	...	55.00	30.00	...	30.00	71.50	...	71.50
जोड़-अन्य	596.15	...	596.15	763.52	...	763.52	985.11	...	985.11	1538.41	...	1538.41
कुल जोड़	877.94	4.69	882.63	1192.16	28.68	1220.84	1389.54	17.75	1407.29	2093.90	24.57	2118.47

1.01. **स्थापना व्यय:** यह प्रावधान सचिवालय के व्यय, मुख्यालय में नेटवर्क आधारित सूचना प्रणाली और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकायों में योगदान के लिए है।

2. **मात्स्यिकी संस्थान:** यह प्रावधान मात्स्यिकी संस्थान के लिए है जिसमें भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान, मात्स्यिकी के लिए केंद्रीय तटीय इंजीनियरिंग संस्थान, केंद्रीय मात्स्यिकी नौचालन इंजीनियरिंग एवं प्रशिक्षण संस्थान और जलीय पशु स्वास्थ्य एवं संगरोध निदेशालय शामिल हैं।

3. **तटीय जलकृषि प्राधिकरण:** यह प्रावधान चेन्नई स्थित तटीय जलकृषि प्राधिकरण के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

4. **राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड:** यह प्रावधान हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के स्थापना संबंधी व्यय और उनके द्वारा लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के लिए है।

5. **मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि:** यह प्रावधान देश में मछुआरों के लाभ के लिए मत्स्य पालन और जलीय कृषि विकास कोष के लिए रखा जाता है

6. **प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई):** मछुआरों के कल्याण सहित भारत में सतत, जिम्मेदार और समग्र विकास के माध्यम से मत्स्य पालन के क्षेत्र में नीली क्रांति लाने की योजना है। पीएमएमएसवाई को वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मांग संख्या 44

पशुपालन और डेयरी कार्य विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	2964.04	3.52	2967.56	3555.59	44.39	3599.98	3040.17	13.58	3053.75	4232.80	56.04	4288.84	
<i>वसूलियां</i>	-169.61	...	-169.61	
<i>प्राप्तियां</i>	-334.41	...	-334.41	-498.00	...	-498.00	-340.00	...	-340.00	-370.00	...	-370.00	
निवल	2460.02	3.52	2463.54	3057.59	44.39	3101.98	2700.17	13.58	2713.75	3862.80	56.04	3918.84	
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. <i>सचिवालय</i>													
1.01	स्थापना व्यय	41.61	...	41.61	48.20	...	48.20	49.00	...	49.00	54.33	...	54.33
1.02	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	2.37	...	2.37	3.80	...	3.80	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
<i>जोड़- सचिवालय</i>		<i>43.98</i>	...	<i>43.98</i>	<i>52.00</i>	...	<i>52.00</i>	<i>52.00</i>	...	<i>52.00</i>	<i>57.33</i>	...	<i>57.33</i>
2.	पशु स्वास्थ्य संस्थान	16.05	0.92	16.97	21.17	1.33	22.50	21.05	1.45	22.50	26.28	1.45	27.73
3.	लघु पशुधन संस्थान	37.38	0.11	37.49	44.83	1.17	46.00	44.56	1.24	45.80	40.88	3.21	44.09
4.	नस्ल सुधार संस्थान	36.07	2.49	38.56	40.55	0.89	41.44	40.55	0.89	41.44	46.43	20.26	66.69
5.	राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान	1.81	...	1.81
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय		135.29	3.52	138.81	158.55	3.39	161.94	158.16	3.58	161.74	170.92	24.92	195.84
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम/परियोजनाएं													
6.	खुरपका और मुंहपका रोग (एफ एम डी) और ब्रुसलैसिस के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम	858.00	...	858.00
7.	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम	1470.00	...	1470.00	886.00	...	886.00	2000.00	...	2000.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. अवसरचना विकास निधि	283.00	...	283.00	262.00	...	262.00	315.00	...	315.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों/परियोजनाएं	858.00	...	858.00	1753.00	...	1753.00	1148.00	...	1148.00	2315.00	...	2315.00
केंद्र द्वारा क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामकीय निकाय												
9. पशु कल्याण बोर्ड	6.00	...	6.00	8.49	...	8.49	8.49	...	8.49	11.73	...	11.73
10. पशु पर प्रयोगों के नियंत्रण और निगरानी के उद्देश्य हेतु समिति(सीपीसीएसईए)	1.51	...	1.51	1.51	...	1.51	1.51	...	1.51
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	6.00	...	6.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	13.24	...	13.24
अन्य												
11. दिल्ली दुग्ध योजना												
11.01 डीएमएस का व्यय	337.41	...	337.41	457.00	41.00	498.00	330.00	10.00	340.00	338.88	31.12	370.00
11.02 घटाइए- प्राप्तियां	-334.41	...	-334.41	-498.00	...	-498.00	-340.00	...	-340.00	-370.00	...	-370.00
<i>निवल</i>	<i>3.00</i>	...	<i>3.00</i>	<i>-41.00</i>	<i>41.00</i>	...	<i>-10.00</i>	<i>10.00</i>	...	<i>-31.12</i>	<i>31.12</i>	...
जोड़-केंद्र द्वारा क्षेत्र का अन्य व्यय	9.00	...	9.00	-31.00	41.00	10.00	...	10.00	10.00	-17.88	31.12	13.24
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
12. विकास योजना												
12.01 डेयरी विकास	255.00	...	255.00	403.01	...	403.01	340.01	...	340.01
12.02 राष्ट्रीय गोकुल मिशन	502.04	...	502.04	663.00	...	663.00	604.75	...	604.75
12.03 पशुधन जनगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	70.00	...	70.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00
12.04 राष्ट्रीय पशुधन मिशन	350.00	...	350.00	288.00	...	288.00	410.00	...	410.00
<i>जोड़- विकास योजना</i>	<i>1177.04</i>	...	<i>1177.04</i>	<i>1394.01</i>	...	<i>1394.01</i>	<i>1394.76</i>	...	<i>1394.76</i>
श्वेत क्रांति												
13. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम	285.98	...	285.98

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
14. राष्ट्रीय गोकुल मिशन	399.91	...	399.91
15. डेयरी क्रियाकलापों में लगी सहकारी समितियों तथा कृषक उत्पादक संगठनों को सहायता देना	100.00	...	100.00
16. डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि	10.00	...	10.00
17. पशुधन गणना तथा एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	93.97	...	93.97
18. पशुधन स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण	249.30	...	249.30
19. राष्ट्रीय पशुधन मिशन	424.82	...	424.82
20. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि	63.36	...	63.36
जोड़-श्वेत क्रांति	1627.34	...	1627.34
21. वास्तविक वसूलियां	-169.61	...	-169.61
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	1457.73	...	1457.73	1177.04	...	1177.04	1394.01	...	1394.01	1394.76	...	1394.76
कुल जोड़	2460.02	3.52	2463.54	3057.59	44.39	3101.98	2700.17	13.58	2713.75	3862.80	56.04	3918.84
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. पशु पालन	1566.91	...	1566.91	1850.35	...	1850.35	1701.26	...	1701.26	2175.67	...	2175.67
2. डेयरी विकास	252.98	...	252.98	343.00	...	343.00	501.51	...	501.51	467.38	...	467.38
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	43.90	...	43.90	52.00	...	52.00	52.00	...	52.00	57.33	...	57.33
4. पशुपालन पर पूंजी परिच्यय	...	3.52	3.52	...	3.39	3.39	...	3.58	3.58	...	24.92	24.92
5. डेरी विकास पर पूंजी परिच्यय	41.00	41.00	...	10.00	10.00	...	31.12	31.12
जोड़-आर्थिक सेवाएं	1863.79	3.52	1867.31	2245.35	44.39	2289.74	2254.77	13.58	2268.35	2700.38	56.04	2756.42
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	293.66	...	293.66	215.08	...	215.08	371.66	...	371.66
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	557.17	...	557.17	388.05	...	388.05	194.82	...	194.82	749.24	...	749.24
8. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	39.06	...	39.06	130.53	...	130.53	35.50	...	35.50	41.52	...	41.52
जोड़-अन्य	596.23	...	596.23	812.24	...	812.24	445.40	...	445.40	1162.42	...	1162.42
कुल जोड़	2460.02	3.52	2463.54	3057.59	44.39	3101.98	2700.17	13.58	2713.75	3862.80	56.04	3918.84

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय के व्यय, मुख्यालय में नेटवर्क आधारित सूचना प्रणाली और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकायों में योगदान के लिए है। इसमें पीएओ (डीएमएस) नई दिल्ली और पीएओ एएचडीएंडएफ मुंबई के स्थापना व्यय का प्रावधान भी शामिल है।
2. **पशु स्वास्थ्य संस्थान:** यह प्रावधान पशु संगरोध सेवा केंद्रों और चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थानआदि के लिए है।
3. **लघु पशुधन संस्थान:** यह प्रावधान केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, क्षेत्रीय चारा केंद्र और केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म के लिए है।
4. **नस्ल सुधार संस्थान:** यह प्रावधान केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना और केंद्रीय हिमिंत वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए है।
5. **राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान:** यह प्रावधान स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।
7. **पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम:** पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण और पैर और मुंह रोग (एफएमडी) और ब्रुसेल्लोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम को एक एकल योजना में मिला दिया गया है जिसका नाम बदलकर पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम रखा है। इस योजना में विभिन्न टीकाकरणों, कौशल विकास तथा पशुचिकित्सा आवश्यकताओं के सृजन के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके धारणीय पशुधन स्वास्थ्य के लिए राज्य सरकारों की गतिविधियों को सम्पूरित करने के लिए निधियां रखी जाती हैं। इस प्रावधान में व्यावसायिक दक्षता विकास के भाग के रूप में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद और राज्य पशु चिकित्सा परिषदों के लिए अनुदान शामिल हैं।
8. **अवसंरचना विकास निधि:** पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) और डेयरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (डीआईडीएफ) को एक ही फंड में मिला दिया गया है। डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठन को सहायता प्रदान करने की योजना भी इसमें शामिल है। यह योजना नाबार्ड के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर प्रसंस्करण और द्रुतशीतन अवसंरचना और दूध में मिलावट परीक्षण उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से लागू की जाने वाली एक व्याज सहायता योजना है। बजट प्रावधान राज्य सहकारी दुग्ध संघ की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को समर्थन करने के लिए भी है (राज्य सहकारी डेयरी संघ के लिए पूर्ववर्ती सहायता)।
9. **पशु कल्याण बोर्ड:** यह प्रावधान पशु कल्याण बोर्ड के स्थापना व्यय के लिए है।
10. **पशु पर प्रयोगों के नियंत्रण और निगरानी के उद्देश्य हेतु समिति (सीपीसीएसईए):** यह प्रावधान कार्यालय के स्थापना व्यय और योजना के कार्यान्वयन के लिए है। इस कार्यालय की स्थापना पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम, 1960 (1960 का 59) के अनुसार स्थापित किया गया और पशुपालन और डेयरी विभाग को आवंटित किया गया था। पहले इस प्रावधान को एनआईएडब्ल्यू के बजट के साथ समेकित कर दिया गया था।
11. **दिल्ली दुग्ध योजना:** यह प्रावधान दिल्ली दुग्ध योजना की स्थापना संबंधी व्यय के लिए है जिसे प्रारंभ में सरकार द्वारा व्यवस्था किया जाता है और बाद में दूध और घी आदि की बिक्री से प्राप्त राजस्व से पूरा किया जाता है।
12. **विकास योजना:** श्वेत क्रांति के विभिन्न घटक के पुनर्विलोकन और पुनर्व्यवस्थित करने के बाद श्वेत क्रांति योजना का नाम बदलकर विकास कार्यक्रम कर दिया गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ii) डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, iii) राष्ट्रीय पशुधन मिशन और iv) पशुधन की जनगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (v) सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी, विकास कार्यक्रम के घटक हैं।

- 12.01. **दुग्ध विकास:** यह प्रावधान अनुमोदित परियोजनाओं हेतु विभिन्न दुग्ध संघों/राज्य दुग्ध परिसंघों को निधियां जारी करने के लिए है।
- 12.02. **राष्ट्रीय गोकुल मिशन:** राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन, देसी नस्ल तथा राष्ट्रीय गोजातीय उत्पादकता मिशन नामक नई योजना के अंतर्गत आबंटनों को राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत समेकित कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य गोजातीय उत्पादकता को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तथा समेकित तरीके से देसी नस्लों का संरक्षण तथा विकास करना है।
- 12.03. **पशुधन गणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण:** यह प्रावधान पशुधन गणना योजना के लिए है जिसमें 20वीं पशुधन गणना, 2017 की तैयारी कार्य शुरू किया गया है और यह उस एकीकृत नमूना सर्वेक्षण के लिए है जिसमें सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कराए गए नमूना सर्वेक्षण के आधार पर प्रमुख पशुधन उत्पाद अर्थात् दूध, अंडा, मांस और ऊन आदि के उत्पादन का अनुमान का अनुमान लगाया गया है।
- 12.04. **राष्ट्रीय पशुधन मिशन:** यह प्रावधान पशुधन सेक्टर, विशेषरूप से पशु, जुगाली करने वाले पशुओं तथा अन्य छोटे पशुधन के धारणीय विकास के उद्देश्य से संबंधित योजना के लिए है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 45

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1152.68	...	1152.68	1308.66	...	1308.66	1304.12	...	1304.12	2941.99	...	2941.99
वसूलियां	-7.16	...	-7.16
प्राप्तियां
निवल	1145.52	...	1145.52	1308.66	...	1308.66	1304.12	...	1304.12	2941.99	...	2941.99
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	26.63	...	26.63	36.10	...	36.10	35.44	...	35.44	40.00	...	40.00
2. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	0.16	...	0.16	0.18	...	0.18	0.18	...	0.18
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	26.63	...	26.63	36.26	...	36.26	35.62	...	35.62	40.18	...	40.18
केन्द्र द्वारा क्षेत्र की स्कीम/परियोजनाएं												
3. प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना	667.05	...	667.05	700.00	...	700.00	791.00	...	791.00	900.00	...	900.00
4. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना	10.00	...	10.00	1022.00	...	1022.00
जोड़-केन्द्र द्वारा क्षेत्र की स्कीम/परियोजनाएं	667.05	...	667.05	700.00	...	700.00	801.00	...	801.00	1922.00	...	1922.00
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
5. भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएफपीटी)	27.97	...	27.97	31.90	...	31.90	28.00	...	28.00
6. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम)	36.12	...	36.12	40.50	...	40.50	40.50	...	40.50	79.81	...	79.81
जोड़-स्वायत्त निकाय	64.09	...	64.09	72.40	...	72.40	68.50	...	68.50	79.81	...	79.81
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	64.09	...	64.09	72.40	...	72.40	68.50	...	68.50	79.81	...	79.81
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
7. प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम	394.91	...	394.91	500.00	...	500.00	399.00	...	399.00	900.00	...	900.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
औपचारिकीकरण योजना (पी.एम. एफएमई)												
8. वास्तविक वसूतियां	-7.16	...	-7.16
जोड़-केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं	387.75	...	387.75	500.00	...	500.00	399.00	...	399.00	900.00	...	900.00
कुल जोड़	1145.52	...	1145.52	1308.66	...	1308.66	1304.12	...	1304.12	2941.99	...	2941.99
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. खाद्य संग्रहण और भंडारण	922.20	...	922.20	957.56	...	957.56	943.95	...	943.95	2411.99	...	2411.99
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	26.61	...	26.61	36.10	...	36.10	35.44	...	35.44	40.00	...	40.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	948.81	...	948.81	993.66	...	993.66	979.39	...	979.39	2451.99	...	2451.99
अन्य												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	120.00	...	120.00	121.12	...	121.12	180.00	...	180.00
4. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	195.90	...	195.90	192.50	...	192.50	197.76	...	197.76	300.00	...	300.00
5. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	0.81	...	0.81	2.50	...	2.50	5.85	...	5.85	10.00	...	10.00
जोड़-अन्य	196.71	...	196.71	315.00	...	315.00	324.73	...	324.73	490.00	...	490.00
कुल जोड़	1145.52	...	1145.52	1308.66	...	1308.66	1304.12	...	1304.12	2941.99	...	2941.99

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए किया गया है।

2. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान वाइन एंड वाइन (ओआईवी) के अंतरराष्ट्रीय संगठन में अंशदान के लिए है।

3. **प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना:** इसमें निम्नलिखित योजनाओं के वित्तपोषण के लिए प्रावधान किया गया है: (क) मेगा फूड; (ख) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना; (ग) एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना; (घ) खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार; (ङ) बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज सृजन; (च) खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना; (छ) मानव संसाधन एवं संस्थान (ज) अवसंरचना से संबंधित स्कीमों के अंतर्गत प्रतिबद्ध देनदारियां; (झ) ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम; तथा (ञ) स्वच्छता कार्य योजना।

4. **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना:** पीएलआई योजना को भारत की विनिर्माण क्षमताओं के संवर्धन और संवर्धित निर्यात के लिए तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैम्पियन को तैयार करने के लिए सहायता देना; अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य उत्पादों को भारतीय ब्रांड मदद करना; गैर कृषि क्षेत्र में के रोजगार अवसर बढ़ाने और कृषि उत्पाद के लिए उचित मूल्य तथा किसानों के लिए अधिक आय सुनिश्चित करना है।

6. **राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम):** भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान, थंनजुबूर और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता तथा प्रबंधन संस्थान, कुडली किया गया है। यह प्रावधान आवृत्ति व्यय को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध कराने हेतु किया गया है।

7. **प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (पी.एम. एफएमई):** यह प्रावधान 'आत्म निर्भर भारत पैकेज, के तहत 2020 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ की गई स्कीम के लिए है, जिसे पांच वर्षों की अवधि में 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लाभान्वित करने और औपचारिक रूप से बढ़ावा देने के लिए है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 46

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	91604.72	3586.99	95191.71	114771.54	4355.61	119127.15	117800.17	6544.71	124344.88	107825.41	5632.57	113457.98
वसूलियां	-17622.38	...	-17622.38	-46011.51	-1846.87	-47858.38	-38692.56	-2731.67	-41424.23	-30457.98	...	-30457.98
प्राप्तियां
निवल	73982.34	3586.99	77569.33	68760.03	2508.74	71268.77	79107.61	3813.04	82920.65	77367.43	5632.57	83000.00

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

केंद्र का व्यय

केन्द्र का स्थापना व्यय

1. सचिवालय	192.87	...	192.87	228.87	...	228.87	229.38	...	229.38	244.06	...	244.06
2. निर्देशन एवं प्रशासन	55.97	...	55.97	68.71	...	68.71	63.78	...	63.78	76.00	...	76.00
3. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	1431.26	11.49	1442.75	1748.03	21.92	1769.95	1689.12	23.88	1713.00	1812.07	37.93	1850.00
4. सफदरजंग अस्पताल और वर्द्धमान महावीर चिकित्सा कॉलेज, नई दिल्ली	1446.13	171.97	1618.10	1435.64	110.14	1545.78	1435.64	110.14	1545.78	1586.73	128.27	1715.00
5. डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और डॉ. आरएमएल पीजीआईएमईआर, नई दिल्ली	693.21	99.63	792.84	808.10	142.00	950.10	758.03	93.50	851.53	903.80	192.00	1095.80
6. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली	501.07	99.51	600.58	532.77	68.02	600.79	525.43	115.50	640.93	584.18	125.82	710.00
7. कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली	122.29	5.68	127.97	139.83	10.09	149.92	126.45	9.54	135.99	137.69	11.75	149.44
8. अन्य अस्पताल / संस्थान	689.69	26.55	716.24	815.81	115.87	931.68	742.84	77.24	820.08	865.37	151.06	1016.43

जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय

केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम/परियोजनाएं

9. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	5132.49	414.83	5547.32	5777.76	468.04	6245.80	5570.67	429.80	6000.47	6209.90	646.83	6856.73
------------------------------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
9.01 सकल बजटीय सहायता से सहायता (जीबीएस)	2208.15	2430.36	4638.51	2850.00	...	2850.00	3250.00	...	3250.00	5083.13	4326.87	9410.00
9.02 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआईएसएफ)	1416.50	...	1416.50	1633.13	1846.87	3480.00	828.33	2731.67	3560.00
9.03 हेफा ऋण सीआईएसएफ से मूलधन की अदायगी	493.95	...	493.95	420.00	...	420.00	420.00	...	420.00	420.00	...	420.00
9.04 हेफा ऋण से ब्याज का भुगतान	290.84	...	290.84	250.00	...	250.00	170.00	...	170.00	170.00	...	170.00
<i>जोड़- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना</i>	<i>4409.44</i>	<i>2430.36</i>	<i>6839.80</i>	<i>5153.13</i>	<i>1846.87</i>	<i>7000.00</i>	<i>4668.33</i>	<i>2731.67</i>	<i>7400.00</i>	<i>5673.13</i>	<i>4326.87</i>	<i>10000.00</i>
10. राष्ट्रीय एड्स एवं यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	2810.67	4.78	2815.45	2878.50	21.50	2900.00	2347.73	2.00	2349.73	2620.75	2.00	2622.75
11. परिवार कल्याण योजनाएं	461.63	...	461.63	387.15	...	387.15	306.13	...	306.13	484.35	...	484.35
12. एनसीडीसी शाखाओं की स्थापना तथा सुदृढीकरण एवं स्वास्थ्य पहलें - जूनेटिक रोग तथा अन्य उष्ण कटिबंधीय रोगों के नियंत्रण तथा वायरल हेपेटाइटिस एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध निगरानी के लिए अंतर-क्षेत्रीय समन्वय	10.88	2.32	13.20	40.00	21.44	61.44	31.48	18.52	50.00	45.90	25.65	71.55
13. राष्ट्रीय औषधी सतर्कता कार्यक्रम	7.78	...	7.78	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
14. परिचर्या सेवाओं का विकास	14.04	...	14.04	17.54	...	17.54	12.72	...	12.72	20.43	...	20.43
15. स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी एवं प्रतिक्रिया तथा आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए मानव संसाधन विकास	966.15	0.03	966.18	77.18	52.82	130.00	39.00	...	39.00	77.18	52.82	130.00
16. राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम	4.81	...	4.81	29.15	1.35	30.50	6.39	...	6.39	13.43	1.57	15.00
17. भारतीय कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज (चरण-II) (डीबीएस)	2175.87	31.65	2207.52
18. कोविड-19 से जुड़ने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज - जीवन बीमा स्कीम	813.60	...	813.60	226.00	...	226.00
19. रक्त आधान सेवा	383.76	20.50	404.26
20. राष्ट्रीय/राज्य रक्त आधान परिषद	0.01	...	0.01
21. प्रधानमंत्री आयुषमान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएमएबीएचआईएम) (स्वास्थ्य)	251.18	63.82	315.00	560.69	418.18	978.87
22. कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज-ईएसी												
22.01 राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान (एनसीडीसी) दिल्ली	49.57	22.43	72.00	34.08	2.42	36.50
22.02 कोविड-19 महामारी के लिए सामग्री की केंद्रीय आपूर्ति एवं खरीद	1548.70	702.14	2250.84	118.78	481.16	599.94
22.03 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना (एनआरएचएम)	8205.79	...	8205.79	1.78	...	1.78
<i>जोड़- कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज-ईएसी</i>	<i>9804.06</i>	<i>724.57</i>	<i>10528.63</i>	<i>154.64</i>	<i>483.58</i>	<i>638.22</i>

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
23. स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा फ्रंटलाइन कार्मिकों को कोविड-19 टीकाकरण-एनएचएम	136.92	...	136.92
24. राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन -एनएचएम	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	75.00	...	75.00	200.00	...	200.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों/परियोजनाएं	18656.38	3162.06	21818.44	8622.65	1943.98	10566.63	10892.07	3331.24	14223.31	10315.63	4847.59	15163.22
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामकीय निकाय												
25. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण	208.65	...	208.65	288.35	...	288.35	286.29	...	286.29	300.00	...	300.00
26. भारतीय भेषज संग्रह आयोग	14.71	...	14.71	23.95	...	23.95	23.95	...	23.95	31.60	...	31.60
27. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद	0.98	...	0.98	0.98	...	0.98	0.98	...	0.98
28. भारतीय दंत चिकित्सा परिषद	0.38	...	0.38	0.38	...	0.38	0.27	...	0.27	0.30	...	0.30
29. भारतीय फॉर्मसी परिषद	0.18	...	0.18	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
30. भारतीय उपचर्या (नर्सिंग) परिषद	0.19	...	0.19	0.19	...	0.19	0.19	...	0.19	0.19	...	0.19
31. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी	1.60	...	1.60	1.60	...	1.60	1.62	...	1.62	1.86	...	1.86
32. राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़-सांविधिक और विनियामकीय निकाय	225.71	...	225.71	315.66	...	315.66	313.51	...	313.51	335.14	...	335.14
स्वायत्त निकाय												
33. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली												
33.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	3156.49	...	3156.49	7.00	...	7.00	10.24	...	10.24	3613.50	...	3613.50
33.02 राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता (एनआईएफ)	3695.90	...	3695.90	3568.50	...	3568.50	500.00	...	500.00
33.03 हेफा ऋण से ब्याज का भुगतान	33.45	...	33.45	44.60	...	44.60	26.76	...	26.76	24.00	...	24.00
33.04 हेफा ऋण से मूलधन की अदायगी	39.37	...	39.37	52.50	...	52.50	52.50	...	52.50	52.50	...	52.50
जोड़- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	3229.31	...	3229.31	3800.00	...	3800.00	3658.00	...	3658.00	4190.00	...	4190.00
34. स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़												
34.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	1686.53	...	1686.53	302.69	...	302.69	10.00	...	10.00	1640.00	...	1640.00
34.02 राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता (एनआईएफ)	1311.13	...	1311.13	1793.00	...	1793.00	200.00	...	200.00
जोड़- स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़	1686.53	...	1686.53	1613.82	...	1613.82	1803.00	...	1803.00	1840.00	...	1840.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
35. जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी												
35.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	817.89	...	817.89	7.03	...	7.03	3.00	...	3.00	1240.00	...	1240.00
35.02 राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता (एनआईएफ)	992.97	...	992.97	985.66	...	985.66	100.00	...	100.00
जोड़- जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी	817.89	...	817.89	1000.00	...	1000.00	988.66	...	988.66	1340.00	...	1340.00
36. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलुरु	474.43	...	474.43	500.44	...	500.44	528.49	...	528.49	560.00	...	560.00
37. इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्र स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग	309.95	...	309.95	350.00	...	350.00	560.45	...	560.45	456.00	...	456.00
38. क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल	421.60	...	421.60	438.77	...	438.77	435.03	...	435.03	560.00	...	560.00
39. क्षेत्रीय पराचिकित्सा एवं परिचर्चा विज्ञान संस्थान, आईजोल	43.00	...	43.00	88.87	...	88.87	78.72	...	78.72	132.00	...	132.00
40. लोकप्रिय गोपीनाथ बोरंदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर	52.00	...	52.00	57.00	...	57.00	67.16	...	67.16	70.00	...	70.00
41. अन्य स्वायत्त निकाय												
41.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से सहायता	530.66	...	530.66	717.21	...	717.21	663.26	...	663.26	874.28	...	874.28
जोड़-स्वायत्त निकाय	7565.37	...	7565.37	8566.11	...	8566.11	8782.77	...	8782.77	10022.28	...	10022.28
अन्य												
42. सीजीएचएस पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सीय उपचार (पीओआरबी)	2794.03	...	2794.03	2300.00	...	2300.00	2750.00	...	2750.00	2645.00	...	2645.00
43. भारत और विदेश में सामग्री की खरीद												
43.01 सकल बजटीय सहायता	308.92	...	308.92	300.00	...	300.00	285.00	...	285.00	310.00	...	310.00
43.02 घटाएं- वसूलियां	-428.02	...	-428.02	-300.00	...	-300.00	-285.00	...	-285.00	-310.00	...	-310.00
	-119.10	...	-119.10
44. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	93.21	...	93.21	72.69	32.22	104.91	87.36	25.00	112.36	74.00	87.00	161.00
45. अन्य विविध व्यय												
45.01 सकल बजटीय सहायता	65.09	10.10	75.19	132.66	59.50	192.16	125.09	22.00	147.09	136.41	46.15	182.56
46. राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से सहायता	11407.61	...	11407.61	14000.00	...	14000.00	12873.84	...	12873.84	2938.98	...	2938.98
47. राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से पूरी की गई राशि	-11407.61	...	-11407.61	-14000.00	...	-14000.00	-12873.84	...	-12873.84	-2938.98	...	-2938.98
48. केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से सहायता	2201.29	...	2201.29	2303.13	1846.87	4150.00	1418.33	2731.67	4150.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
49. केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से राशि पूरी की गई	-2201.29	...	-2201.29	-2303.13	-1846.87	-4150.00	-1418.33	-2731.67	-4150.00
जोड़-अन्य	2833.23	10.10	2843.33	2505.35	91.72	2597.07	2962.45	47.00	3009.45	2855.41	133.15	2988.56
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	10624.31	10.10	10634.41	11387.12	91.72	11478.84	12058.73	47.00	12105.73	13212.83	133.15	13345.98
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं												
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन												
50. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन												
50.01 नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता)	3186.07	...	3186.07	8139.22	...	8139.22	7470.00	...	7470.00
	-2259.65	...	-2259.65	-1865.90	...	-1865.90	-1820.00	...	-1820.00
<i>निवल</i>	<i>926.42</i>	...	<i>926.42</i>	<i>6273.32</i>	...	<i>6273.32</i>	<i>5650.00</i>	...	<i>5650.00</i>
50.02 आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल जिसमें रूटीन प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (पीएमएसएसएन) आदि शामिल हैं।	5808.01	...	5808.01
50.03 एनआरएचएम के तहत स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता)	10295.10	...	10295.10	9.68	...	9.68	9.68	...	9.68
50.04 एनआरएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढीकरण (सकल बजटीय सहायता)	1880.72	...	1880.72	608.59	...	608.59	271.60	...	271.60
50.05 एनआरएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढीकरण (पीएमएसएसएन से सहायता)	12150.00	...	12150.00	11149.72	...	11149.72
50.06 आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और चिकित्सा केन्द्र (एनआईएफ)	1347.26	...	1347.26
50.07 आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और चिकित्सा केन्द्र (पीएमएसएसएन से सहायता)	1650.00	...	1650.00	1550.00	...	1550.00
50.08 संक्रामक रोगों के लिए फ्लेक्सिबल पूल	4344.91	...	4344.91	4720.48	...	4720.48	2546.67	...	2546.67
	-1133.83	...	-1133.83	-2542.48	...	-2542.48	-796.67	...	-796.67
<i>निवल</i>	<i>3211.08</i>	...	<i>3211.08</i>	<i>2178.00</i>	...	<i>2178.00</i>	<i>1750.00</i>	...	<i>1750.00</i>

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
50.09 असंक्रामक रोगों, चोट और ट्रामा के फ्लेक्सिबल पूल	365.21	...	365.21
50.10 असंक्रामक रोगों, चोट और ट्रामा के फ्लेक्सिबल पूल (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता)	717.00	...	717.00	367.00	...	367.00
50.11 अवसंरचना अनुरक्षण	1060.29	...	1060.29	6343.41	...	6343.41	6950.00	...	6950.00
50.12 अवसंरचना अनुरक्षण (पीएमएसएसएन)	5272.98	...	5272.98
50.13 प्रायोगिक योजनाएं (स्पोर्ट्स दवा, बधिर, लेप्टोस्पिरोसिस नियंत्रण, मानव रैबीज का नियंत्रण, चिकित्सीय पुनर्स्थापना, ओरल स्वास्थ्य, फ्ल्यूरोसिस)	19.87	...	19.87	20.00	...	20.00	12.00	...	12.00
50.14 एनआरएचएम के राष्ट्रीय प्रबंधन कार्यक्रम को सुदृढ़ करना	121.59	...	121.59	150.00	...	150.00	140.00	...	140.00
50.15 जनसंख्या स्थिरता कोष (जेएसके)	20.44	...	20.44
जोड़- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	30328.97	...	30328.97	30100.00	...	30100.00	27850.00	...	27850.00
51. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन												
51.01 एनयूएचएम के अंतर्गत कवर की गई गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (एनआईएफ)	168.15	...	168.15	750.00	...	750.00	375.00	...	375.00
51.02 एनयूएचएम के अंतर्गत कवर की गई गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (जीबीएस)	531.75	...	531.75
51.03 आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और चिकित्सा केन्द्र (एन आई एफ)	249.97	...	249.97	250.00	...	250.00	125.00	...	125.00
जोड़- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	949.87	...	949.87	1000.00	...	1000.00	500.00	...	500.00
52. आरसीएच और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए फ्लेक्सिबल पूल												
52.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)	17798.75	...	17798.75
	-3459.00	...	-3459.00
<i>निवल</i>	14339.75	...	14339.75
52.02 राष्ट्रीय निवेश निधि एमआईएफ से सहायता	2138.98	...	2138.98
52.03 पीएमएसएसएन से सहायता	5838.00	...	5838.00
जोड़- आरसीएच और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए फ्लेक्सिबल पूल	22316.73	...	22316.73
53. अवसंरचना रखरखाव												
53.01 एकल बजटीय सहायता	2343.00	...	2343.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
53.02 पीएमएसएसएन से सहायता	4000.00	...	4000.00
<i>जोड़- अवसंरचना रखरखाव</i>	6343.00	...	6343.00
54. एनआरएचएम को सुदृढ़ बनाने हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन	200.00	...	200.00
55. राज्य औषध विनियामकीय प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	114.67	...	114.67	175.00	...	175.00	65.00	...	65.00	100.00	...	100.00
56. <i>तृतीयक परिचर्या कार्यक्रम</i>												
56.01 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	20.46	...	20.46	40.00	...	40.00	29.00	...	29.00	40.00	...	40.00
56.02 ट्रामा केन्द्रों का लिए क्षमता निर्माण	20.34	...	20.34	60.00	...	60.00	40.41	...	40.41	49.60	...	49.60
56.03 देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कैंसर, मधुमेह, कार्डियो-वास्कुलर रोगों तथा पक्षाघात रोकथाम और नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम	139.16	...	139.16	175.00	...	175.00	146.88	...	146.88	175.00	...	175.00
56.04 वयोवृद्ध के लिए स्वास्थ्य परिचर्या	14.35	...	14.35	105.00	...	105.00	97.12	...	97.12	98.79	...	98.79
56.05 नेत्रहीनता के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	4.91	...	4.91	10.50	...	10.50	4.09	...	4.09	8.00	...	8.00
56.06 टेलीमेडिसिन	44.71	...	44.71	45.00	...	45.00	45.00	...	45.00	45.00	...	45.00
56.07 तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम और नशा मुक्ति कार्यक्रम	56.59	...	56.59	60.00	5.00	65.00	63.64	5.00	68.64	79.11	5.00	84.11
<i>जोड़- तृतीयक परिचर्या कार्यक्रम</i>	300.52	...	300.52	495.50	5.00	500.50	426.14	5.00	431.14	495.50	5.00	500.50
57. <i>स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन</i>												
57.01 नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना तथा मौजूदा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों (एनआईएफ) में सीटों की बढ़ोतरी	394.36	...	394.36
57.02 नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना तथा मौजूदा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों (पीएमएसएसएन) में सीटों की बढ़ोतरी	4991.64	...	4991.64	4800.00	...	4800.00	5600.00	...	5600.00	7500.00	...	7500.00
<i>जोड़- स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन</i>	5386.00	...	5386.00	4800.00	...	4800.00	5600.00	...	5600.00	7500.00	...	7500.00
58. वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	40.00	...	40.00
जोड़-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	37080.03	...	37080.03	36571.50	5.00	36576.50	34442.14	5.00	34447.14	36995.23	5.00	37000.23
59. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएमबीएचआईएम)	585.00	...	585.00	4176.84	...	4176.84
60. <i>राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीआई)</i>												
60.01 सकल बजटीय सहायता से सहायता (जीबीएस)	0.46	...	0.46	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	45.00	...	45.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
61. आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)												
61.01 सकल बजटीय सहायता से सहायता (जीबीएस)	181.55	...	181.55
61.02 राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता	73.11	...	73.11
61.03 (पीएमएसएसएन) से सहायता	2425.91	...	2425.91	6400.00	...	6400.00	3199.00	...	3199.00	6412.00	...	6412.00
जोड़- आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)	2680.57	...	2680.57	6400.00	...	6400.00	3199.00	...	3199.00	6412.00	...	6412.00
62. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन)												
62.01 पीएमएसएसएन हेतु सहायता	25000.00	...	25000.00	21498.72	...	21498.72	23750.00	...	23750.00
62.02 पीएमएसएसएन से पूरी की गई राशि	-25000.00	...	-25000.00	-21498.72	...	-21498.72	-23750.00	...	-23750.00
निवल
63. भारतीय कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज (चरण-II) (डीबीएस) (सीएसएस)	12359.00	...	12359.00
64. वास्तविक वसूलियां	-191.90	...	-191.90
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	39569.16	...	39569.16	42972.50	5.00	42977.50	50586.14	5.00	50591.14	47629.07	5.00	47634.07
कुल जोड़	73982.34	3586.99	77569.33	68760.03	2508.74	71268.77	79107.61	3813.04	82920.65	77367.43	5632.57	83000.00
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. मंत्रिपरिषद	0.62	...	0.62	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
2. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2794.03	...	2794.03	2300.00	...	2300.00	2750.00	...	2750.00	2645.00	...	2645.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	2794.65	...	2794.65	2305.00	...	2305.00	2755.00	...	2755.00	2650.00	...	2650.00
सामाजिक सेवाएं												
3. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	26629.14	...	26629.14	27637.15	...	27637.15	27064.89	...	27064.89	30819.32	...	30819.32
4. परिवार कल्याण	1257.91	...	1257.91	999.58	...	999.58	860.68	...	860.68	1225.13	...	1225.13
5. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.10	...	0.10	0.06	...	0.06	0.10	...	0.10
6. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	192.87	...	192.87	228.87	...	228.87	229.38	...	229.38	244.06	...	244.06
7. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	...	3578.23	3578.23	...	2434.33	2434.33	...	3741.00	3741.00	...	5537.36	5537.36
8. परिवार कल्याण पर पूंजी परिव्यय	...	3.99	3.99	...	10.22	10.22	...	6.96	6.96	...	8.84	8.84

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
9. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	...	4.77	4.77	...	14.19	14.19	...	15.08	15.08	...	36.37	36.37
जोड़-सामाजिक सेवाएं	28079.92	3586.99	31666.91	28865.70	2458.74	31324.44	28155.01	3763.04	31918.05	32288.61	5582.57	37871.18
अन्य												
10. पूर्वोत्तर क्षेत्र	5414.40	...	5414.40	6431.44	...	6431.44	6229.73	...	6229.73
11. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	40923.73	...	40923.73	31074.43	...	31074.43	40649.07	...	40649.07	35052.55	...	35052.55
12. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	2184.04	...	2184.04	1100.50	...	1100.50	1117.09	...	1117.09	1146.54	...	1146.54
13. सहायता सामग्री और उपस्कर
14. पूर्वोत्तर क्षेत्रों के संबंध में पूंजीगत परिव्यय	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00
जोड़-अन्य	43107.77	...	43107.77	37589.33	50.00	37639.33	48197.60	50.00	48247.60	42428.82	50.00	42478.82
कुल जोड़	73982.34	3586.99	77569.33	68760.03	2508.74	71268.77	79107.61	3813.04	82920.65	77367.43	5632.57	83000.00

	बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश									
1. एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	...	159.54	159.54	...	43.34	43.34	...	437.22	437.22
2. एचएलएल मीडिया पार्क लिमिटेड	43.62	43.62
3. गोवा प्रतिजीवी और भेषज लिमिटेड	0.95	0.95	...	0.01	0.01
जोड़	...	159.54	159.54	...	87.91	87.91	...	437.23	437.23

1. **सचिवालय:** इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिवालय हेतु प्रावधान हैं।

2. **निर्देशन एवं प्रशासन:** यह चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संबंधी मामलों में तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा मॉनिटरिंग के लिए उत्तरदायी है व देश और विदेश में जैव चिकित्सीय सूचना को एकत्र करने, प्रसंस्कृत करने एवं उसकी आपूर्ति करने के लिए एक मुख्य स्थान के रूप में कार्य करता है।

3. **केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना:** यह सांसदों, भूतपूर्व-सांसदों, भूतपूर्व उप-राज्यपालों, भूतपूर्व उप-राष्ट्रपतियों, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवार के सदस्यों आदि के अलावा केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनभोगियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को व्यापक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत सुविधाओं में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी/सिद्ध औषधालयों/इकाइयों के नेटवर्क के जरिए बहिरंग रोगी परिचर्या शामिल है।

4. **सफदरजंग अस्पताल और वर्धमान महावीर चिकित्सा कॉलेज, नई दिल्ली:** यह केंद्र सरकार का एक अस्पताल है जो चिकित्सा परिचर्या प्रदान कर रहा है। यह अपने परिसर में निःशुल्क आयुर्वेदिक ओपीडी, होम्योपैथिक ओपीडी भी संचालित करता है। इस अस्पताल से संबद्ध एक चिकित्सा कॉलेज है जिसका नाम वर्धमान महावीर चिकित्सा कॉलेज है।

5. **डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और अटल बिहारी बाजपेयी इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल साइंस, नई दिल्ली,** : यह केंद्र सरकार का एक अस्पताल है जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सांसदों आदि के लिए नर्सिंग होम है। यह अस्पताल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के अंतर स्नातक विद्यार्थियों का प्रशिक्षण केंद्र भी है। इस अस्पताल द्वारा एक नर्सिंग स्कूल भी संचालित किया जा रहा है।

6. **लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली:** इसे महिलाओं को अंतर स्नातक एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए और महिलाओं एवं बच्चों को चिकित्सा परिचर्या प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। विद्यार्थियों को व्यापक व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस कॉलेज का एक संबद्ध अस्पताल अर्थात् श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल एवं कलावती सरन बाल चिकित्सालय भी हैं। यह नर्सिंग स्कूल भी संचालित करता है जहां नर्सिंग एवं मिडवाइफरी पाठ्यक्रम करवाए जाते हैं।

7. **कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली:** यह केवल बच्चों के रोगों के लिए अस्पताल है और इसका प्रबंधन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज द्वारा किया जाता है। यह बाल चिकित्सा विज्ञान, शल्य चिकित्सा, अस्थि रोग विज्ञान में सुविधाएं तथा बच्चों के लिए गहन परिचर्या सुविधाएं प्रदान करता है।

8. **अन्य अस्पताल / संस्थान:** इसमें चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों एवं संस्थानों के लिए स्थापना संबंधी व्यय हेतु व्यवस्था की गई है जैसे केंद्रीय मानसिक चिकित्सा संस्थान, रांची, अखिल भारतीय काय चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई, आरएके नर्सिंग कॉलेज, नई दिल्ली, केंद्रीय/क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, एपीएचओ सहित पतन स्वास्थ्य संगठन, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, बीसीजी वैक्सिन प्रयोगशाला, गिण्टी, चेन्नई, सीआरआई, कसौली, एआईआईएच एंड पीएच, कोलकाता, सीसीटीसी, सिंगूर, क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय, परिवार कल्याण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, बाम्बे, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़ आदि।

9. **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना:** इसे सस्ती/विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस योजना में पहले चरण में 6 एम्स जैसी संस्थान, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश में एक-एक संस्थान स्थापित करने की परिकल्पना की गई है; रायबरेली, गोरखपुर, मंगलागिरी, नागपुर, भटिंडा, बिबिनागा, कल्याणी, देवघर, बिलासपुर में नौ एम्स ओपीडी की सुविधा उपलब्ध है और एमबीबीएस कक्षाएं संचालित हैं। गुवाहाटी, राजकोट और जम्मू में तीन एम्स केवल एमबीबीएस कक्षाएं चल रही थीं। इसमें प्रथम चरण में 13 मौजूदा सरकारी चिकित्सा, कालेज संस्थाओं के उन्नयन की भी परिकल्पना की गई है। दूसरे चरण में 6 और तीसरे चरण में 39 पीएमएसएसवाई के इसके अलावा, प्रत्येक राज्य में

चरणबद्ध तरीके से एम्स स्थापित करने और पीएमएसएसवाई चरण IV के तहत 12 और सरकारी मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करने का भी प्रस्ताव है।

10. **राष्ट्रीय एड्स एवं यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम:** राष्ट्रीय एड्स एवं यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम की रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/नगर पालिका एड्स नियंत्रण सोसायटियों को अनुदान उपलब्ध कराए जाते हैं। इनमें (क) रोकथाम (i) उच्च जोखिम समूहों और संक्रमण संवाही आबादी के बीच लक्षित इंटरवेंशन, (ii) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियां, (iii) यौन प्रसारित संक्रमण एस्टीआई का उपचार, (iv) रक्त सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन, (v) माता-पिता से बच्चों में संचरण की रोकथाम सहित एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण सुविधाओं की व्यवस्था, (vi) संपर्क कार्यकर्ता योजना के माध्यम से ग्रामीण जन सम्पर्क, (ख) एचआईवी/एड्स से पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल, सहयोग एवं उपचार उपलब्ध कराने हेतु क्रियाकलाप, (ग) क्षमता निर्माण, तथा (घ) नीतिपरक सूचना प्रबंधन हेतु क्रियाकलाप सम्मिलित हैं।

11. **परिवार कल्याण योजनाएं:** इस स्कीम में स्वस्थ नागरिक अभियान (एसएनए), जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान अध्ययन, सामाजिक विपणन तथा निःशुल्क संवितरण हेतु गर्भनिरोधकों की खरीद, एनएसवी/रिकेनेलाइजेशन तकनीकों में डॉक्टरों के प्रशिक्षण आदि का प्रावधान है।

12. **एनसीडीसी शाखाओं की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण एवं स्वास्थ्य पहलें - जेनेटिक रोग तथा अन्य उष्ण कटिबंधीय रोगों के नियंत्रण तथा वायरल हेपेटाइटिस एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध निगरानी के लिए अंतर-क्षेत्रीय समन्वय:** इस स्कीम में जन स्वास्थ्य महत्व के संचारी/संक्रामक रोगों की रोकथाम तथा नियंत्रण और अन्य स्वास्थ्य पहलों के सुदृढ़ीकरण के क्षेत्र में जानकारी को बढ़ावा देने हेतु एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में संकल्पना की गई है। 2017-18 तक, मौजूदा योजनाओं को मजबूत करने और एनसीडीसी की 27 शाखाओं की स्थापना, जेनेटिक रोगों, वायरल हेपेटाइटिस और एंटी-माइक्रो रेसिस्टेंस की रोकथाम और नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण के समन्वय की अलग-अलग योजनाएं थीं, जिन्हें 2018-19 से एक योजना में समेकित कर दिया गया है।

13. **राष्ट्रीय औषधी सतर्कता कार्यक्रम:** केंद्रीय क्षेत्र के इस कार्यक्रम के तहत भारत में आम तौर पर लिखी जाने वाली औषधियों पर विपरीत औषधि प्रतिक्रिया (एडीआर) एकत्र की जाती है तथा देश में नई औषधियों की शुरुआत के पश्चात् उनकी क्षमता एवं सुरक्षा पर डाटा बेस के रख-रखाव की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

14. **परिचर्या सेवाओं का विकास:** इसमें केंद्रीय क्षेत्र की किसी चालू योजना के लिए प्रावधान किया जाता है। इस योजना का मुख्या उद्देश्य परिचर्या कर्मियों को परिचर्या शिक्षा, प्रशासन में उनके ज्ञान और कौशल को उन्नत करने के क्रम में नर्सों को प्रशिक्षण देना तथा नर्सिंग स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें नर्सिंग कालेज करने के लिए नर्सिंग स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना/ उनका उन्नयन करना है।

15. **स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी एवं प्रतिक्रिया तथा आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए मानव संसाधन विकास:** स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तत्पराता और प्रतिक्रिया और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए मानव संसाधन विकास:- यह योजना आपदाओं के स्वास्थ्य पहलुओं के प्रतिक्रिया हेतु मानव संसाधन में क्षमता निर्माण, अस्पतालों के लिए आपदा लचीलापन हेतु संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक पहल के संबंध में क्षमता निर्माण, जोखिम में कमी के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए जोखिम के बारे में जानकारी देने, संचार को संवर्धन करने और कमजोर राज्यों/जिलों में चिन्हित अस्पतालों में रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (सीबीआरएन) आपदाओं के चिकित्सा पहलुओं से निपटने के लिए विशेष क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है।

16. **राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम:** इस योजना का उद्देश्य अंग प्रत्यारोपण हेतु पात्र मामलों के लिए अंग की खरीद करने तथा उनके वितरण की प्रणाली तैयार करना है।

18. **कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज - जीवन बीमा योजना:** प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना : कोविड -19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों 50.00 लाख के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की बीमा योजना है जिसे 30.03.2020 से लागू किया गया है ताकि 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जा सके। इस योजना को समय-समय पर इस बढ़ाया किया गया है और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विस्तारित किया जा रहा है। यह योजना COVID-19 महामारी से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड-19 महामारी के कारण जिन स्वास्थ्य कर्मियों की आकस्मिक मृत्यु से सुरक्षा प्रदान करती थी।

19. **रक्त आधान सेवा:** इसमें देश में जिन स्वास्थ्य कर्मियों की 3700 से अधिक लाइसेंस प्राप्त रक्त केंद्र शामिल हैं, जिनमें से 1131 नाको समर्थित रक्त केंद्र अस्पताल आधारित या पृथक करने वाले हो सकते हैं। बीटीएस में - 26 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, 34 मॉडल रक्त केंद्र, 367 रक्त संघटक पृथक्करण इकाई (बीसीएसयू), 186 प्रमुख रक्त केंद्र 544 जिला स्तरीय रक्त बैंक (डीएलबीबी)

20. **राष्ट्रीय/राज्य रक्त आधान परिषद:** एनबीटीसी देश के लिए एक स्थायी और सुरक्षित रक्त आधान सेवा के संगठन, संचालन, मानकों और प्रशिक्षण से संबंधित सभी मामलों के लिए नीति तैयार करने वाला शीर्ष निकाय है, इसका गठन 1996 में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार आम चिंता बनाम भारत संघ के मामलों में वर्ष 1992 की रिट याचिका (सिविल) पर अपने फैसले में किया गया था।

21. **प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसरचना मिशन (पीएमएबीएचआईएम) (स्वास्थ्य):** प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसरचना मिशन (पीएम एबीएचआईएम) - यह माननीय प्रधान द्वारा घोषित स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कार्यान्वयन के लिए 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों में फैले कुछ केंद्रीय क्षेत्र के घटक के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरकार के उपायों की श्रृंखला के हिस्से के रूप में, इसमें पीएम एबीएचआईएम के तहत उपायों में स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार करने के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक सभी स्तरों पर देखभाल की निरंतरता में स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वर्तमान और भविष्य की महामारियों/आपदाओं का प्रभावी ढंग से मुकाबला करना।

24. **राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन -एनएचएम:** इसमें राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी प्रणाली का सृजन करने हेतु व्यवस्था दी गई है, जो प्रभावशाली, सर्वसुलभ, समावेशी, वहनीय, समयबद्ध रूप से और सुरक्षित तरीके से डाटा के विस्तृत रैंज, सूचना और अवसरचना सेवाओं के प्रावधान, यथा खुले, अंतर प्रचालनीय, मानकों पर आधारित डिजिटल प्रणालियों का उपयोग कर और स्वास्थ्य संबंधी व्यक्तिगत सूचना की गोपनीयता और निजता सुनिश्चित करता है।

25. **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण:** इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई है जिसका उद्देश्य खाद्य सामग्रियों के लिए वैज्ञानिक मानक निर्धारित करना और उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करना तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्द्धक खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

26. **भारतीय भेषज संग्रह आयोग:** यह भारतीय भेषज संग्रह और उसका परिशिष्टक प्रकाशित करने, भारतीय भेषज संग्रह संदर्भ पदार्थ (आईपीआरएस) और अशुद्धता मानक तैयार करने तथा उन्हें वैध करने और औषधि विश्लेषक, औषधि निरीक्षकों तथा स्टैकहोल्डरों आदि का कौशल विकास का कार्य करता है।

27. **भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद:** यह एक सांविधिक निकाय है जिसे भारत में चिकित्सा शिक्षा के उच्च मानदंड स्थापित करने और बनाए रखने तथा चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता प्रदान करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। यह भारत में प्रैक्टिस करने के लिए भारत में डॉक्टरों को पंजीकृत करती है ताकि आयुर्विज्ञान की प्रैक्टिस में समुचित मानक सुनिश्चित करके जनमानस के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा की जा सके एवं इन्हें प्रोत्साहन दिया जा सके।

28. **भारतीय दंत चिकित्सा परिषद:** यह पूरे भारत में दंत चिकित्सा, शिक्षा तथा दंत चिकित्सा विज्ञान के व्यवसाय को विनियमित करने हेतु संसद के अधिनियम अर्थात दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का XVI) के अंतर्गत समावेशित एक सांविधिक निकाय है।

29. **भारतीय फॉर्मसी परिषद:** यह स्नातक स्तर तक फार्मसी शिक्षा तथा व्यवसाय को विनियमित करने हेतु एवं फॉर्मसिस्ट के रूप में अर्हक होने के लिए अपेक्षित शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करने हेतु एक शासी सांविधिक निकाय है।

30. **भारतीय उपचर्या परिषद:** यह नर्सों, नर्सधात्रियों और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण के एकसमान मानदंड स्थापित करने के लिए भारतीय उपचर्या परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 3(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है।

31. **राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी:** यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 का XXI के अंतर्गत गठित एक ऐसी उत्कृष्ट संस्थान है जो चिकित्सा और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने संसाधनों के रूप में शैक्षणिक उत्कृष्टता को संपोषित और उपयोग करता है।

32. **राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड:** यह आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में देश में अपनी ही तरह का एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय है जिसका मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्नातकोत्तर परीक्षाओं के मानदंड स्थापित करके तथा उनके स्तर को उत्कृष्ट करके चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता का उन्नयन करना है।

33. **अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान:** इसकी स्थापना वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक शीर्ष संस्थान के रूप में की गई है जिसका उद्देश्य आयुर्विज्ञान सेवाओं के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग और अनुसंधान संचालित करना है। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र इससे संबद्ध है।

34. **स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़:** इस संस्थान की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में की गई थी। इसके कार्य भी एम्स, नई दिल्ली के कार्यों के समान ही हैं, किन्तु इसकी स्थापना स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए की गई है। यह संस्थान पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है और आयुर्विज्ञान शिक्षा, अनुसंधान तथा विशेष अस्पताल सेवाओं का केंद्र है।

35. **जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी:** यह संस्थान शिक्षा में नवोन्मेष, रोगी उन्मुख विशेष अनुसंधान, जनसमुदाय स्वास्थ्य एवं सेवा उत्कृष्टता द्वारा भारत में स्वास्थ्य प्रणाली में आदर्श स्वास्थ्य प्रणाली करना चाहता है। उसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों के माध्यम से दया, नैतिकता से परिपूर्ण स्वास्थ्य पेशेवर को विकसित करना तथा स्वास्थ्य उपचार के क्षेत्र में सर्वोच्च स्तर की सेवा प्रदान करना है।

36. **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलुरु:** यह मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में सेवाएं एवं प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है और अनुसंधान कार्य कर रहा है। यह संस्थान एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है और मेडिकल तथा पैरामेडिकल क्षेत्र में डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करता है।

37. **इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग:** इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1987 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी लोगों को अन्य बातों के साथ-साथ विशेष चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने तथा प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मी तैयार करने के उद्देश्य से की गई थी।

38. **क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल:** यह इम्फाल में स्थापित एक मेडिकल संस्थान है जिसमें 1074 बिस्तरों का अस्पताल है और जो आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है तथा जहां 100 एमबीबीएस, 50 बीडीएस, 50 बीएससी नर्सिंग और 147 स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा सीटों की दाखिला क्षमता के साथ शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। 7 पूर्वोत्तर राज्यों (असम को छोड़कर) और संपूर्ण भारत से छात्र स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किए जाते हैं।

39. **क्षेत्रीय पराचिकित्सा एवं परिचर्चा विज्ञान संस्थान, आईजोल:** इस संस्थान को मौजूदा 5 डिग्री पाठ्यक्रमों के अलावा विभिन्न पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु आवश्यक उपाय किए जाने के लिए 9वें आरआईपीएस (क्षेत्रीय पैरा-मेडिकल विज्ञान संस्थान) के रूप में अभिचिह्नित किया गया है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र को नर्सिंग, फार्मसी और पैरा-मेडिकल विज्ञान में शिक्षा उपलब्ध कराना है।

40. **लोकप्रिय गोपीनाथ बोरंदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर:** यह पूर्वोत्तर में प्रमुख उच्च स्तरीय मनोचिकित्सा देखभाल संस्थान है। यह संस्थान देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी मरीजों की जरूरत को पूरा करता है। मरीज देखभाल सेवाओं के अलावा इस संस्थान ने शैक्षणिक क्षेत्र में भी क्रिया-कलापों का विस्तार किया है।

41. **अन्य स्वायत्त निकाय:** इसमें विभिन्न स्वायत्तशासी निकायों अर्थात् लाला राम स्वरूप क्षय रोग एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली, बल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टिट्यूट, दिल्ली विश्वविद्यालय, कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसायटी, वर्धा, सीएनसीआई, कोलकाता, अखिल भारतीय वाक् एवं श्रवण संस्थान, मैसूर, राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा, भारतीय पाश्चर संस्थान, कुन्नूर, एनआईएचएफडब्ल्यू, नई दिल्ली, आईआईपीएस, मुंबई आदि के लिए प्रावधान किया गया है।

42. **सीजीएचएस पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सीय उपचार (पीओआरबी):** इसके तहत सीजीएचएस पेंशनभोगियों के अस्पताल में भर्ती होने पर किये जाने वाले व्यय का प्रावधान किया गया है।

43. **भारत और विदेश में सामग्री की खरीद:** इसके तहत सरकारी अस्पतालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए चिकित्सा भंडार संगठन द्वारा औषधी, दवाईयों एवं उपकरणों की खरीद का प्रावधान किया गया है।

44. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** इसमें स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के क्षेत्र में कार्य करने वाले, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे, विश्व स्वास्थ्य संगठन, रेड क्रॉस सोसायटी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समिति को दिया जाने वाला भारत सरकार का अंशदान तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलनों पर अन्य व्यय का प्रावधान है।

45. **अन्य विविध व्यय:** इसमें विविध गैर-स्कीम संबंधी व्यय अर्थात् सार्वजनिक स्थानों पर दुर्घटनाओं, चोट या मृत्यु के कारण पीड़ितों या उनके परिवारों को मुआवजा, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम केंद्र, स्वास्थ्य मंत्री का विवेकाधीन अनुदान, हज यात्रियों के टीकाकरण के लिए वैक्सिनों की खरीद, राष्ट्रीय आरोग्य निधि आदि का प्रावधान है।

52. **आरसीएच और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए फ्लेक्सिबल पूल:** यह विशेष रूप से कमजोर वर्गों और समुदाय आधारित निगरानी और मूल्यांकन से संबंधित परिणामों पर ध्यान देने के साथ राज्य और जिला स्तरीय परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के विकास सहित राज्यों द्वारा विकेन्द्रीकृत योजना और लचीली प्रोग्रामिंग का समर्थन करने के लिए राज्य को हस्तांतरित करता है। मिशन के तहत गतिविधियों में ग्रामीण आबादी की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा किया है, जिसमें वेक्टर जनित रोगों, टीबी और कुष्ठ आदि का नियंत्रण शामिल है, इसमें शहरी आबादी की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य में स्थानांतरण भी शामिल है, जिसमें शहरी गरीब और समाज के कमजोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप मिशन के रूप में शुरू की गई है।

53. **अवसंरचना रखरखाव:** इसमें योजना की वेतन आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्यों को सहायता उपलब्ध करायी जाती है, अर्थात् निर्देश और प्रशासन (राज्य और जिला स्तर पर परिवार कल्याण ब्यूरो), उप-केंद्र, शहरी परिवार कल्याण केंद्र, शहरी सुधार योजना (स्वास्थ्य पद), सहायक और नर्सिंग मिडवाइफ (एएनएम) और महिला स्वास्थ्य आगंतुक (एलएचवी) प्रशिक्षण स्कूल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र और बहुउद्देश्यीय श्रमिकों (पुरुष) का प्रशिक्षण। यह व्यवस्था जारी रहेगी। हालाँकि, इस घटक के तहत किसी भी नए स्वास्थ्य उप-केंद्र (एसएचसी) या स्वास्थ्य पदों का समर्थन केवल भारत सरकार के अनुमोदन से किया जाएगा।

54. **एनआरएचएम को सुदृढ़ बनाने हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन:** इसमें राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन सहायता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र, परिचालन अनुसंधान, अन्य संस्थानों से तकनीकी सहायता का प्रावधान किया गया है।

55. **राज्य औषध विनियामकी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण:** इसमें देश में औषध नियामक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्र को वित्तीय सहायता मुहैया की जाती है।

56. **तृतीयक परिचर्या कार्यक्रम:** इसमें तृतीयक परिचर्या कार्यक्रम/स्कीमों अर्थात् तंबाकू नियंत्रण, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, अभिघात केंद्र हेतु क्षमता निर्माण संबंधी सहायता, राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग एवं आघात निवारण तथा नियंत्रण कार्यक्रम, वृद्धावस्था स्वास्थ्य परिचर्या, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं टेलीमेडिसन कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को अंतरण का प्रावधान है।

57. **स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन:** इसमें विधानमंडल वाले राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को नए चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना (जिला अस्पतालों को उन्नत बनाकर), उपचर्या सेवाओं, फार्मसी स्कूलों/कॉलेजों, परा-चिकित्सा संस्थानों का उन्नयन/ सुदृढ़ीकरण तथा मौजूदा चिकित्सा कॉलेजों में स्नातक-पूर्व एवं स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि संबंधी प्रावधान के लिए अंतरण की व्यवस्था है।

58. **वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना:** वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (एससीएचआईएस) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का विस्तार था जोकि आरएसबीवाई तथा एससीएचआईएस को पीएमजेवाई योजना में समेकित करते हुए आयुष्मान भारत -प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेवाई) के नाम में एक नई योजना शुरू करके दिनांक 01.04.2016 से कार्यान्वित की गई थी। यह योजना 60 वर्ष तथा उसके ऊपर की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कवर करती है जोकि आरएसबीवाई के अंतर्गत पहले से ही कवर थे। इसमें बीपीएल तथा असंगठित कामगारों की 11 अन्य निर्धारित श्रेणियों से संबद्ध रखने वाले वरिष्ठ नागरिकों को कवर किया जा सका।

59. **प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसरचना मिशन (पीएमएबीएचआईएम):** यह माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कार्यान्वयन के लिए 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों में फैले कुछ, केंद्रीय क्षेत्र के घटक के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरकार के उपायों की श्रृंखला के हिस्से के रूप में, पीएम एबीएचआईएम के तहत उपायों में स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार करने के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक सभी स्तरों पर देखभाल की निरंतरता में स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वर्तमान और भविष्य की महामारियों/आपदाओं का प्रभावी ढंग से मुकाबला करना।

60. **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना:** इस योजना को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेवाई) में समेकित कर दिया गया है। पूर्वदायित्वों को पूरा करने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

61. **आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेवाई):** यह भारत के पैलबद्ध चिकित्सालयों में फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार रू. 5.00 लाख का कैशरहित और पेपर रहित लाभ पहुंचाती है। इस समय ए बी पी एम जे ए वाई 10.79 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है (लगभग भारत की 50 प्रतिशत जनसंख्या कवर होती है)।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 47

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3124.59	...	3124.59	2663.00	...	2663.00	3080.00	...	3080.00	3200.65	...	3200.65
वसूलियां
प्राप्तियां
निवल	3124.59	...	3124.59	2663.00	...	2663.00	3080.00	...	3080.00	3200.65	...	3200.65

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

केंद्र का व्यय

केन्द्र का स्थापना व्यय

1. सचिवालय

28.77	...	28.77	45.00	...	45.00	39.00	...	39.00	48.00	...	48.00
-------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-------

केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम/परियोजनाएं

स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए अवसंरचना विकास

- महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए प्रयोगशालाओं के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क की स्थापना
- स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास
- महामारियों के फैलने को रोकने के लिए उपकरणों के विकास के लिए सहायता

81.90	...	81.90	82.00	...	82.00	79.20	...	79.20	82.00	...	82.00
64.19	...	64.19	80.00	...	80.00	69.00	...	69.00	80.00	...	80.00
12.26	...	12.26	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00

जोड़-स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए अवसंरचना विकास

- मानव संसाधन तथा क्षमता विकास
- कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज-ईएपी
- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)- जैव सुरक्षा तैयारी और महामारी

158.35	...	158.35	177.00	...	177.00	163.20	...	163.20	177.00	...	177.00
50.68	...	50.68	83.00	...	83.00	78.45	...	78.45	87.65	...	87.65
1275.00	...	1275.00	526.28	...	526.28
...	140.00	...	140.00	690.00	...	690.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अनुसंधान का सुदृढीकरण और विविध क्षेत्र एवं एकल स्वास्थ्य हेतु राष्ट्रीय संस्था व प्लेटफार्म												
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	1484.03	...	1484.03	260.00	...	260.00	907.93	...	907.93	954.65	...	954.65
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
8. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद; नई दिल्ली	1611.79	...	1611.79	2358.00	...	2358.00	2133.07	...	2133.07	2198.00	...	2198.00
कुल जोड़	3124.59	...	3124.59	2663.00	...	2663.00	3080.00	...	3080.00	3200.65	...	3200.65
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	3095.82	...	3095.82	2514.00	...	2514.00	2951.74	...	2951.74	3048.65	...	3048.65
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	28.77	...	28.77	45.00	...	45.00	39.00	...	39.00	48.00	...	48.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	3124.59	...	3124.59	2559.00	...	2559.00	2990.74	...	2990.74	3096.65	...	3096.65
अन्य												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	104.00	...	104.00	89.26	...	89.26	104.00	...	104.00
जोड़-अन्य	104.00	...	104.00	89.26	...	89.26	104.00	...	104.00
कुल जोड़	3124.59	...	3124.59	2663.00	...	2663.00	3080.00	...	3080.00	3200.65	...	3200.65

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए प्रयोगशालाओं के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क की स्थापना:** इस योजना का उद्देश्य वायरल महामारी के समय पर निदान और प्रबंधन तथा उत्पन्न और पुनःउत्पन्न होने वाले वायरल संक्रमण के लिए समय पर निदान सुनिश्चित करना है।

3. **स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास:** इस योजना में राजकीय चिकित्सा कॉलेजों में बहु-विषयक अनुसंधान इकाइयों और राज्यों में मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाइयों की स्थापना करने की व्यवस्था की गई है।

4. **महामारियों के फैलने को रोकने के लिए उपकरणों का विकास सहायता :** यह प्रावधान प्रकोपों / महामारी के फैलाव के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए महामारियों के प्रकोपों को रोकने के लिए उपकरणों को विकसित करने के सहायता लिए है।

5. **मानव संसाधन तथा क्षमता विकास:** यह प्रावधान (i) स्वास्थ्य अनुसंधान के मानव संसाधन विकास की योजना के तहत स्वास्थ्य अनुसंधान में प्रशिक्षण के लिए अध्येतावृत्ति; (ii) स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन सहित स्वास्थ्य अनुसंधान और प्रशासनिक मामलों के लिए अंतर-क्षेत्रीय समेकन के लिए सहायता योजना में अनुदान और (iii) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से संबंधित कार्य सहित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करने के लिए है।

6. **कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज-ईएपी:** यह प्रावधान कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया के अंतर्गत आईसीएमआर द्वारा परीक्षण किट, उपकरण, रीजेन्ट्स आदि की खरीद के लिए है।

7. प्रधानमंत्री आयुषमान भारत स्वास्थ्य अवसरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)- जैव सुरक्षा तैयारी और सुदृढ़ीकरण महामारी अनुसंधान का सुदृढ़ीकरण और विविध क्षेत्र एवं एकल स्वास्थ्य हेतु राष्ट्रीय संस्था व प्लेटफार्म: जैव सुरक्षा तत्परता और महामारी अनुसंधान और बहु क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थानों और एकल स्वास्थ्य मंच को सुदृढ़ करने के लिए पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत स्वास्थ्य अनुसंधान घटकों का कार्यान्वयन।

8. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद; नई दिल्ली: भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, बायोमैडिकल और स्वास्थ्य अनुसंधान के संवर्धन, समन्वय के लिए देश का एक शीर्ष निकाय है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य, पोषण, असंचारी रोग और मौलिक अनुसंधान में शोध हेतु परिषद को अनुदान प्रदान करती है। परिषद द्वारा जनजातीय स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा और सूचना के प्रकाशन तथा प्रसार के संबंध में भी शोध कार्य किया जाता है।

भारी उद्योग मंत्रालय
मांग संख्या 48
भारी उद्योग विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	584.99	311.56	896.55	927.85	67.42	995.27	1053.95	127.05	1181.00	3213.79	92.21	3306.00
वसूलियां	-29.65	...	-29.65
प्राप्तियां
निवल	555.34	311.56	866.90	927.85	67.42	995.27	1053.95	127.05	1181.00	3213.79	92.21	3306.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	32.39	...	32.39	41.09	...	41.09	30.68	...	30.68	32.93	...	32.93
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों/परियोजनाएं												
ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास												
2. नेशनल ऑटोमोटिव परीक्षण तथा अनुसंधान और विकास अवसरचना परियोजना (नैट्रिप)	...	114.30	114.30	...	67.22	67.22
3. भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण हेतु योजना-(फेम इंडिया)	318.35	...	318.35	756.66	...	756.66	800.00	...	800.00	2908.28	...	2908.28
4. आटोमोबाइल और एलाइड उद्योगों के लिए विकास परिषद	13.51	...	13.51	15.00	...	15.00	5.00	17.00	22.00	5.00	23.62	28.62
5. ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए उत्पादन सम्बंध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम	3.50	...	3.50	3.00	...	3.00
6. राष्ट्रीय उन्नत रसायन प्रकोष्ठ (एसीसी) बैटरी भंडारण के लिए उत्पादन सम्बंध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम	0.50	...	0.50	3.00	...	3.00
जोड़-ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास	331.86	114.30	446.16	771.66	67.22	838.88	809.00	17.00	826.00	2919.28	23.62	2942.90
पूंजीगत वस्तु क्षेत्रों का विकास												

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
7. भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की वृद्धि	54.22	...	54.22	97.59	...	97.59	29.00	...	29.00	200.00	...	200.00
8. संवर्धनात्मक कार्यक्रम आरंभ करने के लिए उद्योग संघ और सार्वजनिक उपक्रम	0.05	...	0.05	0.50	...	0.50	0.05	...	0.05	0.25	...	0.25
जोड़-पूंजीगत वस्तु क्षेत्रों का विकास	54.27	...	54.27	98.09	...	98.09	29.05	...	29.05	200.25	...	200.25
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों/परियोजनाएं	386.13	114.30	500.43	869.75	67.22	936.97	838.05	17.00	855.05	3119.53	23.62	3143.15
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
9. केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई)	18.00	...	18.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	24.00	...	24.00
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
10. सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों को सहायता	148.47	197.26	345.73	2.01	0.20	2.21	170.22	110.05	280.27	37.33	68.59	105.92
अन्य												
11. वास्तविक वसूली	-29.65	...	-29.65
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	136.82	197.26	334.08	17.01	0.20	17.21	185.22	110.05	295.27	61.33	68.59	129.92
कुल जोड़	555.34	311.56	866.90	927.85	67.42	995.27	1053.95	127.05	1181.00	3213.79	92.21	3306.00
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	522.95	...	522.95	886.76	...	886.76	1023.27	...	1023.27	3180.86	...	3180.86
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	32.39	...	32.39	41.09	...	41.09	30.68	...	30.68	32.93	...	32.93
3. अभियांत्रिक उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	0.05	0.05	0.05	0.05
4. उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	92.95	92.95	...	0.02	0.02	...	78.41	78.41	...	44.30	44.30
5. सीमेंट और अधातु खनिज उद्योगों के लिए ऋण	0.01	0.01	0.01	0.01
6. अभियांत्रिक उद्योगों के लिए ऋण	...	155.30	155.30	...	67.30	67.30	...	17.00	17.00	...	47.81	47.81
7. उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	...	63.31	63.31	...	0.04	0.04	...	31.64	31.64	...	0.04	0.04
जोड़-आर्थिक सेवाएं	555.34	311.56	866.90	927.85	67.42	995.27	1053.95	127.05	1181.00	3213.79	92.21	3306.00
कुल जोड़	555.34	311.56	866.90	927.85	67.42	995.27	1053.95	127.05	1181.00	3213.79	92.21	3306.00

										(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आईडीबीआर	जोड़	बजट सहायता	आईडीबीआर	जोड़	बजट सहायता	आईडीबीआर	जोड़	बजट सहायता	आईडीबीआर.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यमों में निवेश												
1. भारत हेवी एलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	...	188.00	188.00	...	252.00	252.00	...	226.00	226.00	...	223.00	223.00
2. हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
3. स्कटर इंडिया लिमिटेड	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
4. एचएमटी लिमिटेड	...	2.29	2.29	0.01	26.20	26.21	...	6.71	6.71	0.01	25.20	25.21
5. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
6. एण्ड्रयू यूएल एण्ड कंपनी लिमिटेड	...	12.87	12.87	...	23.00	23.00	...	20.31	20.31	...	23.50	23.50
7. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड	...	1.01	1.01	...	3.00	3.00	...	2.50	2.50	...	2.25	2.25
8. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	...	0.13	0.13
9. ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड	...	6.38	6.38	...	25.00	25.00	...	3.00	3.00	...	5.00	5.00
10. रिचर्डसन एंड कूडास लिमिटेड	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
11. ब्रेथवेट बर्न जेसोप कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	...	0.72	0.72	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
12. नेपा लिमिटेड	92.95	...	92.95	0.01	...	0.01	78.41	...	78.41	44.29	...	44.29
13. हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
14. सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	...	11.71	11.71	...	47.75	47.75	...	28.31	28.31	...	57.89	57.89
जोड़	92.95	223.11	316.06	0.07	377.95	378.02	78.41	287.83	366.24	44.35	337.84	382.19

1. **सचिवालय:** इसमें भारी उद्योग विभाग के सचिवालय व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान है।

3. **भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से स्वीकार करने और विनिर्माण हेतु योजना-(फेम इंडिया):** इस योजना के माध्यम से लोगों को स्वच्छ परिवहन साधन उपलब्ध कराने हेतु जैविक ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (एनईएमएमपी) 2020 के तहत देश में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड परिवहन को बढ़ाना देने की एक पहल इस विभाग ने प्रारंभ की है। इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान रखा गया है।

4. **आटोमोबाइल और एलाइड उद्योगों के लिए विकास परिषद:** डीसीएआई-प्रावधान को यूएनआईडीओ-एसीएमए-डीएचआई परियोजना पर होने वाले खर्च के लिए अनुदान के रूप में और संस्थानों/संगठनों को विभिन्न आर एंड डी परियोजनाओं के लिए (प्रतिबद्ध दायित्व के रूप में) रखा गया है।

एनएबी/नैट्रिप- एनएबी के माध्यम से वितरित किए जाने वाले ऋणों के शेष भाग के अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एनएटीआरआईपी परियोजना को निर्बाध और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रावधान किया गया है।

5. **ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए उत्पादन सम्बन्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम:** उन्नत ऑटोमोटिव उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना है। ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए पीएलआई योजना में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में लागत की अक्षमताओं पर काबू पाना, व्यापक मितव्ययी योजना तैयार करना और उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के क्षेत्रों में एक सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना शामिल है। इससे रोजगार भी पैदा होगा। यह योजना ऑटोमोबाइल उद्योग को मूल्य श्रृंखला को उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों में स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करेगी। यह योजना आयात निर्भरता को कम करेगी और आत्मनिर्भर भारत पहल में सहायक होगी।

6. **राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण के लिए उत्पादन सम्बन्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम:** एसीसी बैटरी के लिए पीएलआई योजना देश में प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी सेट-अप स्थापित करने के लिए बड़े घरेलू और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना करती है। एसीसी उन्नत भंडारण प्रौद्योगिकियों की नई पीढ़ी है जो विद्युत ऊर्जा को या तो विद्युत रासायनिक या रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहीत कर सकती है और आवश्यकता पड़ने पर इसे वापस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है। इस योजना के माध्यम से, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, उन्नत बिजली ग्रिड, सोलर रूफटॉप आदि जैसे प्रमुख बैटरी खपत वाले क्षेत्रों में आने वाले वर्षों में अत्यधिक वृद्धि हासिल करने की उम्मीद है। यह योजना आयात निर्भरता को कम करेगी और आत्मनिर्भर भारत पहल में सहायक होगी।

7. **भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की वृद्धि:** इस योजना का उद्देश्य देश में औद्योगिक आधार को विकसित करने के लिए विभाग की बड़ी स्थायी प्रतिबद्धता के भाग के रूप में भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। इस योजना के तहत, उद्योगों को कौशल और प्रौद्योगिकी सहयोग प्रदान करने के लिए आधुनिक साइजा सुविधा केन्द्रों और सेक्टर विशिष्ट औद्योगिक क्लस्टर पार्कों की स्थापना की जाएगी।

8. **उद्योग संघों और सार्वजनिक उपक्रमों के उन्नयन संबंधी गतिविधियाँ:** औद्योगिक संघों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को संवर्धनात्मक कार्यकलाप करने के लिए प्रावधान किया गया है।

9. **केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान:** सीएमटीआई एक अनुसंधान एवं विकास संगठन है जो व्यावहारिक प्रयोजनों तथा देश में प्रौद्योगिकी की वृद्धि में मदद करने के लिए अपने प्रयास मुख्य रूप से विनिर्माण प्रौद्योगिकी सेक्टर में ज्ञान अर्जित करने पर केन्द्रित करता है। संस्थान के कर्मचारियों के वेतन के आंशिक भुगतान के लिए प्रावधान रखा गया है।

10. **सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों को सहायता:** सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों को दी गई बजटीय सहायता में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल) को अनुदान और उसमें निवेश: एचएसएल के पूर्व कर्मचारियों की पेंशन देयताओं को पूरा करने के लिए और इसके नमक उत्पादन में वृद्धि करने तथा मशीनरी और अवसंरचना आदि के आधुनिकीकरण हेतु प्रावधान किया गया है।

गृह मंत्रालय
मांग संख्या 49
गृह मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3585.40	275.28	3860.68	7333.41	286.99	7620.40	4237.96	320.65	4558.61	7384.62	236.38	7621.00
वसूलियां	-4.96	...	-4.96
प्राप्तियां
निवल	3580.44	275.28	3855.72	7333.41	286.99	7620.40	4237.96	320.65	4558.61	7384.62	236.38	7621.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	495.09	14.89	509.98	652.28	63.62	715.90	580.29	43.62	623.91	666.66	34.32	700.98
2. राजभाषा	60.27	...	60.27	84.94	...	84.94	80.10	...	80.10	88.09	...	88.09
3. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ)	952.27	77.40	1029.67	1138.09	71.32	1209.41	1219.28	94.03	1313.31	1262.56	73.02	1335.58
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	1507.63	92.29	1599.92	1875.31	134.94	2010.25	1879.67	137.65	2017.32	2017.31	107.34	2124.65
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम/परियोजनाएं												
4. प्रवासियों और प्रत्यायवासियों को राहत और पुनर्वास	303.76	...	303.76	241.20	...	241.20	399.19	...	399.19	299.76	...	299.76
5. स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन एवं अन्य लाभ	660.59	...	660.59	775.31	...	775.31	728.41	...	728.41	688.14	...	688.14
6. हेलिकाप्टर सेवाएं												
6.01 पूर्वोत्तर क्षेत्र	72.50	...	72.50	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
6.02 लद्दाख	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
6.03 जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश	0.27	...	0.27	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00
जोड़- हेलिकाप्टर सेवाएं	72.77	...	72.77	116.00	...	116.00	116.00	...	116.00	116.00	...	116.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
आपदा प्रबंधन												
7. आपदा प्रबंधन अवसंरचना	...	105.55	105.55	...	72.05	72.05	...	128.00	128.00	...	86.04	86.04
8. राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना	75.80	...	75.80	296.27	...	296.27	185.12	...	185.12	300.00	...	300.00
9. अन्य आपदा प्रबंधन योजनाएं	113.30	...	113.30	113.29	...	113.29	238.69	...	238.69	106.74	...	106.74
जोड़-आपदा प्रबंधन	189.10	105.55	294.65	409.56	72.05	481.61	423.81	128.00	551.81	406.74	86.04	492.78
10. नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम और मीडिया योजना	19.45	...	19.45	27.00	...	27.00	24.00	...	24.00	25.00	...	25.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों/परियोजनाएं	1245.67	105.55	1351.22	1569.07	72.05	1641.12	1691.41	128.00	1819.41	1535.64	86.04	1621.68
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
11. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)	47.36	...	47.36	62.33	...	62.33	62.33	...	62.33	75.61	...	75.61
अन्य												
12. जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी/भारत का महारजिस्ट्रार	634.70	77.44	712.14	3688.28	80.00	3768.28	464.80	55.00	519.80	3633.00	43.00	3676.00
13. अन्य केंद्रीय विविध व्यय	37.06	...	37.06	90.39	...	90.39	88.24	...	88.24	94.04	...	94.04
14. वास्तविक वसूलियां	-2.31	...	-2.31
जोड़-अन्य	669.45	77.44	746.89	3778.67	80.00	3858.67	553.04	55.00	608.04	3727.04	43.00	3770.04
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	716.81	77.44	794.25	3841.00	80.00	3921.00	615.37	55.00	670.37	3802.65	43.00	3845.65
राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
15. होम गार्ड	82.00	...	82.00	0.02	...	0.02	3.51	...	3.51	0.02	...	0.02
16. नागरिक रक्षा	8.33	...	8.33	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00
17. केंद्रीय अधिनियमों के अभिशासन के लिए राज्य सरकारों को भुगतान	20.00	...	20.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	20.00	...	20.00
18. उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए स्वायत्त परिषद को अनुदान	0.01	...	0.01	1.00	...	1.00
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	110.33	...	110.33	48.03	...	48.03	51.51	...	51.51	29.02	...	29.02
कुल जोड़	3580.44	275.28	3855.72	7333.41	286.99	7620.40	4237.96	320.65	4558.61	7384.62	236.38	7621.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. मंत्रिपरिषद	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
2. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	431.05	...	431.05	560.91	...	560.91	498.87	...	498.87	564.65	...	564.65
3. जेल	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.25	...	1.25	1.51	...	1.51
4. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	175.62	...	175.62	236.84	...	236.84	258.41	...	258.41	256.06	...	256.06
5. विविध सामान्य सेवाएं	0.02	...	0.02	0.09	...	0.09	0.09	...	0.09	0.04	...	0.04
6. लोक निर्माण कार्यों के संबंध में पूंजीगत परिव्यय	...	14.20	14.20	...	39.00	39.00	...	20.00	20.00	...	10.00	10.00
7. अन्य प्रशासनिक सेवाओं के संबंध में पूंजीगत परिव्यय	...	67.04	67.04	...	72.42	72.42	...	62.42	62.42	...	48.02	48.02
जोड़-सामान्य सेवाएं	607.69	81.24	688.93	799.84	111.42	911.26	759.62	82.42	842.04	823.26	58.02	881.28
सामाजिक सेवाएं												
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	764.13	...	764.13	827.45	...	827.45	825.55	...	825.55	726.29	...	726.29
9. प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	1095.88	...	1095.88	1364.92	...	1364.92	1538.03	...	1538.03	1511.93	...	1511.93
10. अन्य सामाजिक सेवाएं	0.19	...	0.19	0.30	...	0.30	0.12	...	0.12
11. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	183.04	183.04	...	145.57	145.57	...	223.23	223.23	...	160.36	160.36
जोड़-सामाजिक सेवाएं	1860.01	183.04	2043.05	2192.56	145.57	2338.13	2363.88	223.23	2587.11	2238.34	160.36	2398.70
आर्थिक सेवाएं												
12. नागर विमानन	72.50	...	72.50	105.00	...	105.00	105.00	...	105.00	105.00	...	105.00
13. जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	634.70	...	634.70	3488.28	...	3488.28	464.79	...	464.79	3433.00	...	3433.00
14. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	11.00	11.00	...	30.00	30.00	...	15.00	15.00	...	18.00	18.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	707.20	11.00	718.20	3593.28	30.00	3623.28	569.79	15.00	584.79	3538.00	18.00	3556.00
अन्य												
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र	200.00	...	200.00	0.01	...	0.01	200.00	...	200.00
16. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	404.54	...	404.54	537.09	...	537.09	534.56	...	534.56	574.66	...	574.66
17. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	1.00	...	1.00	10.64	...	10.64	10.10	...	10.10	10.36	...	10.36

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-अन्य	405.54	...	405.54	747.73	...	747.73	544.67	...	544.67	785.02	...	785.02
कुल जोड़	3580.44	275.28	3855.72	7333.41	286.99	7620.40	4237.96	320.65	4558.61	7384.62	236.38	7621.00

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान, भुगतान एवं लेखा सचिवालय, राष्ट्रीय सिविल सुरक्षा महाविद्यालय, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागरिक सुरक्षा महानिदेशक, अंतर-राज्य परिषद सचिवालय तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले विभिन्न विभागों के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।

2. **राजभाषा:** इसमें केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों आदि पर होने वाला व्यय शामिल है।

3. **राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ):** यह प्रावधान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के प्रशासनिक व्ययों तथा स्थापना लागत को वहन करने के लिए है। पूंजीगत भाग के अंतर्गत प्रावधान मशीन एवं उपकरणों तथा मोटर वाहनों की खरीद के लिए है।

4. **प्रवासियों और प्रत्यावासियों को राहत और पुनर्वास:** यह प्रावधान (i) श्रीलंका से आए तथा शिविरों में रह रहे शरणार्थियों के पुनर्वास (ii) तिब्बत तथा भूतपूर्व पश्चिमी एवं पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों पर व्यय (iii) त्रिपुरा, असम एवं मिजोरम के पूर्वोत्तर राज्यों को राहत एवं पुनर्वास सहायता (iv) 1984 के दंगा पीड़ितों को बढ़े हुए मुआवजे (v) भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा करार के लिए है।

5. **स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन एवं अन्य लाभ:** इसमें (i) अंडमान में भूतपूर्व राजनैतिक कैदियों, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों के लिए स्वीकृत स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना (ii) गोवा मुक्ति आंदोलन के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन और (iii) भूतपूर्व निजाम स्टेट ऑफ हैदराबाद का भारत संघ में विलय करने के संघर्ष में भाग लेने वाले लोगों की पेंशन शामिल है।

6.01. **पूर्वोत्तर क्षेत्र:** इसमें पूर्वोत्तर के दूरस्थ क्षेत्रों को शेष भारत से जोड़ने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने हेतु सब्सिडी के भुगतान का प्रावधान शामिल है।

6.02. **लद्दाख:** लद्दाख में हेलीकॉप्टर सेवाओं के प्रचालन हेतु सब्सिडी के भुगतान के लिए प्रावधान

6.03. **जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश:** यह प्रावधान जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में दूरदराज के इलाकों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए रियायती हेलिकॉप्टर सेवाओं के लिए है।

7. **आपदा प्रबंधन के लिए अवसंरचना:** यह प्रावधान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कार्यालय भवन तथा रिहायशी भवन के निर्माण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के लिए भूमि अधिग्रहण/निर्माण तथा आपदा की स्थिति में द्रुत कार्रवाई के लिए विशेषीकृत क्षमता निर्माण पर होने वाले व्यय के लिए है।

8. **राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना:** यह प्रावधान चक्रवात संकट से संभावित तटीय राज्यों में खतरे को कम करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रथमन परियोजना पर प्रशासनिक व्यय तथा राज्य सरकारों को सहायता अनुदान के लिए है।

9. **अन्य आपदा प्रबंधन योजनाएं:** (i) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम (प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा), (ii) आपदा संबंधी सूचना, शिक्षण और संवाद (आईईसी) और प्रशिक्षण हेतु विभिन्न संस्थानों/विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान उपलब्ध कराने हेतु, (iii) यूएसएआईडी आपदा प्रबंधन (iv) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली, (v) विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सहित आपदा प्रबंधन परियोजनाएं और (vi) विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सहित आपदा प्रबंधन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों को सहायता अनुदान पर व्यय हेतु प्रावधान।

10. **नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम और मीडिया योजना:** इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, जम्मू एवं कश्मीर तथा अन्य क्षेत्रों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम, जम्मू एवं कश्मीर, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मीडिया प्लान/विज्ञापन एवं प्रचार के लिए प्रावधान शामिल है।

11. **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी):** इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रशासनिक और अन्य खर्चों के लिए प्रावधान शामिल है।

12. **जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी/भारत का महारजिस्ट्रार:** इसमें भारत के महारजिस्ट्रार तथा जनगणना आयुक्त के कार्यालय तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार (एनपीआर) सहित आरजीआई की विभिन्न योजनाओं और जनगणना 2021 पर व्यय के लिए प्रावधान शामिल है।

13. **अन्य केंद्रीय विविध व्यय:** इसमें गृह मंत्री के विवेकाधीन अनुदान, क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों के निवास पर सुरक्षा संबंधी निर्माण कार्य, पुलिस मेडल, अंतरराष्ट्रीय सहयोग पूर्वोत्तर के लिए विधि विरुद्ध गतिविधि (निवारण) अधिकरण, राष्ट्रीय एकता तथा आंतरिक सुरक्षा और जेलों में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित पहलों एवं ऑडियो/विजुअल फिल्मों के माध्यम से सुधार संबंधी मामलों पर जागरूक करने के लिए प्रावधान शामिल है, आपदा प्रतिरोधक संरचना सोसायटी (सीडीआरआईएस) के लिए गठबंधन।

14. **वास्तविक वसूतियां:** वास्तविक वसूतियां अनुदान के अंतर्गत हैं।

15. **होम गार्ड:** यह गृह मंत्रालय द्वारा तैयार एक व्यापक पैटर्न और नीति के अंतर्गत राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा गठित तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, यातायात नियंत्रण, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा, सीमाओं की चौकसी तथा चुनाव संबंधी कार्य के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र पुलिस बल की सहायता के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक स्वयंसेवी बल है। यह प्रावधान होम गार्ड को गठित करने, प्रशिक्षित करने तथा सुसज्जित करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

16. **नागरिक रक्षा:** यह प्रावधान नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवियों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उन्हें सुसज्जित करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

17. **केंद्रीय अधिनियमों के प्रशासन के लिए राज्य सरकारों को भुगतान:** असम में विदेशी ट्रिब्यूनल के प्रशासन के लिए प्रावधान शामिल है।

18. **उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए स्वायत्त परिषद को अनुदान:** यह प्रावधान बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद, कार्बी आंगलॉन्ग और उत्तर कछार हिल्स स्वायत्त परिषद के लिए बुनियादी प्रशासनिक ढांचे के विकास के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए स्वायत्त परिषद के लिए अनुदान के लिए है।

गृह मंत्रालय
मांग संख्या 50
मंत्रिमंडल

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1194.91	...	1194.91	1961.04	137.00	2098.04	1588.00	137.00	1725.00	1202.22	508.82	1711.04
वसूलियां	-8.83	...	-8.83
प्राप्तियां
निवल	1186.08	...	1186.08	1961.04	137.00	2098.04	1588.00	137.00	1725.00	1202.22	508.82	1711.04

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

केंद्र का व्यय

केन्द्र का स्थापना व्यय

1. भूतपूर्व राज्यपालों को सचिवालय सहायता	1.75	...	1.75	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80
2. मंत्री परिषद	902.28	...	902.28	1023.94	137.00	1160.94	1204.55	137.00	1341.55	536.77	508.82	1045.59
3. मंत्रिमंडल सचिवालय	52.03	...	52.03	62.25	...	62.25	61.77	...	61.77	66.70	...	66.70
4. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय	128.65	...	128.65	228.72	...	228.72	192.71	...	192.71	232.71	...	232.71
5. प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय	51.19	...	51.19	580.72	...	580.72	68.87	...	68.87	300.00	...	300.00
6. प्रधानमंत्री कार्यालय	46.20	...	46.20	58.05	...	58.05	52.74	...	52.74	58.15	...	58.15
7. आतिथ्य और मनोरंजन व्यय	3.98	...	3.98	5.56	...	5.56	5.56	...	5.56	6.09	...	6.09
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	1186.08	...	1186.08	1961.04	137.00	2098.04	1588.00	137.00	1725.00	1202.22	508.82	1711.04
कुल जोड़	1186.08	...	1186.08	1961.04	137.00	2098.04	1588.00	137.00	1725.00	1202.22	508.82	1711.04

ख. विकास शीर्ष

सामान्य सेवाएं

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
1. राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	1.75	...	1.75	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80
2. मंत्रिपरिषद	1180.35	...	1180.35	1953.68	...	1953.68	1580.64	...	1580.64	1194.33	...	1194.33
3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	3.98	...	3.98	5.56	...	5.56	5.56	...	5.56	6.09	...	6.09
4. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	137.00	137.00	...	137.00	137.00	...	508.82	508.82
जोड़-सामान्य सेवाएं	1186.08	...	1186.08	1961.04	137.00	2098.04	1588.00	137.00	1725.00	1202.22	508.82	1711.04
कुल जोड़	1186.08	...	1186.08	1961.04	137.00	2098.04	1588.00	137.00	1725.00	1202.22	508.82	1711.04

1. **भूतपूर्व राज्यपालों को सचिवालय सहायता:** यह प्रावधान भूतपूर्व राज्यपालों को सचिवालय सहायता के भुगतानों पर होने वाले व्यय के लिए है।

2. **मंत्री परिषद:** यह प्रावधान केबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के वेतनों, आतिथ्य तथा अन्य भत्तों तथा उनके द्वारा की जाने वाली यात्रा पर होने वाले व्यय के लिए है। इसमें वीवीआईपी के लिए विशेष अतिरिक्त सत्र उड़ान संचालन का प्रावधान भी शामिल है।

3. **मंत्रिमंडल सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रिमंडल सचिवालय तथा रासायनिक हथियार समझौते (सीडब्ल्यूसी) के प्रशासनिक व्ययों को वहन करने के लिए है।

4. **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय:** यह प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के प्रशासनिक खर्चों को वहन करने के लिए है।

5. **प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय:** यह प्रावधान प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय तथा राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान के प्रशासनिक खर्चों को वहन करने के लिए है।

6. **प्रधानमंत्री का कार्यालय:** यह प्रावधान प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासनिक खर्चों को वहन करने के लिए है।

7. **आतिथ्य और मनोरंजन व्यय:** इसमें विदेशों से आने वाले अतिथियों के सरकारी आतिथ्य और मनोरंजन, उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की ओर से राष्ट्रपति भवन में आधिकारिक मनोरंजन, राष्ट्रीय दिवसों पर प्रीतिभोज, प्रत्यय पत्र प्रदान करने के लिए अधिष्ठापन और समारोह पर होने वाले व्यय आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

गृह मंत्रालय
मांग संख्या 51
पुलिस

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023			
	राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़	
कुल	88119.63	5067.72	93187.35	95432.07	9730.04	105162.11	102234.08	7910.80	110144.88	108505.79	10528.55	119034.34	
वसूलियां	-1443.82	-132.88	-1576.70	-1345.48	-14.11	-1359.59	-864.97	-13.61	-878.58	-1317.80	-28.55	-1346.35	
प्राप्तियां	
निवल	86675.81	4934.84	91610.65	94086.59	9715.93	103802.52	101369.11	7897.19	109266.30	107187.99	10500.00	117687.99	
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल													
1.01	केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	24007.80	402.42	24410.22	25496.98	700.92	26197.90	26839.84	467.58	27307.42	28713.44	611.48	29324.92
1.02	राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड	893.22	36.64	929.86	1113.42	121.90	1235.32	1079.09	72.07	1151.16	1150.87	142.50	1293.37
1.03	सीमा सुरक्षा बल	19163.56	158.25	19321.81	20493.54	236.00	20729.54	21341.14	150.00	21491.14	22318.45	400.00	22718.45
1.04	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	6117.07	26.02	6143.09	6467.65	99.52	6567.17	6907.24	57.78	6965.02	7301.64	159.64	7461.28
1.05	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	11182.98	35.03	11218.01	10255.74	86.09	10341.83	11340.54	32.00	11372.54	12098.90	103.00	12201.90
1.06	असम रायफल्स	5383.89	114.66	5498.55	5895.48	265.42	6160.90	5886.25	160.00	6046.25	6423.71	234.70	6658.41
1.07	सशस्त्र सीमा बल	5935.47	81.48	6016.95	6382.82	96.92	6479.74	6874.55	65.87	6940.42	7508.73	145.00	7653.73
1.08	विभागीय लेखांकन	111.65	...	111.65	125.64	...	125.64	122.30	...	122.30	132.00	...	132.00
	जोड़- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल	72795.64	854.50	73650.14	76231.27	1606.77	77838.04	80390.95	1005.30	81396.25	85647.74	1796.32	87444.06
2.	आसूचना ब्यूरो	2305.64	44.92	2350.56	2755.74	83.50	2839.24	2719.27	73.75	2793.02	3039.36	129.00	3168.36
3.	राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड	26.20	9.33	35.53	39.83	20.22	60.05	32.72	45.22	77.94	37.77	50.00	87.77

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़
4. विशेष रक्षा दल	326.44	60.02	386.46	351.75	77.30	429.05	321.21	65.29	386.50	328.65	57.30	385.95
5. दिल्ली पुलिस	7800.71	214.95	8015.66	8100.20	237.92	8338.12	10731.84	404.38	11136.22	9808.39	287.90	10096.29
6. केंद्रीय पुलिस संगठन	790.02	13.52	803.54	967.56	33.14	1000.70	900.58	19.59	920.17	1035.14	43.38	1078.52
7. शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान	224.48	17.78	242.26	282.77	17.95	300.72	243.67	12.95	256.62	306.32	23.76	330.08
8. अपराध विज्ञान और न्यायिक विज्ञान	52.52	8.14	60.66	67.06	15.43	82.49	72.03	8.47	80.50	79.88	15.59	95.47
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	84321.65	1223.16	85544.81	88796.18	2092.23	90888.41	95412.27	1634.95	97047.22	100283.25	2403.25	102686.50
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम/परियोजनाएं												
9. आईवीएफआरटी (आव्रजन, वीजा तथा विदेशियों का पंजीकरण तथा पता लगाना)	76.42	...	76.42	77.00	...	77.00	150.00	...	150.00	175.00	...	175.00
10. बीएसएफ एयर विंग, विमान, नदी की नाव और हेलीबेस	21.23	33.46	54.69	31.13	109.02	140.15	30.44	69.66	100.10	30.74	126.59	157.33
11. सीमा अवसंरचना और प्रबंधन												
11.01 रखरखाव और बॉर्डर चेक पोस्ट	225.66	...	225.66	208.93	...	208.93	313.59	...	313.59	227.50	...	227.50
11.02 पूँजी परिव्यय	...	1307.90	1307.90	...	1921.39	1921.39	...	2386.98	2386.98	...	2517.02	2517.02
जोड़- पूँजी परिव्यय	225.66	1307.90	1533.56	208.93	1921.39	2130.32	313.59	2386.98	2700.57	227.50	2517.02	2744.52
12. पुलिस अवसंरचना												
12.01 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठन की भवन परियोजनाएं	...	1701.25	1701.25	...	3306.29	3306.29	...	2719.25	2719.25	...	3659.84	3659.84
12.02 दिल्ली पुलिस	...	249.50	249.50	...	306.00	306.00	...	304.00	304.00	...	259.00	259.00
जोड़- पुलिस अवसंरचना	...	1950.75	1950.75	...	3612.29	3612.29	...	3023.25	3023.25	...	3918.84	3918.84
13. नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो	2.54	...	2.54	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
14. महिलाओं की सुरक्षा योजना												
14.01 निर्भया निधि अंतरण	171.63	...	171.63	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	200.00	...	200.00
14.02 महिला और बच्चों के प्रति साइबर अपराध रोकथाम और विविध योजनाएं	161.74	9.66	171.40	745.48	14.11	759.59	142.91	13.61	156.52	147.76	28.55	176.31
14.03 निर्भया निधि से पूरा किया गया	-161.74	-9.66	-171.40	-745.48	-14.11	-759.59	-142.91	-13.61	-156.52	-147.76	-28.55	-176.31
निवल	171.63	...	171.63	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	200.00	...	200.00
15. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र	0.59	...	0.59	69.80	...	69.80	57.72	...	57.72	59.00	...	59.00
16. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना IV	18.79	81.35	100.14	43.20	205.10	248.30

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
17. अंतर प्रचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली	590.60	...	590.60
18. आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली	150.00	...	150.00
19. जेलों का आधुनिकीकरण	50.00	...	50.00	400.00	...	400.00
20. महिला हेल्प डेस्क / मानव तस्करी रोधी ब्यूरो का सुदृढीकरण	28.00	...	28.00
21. फोरेंसिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण	300.00	...	300.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम/परियोजनाएं	498.07	3292.11	3790.18	491.86	5642.70	6134.56	725.54	5561.24	6286.78	2209.04	6767.55	8976.59
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
22. भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण	200.00	...	200.00	216.50	...	216.50	630.50	...	630.50	300.00	...	300.00
23. राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय	67.00	...	67.00	87.00	...	87.00	70.00	...	70.00
24. राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	200.00	...	200.00	353.50	...	353.50	787.50	...	787.50	440.00	...	440.00
अन्य												
25. इंडिया रिजर्व बटालियन और बटालियन की तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति	25.59	...	25.59	90.30	1.00	91.30	60.10	1.00	61.10	50.30	1.00	51.30
26. कल्याण अनुदान और विविध	162.49	...	162.49	151.30	...	151.30	116.20	...	116.20	121.30	...	121.30
27. अनुसंधान	629.26	542.79	1172.05	834.63	1980.00	2814.63	700.00	700.00	1400.00	764.22	1328.20	2092.42
जोड़-अन्य	817.34	542.79	1360.13	1076.23	1981.00	3057.23	876.30	701.00	1577.30	935.82	1329.20	2265.02
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	1017.34	542.79	1560.13	1429.73	1981.00	3410.73	1663.80	701.00	2364.80	1375.82	1329.20	2705.02
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं												
पुलिस बल का आधुनिकीकरण												
28. पुलिस बल का आधुनिकीकरण												
28.01 राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण और अपराध तथा अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली की	159.99	...	159.99	668.50	...	668.50	240.49	...	240.49	621.45	...	621.45

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
(सीसीटीएनएस)												
28.02 वामपंथ प्रभावित क्षेत्रों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) एवं विशेष अवसंरचना स्कीम	1896.87	...	1896.87	2134.61	...	2134.61	3105.40	...	3105.40	2132.71	...	2132.71
जोड़- पुलिस बल का आधुनिकीकरण	2056.86	...	2056.86	2803.11	...	2803.11	3345.89	...	3345.89	2754.16	...	2754.16
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम												
29. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	63.97	...	63.97	565.71	...	565.71	221.61	...	221.61	565.72	...	565.72
30. सुरक्षित शहर परियोजनाएं												
30.01 सुरक्षित शहर परियोजनाएं	122.06	...	122.06	520.04	...	520.04
30.02 निर्भया निधि से पूरा किया गया	-122.06	...	-122.06	-520.04	...	-520.04
निवल
जोड़-केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं	2120.83	...	2120.83	3368.82	...	3368.82	3567.50	...	3567.50	3319.88	...	3319.88
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
31. वास्तविक वसूलियां	-1282.08	-123.22	-1405.30
कुल जोड़	86675.81	4934.84	91610.65	94086.59	9715.93	103802.52	101369.11	7897.19	109266.30	107187.99	10500.00	117687.99
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. पुलिस	84678.34	...	84678.34	90816.47	...	90816.47	97881.50	...	97881.50	102719.69	...	102719.69
2. पुलिस पर पूंजी परिव्यय	...	4934.84	4934.84	...	8956.18	8956.18	...	7137.44	7137.44	...	9556.50	9556.50
जोड़-सामान्य सेवाएं	84678.34	4934.84	89613.18	90816.47	8956.18	99772.65	97881.50	7137.44	105018.94	102719.69	9556.50	112276.19
अन्य												
3. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1142.12	...	1142.12	2566.76	...	2566.76	1941.50	...	1941.50	3711.44	...	3711.44
4. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	855.35	...	855.35	703.36	...	703.36	1546.11	...	1546.11	756.86	...	756.86
5. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	758.75	758.75	...	758.75	758.75	...	942.50	942.50
6. राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
जोड़-अन्य	1997.47	...	1997.47	3270.12	759.75	4029.87	3487.61	759.75	4247.36	4468.30	943.50	5411.80
कुल जोड़	86675.81	4934.84	91610.65	94086.59	9715.93	103802.52	101369.11	7897.19	109266.30	107187.99	10500.00	117687.99

1. **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल:** यह प्रावधान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों अर्थात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, असम रायफल्स, सशस्त्र सीमा बल तथा इन बलों से संबद्ध विभागीय लेखाकरण संगठनों के प्रशासनिक व्ययों को वहन करने के लिए है। पूंजीगत भाग के अंतर्गत प्रावधान मशीन एवं उपकरणों तथा मोटर वाहनों की खरीद के लिए है।

2. **आसूचना ब्यूरो:** यह प्रावधान आसूचना ब्यूरो के प्रशासनिक व्ययों को वहन करने के लिए है।

3. **राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड:** यह प्रावधान राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड के लिए है जिसका उद्देश्य आतंकवाद का मुकाबला करने में एक इनपुट के रूप में डाटा बेसों को जोड़ना है। इसका उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा के खतरों का मुकाबला करने की क्षमता में सुधार लाने की सुविधा मुहैया कराना है।

4. **विशेष रक्षा दल:** इसमें विशेष सुरक्षा दल के लिए प्रावधान शामिल है जो भारत के प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों, भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवार के सदस्यों तथा अन्य सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को समुचित सुरक्षा प्रदान करता है।

5. **दिल्ली पुलिस:** दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा उसे लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी जिम्मेदारी में शहर में यातायात प्रबंधन भी शामिल है। इस प्रावधान में नेमी खर्च तथा एनसीआर महानगरों में यातायात एवं संचार नेटवर्क तथा मॉडल यातायात प्रणाली विकसित करने, संचार अवसंरचना के उन्नयन अथवा विस्तार, प्रशिक्षण बेहतर बनाने, नवीनतम प्रौद्योगिकी को लागू करना तथा यातायात सिग्नल लगाने आदि जैसी दिल्ली पुलिस द्वारा लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के लिए खर्च शामिल हैं।

6. **केंद्रीय पुलिस संगठन:** यह प्रावधान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, आप्रवासन ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, अश्रु गैस यूनिट, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण तथा अंतर-राज्यीय पुलिस वायरलेस योजना समन्वय निदेशालय के प्रशासनिक खर्चों के लिए है।

7. **शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान:** इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय, राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं न्यायिक विज्ञान संस्थान, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान पर होने वाला व्यय शामिल है। यह प्रावधान पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की इन योजनाओं के लिए भी है; (क) प्रशिक्षण पहल, (ख) बेहतर कार्यकुशलता तथा जनता और पुलिस तक अधिक पहुंच आदि से संबंधित आर एंड डी परियोजना।

8. **अपराध विज्ञान और न्यायिक विज्ञान:** यह न्यायिक विज्ञान निदेशालय और केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशालाओं पर प्रशासनिक व्यय को कवर करता है। यह प्रावधान केंद्रीय फोरेंसिक साइंस प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए भी है जिसमें मानव संसाधन विकास और अनुसंधान और विकास योजनाओं और क्षेत्रीय फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला और डीएनए केंद्रों की स्थापना पर विशेष बल दिया जाता है

9. **आईवीएफआरटी (आव्रजन, वीजा तथा विदेशियों का पंजीकरण तथा ट्रैकिंग रखना):** यह प्रावधान मिशन मोड परियोजना के लिए है जिसका मूल उद्देश्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाते हुए एक ऐसा सुरक्षित और एकीकृत सर्विस डिलीवरी फ्रेमवर्क विकसित करना है जिससे वैध यात्रियों को सुविधा हो सके।

10. **बीएसएफ एयर विंग, विमान, नदी की नाव और हेलीबेस:** यह प्रावधान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के इस्तेमाल के लिए विमान, पानी की नावों और हेलीकाप्टरों की खरीद और रखरखाव के लिए है।

11.01. **रखरखाव और बॉर्डर चेक पोस्ट:** इस प्रावधान में सीमा संबंधी निर्माण कार्यों और सीमा जांच चौकियों के रखरखाव से संबंधित परिव्यय शामिल है।

11.02. **पूंजी परिव्यय:** यह प्रावधान कंटीले तारों की बाड़ लगाने, सड़कों के निर्माण, ऑब्जर्वेशन पोस्ट (ओपी) टॉवर के निर्माण, तेज रोशनी की व्यवस्था करने, भारत-बांग्लादेश और भारत-पाक सीमाओं पर उच्च तकनीक की निगरानी की व्यवस्था करने, पड़ोसी देशों के साथ लगने वाली भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर विभिन्न प्रकार की निर्माण गतिविधियों, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बेहतर निगरानी हेतु देश के तटीय क्षेत्रों में सचल जांच चौकियों की स्थापना करने के लिए है। इस प्रावधान में सीमापार चौकियों का निर्माण कार्य भी शामिल है।

12.01. **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठन की भवन परियोजनाएं:** यह प्रावधान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, आसूचना ब्यूरो, केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालयों, राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, विभागीय लेखाकरण संगठन और विशेष सुरक्षा ग्रुप के कार्यालय भवनों तथा रिहायशी भवनों के निर्माण के लिए है।

12.02. **दिल्ली पुलिस:** यह प्रावधान दिल्ली पुलिस के कार्यालय भवन तथा रिहायशी भवन संबंधी परियोजनाओं के लिए है।

13. **नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो:** यह प्रावधान स्वापक द्रव्यों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण लगाने के लिए राज्यों के संसाधनों में कमी को पूरा करने हेतु स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के माध्यम से राज्यों को प्रदान की जाने वाले अनुदानों पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिए है।

14. **महिलाओं की सुरक्षा हेतु योजना:** यह प्रावधान लोक लेखा और व्ययों में निर्भया कोष में निधियां अंतरित करने के लिए तथा महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम, दिल्ली पुलिस द्वारा लागू महिलाओं की सुरक्षा स्कीमों के लिए है।

15. **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र:** यह प्रावधान भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र पर खर्च को पूरा करने के लिए है।

16. **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना IV:** यह प्रावधान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आधुनिकीकरण योजना IV पर व्यय हेतु है

17. **अंतर परिचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली:** यह प्रावधान इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर खर्च के लिए है

18. **आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली:** यह प्रावधान आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली पर व्यय के लिए है

19. **जेलों का आधुनिकीकरण:** कारागार के आधुनिकीकरण पर व्यय हेतु प्रावधान।
20. **महिला हेल्प डेस्क / मानव तस्करी रोधी ब्यूरो का सुदृढीकरण:** यह प्रावधान महिला हेल्प डेस्क पर व्यय/मानव तस्करी रोधी ब्यूरो के सुदृढीकरण के लिए है।
21. **फॉरेंसिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण:** यह प्रावधान फॉरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण पर व्यय के लिए है।
22. **भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण:** यह प्रावधान भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के व्ययों को वहन करने के लिए है जिसमें लोगों तथा सामान की सीमा पार आवाजाही के बारे में बेहतर प्रशासन और सम्यक प्रबंधन के लिए एकीकृत जांच चौकियों के निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव तथा इन्हें विनियमित करना शामिल है।
23. **राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय:** यह प्रावधान राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के खर्चों को पूरा करने के लिए है।
24. **राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय:** यह प्रावधान राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए है।
25. **इंडिया रिजर्व बटालियन और बटालियन तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति:** यह प्रावधान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिजर्व बटालियनों के गठन तथा रखरखाव और बटालियनों की तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए है।
26. **कन्याण अनुदान और विविध:** यह प्रावधान क्रिप्टोग्राफिक दस्तावेजों के उत्पादन और अन्य सरकारों / विभागों को दिए गए शुल्क के लिए है। इस प्रावधान में प्रशिक्षण और विकास, ई-गवर्नेंस के लिए बुनियादी ढांचे, आतंकवादी / काउंटर विद्रोह में मारे गए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि भुगतान करने के लिए भी शामिल है।
27. **अनुसंधान:** यह प्रावधान अनुसंधान गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए है।
- 28.01. **राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण और सीसीटीएनएस:** इस मद में राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजनाओं के लिए प्रावधान है, इसमें पुलिस बुनियादी ढांचा, अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम के उन्नयन के लिए विशेष परियोजनाओं / योजनाओं के लिए राज्यों को सहायता शामिल है।
- 28.02. **वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) एवं विशेष अवसंरचना स्कीम:** इस मद में सुरक्षा संबंधित व्यय (एसआरई) की योजना, विशेष बुनियादी ढांचा योजना और वामपंथी प्रभावित क्षेत्रों में 35 बुरी तरह प्रभावित जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता, एलडब्ल्यूई प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता, विभिन्न राज्यों के लिए सिविल कार्य संबंधी कार्यक्रम तथा मीडिया योजना गतिविधियों के लिये प्रावधान है।
29. **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम:** यह प्रावधान सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए है।
30. **सुरक्षित शहर परियोजनाएं:** यह प्रावधान निर्भया कोष से वित्तपोषित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सुरक्षित शहर परियोजना तैयार करने के लिए है।

गृह मंत्रालय

मांग संख्या 52

गृह मंत्रालय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	4531.05	342.92	4873.97	4721.24	666.17	5387.41	5463.55	512.09	5975.64	5176.43	587.22	5763.65
वसूलियां	-48.90	-0.48	-49.38	-70.00	...	-70.00	-52.00	...	-52.00	-60.00	...	-60.00
प्राप्तियां
निवल	4482.15	342.44	4824.59	4651.24	666.17	5317.41	5411.55	512.09	5923.64	5116.43	587.22	5703.65
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	62.48	...	62.48	64.93	...	64.93	65.35	...	65.35	70.35	...	70.35
	-0.11	...	-0.11	-0.05	...	-0.05	-0.05	...	-0.05	-0.05	...	-0.05
निवल	62.37	...	62.37	64.88	...	64.88	65.30	...	65.30	70.30	...	70.30
2. अन्य स्थापना	2168.04	...	2168.04	2287.01	...	2287.01	2336.75	1.79	2338.54	2435.16	...	2435.16
	-13.32	...	-13.32	-2.34	...	-2.34	-3.18	...	-3.18	-3.26	...	-3.26
निवल	2154.72	...	2154.72	2284.67	...	2284.67	2333.57	1.79	2335.36	2431.90	...	2431.90
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	2217.09	...	2217.09	2349.55	...	2349.55	2398.87	1.79	2400.66	2502.20	...	2502.20
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
3. संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं												
3.01 आदिवासी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण	0.26	0.04	0.30	0.60	0.02	0.62	0.37	0.07	0.44	0.65	0.04	0.69
3.02 आपदा प्रबंधन	10.68	1.20	11.88	0.32	20.87	21.19	6.18	5.72	11.90	0.32	1.52	1.84

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	-5.19	...	-5.19	-0.01	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01	...	-0.01
	<i>निवल</i> 5.49	1.20	6.69	0.31	20.87	21.18	6.17	5.72	11.89	0.31	1.52	1.83
3.03 कृषि और संबद्ध गतिविधियां	11.86	9.16	21.02	21.47	11.31	32.78	18.87	8.95	27.82	14.09	8.67	22.76
	-0.81	-0.01	-0.82	-2.23	...	-2.23	-2.13	...	-2.13	-2.14	...	-2.14
	<i>निवल</i> 11.05	9.15	20.20	19.24	11.31	30.55	16.74	8.95	25.69	11.95	8.67	20.62
3.04 जलापूर्ति और स्वच्छता	18.23	42.00	60.23	22.47	86.00	108.47	24.75	97.00	121.75	25.47	70.00	95.47
3.05 ग्रामीण विकास	63.67	1.70	65.37	77.87	1.50	79.37	43.87	1.74	45.61	78.00	1.05	79.05
	-0.03	...	-0.03	-0.01	...	-0.01	-0.22	...	-0.22	-0.22	...	-0.22
	<i>निवल</i> 63.64	1.70	65.34	77.86	1.50	79.36	43.65	1.74	45.39	77.78	1.05	78.83
3.06 विद्युत	629.57	23.32	652.89	527.10	13.93	541.03	867.48	37.39	904.87	757.65	31.43	789.08
	-0.97	...	-0.97	-0.35	...	-0.35	-0.35	...	-0.35	-0.35	...	-0.35
	<i>निवल</i> 628.60	23.32	651.92	526.75	13.93	540.68	867.13	37.39	904.52	757.30	31.43	788.73
3.07 वानिकी और वन्य जीव	3.00	18.16	21.16	4.07	25.48	29.55	4.06	23.82	27.88	11.79	27.14	38.93
3.08 नागरिक आपूर्ति	19.61	0.87	20.48	21.16	1.50	22.66	22.48	1.50	23.98	25.04	1.50	26.54
	-21.94	...	-21.94	-24.80	...	-24.80	-19.57	...	-19.57	-20.45	...	-20.45
	<i>निवल</i> -2.33	0.87	-1.46	-3.64	1.50	-2.14	2.91	1.50	4.41	4.59	1.50	6.09
3.09 चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	105.00	18.95	123.95	99.21	25.99	125.20	114.13	29.70	143.83	99.22	27.50	126.72
3.10 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	31.23	30.35	61.58	40.20	33.28	73.48	32.60	29.88	62.48	40.67	20.19	60.86
	-0.51	...	-0.51	-0.20	...	-0.20	-0.20	...	-0.20	-0.20	...	-0.20
	<i>निवल</i> 30.72	30.35	61.07	40.00	33.28	73.28	32.40	29.88	62.28	40.47	20.19	60.66
3.11 सामाजिक कल्याण	80.63	2.43	83.06	87.80	4.01	91.81	79.17	5.35	84.52	92.27	5.20	97.47
3.12 ग्रामीण और लघु उद्योग	2.98	1.91	4.89	3.08	2.50	5.58	1.68	0.80	2.48	2.40	0.49	2.89
3.13 सूचना और प्रचार	2.48	...	2.48	2.55	0.08	2.63	2.55	0.03	2.58	3.55	0.08	3.63
3.14 श्रम और रोजगार	0.05	3.00	3.05	0.28	4.00	4.28	0.28	4.00	4.28	0.35	4.00	4.35
3.15 सड़क परिवहन	24.36	5.78	30.14	24.90	6.41	31.31	33.70	8.45	42.15	37.10	8.46	45.56

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	-0.04	...	-0.04	-0.02	...	-0.02	-0.02	...	-0.02	-0.02	...	-0.02
<i>निवल</i>	24.32	5.78	30.10	24.88	6.41	31.29	33.68	8.45	42.13	37.08	8.46	45.54
3.16 सड़कें और पुल	39.77	77.66	117.43	96.30	79.20	175.50	38.10	77.00	115.10	77.04	86.00	163.04
3.17 पत्तन और प्रकाश घर	62.89	22.87	85.76	92.87	24.60	117.47	52.25	22.68	74.93	97.75	21.11	118.86
3.18 पोत परिवहन	473.95	3.21	477.16	483.80	143.80	627.60	378.80	3.80	382.60	441.60	95.67	537.27
3.19 नागरिक उड्यन	82.00	1.45	83.45	83.00	3.10	86.10	83.00	0.85	83.85	120.00	3.75	123.75
3.20 पर्यटन	3.99	5.35	9.34	4.89	5.00	9.89	4.89	5.00	9.89	4.86	6.50	11.36
3.21 लोक निर्माण कार्य	29.52	29.32	58.84	29.55	30.61	60.16	33.60	31.04	64.64	36.14	36.44	72.58
	-5.95	-0.47	-6.42	-39.99	...	-39.99	-26.27	...	-26.27	-33.30	...	-33.30
<i>निवल</i>	23.57	28.85	52.42	-10.44	30.61	20.17	7.33	31.04	38.37	2.84	36.44	39.28
3.22 आवास	17.10	10.00	27.10	16.65	12.00	28.65	17.32	13.00	30.32	18.67	14.00	32.67
	-0.01	...	-0.01
<i>निवल</i>	17.09	10.00	27.09	16.65	12.00	28.65	17.32	13.00	30.32	18.67	14.00	32.67
3.23 शहरी विकास	260.29	1.10	261.39	273.09	1.20	274.29	343.19	0.80	343.99	215.60	0.50	216.10
	-0.02	...	-0.02
<i>निवल</i>	260.27	1.10	261.37	273.09	1.20	274.29	343.19	0.80	343.99	215.60	0.50	216.10
3.24 पुलिस और अग्निशमन नियंत्रण	...	9.33	9.33	...	23.91	23.91	...	22.03	22.03	...	30.20	30.20
3.25 ट्रांसपोर्ट को भाड़े पर लेना	205.00	...	205.00	200.00	...	200.00	675.41	...	675.41	246.84	...	246.84
3.26 अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण गतिविधियां	0.41	...	0.41	0.91	0.01	0.92	1.03	...	1.03	1.03	0.01	1.04
<i>जोड़- संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं</i>	2143.06	318.68	2461.74	2146.53	560.31	2706.84	2830.99	430.60	3261.59	2391.41	501.45	2892.86
4. केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सहायता	21.98	...	21.98	22.33	...	22.33	21.41	...	21.41	33.21	...	33.21
5. आदिवासी क्षेत्र घटक	91.25	23.76	115.01	126.04	105.86	231.90	153.87	79.70	233.57	182.85	85.77	268.62
6. अनुदानग्राही/अन्य निकाय												
6.01 सोवटेक	8.00	...	8.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00
6.02 अन्य अनुदानग्राही निकाय	0.77	...	0.77	0.76	...	0.76	0.41	...	0.41	0.73	...	0.73

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़- अनुदानग्राही/अन्य निकाय	8.77	...	8.77	6.76	...	6.76	6.41	...	6.41	6.73	...	6.73
7. संघ राज्य क्षेत्र के अन्य व्यय	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
जोड़-अन्य	2265.06	342.44	2607.50	2301.69	666.17	2967.86	3012.68	510.30	3522.98	2614.23	587.22	3201.45
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	2265.06	342.44	2607.50	2301.69	666.17	2967.86	3012.68	510.30	3522.98	2614.23	587.22	3201.45
कुल जोड़	4482.15	342.44	4824.59	4651.24	666.17	5317.41	5411.55	512.09	5923.64	5116.43	587.22	5703.65

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **अन्य स्थापना:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र के अन्य विभागों/कार्यालयों अर्थात् न्यायालय, स्टाम्प एवं पंजीकरण, कर, कोषागार एवं लेखा प्रशासन की स्थापना, पुलिस, जेल, अन्य प्रशासनिक सेवा, जनजातीय कल्याण, आपदा प्रबंधन, उद्योग, जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी, खेतीबाड़ी, मृदा एवं जल संरक्षण, पशुपालन, मछली पालन, सहकारिता, भू-राजस्व, भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, विद्युत, वन एवं वन्य जीव, वैज्ञानिक अनुसंधान, सिविल आपूर्ति, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल एवं युवा मामले, कला एवं संस्कृति, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, सूचना एवं प्रचार, श्रम एवं नियोजन, पर्यटन, लेखन सामग्री एवं मुद्रण, लोक निर्माण कार्य, शहरी विकास, लघु सिंचाई, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा, नागर विमानन, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं पतन तथा प्रकाश घर आदि की स्थापना के लिए प्रावधान शामिल हैं।

3.01. **आदिवासी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण:** इसमें अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.02. **आपदा प्रबंधन:** इसमें प्राकृतिक आपदाओं के आने पर राहत के लिए प्रावधान शामिल है।

3.03. **कृषि और संबद्ध गतिविधियां:** इसमें खेतीबाड़ी, मृदा संरक्षण, अन्य कृषि कार्यक्रमों, पशुपालन, मछली पालन, सहकारिता और लघु सिंचाई के लिए प्रावधान शामिल है।

3.04. **जलापूर्ति और स्वच्छता:** इसमें ग्रामीण और शहरी जलापूर्ति, जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत/पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद को अनुदानों के लिए योजना के अंतर्गत प्रावधान शामिल है।

3.05. **ग्रामीण विकास:** इसमें जिला परिषद/पंचायत समिति को अनुदानों सहित ग्रामीण विकास, पंचायती राज के सुदृढीकरण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.06. **विद्युत:** इसमें विद्युत उत्पादन, ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोत, एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के लिए प्रावधान शामिल है।

3.07. **वानिकी और वन्य जीव:** इसमें वानिकी एवं वन्य जीव, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.08. **नागरिक आपूर्ति:** इसमें खाद्य भण्डारण एवं वेयरहाउसिंग तथा सिविल आपूर्तियों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.09. **चिकित्सा और जन स्वास्थ्य:** इसमें एएनआईएमईआरएस (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान सोसायटी) को चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के लिए सहायता के लिए प्रावधान शामिल है।

3.10. **शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति:** इसमें शिक्षा (प्राथमिक/माध्यमिक, तकनीकी, विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा), खेल, कला एवं संस्कृति के लिए प्रावधान शामिल है तथा इसमें जिला परिषद और गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता भी शामिल है।

3.11. **सामाजिक कल्याण:** इसमें वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं, निराश्रितों, दिव्यांगों के कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण के लिए प्रावधान शामिल है तथा इसमें यूटीसीपीसीआर (संघ राज्य क्षेत्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग), एसडब्ल्यूएबी (समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड), बीएपी (सीमावर्ती क्षेत्र परियोजना) के लिए प्रावधान तथा स्वयंसेवी संगठनों के लिए सहायता भी शामिल है।

3.12. **ग्रामीण और लघु उद्योग:** इसमें ग्रामीण एवं लघु उद्योगों, केवीआईबी (खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड) को सहायता के लिए प्रावधान शामिल है।

3.13. **सूचना और प्रचार:** इसमें सूचना एवं प्रचार तथा लेखन सामग्री और मुद्रण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.14. **श्रम और रोजगार:** इसमें श्रम एवं रोजगार तथा औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए प्रावधान शामिल है।

- 3.15. **सड़क परिवहन:** इसमें यात्री बसों की खरीद और उनके अनुरक्षण के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.16. **सड़कें और पुल:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सड़कों और पुलों के निर्माण और उनके अनुरक्षण तथा जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत/पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद को उनके अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण के लिए अनुदानों हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.17. **पत्तन और प्रकाश घर:** इसमें पत्तन एवं प्रकाश घर, डॉकयार्ड एवं ड्राइडॉकिंग, स्टीवडोरिंग, नौका सेवाओं आदि के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.18. **पोत परिवहन:** इसमें पोत परिवहन तथा अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.19. **नागरिक उड्यन:** इसमें हेलीकाप्टर और विमानों के चार्टरिंग के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.20. **पर्यटन:** इसमें पर्यटन के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.21. **लोक निर्माण कार्य:** इसमें प्रशासनिक/कार्यालय भवनों, बाढ़ नियंत्रण, समुद्री अवरोधकों आदि के निर्माण तथा अनुरक्षण के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.22. **आवास:** इसमें आवासीय भवनों के निर्माण और अनुरक्षण के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.23. **शहरी विकास:** इसमें नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत परिसम्पत्तियों के निर्माण तथा अनुरक्षण, योजना के अंतर्गत पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद को अनुदानों के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.24. **पुलिस और अग्निशमन नियंत्रण:** इसमें पुलिस, आईआरबीएन, अग्निशमन के लिए कार्यालय और आवासीय भवनों के निर्माण के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.25. **ट्रांसपोर्ट को भाड़े पर लेना:** इसमें सेटलाईट टार्सपोण्डर्स किराये पर रखने के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.26. **अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण गतिविधियां:** इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के वयोवृद्ध सेनानियों, राज्य सैनिक बोर्ड के लिए नकद अनुदान, संकट में फंसे परिवारों तथा श्रीलंकाई तमिल प्रत्यावासियों के बंदोबस्त के लिए प्रावधान शामिल है।
4. **केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता:** इसमें केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए संघ राज्य क्षेत्र के बजट के अंतर्गत सहायता का प्रावधान शामिल है जैसे मधान भोजन का कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आंगनबाड़ी सेवाएं, पोषाहार आदि), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एनआरएचएम, एनयूएचएम, राष्ट्रीय आयुष मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान।
5. **आदिवासी क्षेत्र घटक:** इसमें अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन विभिन्न विभागों के संबंध में जन-जातीय क्षेत्र विकास के लिए प्रावधान शामिल है।
- 6.01. **सोवटेक:** इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा संवर्धन सोसायटी (सोवटेक) को अनुदान शामिल है।
- 6.02. **अन्य अनुदानग्राही निकाय:** इसमें वफ्फ बोर्ड, हज कमेटी, पुलिस कल्याण सोसायटी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए अनुदान शामिल है।
7. **संघ राज्य क्षेत्र के अन्य व्यय:** इसमें पेंशन प्रभारों, ब्याज और मूल्य ह्रास आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

गृह मंत्रालय
मांग संख्या 53
गृह मंत्रालय (चंडीगढ़)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	4228.60	414.47	4643.07	4567.67	618.45	5186.12	4442.18	499.07	4941.25	4843.46	539.33	5382.79
वसूलियां	-346.22	-73.19	-419.41	-405.00	-120.00	-525.00	-393.00	-120.00	-513.00	-416.00	-120.00	-536.00
प्राप्तियां
निवल	3882.38	341.28	4223.66	4162.67	498.45	4661.12	4049.18	379.07	4428.25	4427.46	419.33	4846.79
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	19.02	...	19.02	19.50	...	19.50	21.98	...	21.98	23.96	...	23.96
2. अन्य स्थापना	2515.62	...	2515.62	2781.03	...	2781.03	2740.81	...	2740.81	2958.41	...	2958.41
	-338.04	...	-338.04	-389.50	...	-389.50	-380.00	...	-380.00	-400.00	...	-400.00
निवल	2177.58	...	2177.58	2391.53	...	2391.53	2360.81	...	2360.81	2558.41	...	2558.41
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	2196.60	...	2196.60	2411.03	...	2411.03	2382.79	...	2382.79	2582.37	...	2582.37
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
3. संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं												
3.01 पुलिस आवास और संबद्ध निर्माण कार्य	...	60.65	60.65	...	87.02	87.02	...	117.81	117.81	...	93.23	93.23
3.02 विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा	730.15	36.74	766.89	801.01	37.55	838.56	768.94	35.08	804.02	860.33	85.58	945.91
	-2.31	...	-2.31	-12.50	...	-12.50	-10.00	...	-10.00	-12.50	...	-12.50
निवल	727.84	36.74	764.58	788.51	37.55	826.06	758.94	35.08	794.02	847.83	85.58	933.41

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.03 वन, वन्य जीव, पारिस्थितिकी और पर्यावरण	26.32	4.96	31.28	32.47	2.00	34.47	35.68	2.70	38.38	35.27	2.43	37.70
3.04 स्वास्थ्य सेवाएं	...	45.20	45.20	...	67.25	67.25	...	51.65	51.65	...	67.79	67.79
3.05 शिक्षा	8.89	48.30	57.19	0.57	82.21	82.78	2.76	42.02	44.78	2.11	70.22	72.33
3.06 महिला और बाल कल्याण	24.45	1.37	25.82	23.01	2.11	25.12	24.69	2.61	27.30	24.74	2.78	27.52
3.07 कला, संस्कृति और संग्रहालय	0.15	0.18	0.33	2.00	0.84	2.84	2.00	0.85	2.85	2.00	0.45	2.45
3.08 खादी और ग्रामीण उद्योग	2.78	...	2.78	0.54	...	0.54	0.59	...	0.59	0.54	...	0.54
3.09 सड़क और परिवहन	6.48	8.96	15.44	11.96	33.78	45.74	13.38	9.75	23.13	1.92	45.44	47.36
3.10 सरकारी आवास	...	25.70	25.70	...	20.58	20.58	...	9.92	9.92	...	15.39	15.39
3.11 शहरी विकास	...	169.57	169.57	...	238.49	238.49	...	202.07	202.07	...	113.04	113.04
	...	-73.19	-73.19	...	-120.00	-120.00	...	-120.00	-120.00	...	-120.00	-120.00
<i>निवल</i>	...	96.38	96.38	...	118.49	118.49	...	82.07	82.07	...	-6.96	-6.96
3.12 दिव्यांग और वृद्ध जनों का कल्याण	23.74	0.71	24.45	19.29	5.86	25.15	18.48	2.56	21.04	18.49	3.94	22.43
3.13 अन्य योजनाएं	43.77	12.07	55.84	57.04	40.76	97.80	50.49	22.05	72.54	54.33	39.04	93.37
	-5.83	...	-5.83	-3.00	...	-3.00	-3.00	...	-3.00	-3.50	...	-3.50
<i>निवल</i>	37.94	12.07	50.01	54.04	40.76	94.80	47.49	22.05	69.54	50.83	39.04	89.87
<i>निवल</i>	858.59	341.22	1199.81	932.39	498.45	1430.84	904.01	379.07	1283.08	983.73	419.33	1403.06
4. केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को संघ राज्य क्षेत्र की सहायता	8.45	...	8.45	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	17.00	...	17.00
5. अनुदानग्राही/अन्य निकाय	818.74	0.06	818.80	804.25	...	804.25	747.38	...	747.38	844.36	...	844.36
जोड़-अन्य	1685.78	341.28	2027.06	1751.64	498.45	2250.09	1666.39	379.07	2045.46	1845.09	419.33	2264.42
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	1685.78	341.28	2027.06	1751.64	498.45	2250.09	1666.39	379.07	2045.46	1845.09	419.33	2264.42
कुल जोड़	3882.38	341.28	4223.66	4162.67	498.45	4661.12	4049.18	379.07	4428.25	4427.46	419.33	4846.79

1. **सचिवालय:** इसमें चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान शामिल है।

2. **अन्य स्थापना:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र के अन्य विभागों/कार्यालयों अर्थात् न्यायपालिका, उत्पादन शुल्क, स्टाम्प एवं पंजीकरण, पुलिस, परिवहन प्राधिकरण, कोषागार एवं लेखा, जेल, सतर्कता, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इंजीनियरिंग

विभाग, आतिथ्य, होम गार्ड, शिक्षा, खेल, संग्रहालय, पुस्तकालय, एवं कला, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, सम्पदा कार्यालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक कल्याण, श्रम एवं रोजगार, कृषि, पशुपालन और मात्स्यिकी, वन एवं वन्य जीव, सहकारिता, ग्रामीण विकास, उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, आर्थिक सेवाएं, पर्यटन, सांख्यिकी, खाद्य एवं आपूर्ति आदि का कार्यालय व्यय शामिल है।

3.01. **पुलिस आवास और संबद्ध निर्माण कार्य:** इसमें पुलिस आवास और संबद्ध कार्यों अर्थात अवसंरचना का विकास और भवन निर्माण, मौजूदा रिहायशी आवासों के नवीकरण आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.02. **विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा:** इसमें विद्युत के पारेषण एवं वितरण, ऊर्जा के नवीन और नवीकरणीय स्रोतों, मोडल सोलर सिटी प्रोग्राम के संवर्धन तथा विद्युत विभाग के निर्माण कार्य के लिए प्रावधान शामिल है।

3.03. **वन, वन्य जीव, पारिस्थितिकी और पर्यावरण:** इसमें पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, वानिकी एवं वन्य जीव, वन संरक्षण एवं विकास, पौधारोपण योजना, संचार और भवन, वन्य जीव संरक्षण, वानिकी के लिए भूमि का अधिग्रहण, बाँटेनिकल गार्डन आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.04. **स्वास्थ्य सेवाएं:** इसमें स्वास्थ्य सेवाओं, 50 बिस्तर वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन करके इसे 250 बिस्तर वाले अस्पताल के रूप में बनाने, 50 बिस्तर वाले पालीक्लीनिक चंडीगढ़ के सुदृढीकरण, ग्रामीण सहायक स्वास्थ्य केंद्रों का सुदृढीकरण, शहरी सहायक स्वास्थ्य केंद्रों का सुदृढीकरण, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के सुदृढीकरण, अन्य स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं, आयुष होम्योपैथी एवं आयुर्वेद, क्षेत्रीय ट्रॉमा सेंटर के निर्माण, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, बौद्धिक निराश्रितों के लिए सरकारी पुनर्वास संस्थान के लिए प्रावधान शामिल है।

3.05. **शिक्षा:** इसमें उपकरणों के आधुनिकीकरण और खरीद, एनसीसी के लिए अवसंरचना के विकास, सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान करने, स्नातक कोर्सों तथा नए पॉलीटेकनीक के आधुनिकीकरण और निर्माण, महिलाओं के लिए सरकारी पोलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए प्रावधान शामिल है।

3.06. **महिला और बाल कल्याण:** इसमें वृद्ध तथा निराश्रित लोगों के लिए सरकारी भवनों के नवीकरण/परिवर्धन/निर्माण, घर छोड़ कर भागे जोड़ों के लिए संरक्षण केन्द्र, कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए क्रेच, चंडीगढ़ बाल एवं महिला कल्याण निगम को शेयर पूंजी में अंशदान, केन्द्र द्वारा प्रायोजित एकीकृत बाल संरक्षण योजना के कार्यान्वयन के लिए स समतुल्य अंशदान, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 के लिए संघ राज्य क्षेत्र आयोग की स्थापना, सरकारी भवनों तथा लड़कियों के लिए बाल गृहों के निर्माण /नवीकरण/परिवर्धन आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.07. **कला, संस्कृति और संग्रहालय:** इसमें शासकीय कला महाविद्यालय के निर्माण और नवीकरण, प्रशासनिक ब्लॉक, अंतरराष्ट्रीय हास्टल, सेक्टर-15, आडीटोरियम, सभी चारों विधाओं के कंप्यूटरीकरण तथा कार्यालय मशीनरी, उपकरण तथा भण्डार एवं फर्नीचर की अन्य मदों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.08. **खादी और ग्रामीण उद्योग:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के सुदृढीकरण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.09. **सड़क और परिवहन:** इसमें नई बसों की खरीद, खराब हुई बसों को बदलने तथा बस स्टैंड के उन्नयन, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अन्डरटेकिंग के कंप्यूटरीकरण, लिंक रोड के निर्माण, इन्टरसिटी परिवहन के लिए वीडियो कोच बसों की खरीद के लिए प्रावधान शामिल है।

3.10. **सरकारी आवासीय:** इसमें आवासीय एवं गैर-आवासीय सरकारी भवनों के निर्माण/नवीकरण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.11. **शहरी विकास:** इसमें भूमि अधिग्रहण एवं सर्वेक्षण, शहरी सड़क निर्माण/अवसंरचना संबंधी विकास, स्टोर्म वाटर ड्रेनेज, विद्युतीकरण, आईटी पार्क, सिविल कार्यों, मशीन एवं उपकरण, अन्य पूंजीगत व्यय, अनुसंधान कार्यों, सुखना झील पर बांध आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.12. **दिव्यांग और वृद्ध जनों का कल्याण:** इसमें राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के कार्यान्वयन, दिव्यांगता अधिनियम/कार्यक्रम के कार्यान्वयन, दिव्यांग व्यक्तियों को पेट्रोल एवं डीजल पर सब्सिडी, दिव्यांग व्यक्ति के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, दिव्यांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ते आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.13. **अन्य योजनाएं:** इसमें कार्यालय भवनों की मरम्मत और रखरखाव, विरासत भवनों के संरक्षण, पुनरुत्थान और उन पर रोशनी, उत्तम यातायात प्रबंधन प्रणाली, सड़कों, एलईडी लाइटिंग, अंडर पास, जलापूर्ति, जल निकासी तथा स्टार्म वाटर ड्रेनेज, आईटी पार्क को आवश्यक सेवाएं, प्राकृतिक आपदा एवं आपदा प्रबंधन, चुनावों, अन्य, राजकोषीय सेवाओं आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

4. **केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को संघ राज्य क्षेत्र की सहायता:** इसमें विद्यालयों और आंगनबाड़ियों में मध्याह्न भोजन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में संघ राज्य क्षेत्र की सहायता के लिए प्रावधान शामिल है।

5. **अनुदानग्राही/अन्य निकाय:** इसमें नगर निगम, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों और महाविद्यालयों, पंजाब अभियांत्रिकी और अन्य अनुदानग्राही जैसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बेअंत सिंह मेमोरियल तथा गैर-सरकारी संगठन, रेड क्रॉस, पाक कला संस्थान, बाल कल्याण परिषद और दिल्ली वित्तीय निगम इत्यादि शामिल हैं।

गृह मंत्रालय

मांग संख्या 54

गृह मंत्रालय (दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1963.10	377.33	2340.43	2798.76	764.83	3563.59	2798.76	873.04	3671.80	2906.00	875.10	3781.10
वसूलियां	-957.96	-3.92	-961.88	-1359.00	...	-1359.00	-1359.00	...	-1359.00	-1407.00	...	-1407.00
प्राप्तियां
निवल	1005.14	373.41	1378.55	1439.76	764.83	2204.59	1439.76	873.04	2312.80	1499.00	875.10	2374.10
क. निवल वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय-दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	15.04	...	15.04	20.24	...	20.24	20.12	...	20.12	19.84	...	19.84
2. अन्य स्थापना-दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	530.48	...	530.48	604.47	...	604.47	617.94	...	617.94	652.54	...	652.54
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	545.52	...	545.52	624.71	...	624.71	638.06	...	638.06	672.38	...	672.38
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
3. संघ राज्य क्षेत्र की योजना- दादर और नगर हवेली और दमन और दीव												
3.01 पुलिस कल्याण स्कीम	...	1.94	1.94	0.50	6.91	7.41	...	3.71	3.71	0.01	19.30	19.31
3.02 एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का कल्याण	0.42	...	0.42	1.12	...	1.12	0.75	...	0.75	0.50	...	0.50
3.03 प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2.32	...	2.32	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80
3.04 अग्निशामक सेवाओं का उन्नयन	0.41	1.29	1.70	0.06	4.60	4.66	0.06	3.28	3.34	0.13	10.10	10.23
3.05 कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप के लिए योजनाएं	1.92	0.11	2.03	9.72	4.49	14.21	8.00	0.44	8.44	6.25	3.05	9.30
3.06 विद्युत का पारेपण और वितरण	973.23	28.97	1002.20	1367.13	29.50	1396.63	1367.13	24.50	1391.63	1415.53	31.50	1447.03
	-953.00	...	-953.00	-1351.90	...	-1351.90	-1351.90	...	-1351.90	-1400.00	...	-1400.00
निवल	20.23	28.97	49.20	15.23	29.50	44.73	15.23	24.50	39.73	15.53	31.50	47.03
3.07 वन, वन्यजीव, पारिस्थितिकी और पर्यावरण	21.13	16.10	37.23	19.30	18.13	37.43	19.30	15.53	34.83	20.43	14.63	35.06
3.08 सार्वजनिक वितरण प्रणाली	6.50	...	6.50	6.50	...	6.50	6.50	...	6.50	6.50	...	6.50
	-3.65	...	-3.65	-6.50	...	-6.50	-6.50	...	-6.50	-6.50	...	-6.50
निवल	2.85	...	2.85
3.09 चिकित्सा और स्वास्थ्य के तहत योजनाएं	16.73	57.39	74.12	14.40	156.18	170.58	17.40	128.03	145.43	14.71	168.92	183.63
3.10 शिक्षा के अंतर्गत योजनाएं	13.97	55.68	69.65	28.53	111.25	139.78	23.99	102.45	126.44	21.99	95.00	116.99

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.11 औद्योगिक संवर्धन संबंधी योजनाएं	10.00	...	10.00	15.00	0.20	15.20	15.00	0.10	15.10	25.00	...	25.00
3.12 श्रम कल्याण	0.18	...	0.18	0.51	...	0.51	0.27	...	0.27	0.35	...	0.35
3.13 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	0.02	0.29	0.31	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.20	0.20
3.14 सड़क और पुल	0.71	135.84	136.55	4.01	234.06	238.07	4.01	425.85	429.86	4.63	320.06	324.69
3.15 पत्तनों और प्रकाश स्तंभों का निर्माण और विकास	...	0.01	0.01	...	3.00	3.00	...	0.30	0.30	...	1.03	1.03
3.16 नागर विमानन से संबंधित योजनाएं	18.12	1.00	19.12	25.00	25.01	50.01	25.00	11.01	36.01	28.00	25.01	53.01
3.17 पर्यटन के लिए योजनाएं	2.25	21.56	23.81	3.86	49.69	53.55	3.34	68.19	71.53	4.00	60.12	64.12
3.18 लोक निर्माण कार्य	9.51	39.09	48.60	9.40	77.14	86.54	9.40	64.59	73.99	10.02	85.17	95.19
	-0.64	...	-0.64	-0.60	...	-0.60	-0.60	...	-0.60	-0.50	...	-0.50
<i>निवल</i>	<i>8.87</i>	<i>39.09</i>	<i>47.96</i>	<i>8.80</i>	<i>77.14</i>	<i>85.94</i>	<i>8.80</i>	<i>64.59</i>	<i>73.39</i>	<i>9.52</i>	<i>85.17</i>	<i>94.69</i>
3.19 जलापूर्ति और स्वच्छता	7.38	3.18	10.56	7.40	18.60	26.00	7.40	8.54	15.94	8.25	23.60	31.85
3.20 सामान्य पूल हेतु सरकारी आवास	2.13	1.54	3.67	2.87	2.50	5.37	2.87	1.15	4.02	3.62	3.00	6.62
3.21 टोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का निर्माण	0.10	0.10	0.05	0.05
3.22 विधवा/निराश्रित महिला कल्याण	0.10	...	0.10	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	0.21	...	0.21
3.23 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं	0.17	5.00	5.17	0.20	5.00	5.20	0.20	3.50	3.70	0.20	5.00	5.20
3.24 खेल विकास संबंधी योजना	0.30	...	0.30	...	8.00	8.00	...	3.00	3.00	...	2.00	2.00
3.25 दिव्यांग और वृद्धजन के लिए योजना	0.50	...	0.50	0.52	...	0.52	0.52	...	0.52	0.51	...	0.51
<i>जोड़- संघ राज्य क्षेत्र की योजना- दादर और नगर हवेली और दमन और दीव</i>	<i>130.71</i>	<i>368.99</i>	<i>499.70</i>	<i>159.23</i>	<i>754.66</i>	<i>913.89</i>	<i>154.34</i>	<i>864.47</i>	<i>1018.81</i>	<i>165.64</i>	<i>867.74</i>	<i>1033.38</i>
4. केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए संघ राज्य क्षेत्र पूरक-दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	22.50	...	22.50	0.45	...	0.45	0.45	...	0.45	0.36	...	0.36
5. जनजातिय क्षेत्र घटक-दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	1.84	0.06	1.90	21.00	0.10	21.10	12.63	0.10	12.73	16.99	0.10	17.09
6. अनुदानग्राही अन्य निकाय-दादर और नगर हवेली और दमन और दीव												
6.01 जिला पंचायतों और ग्राम पंचायतों को अनुदान	140.09	...	140.09	419.69	...	419.69	361.73	...	361.73	409.30	...	409.30
6.02 नगरपालिका परिषदों को अनुदान	108.59	...	108.59	87.00	...	87.00	87.00	...	87.00	93.50	...	93.50
6.03 अन्य अनुदानग्राही निकाय	55.69	...	55.69	127.58	...	127.58	185.54	...	185.54	140.78	...	140.78
<i>जोड़- अनुदानग्राही अन्य निकाय-दादर और नगर हवेली और दमन और दीव</i>	<i>304.37</i>	<i>...</i>	<i>304.37</i>	<i>634.27</i>	<i>...</i>	<i>634.27</i>	<i>634.27</i>	<i>...</i>	<i>634.27</i>	<i>643.58</i>	<i>...</i>	<i>643.58</i>
7. दादर और नगर हवेली और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र का अन्य व्यय-	0.20	4.36	4.56	0.10	10.07	10.17	0.01	8.47	8.48	0.05	7.26	7.31
जोड़-अन्य	459.62	373.41	833.03	815.05	764.83	1579.88	801.70	873.04	1674.74	826.62	875.10	1701.72
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	459.62	373.41	833.03	815.05	764.83	1579.88	801.70	873.04	1674.74	826.62	875.10	1701.72
कुल जोड़	1005.14	373.41	1378.55	1439.76	764.83	2204.59	1439.76	873.04	2312.80	1499.00	875.10	2374.10

1. **सचिवालय-दादर और नगर हवेली और दमन और दीव:** यह प्रावधान दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सचिवालयी व्यय के लिए है।

2. **अन्य स्थापना-दादर और नगर हवेली और दमन और दीव:** इसमें दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र के अन्य विभागों/कार्यालयों का स्थापना संबंधी प्रावधान शामिल है।

- 3.01. **पुलिस कल्याण स्कीम:** इसमें राज्य/संघ राज्यक्षेत्र पुलिस, भारतीय रिजर्व बटालियनों के लिए रिहायशी और गैर-रिहायशी इमारतों के निर्माण और अभिवर्धन/पुनरुद्धार हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.02. **एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का कल्याण:** इसमें कुटीर उद्योगों के विकास, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को मैट्रिक से पहले छात्रवृत्ति/वजीफा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति/वजीफा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के छात्रों को पाठ्य-पुस्तकों अल्पसंख्यकों के लिए नि:शुल्क यूनीफार्म, आदि के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.03. **प्राकृतिक आपदाओं से राहत:** इसमें प्राकृतिक आपदाओं के आने पर पीड़ित व्यक्तियों को राहत आदि के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.04. **अग्निशामक सेवाओं का उन्नयन:** इसमें अग्निशमन सेवाओं के उन्नयन, अग्निशमन के उपकरणों की खरीद आदि के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.05. **कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप के लिए योजनाएं:** इसमें खेती-बाड़ी, मृदा संरक्षण, पशुपालन, मछलीपालन, सहकारिता और अन्य कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.06. **विद्युत का पारेषण और वितरण:** इसमें विद्युत के पारेषण और वितरण तथा अन्य अवसंरचना संबंधी योजनाओं और एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.07. **वन, वन्यजीव, पारिस्थितिकी और पर्यावरण:** इसमें वन एवं वन्य जीव, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के अंतर्गत योजनाओं हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.08. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली:** इसमें खाद्य भंडारण और भाण्डागारण तथा सिविल आपूर्तियों के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.09. **चिकित्सा और स्वास्थ्य के तहत योजनाएं:** इसमें राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोगवाहक जनित बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, मातृ समृद्धि योजना, बेटी बचाओ योजना, एचआईवी पीजीटिव/एड्स से ग्रसित लोगों को वित्तीय सहायता तथा स्वास्थ्य सुविधाओं/संस्थाओं के उन्नयन के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.10. **शिक्षा के अंतर्गत योजनाएं:** इसमें शिक्षा (प्रौढ़ शिक्षा/प्राथमिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/उच्चतर, तकनीकी शिक्षा), विद्यालय /पॉलीटेक्निक भवनों, खेल के मैदान/स्टेडियम आदि के निर्माण और उन्नयन के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.11. **औद्योगिक संवर्धन संबंधी योजनाएं:** इसमें निवेश संवर्धन योजना और औद्योगिक क्षेत्र में अवसंरचना के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.12. **श्रम कल्याण:** इसमें श्रमिक कल्याण योजना, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को स्वच्छ भोजन की योजना के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.13. **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान:** इसमें आई टी आई के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति तथा आई टी आई के लिए मशीन और उपकरणों के प्रापण के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.14. **सड़क और पुल:** इसमें सड़कों के अनुरक्षण और मरम्मत सहित उनके निर्माण/उन्नयन के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.15. **पत्तनों और प्रकाश स्तंभों का निर्माण और विकास:** इसमें पत्तनों और लाइटहाउसों के निर्माण और विकास के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.16. **नागर विमानन से संबंधित योजनाएं:** इसमें क्षेत्रीय संपर्कता स्कीम के अंतर्गत विमानों के संचालन के लिए वीजीएफ (वाइविलीटी गैप फंडिंग) तथा हवाईअड्डों के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.17. **पर्यटन के लिए योजनाएं:** पर्यटन विकास के अंतर्गत पर्यटन अवसंरचना के अनुरक्षण संबंधी प्रावधान शामिल है।
- 3.18. **लोक निर्माण कार्य:** इसमें लोक निर्माण कार्य विभाग की इमारतों के निर्माण/उन्नयन तथा अनुरक्षण हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.19. **जलापूर्ति और स्वच्छता:** इसमें जल आपूर्ति योजनाओं के उन्नयन/निर्माण तथा अनुरक्षण हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.20. **सामान्य पूल हेतु सरकारी आवास:** इसमें सरकारी रिहायशी इमारतों के निर्माण, उन्नयन तथा अनुरक्षण हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.21. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का निर्माण:** इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं के निर्माण हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.22. **विधवा/निराश्रित महिला कल्याण:** विधवाओं के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.23. **सामाजिक सुरक्षा योजनाएं:** इसमें संघ राज्यक्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन और चिकित्सा संबंधी खर्चों की प्रतिपूर्ति हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा एकीकृत बाल संरक्षण योजना आदि हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.24. **खेल विकास संबंधी योजना:** इसमें सायली खेल परिसरों के निर्माण, आवधिक खेलकूद प्रतियोगिताओं की व्यवस्था करना, खेल परिषद को सहायता प्रदान करने तथा वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.25. **दिव्यांग और वृद्धजन के लिए योजना:** इसमें दिव्यांगजन और वृद्ध, विकलांग कल्याण तथा रेड क्रॉस सोसायटी को सहायता हेतु प्रावधान शामिल है।
4. **केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए संघ राज्य क्षेत्र पूरक-दादर और नगर हवेली और दमन और दीव:** इसमें पुलिस आधुनिकीकरण योजना, आईसीडीएस-मिड डे भोजन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में संघ राज्य क्षेत्र की सहायता के लिए प्रावधान शामिल है।
5. **जनजातीय क्षेत्र घटक-दादर और नगर हवेली और दमन और दीव:** इसमें जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालय भवनों, उप-केन्द्रों के निर्माण, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, सिंचाई योजनाओं आदि जैसी विभिन्न सुविधाओं के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।
- 6.01. **जिला पंचायतों और ग्राम पंचायतों को अनुदान:** इसमें ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों को सहायता अनुदान हेतु प्रावधान शामिल है।

6.02. **नगरपालिका परिषदों को अनुदान:** इसमें नगरपालिका क्षेत्र में स्कूलों, सड़कों, पुलों, जल संसाधनों, विद्युत आदि के विकास हेतु नगरपालिक परिषद को अनुदान का प्रावधान शामिल है।

6.03. **अन्य अनुदानग्राही निकाय:** इसमें अन्य अनुदानग्राही निकायों को सहायता अनुदान हेतु प्रावधान शामिल है।

7. **दादर और नगर हवेली और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र का अन्य व्यय:-** इसमें नागर विमानन, कमांड क्षेत्र विकास, दमन गंगा जलाशय के लिए गुजरात सरकार को शेयर पूंजी के भुगतान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं, जनगणना और सांख्यिकी के लिए उपकरणों, लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के प्रचालन और अनुरक्षण तथा अ.जा., अ.ज.जा., अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड तथा सहकारी बैंक आदि को शेयर पूंजी अंशदानों हेतु प्रावधान शामिल है।

गृह मंत्रालय
मांग संख्या 55
गृह मंत्रालय (लद्दाख)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1585.46	788.58	2374.04	2331.64	3626.36	5958.00	2331.64	3626.36	5958.00	2553.29	3404.71	5958.00
वसूलियां	-0.30	...	-0.30
प्राप्तियां
निवल	1585.16	788.58	2373.74	2331.64	3626.36	5958.00	2331.64	3626.36	5958.00	2553.29	3404.71	5958.00
क. निवल वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	76.56	...	76.56	93.70	...	93.70	79.90	...	79.90	95.77	...	95.77
2. अन्य स्थापना	1251.44	...	1251.44	1642.38	...	1642.38	1711.71	...	1711.71	1850.57	...	1850.57
	-0.06	...	-0.06
<i>निवल</i>	<i>1251.38</i>	<i>...</i>	<i>1251.38</i>	<i>1642.38</i>	<i>...</i>	<i>1642.38</i>	<i>1711.71</i>	<i>...</i>	<i>1711.71</i>	<i>1850.57</i>	<i>...</i>	<i>1850.57</i>
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	1327.94	...	1327.94	1736.08	...	1736.08	1791.61	...	1791.61	1946.34	...	1946.34
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
3. संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं												
3.01 जनजातीय और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0.05	...	0.05	0.49	0.08	0.57	0.52	0.08	0.60	0.53	0.20	0.73
3.02 आपदा प्रबंधन	1.06	...	1.06	7.27	1.00	8.27	21.50	...	21.50	12.18	...	12.18
3.03 कृषि और संबद्ध योजनाएं	13.12	0.64	13.76	13.61	26.79	40.40	10.60	22.35	32.95	11.42	2.40	13.82
3.04 जल आपूर्ति और स्वच्छता	4.36	...	4.36	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
3.05 ग्रामीण विकास	4.28	19.09	23.37	4.21	80.00	84.21	4.16	76.10	80.26	4.22	50.00	54.22
3.06 विद्युत	56.45	18.60	75.05	89.00	134.66	223.66	70.87	134.66	205.53	70.87	64.50	135.37
3.07 वानिकी और वन्यजीव	0.65	0.08	0.73	0.96	1.06	2.02	1.28	1.06	2.34	3.79	0.10	3.89
	-0.20	...	-0.20
<i>निवल</i>	<i>0.45</i>	<i>0.08</i>	<i>0.53</i>	<i>0.96</i>	<i>1.06</i>	<i>2.02</i>	<i>1.28</i>	<i>1.06</i>	<i>2.34</i>	<i>3.79</i>	<i>0.10</i>	<i>3.89</i>
3.08 सिविल आपूर्ति	26.48	1.09	27.57	53.27	4.25	57.52	50.23	4.25	54.48	50.28	0.10	50.38
3.09 चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	0.06	...	0.06	3.68	3.00	6.68	8.67	3.00	11.67	5.24	0.60	5.84
3.10 शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति	3.49	2.11	5.60	5.93	11.56	17.49	3.66	11.39	15.05	5.51	2.93	8.44

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.11 सामाजिक कल्याण	14.21	...	14.21	22.30	5.82	28.12	21.24	6.82	28.06	22.70	1.72	24.42
3.12 ग्रामीण और लघु उद्योग	0.88	0.37	1.25	12.79	3.38	16.17	0.92	3.36	4.28	0.92	1.02	1.94
3.13 सूचना और प्रचार-प्रसार	0.65	...	0.65	1.37	1.00	2.37	1.79	0.55	2.34	1.75	0.25	2.00
3.14 श्रम और रोजगार	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
3.15 सड़कें और पुल	3.63	1.89	5.52	7.48	15.00	22.48	7.48	22.94	30.42	8.00	30.00	38.00
3.16 नागर विमानन	19.13	...	19.13	53.00	2.00	55.00	39.00	0.50	39.50	40.10	2.00	42.10
3.17 पर्यटन	4.21	6.25	10.46	2.54	30.00	32.54	4.00	32.91	36.91	1.64	30.00	31.64
3.18 लोक निर्माण कार्य	14.59	26.93	41.52	30.47	35.00	65.47	19.01	28.46	47.47	22.77	27.10	49.87
3.19 आवासन	0.64	...	0.64	1.00	...	1.00	1.50	...	1.50	3.00	...	3.00
3.20 शहरी विकास	11.95	1.26	13.21	12.10	6.90	19.00	15.19	7.40	22.59	17.59	9.00	26.59
3.21 पुलिस और अग्नि नियंत्रण	4.99	3.18	8.17	1.20	16.51	17.71	1.66	22.50	24.16	1.66	10.23	11.89
3.22 संचार	7.70	7.70	...	5.00	5.00	...	0.51	0.51
3.23 विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण	1.20	1.20	...	1.50	1.50	...	0.01	0.01
3.24 यातायात	5.60	5.60	...	4.20	4.20	...	0.80	0.80
जोड़- संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं	184.68	81.49	266.17	327.68	392.51	720.19	288.28	389.03	677.31	289.18	233.47	522.65
4. केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए संघ राज्य क्षेत्र पूरक	0.95	...	0.95	2.03	...	2.03	3.05	...	3.05	0.67	...	0.67
5. जनजातीय क्षेत्र घटक	48.24	707.09	755.33	243.15	3233.85	3477.00	222.54	3237.33	3459.87	274.78	3132.64	3407.42
6. अनुदानग्राही/अन्य निकाय	23.35	...	23.35	22.70	...	22.70	26.16	...	26.16	42.32	38.60	80.92
जोड़-अन्य	257.22	788.58	1045.80	595.56	3626.36	4221.92	540.03	3626.36	4166.39	606.95	3404.71	4011.66
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	257.22	788.58	1045.80	595.56	3626.36	4221.92	540.03	3626.36	4166.39	606.95	3404.71	4011.66
कुल जोड़	1585.16	788.58	2373.74	2331.64	3626.36	5958.00	2331.64	3626.36	5958.00	2553.29	3404.71	5958.00

1. **सचिवालय:** इसमें लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सचिवालयी व्यय के लिए प्रावधान शामिल है।

2. **अन्य स्थापना:** इसमें लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के अन्य विभागों/कार्यालयों अर्थात् लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, न्यायालयों, करों, कोषागार और लेखा प्रशासनिक स्थापना, पुलिस, जेल अन्य प्रशासनिक सेवाओं, जनजातीय कल्याण, आपदा प्रबंधन, उद्योगों, जनगणना, सर्वेक्षण और राजस्व, ग्रामीण विकास, विद्युत, वानिकी और वन्य जीव, सिविल आपूर्तियों, चिकित्सा और जनस्वास्थ्य, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल और युवा मामलों, कला और संस्कृति, ग्रामीण और लघु उद्योगों, सूचना और प्रचार-प्रसार, श्रम और रोजगार, लेखन सामग्री तथा मुद्रण, लोक निर्माण कार्य, शहरी विकास, लघु सिंचाई, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, नागर विमानन, सड़क परिवहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, भू- विज्ञान और खनन आदि का स्थापन प्रावधान शामिल हैं।

3.01. **जनजातीय और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण:** इसमें अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी प्रावधान शामिल हैं।

3.02. **आपदा प्रबंधन:** इसमें प्राकृतिक आपदा और विपत्तियों के समय राहत हेतु प्रावधान शामिल है।

3.03. **कृषि और संबद्ध योजनाएं:** इसमें कृषि कार्य, मृदा संरक्षण, अन्य कृषि कार्यक्रम, पशुपालन, भेड़ पालन, मत्स्य पालन, सहकारिता और लघु सिंचाई का प्रावधान शामिल है।

3.04. **जल आपूर्ति और स्वच्छता:** इसमें जल आपूर्ति और स्वच्छता प्रशासन संबंधी प्रावधान शामिल है।

3.05. **ग्रामीण विकास:** इसमें ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढीकरण हेतु प्रावधान शामिल है।

3.06. **विद्युत:** इसमें विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण हेतु प्रावधान शामिल है।

- 3.07. **वानिकी और वन्यजीव:** इसमें वन और वन्य जीव विकास, संरक्षण और पुनःउत्पादन, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.08. **सिविल आपूर्ति:** इसमें खाद्य भंडारण और भांडागारण तथा सिविल आपूर्ति, जनगणना और सांख्यिकी हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.09. **चिकित्सा और जन स्वास्थ्य:** इसमें चिकित्सा और जनस्वास्थ्य हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.10. **शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति:** इसमें शिक्षा (प्रारंभिक/माध्यमिक, तकनीकी, विश्वविद्यालयी, उच्चतर शिक्षा), खेलकूद, कला और संस्कृति हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.11. **सामाजिक कल्याण:** इसमें वृद्धावस्था, विधवा, निराश्रित, दिव्यांगजन कल्याण, महिला और बाल कल्याण हेतु प्रावधान, स्वैच्छिक संगठनों को प्रतिपेध, सहायता हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.12. **ग्रामीण और लघु उद्योग:** इसमें ग्रामीण और लघु उद्योगों तथा कारीगरों को सहायता हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.13. **सूचना और प्रचार-प्रसार:** इसमें सूचना और प्रचार-प्रसार तथा निर्वाचक नामावलियों की लेखन सामग्री और मुद्रण हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.14. **श्रम और रोजगार:** इसमें श्रम और रोजगार तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.15. **सड़कें और पुल:** इसमें संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा सड़कों और पुलों के निर्माण और मरम्मत हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.16. **नागर विमानन:** इसमें हेलीकॉप्टरों और वायुयानों की चार्टरिंग हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.17. **पर्यटन:** इसमें पर्यटन और प्रशिक्षण के विकास और संवर्धन हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.18. **लोक निर्माण कार्य:** इसमें संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, एलएएचडीसी तथा विभिन्न अन्य विभागों के निर्माण और मरम्मत कार्य हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.19. **आवासन:** इसमें अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.20. **शहरी विकास:** इसमें इमारतों का निर्माण और मरम्मत, तथा कारगिल तथा लेह के नगरपालिका क्षेत्रों के लिए मशीनरी और उपकरणों की खरीद हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.21. **पुलिस और अग्नि नियंत्रण:** इसमें पुलिस और अग्नि शमन सेवाओं के कार्यालय और आवासीय भवनों के निर्माण और मरम्मत हेतु प्रावधान शामिल है।

- 3.22. **संचार:** इसमें सिविल कार्य सहित सॉफ्ट वेयर , वेबसाइट और मोबाइल अनुप्रयोग विकास तथा मेजबानी के लिए प्रावधान शामिल हैं।
- 3.23. **विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण:** इसमें कार्यालय के निर्माण और रखरखाव के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.24. **यातायात:** इसमें लर्नर लाइसेंस परीक्षण केंद्र लेह और कारगिल तथा अन्य सिविल कार्य के निर्माण हेतु प्रावधान शामिल है।
4. **केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए संघ राज्य क्षेत्र पूरक:** इसमें केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए संघ राज्यक्षेत्र के बजट के तहत अनुपूरण हेतु प्रावधान शामिल है।
5. **जनजातीय क्षेत्र घटक:** इसमें परिषद सचिवालय और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के लिए विशेष केंद्रीय पैकेज के रूप में केंद्र से सहायता हेतु प्रावधान शामिल है।
6. **अनुदानग्राही/अन्य निकाय:** इसमें विश्वविद्यालयों और कला तथा संस्कृति के संवर्धन के लिए सहायता हेतु प्रावधान शामिल है।

गृह मंत्रालय
मांग संख्या 56
गृह मंत्रालय (लक्षद्वीप)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1138.66	102.26	1240.92	1238.21	229.10	1467.31	1232.96	90.05	1323.01	1199.60	221.90	1421.50
वसूलियां	-8.75	-0.01	-8.76	-26.50	-0.25	-26.75	-26.50	-0.25	-26.75	-26.50	-0.25	-26.75
प्राप्तियां
निवल	1129.91	102.25	1232.16	1211.71	228.85	1440.56	1206.46	89.80	1296.26	1173.10	221.65	1394.75
क. निवल वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	15.02	...	15.02	19.52	...	19.52	19.52	...	19.52	19.80	...	19.80
2. अन्य स्थापना	369.77	...	369.77	385.08	...	385.08	395.98	...	395.98	424.80	...	424.80
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	384.79	...	384.79	404.60	...	404.60	415.50	...	415.50	444.60	...	444.60
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
3. संघ राज्यक्षेत्र की योजनाएं												
3.01 आपदा प्रबंधन	0.43	...	0.43	0.54	...	0.54	0.54	...	0.54	0.31	...	0.31
3.02 सूचना प्रौद्योगिकी	55.00	...	55.00	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00
3.03 पुलिस	...	2.97	2.97	0.50	6.30	6.80	0.50	4.60	5.10	0.30	32.00	32.30
3.04 विद्युत	124.09	2.88	126.97	118.06	9.50	127.56	161.56	5.00	166.56	114.06	11.50	125.56
3.05 कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	25.00	2.09	27.09	32.11	3.05	35.16	15.61	2.70	18.31	15.06	4.60	19.66
	...	-0.01	-0.01	...	-0.25	-0.25	...	-0.25	-0.25	...	-0.25	-0.25
निवल	25.00	2.08	27.08	32.11	2.80	34.91	15.61	2.45	18.06	15.06	4.35	19.41
3.06 पर्यावरण एवं वन	10.19	0.94	11.13	12.00	3.20	15.20	2.75	0.55	3.30	1.61	2.70	4.31
3.07 पंचायती राज	4.29	...	4.29	4.15	0.30	4.45	8.90	0.20	9.10	6.50	0.30	6.80
3.08 नागरिक आपूर्ति	8.74	0.70	9.44	11.40	0.75	12.15	9.40	0.25	9.65	9.40	0.75	10.15
	-4.13	...	-4.13	-6.50	...	-6.50	-6.50	...	-6.50	-6.50	...	-6.50
निवल	4.61	0.70	5.31	4.90	0.75	5.65	2.90	0.25	3.15	2.90	0.75	3.65
3.09 स्वास्थ्य	37.04	8.37	45.41	43.84	12.20	56.04	41.84	10.00	51.84	41.13	60.05	101.18
3.10 शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति	35.07	10.19	45.26	48.14	9.70	57.84	31.34	3.85	35.19	36.25	11.60	47.85

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.11 समाज कल्याण, महिला और बाल विकास	9.00	0.50	9.50	8.65	0.75	9.40	8.35	0.50	8.85	7.85	0.75	8.60
3.12 ग्रामीण और लघु उद्योग	0.65	0.97	1.62	1.18	1.00	2.18	1.18	0.60	1.78	0.97	0.75	1.72
3.13 रोजगार और प्रशिक्षण	1.50	2.00	3.50	2.71	2.00	4.71	2.61	2.00	4.61	3.11	3.00	6.11
3.14 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	1.23	0.16	1.39	4.01	0.50	4.51	1.51	0.50	2.01	1.81	0.60	2.41
3.15 शहरी विकास, आवासन, जलापूर्ति और बाढ़ नियंत्रण	34.63	40.93	75.56	37.25	40.50	77.75	24.15	32.75	56.90	29.15	41.50	70.65
	-3.91	...	-3.91	-20.00	...	-20.00	-20.00	...	-20.00	-20.00	...	-20.00
<i>निवल</i>	<i>30.72</i>	<i>40.93</i>	<i>71.65</i>	<i>17.25</i>	<i>40.50</i>	<i>57.75</i>	<i>4.15</i>	<i>32.75</i>	<i>36.90</i>	<i>9.15</i>	<i>41.50</i>	<i>50.65</i>
3.16 सड़क	0.11	7.48	7.59	0.40	15.00	15.40	0.15	6.00	6.15	0.35	15.00	15.35
3.17 परिवहन	397.02	11.70	408.72	434.45	113.75	548.20	435.95	14.05	450.00	416.45	28.70	445.15
3.18 पर्यटन विकास	1.13	8.18	9.31	4.35	8.25	12.60	2.85	5.00	7.85	3.25	6.25	9.50
<i>जोड़- संघ राज्यक्षेत्र की योजनाएं</i>	<i>737.08</i>	<i>100.05</i>	<i>837.13</i>	<i>797.24</i>	<i>226.50</i>	<i>1023.74</i>	<i>782.69</i>	<i>88.30</i>	<i>870.99</i>	<i>721.06</i>	<i>219.80</i>	<i>940.86</i>
4. केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए संघ राज्य क्षेत्र पूरक सहायता	3.34	...	3.34	4.02	...	4.02	3.67	...	3.67	3.34	...	3.34
5. अनुदानग्राही/अन्य निकाय	3.10	...	3.10	4.02	...	4.02	2.77	...	2.77	2.19	...	2.19
6. संघ राज्य क्षेत्र का अन्य व्यय	1.60	2.20	3.80	1.83	2.35	4.18	1.83	1.50	3.33	1.91	1.85	3.76
जोड़-अन्य	745.12	102.25	847.37	807.11	228.85	1035.96	790.96	89.80	880.76	728.50	221.65	950.15
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	745.12	102.25	847.37	807.11	228.85	1035.96	790.96	89.80	880.76	728.50	221.65	950.15
कुल जोड़	1129.91	102.25	1232.16	1211.71	228.85	1440.56	1206.46	89.80	1296.26	1173.10	221.65	1394.75

1. **सचिवालय:** लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **अन्य स्थापना:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र के अन्य विभागों/कार्यालयों का स्थापना प्रावधान शामिल है अर्थात् संचार, योजना एवं सांख्यिकी, न्यायालय, वेतन एवं लेखा, जिला प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन बल, इंडिया रिजर्व बटालियन, विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, सहकारिता, वानिकी एवं वन्य जीव, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सिविल आपूर्ति, विधिक माप-पद्धति, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, खेल एवं युवा सेवा, कला एवं संस्कृति, उद्योग, सूचना एवं प्रचार, रोजगार एवं प्रशिक्षण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक निर्माण कार्य, जलापूर्ति, आवास, सड़क परिवहन, पत्तन, पोत परिवहन एवं विमानन, नागर विमानन और पर्यटन विकास आदि।

3.01. **आपदा प्रबंधन:** इसमें प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के लिए प्रावधान शामिल है।

3.02. **सूचना प्रौद्योगिकी:** इसमें सूचना प्रौद्योगिक सेवाओं के लिए अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास तथा डाटा कनेक्टिविटी के संवर्धन के लिए प्रावधान शामिल है।

3.03. **पुलिस:** इसमें भवनों, मशीन एवं उपकरण, पुलिस फायरफोर्स और इंडिया रिजर्व बटालियन के लिए मोटर वाहनों जैसी अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

3.04. **विद्युत:** इसमें विद्युत उत्पादन, वितरण जैसी अवसंरचना सुविधाओं के विकास, स्टीट लाइटों के रख-रखाव तथा ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोतों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.05. **कृषि और संबद्ध कार्यकलाप:** इसमें खेती-बाड़ी, मृदा संरक्षण, पशुपालन, मछलीपालन और सहकारिता के लिए प्रावधान शामिल है।

3.06. **पर्यावरण एवं वन:** इसमें पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा वन एवं वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.07. **पंचायती राज:** इसमें पंचायती राज संस्थाओं के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

3.08. **नागरिक आपूर्ति:** इसमें खाद्य संग्रहण तथा भण्डारण तथा सिविल आपूर्ति क्षेत्रों के अंतर्गत राशन तथा आवश्यक वस्तुओं के प्रापण, भंडारण और वितरण के लिए अवसंरचना के सृजन हेतु प्रावधान शामिल है।

3.09. **स्वास्थ्य:** इसमें विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों की अवसंरचना के सृजन और रखरखाव, स्वास्थ्य बीमा योजना तथा चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.10. **शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति:** इसमें प्राथमिक पूर्व शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित अवसंरचना के सृजन एवं रखरखाव और विकास, खेल एवं युवा सेवाओं के विकास तथा पुस्तकालयों और कला एवं संस्कृति के अंतर्गत अन्य गतिविधियों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.11. **समाज कल्याण, महिला और बाल विकास:** इसमें समाज कल्याण एवं जनजातीय मामलों के अंतर्गत विकास कार्यक्रमों और महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत अवसंरचना के सृजन के लिए प्रावधान शामिल है।

3.12. **ग्रामीण और लघु उद्योग:** इसमें ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

3.13. **रोजगार और प्रशिक्षण:** इसमें श्रम प्रवर्तन, रोजगार सेवाओं और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

3.14. **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:** इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अनुसंधान कार्यक्रमों और विकास संबंधी गतिविधियों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.15. **शहरी विकास, आवासन, जलापूर्ति और बाढ़ नियंत्रण:** इसमें विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा अन्य भवनों के निर्माण और अनुरक्षण, जलापूर्ति और स्वच्छता संबंधी अवसंरचना के सृजन, रिहायशी भवनों के निर्माण तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए अवसंरचना के विकास (समुद्री अपरदन-रोधी) के लिए प्रावधान शामिल है।

3.16. **सड़क:** इसमें सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण तथा सड़क सुरक्षा गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान शामिल है।

3.17. **परिवहन:** इसमें पत्तनों के निर्माण और रखरखाव, जहाजों से तट तक परिवहन सुविधाओं, जहाजों के अधिग्रहण एवं रखरखाव, हवाईअड्डों और हेलीपैड के निर्माण तथा उड़ान और हेलिकॉप्टर सेवा के रखरखाव के लिए प्रावधान शामिल है।

3.18. **पर्यटन विकास:** इसमें पर्यटन अवसंरचना के विकास और अनुरक्षण के लिए प्रावधान शामिल है।

4. **केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए संघ राज्य क्षेत्र को पूरक सहायता:** इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम तथा विशेष पोषाहार कार्यक्रम/एकीकृत बाल विकास योजना के लिए प्रावधान शामिल है।

5. **अनुदानग्राही/अन्य निकाय:** इसमें लक्षद्वीप राज्य बस्फू बोर्ड, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, लक्षद्वीप कला अकादमी, लक्षद्वीप खादी एवं ग्राम विकास बोर्ड, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, लक्षद्वीप गोताखोरी अकादमी, पर्यटन एवं खेल संवर्धन सोसायटी तथा लक्षद्वीप राज्य समाज कल्याण बोर्ड के लिए प्रावधान शामिल है।

6. **संघ राज्य क्षेत्र का अन्य व्यय:** इसमें जेलों के अनुरक्षण, न्यायिक एवं गैर-न्यायिक स्टाम्पों की खरीद, सूचना एवं प्रचार संबंधी सुविधाओं के सृजन एवं रखरखाव, जिला प्रशासन के भवनों के रखरखाव तथा लक्षद्वीप सरकारी प्रेस के सृजन एवं रखरखाव आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

गृह मंत्रालय
मांग संख्या 57
दिल्ली को अंतरण

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1112.49	...	1112.49	957.50	0.01	957.51	1030.01	...	1030.01	1168.00	...	1168.00
वसूलियां
प्राप्तियां
निवल	1112.49	...	1112.49	957.50	0.01	957.51	1030.01	...	1030.01	1168.00	...	1168.00
क. निवल वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
1. 1984 के दंगा पीड़ितों को संवर्द्धित क्षतिपूर्ति	1.50	...	1.50	4.00	...	4.00	2.00	...	2.00
2. केंद्रीय करों और शुल्कों में शेर के बदले अनुदान	325.00	...	325.00	325.00	...	325.00	325.00	...	325.00	325.00	...	325.00
3. संघ राज्य क्षेत्र आपदा प्रतिक्रिया निधि में अंशदान हेतु अनुदान	161.49	...	161.49	5.00	...	5.00	75.00	...	75.00	15.00	...	15.00
4. संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता	626.00	...	626.00	626.00	...	626.00	626.00	...	626.00	626.00	...	626.00
5. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (चंद्रावल जल शोधन संयंत्र)	0.01	0.01	0.01	...	0.01	200.00	...	200.00
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	1112.49	...	1112.49	957.50	0.01	957.51	1030.01	...	1030.01	1168.00	...	1168.00
कुल जोड़	1112.49	...	1112.49	957.50	0.01	957.51	1030.01	...	1030.01	1168.00	...	1168.00
ख. विकास शीर्ष												
अन्य												
1. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	1112.49	...	1112.49	957.50	...	957.50	1030.01	...	1030.01	1168.00	...	1168.00
2. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम	0.01	0.01
जोड़-अन्य	1112.49	...	1112.49	957.50	0.01	957.51	1030.01	...	1030.01	1168.00	...	1168.00
कुल जोड़	1112.49	...	1112.49	957.50	0.01	957.51	1030.01	...	1030.01	1168.00	...	1168.00

1, 2 और 3. ये प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए संवर्द्धित क्षतिपूर्ति, केंद्रीय करों और शुल्कों के हिस्से के एवज में अनुदान और संघ राज्य क्षेत्र आपदा प्रतिक्रिया निधि में अंशदान के लिए अनुदान के लिए हैं।

4. यह प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की स्कीमों के वित्तपोषण के लिए है।

5. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (चंद्रावल जल शोधन संयंत्र): राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार की विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए प्रावधान है।

गृह मंत्रालय
मांग संख्या 58
जम्मू और कश्मीर को अंतरण

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	30757.00	...	30757.00	30757.00	...	30757.00	34704.46	...	34704.46	35581.44	...	35581.44
वसूलियां
प्राप्तियां
निवल	30757.00	...	30757.00	30757.00	...	30757.00	34704.46	...	34704.46	35581.44	...	35581.44
क. निवल वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
1. संघ राज्य क्षेत्र आपदा अनुक्रिया निधि में योगदान के लिए अनुदान	279.00	...	279.00	279.00	...	279.00	279.00	...	279.00	279.00	...	279.00
2. संघ राज्य क्षेत्र को केंद्रीय सहायता	30478.00	...	30478.00	30478.00	...	30478.00	32978.00	...	32978.00	33923.00	...	33923.00
3. क्षतिग्रस्त अवसंरचना की स्थायी मरम्मत के लिए अनुदान	647.46	...	647.46
4. डेल नागिन लेक के पुनरुद्धार हेतु अनुदान	273.00	...	273.00
5. 624 मेगावाट कीरू एचईपी के लिए इक्रिटी योगदान हेतु अनुदान	300.00	...	300.00	130.00	...	130.00
6. रेटल 800 मेगावाट एचईपी के लिए इक्रिटी हेतु अनुदान	300.00	...	300.00	476.44	...	476.44
7. संघ राज्य क्षेत्र के पूंजीगत व्यय हेतु सहायता	200.00	...	200.00	500.00	...	500.00
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	30757.00	...	30757.00	30757.00	...	30757.00	34704.46	...	34704.46	35581.44	...	35581.44
कुल जोड़	30757.00	...	30757.00	30757.00	...	30757.00	34704.46	...	34704.46	35581.44	...	35581.44
ख. विकास शीर्ष												
अन्य												
1. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	30757.00	...	30757.00	30757.00	...	30757.00	34704.46	...	34704.46	35581.44	...	35581.44
जोड़-अन्य	30757.00	...	30757.00	30757.00	...	30757.00	34704.46	...	34704.46	35581.44	...	35581.44
कुल जोड़	30757.00	...	30757.00	30757.00	...	30757.00	34704.46	...	34704.46	35581.44	...	35581.44

1. **संघ राज्य क्षेत्र आपदा अनुक्रिया निधि में योगदान के लिए अनुदान:** ये प्रावधान संघ राज्यक्षेत्र आपदा अनुक्रिया निधि को अंशदान के लिए हैं।

2. **संघ राज्य क्षेत्र को केंद्रीय सहायता:** यह प्रावधान संघ राज्यक्षेत्र को अपने संसाधन संबंधी कमी को पूरा करने के लिए इसकी सहायता के लिए है।

3. **क्षतिग्रस्त अवसंरचना की स्थायी मरम्मत के लिए अनुदान:** अवसंरचना जो वर्ष 2014 में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था की स्थायी मरम्मत हेतु व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान।
4. **डेडल नागिन झील के पुनरुद्धार हेतु अनुदान:** श्रीनगर में दल-नागीन के पुनर्वास संरक्षण तथा मरम्मत के लिए प्रावधान।
5. **624 मेगावाट कीरू एचईपी के लिए इक्विटी योगदान हेतु अनुदान:** कीरू जलविद्युत परियोजना (एचईपी) के निर्माण हेतु इक्विटी अंशदान प्रदान करने के लिए प्रावधान।
6. **रेटल 800 मेगावाट एचईपी के लिए इक्विटी हेतु अनुदान:** 850 एमडब्ल्यू रेटल जलविद्युत परियोजना (एचईपी) के कार्यान्वयन के लिए इक्विटी अंशदान पूरा करने के लिए प्रावधान।
7. **संघ राज्य क्षेत्र के पूंजीगत व्यय हेतु सहायता:** अवसंरचना परियोजनाओं के लिए संसाधन अंतर निधियन की पूर्ति हेतु प्रावधान।

गृह मंत्रालय
मांग संख्या 59
पुडुचेरी को अंतरण

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1703.00	...	1703.00	1729.78	0.01	1729.79	1879.78	0.01	1879.79	1729.78	0.01	1729.79
वसूलियां
प्राप्तियां
निवल	1703.00	...	1703.00	1729.78	0.01	1729.79	1879.78	0.01	1879.79	1729.78	0.01	1729.79
क. निवल वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
1. संघ राज्य क्षेत्र आपदा अनुक्रिया निधि में अंशदान हेतु अनुदान	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
2. संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता	1698.00	...	1698.00	1724.77	...	1724.77	1874.77	...	1874.77	1724.77	...	1724.77
3. समुद्र तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना हेतु ईएपी	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
4. जल आपूर्ति परियोजना हेतु ईएपी	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	1703.00	...	1703.00	1729.78	0.01	1729.79	1879.78	0.01	1879.79	1729.78	0.01	1729.79
कुल जोड़	1703.00	...	1703.00	1729.78	0.01	1729.79	1879.78	0.01	1879.79	1729.78	0.01	1729.79
ख. विकास शीर्ष												
अन्य												
1. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	1703.00	...	1703.00	1729.78	...	1729.78	1879.78	...	1879.78	1729.78	...	1729.78
2. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़-अन्य	1703.00	...	1703.00	1729.78	0.01	1729.79	1879.78	0.01	1879.79	1729.78	0.01	1729.79
कुल जोड़	1703.00	...	1703.00	1729.78	0.01	1729.79	1879.78	0.01	1879.79	1729.78	0.01	1729.79

1. **संघ राज्य क्षेत्र आपदा अनुक्रिया निधि में अंशदान हेतु अनुदान:** यह प्रावधान संघ राज्य क्षेत्र आपदा अनुक्रिया निधि को अंशदान के लिए अनुदानों के लिए है।

2. **संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता:** यह प्रावधान पुडुचेरी सरकार की स्कीमों के संसाधनों और वित्तपोषणों में अंतर को पाटने के लिए अनुदानों के लिए है।

3. **समुद्र तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना हेतु ईएपी:** यह सांकेतिक राशि का प्रावधान पुडुचेरी सरकार की विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए है।

4. **जल आपूर्ति परियोजना हेतु ईएपी:** इस सांकेतिक राशि का प्रावधान पुडुचेरी सरकार की विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए है।

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 60

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	43106.44	10304.19	53410.63	36991.99	25759.02	62751.01	48063.76	25956.51	74020.27	49377.45	27341.02	76718.47	
वसूलियां	-6709.16	-0.51	-6709.67	-8170.00	-0.01	-8170.01	-170.00	-0.01	-170.01	-169.00	-0.01	-169.01	
प्राप्तियां	
निवल	36397.28	10303.68	46700.96	28821.99	25759.01	54581.00	47893.76	25956.50	73850.26	49208.45	27341.01	76549.46	
क. निवल वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. सचिवालय													
1.01	अंतर्राष्ट्रीय अंशदान	1.20	...	1.20	
2. सचिवालय													
2.01	सचिवालय	101.18	...	101.18	112.22	...	112.22	108.14	...	108.14	120.00	...	120.00
		-0.06	...	-0.06	
	निवल	101.12	...	101.12	112.22	...	112.22	108.14	...	108.14	120.00	...	120.00
2.02	केंद्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग	1084.01	...	1084.01	
2.03	संपदा निदेशालय	61.89	...	61.89	70.38	...	70.38	69.45	...	69.45	69.95	...	69.95
		-0.67	...	-0.67	
	निवल	61.22	...	61.22	70.38	...	70.38	69.45	...	69.45	69.95	...	69.95
2.04	भूमि और विकास कार्यालय की स्थापना	12.49	...	12.49	98.20	...	98.20	98.57	...	98.57	19.87	...	19.87
2.05	अंतर्राष्ट्रीय अंशदान	1.40	...	1.40	1.37	...	1.37	1.34	...	1.34
	जोड़- सचिवालय	1258.84	...	1258.84	282.20	...	282.20	277.53	...	277.53	211.16	...	211.16
3. संबद्ध कार्यालय/स्वायत्त संगठन													
3.01	नगर और ग्राम योजना संगठन	14.07	...	14.07	13.47	...	13.47	13.22	...	13.22	13.50	...	13.50
3.02	राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान	5.56	...	5.56	5.56	...	5.56	5.56	...	5.56	5.56	...	5.56
3.03	दिल्ली शहरी कला आयोग	2.51	...	2.51	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50
3.04	नगरपालिका के कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु सहायता अनुदान	11.30	...	11.30	13.50	...	13.50	13.50	...	13.50	13.50	...	13.50
3.05	एनसीआर आयोजना बोर्ड	39.93	...	39.93	55.10	...	55.10	55.10	...	55.10	55.10	...	55.10
3.06	विभागीय कैंटीन सहित राजघाट समाधि समिति	4.06	...	4.06	9.00	...	9.00	8.00	...	8.00	7.00	...	7.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.07 भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिपद (सीएमटीपीसी)	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50	6.50	...	6.50
3.08 केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवासन संगठन	0.08	...	0.08	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
3.09 राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन	2.25	...	2.25	4.08	...	4.08	4.06	...	4.06	4.00	...	4.00
3.10 स्थावर संपदा विनियामक प्राधिकरण	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
3.11 केंद्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग	2977.45	...	2977.45	3168.49	...	3168.49	3249.10	...	3249.10
	-3.99	...	-3.99	-3.99	...	-3.99	-3.99	...	-3.99
निवल	2973.46	...	2973.46	3164.50	...	3164.50	3245.11	...	3245.11
निवल	89.26	...	89.26	3088.27	...	3088.27	3278.04	...	3278.04	3358.87	...	3358.87
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	1349.30	...	1349.30	3370.47	...	3370.47	3555.57	...	3555.57	3570.03	...	3570.03
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाएं												
4. मेट्रो परियोजनाएं												
4.01 इक्विटी निवेश	...	1620.85	1620.85	...	3454.91	3454.91	...	4329.69	4329.69	...	3702.00	3702.00
4.02 अधीनस्थ ऋण	...	2466.00	2466.00	...	1717.80	1717.80	...	1627.12	1627.12	...	1272.00	1272.00
4.03 पास श्रु सहायता	...	4485.74	4485.74	...	13825.29	13825.29	...	13021.19	13021.19	...	14156.00	14156.00
जोड़- मेट्रो परियोजनाएं	...	8572.59	8572.59	...	18998.00	18998.00	...	18978.00	18978.00	...	19130.00	19130.00
5. शहरी परिवहन में परिवहन आयोजना और क्षमता निर्माण	26.88	...	26.88	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	35.00	...	35.00
6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम	398.40	...	398.40	188.00	4284.00	4472.00	188.00	4284.00	4472.00	88.00	4622.00	4710.00
जोड़-एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाएं	425.28	8572.59	8997.87	218.00	23282.00	23500.00	218.00	23262.00	23480.00	123.00	23752.00	23875.00
सामान्य पूल आवास												
7. आवासीय												
7.01 आवासीय	939.02	567.19	1506.21	...	606.07	606.07	...	756.07	756.07	...	873.02	873.02
8. गैर-आवासीय												
8.01 गैर-आवासीय	826.13	1024.41	1850.54	...	1745.95	1745.95	...	1833.44	1833.44	...	2601.00	2601.00
	-1.42	-0.51	-1.93	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01
निवल	824.71	1023.90	1848.61	...	1745.94	1745.94	...	1833.43	1833.43	...	2600.99	2600.99
जोड़-सामान्य पूल आवास	1763.73	1591.09	3354.82	...	2352.01	2352.01	...	2589.50	2589.50	...	3474.01	3474.01
पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाएं												
9. पूर्वोत्तर क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजना (एनईआरयूडीपी)												
9.01 भारत सरकार का अंशदान	106.25	...	106.25	119.91	...	119.91	85.00	...	85.00
9.02 ईएपी घटक	0.03	...	0.03
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजना (एनईआरयूडीपी)	106.25	...	106.25	119.94	...	119.94	85.00	...	85.00
10. पूर्वोत्तर में अन्य परियोजनाएं	18.56	...	18.56	0.06	...	0.06
जोड़-पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाएं	124.81	...	124.81	120.00	...	120.00	85.00	...	85.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
11. चैम्पियन सेवाएं क्षेत्र योजना - निर्मल कौशल विकास योजना	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
12. प्रधान मंत्री की फेरी वाला आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि)	113.62	...	113.62	200.00	...	200.00	300.00	...	300.00	150.00	...	150.00
13. सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिक (पीएचई) क्षेत्र विकास योजना	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	2427.44	10163.68	12591.12	540.01	25634.01	26174.02	605.01	25851.50	26456.51	275.01	27226.01	27501.02
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
14. लेखन सामग्री नियंत्रक	24.79	...	24.79	44.81	...	44.81	40.63	...	40.63	42.00	...	42.00
	-2.46	...	-2.46	-3.00	...	-3.00	-3.00	...	-3.00	-3.00	...	-3.00
<i>निवल</i>	<i>22.33</i>	<i>...</i>	<i>22.33</i>	<i>41.81</i>	<i>...</i>	<i>41.81</i>	<i>37.63</i>	<i>...</i>	<i>37.63</i>	<i>39.00</i>	<i>...</i>	<i>39.00</i>
15. मुद्रणालय	136.86	...	136.86	164.38	85.00	249.38	145.00	65.00	210.00	165.00	75.00	240.00
	-113.26	...	-113.26	-160.01	...	-160.01	-160.01	...	-160.01	-159.01	...	-159.01
<i>निवल</i>	<i>23.60</i>	<i>...</i>	<i>23.60</i>	<i>4.37</i>	<i>85.00</i>	<i>89.37</i>	<i>-15.01</i>	<i>65.00</i>	<i>49.99</i>	<i>5.99</i>	<i>75.00</i>	<i>80.99</i>
16. अन्य संगठन	2.94	...	2.94	3.43	...	3.43	1.95	...	1.95	1.52	...	1.52
	-0.04	...	-0.04	-3.00	...	-3.00	-3.00	...	-3.00	-3.00	...	-3.00
<i>निवल</i>	<i>2.90</i>	<i>...</i>	<i>2.90</i>	<i>0.43</i>	<i>...</i>	<i>0.43</i>	<i>-1.05</i>	<i>...</i>	<i>-1.05</i>	<i>-1.48</i>	<i>...</i>	<i>-1.48</i>
17. प्रकाशन नियंत्रक	17.45	...	17.45	19.90	...	19.90	16.61	...	16.61	19.90	...	19.90
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	66.28	...	66.28	66.51	85.00	151.51	38.18	65.00	103.18	63.41	75.00	138.41
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
18. हेमीशफेयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल)	...	140.00	140.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	66.28	140.00	206.28	66.51	125.00	191.51	38.18	105.00	143.18	63.41	115.00	178.41
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)												
19. पीएमएवाई-शहरी (सीआरआईएफ से वित्त पोषित योजनाएं)												
19.01 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) हेतु ऋण से जुड़ी सस्मिडी योजना (सीएलएसएस)-I	3750.00	...	3750.00	1000.00	...	1000.00	12000.00	...	12000.00	0.01	...	0.01
19.02 मध्यम आय समूह (एमआईजी) के लिए ऋण से जुड़ी सस्मिडी योजना (सीएलएसएस)-II	3000.00	...	3000.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
19.03 क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटी)	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
19.04 समावेशी शहरी अभिशासन हेतु संस्थागत विकास	0.59	...	0.59	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
19.05 केंद्रीय घटक की अन्य मदें	104.10	...	104.10	732.91	...	732.91	437.91	...	437.91	496.91	...	496.91
19.06 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक की अन्य मदें	10002.17	...	10002.17	1542.07	...	1542.07	10098.37	...	10098.37	23038.07	...	23038.07

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
19.07 ईबीआर के जरिए लिए गए ऋण के लिए व्याज की अदायगी	4147.84	...	4147.84	4720.00	...	4720.00	4458.70	...	4458.70	4460.00	...	4460.00
19.08 सीआरआईएफ को अंतरण	5665.25	...	5665.25	8000.00	...	8000.00
19.09 सीआरआईएफ से पूरा किया गया	-5679.25	...	-5679.25	-8000.00	...	-8000.00
<i>निवल</i>	<i>20990.70</i>	...	<i>20990.70</i>	<i>8000.00</i>	...	<i>8000.00</i>	<i>27000.00</i>	...	<i>27000.00</i>	<i>28000.00</i>	...	<i>28000.00</i>
राष्ट्रीय आजीविका मिशन-आजीविका												
20. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)												
20.01 केंद्रीय घटक	6.30	...	6.30	26.78	...	26.78	59.68	...	59.68	77.98	...	77.98
20.02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक	810.31	...	810.31	768.22	...	768.22	735.32	...	735.32	822.02	...	822.02
<i>जोड़- दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)</i>	<i>816.61</i>	...	<i>816.61</i>	<i>795.00</i>	...	<i>795.00</i>	<i>795.00</i>	...	<i>795.00</i>	<i>900.00</i>	...	<i>900.00</i>
शहरी पुनरुज्जीवन अभियान : अमृतऔर स्मार्ट सिटी मिशन												
21. अमृत (अटल पुनरुज्जीवन और शहरी सुधार मिशन)												
21.01 शहरी पुनरुज्जीवन मिशन - 500 शहर	6448.35	...	6448.35	7300.00	...	7300.00	7300.00	...	7300.00	7300.00	...	7300.00
22. स्मार्ट सिटी मिशन												
22.01 100 स्मार्ट शहरों के विकास हेतु मिशन	3374.34	...	3374.34	6117.97	...	6117.97	6457.84	...	6457.84	6465.97	...	6465.97
	-69.08	...	-69.08
<i>निवल</i>	<i>3305.26</i>	...	<i>3305.26</i>	<i>6117.97</i>	...	<i>6117.97</i>	<i>6457.84</i>	...	<i>6457.84</i>	<i>6465.97</i>	...	<i>6465.97</i>
22.02 नवाचार, एकीकरण और धारणीयता के लिए शहरी निवेश (सीआईटीआईआईएस)	332.03	...	332.03	142.16	...	142.16	334.03	...	334.03
<i>जोड़- स्मार्ट सिटी मिशन</i>	<i>3305.26</i>	...	<i>3305.26</i>	<i>6450.00</i>	...	<i>6450.00</i>	<i>6600.00</i>	...	<i>6600.00</i>	<i>6800.00</i>	...	<i>6800.00</i>
जोड़-शहरी पुनरुज्जीवन अभियान : अमृतऔर स्मार्ट सिटी मिशन	9753.61	...	9753.61	13750.00	...	13750.00	13900.00	...	13900.00	14100.00	...	14100.00
स्वच्छ भारत मिशन												
23. स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) - शहरी												
23.01 राष्ट्रीय स्वच्छता कोष से वित्तपोषित योजनाएं - केंद्रीय घटक	31.30	...	31.30
23.02 राष्ट्रीय स्वच्छता कोष से वित्तपोषित योजना - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक	908.45	...	908.45
23.03 सकल बजट सहायता	55.15	...	55.15	2300.00	...	2300.00	2000.00	...	2000.00	2300.00	...	2300.00
<i>जोड़- स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) - शहरी</i>	<i>994.90</i>	...	<i>994.90</i>	<i>2300.00</i>	...	<i>2300.00</i>	<i>2000.00</i>	...	<i>2000.00</i>	<i>2300.00</i>	...	<i>2300.00</i>
24. वास्तविक वसूलियां	-1.56	...	-1.56
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	32554.26	...	32554.26	24845.00	...	24845.00	43695.00	...	43695.00	45300.00	...	45300.00
कुल जोड़	36397.28	10303.68	46700.96	28821.99	25759.01	54581.00	47893.76	25956.50	73850.26	49208.45	27341.01	76549.46
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	99.25	...	99.25	112.22	...	112.22	108.14	...	108.14	120.00	...	120.00
2. लेखन सामग्री और छपाई	63.61	...	63.61	66.38	...	66.38	39.37	...	39.37	65.19	...	65.19

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3. लोक निर्माण कार्य	1923.73	...	1923.73	2114.28	...	2114.28	2117.68	...	2117.68	2190.18	...	2190.18
4. लेखन सामग्री और छपाई पर पूंजी परिव्यय	85.00	85.00	...	65.00	65.00	...	75.00	75.00
5. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	1000.64	1000.64	...	1735.20	1735.20	...	1830.13	1830.13	...	2598.10	2598.10
जोड़-सामान्य सेवाएं	2086.59	1000.64	3087.23	2292.88	1820.20	4113.08	2265.19	1895.13	4160.32	2375.37	2673.10	5048.47
सामाजिक सेवाएं												
6. सामान्य शिक्षा	2.67	...	2.67	0.13	...	0.13	-1.19	...	-1.19	-1.78	...	-1.78
7. आवास	12015.78	...	12015.78	7509.77	...	7509.77	18139.50	...	18139.50	6129.62	...	6129.62
8. शहरी विकास	545.87	...	545.87	730.94	...	730.94	640.92	...	640.92	992.94	...	992.94
9. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	...	567.19	567.19	...	606.07	606.07	...	756.07	756.07	...	873.02	873.02
10. शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	...	1720.85	1720.85	...	3484.91	3484.91	...	4359.69	4359.69	...	3732.00	3732.00
11. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	22.79	22.79	...	9.74	9.74	...	2.30	2.30	...	1.89	1.89
12. शहरी विकास के लिए ऋण	...	6991.74	6991.74	...	19837.09	19837.09	...	18942.31	18942.31	...	20060.00	20060.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	12564.32	9302.57	21866.89	8240.84	23937.81	32178.65	18779.23	24060.37	42839.60	7120.78	24666.91	31787.69
आर्थिक सेवाएं												
13. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	119.92	...	119.92	226.71	...	226.71	359.60	...	359.60	227.90	...	227.90
14. नौवहन पर पूंजी परिव्यय	...	0.47	0.47	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	119.92	0.47	120.39	226.71	1.00	227.71	359.60	1.00	360.60	227.90	1.00	228.90
अन्य												
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र	674.07	...	674.07	562.81	...	562.81	844.04	...	844.04
16. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	21233.18	...	21233.18	16604.48	...	16604.48	25210.82	...	25210.82	37824.35	...	37824.35
17. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	393.27	...	393.27	783.01	...	783.01	716.11	...	716.11	816.01	...	816.01
18. राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम
जोड़-अन्य	21626.45	...	21626.45	18061.56	...	18061.56	26489.74	...	26489.74	39484.40	...	39484.40
कुल जोड़	36397.28	10303.68	46700.96	28821.99	25759.01	54581.00	47893.76	25956.50	73850.26	49208.45	27341.01	76549.46

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड	...	277.00	277.00	...	280.00	280.00	...	280.00	280.00	...	250.00	250.00
2. आवासन एवं शहरी विकास निगम	...	9215.77	9215.77	...	16015.24	16015.24	...	10459.12	10459.12	...	15335.07	15335.07
3. मेट्रो एवं एमआरटीएस परियोजनाएं	8572.59	800.00	9372.59	18998.00	1300.00	20298.00	18978.00	1487.50	20465.50	19130.00	2287.50	21417.50

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

		बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
		आं. ब. बा. सं.	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	(₹ करोड़)	
4.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम	4284.00	...	4284.00	4284.00	...	4284.00	4622.00	...	4622.00	
5.	भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद	7000.00	7000.00	
6.	हेमिस्फेर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	140.00	...	140.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	
जोड़		8712.59	10292.77	19005.36	23282.00	24595.24	47877.24	23302.00	12226.62	35528.62	23792.00	17872.57	41664.57

2.01. **सचिवालय:** यह प्रावधान राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकार के मंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंशदान सहित आवासन और शहरी विकास मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए है।

2.03. **संपदा निदेशालय:** यह प्रावधान संपदा निदेशालय के कंप्यूटरीकरण और सचिवालय व्यय के लिए है।

2.04. **भूमि और विकास कार्यालय की स्थापना:** यह प्रावधान भूमि एवं विकास कार्यालय की स्थापना व्यय के लिए है।

2.05. **अंतर्राष्ट्रीय अंशदान:** इस प्रावधान में 2020-21 से संयुक्त राष्ट्र मानव समाधान केंद्रों तथा राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकार के मंच और आवासन एवं शहरी विकास पर एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क हेतु अंशदान शामिल है।

3. **संबद्ध कार्यालय/स्वायत्त संगठन:** 3.01-3.06

यह प्रावधान नगर और ग्राम आयोजना संगठन, जो शहरी और क्षेत्रीय योजना से संबंधित और शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान है, दिल्ली शहरी कला आयोग, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और राजघाट समाधि समिति के लिए है।

3.07. **भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी):** यह भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) को अनुदान के लिए है।

3.08. **केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवासन संगठन:** यह केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवासन संगठन को अनुदान के लिए है।

3.09. **राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन:** यह राष्ट्रीय भवन संगठन के लिए अनुदान और अन्य व्यय के लिए है।

3.10. **स्थावर संपदा विनियामक प्राधिकरण:** यह प्रावधान स्थावर संपदा विनियामक प्राधिकरण को अनुदानों के लिए है।

3.11. **केंद्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग:** यह प्रावधान 2020-21 से शिक्षण संस्थान तथा केंद्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग के कंप्यूटरीकरण सहित सचिवालय के कंप्यूटरीकरण संबंधी व्यय, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के लिए स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

4. **मेट्रो परियोजनाएं:** 4.01-4.03

ये प्रावधान मेट्रो परियोजनाओं की इकटिरी, ऋण, पासबुक सहायता के लिए हैं।

5. **शहरी परिवहन में परिवहन आयोजना और क्षमता निर्माण:** यह प्रावधान परिवहन योजना और क्षमता निर्माण की योजना के लिए है।

6. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम:** प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम में इकटिरी निवेश के लिए है।

7. **आवासीय:** प्रावधान सरकारी रिहायशी भवनों के निर्माण और रखरखाव के लिए है।

8. **गैर-आवासीय:** यह प्रावधान गैर-आवासीय कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए है, जिसमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, संसद, भारत का सर्वोच्च न्यायालय आदि शामिल हैं।

10. **पूर्वोत्तर में अन्य परियोजनाएं:** यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्य परियोजनाओं के लिए है।

11. **चैम्पियन सेवाएं क्षेत्र योजना - निर्मल कौशल विकास योजना:** यह प्रावधान चैम्पियन सेवाएं क्षेत्र योजना - निर्माण कौशल विकास योजना के लिए है।

12. **प्रधान मंत्री की फेरी वाला आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि):** यह प्रावधान प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेडर्स की आत्मनिर्भर निधि के लिए है।

13. **सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिक (पीएचई) क्षेत्र विकास योजना:** विभागों/यूएलबी इत्यादि के विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकों (पीएचई) के सेवारत अभियांत्रिकों और पैरा इंजिनियरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है।

14. **लेखन सामग्री नियंत्रक:** यह प्रावधान केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के लिए लेखन सामग्री और भण्डार की खरीद और आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है।

15. **मुद्रणालय:** यह प्रावधान सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के लिए अभिचिह्नित है। इसमें पाठ्यपुस्तक मुद्रणालय भी शामिल हैं जो सरकारी मुद्रण कार्य करते हैं।
16. **अन्य संगठन:** प्रावधान अन्य संगठनों के लिए है, जिसमें मुद्रण निदेशालय, पर्चा स्टोर, निजी प्रेस के माध्यम से मुद्रण और पाठ्यपुस्तक प्रेस के लिए प्रावधान शामिल है।
17. **प्रकाशन नियंत्रक:** प्रकाशन नियंत्रक एक केंद्रीय संगठन के लिए है जो सरकारी प्रकाशनों को एकत्रित, वितरित तथा विक्री करता है।
18. **हेमीस्फेर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल):** यह प्रावधान एचपीआईएल, इस मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को सहायता प्रदान करने के लिए है। जो 12.07.2018 से दूरसंचार विभाग से अंतरित है।
19. **पीएमएवाई-शहरी (सीआरआईएफ से वित्त पोषित योजनाएं):** यह प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए है, जिसका लक्ष्य हर परिवार के लिए पक्के मकान उपलब्ध कराना है।
- 19.01. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) हेतु ऋण से जुड़ी सस्मिडी योजना (सीएलएसएस)-I:** यह प्रावधान क्रेडिट लिंकड सस्मिडी योजना (सी एल एस एस) -I के तहत ईडब्ल्यूएस / एलआईजी वर्ग के लिए आवास ऋण पर व्याज सस्मिडी प्रदान करने के लिए है।
- 19.03. **क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटी):** क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटी) के तहत प्रावधान अनुसूचित वाणिज्यिक / सहकारी बैंकों द्वारा समपाश्चिक या तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना इस तरह के आवास ऋणों के लिए प्रभावी गारंटी प्रदान करना है।
- 19.04. **समावेशी शहरी अभिशासन हेतु संस्थागत विकास:** यह प्रावधान समावेशी शहरी अभिशासन के लिए संस्थागत विकास के लिए है।
- 19.05. **केंद्रीय घटक की अन्य मदें:** यह प्रावधान स्थापना व्यय, क्षमता निर्माण गतिविधियों और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्य विविध केंद्रीय घटकों के लिए है।
- 19.06. **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक की अन्य मदें:** प्रावधान पी एम ए वाई (यू) की योजना के तहत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए है। इसमें अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) और अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) पर होने वाले खर्च भी शामिल हैं।
- 19.07. **ईबीआर के जरिए लिए गए ऋण के लिए व्याज की अदायगी:** प्रावधान पीएमएवाई (यू) स्कीम के लिए बजट बाह्य संसाधनों के माध्यम से जुटाए गए ऋण की व्याज अदायगी के लिए है।
20. **दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम):** प्रावधान डी ए वाई-एनयूएलएम, गरीबों के लिए मजबूत जमीनी संस्थानों के सृजन के माध्यम के रूप में भी लाभकारी स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के अवसरों का उपयोग करने के लिए उन्हें सक्षम करने से गरीब की गरीबी और शहरी गरीब परिवारों के जोखिम को कम करने के उद्देश्य के लिए है। इस मिशन का

उद्देश्य शहरी बेघरों को अत्यावश्यक सेवाओं से युक्त घर उपलब्ध कराना तथा शहरी रेहड़ी वालों की आजीविका संबंधी सरोकारों का भी निराकरण करना है।

- 20.01. **केंद्रीय घटक:** प्रावधान स्थापना व्यय, मिशन निदेशालय में क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए और एनयूएलएम की योजना के लिए अन्य विविध केंद्रीय घटकों के लिए है।
- 20.02. **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक:** प्रावधान एनयूएलएम मिशन के तहत राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेश को केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए है और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए पिछली योजनाओं के तहत राज्यों की चालू परियोजनाओं के तहत व्यय को पूरा करने के लिए है।
21. **अमृत (अटल पुनरुज्जीवन और शहरी सुधार मिशन):** प्रावधान अमृत योजना के लिए है।
- 22.01. **100 स्मार्ट शहरों के विकास हेतु मिशन:** प्रावधान 100 स्मार्ट शहरों के विकास के लिए है।
- 22.02. **नवाचार, एकीकरण और धारणीयता के लिए शहरी निवेश (सीआईटीआईआईएस):** प्रावधान स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए फ्रॉन्सीसी विकास एजेंसी (एएफडी) वित्तपोषित स्कीम के लिए है। जो नवाचार एकीकरण और धारणीयता हेतु शहरी निवेश के लिए है।
23. **स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) - शहरी:** प्रावधान स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की योजना के कार्यान्वयन के लिए है।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

मांग संख्या 61

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3374.12	6.32	3380.44	4058.61	12.62	4071.23	3743.59	21.10	3764.69	3955.12	25.65	3980.77
<i>वसूलियां</i>	-3.82	...	-3.82
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	3370.30	6.32	3376.62	4058.61	12.62	4071.23	3743.59	21.10	3764.69	3955.12	25.65	3980.77
क. निवल वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय												
1.01 सचिवालय	71.18	...	71.18	89.18	...	89.18	87.20	...	87.20	97.59	...	97.59
	-0.07	...	-0.07
<i>निवल</i>	<i>71.11</i>	<i>...</i>	<i>71.11</i>	<i>89.18</i>	<i>...</i>	<i>89.18</i>	<i>87.20</i>	<i>...</i>	<i>87.20</i>	<i>97.59</i>	<i>...</i>	<i>97.59</i>
1.02 कला एवं संस्कृति	8.58	...	8.58	13.82	...	13.82	12.04	...	12.04	13.20	...	13.20
	-1.86	...	-1.86
<i>निवल</i>	<i>6.72</i>	<i>...</i>	<i>6.72</i>	<i>13.82</i>	<i>...</i>	<i>13.82</i>	<i>12.04</i>	<i>...</i>	<i>12.04</i>	<i>13.20</i>	<i>...</i>	<i>13.20</i>
1.03 सूचना एवं प्रचार	352.24	...	352.24	460.77	...	460.77	431.23	...	431.23	472.08	...	472.08
	-1.00	...	-1.00
<i>निवल</i>	<i>351.24</i>	<i>...</i>	<i>351.24</i>	<i>460.77</i>	<i>...</i>	<i>460.77</i>	<i>431.23</i>	<i>...</i>	<i>431.23</i>	<i>472.08</i>	<i>...</i>	<i>472.08</i>
<i>निवल</i>	<i>429.07</i>	<i>...</i>	<i>429.07</i>	<i>563.77</i>	<i>...</i>	<i>563.77</i>	<i>530.47</i>	<i>...</i>	<i>530.47</i>	<i>582.87</i>	<i>...</i>	<i>582.87</i>
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. प्रसार भारती												
2.01 प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास	176.46	...	176.46	316.00	...	316.00	175.00	...	175.00	315.00	...	315.00
3. सूचना												
3.01 विकासपरक संचार तथा सूचना का प्रचार-प्रसार	100.39	...	100.39	188.00	...	188.00	188.00	...	188.00	184.00	...	184.00
4. फिल्म												
4.01 विकास संचार और फिल्म सम्बन्धी विषय वस्तु का प्रसार	48.20	6.32	54.52	110.00	12.62	122.62	63.40	21.10	84.50	101.51	25.65	127.16
4.02 चैंपियन सेवाएं क्षेत्र योजनाएं	1.59	...	1.59
<i>जोड़- फिल्म</i>	<i>48.20</i>	<i>6.32</i>	<i>54.52</i>	<i>111.59</i>	<i>12.62</i>	<i>124.21</i>	<i>63.40</i>	<i>21.10</i>	<i>84.50</i>	<i>101.51</i>	<i>25.65</i>	<i>127.16</i>

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. ब्रांडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसलटैन्ट्स इंडिया लिमिटेड	...	122.17	122.17	...	247.02	247.02	...	180.60	180.60	...	201.39	201.39
2. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	...	1.42	1.42	4.67	4.67
जोड़	...	123.59	123.59	...	247.02	247.02	...	185.27	185.27	...	201.39	201.39

(₹ करोड़)

1.01. **सचिवालय:** इसके अंतर्गत मुख्य सचिवालय तथा प्रधान लेखा कार्यालय के लिए स्थापना व्यय को कवर किया जाता है।

1.02. **कला एवं संस्कृति:** इसके अंतर्गत केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से संबंधित व्यय को शामिल किया जाता है।

1.03. **सूचना एवं प्रचार:** इसके अंतर्गत इस मंत्रालय के निम्नलिखित मीडिया यूनितों पर किए जाने वाले स्थापना संबंधी व्यय को कवर किया जाता है:- (i) लोक संपर्क और संचार ब्यूरो – इसमें कार्यकलापों अर्थात् विज्ञापन एवं अन्य मुद्रित सामग्रियों के साथ-साथ रेडियो, टेलीविजनों, प्रदर्शनियों एवं अन्य बाह्य प्रचार मीडिया के जरिए प्रचार अभियान, फिल्म शो, लाइव मीडिया कार्यक्रम, फोटो प्रदर्शनियों तथा सेमिनारों के जरिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में जागरूकता पैदा करने संबंधी कार्यकलाप शामिल हैं। उपर्युक्त के अलावा, युक्तिकरण के कारण स्थापना व्यय के अंतर्गत मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम (एमआईडीपी) का विलय करने से बीओसी में वित्तीय वर्ष 2020-21 से एमआईडीपी योजना के अंतर्गत इसके तदनुसूची आवंटन को शामिल किया गया है। (ii) पत्र सूचना कार्यालय (पीआईवी) - जो सरकार तथा प्रेस के बीच एक संपर्क माध्यम का कार्य करता है और सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की प्रचार तथा जन संपर्क संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। फोटो प्रभाग का कार्य भारत के माननीय प्रधानमंत्री तथा माननीय उप राष्ट्रपति के दैनिक आयोजनों की आधिकारिक फोटो कवरेज करना है। यह भारत सरकार की ओर से आंतरिक तथा बाह्य प्रचार हेतु दृश्य प्रलेखन तथा फोटोग्राफों को तैयार करने के लिए भी उत्तरदायी है, इसे वित्त वर्ष 2019-20 से पत्र सूचना कार्यालय के साथ आमेलित कर दिया गया है। उपर्युक्त के अलावा, युक्तिकरण के कारण स्थापना व्यय के अंतर्गत मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम (एमआईडीपी) योजना को समेकित करने से पीआईवी में वित्तीय वर्ष 2020-21 से एमआईडीपी योजना के अंतर्गत इसके तदनुसूची आवंटन शामिल हैं। (iii) प्रकाशन प्रभाग - यह मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग जो अंग्रेजी, हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में विविध विषयों पर सशुल्क पुस्तकें, पत्रिकाएं और अन्य मुद्रित सामग्री का प्रकाशन करता है, के व्यय के लिए प्रावधान करता है। प्रकाशन विभाग अंग्रेजी, हिंदी तथा उर्दू में साप्ताहिक 'इम्प्लाइमेंट न्यूज़/रोजगार समाचार' का भी प्रकाशन करता है। (iv) न्यू मीडिया विंग - इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान अनुसंधान तथा संदर्भ प्रभाग जिसे न्यू मीडिया विंग के रूप में पुनर्निर्मित किया गया है, जो मंत्रालय, इसके मीडिया यूनितों, विदेशों में भारतीय दूतावासों तथा समाचार पत्रों एवं मीडिया एजेंसियों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए मीडिया हित के विषय पर मूलभूत सूचना एकत्र तथा संकलित करता है। (v) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आरएनआई) - यह समाचारपत्रों/पत्र-पत्रिकाओं के शीर्षकों का सांख्यिकीय रिकॉर्डों का रखरखाव करने/उनके सत्यापन का कार्य करता है। यह समाचारपत्रों/पत्र-पत्रिकाओं को पंजीकरण प्रमाणपत्र भी जारी करता है। उपर्युक्त के अलावा, युक्तिकरण के कारण स्थापना व्यय के अंतर्गत मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम योजना का विलय करने से आरएनआई में वित्तीय वर्ष 2020-21 से एमआईडीपी योजना के अंतर्गत इसके तदनुसूची आवंटन शामिल हैं। (vi) इसमें संचार विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपीडीसी) के लिए अंशदान एशियाई प्रसारण विकास संस्थान (एआईवीडी) के लिए अंशदान, एनएफएआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार संगठनों की सहायता का अंशदान तथा प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन संबंधी प्रावधान भी शामिल हैं। (vii) इसमें स्थापना व्यय शामिल है: (क) फिल्म प्रभाग - (जो न्यूज रीलों, लघु फिल्मों तथा वृत्तचित्रों के जरिए भारतीय तथा विदेशी श्रोताओं के ग्रामीण

जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर सूचना का प्रचार एवं प्रसार करता है। इसमें भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का परिचालन व्यय भी शामिल है। इसके अलावा युक्तिकरण के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2020-21 से फिल्म प्रभाग के अंतर्गत फिल्म प्रभाग की अवसंरचना को अपग्रेड करने के लिए किया गया व्यय शामिल है। (ख) फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) - इसे सुरुचिपूर्ण सिनेमा को बढ़ावा देने तथा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, भारतीय पैनोरमा, फिल्म समारोह और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन करने तथा साथ ही सिरी फोर्ट सभागार का प्रबंधन करने का कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा युक्तिकरण के पश्चात् डीएफएफ में वित्तीय वर्ष 2020-21 से सिरीफोर्ट के प्रोजेक्शन सिस्टम, साउंड और लाइटिंग तथा संचार प्रणाली को बेहतर बनाना शामिल है। (ग) राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (एनएफएआई) - यह बेहतरीन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कालजयी फिल्मों का संरक्षण करने का कार्य करता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से युक्तिकरण के पश्चात् एनएफएआई में जयकार बंगलो, एनएफएआई परिसर में एक हेरिटेज भवन तथा डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने के अलावा भारत के राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय की अवसंरचना को अपग्रेड करने की योजना के अंतर्गत डिजिटल पुस्तकालय के रूप में विकसित करना शामिल है। (viii) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग केंद्र - यह प्रावधान टेलीविजन चैनलों/रेडियो द्वारा कार्यक्रम संहिता तथा विज्ञापन संहिता के उल्लंघन की निगरानी के लिए किया गया है। युक्तिकरण के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2020-21 से ईएमएमसी में ईएमएमसी की सुदृष्टीकरण योजना के अंतर्गत उनके आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग केंद्र के संबंध में पूंजीगत व्यय शामिल है।

2.01. **प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास:** इसमें प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास का प्रावधान शामिल है।

3.01. **विकासपरक संचार तथा सूचना का प्रचार-प्रसार:** इसमें विकासपरक संचार तथा सूचना का प्रचार-प्रसार स्कीम से संबंधित व्यय शामिल है।

4.01. **विकास संचार और फिल्म सम्बन्धी विषय वस्तु का प्रसार:** इस प्रावधान में विकासपरक संचार तथा फिल्मी सामग्रियों का प्रचार-प्रसार स्कीम पर व्यय शामिल है।

4.02. **चैपियन सेवाएं क्षेत्र योजनाएं:** वाणिज्य विभाग की स्कीम नामतः चैपियन सेवा क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत संशोधित प्राक्कलन 2019-20 में शामिल एक नई स्कीम है। इस नई स्कीम को भारत में मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए श्रव्य-दृश्य सेवाएं भी सौंपी गई हैं।

5.01. **भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहायता:** यह भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलनों को सहायता स्कीम के व्यय को शामिल करता है। इसका उद्देश्य सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहायता करना है जो एक आवश्यक संचार उपकरण है, विशेषकर ऐसे समुदायों के लिए जो पढ़-लिख नहीं सकते।

- 6.01. **प्रसार भारती:** इसमें प्रसार भारती में पदस्थापित प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान शामिल है।
- 6.02. **भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे:** इसमें अब वित्तीय वर्ष 2020-21 से एफटीआईआई के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए एफटीआईआई (पुणे) को सहायता-अनुदान के तहत पूर्ववर्ती स्कीम आवंटन शामिल है।
- 6.03. **एसआरएफटीआई कोलकाता:** इसमें अब वित्तीय वर्ष 2020-21 से एसआरएफटीआई (कोलकाता) में अवसंरचना विकास के तहत पूर्ववर्ती स्कीम आवंटन शामिल है।
- 6.04. **बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई):** इसमें बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई) के गैर-स्कीम संबंधी व्यय शामिल किए गए हैं।
- 6.05. **भारतीय जनसंचार संस्थान:** इसमें अब वित्तीय वर्ष 2020-21 से (i) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आईआईएमसी का उन्नयन , (ii) आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्रों को खोलना और (iii) राष्ट्रीय एनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने के तहत पूर्ववर्ती स्कीम आवंटन शामिल हैं।
- 6.06. **भारतीय प्रेस परिषद:** इसमें भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) के गैर-स्कीम संबंधी व्यय शामिल किए गए हैं।

जल शक्ति मंत्रालय

मांग संख्या 62

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	7149.50	158.07	7307.57	8756.92	344.77	9101.69	17862.19	225.63	18087.82	18608.17	438.83	19047.00	
वसूलियां	-70.04	-5.44	-75.48	-56.12	-23.00	-79.12	-56.12	-23.00	-79.12	-60.12	-19.00	-79.12	
प्राप्तियां	
निवल	7079.46	152.63	7232.09	8700.80	321.77	9022.57	17806.07	202.63	18008.70	18548.05	419.83	18967.88	
क. निवल वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. सचिवालय													
1.01	सचिवालय	80.42	...	80.42	106.50	...	106.50	230.04	...	230.04	146.00	...	146.00
1.02	वसूली
	निवल	80.42	...	80.42	106.50	...	106.50	230.04	...	230.04	146.00	...	146.00
संबद्ध, अधीनस्थ व अन्य कार्यालय													
2. केन्द्रीय जल आयोग													
2.01	केन्द्रीय जल आयोग	356.81	0.47	357.28	388.38	1.08	389.46	372.58	3.02	375.60	399.50	11.30	410.80
2.02	वसूली	-4.04	...	-4.04
	निवल	352.77	0.47	353.24	388.38	1.08	389.46	372.58	3.02	375.60	399.50	11.30	410.80
3. केन्द्रीय जल और ऊर्जा अनुसंधानशाला													
3.01	केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला	75.42	0.06	75.48	85.01	0.09	85.10	84.99	0.11	85.10	92.10	...	92.10
3.02	वसूली	-10.12	...	-10.12	-12.10	...	-12.10	-12.10	...	-12.10	-12.10	...	-12.10
	निवल	65.30	0.06	65.36	72.91	0.09	73.00	72.89	0.11	73.00	80.00	...	80.00
4.	केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला	21.87	0.02	21.89	22.88	0.01	22.89	22.95	0.01	22.96	31.09	0.01	31.10
5.	सरदार सरोवर निर्माण सलाहकारी समिति	0.07	...	0.07
6.	बाणसागर नियंत्रण बोर्ड	0.30	...	0.30	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	0.50	...	0.50
7. ऊपरी यमुना नदी बोर्ड													
7.01	ऊपरी यमुना नदी बोर्ड	2.00	6.81	8.81	2.52	8.00	10.52	1.31	8.00	9.31	6.00	4.00	10.00
7.02	वसूली	-7.77	...	-7.77	-0.02	-8.00	-8.02	-0.02	-8.00	-8.02	-4.00	-4.00	-8.00
	निवल	-5.77	6.81	1.04	2.50	...	2.50	1.29	...	1.29	2.00	...	2.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड	233.60	...	233.60	237.50	...	237.50	259.68	12.00	271.68	270.00	12.00	282.00
	-0.59	...	-0.59
<i>निवल</i>	<i>233.01</i>	<i>...</i>	<i>233.01</i>	<i>237.50</i>	<i>...</i>	<i>237.50</i>	<i>259.68</i>	<i>12.00</i>	<i>271.68</i>	<i>270.00</i>	<i>12.00</i>	<i>282.00</i>
9. राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	25.02	...	25.02	33.50	...	33.50	41.00	...	41.00	45.00	...	45.00
10. राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र	2.11	...	2.11	2.30	0.01	2.31	3.26	...	3.26	3.50	...	3.50
11. राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय	5.45	...	5.45	5.50	...	5.50	6.50	...	6.50	7.50	...	7.50
12. उत्तर पूर्वी जल और भूमि प्रबंधन क्षेत्रीय संस्थान (एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम)	4.50	...	4.50	8.90	...	8.90	11.00	...	11.00
13. राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए)	59.00	...	59.00
14. ब्रह्मपुत्र बोर्ड	50.00	...	50.00
15. राष्ट्रीय जल अकादमी	7.96	0.04	8.00	9.75	0.25	10.00
16. राजीव गांधी राष्ट्रीय भू-जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान	3.00	0.03	3.03	3.50	...	3.50
जोड़-संबद्ध, अधीनस्थ व अन्य कार्यालय	700.13	7.36	707.49	770.37	1.19	771.56	800.41	15.21	815.62	972.34	23.56	995.90
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	780.55	7.36	787.91	876.87	1.19	878.06	1030.45	15.21	1045.66	1118.34	23.56	1141.90
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
मुख्य सिंचाई परियोजना												
17. फरक्का बैराज परियोजना												
17.01 फरक्का बैराज परियोजना	63.72	19.56	83.28	66.95	30.05	97.00	69.95	30.05	100.00	88.26	66.74	155.00
17.02 वसूली	-47.52	...	-47.52	-44.00	...	-44.00	-44.00	...	-44.00	-44.02	...	-44.02
<i>निवल</i>	<i>16.20</i>	<i>19.56</i>	<i>35.76</i>	<i>22.95</i>	<i>30.05</i>	<i>53.00</i>	<i>25.95</i>	<i>30.05</i>	<i>56.00</i>	<i>44.24</i>	<i>66.74</i>	<i>110.98</i>
18. बांध पुनर्स्थापन और सुधार कार्यक्रम												
18.01 इएपी घटक	8.01	11.55	19.56	6.48	5.47	11.95	9.74	2.21	11.95	47.30	2.20	49.50
18.02 कार्यक्रम घटक	8.44	2.51	10.95	7.59	5.46	13.05	10.84	2.21	13.05	48.30	2.20	50.50
<i>जोड़- बांध पुनर्स्थापन और सुधार कार्यक्रम</i>	<i>16.45</i>	<i>14.06</i>	<i>30.51</i>	<i>14.07</i>	<i>10.93</i>	<i>25.00</i>	<i>20.58</i>	<i>4.42</i>	<i>25.00</i>	<i>95.60</i>	<i>4.40</i>	<i>100.00</i>
जोड़-मुख्य सिंचाई परियोजना	32.65	33.62	66.27	37.02	40.98	78.00	46.53	34.47	81.00	139.84	71.14	210.98
नमामि गंगे												
19. राष्ट्रीय गंगा योजना और घाट निर्माण कार्य												
19.01 राष्ट्रीय गंगा योजना	500.00	...	500.00	600.00	...	600.00	1400.00	...	1400.00
19.02 नदी के मुहाने के सौंदर्यीकरण के लिए घाट निर्माण कार्य	0.01	...	0.01
<i>जोड़- राष्ट्रीय गंगा योजना और घाट निर्माण कार्य</i>	<i>500.00</i>	<i>...</i>	<i>500.00</i>	<i>600.01</i>	<i>...</i>	<i>600.01</i>	<i>1400.00</i>	<i>...</i>	<i>1400.00</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
नमामी गंगे मिशन-II												
20. राष्ट्रीय गंगा योजना												
20.01	2800.00	...	2800.00
20.02
<i>जोड़- राष्ट्रीय गंगा योजना</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>2800.00</i>	<i>...</i>	<i>2800.00</i>

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
21. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना												
21.01 इएपी घटक	800.00	...	800.00	850.00	...	850.00	500.00	...	500.00
21.02 कार्यक्रम घटक	0.01	...	0.01
जोड़- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	800.00	...	800.00	850.01	...	850.01	500.00	...	500.00
नदी बेसिन प्रबंधन												
22. नदी बेसिन प्रबंधन	147.69	0.07	147.76	198.40	0.60	199.00	177.12	0.18	177.30	96.68	0.32	97.00
जल संसाधन प्रबंधन												
23. जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	112.47	16.06	128.53	142.50	32.50	175.00	131.45	28.55	160.00	162.28	22.72	185.00
24. भूजल प्रबंधन और विनियमन												
24.01 भूमिजल प्रबंधन और विनियमन	57.74	80.67	138.41	82.00	208.00	290.00	82.00	103.00	185.00	128.03	261.97	390.00
24.02 वसूली	...	-5.44	-5.44	...	-15.00	-15.00	...	-15.00	-15.00	...	-15.00	-15.00
निवल	57.74	75.23	132.97	82.00	193.00	275.00	82.00	88.00	170.00	128.03	246.97	375.00
25. राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना												
25.01 इएपी घटक	64.11	3.00	67.11	88.07	11.93	100.00	191.75	14.25	206.00	379.20	20.80	400.00
25.02 कार्यक्रम घटक	64.29	3.04	67.33	88.07	11.93	100.00	191.75	14.25	206.00	379.20	20.80	400.00
जोड़- राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	128.40	6.04	134.44	176.14	23.86	200.00	383.50	28.50	412.00	758.40	41.60	800.00
26. राष्ट्रीय जल मिशन का अनुसंधान एवं विकास और कार्यान्वयन	26.41	3.16	29.57	22.62	6.88	29.50	34.54	5.96	40.50	41.65	11.23	52.88
27. मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण कार्यक्रम	16.98	0.04	17.02	28.26	1.24	29.50
28. अवसंरचना विकास	0.62	10.21	10.83	1.30	18.70	20.00
29. अटल भू-जल योजना												
29.01	258.00	...	258.00
29.02	442.00	...	442.00
जोड़- अटल भू-जल योजना	700.00	...	700.00
जोड़-जल संसाधन प्रबंधन	342.62	110.74	453.36	452.82	276.18	729.00	631.49	151.01	782.50	1790.36	322.52	2112.88
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	1822.96	144.43	1967.39	2138.26	317.76	2456.02	2755.14	185.66	2940.80	4826.88	393.98	5220.86
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना												
30. हर खेत को पानी	773.49	...	773.49	900.50	...	900.50	863.56	...	863.56	784.97	...	784.97
31. सिंचाई क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन	252.96	...	252.96	1044.00	...	1044.00
32. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएं	3447.04	...	3447.04	3237.69	...	3237.69
33. पीएमकेएसवाई के अंतर्गत नाबार्ड से ऋण की पूर्ति												
33.01 पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एनडब्ल्यूडीए के नाबार्ड ऋण हेतु व्याज का भुगतान	2047.66	...	2047.66	2133.00	...	2133.00	2290.00	...	2290.00	2810.00	...	2810.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
33.02 पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एनडब्ल्यूडीए के लिए नाबार्ड ऋण के मूलधन का पुनर्भुगतान	471.15	...	471.15	945.00	...	945.00	945.00	...	945.00	1025.00	...	1025.00
33.03 पीएमकेएसवाई के अंतर्गत राज्यों को नाबार्ड के लिए ब्याज आर्थिक सहायता	455.00	...	455.00	522.00	...	522.00	510.00	...	510.00	750.00	...	750.00
जोड़- पीएमकेएसवाई के अंतर्गत नाबार्ड से ऋण की पूर्ति	2973.81	...	2973.81	3600.00	...	3600.00	3745.00	...	3745.00	4585.00	...	4585.00
34. बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम	96.21	0.84	97.05	340.17	2.82	342.99	223.24	1.76	225.00	447.71	2.29	450.00
35. सिंचाई संगणना	9.54	...	9.54	15.00	...	15.00	26.00	...	26.00	52.78	...	52.78
36. अटल भू-जल योजना												
36.01 इएपी घटक	75.00	...	75.00	120.00	...	120.00	120.00	...	120.00
36.02 कार्यक्रम घटक	48.03	...	48.03	210.00	...	210.00	210.00	...	210.00
जोड़- अटल भू-जल योजना	123.03	...	123.03	330.00	...	330.00	330.00	...	330.00
37. विदर्भ और मराठवाड़ा जिला एवं अन्य शेष महाराष्ट्र के भयंकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि आपदा से निपटने के लिए सिंचाई परियोजनाओं हेतु विशेष सहायता	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00	600.00	...	600.00	800.00	...	800.00
जोड़-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	4376.08	0.84	4376.92	5585.67	2.82	5588.49	9487.80	1.76	9489.56	10952.15	2.29	10954.44
38. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना - अन्य बेसिन												
38.01 ईएपी घटक	6.89	...	6.89	21.50	...	21.50	21.50	...	21.50	70.00	...	70.00
38.02 कार्यक्रम घटक	92.98	...	92.98	78.50	...	78.50	211.18	...	211.18	180.68	...	180.68
जोड़- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना - अन्य बेसिन	99.87	...	99.87	100.00	...	100.00	232.68	...	232.68	250.68	...	250.68
39. नदियों को आपस में जोड़ना	4300.00	...	4300.00	1400.00	...	1400.00
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	4475.95	0.84	4476.79	5685.67	2.82	5688.49	14020.48	1.76	14022.24	12602.83	2.29	12605.12
कुल जोड़	7079.46	152.63	7232.09	8700.80	321.77	9022.57	17806.07	202.63	18008.70	18548.05	419.83	18967.88
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. वृहत सिंचाई	4300.00	...	4300.00	1400.00	...	1400.00
2. वृहत और मध्यम सिंचाई	3931.46	...	3931.46	4904.11	...	4904.11	5219.30	...	5219.30	6922.81	...	6922.81
3. लघु सिंचाई	292.01	...	292.01	321.85	...	321.85	344.71	...	344.71	401.56	...	401.56
4. बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी प्रणाली	90.90	...	90.90	39.31	...	39.31	29.24	...	29.24	37.71	...	37.71
5. अन्य परिवहन सेवाएं	16.20	...	16.20	22.95	...	22.95	25.95	...	25.95	44.24	...	44.24
6. पारिस्थितिकी और पर्यावरण	1312.93	...	1312.93	1463.20	...	1463.20	1928.18	...	1928.18	2822.68	...	2822.68
7. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	80.42	...	80.42	106.50	...	106.50	230.04	...	230.04	146.00	...	146.00
8. वृहत और मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	...	47.71	47.71	...	74.60	74.60	...	68.64	68.64	...	88.77	88.77
9. लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	...	77.23	77.23	...	206.20	206.20	...	100.03	100.03	...	258.97	258.97
10. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	...	8.13	8.13	...	8.52	8.52	...	1.76	1.76	...	2.29	2.29
11. अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	19.56	19.56	...	30.05	30.05	...	30.05	30.05	...	66.74	66.74
जोड़-आर्थिक सेवाएं	5723.92	152.63	5876.55	6857.92	319.37	7177.29	12077.42	200.48	12277.90	11775.00	416.77	12191.77

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अन्य												
12. पूर्वोत्तर क्षेत्र	428.00	...	428.00	465.15	...	465.15	489.54	...	489.54
13. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1227.88	...	1227.88	1224.13	...	1224.13	5146.46	...	5146.46	6050.19	...	6050.19
14. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	127.66	...	127.66	190.75	...	190.75	117.04	...	117.04	233.32	...	233.32
15. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	2.40	2.40	...	2.15	2.15	...	3.06	3.06
जोड़-अन्य	1355.54	...	1355.54	1842.88	2.40	1845.28	5728.65	2.15	5730.80	6773.05	3.06	6776.11
कुल जोड़	7079.46	152.63	7232.09	8700.80	321.77	9022.57	17806.07	202.63	18008.70	18548.05	419.83	18967.88

(₹ करोड़)

ग. सार्वजनिक उद्यमों में निवेश	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
1. नाबार्ड	...	4156.30	4156.30	...	5130.00	5130.00
2. डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड	...	15.52	15.52	...	67.23	67.23	...	16.65	16.65	...	18.14	18.14
जोड़	...	4171.82	4171.82	...	5197.23	5197.23	...	16.65	16.65	...	18.14	18.14

- सचिवालय:** विभाग के सभी अधिकरणों सहित सचिवालय स्थापना के लिए प्रावधान।
- केन्द्रीय जल आयोग:** यह प्रावधान, केन्द्रीय जल आयोग के स्थापना व्यय तथा आंकड़ा संग्रहण, निर्देशन एवं प्रशासन, सर्वेक्षण एवं अन्वेषण, जल विज्ञानीय प्रेक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्शी सेवाओं, अंतर्राष्ट्रीय निकायों को अंशदान देने, उपकरणों का आधुनिकीकरण, बाढ़ सहायता प्राप्त परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ, जल आयोजना, बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी केन्द्र के रखरखाव के लिए भूदान सरकार को भुगतान तथा ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन में बाढ़ पूर्वानुमान तथा जल विज्ञानीय प्रेक्षण नेटवर्क के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण संबंधी कार्यों के लिए है।
- केन्द्रीय जल और ऊर्जा अनुसंधानशाला:** यह प्रावधान, केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला के स्थापना व्यय के लिए है। इसका कार्य जल संसाधन विकास के सभी चरणों से संबंधित विशिष्ट अनुसंधान अध्ययनों की आयोजना, आयोजन और निष्पादन करना है जिसमें जल आधारित परिवहन, पर्यावरणीय पहलू भी शामिल हैं। यह केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले परामर्श और/अथवा सलाहकारी सेवाएं भी देती है।
- केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला:** प्रावधान, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला के स्थापना व्यय के लिए है। केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला का कार्य-क्षेत्र एवं प्रयोगशाला जांच, भूगर्भीय तंत्र में समस्याओं के विषय में बुनियादी और अनुप्रयुक्त शोध,

कंक्रीट प्रौद्योगिकी, निर्माण सामग्री तथा संबंधित पर्यावरणीय मसलों जिनका देश में सिंचाई और विद्युत विकास पर सीधा असर पड़ता है, के संबंध में कार्य करना और भारत तथा विदेशों में विभिन्न परियोजनाओं तथा संगठनों को उपर्युक्त क्षेत्रों में सलाह और परामर्श देना है।

6. **बाणसागर नियंत्रण बोर्ड:** प्रावधान, बाणसागर नियंत्रण बोर्ड के स्थापना व्यय के लिए है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्रियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौते के आधार पर बाणसागर नियंत्रण बोर्ड का गठन जनवरी, 1976 में किया गया था जिसका उद्देश्य बाणसागर बांध और संबंधित निर्माण कार्यों का कुशल, मितव्ययी और शीघ्र निष्पादन करना था। संबंधित राज्य अपने क्षेत्रों में नहर निर्माण कार्य तथा विद्युत प्रणाली संबंधी कार्य करते हैं। नियंत्रण बोर्ड का संपूर्ण दायित्व बाणसागर बांध और उससे संबंधित संरचनाओं के निर्माण का है।

7. **ऊपरी यमुना नदी बोर्ड:** प्रावधान, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के स्थापना व्यय के लिए है। ऊपरी यमुना नदी बोर्ड का मुख्य कार्य लाभार्थी राज्यों के बीच उपलब्ध प्रवाह के आबंटन को विनियमित करना तथा लौटते प्रवाह की निगरानी करना, सतही और भूमि जल की निगरानी, संरक्षण तथा गुणवत्ता में बढोत्तरी करना, बेसिन के लिए जल मौसम विज्ञानी आंकड़ों का रखरखाव, वाटरशेड प्रबंधन के लिए व्यापक योजनाएं बनाना और ओखला बैराज सहित उस तक सभी परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करना है।

8. **केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड:** प्रावधान, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड की स्थापना व्यय के लिए है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड एक बहुआयामी वैज्ञानिक संगठन है जिसका दायित्व प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रसार तथा भूमि जल संसाधनों के वैज्ञानिक एवं सतत विकास व प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीतियों की निगरानी और इनका कार्यान्वयन करना है जिसमें भूमि जल की खोज, आकलन, संरक्षण, संवर्धन, प्रदूषण से सुरक्षा, वितरण

करना शामिल है जो आर्थिक तथा पारिस्थितिकीय कौशल और समानता के सिद्धांतों पर आधारित हो। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड को राष्ट्रीय शीर्ष संगठन होने के कारण, वैज्ञानिक अध्ययन करने, खुदाई द्वारा अन्वेषण, भूमि जल प्रणाली की निगरानी, देश के भूमि जल संसाधनों का आकलन, संवर्धन, प्रबंधन और विनियमन करने का दायित्व सौंपा गया है।

9. **राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान:** प्रावधान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के लिए है। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा संपूर्ण रूप से सहायता प्राप्त एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 1979 में संस्थान की स्थापना की गई थी। इसके मुख्य कार्यों में जल विज्ञान के सभी पहलुओं में व्यवस्थित और वैज्ञानिक कार्य शुरू करना, सहायता देना, बढ़ावा देना और समन्वय करना, जल विज्ञान के क्षेत्र में अन्य राष्ट्रीय, विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग और सम्मिलन, सोसाइटी के उद्देश्यों के अनुसरण में एक अनुसंधान और संदर्भ पुस्तकालय की स्थापना और अनुरक्षण करना तथा इसमें किताबों, समीक्षाएं, समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएं और अन्य संबंधित प्रकाशनों आदि को रखना शामिल है।

10. **राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र:** प्रावधान राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र एनडब्ल्यूआईसी के स्थापना व्यय के लिए है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था। ईएफसी की बैठक 16.10.2015 को आयोजित की गई थी और यह माना गया था कि राष्ट्रीय जल विज्ञान डेटा के महत्व को देखते हुए, संपूर्ण डेटा और निर्णय समर्थन प्रणाली को एनडब्ल्यूआईसी द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।

11. **राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय:** राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के स्थापना व्यय के लिए प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय गंगा और इसकी उप नदियों को छोड़कर राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, पहचाने गए प्रदूषित नदी क्षेत्रों में नदियों के प्रदूषण उपशमन के लिए अवसंरचना की स्थापना हेतु राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय को नियमित बजट 2019-20 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से स्थानांतरित किया गया है। वित्त वर्ष 2018-19 का बजट प्रावधान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बजट में उपलब्ध है।

12. **उत्तर पूर्वी जल और भूमि प्रबंधन क्षेत्रीय संस्थान (एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम):** पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जल और भूमि प्रबंधन संस्थान की नियमित स्थापना (एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम) के लिए वेतन के भुगतान के लिए अनुदानों का प्रावधान है।

13. **राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए):** एनडब्ल्यूडीए की व्यय को योजना के अंतर्गत होने वाले व्यय से अलग करके स्थापना व्यय की पूर्ति हेतु प्रावधान।

14. **ब्रह्मपुत्र बोर्ड:** ब्रह्मपुत्र बोर्ड के व्यय को योजना के अंतर्गत होने वाले व्यय से अलग करके स्थापना व्यय की पूर्ति हेतु प्रावधान।

15. **राष्ट्रीय जल अकादमी:** केन्द्रीय जल आयोग के राष्ट्रीय जल अकादमी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है और जिसकी व्यय एचआरडी एवं सीबी योजना से पूर्ति की जाती थी। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने यह सुझाव दिया है कि चूंकि यह स्थापना व्यय है अतः इसे किसी भी योजना के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। तदनुसार, योजना-भिन्न के अंतर्गत एनडब्ल्यूए के व्यय की पूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है।

16. **राजीव गांधी राष्ट्रीय भू-जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान:** केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के अंतर्गत राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आरजीएनजीडब्ल्यूटीआरआई) विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित करती है और इसका व्यय एचआरडी एवं सीबी योजना से पूरा किया जाता है। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने यह सुझाव दिया है कि चूंकि यह स्थापना व्यय है अतः इसे किसी भी योजना के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। तदनुसार, योजना-भिन्न के अंतर्गत आरजीएनजीडब्ल्यूटीआरआई के व्यय की पूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है।

17.01. **फरक्का बैराज परियोजना:** प्रावधान, फरक्का बैराज परियोजना के निष्पादन के लिए है।

भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के क्षेत्र और नौवहन क्षमता में सुधार के द्वारा कोलकाता बंदरगाह के संरक्षण और अनुरक्षण के लिए इसे शुरू किया गया था। इसके मुख्य कार्यों में फरक्का बैराज, जांगीपुर बैराज का प्रचालन एवं अनुरक्षण, फीडर नहर, नेविगेशन लॉक्स, सुविधा प्रदान करना तथा भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल की साझेदारी के संबंध में समझौते का कार्यान्वयन शामिल है।

18. **बांध पुनर्स्थापन और सुधार कार्यक्रम:** प्रावधान, बांध पुनर्स्थापन और सुधार कार्यक्रम तथा दामोदर घाटी निगम के लिए है, जो कि बांध सुरक्षा और इसके पुनर्स्थापन के लिए परियोजनाओं को शुरू करता है। भारत में बांध सुरक्षा गतिविधियों को लगातार सुदृढ़ करने के भाग के रूप में इस स्कीम को विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया है।

20. **राष्ट्रीय गंगा योजना:** प्रावधान, गंगा और इसकी सहायक नदियों से संबंधित स्कीमों/परियोजनाओं के लिए है। इसमें नई एसटीपी को शुरू करने के अलावा मौजूदा सीवेज शोधन संयंत्रों के पुनर्स्थापन और उन्नयन संबंधी स्कीम शामिल है।

21. **राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना:** प्रावधान, गंगा नदी एवं इसकी वितरिकाओं से संबंधित राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के लिए है। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण के तहत विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना का निष्पादन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के रूप में किया जाता है।

22. **नदी बेसिन प्रबंधन:** प्रावधान (i) ब्रह्मपुत्र बोर्ड की अनुदान उत्तर पूर्वी राज्यों में निकासी विकास स्कीम, अपरदन रोधी और बांध प्रबंधन निर्माण कार्य, मास्टर प्लानों की सर्वे, जांच और तैयारी /अद्यतन जैसे अपनी नियमित गतिविधियों / कार्य को पूरा करने के लिए है। (ii) जल संसाधन विकास सर्वेक्षण योजना के अंतर्गत सीडब्ल्यूसी द्वारा सर्वेक्षण, जांच और डीपीआर तैयार करने के लिए और एनडब्ल्यूडीए को नियमित स्थापना व्यय के लिए अनुदान और नदियों के बीच में जोड़ने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट और डीपीआर तैयार करने के लिए है, और (iii) नदी मुख प्राधिकरणों की स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

23. **जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास:** प्रावधान, डाटा और डाटा बेस के नेटवर्क के साथ मानकीकृत राष्ट्रीय सूचना प्रणाली से संबंधित है, एकीकरण और मौजूदा केन्द्रीय और राज्य स्तर की एजेंसियों को मजबूत बनाने और डेटा और प्रसंस्करण क्षमताओं की गुणवत्ता में सुधार परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।

24. **भूजल प्रबंधन और विनियमन:** प्रावधान, बेहतर भूजल शासन के लिए भूजल प्रबंधन एवं नियमन से संबंधित परियोजना के निष्पादन के लिए है।

25. **राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना:** प्रावधान, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, पद्धति और मॉडल (राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र द्वारा विकसित की गई) पुनः देखना तथा उसको समेकित करना, यदि आवश्यक हो तो आकलन की पद्धति के अनुसार राज्य के इंजीनियरों को प्रशिक्षण देना, बेसिन के मैक्रो-मॉडल की तर्ज पर राज्य के इंजीनियरों (माइक्रो-मॉडल) द्वारा उप-बेसिन स्तर पर जल आकलन मॉडल का विकास करना, नदी बेसिन आयोजना, विस्तारित हाइड्रोलोजिकल पूर्वानुमान (ईएचपी) बाढ़ पूर्वानुमान (फ्लैश फ्लड, बाढ़ तथा जलभराव के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली) सेडीमेंट मॉडलिंग अध्ययन, राष्ट्रीय जल सूचना केन्द्र (एनडब्ल्यूआईसी) आदि के कार्यान्वयन के लिए है। यह योजना विश्व बैंक सहायता से कार्यान्वित की जा रही है।

26. **राष्ट्रीय जल मिशन का अनुसंधान एवं विकास और कार्यान्वयन:** प्रावधान जल के क्षेत्र में शैक्षिक प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास के बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास, तथा जल का संरक्षण, बर्बादी को कम करने तथा राष्ट्रीय जल मिशन के तहत एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के बाहर और भीतर इसका और अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने के हेतु कार्यान्वयनकारी स्कीमों/परियोजनाएं।

27. **मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण कार्यक्रम:** एचआरडी / क्षमता निर्माण कार्यक्रम: इस योजना के तहत इन घटकों के लिए के लिए प्रावधान किया गया है (i) जल संरक्षण के प्रसार और प्रचार के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) की गतिविधि (ii) सतह जल क्षेत्र में अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय जल अकादमी हेतु (iii) भूजल क्षेत्र में अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय ग्राउंड वॉटर ट्रेनिंग संस्थान हेतु (iv) उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय संस्थान जल एवं भूमि प्रबंधन (नीरीवाम) का नियमित स्थापना व्यय एवं गतिविधियों के लिए अनुदान हेतु (v) मंत्रालय और उसके संगठन के अधिकारियों के प्रशिक्षण आदि हेतु।

28. **अवसंरचना विकास:** प्रावधान, अवसंरचना विकास, कार्यालयों और सूचना प्रौद्योगिकी की बुनियादी सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए है।

29. **अटल भू-जल योजना:** भूजल प्रबंधन में सुधार और प्रोत्साहन के लिए अटल भूजल योजना हेतु सांकेतिक प्रावधान।

30. **हर खेत को पानी:** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की अनुमोदित स्कीम के घटक- हर खेत को पानी के अंतर्गत (i) जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार, (ii) सतही लघु सिंचाई स्कीमें, और (iii) भूमि जल सिंचाई की स्कीमों के तहत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रावधान है। जबकि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईवीपी), जिसमें प्राथमिकता वाली चिह्नित 99 परियोजनाओं के संबंध में वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम (सीएडीडब्ल्यूएम) शामिल हैं, का वित्तपोषण एलटीआईएफ से ईबीआर के माध्यम से किया जा रहा है, उपर्युक्त घटक बजट माध्यम के अंतर्गत जारी हैं।

31. **सिंचाई क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन:** अग्नेला स्कीम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के कमान्ड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी एण्ड डब्ल्यूएम) घटकों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान किया गया है जिसे पहले नाबार्ड से ऋण जुटाते हुए ईबीआर के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता था।

32. **त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएं:** अग्नेला स्कीम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के वृद्धित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईवीपी) और राष्ट्रीय/विशेष परियोजना घटकों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान किया गया है जिसे पहले नाबार्ड से ऋण जुटाते हुए ईबीआर के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता था।

33.01. **पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एनडब्ल्यूडीए के नाबार्ड ऋण हेतु ब्याज का भुगतान:** पीएमकेएसवाई के तहत एनडब्ल्यूडीए को नाबार्ड ऋण के लिए ब्याज के भुगतान के लिए प्रावधान है।

33.02. **पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एनडब्ल्यूडीए के लिए नाबार्ड ऋण के मूलधन का पुनर्भुगतान:** पीएमकेएसवाई के तहत एनडब्ल्यूडीए को नाबार्ड ऋण के लिए मूलधन के पुनर्भुगतान का प्रावधान है।

33.03. **पीएमकेएसवाई के अंतर्गत राज्यों को नाबार्ड के लिए ब्याज आर्थिक सहायता:** पीएमकेएसवाई के तहत राज्यों के लिए नाबार्ड के लिए ब्याज आर्थिक सहायता का प्रावधान है।

34. **बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम:** बाढ़ के प्रतिकूल प्रभाव को कम व नियंत्रित करने, सीमा नदियों में नदी प्रबंधन कार्य, बाढ़ नियंत्रण कटावरोधन तथा समुद्री कटावरोधन कार्य, कोसी तथा गंडक परियोजना (नेपाल) में बाढ़ संरक्षण कार्यों के रखरखाव के अतिरिक्त पड़ोसी देशों के साथ जल संसाधन परियोजनाओं, हाइड्रोलॉजिकल परीक्षण तथा जांच करने हेतु प्रावधान।

35. **सिंचाई संगणना:** प्रावधान, लघु सिंचाई संगणना आदि को युक्तिपूर्ण ढंग से करने के लिए सिंचाई संगणना योजनाओं के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।

37. **विदर्भ और मराठवाड़ा जिला एवं अन्य शेष महाराष्ट्र के भयंकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि आपदा से निपटने के लिए सिंचाई परियोजनाओं हेतु विशेष सहायता:** यह प्रावधान विदर्भ और मराठवाड़ा में और महाराष्ट्र के क्रमिक रूप से सूखे के अन्य प्रवण क्षेत्रों में कृषि संकट से निपटने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन के लिए है।

38. **राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना - अन्य बेसिन:** राष्ट्रीय जल संरक्षण योजना: राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का मुख्य उद्देश्य नदी में पहुंचने वाले प्रदूषण लोड में विभिन्न प्रदूषण उपशमन निर्माण कार्यों को आरंभ करने के द्वारा उसमें कमी करके नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों की जल गुणवत्ता में सुधार करना है। इस योजना को नियमित बजट 2019-20 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अन्तरित किया गया है। वित्त वर्ष 2018-19 का बजट प्रावधान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बजट में उपलब्ध है।

39. **नदियों को आपस में जोड़ना:** केन-बेतवा नदी परियोजना को आपस में जोड़ने से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान किया गया है।

जल शक्ति मंत्रालय
मांग संख्या 63
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

(₹ करोड़ में)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	26967.39	...	26967.39	128024.45	...	128024.45	102047.90	...	102047.90	134413.12	...	134413.12
वसूलियां	-11000.09	...	-11000.09	-67994.00	...	-67994.00	-51011.00	...	-51011.00	-67192.00	...	-67192.00
प्राप्तियां
निवल	15967.30	...	15967.30	60030.45	...	60030.45	51036.90	...	51036.90	67221.12	...	67221.12
क. निवल वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	24.14	...	24.14	25.35	...	25.35	25.90	...	25.90	29.12	...	29.12
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
जल जीवन मिशन (जेजेएम)/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन												
2. जल जीवन मिशन (जेजेएम)/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन												
2.01 केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को अंतरण	10999.94	...	10999.94	50000.00	...	50000.00	45011.00	...	45011.00	60000.00	...	60000.00
2.02 अंतर्राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र	36.00	...	36.00	47.00	...	47.00	29.00	...	29.00	57.00	...	57.00
2.03 मिशन प्रबंधन	1.97	...	1.97	14.70	...	14.70	14.70	...	14.70	14.70	...	14.70
2.04 संस्थानों इत्यादि को सहायता	4.77	...	4.77	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
2.05 सम्मलेन, संगोष्ठियां, प्रदर्शनी	0.43	...	0.43	4.05	...	4.05	4.05	...	4.05	4.05	...	4.05
2.06 मानव संसाधन विकास	0.06	...	0.06	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	168.00	...	168.00
2.07 निगरानी एवं मूल्यांकन	6.35	...	6.35	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
2.08 सूचना, शिक्षा एवं संचार	21.13	...	21.13	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00
2.09 प्रबंधन सूचना प्रणाली	0.36	...	0.36	12.00	...	12.00	10.00	...	10.00	12.00	...	12.00
2.10 अनुसंधान	0.25	...	0.25	5.00	...	5.00	3.00	...	3.00	5.00	...	5.00
2.11 राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू)	3.05	...	3.05	15.50	...	15.50	11.50	...	11.50	15.50	...	15.50
2.12 जल जीवन मिशन / राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम - सामान्य कार्यक्रम	10923.85	...	10923.85	49757.75	...	49757.75	44783.75	...	44783.75	59638.75	...	59638.75

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2.13 घटा: केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से पूरी की गई राशि	-10999.94	...	-10999.94	-50000.00	...	-50000.00	-45011.00	...	-45011.00	-60000.00	...	-60000.00
<i>निवल</i>	<i>10998.22</i>	...	<i>10998.22</i>	<i>50011.00</i>	...	<i>50011.00</i>	<i>45011.00</i>	...	<i>45011.00</i>	<i>60000.00</i>	...	<i>60000.00</i>
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)												
3. स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण												
3.01 केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण (सीआरआईएफ)	9994.00	...	9994.00	6000.00	...	6000.00	7192.00	...	7192.00
3.02 निगरानी एवं मूल्यांकन	0.17	...	0.17	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
3.03 मानव संसाधन विकास	0.12	...	0.12	2.00	...	2.00	0.10	...	0.10	1.00	...	1.00
3.04 अनुसंधान	0.01	...	0.01	1.00	...	1.00	0.60	...	0.60	20.15	...	20.15
3.05 सूचना - शिक्षा एवं संचार	14.23	...	14.23	75.00	...	75.00	20.55	...	20.55	71.16	...	71.16
3.06 प्रबंधन सूचना प्रणाली और कंप्यूटरीकरण	1.25	...	1.25	2.00	...	2.00	1.50	...	1.50	2.00	...	2.00
3.07 व्यावसायिक सेवाएं	1.18	...	1.18	4.00	...	4.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
3.08 ऋण पर ब्याज	1031.05	...	1031.05	1033.30	...	1033.30	1033.06	...	1033.06	1033.30	...	1033.30
3.09 कार्यक्रम घटक	844.18	...	844.18	8875.80	...	8875.80	4940.19	...	4940.19	6060.39	...	6060.39
3.10 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना घटक	3052.90	...	3052.90
3.11 कम-वास्तविक वसूलियां	-0.15	...	-0.15
3.12 केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से कम राशि की प्राप्ति	-9994.00	...	-9994.00	-6000.00	...	-6000.00	-7192.00	...	-7192.00
<i>निवल</i>	<i>4944.94</i>	...	<i>4944.94</i>	<i>9994.10</i>	...	<i>9994.10</i>	<i>6000.00</i>	...	<i>6000.00</i>	<i>7192.00</i>	...	<i>7192.00</i>
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	15943.16	...	15943.16	60005.10	...	60005.10	51011.00	...	51011.00	67192.00	...	67192.00
कुल जोड़	15967.30	...	15967.30	60030.45	...	60030.45	51036.90	...	51036.90	67221.12	...	67221.12
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. जलापूर्ति और स्वच्छता	1146.02	...	1146.02	19133.32	...	19133.32	35001.45	...	35001.45	55151.61	...	55151.61
जोड़-सामाजिक सेवाएं	1146.02	...	1146.02	19133.32	...	19133.32	35001.45	...	35001.45	55151.61	...	55151.61
आर्थिक सेवाएं												
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	24.14	...	24.14	25.35	...	25.35	25.90	...	25.90	29.12	...	29.12
जोड़-आर्थिक सेवाएं	24.14	...	24.14	25.35	...	25.35	25.90	...	25.90	29.12	...	29.12
अन्य												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	5897.18	...	5897.18	4997.80	...	4997.80	6615.80	...	6615.80
4. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	14717.35	...	14717.35	34256.60	...	34256.60	10891.75	...	10891.75	5174.59	...	5174.59
5. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	79.79	...	79.79	718.00	...	718.00	120.00	...	120.00	250.00	...	250.00
जोड़-अन्य	14797.14	...	14797.14	40871.78	...	40871.78	16009.55	...	16009.55	12040.39	...	12040.39
कुल जोड़	15967.30	...	15967.30	60030.45	...	60030.45	51036.90	...	51036.90	67221.12	...	67221.12

1. **सचिवालय:** पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **जल जीवन मिशन (जेजेएम)/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन:** जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित इस स्कीम में सभी ग्रामीण परिवारों को कवर करने के लिए राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परिवार स्तर पर सेवा प्रदान करना अर्थात् निर्धारित गुणवत्ता और पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से पेयजल की आपूर्ति करना है।

3. **स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण:** सरकार ग्रामीण जनता को स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने को अत्यधिक महत्व दे रही है। स्वच्छ भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरुआत की गई थी। खुले में शौचमुक्त (ओ.डी.एफ.) स्थिति प्राप्त कर लेने के बाद, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ओ.डी.एफ. स्थिति बने रहना सुनिश्चित करने तथा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्थाओं के साथ देश के सभी गाँवों को कवर करने के लिए इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय

मांग संख्या 64

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(₹ करोड़ में)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	12903.72	26.10	12929.82	13269.37	37.13	13306.50	14224.52	24.20	14248.72	16846.37	47.31	16893.68
<i>वसूलियां</i>	-9.45	...	-9.45
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	12894.27	26.10	12920.37	13269.37	37.13	13306.50	14224.52	24.20	14248.72	16846.37	47.31	16893.68
क. निवल वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	63.88	...	63.88	77.00	...	77.00	71.10	...	71.10	83.60	...	83.60
2. श्रम व्यूरो	24.41	...	24.41	26.77	0.03	26.80	27.00	0.02	27.02	30.38	0.03	30.41
3. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, अनुसंधान एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य व्यय	86.75	13.28	100.03	91.00	23.00	114.00	96.28	10.78	107.06	101.49	6.39	107.88
4. कारखाना सलाह सेवा महा निदेशालय (डीजीएफएसएलआई)	25.61	2.89	28.50	26.24	3.80	30.04	26.48	3.80	30.28	29.30	20.20	49.50
5. खान सुरक्षा महा निदेशालय (डीजीएमएस)	76.77	1.35	78.12	74.00	1.50	75.50	78.35	1.50	79.85	86.29	11.00	97.29
6. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	27.43	...	27.43	26.00	...	26.00	25.80	...	25.80	27.00	...	27.00
7. रोजगार महानिदेशालय	46.00	7.98	53.98	50.35	7.70	58.05	49.20	7.20	56.40	56.30	8.19	64.49
8. श्रम कल्याण महानिदेशालय	135.02	0.23	135.25	142.61	0.50	143.11	145.36	0.30	145.66	157.61	1.40	159.01
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	485.87	25.73	511.60	513.97	36.53	550.50	519.57	23.60	543.17	571.97	47.21	619.18
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
9. श्रम और रोजगार सांख्यिकी प्रणाली (एलईएसएस)	23.26	...	23.26	150.00	...	150.00	90.00	...	90.00	89.00	...	89.00
10. श्रम कल्याण योजनाएं	55.30	0.31	55.61	149.50	0.50	150.00	118.50	0.50	119.00	120.00	...	120.00
श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं												
11. असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय मंच का निर्माण तथा आधार संबद्ध पहचान संख्याएं आबंटित करना	45.50	...	45.50
12. असंगठित श्रमिकों के लिए बीमा योजना	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
13. कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995	7519.01	...	7519.01	7364.00	...	7364.00	7364.00	...	7364.00	8485.00	...	8485.00
14. असम में बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	27.38	...	27.38	60.00	...	60.00	50.00	...	50.00	60.00	...	60.00
15. प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन	319.71	...	319.71	400.00	...	400.00	350.00	...	350.00	350.00	...	350.00
16. प्रधान मंत्री कर्म योगी मानधन	5.94	...	5.94	150.00	...	150.00	1.00	...	1.00	50.00	...	50.00

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़ में)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
17. प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना	2567.83	...	2567.83
18. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना	405.00	...	405.00	3130.00	...	3130.00	5000.00	...	5000.00	6400.00	...	6400.00
19. असंगठित मजदूरों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस	150.00	...	150.00	280.00	...	280.00	500.00	...	500.00
जोड़-श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं	10890.37	...	10890.37	11254.10	...	11254.10	13045.10	...	13045.10	15845.10	...	15845.10
20. स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता अनुदान और बंधुआ श्रमिकों की सहायता की प्रतिपूर्ति सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना	42.54	...	42.54	120.00	...	120.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	11011.47	0.31	11011.78	11673.60	0.50	11674.10	13283.60	0.50	13284.10	16084.10	...	16084.10
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
21. केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड	84.50	...	84.50	90.00	...	90.00	110.00	...	110.00
22. कामगार शिक्षा और विकास हेतु दत्तोपंत थेंगडी राष्ट्रीय बोर्ड	103.15	...	103.15
23. राष्ट्रीय श्रम संस्थान	12.23	...	12.23	15.00	...	15.00	11.55	...	11.55	12.25	...	12.25
जोड़-स्वायत्त निकाय	96.73	...	96.73	105.00	...	105.00	121.55	...	121.55	115.40	...	115.40
अन्य												
24. श्रमिक कल्याण निधियों को/से अंतरण												
24.01 तक
24.02 से	-9.41	...	-9.41
<i>निवल</i>	<i>-9.41</i>	...	<i>-9.41</i>
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	87.32	...	87.32	105.00	...	105.00	121.55	...	121.55	115.40	...	115.40
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं												
कार्य एवं कौशल विकास												
25. रोजगार सृजन कार्यक्रम												
25.01 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कौशल और मार्गदर्शन	10.66	0.06	10.72	19.80	0.10	19.90	17.80	0.10	17.90	22.90	0.10	23.00
25.02 प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना	1255.15	...	1255.15	900.00	...	900.00	250.00	...	250.00
25.03 राष्ट्रीय कैरियर सेवा	43.80	...	43.80	57.00	...	57.00	32.00	...	32.00	52.00	...	52.00
जोड़- रोजगार सृजन कार्यक्रम	1309.61	0.06	1309.67	976.80	0.10	976.90	299.80	0.10	299.90	74.90	0.10	75.00
कुल जोड़	12894.27	26.10	12920.37	13269.37	37.13	13306.50	14224.52	24.20	14248.72	16846.37	47.31	16893.68
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	10.66	...	10.66	18.00	...	18.00	16.00	...	16.00	21.40	...	21.40

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2. श्रम, रोजगार और कौशल विकास	12811.23	...	12811.23	11890.77	...	11890.77	12754.96	...	12754.96	15115.45	...	15115.45
3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	63.88	...	63.88	77.00	...	77.00	71.10	...	71.10	83.60	...	83.60
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय	...	0.06	0.06	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10
5. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	26.04	26.04	...	37.03	37.03	...	24.10	24.10	...	47.21	47.21
जोड़-सामाजिक सेवाएं	12885.77	26.10	12911.87	11985.77	37.13	12022.90	12842.06	24.20	12866.26	15220.45	47.31	15267.76
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	1275.60	...	1275.60	1382.21	...	1382.21	1615.92	...	1615.92
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	7.87	...	7.87	7.00	...	7.00	0.25	...	0.25	9.00	...	9.00
8. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	0.63	...	0.63	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
जोड़-अन्य	8.50	...	8.50	1283.60	...	1283.60	1382.46	...	1382.46	1625.92	...	1625.92
कुल जोड़	12894.27	26.10	12920.37	13269.37	37.13	13306.50	14224.52	24.20	14248.72	16846.37	47.31	16893.68

- सचिवालय:** मंत्रालय के सचिवालय के लिए व्यय
- श्रम ब्यूरो:** श्रम ब्यूरो का स्थापना व्यय
- मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, अनुसंधान एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य व्यय:** सीएलसी (सी) सीजीआईटी तथा सूचना प्रौद्योगिकी के लिए स्थापना व्यय
- कारखाना सलाह सेवा महा निदेशालय (डीजीएफएसएलआई):** कारखाना सलाह सेवा महानिदेशालय (डीजीफासली) का स्थापना व्यय
- खान सुरक्षा महा निदेशालय (डीजीएमएस):** खान सुरक्षा महानिदेशालय का स्थापना व्यय
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एसोसिएशन को वार्षिक अंशदान तथा आईएलओ के क्षेत्रीय कार्यालय और रोजगार संवर्धन हेतु एशियाई क्षेत्रीय दल को आवासीय तथा अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने हेतु निधि शामिल है।
- रोजगार महानिदेशालय:** रोजगार महानिदेशालय का स्थापना व्यय
- श्रम कल्याण महानिदेशालय:** श्रम कल्याण महानिदेशालय का स्थापना व्यय
- श्रम और रोजगार सांख्यिकी प्रणाली (एलईएसएस):** सांख्यिकी के संग्रहण और प्रकाशन, विभिन्न श्रम विषयों पर जांच, सर्वेक्षण और शोध अध्ययन करने के लिए प्रावधान करना।
- श्रम कल्याण योजनाएं:** यह स्कीम वीड्री कामगारों, सिने कामगारों तथा (i) अश्रक खानों, (ii) लौह, क्रोम, मैंगनीज अयस्क खानों (iii) चूना-पत्थर एवं डोलोमाइट खानों में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण का प्रावधान करती है।
- असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय मंच का निर्माण तथा आधार संबद्ध पहचान संख्याएं आबंटित करना:** इस योजना के अंतर्गत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभों सहित विभिन्न कल्याण योजनाओं के लाभों का पता लगाने तथा उनकी सुपुर्दगी को सुविधाजनक बनाने हेतु एक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) चालित मंच स्थापित किया जाएगा।
- असंगठित श्रमिकों के लिए बीमा योजना:** असंगठित कामगारों के लिए बीमा योजना एक सामाजिक सुरक्षा स्कीम है। केवल सांकेतिक राशि का प्रस्ताव किया गया है।
- कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995:** कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में ईपीएस, 1995 के सदस्यों के लिए पेंशन और सदस्य की मृत्यु के मामले में उनके सदस्यों के लिए परिवार पेंशन का प्रावधान है। यह प्रावधान कर्मचारी को निर्धारित वेतन सीमा पर देय राशि तक सीमित कर्मचारी के वेतन के 1.16% की दर से ईपीएस, 1995 में सरकार के अंशदान के लिए है। 01.09.2021 से निर्धारित वेतन सीमा 15000/-रुपये है। इसके अलावा इसमें सदस्य/विधवा (विधुर)/दिव्यांग/ नामिती/आश्रित माता-पिता पेंशन धारकों धारकों को 1000/-रुपये प्रतिमाह न्यूनतम मासिक पेंशन हेतु अनुदान-सहायता भी शामिल है।
- असम में बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा:** असम में चाय बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन- सह-जीवन बीमा तथा जमा संबद्ध बीमा योजना का प्रावधान है। इन स्कीमों को असम राज्य सरकार के माध्यम से प्रशासित तथा असम चाय बागान भविष्य निधि एवं परिवार पेंशन तथा कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा अधिनियम द्वारा शासित किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत यह प्रावधान इस स्कीम में केन्द्रीय सरकार के अंशदान के साथ-साथ प्रशासनिक प्रभारों की प्रतिपूर्ति की आवश्यकता को पूरा करता है।

15. **प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन:** प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों के लिए प्रतिमाह 3000/- रुपये की सुनिश्चित पेंशन का उपबंध है जो इस स्कीम के अंतर्गत अंशदान करते हैं और प्रत्येक माह एक निश्चित राशि का अंशदान करते हैं। भारत सरकार इस स्कीम के अंतर्गत समान हिस्से का अंशदान करती है।

16. **प्रधान मंत्री कर्म योगी मानधन:** यह दुकानदारों/खुदरा व्यापारियों तथा स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए एक पेंशन योजना है जिसमें उन्हें स्कीम के अंतर्गत अंशदान करने और प्रत्येक माह एक निर्धारित राशि का अंशदान करने पर 3000/- रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। भारत सरकार इस स्कीम के अंतर्गत समान हिस्से का अंशदान करती है।

17. **प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना:** प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना एक नव निर्मित योजना है जो नियोक्ता का 12% योगदान और कर्मचारी 12% योगदान कर्मचारी भविष्य निधि (इपीएफ) के अंतर्गत उन सभी स्थापनाओं के लिए जिनके पास 100 कर्मचारी हैं और उनमें से 90% ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी आय 15 हजार रु. प्रतिमाह से कम हो।

18. **आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना:** आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को लॉकडाउन की अवधि के बाद नये रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक नई स्कीम के रूप में शुरू किया गया। इस स्कीम में 15000/- रुपये प्रतिमाह से कम वेतन प्राप्त करने वाले नये कर्मचारियों के लिए 1000 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए ईपीएफ अंशदान में कर्मचारी के हिस्से के लिए वेतन के 12% का भुगतान करने और 1000 तक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान में ईपीएफ अंशदान के लिए नियोक्ताओं और कर्मचारियों के हिस्से अर्थात् वेतन के 24% का अंशदान करने का प्रावधान है।

19. **असंगठित मजदूरों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस:** असंगठित क्षेत्र के लगभग 38 करोड़ श्रमिकों को पंजीकृत करने के उद्देश्य से असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटा बेस बनाने के लिए एक पोर्टल (ई-एसएनआरएम पोर्टल) शुरू किया गया है।

20. **स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता अनुदान और बंधुआ श्रमिकों की सहायता की प्रतिपूर्ति सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना:** इसमें स्वयंसेवी एजेंसियों के लिए सहायता अनुदान तथा बंधुआ श्रमिकों को सहायता की प्रतिपूर्ति सहित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कल्याण से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने, उनका समन्वय और कार्यान्वयन करने का प्रावधान है।

21. **केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड:** इस योजना का उद्देश्य कामगारों में जागरूकता बढ़ाना तथा उनकी देश के सामाजिक विकास में प्रभावी प्रतिभागिता के लिए शिक्षित करना है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगठित, असंगठित, ग्रामीण तथा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा इकाई स्तरों के अनौपचारिक के देश व्यापी 50 क्षेत्रीय तथा 09 उप-क्षेत्रीय निदेशालयों और मुंबई स्थित भारतीय कामगार शिक्षण संस्थान नामक सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से कामगारों के लिए बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

22. **कामगार शिक्षा और विकास हेतु दत्तोपंत थेंगडी राष्ट्रीय बोर्ड:** इस योजना का उद्देश्य देश के सामाजिक आर्थिक विकास में उनकी प्रभावी भागीदारी के लिए जागरूकता बढ़ाना और उन्हें शिक्षित करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, बोर्ड द्वारा पूरे देश में फैले 50 क्षेत्रीय और 9 उप-क्षेत्रीय निदेशालयों के नेटवर्क के माध्यम से राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और इकाई स्तरों पर संगठित, असंगठित, ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एक शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान अर्थात् मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वर्कर्स एजुकेशन।

23. **राष्ट्रीय श्रम संस्थान:** वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान है। अपनी स्थापना के बाद संस्थान उन सभी जो श्रम के विभिन्न पहलू के साथ संबंधित है, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में पहुँचने के लिए शोध, प्रशिक्षण और प्रकाशन के माध्यम से प्रयास किया है।

24. **श्रमिक कल्याण निधियों को/से अंतरण:** श्रम कल्याण निधि के लिए/से अंतरण।

25.01. **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोचिंग और मार्गदर्शन:** इस स्कीम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विश्वास सृजन करने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा इन वर्गों के उम्मीदवारों को व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कोचिंग और मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना करने का प्रावधान है।

25.02. **प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना:** इस स्कीम को नये रोजगार का सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु तैयार किया गया है जिसमें भारत सरकार द्वारा नियोक्ताओं के अंशदान के रूप में वेतन के 8.33% का अंशदान किया जाता है तथा इसे बाद में पहले तीन वर्षों के लिए नये कर्मचारियों के लिए 12% पर संशोधित किया गया है। यह स्कीम मार्च, 2022 के वेतन माह में बंद हो जाएगी।

25.03. **राष्ट्रीय कैरियर सेवा:** राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना एक मिशन मोड परियोजना है जिसमें एक डिजिटल पोर्टल का प्रावधान है जो एक गतिशील प्रभावी और अनुक्रियात्मक प्रणाली में सदृश रोजगार के लिए रोजगार चाहने वालों और नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी स्तर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है।

विधि और न्याय मंत्रालय

मांग संख्या 65

विधि और न्याय

(₹ करोड़ में)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1431.52	286.00	1717.52	1745.82	1100.00	2845.82	3269.00	1122.00	4391.00	1978.48	1615.00	3593.48
वसूलियां	-160.22	...	-160.22	-200.00	...	-200.00	-180.00	...	-180.00	-200.00	...	-200.00
प्राप्तियां
निवल	1271.30	286.00	1557.30	1545.82	1100.00	2645.82	3089.00	1122.00	4211.00	1778.48	1615.00	3393.48
क. निवल वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	182.43	...	182.43	217.70	...	217.70	225.58	...	225.58	243.78	...	243.78
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
3. कर न्यायाधिकरण	95.81	...	95.81	119.30	100.00	219.30	118.35	122.00	240.35	122.00	115.00	237.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	278.24	...	278.24	337.20	100.00	437.20	344.13	122.00	466.13	365.98	115.00	480.98
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
राष्ट्रीय न्याय प्रदाय और विधि सुधार मिशन												
4. कानूनी सुधारों पर कार्रवाई अनुसंधान एवं अध्ययन	33.92	...	33.92
5. भारत में न्याय के लिए समग्र अभिगम के लिए अभिनव समाधान डिजाइन करना (डिशा)	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00
6. ई-कोर्ट फेज़-1।	179.30	...	179.30	98.82	...	98.82	98.82	...	98.82
7. ई-कोर्ट फेज़ III	1.00	...	1.00
जोड़-राष्ट्रीय न्याय प्रदाय और विधि सुधार मिशन	213.22	...	213.22	138.82	...	138.82	138.82	...	138.82	41.00	...	41.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	213.22	...	213.22	138.82	...	138.82	138.82	...	138.82	41.00	...	41.00
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
8. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी,	10.00	...	10.00	11.00	...	11.00	34.25	...	34.25	20.00	...	20.00
9. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	145.00	...	145.00	170.00	...	170.00
10. भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई)	3.00	...	3.00	10.00	...	10.00	3.50	...	3.50
11. नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	3.00	...	3.00
12. संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान (आई सी पी एस)	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-स्वायत्त निकाय	110.00	...	110.00	116.50	...	116.50	191.75	...	191.75	196.50	...	196.50
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	110.00	...	110.00	116.50	...	116.50	191.75	...	191.75	196.50	...	196.50
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं												
13. ग्राम न्यायालय	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00
14. न्यायालयों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं	599.00	...	599.00	776.00	...	776.00	770.44	...	770.44	858.00	...	858.00
जोड़-न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं	599.00	...	599.00	784.00	...	784.00	778.44	...	778.44	858.00	...	858.00
महिलाओं के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन												
15. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट												
15.01 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट	200.00	...	200.00	180.00	...	180.00	200.00	...	200.00
15.02 निर्भया निधि से पूरा किया गया	-200.00	...	-200.00	-180.00	...	-180.00	-200.00	...	-200.00
<i>निवल</i>
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	599.00	...	599.00	784.00	...	784.00	778.44	...	778.44	858.00	...	858.00
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
16. चुनाव के घटक												
16.01 लोकसभा चुनाव	13.87	...	13.87	100.00	...	100.00	1300.00	...	1300.00	180.00	...	180.00
16.02 मतदाताओं के लिए पहचान पत्र	12.00	...	12.00	7.20	...	7.20	15.76	...	15.76	18.00	...	18.00
16.03 चुनाव संबंधी अन्य व्यय	39.97	...	39.97	57.10	...	57.10	257.10	...	257.10	94.00	...	94.00
जोड़- चुनाव के घटक	65.84	...	65.84	164.30	...	164.30	1572.86	...	1572.86	292.00	...	292.00
17. निर्वाचन आयोग के लिए ई वी एम	5.00	286.00	291.00	5.00	1000.00	1005.00	63.00	1000.00	1063.00	25.00	1500.00	1525.00
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	70.84	286.00	356.84	169.30	1000.00	1169.30	1635.86	1000.00	2635.86	317.00	1500.00	1817.00
कुल जोड़	1271.30	286.00	1557.30	1545.82	1100.00	2645.82	3089.00	1122.00	4211.00	1778.48	1615.00	3393.48
ब. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. न्याय प्रशासन	380.78	...	380.78	303.32	...	303.32	380.57	...	380.57	297.60	...	297.60
2. चुनाव	70.84	...	70.84	169.30	...	169.30	1635.86	...	1635.86	317.00	...	317.00
3. आय और व्यय पर करों का संग्रहण	95.81	...	95.81	119.30	...	119.30	118.35	...	118.35	122.00	...	122.00
4. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	115.51	...	115.51	147.40	...	147.40	153.28	...	153.28	169.98	...	169.98
5. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	9.71	...	9.71	14.30	...	14.30	14.30	...	14.30	15.70	...	15.70
6. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	286.00	286.00	...	1100.00	1100.00	...	1122.00	1122.00	...	1615.00	1615.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	672.65	286.00	958.65	753.62	1100.00	1853.62	2302.36	1122.00	3424.36	922.28	1615.00	2537.28

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
सामाजिक सेवाएं												
7. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
जोड़-सामाजिक सेवाएं	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
अन्य												
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र	92.28	...	92.28	92.28	...	92.28	89.99	...	89.99
9. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	547.00	...	547.00	639.72	...	639.72	634.16	...	634.16	706.01	...	706.01
10. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	51.65	...	51.65	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00
जोड़-अन्य	598.65	...	598.65	792.00	...	792.00	786.44	...	786.44	856.00	...	856.00
कुल जोड़	1271.30	286.00	1557.30	1545.82	1100.00	2645.82	3089.00	1122.00	4211.00	1778.48	1615.00	3393.48

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग, न्याय विभाग, राजभाषा खण्ड, संगठित मुकदमा अभिकरण, विधि साहित्य प्रकाशन, नालसा, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा न्यायिक वितरण और कानूनी सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **सामाजिक सुरक्षा और कल्याण:** सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए उपाय।

3. **कर न्यायाधिकरण:** यह प्रावधान आयकर अपील न्यायाधिकरण (आई.टी.ए.टी.) के सचिवालय व्यय के लिए है।

4. **कानूनी सुधारों पर कार्रवाई अनुसंधान एवं अध्ययन:** यह प्रावधान, कार्य अनुसंधान/आमूल परिवर्तन/ अध्ययन की निगरानी, संगोष्ठियों/सम्मेलनों का आयोजन आदि करने के लिए न्यायिक वितरण, विधिक शिक्षा और अनुसंधान तथा कानूनी सुधारों के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों को वित्तीय सहायता देने के लिए है।

5. **भारत में न्याय के लिए समग्र अभिगम के लिए अभिनव समाधान डिजाइन करना (डिशा):** यह प्रावधान न्यायमूर्ति एनईजेके और एनईजेके के अलावा अन्य को लामू करने के लिए है (जिसमें 3 कार्यक्रम टेली लॉ, न्याय बंधु और न्याय मित्र शामिल हैं) जिसमें विधायक और सांसद के लिए विशेष अदालतों का प्रावधान भी शामिल है।

6. **ई-कोर्ट फेज़-II:** यह प्रावधान वादियों, अधिवक्ताओं तथा न्यायतंत्र को नामित सेवा प्रदान करने के लिए देश के जिला/अधीनस्थ न्यायालयों को आईसीटी समर्थकारी बनाने हेतु ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के लिए है।

7. **ई-कोर्ट फेज़ III:** ई-कोर्ट चरण III के लिए टोकन प्रावधान।

8. **राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी:** यह प्रावधान संस्थान को अनुदान प्रदान करने के लिए है।

9. **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण:** यह प्रावधान संस्थान को अनुदान प्रदान करने के लिए है।

10. **भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई):** यह प्रावधान संस्थान को अनुदान प्रदान करने के लिए है।

11. **नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र:** यह प्रावधान मध्यस्थता केंद्र को अनुदान प्रदान करने के लिए है।

12. **संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान (आई सी पी एस):** यह प्रावधान संस्थान को अनुदान प्रदान करने के लिए है।

13. **ग्राम न्यायालय:** यह प्रावधान अपने राज्यों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

14. **न्यायालयों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं:** न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं: यह प्रावधान विधानमंडल, विधानमंडल के विना और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के साथ राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत अनुदान / सहायता प्रदान करने के लिए है।

15. **फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट:** बलात्कार और पोक्सो एक्ट के अंतर्गत लंबित पट्टे वादों का तेजी परीक्षण और निपटान किए जाने के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स का गठन।

16.01. **लोकसभा चुनाव:** यह प्रावधान आम लोकसभा चुनाव कराने के लिए शुल्क के संबंध में अग्नेय दायित्व को पूरा करने के लिए है।

16.02. **मतदाताओं के लिए पहचान पत्र:** यह प्रावधान मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने पर राज्यों / संघ राज्य सरकार को केंद्र सरकार की हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति के लिए है।

16.03. **चुनाव संबंधी अन्य व्यय:** इसके अंतर्गत सामान्य चुनावी खर्च के संबंध में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र सरकार की हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।

17. **निर्वाचन आयोग के लिए ई वी एम:** यह प्रावधान द्वारा बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल इकाइयों की खरीद के लिए चुनाव आयोग को धन उपलब्ध कराने के लिए और मतदाता सूची के मुद्रण तथा ईवीएम के सहायक खर्च तथा अप्रचलित ईवीएम की खराबी संबंधी व्यय के बारे में हैं।

विधि और न्याय मंत्रालय

मांग संख्या 66

निर्वाचन आयोग

(₹ करोड़ में)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	192.88	6.00	198.88	242.16	7.00	249.16	252.00	7.00	259.00	253.00	7.00	260.00
<i>वसूलियां</i>	-3.90	-1.49	-5.39
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	188.98	4.51	193.49	242.16	7.00	249.16	252.00	7.00	259.00	253.00	7.00	260.00
क. निवल वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. भारत निर्वाचन आयोग	192.88	6.00	198.88	242.16	7.00	249.16	252.00	7.00	259.00	253.00	7.00	260.00
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
2. वास्तविक वसूलियां	-3.90	-1.49	-5.39
कुल जोड़	188.98	4.51	193.49	242.16	7.00	249.16	252.00	7.00	259.00	253.00	7.00	260.00
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. चुनाव	188.98	...	188.98	242.16	...	242.16	252.00	...	252.00	253.00	...	253.00
2. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	4.51	4.51	...	7.00	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	7.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	188.98	4.51	193.49	242.16	7.00	249.16	252.00	7.00	259.00	253.00	7.00	260.00
कुल जोड़	188.98	4.51	193.49	242.16	7.00	249.16	252.00	7.00	259.00	253.00	7.00	260.00

1. **भारत निर्वाचन आयोग:** यह प्रावधान मुख्यतः भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना संबंधी व्यय तथा भारत निर्वाचन आयोग के कार्यालय के लिए एक और इमारत के लिए जमीन खरीदने एवं निर्माण पूर्व गतिविधियों पर होने वाले व्यय के लिए है। इसमें आयोग में कम्प्यूटर उपकरणों की खरीद तथा उनके रख-रखाव तथा राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता अभियान/प्रशिक्षण की योजना के लिए प्रावधान भी सम्मिलित है।

विधि और न्याय मंत्रालय

सं 67 (विनियोग)

भारत का उच्चतम न्यायालय

(₹ करोड़ में)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	328.00	...	328.00	334.96	...	334.96	350.86	...	350.86	401.46	...	401.46
वसूलियां
प्राप्तियां
निवल	328.00	...	328.00	334.96	...	334.96	350.86	...	350.86	401.46	...	401.46
क. निवल वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. भारतीय उच्चतम न्यायालय	328.00	...	328.00	334.96	...	334.96	350.86	...	350.86	401.46	...	401.46
कुल जोड़	328.00	...	328.00	334.96	...	334.96	350.86	...	350.86	401.46	...	401.46
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. न्याय प्रशासन	328.00	...	328.00	334.96	...	334.96	350.86	...	350.86	401.46	...	401.46
जोड़-सामान्य सेवाएं	328.00	...	328.00	334.96	...	334.96	350.86	...	350.86	401.46	...	401.46
कुल जोड़	328.00	...	328.00	334.96	...	334.96	350.86	...	350.86	401.46	...	401.46

- भारतीय उच्चतम न्यायालय:** यह विनियोग भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक और अन्य व्यय का प्रावधान करता है। इसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों, विभागीय कैंटीन सहित रजिस्ट्री के स्टाफ एवं अधिकारियों के वेतन और यात्रा व्यय, स्टेशनरी, कार्यालय उपकरणों, सुरक्षा उपकरणों, सीसीटीवी के रख-रखाव और उच्चतम न्यायालय की वार्षिक रिपोर्ट का मुद्रण सहित सुरक्षा के लिए तैनात कर्मियों के लिए व्यावसायिक सेवा प्रभार और स्थापना संबंधी जरूरतों पर व्यय का प्रावधान शामिल है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

मांग संख्या 68

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(₹ करोड़ में)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	5624.20	23.63	5647.83	15329.65	370.00	15699.65	15335.45	364.20	15699.65	20916.00	506.00	21422.00
वसूलियां	-192.56	...	-192.56
प्राप्तियां
निवल	5431.64	23.63	5455.27	15329.65	370.00	15699.65	15335.45	364.20	15699.65	20916.00	506.00	21422.00
क.निवल वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	23.64	...	23.64	24.10	...	24.10	25.65	...	25.65	28.05	...	28.05
2. विकास आयुक्त (एमएसएमई)	272.00	...	272.00	46.30	...	46.30	33.60	...	33.60	36.10	...	36.10
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	295.64	...	295.64	70.40	...	70.40	59.25	...	59.25	64.15	...	64.15
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
खादी ग्रामोद्योग और कयर उद्योगों का विकास												
3. खादी अनुदान (के जी)	222.17	...	222.17	350.00	...	350.00	375.25	...	375.25
4. परंपरागत उद्योगों के पुनर्जन्म के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति)	349.12	...	349.12	170.00	...	170.00	406.02	...	406.02	334.00	...	334.00
5. कॉयर विकास योजना	80.69	...	80.69	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00
6. सोलर चरखा मिशन	5.04	...	5.04	5.04	...	5.04	5.04	...	5.04
7. खादी विकास योजना	178.11	...	178.11	250.00	...	250.00	305.13	...	305.13
8. ग्रामोद्योग विकास योजना	37.35	...	37.35	50.00	...	50.00	60.88	...	60.88
9. खादी ग्रामोद्योग विकास योजना												
9.01 खादी अनुदान (केजी)	375.25	...	375.25
9.02 खादी विकास योजना	305.13	...	305.13
9.03 ग्रामोद्योग विकास योजना	68.61	...	68.61
जोड़- खादी ग्रामोद्योग विकास योजना	748.99	...	748.99
जोड़-खादी ग्रामोद्योग और कॉयर उद्योगों का विकास	867.44	...	867.44	905.04	...	905.04	1232.32	...	1232.32	1168.03	...	1168.03
प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन												
10. एस्पायर नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन)	13.26	...	13.26	15.00	...	15.00	10.00	...	10.00	20.00	...	20.00
11. ऋण आधारित पूंजी सन्निधि तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम	1120.11	...	1120.11	315.31	...	315.31	170.25	...	170.25

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12. एमएसएमई चैंपियन स्कीम	60.72	...	60.72
जोड़-प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन	1133.37	...	1133.37	330.31	...	330.31	180.25	...	180.25	80.72	...	80.72
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य क्रेडिट सहायता स्कीमें												
13. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	1905.80	...	1905.80	2000.00	...	2000.00	2950.00	...	2950.00	2500.00	...	2500.00
14. ऋण सहायता कार्यक्रम	0.04	...	0.04	0.08	...	0.08	0.08	...	0.08
15. एमएसएमई को संवर्धित ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना	350.00	...	350.00	199.66	...	199.66	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04
16. दबाव संपत्ति निधि	300.00	...	300.00	1.00	...	1.00	100.00	...	100.00
17. पात्र एमएसएमई ऋणदाओं को आपातकाल ऋण सुविधा (जीईसीएल)	10000.00	...	10000.00	10000.00	...	10000.00	15000.00	...	15000.00
जोड़-प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य क्रेडिट सहायता स्कीमें	2255.80	...	2255.80	12499.70	...	12499.70	12951.12	...	12951.12	17600.12	...	17600.12
विपणन संवर्धन स्कीम												
18. प्रापण और विपणन विकास कार्यक्रम (एमडीए)	12.67	...	12.67	24.96	...	24.96	18.00	...	18.00	24.96	...	24.96
19. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना	1.80	...	1.80	15.00	...	15.00	10.00	...	10.00	13.00	...	13.00
जोड़-विपणन संवर्धन स्कीम	14.47	...	14.47	39.96	...	39.96	28.00	...	28.00	37.96	...	37.96
उद्यमिता और कौशल विकास												
20. महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान	6.19	...	6.19	7.50	...	7.50	10.41	...	10.41	10.41	...	10.41
21. संवर्धनात्मक सेवा संस्थान और कार्यक्रम	130.30	...	130.30	176.70	...	176.70	140.74	...	140.74	182.82	...	182.82
22. सूचना, शिक्षा और संचार	3.79	...	3.79	6.72	...	6.72	4.50	...	4.50	6.76	...	6.76
23. प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता	24.00	...	24.00	30.00	...	30.00	50.00	...	50.00	32.00	...	32.00
24. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय निधि	0.01	...	0.01
25. निधियों के लिए निधि	350.00	350.00	...	350.00	350.00	...	486.00	486.00
जोड़-उद्यमिता और कौशल विकास	164.28	...	164.28	220.93	350.00	570.93	205.65	350.00	555.65	231.99	486.00	717.99
अवसंरचना विकास कार्यक्रम												
26. अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण	395.77	...	395.77	507.63	...	507.63	307.63	...	307.63
27. <i>अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण</i>												
27.01 सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एसएसई-सीडीपी)	262.00	...	262.00
27.02 उपकरण कक्ष और तकनीकी संस्थाएं	235.00	...	235.00
27.03 एनईआर एवं सिद्धि में एमएसएमई का संवर्धन	50.00	...	50.00
27.04 टीसी/टीएस/डीआई के लिए अवसंरचना समर्थन और सार्वजनिक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय (कार्यालय आवास का निर्माण)	21.03	20.00	41.03
<i>जोड़- अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण</i>	<i>568.03</i>	<i>20.00</i>	<i>588.03</i>
28. नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना	48.58	...	48.58	300.00	...	300.00	43.10	...	43.10	80.00	...	80.00
29. अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण-ईएपी घटक	327.10	...	327.10	280.00	...	280.00	205.00	...	205.00
30. प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) ईएपी	205.00	...	205.00
31. कार्यालय आवास का निर्माण-लोक निर्माण कार्य पर पूंजी परिव्यय	...	23.63	23.63	...	20.00	20.00	...	14.20	14.20
32. एमएसएमई कार्यानिष्पादन - आरएएमपी का उत्थान एवं त्वरावर्धन	0.03	...	0.03	723.00	...	723.00

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़ में)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-अवसंरचना विकास कार्यक्रम	771.45	23.63	795.08	1087.63	20.00	1107.63	555.76	14.20	569.96	1576.03	20.00	1596.03
अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन												
33. डाटाबेस अनुसंधान मूल्यांकन तथा अन्य कार्यालय सहायता कार्यक्रम	1.38	...	1.38	23.64	...	23.64	0.10	...	0.10	2.00	...	2.00
34. सर्वेक्षण, अध्ययन तथा नीतिगत अनुसंधान	0.37	...	0.37	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00	5.00	...	5.00
35. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र	120.00	...	120.00	150.00	...	150.00	120.00	...	120.00	150.00	...	150.00
जोड़-अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन	121.75	...	121.75	175.64	...	175.64	123.10	...	123.10	157.00	...	157.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	5328.56	23.63	5352.19	15259.21	370.00	15629.21	15276.20	364.20	15640.40	20851.85	506.00	21357.85
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
36. वास्तविक वसूलियां	-192.56	...	-192.56
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
37. खरीद और विपणन सहायता योजना (पीएमएस)-राज्य	0.04	...	0.04
कुल जोड़	5431.64	23.63	5455.27	15329.65	370.00	15699.65	15335.45	364.20	15699.65	20916.00	506.00	21422.00
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. ग्राम एवं लघु उद्योग	5408.00	...	5408.00	13848.06	...	13848.06	13837.07	...	13837.07	18885.31	...	18885.31
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	23.64	...	23.64	24.10	...	24.10	25.65	...	25.65	28.05	...	28.05
3. ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	23.63	23.63	...	220.00	220.00	...	214.20	214.20	...	457.00	457.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	5431.64	23.63	5455.27	13872.16	220.00	14092.16	13862.72	214.20	14076.92	18913.36	457.00	19370.36
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	1457.46	...	1457.46	1472.73	...	1472.73	2002.64	...	2002.64
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	0.03	...	0.03
6. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	150.00	150.00	...	150.00	150.00	...	49.00	49.00
जोड़-अन्य	1457.49	150.00	1607.49	1472.73	150.00	1622.73	2002.64	49.00	2051.64
कुल जोड़	5431.64	23.63	5455.27	15329.65	370.00	15699.65	15335.45	364.20	15699.65	20916.00	506.00	21422.00

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			(₹ करोड़ में)		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	...	110.28	110.28	...	250.00	250.00	...	265.00	265.00	...	275.00	275.00
जोड़	...	110.28	110.28	...	250.00	250.00	...	265.00	265.00	...	275.00	275.00

- सचिवालय:** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए स्थापना संबंधी व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।
 - विकास आयुक्त (एमएसएमई):** विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, एमएसएमई मंत्रालय का संबद्ध निकाय है जो देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संवर्धन एवं विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का सूत्रीकरण, समन्वय और देखरेख से संबंधित कई पहलुओं का ध्यान रखते हैं। मुख्यालय डीसी (एमएसएमई) के स्थापना संबंधी व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।
 - खादी अनुदान (के जी):** खादी अनुदान योजना का वर्ष 2022-23 से खादी ग्रामोद्योग विकास योजना में विलय कर दिया गया है।
 - परंपरागत उद्योगों के पुनर्संजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति):** इस योजना का उद्देश्य सामूहिक और उनके उत्पादनों में मूल्यवर्धन हेतु पारंपरिक उद्योग और शिल्पकार का गठन करना है, ताकि उन्हें वर्धित और सतत् आय प्रदान की जा सके। शिल्पकारों को समान सुविधा केंद्र, नई मशीनरियों, कच्चे माल की खरीद, क्षमता निर्माण, योजना के अंतर्गत विपणन और डिजाइन संबंधी हस्तक्षेप के गठन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत मुख्य क्षेत्र में हस्तशिल्प, वस्त्र, कृषि प्रसंस्करण, शहद, बांस इत्यादि शामिल हैं। अबतक 434 समूह की अनुमति प्रदान की जा चुकी है जिसमें 2.5 लाख शिल्पकारों को लाभ होने की उम्मीद है।
 - काँयर विकास योजना:** काँयर विकास योजना काँयर बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जाती है जो काँयर उद्योग के समग्र विकास के संवर्धन और इस परंपरागत उद्योग में नियुक्त कर्मचारियों की जीवन स्थिति में सुधार के लिए काँयर उद्योग अधिनियम, 1953 के अंतर्गत गठित सांविधिक निकाय है। काँयर उद्योग के विकास के लिए बोर्ड के कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ, उत्पादन और डिजाइन को विकसित करना; भारत तथा विदेश में काँयर विपणन और काँयर उत्पाद शामिल हैं। यह भूमी, काँयर फाइबर, काँयर धागा और काँयर उत्पादों के विनिर्माण के बीच सहयोगी संगठन को बढ़ावा देती है; निर्माताओं और विनिर्माणकर्ता इत्यादि को लाभकारी विवरण सुनिश्चित करता है।
- ii. काँयर विकास योजना के अंतर्गत काँयर क्षेत्र में अधिक उद्यम को आकर्षित करने के लिए योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशाला, संगोष्ठी, अनावृत्ति यात्रा जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है। काँयर उद्योगों में अपेक्षित दक्ष जनशक्ति सृजन करने के क्रम में बोर्ड विनिर्माण और मूल्यवर्धित उत्पादों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कौशल विकास और रोजगार सृजन (कौशल उन्नयन और महिला काँयर योजना), नई इकाइयों (उत्पादन अवसंरचना के विकास (डीपीआई), सीआईपीटीयूएस एवं पीजीईजीपी योजनाएं) के माध्यम से) की गठन के लिए सहायता प्रदान करना और पीएमएसबीवाई के माध्यम से काँयर क्षेत्र कर्मचारियों का कल्याण। काँयर उद्यमियों को निर्यात और घरेलू ब्यापार के लिए सहायता प्रदान की जाता है।

- सोलर चरखा मिशन:** इस योजना में सौर चरखा क्लस्टर स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, जिसका अर्थ होगा 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में एक फोकल गांव और आसपास के अन्य गांव। इसके अलावा, ऐसे क्लस्टर में 200 से 2042 लाभार्थी होंगे, अर्थात् स्पिनर बुनकर टांके लगाने वाले और अन्य कुशल कारीगर। इस योजना के तहत लंबित देनदारियों को चुकाने का प्रावधान किया गया है। अब यह निर्णय लिया गया है कि पहले से स्वीकृत 09 परियोजनाओं को पायलट परियोजनाओं के रूप में शुरू किया जाए और इन परियोजनाओं के परिणाम के आधार पर योजना को जारी रखने या अन्यथा तय किया जाएगा। यह प्रावधान पहले से स्वीकृत परियोजनाओं के प्रावधानों को पूरा करने के लिए है।
- खादी विकास योजना:** खादी अनुदान योजना का वर्ष 2022-23 से खादी ग्रामोद्योग विकास योजना में विलय कर दिया गया है।
- ग्रामोद्योग विकास योजना:** खादी अनुदान योजना का वर्ष 2022-23 से खादी ग्रामोद्योग विकास योजना में विलय कर दिया गया है।
 - इस उप-शीर्ष के अंतर्गत बजटीय आबंटन वेतन, पेंशन, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता और खादी ग्राम उद्योग आयोग (केवीआईसी) के कर्मचारियों के आकस्मिकता को पूरा करने के लिए किया गया है जो एमएसएमई मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है।
 - खादी अनुदान और ग्रामोद्योग अनुदान छत्रों के तहत सभी मौजूदा योजनाओं उप-योजनाओं के घटकों को शामिल करके, खादी नामक एक नई योजना ग्रामोद्योग विकास खादी अनुदान खादी की उप-योजनाओं के साथ योजना केजीवीवाई विकास योजना (केवीवाई) और ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई) को फरवरी 2019 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- खादी विकास योजना केजीवाई देश में खादी को बढ़ावा देने के लिए है। इसमें बाजार संवर्धन विकास कार्यक्रम एमपीडीए और ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईएसईसी) आदि जैसी मौजूदा योजनाओं के अलावा डिजाइन हाउस का एक नया घटक अब खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है।
 - सामान्य सुविधाओं के माध्यम से ग्रामोद्योगों का संवर्धन और विकास तकनीकी आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण आदि ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अन्य सहायता और सेवाएं। जीवीवाई में निम्नलिखित घटक होंगे:-
 - अनुसंधान और विकास और उत्पाद नवाचार
 - ग्रामोद्योगों के मौजूदा समर्पित कार्यक्षेत्रों की गतिविधियां
 - क्षमता निर्माण
 - विपणन और प्रचार

10. **एस्पायर नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन):** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने उद्यमिता में तेजी लाने और कृषि-उद्योग में नवाचार और उद्यमिता के लिए स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए 18.03.2015 को एस्पायर (नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना) नामक एक नई योजना शुरू की। यह योजना 2015-16 में शुरू की गई थी। योजना के मुख्य घटक निम्नलिखित की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करते हैं: (क) लाइवलीहुड बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर (एलबीआई), (ख) टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर (टीबीआई) और (ग) सिडबी के तहत फंड ऑफ फंड्स (एफओएफ)।

11. **ऋण आधारित पूंजी सन्निडी तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम:** क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सन्निडी योजना को कैबिनेट द्वारा सनसेट क्लॉज के साथ मंजूरी दी गई थी और यह 31.03.2020 तक लागू थी। सीएलसीएस घटक का उद्देश्य विशिष्ट उप-क्षेत्र / उत्पादों में अच्छी तरह से स्थापित और सिद्ध प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के लिए संस्थागत वित्त के माध्यम से एमएसई को प्रौद्योगिकी की सुविधा प्रदान करना था। इस योजना के तहत संस्थागत ऋण पर 15% की सन्निडी चिन्हित क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों/प्रौद्योगिकियों के लिए एमएसई को 1.0 करोड़ (अर्थात् 15.00 लाख रुपये की सन्निडी सीमा) बढ़ा दी गई थी। यह योजना 11 नोडल बैंकों/एजेंसी के माध्यम से लागू की गई थी, हालांकि, लगभग सभी वाणिज्यिक बैंक, प्रा. बैंक और आरआरबी इन 11 नोडल बैंकों/एजेंसी के माध्यम से पीएलआई के रूप में कार्य कर रहे हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए महिला उद्यमियों और विशेष क्षेत्रों के उद्यमियों को भी किसी भी प्रकार के संयंत्र और मशीनरी/उपकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के अधिग्रहण/प्रतिस्थापन में निवेश के लिए सन्निडी को स्वीकार्य बनाया गया है। प्राप्त सभी पात्र सन्निडी दावों का निपटारा कर दिया गया है। प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (टीईक्यूएपी) और प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास निधि योजना (टीएडीएफ) को इस योजना में मिला दिया गया है।

12. **एमएसएमई चैंपियन योजना :** पूर्ववर्ती सीएलसीएस-टीयूएस योजनाएं जेड स्लिन और अन्य जैसे इनक्यूबेशन स्कीम आईपीआर योजना और डिजाइन योजनाएं एक साथ एकीकृत की जाएंगी और तालमेल में संचालित की जाएंगी जिन्हें निम्नलिखित एमएसएमई-सस्टेनेबल, एमएसएमई-प्रतिस्पर्धी, एमएसएमई-इनोवेटिव, नामों से पहचाना जाएगा। एमएसएमई चैंपियंस एक ही उद्देश्य के साथ विभिन्न योजनाओं और हस्तक्षेपों को एकीकृत, तालमेल और अभिसरण करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण के अंतिम उद्देश्य क्लस्टरों और उद्यमों को चुनना और उनकी प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना, अपव्यय को कम करना, व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को तेज करना और उनकी राष्ट्रीय और वैश्विक पहुंच और उत्कृष्टता को सुविधाजनक बनाना है।

13. **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):** प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक क्रेडिट लिंक्ड सन्निडी योजना 2008-09 में प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) की पूर्ववर्ती योजनाओं के विलय के माध्यम से शुरू की गई थी। पीएमईजीपी का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की मदद करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% की मार्जिन मनी सन्निडी का लाभ उठा सकते हैं। विशेष श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं से संबंधित लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सन्निडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। परियोजनाओं की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये है। 2020-21 तक की स्थापना के बाद से , 16000 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी (एमएम) की सन्निडी का उपयोग करके कुल 7.02 लाख इकाइयों की स्थापना की गई थीं जिसने लगभग 56 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया।

14. **ऋण सहायता कार्यक्रम:** ऋण सहायता कार्यक्रम के तहत, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना चालू है। इस योजना के माध्यम से, नए और साथ ही मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सदस्य ऋण संस्थान (एमएलआई) द्वारा विस्तारित संपार्श्विक मुक्त ऋण सुविधा के लिए गारंटी कवर प्रदान किया जाता है। अधिकतम ऋण सीमा 100 लाख से 200 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई है। इस कोष को 2500 करोड़ से 7500 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है।

15. **एमएसएमई को संवर्धित ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना:** एमएसएमई 2018 को इंफोमेटल क्रेडिट के लिए ब्याज सबवेंशन स्कीम में अधिकतम एमएसएमई को 1.00 करोड़ रु. तक नए अथवा इंफोमेटल ऋण पर 2 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन का प्रस्ताव रखती है, जिनके पास वैध जीएसटीएन नंबर और उद्योग आधार नंबर / उद्योग पंजीकरण है। यह योजना भारतीय लघु उद्योग बैंक (सिडबी) द्वारा लागू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण और सेवा उद्यमों दोनों को उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना था। यह योजना 31.03.2021 तक उपलब्ध थी।

16. **आपदाग्रस्त संपत्ति निधि:** भारत सरकार अधीनस्थ ऋण के रूप में 20,000 करोड़ रुपये के प्रावधान की सुविधा प्रदान करेगी। इससे दो लाख एमएसएमई को लाभ होने की संभावना है। कार्यशील एमएसएमई जो एनपीए हैं या तनावग्रस्त हैं वे पात्र होंगे। सरकार सीजीटीएमएसई को 4,000 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करेगा। सीजीटीएमएसई बैंकों को आंशिक क्रेडिट गारंटी सहायता प्रदान करेगा। एमएसएमई के प्रमोटरों को बैंकों द्वारा कर्ज दिया जाएगा, जिसे बाद में प्रमोटर द्वारा यूनित में इकटिरी के रूप में डाला जाएगा। इस योजना को 31.03.2022 तक बढ़ा दिया गया है।

17. **पात्र एमएसएमई ऋणदाओं को आपातकाल ऋण सुविधा (जीईसीएल):** आत्म निर्भर भारत के हिस्से के रूप में अभियान, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस 1.0) वित्त मंत्रालय द्वारा 23.05.2020 को शुरू की गई थी और इसे वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। जैसा कि डीएफएस द्वारा सूचित किया गया है, इस योजना के तहत, 41,600 करोड़ रु. के एक कोष को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। एडव्यू ने सूचित किया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में 4000.00 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2021-22 में 13000.00 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2022-23 में 15000.00 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 9600.00 करोड़ रुपये के चार चरणों में कोष उपलब्ध कराया जाना है।

18. **प्रापण और विपणन विकास कार्यक्रम (एमडीए):** व्यवसाय विकास के लिए एक रणनीतिक उपकरण विपणन, एमएसएमई के विकास और अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। जानकारी की कमी, संसाधनों की कमी और बिक्री/विपणन के असंगठित तरीकों के कारण, एमएसएमई क्षेत्र को अक्सर नए बाजारों की खोज करने और मौजूदा बाजारों को बनाए रखने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, एमएसएमई क्षेत्र में उत्पादों और सेवाओं की विपणन क्षमता बढ़ाने के लिए खरीद और विपणन सहायता योजना शुरू की गई है। खरीद और विपणन सहायता योजना का उद्देश्य है (i) देश भर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों/एमएसएमई एक्सपो आदि में नई बाजार पहुंच पहल को बढ़ावा देना। (ii) एमएसएमई को मार्केटिंग में पैकेजिंग के महत्व / विधियों / प्रक्रिया, नवीनतम पैकेजिंग प्रौद्योगिकी, आयात-निर्यात नीति और प्रक्रिया, जीईएम पोर्टल, एमएसएमई कॉन्क्लेव, अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय व्यापार में नवीनतम विकास और बाजार पहुंच विकास के लिए अन्य विषयों / प्रासंगिक विषयों के बारे में जागरूकता पैदा करना और शिक्षित करना।

19. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना:** अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आईसी योजना का उद्देश्य निर्यात बाजार में प्रवेश करने के लिए एमएसएमई की क्षमता निर्माण करना है, ताकि वे विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, मेलों, सम्मेलनों, क्रेता-विक्रेताओं की बैठकों में भाग ले सकें और साथ ही उन्हें कार्टवाई योग्य बाजार आसूचना प्रदान कर सकें और माल और सेवाओं के निर्यात में शामिल विभिन्न लागतों की प्रतिपूर्ति कर सकें। अब संशोधित आईसी योजना दिशानिर्देशों में निम्नलिखित तीन उप-घटक हैं

- (i) एमएसएमई एमडीए उप घटक की बाजार विकास सहायता
- (ii) पहली बार एमएसई निर्यातकों की क्षमता निर्माण सीबीएफटीई उप घटक
- (iii) अंतर्राष्ट्रीय बाजार खुफिया प्रसार आईएमआईटी के लिए रूपरेखा।

20. **महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान:** महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, जो एमएसएमई मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त निकाय है, की स्थापना 2001 में जमनालाल बजाज केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, वर्धा में सुधार करके की गई थी। एमजीआईआरआई का उद्देश्य टिकाऊ और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के गांधीवादी दृष्टिकोण के साथ देश में ग्रामीण औद्योगीकरण की

प्रक्रिया में तेजी लाना और ग्रामीण उद्योग के उत्पादों को उन्नत करने के लिए एसएंडटी सहायता प्रदान करना है ताकि वे स्थानीय और वैश्विक बाजारों में व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त कर सकें।

21. **संवर्धनात्मक सेवा संस्थान और कार्यक्रम:** इस योजना में 3 घटक शामिल हैं:

(i) डीसी (एमएसएमई) का कार्यालय डीसी (एमएसएमई) अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

(ii) एमएसएमई-डीआई (स्थापना) टीसी/टीएस फील्ड कार्यालयों के लिए स्थापना संबंधी व्यय प्रदान करना है।

(iii) ईएसडीपी योजना - उद्यमिता विकास उद्यमियों के कौशल और ज्ञान में सुधार की प्रक्रिया है, इससे जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, एक व्यावसायिक उद्यम को विकसित करने, प्रबंधित करने और व्यवस्थित करने की क्षमता में वृद्धि होती है। उद्यमिता विकास का पूरा उद्देश्य उद्यमियों की संख्या बढ़ाना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं, विकलांग, पूर्व सैनिकों और वीपीएल व्यक्तियों सहित समाज के इसका विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं को स्वरोजगार या उद्यमिता को केरियर विकल्पों में से एक के रूप में मानने के लिए प्रेरित करना है। अंतिम उद्देश्य देश में नए उद्यमों, मौजूदा एमएसएमई की क्षमता निर्माण और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में एसईएनईटी डिवीजन और कार्यालय पुस्तकालय के कामकाज को भी शामिल किया गया है।

22. **सूचना, शिक्षा और संचार:** योजना का उद्देश्य वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता और उन्नयन, अवसरचना विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण तथा एमएसएमई आदि को बाजार सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही मंत्रालय और विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालय की विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रचार करना है। आईईसी अभियान :-

(i) डीसी (एमएसएमई) के मंत्रालय और कार्यालय की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए एसएमई और व्यक्तियों के बीच जागरूकता पैदा करना

(ii) डीसी (एमएसएमई) के कार्यालय सहित मंत्रालय के तहत विभिन्न संगठनों द्वारा बनाए गए तकनीकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, गुणवत्ता सुधार और बुनियादी ढांचे के लिए सुविधाओं का लाभ लेने के लिए एसएमई को प्रेरित करना ।

(iii) प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के माध्यम से अपने मानव संसाधन विकसित करने के लिए जागरूकता पैदा करना और एसएमई को प्रेरित करना ।

(iv) एमएसएमई मंत्रालय और डीसी (एमएसएमई) के कार्यालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों के बीच जनसांख्यिकी के साथ-साथ भौगोलिक रूप से जागरूकता पैदा करना है।

23. **प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता:** यह योजना (i) एमएसएमई मंत्रालय के प्रशिक्षण संस्थान और मौजूदा राज्य स्तरीय ईडीआई के लिए बुनियादी ढांचा समर्थन और क्षमता निर्माण के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। (ii) एमएसएमई मंत्रालय के प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण (कौशल विकास कार्यक्रम/प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण)।

24. **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय निधि:** इसमें एमएसएमई निधि के लिए प्रावधान शामिल है।

25. **निधियों के लिए निधि:** यूके सिन्हा समिति की सिफारिशों की तर्ज पर, एमएसएमई कंपनियों के लिए की विकास पूंजी की समस्या को दूर करने के लिए फंड ऑफ फंड आर्किटेक्चर पर एसआरआई फंड की स्थापना की गई है। यह मुख्य रूप से एमएसएमई को शुरूआती चरणों में मदद करेगा क्योंकि ऐसी इकाइयों के लिए वीसी/पीसी के माध्यम से धन जुटाने की कोई संभावना नहीं है। प्रस्तावित फंड के तहत मदद फंड और कई डॉटर फंड होंगे। यह योजना राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जो एमएसएमई मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है।

26. **अवसरचना विकास और क्षमता निर्माण:** एमएसएमई मंत्रालय सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) लागू करता है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार की परियोजनाओं को सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित करने और नए / मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों / औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण / उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(i) कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स (सीएफसी) कॉमन प्रोडक्शन/प्रोसेसिंग सेंटर जैसे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स (सीएफसी) के रूप में मूर्त संपत्तियों का निर्माण (उत्पादन लाइन को संतुलित/सुधारने/सुधारने के लिए जो अलग-अलग इकाइयों द्वारा नहीं किया जा सकता है), डिजाइन सेंटर, परीक्षण सुविधाएं, प्रशिक्षण केंद्र, अनुसंधान एवं विकास केंद्र, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, मार्केटिंग डिस्प्ले / सेलिंग सेंटर, कॉमन लॉजिस्टिक्स सेंटर, कॉमन राँ मैटेरियल बैंक / सेल्स डिपो, आदि। भारत सरकार का अनुदान अधिकतम 20.00 करोड़ रुपये की परियोजना की लागत के 70% तक सीमित होगा। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों, द्वीप क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों / वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों, 50% से अधिक (क) सूक्ष्म / गांव, (ख) महिलाओं के स्वामित्व वाले समूहों, (सी) एससी / एसटी इकाइयों में सीएफसी के लिए भारत सरकार का अनुदान 90% होगा। परियोजना की लागत में भूमि की लागत (परियोजना लागत के अधिकतम 25% के अधीन), भवन, पूर्व-संचालन व्यय, प्रारंभिक व्यय, मशीनरी और उपकरण, विविध अचल संपत्तियां, जल आपूर्ति, बिजली और कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन मनी जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं।

(ii) अवसरचना विकास: बिजली वितरण नेटवर्क, पानी, दूरसंचार, जल निकासी और प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं, सड़कों, बैंकों, कच्चे माल के भंडारण और विपणन आउटलेट, सामान्य सेवा सुविधाओं और नए/मौजूदा औद्योगिक सम्पदा/क्षेत्र में एमएसई के लिए तकनीकी बैकअप सेवाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए परियोजनाओं से मिलकर बनता है। भारत सरकार का अनुदान परियोजना की लागत के 60% (औद्योगिक संपदा के लिए रु.10.00 करोड़ और फ्लैट फैक्ट्री परिसर के लिए रु.15.00 करोड़) तक सीमित होगा। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों, द्वीप क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों / वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों, औद्योगिक क्षेत्रों / सम्पदाओं / फ्लैट फैक्ट्री परिसर में 50% से अधिक (क) सूक्ष्म / गांव, (ख) महिलाओं के स्वामित्व वाली परियोजनाओं के लिए भारत सरकार का अनुदान 80% होगा। (ग) एससी / एसटी इकाइयों।

यह योजना चार उप-योजनाओं में विभाजित है, अर्थात् (01) सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), (02) टूल रूम और तकनीकी संस्थान, (03) एनईआर और सिद्धिम में एमएसएमई को बढ़ावा देना और (04) अवसरचना टीसी/टीएस/डीआई को सहायता और लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय (कार्यालय आवास का निर्माण) और अवसरचना विकास और क्षमता निर्माण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 से अलग लाइन प्रविष्टि के तहत दिखाया गया है।

27. अवसरचना विकास और क्षमता निर्माण

27.01. सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एसएसई-सीडीपी) : सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एसएसई-सीडीपी)

27.02. औजार कक्ष और तकनीकी संस्थे: औजार कक्ष और तकनीकी संस्थे

27.03. एमएसएमई पूर्वोत्तर एवं सिद्धिम को प्रोत्साहन: औजार कक्ष और तकनीकी संस्थे

27.04. टीसी / टीएस / डीआई को अवसरचना सहायता और लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय (कार्यालय आवास का निर्माण) - फील्ड कार्यालयों के लिए नए भवन के निर्माण और मौजूदा भवनों में परिवर्तन / परिवर्धन से संबंधित कार्यों और नए आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए भूमि खरीदना।

28. **नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना:** विश्व बैंक सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) के तहत स्थापित किए जा रहे 18 मौजूदा प्रौद्योगिकी केंद्रों और 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्रों के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार एक योजना लागू कर रही

है, 20 प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसी) और 100 विस्तार केंद्र (ईसी) नए प्रौद्योगिकी केंद्रों / विस्तार केंद्रों की स्थापना, टीसी/ईसी की पहुंच बढ़ाने के लिए 6000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्थापित करना। ये टीसी/ईसी एमएसएमई और कौशल चाहने वालों को प्रौद्योगिकी सहायता, कौशल, ऊष्मायन और परामर्श जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे कौशल चाहने वालों की रोजगार क्षमता में वृद्धि, एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता और देश में नए एमएसएमई का निर्माण होता है।

29. **अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण-ईएपी घटक:** वित्तीय वर्ष 2022-23 से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग (ईएपी) योजना का नाम बदलकर टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम्स प्रोग्राम (टीसीएसपी) ईएपी कर दिया गया है।

30. देश में प्रौद्योगिकी केंद्रों के नेटवर्क का विस्तार करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय 2200 करोड़ रुपये की अनुमानित अनुमानित लागत पर टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम्स प्रोग्राम (टीसीएसपी) लागू कर रहा है, जिसमें 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसी) स्थापित करने और देश भर में मौजूदा टीसी अपग्रेड करने के लिए विश्व बैंक ऋण सहायता शामिल है। 15 नई टीसी में से 5 टीसी ने (सिविल कार्य) पूरा कर लिया है, 8 टीसी अग्रिम चरण में हैं और 2 टीसी प्रारंभिक चरण में हैं।

31. **कार्यालय आवास का निर्माण-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय:** कार्यालय का निर्माण आवास - वित्तीय वर्ष 2022-23 से लोक निर्माण योजना पर पूंजीगत परिव्यय को अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण के तहत स्थानांतरित कर दिया गया है।

32. **एमएसएमई कार्यनिष्पादन - आरएमपी का उत्थान एवं त्वरावर्धन:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के प्रदर्शन (आरएमपी) को बढ़ाना और तेज करना, विश्व बैंक समर्थित केंद्रीय क्षेत्र की योजना के लिए एक प्रस्ताव है, जो कोरोना वायरस रोग 2019 (कोविड) और सूक्ष्म, लघु मंत्रालय की लचीलापन और पुनर्प्राप्ति और मध्यम उद्यम (एमओ एमएसएमई) में विभिन्न हस्तक्षेपों का समर्थन करता है, कार्यक्रम का उद्देश्य बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना, केंद्र और राज्य में संस्थानों और शासन को मजबूत करना, केंद्र-राज्य संबंधों और साझेदारी में सुधार करना, विलंबित भुगतान के मुद्दों का समाधान करना और एमएसएमई को हरा-भरा बनाना है। बाजार पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए, चल रहे एमएसएमई मंत्रालय के कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए वितरण लिंकड संकेतक डीएलआई के खिलाफ आरएमपी के माध्यम से फंड मंत्रालय के बजट में प्रवाहित होगा।

33. **डाटाबेस अनुसंधान मूल्यांकन तथा अन्य कार्यालय सहायता कार्यक्रम:** योजना का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई के विभिन्न पहलुओं और विशेषताओं पर नियमित / समय-समय पर संगत और विश्वसनीय डेटा एकत्र करना, एमएसएमई के सामने आने वाली बाधाओं और चुनौतियों के साथ-साथ उनके लिए उपलब्ध अवसरों का अध्ययन और विश्लेषण करना है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्वीकरण और इन सर्वेक्षणों के परिणामों का उपयोग करने के लिए, इस मंत्रालय के लिए योजना के मूल्यांकन अध्ययन और नीति अनुसंधान के लिए विश्लेषणात्मक अध्ययन, सरकार द्वारा उचित रणनीतियों और हस्तक्षेप के उपायों को डिजाइन करना है। इस योजना के तहत, महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के स्वामित्व वाले और/या प्रबंधित उद्यमों के आंकड़े भी एकत्र किए जाते हैं।

34. **सर्वेक्षण, अध्ययन तथा नीतिगत अनुसंधान:** इस योजना का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई के विभिन्न पहलुओं और विशेषताओं पर नियमित / समय-समय पर संगत और विश्वसनीय डेटा एकत्र करना, एमएसएमई के सामने आने वाली बाधाओं और चुनौतियों के साथ-साथ उनके लिए उपलब्ध अवसरों का अध्ययन और विश्लेषण करना है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्वीकरण और इन सर्वेक्षणों के परिणामों का उपयोग करने के लिए, इस मंत्रालय के लिए योजना के मूल्यांकन अध्ययन और नीति अनुसंधान के लिए विश्लेषणात्मक अध्ययन, सरकार द्वारा उचित रणनीतियों और हस्तक्षेप के उपायों को डिजाइन करना। इस योजना के तहत, महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के स्वामित्व वाले और/या प्रबंधित उद्यमों के आंकड़े भी एकत्र किए जाते हैं।

35. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र:** राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब को औपचारिक रूप से अक्टूबर 2016 में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। हब सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए केंद्र सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति आदेश 2012 के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को पेशेवर सहायता प्रदान करता है। लागू व्यवसाय प्रथाओं और स्टैंड अप इंडिया पहल का लाभ उठाएं। यह योजना राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। हब के कार्यों में एससी, एसटी उद्यमों और उद्यमियों के बारे में जानकारी का संग्रह, मिलान और प्रसार, कौशल प्रशिक्षण और ईडीपी, विक्रेता विकास के माध्यम से मौजूदा और संभावित एससी, एसटी उद्यमियों के बीच क्षमता निर्माण शामिल है।

37. **खरीद और विपणन सहायता योजना (पीएमएस)-राज्य:** राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों / प्रदर्शनियों / एमएसएमई एक्सपो में आयोजन / भागीदारी जैसी नई बाजार पहुंच पहल को बढ़ावा देना आदि। विपणन में पैकेजिंग के महत्व / विधियों / प्रक्रिया, नवीनतम पैकेजिंग प्रौद्योगिकी, आयात-निर्यात नीति और प्रक्रिया, जेम पोर्टल, एमएसएमई कॉन्क्लेव, नवीनतम विकास के बारे में जागरूकता पैदा करने और एमएसएमई को शिक्षित करने के लिए। व्यापार मेलों, डिजिटल विज्ञापन, ई-मार्केटिंग, जीएसटी, जीईएम पोर्टल, सार्वजनिक खरीद नीति और अन्य संबंधित विषयों आदि के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करना। राज्य सरकारों द्वारा अपने विभागों / संगठनों / कॉर्पोराइट / स्वायत्त निकायों और एजेंसियों के माध्यम से निधि प्रवाह।

खान मंत्रालय
मांग संख्या 69
खान मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1383.47	51.81	1435.28	1498.49	68.33	1566.82	1551.28	53.72	1605.00	1546.79	61.21	1608.00
वसूलियां	-87.41	...	-87.41	-100.00	...	-100.00	-125.00	...	-125.00	-100.00	...	-100.00
प्राप्तियां
निवल	1296.06	51.81	1347.87	1398.49	68.33	1466.82	1426.28	53.72	1480.00	1446.79	61.21	1508.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	37.99	...	37.99	41.50	...	41.50	43.96	...	43.96	43.64	...	43.64
2. भारतीय खान ब्यूरो	81.16	...	81.16	95.31	...	95.31	92.11	...	92.11	96.77	...	96.77
3. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	688.44	...	688.44	667.71	...	667.71	704.71	...	704.71	712.61	...	712.61
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	807.59	...	807.59	804.52	...	804.52	840.78	...	840.78	853.02	...	853.02
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
4. स्वायत्त निकायों को सहायता	22.72	...	22.72	27.90	...	27.90	27.28	...	27.28	30.19	...	30.19
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
5. भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड	7.00	...	7.00	5.84	...	5.84	5.84	...	5.84	6.00	...	6.00
6. खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड	10.00	...	10.00
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	7.00	...	7.00	5.84	...	5.84	5.84	...	5.84	16.00	...	16.00
अन्य												
7. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण गतिविधियां	368.60	51.74	420.34	447.97	65.90	513.87	418.77	51.30	470.07	435.06	57.50	492.56
8. भारतीय खान ब्यूरो गतिविधियां	4.45	0.07	4.52	12.26	2.43	14.69	8.61	2.42	11.03	12.52	3.71	16.23
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के अंतर्गत अन्वेषण कार्यक्रम												
9. राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण निधि को अंतरण	83.11	...	83.11	100.00	...	100.00	125.00	...	125.00	100.00	...	100.00
10. कार्यक्रम घटक	90.00	...	90.00	100.00	...	100.00	125.00	...	125.00	100.00	...	100.00
11. राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण निधि से पूरी की गई राशि	-100.00	...	-100.00	-125.00	...	-125.00	-100.00	...	-100.00
जोड़-राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के अंतर्गत अन्वेषण कार्यक्रम	173.11	...	173.11	100.00	...	100.00	125.00	...	125.00	100.00	...	100.00
12. वास्तविक वसूली	-87.41	...	-87.41

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-अन्य	458.75	51.81	510.56	560.23	68.33	628.56	552.38	53.72	606.10	547.58	61.21	608.79
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	488.47	51.81	540.28	593.97	68.33	662.30	585.50	53.72	639.22	593.77	61.21	654.98
कुल जोड़	1296.06	51.81	1347.87	1398.49	68.33	1466.82	1426.28	53.72	1480.00	1446.79	61.21	1508.00
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	1258.11	...	1258.11	1292.64	...	1292.64	1317.97	...	1317.97	1337.82	...	1337.82
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	37.95	...	37.95	41.50	...	41.50	43.96	...	43.96	43.64	...	43.64
3. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	51.81	51.81	...	67.31	67.31	...	52.70	52.70	...	60.42	60.42
जोड़-आर्थिक सेवाएं	1296.06	51.81	1347.87	1334.14	67.31	1401.45	1361.93	52.70	1414.63	1381.46	60.42	1441.88
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	64.35	...	64.35	64.35	...	64.35	65.33	...	65.33
5. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	1.02	1.02	...	1.02	1.02	...	0.79	0.79
जोड़-अन्य	64.35	1.02	65.37	64.35	1.02	65.37	65.33	0.79	66.12
कुल जोड़	1296.06	51.81	1347.87	1398.49	68.33	1466.82	1426.28	53.72	1480.00	1446.79	61.21	1508.00

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़			
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश																		
1. खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड	...	29.67	29.67	...	21.00	21.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00			
2. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	...	372.36	372.36	...	350.00	350.00	...	350.00	350.00	...	350.00	350.00	...	350.00	350.00			
3. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	...	988.85	988.85	...	1500.00	1500.00	...	1500.00	1500.00	...	1800.00	1800.00	...	1800.00	1800.00			
4. अन्य निकाय	...	12.67	12.67	...	8.50	8.50	...	8.85	8.85	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00			
जोड़	...	1403.55	1403.55	...	1879.50	1879.50	...	1868.85	1868.85	...	2170.00	2170.00	...	2170.00	2170.00			

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय व्यय हेतु है। इसमें स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) एवं प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के लिए जिला खनिज फाउंडेशन की निगरानी के प्रावधान भी शामिल है।

2. **भारतीय खान ब्यूरो:** आईबीएम के स्थापना संबंधी व्यय एवं स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) हेतु प्रावधान शामिल है।

3. **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण:** प्रावधान जीएसआई के स्थापना संबंधी व्यय एवं स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) हेतु है।

4. **स्वायत्त निकायों को सहायता:** विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं के लिए विभिन्न स्वायत्त एवं वैज्ञानिक निकायों को सहायता अनुदान देने के प्रावधान शामिल है। तीन स्वायत्त निकायों को वेतन घटक, सूचना, शिक्षा, संचार स्कीमों एवं तीन स्वायत्त निकायों को एकवारगी अनुदान हेतु प्रावधान शामिल है। इनमें अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार के प्रावधान भी शामिल है।

5. **भारत गोल्ड माईंस लिमिटेड:** प्रावधान आवश्यक सेवाओं के रखरखाव पर व्यय की पूर्ति एवं अन्य के लिए है।

6. **खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड:** मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल) खान मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है। बजट अनुमान (बीई) 2022-23 में, रुपये की राशि। उपयुक्त शीर्ष के अभाव में एमईसीएल के जीआईए जनरल हेड में 10.00 करोड़ रुपये आवंटित/पार्क किए जाते हैं। इस राशि का उपयोग लिथियम की खोज के लिए किया जाएगा और जैसे ही खान मंत्रालय के धातु प्रभाग द्वारा नया बजट शीर्ष खोला जाएगा, इसे एक उपयुक्त नए शीर्ष पर पुनः विनियोजित किया जाएगा।

7. **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण गतिविधियां:** प्रावधान अपतटीय क्षेत्रों सहित देश में भूवैज्ञानिक मानचित्रण एवं क्षेत्रीय खनिज आकलन के लिए है और इसमें सेटेलाइट चित्रण एवं हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से सुदूर-संवेदन की आवश्यकताएं शामिल की गई हैं।

8. **भारतीय खान ब्यूरो गतिविधियां:** प्रावधान में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा खानों की जांच एवं अध्ययन की आवश्यकताओं एवं अनुसंधान हेतु प्रावधान कवर किए गए हैं जैसे कि (i) निम्न श्रेणी अयस्क एवं खनिजों का सज्जीकरण और (ii) खनिज संसाधनों के संरक्षण और वैज्ञानिक विकास को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विशेष खनन समस्याएं। इसमें माइनिंग टेनेमेंट सिस्टम के कंप्यूटरीकृत ऑनलाइन रजिस्टर की राशि और राज्य सरकार के क्षमता निर्माण और एनआईसी द्वारा अयस्क अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का विकास और कार्यान्वयन हेतु प्रावधान भी शामिल है।

10. **कार्यक्रम घटक:** राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास का गठन खान और खनिज (विकास विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 9ग के तहत किया गया था। इस न्यास का उद्देश्य क्षेत्रीय और विस्तृत खनिज अन्वेषण के प्रायोजनों से न्यास के द्वारा प्रोद्भूत निधियों का उपयोग करना है। खनन पट्टे का धारक या सम्भावित लाइसेंस सह खनन पट्टा न्यास को एमएमडीआर अधिनियम की दूसरी अनुसूची के संदर्भ में अदा की गई 2 प्रतिशत रॉयल्टी के समकक्ष राशि अदा करेगा। एनएमईटी में प्रोद्भूत निधियों का उपयोग देश में क्षेत्रीय और विस्तृत अन्वेषण के प्रायोजन से भारत सरकार की अधिसूचित अन्वेषण एजेंसियों के परियोजना प्रस्तावों के निधियन के लिए किया जाएगा।

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

मांग संख्या 70

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3888.57	110.00	3998.57	4657.75	153.02	4810.77	4246.45	100.00	4346.45	4861.50	159.00	5020.50
वसूलियां	-78.28	...	-78.28
प्राप्तियां
निवल	3810.29	110.00	3920.29	4657.75	153.02	4810.77	4246.45	100.00	4346.45	4861.50	159.00	5020.50
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	23.73	...	23.73	27.99	...	27.99	26.90	...	26.90	30.61	...	30.61
2. अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम	4.92	...	4.92	98.00	...	98.00	12.04	...	12.04	89.42	...	89.42
3. लोक निर्माण कार्यों संबंधी पूंजीगत परिव्यय												
3.01 कार्यालय इमारत - इमारत का निर्माण	0.01	0.01
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	28.65	...	28.65	125.99	0.01	126.00	38.94	...	38.94	120.03	...	120.03
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
4. कौमी बक्फ बोर्ड तरक्कियात योजना और शहरी बक्फ संपत्ति विकास योजना	3.10	...	3.10	16.00	...	16.00	12.00	...	12.00	15.00	...	15.00
5. शिक्षा सशक्तिकरण												
5.01 अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	1325.55	...	1325.55	1378.00	...	1378.00	1378.00	...	1378.00	1425.00	...	1425.00
5.02 अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	512.81	...	512.81	468.00	...	468.00	468.00	...	468.00	515.00	...	515.00
5.03 पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति (अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट)	396.34	...	396.34	325.00	...	325.00	325.00	...	325.00	365.00	...	365.00
5.04 अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप	73.50	...	73.50	99.00	...	99.00	99.00	...	99.00	99.00	...	99.00
5.05 अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोचिंग और संबद्ध योजनाएं	18.44	...	18.44	79.00	...	79.00	39.35	...	39.35	79.00	...	79.00
5.06 विदेशी अध्ययनों के लिए शैक्षिक ऋण पर व्याज सब्सिडी	20.19	...	20.19	24.00	...	24.00	24.00	...	24.00	24.00	...	24.00
5.07 यूपीएससी, एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोग आदि द्वारा आयोजित प्रीलिम्स को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए सहायता	4.15	...	4.15	8.00	...	8.00	6.00	...	6.00	8.00	...	8.00
जोड़- शिक्षा सशक्तिकरण	2350.98	...	2350.98	2381.00	...	2381.00	2339.35	...	2339.35	2515.00	...	2515.00
6. कौशल विकास और आजीविका शैली												

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
6.01 कौशल विकास पहल	190.03	...	190.03	276.00	...	276.00	250.00	...	250.00	235.41	...	235.41
6.02 नई मंजिल - एकीकृत शैक्षिक और जीवन शैली पहल	59.84	...	59.84	87.00	...	87.00	47.00	...	47.00	46.00	...	46.00
6.03 पारंपरिक कला / विकास के लिए शिल्प (यूएसटीटीएडी) में कौशल और प्रशिक्षण उन्नयन	56.74	...	56.74	47.00	...	47.00	47.00	...	47.00	47.00	...	47.00
6.04 अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए योजना	6.00	...	6.00	8.00	...	8.00	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50
6.05 एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य चैनेल्टाईजिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता अनुदान	0.97	...	0.97	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
6.06 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास विज्ञापन वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को इट्रिटी का योगदान	...	110.00	110.00	...	153.00	153.00	...	100.00	100.00	...	159.00	159.00
<i>जोड़- कौशल विकास और आजीविका शैली</i>	<i>313.58</i>	<i>110.00</i>	<i>423.58</i>	<i>420.00</i>	<i>153.00</i>	<i>573.00</i>	<i>348.50</i>	<i>100.00</i>	<i>448.50</i>	<i>332.91</i>	<i>159.00</i>	<i>491.91</i>
7. अल्पसंख्यकों के विशेष कार्यक्रम												
7.01 अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के अनुसंधान / अध्ययन, प्रचार, निगरानी और मूल्यांकन	11.92	...	11.92	41.00	...	41.00	41.00	...	41.00	41.00	...	41.00
7.02 अल्पसंख्यकों की संस्कृति और विरासत के संरक्षण और सुरक्षा के लिए हमारी धरोहर	4.54	...	4.54	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
7.03 छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट को नियंत्रित करने के लिए योजना	4.00	...	4.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	10.00	...	10.00
<i>जोड़- अल्पसंख्यकों के विशेष कार्यक्रम</i>	<i>20.46</i>	<i>...</i>	<i>20.46</i>	<i>46.00</i>	<i>...</i>	<i>46.00</i>	<i>46.00</i>	<i>...</i>	<i>46.00</i>	<i>53.00</i>	<i>...</i>	<i>53.00</i>
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	2688.12	110.00	2798.12	2863.00	153.00	3016.00	2745.85	100.00	2845.85	2915.91	159.00	3074.91
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
8. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	7.10	...	7.10	12.00	...	12.00	9.92	...	9.92	12.70	...	12.70
9. भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी	1.84	...	1.84	2.77	...	2.77	2.19	...	2.19	2.85	...	2.85
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	8.94	...	8.94	14.77	...	14.77	12.11	...	12.11	15.55	...	15.55
स्वायत्त निकाय												
10. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ)	70.92	...	70.92	90.00	...	90.00	76.00	...	76.00	0.01	...	0.01
अन्य												
11. वास्तविक वसूलियां	-69.67	...	-69.67
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	10.19	...	10.19	104.77	...	104.77	88.11	...	88.11	15.56	...	15.56
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
अल्पसंख्यक विकास अम्ब्रैला कार्यक्रम												
12. शिक्षा सशक्तीकरण												
12.01 पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति (स्नातक और स्नातकोत्तर)	-8.61	...	-8.61
13. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	1091.94	...	1091.94	1389.99	0.01	1390.00	1199.55	...	1199.55	1650.00	...	1650.00

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
14. मदरसा और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना	174.00	...	174.00	174.00	...	174.00	160.00	...	160.00
जोड़-अल्पसंख्यक विकास अम्ब्रैला कार्यक्रम	1083.33	...	1083.33	1563.99	0.01	1564.00	1373.55	...	1373.55	1810.00	...	1810.00
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	1083.33	...	1083.33	1563.99	0.01	1564.00	1373.55	...	1373.55	1810.00	...	1810.00
कुल जोड़	3810.29	110.00	3920.29	4657.75	153.02	4810.77	4246.45	100.00	4346.45	4861.50	159.00	5020.50
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	0.01	0.01
जोड़-सामान्य सेवाएं	0.01	0.01
सामाजिक सेवाएं												
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2560.10	...	2560.10	2521.59	...	2521.59	2330.28	...	2330.28	2475.28	...	2475.28
3. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	297.96	...	297.96	488.60	...	488.60	368.34	...	368.34	446.93	...	446.93
4. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	23.73	...	23.73	27.99	...	27.99	26.90	...	26.90	30.61	...	30.61
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय	...	110.00	110.00	...	153.01	153.01	...	100.00	100.00	...	159.00	159.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	2881.79	110.00	2991.79	3038.18	153.01	3191.19	2725.52	100.00	2825.52	2952.82	159.00	3111.82
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	463.25	...	463.25	455.05	...	455.05	502.20	...	502.20
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	928.50	...	928.50	1150.52	...	1150.52	1065.08	...	1065.08	1404.63	...	1404.63
8. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	5.80	...	5.80	0.80	...	0.80	1.85	...	1.85
जोड़-अन्य	928.50	...	928.50	1619.57	...	1619.57	1520.93	...	1520.93	1908.68	...	1908.68
कुल जोड़	3810.29	110.00	3920.29	4657.75	153.02	4810.77	4246.45	100.00	4346.45	4861.50	159.00	5020.50

(₹ करोड़)

	बजट 2022-2023			बजट 2021-2022			बजट 2021-2022			बजट 2022-2023		
	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को इक्विटी अंशदान	153.00	779.59	932.59	100.00	727.00	827.00	159.00	840.35	999.35
जोड़	153.00	779.59	932.59	100.00	727.00	827.00	159.00	840.35	999.35

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय पर व्यय के लिए है।
2. **अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम:** यह प्रावधान भारत और सऊदी अरब में हज प्रबंधन के लिए है।
3. **लोक निर्माण कार्य संबंधी पूंजीगत परिव्यय:** कार्यालय भवन के निर्माण के लिए सार्वजनिक निर्माण पर पूंजी परिव्यय
4. **कौमी वक्फ बोर्ड तरकियात योजना और शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना:** कौमी वक्फ बोर्ड तरकियाती योजना (क्यूडब्ल्यूबीटीएस) और शहरी वक्फ सम्पत्ति विकास योजना (एसडब्ल्यूएसवीके) रिकॉर्ड्स के कम्प्यूटरीकरण, राज्य वक्फ बोर्डों के सुदृढीकरण और खाली शहरी वक्फ भूमि को अतिक्रमणकारियों से बचाने के लिए और इसे व्यावसायिक आय के लिए इसे विकसित करने के लिए लागू किया जा रहा है ताकि क्रमशः कल्याणकारी गतिविधियों को व्यापक बनाया जा सके। डब्ल्यूएसएसआई मॉड्यूल, जीआईएस मैपिंग ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी में डेटा एंट्री करने, वक्फ संपत्ति के जीआईएस मैपिंग, सेंट्रलाइज्ड कंपाउंड फैसिलिटी (सीसीएफ) के रखरखाव, एसडब्ल्यूबी के बेहतर प्रशासन के लिए ईआरपी सॉल्यूशन के लिए। एसडब्ल्यूबी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा की स्थापना, मुतव्वली / प्रबंधन समिति को नकद पुरस्कार, एसडब्ल्यूबी के प्रशिक्षण और प्रशासनिक लागत को पूरा करने के लिए कानूनी और लेखा अनुभाग को मजबूत करना।

एसडब्ल्यूएसवीवाई तहत, शहरी वक्फ भूमि पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य इमारतों जैसे वाणिज्यिक परिसरों, मैरिज हॉल, अस्पतालों, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए देश में विभिन्न वक्फ संस्थानों को व्याज मुक्त ऋण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय वक्फ परिषद दोनों योजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

- 5.01. **अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के उन विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है, जो एक समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 10 तक की शिक्षा के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।
- 5.02. **अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:** मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के उन विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है, जो एक समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित कक्षा 11वीं व 12वीं स्तरों में अध्ययनों के लिए और स्नातक, स्नातकोत्तर तथा पी.एचडी स्तर पर सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं।
- 5.03. **पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति (अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट):** यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के उन विद्यार्थियों को दी जाती है, जो एक समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति से संबंधित पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।
- 5.04. **अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप:** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एम॰फिल॰ तथा पी॰एचडी॰ जैसी उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए वित्तीय सहायता स्वरूप अध्येतावृत्ति प्रदान करने का है। इस योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(ब) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को शामिल किया गया है। अध्येतावृत्ति नियमित और पूर्णकालिक एम॰फिल॰ तथा पी॰एचडी॰ पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत शोध छात्रों को प्रदान की जा रही यूजीसी अध्येतावृत्ति के अनुरूप है।
- 5.05. **अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोर्चिंग और संबद्ध योजनाएं:** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके ज्ञान, कौशल में वृद्धि करके उन्हें सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में प्रतियोगिता परीक्षाओं/चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ख्याति प्राप्त संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए सहायता करना है।

5.06. **विदेशी अध्ययनों के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी:** इस योजना को विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिए चुने गए अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को शैक्षिक ऋणों पर ब्याज इमदाद प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है।

5.07. **यूपीएससी, एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोग आदि द्वारा आयोजित प्रीलिम्स को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए सहायता:** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), राज्य लोक सेवा आयोगों (एसपीएससी) और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की समूह 'क' और 'ख' की प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं, को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए सिविल सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना है जो इस समय देश में जनसंख्या में अल्पसंख्यकों के अनुपात से काफी कम है।

6.01. **कौशल विकास पहलें:** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को जिनके पास कोई कौशल नहीं है, को कौशल प्रदान करते हुए समग्र उन्नति के लिए शहरी और ग्रामीण आजीविका में सुधार करना है। जिनके पास पहले ही कौशल है उनके लिए इस योजना का उद्देश्य उनके रोजगार अवसरों को बढ़ाने के लिए उनके कौशल का उन्नयन करना और उन्हें प्रत्यय-पत्र प्रदान करना भी है, ताकि अपने उद्यमों का विस्तार करने में सहायता के लिए ऐसे व्यक्तियों की ऋण तक पहुंच हो सके।

6.02. **नई मंजिल - एकीकृत शिक्षा और आजीविका पहलें:** योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:- (i) "नई मंजिल" का उद्देश्य गरीब अल्पसंख्यक युवकों को रचनात्मक तरीके से संबद्ध करना और सतत तथा लाभप्रद रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए उनकी सहायता करना है जिससे उन्हें मुख्य धारा की आर्थिक गतिविधियों के साथ जुड़ने में सुविधा हो सके। (ii) अल्पसंख्यक समुदायों से उन युवकों को प्रेरित करना जो स्कूल ड्रॉपआउट हैं और उन्हें 8वीं अथवा 10वीं कक्षा तक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) या राज्य सरकार की अन्य मुक्त विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से औपचारिक शिक्षा और प्रमाण-पत्र प्रदान करना। (iii) बाजार संचालित कौशल में युवकों को एकीकृत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। (iv) प्रशिक्षित युवकों में से कम से कम 70% का ऐसी नौकरियों में प्लेसमेंट कराना जिससे उन्हें बुनियादी न्यूनतम मजदूरी मिले और उन्हें भविष्य निधि तथा ईएसआई आदि जैसी अन्य सामाजिक संरक्षण हकदारियां प्रदान करे। (v) स्वास्थ्य तथा जीवन कौशलों में जागरूकता और सुग्राहिता पैदा करना।

6.03. **कला एवं हस्तशिल्प में विकास के लिए कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण:** हमारे देश की परंपरागत कलाओं और शिल्पों को संरक्षित करने तथा अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित परंपरागत दस्तकारों/शिल्कारों के क्षमता निर्माण के लिए उस्ताद (विकास के लिए पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल तथा प्रशिक्षण का उन्नयन) नामक एक नई योजना अनुमोदित की गई है। यह योजना एक तरफ देश की समृद्ध विरासत को संरक्षित करेगी तथा दूसरी ओर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ संबंध स्थापित करेगी तथा श्रमिक की प्रतिष्ठा सुनिश्चित करेगी।

6.04. **अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए योजना:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रगति के लाभ वंचित महिलाओं तक पहुंचे, ऐसी महिलाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे अपने घर और समुदाय के दायरे से बाहर आने में सक्षम हो सकें और विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के अधीन उन्हें उपलब्ध सेवाओं, कौशलों और अवसरों के आकलन में नेतृत्व की भूमिका निभा सकें।

6.05. **एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य चैनेलाईजिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता अनुदान:** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) अपने कार्यों का संचालन राज्य चैनेलाईजिंग एजेंसियों के माध्यम से करता है। राज्य चैनेलाईजिंग एजेंसियों को सहायता अनुदान उनकी क्षमताओं और प्रचालनों को सृष्टि करने के लिए दिया जाता है।

6.06. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) में इकटिरी का योगदान:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को शेष पूंजी प्रदान करने के लिए है।

7.01. **अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के अनुसंधान / अध्ययन, प्रचार, निगरानी और मूल्यांकन:** इसका उद्देश्य मंत्रालयों के कार्यक्रमों, योजनाओं और पहल की जानकारी के प्रसार के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम, अन्य क्षेत्र सहित अन्य अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं का अध्ययन, मूल्यांकन और मॉनिटर करना है और साथ ही अध्ययन के लिए गहन मल्टी मीडिया अभियान भी चलाया जा रहा है।

7.02. **अल्पसंख्यकों की संस्कृति और विरासत के संरक्षण और सुरक्षा के लिए हमारी धरोहर:** हमारी धरोहर नामक योजना भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के अंतर्गत भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत का संरक्षण करेगी।

7.03. **छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट को नियंत्रित करने के लिए योजना:** इस योजना को सहायता-अनुदान के रूप में 100% केन्द्रीय वित्त-पोषण के साथ एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू है। इस योजना को संबंधित छोटे अल्पसंख्यक समुदाय के संगठनों/एनजीओ/सोसाइटियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की घटती जनसंख्या के रूझान को रोकना है।

8. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग:** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए यह प्रावधान है।

9. **भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी:** भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए यह प्रावधान है।

10. **मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ):** मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान एक स्वैच्छिक, गैर राजनीतिक, गैर-लाभ अर्जक सोसाइटी सामाजिक सेवा संगठन है जिसकी स्थापना शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी समेकित निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज ही प्रतिष्ठान की आय का स्रोत है। प्रतिष्ठान की योजनाएं मौजूदा संस्थानों के विस्तार और उन्नयन तथा पिछड़े अल्पसंख्यकों की शैक्षिक स्थिति में सुधार करने के लिए है।

13. **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम:** पीएमजेवाईके (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) एक विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। पीएमजेवाईके का उद्देश्य विकास को संबोधित करना है, चयनित अल्पसंख्यक एकाग्रता क्षेत्रों में कमी (एमसीए यानी चिन्हित जिलों के मुख्यालय ब्लॉक / कस्बों / गांवों के समूह जो अल्पसंख्यक आबादी वाले गांवों की संख्या अपेक्षाकृत कम है) प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वयन के लिए एमएसडीपी को पुनर्जीवित किया गया है।

14. **मदरसा और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना:** मदरसों में आधुनिक विषयों, शिक्षक प्रशिक्षण और अल्पसंख्यकों के संस्थानों में स्कूल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

मांग संख्या 71

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2931.87	149.96	3081.83	5743.00	10.00	5753.00	5071.80	2610.00	7681.80	6888.94	11.74	6900.68
वसूलियां	-438.53	...	-438.53
प्राप्तियां
निवल	2493.34	149.96	2643.30	5743.00	10.00	5753.00	5071.80	2610.00	7681.80	6888.94	11.74	6900.68
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	34.21	...	34.21	49.05	...	49.05	44.30	...	44.30	56.01	...	56.01
2. कार्यालय भवन	...	149.96	149.96	...	10.00	10.00	...	110.00	110.00	...	11.74	11.74
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	34.21	149.96	184.17	49.05	10.00	59.05	44.30	110.00	154.30	56.01	11.74	67.75
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
ग्रिड इन्टरएक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा												
3. पवन ऊर्जा	1059.35	...	1059.35	1100.00	...	1100.00	1100.00	...	1100.00
4. लघु पन ऊर्जा	38.78	...	38.78	90.00	...	90.00	65.50	...	65.50
5. जैव ऊर्जा	6.22	...	6.22	120.00	...	120.00	56.85	...	56.85
6. सौर ऊर्जा	1049.85	...	1049.85	2369.13	...	2369.13	2475.26	...	2475.26
7. किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (केयूसयूएम)	221.00	...	221.00	150.00	...	150.00
8. हरित ऊर्जा कॉरिडोर	159.53	...	159.53	300.00	...	300.00	150.00	...	150.00
9. व्याज का भुगतान और बॉण्ड्स को जारी करने पर होने वाले व्यय	154.38	...	154.38	124.35	...	124.35	124.35	...	124.35
जोड़-ग्रिड इन्टरएक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा	2468.11	...	2468.11	4324.48	...	4324.48	4121.96	...	4121.96
ऑफ-ग्रिड/वितरित एवं विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा												
10. पवन ऊर्जा	1.32	...	1.32
11. लघु पन ऊर्जा	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	0.50	...	0.50
12. जैव ऊर्जा	11.69	...	11.69	70.00	...	70.00	36.48	...	36.48
13. सौर ऊर्जा	149.43	...	149.43	237.00	...	237.00	210.00	...	210.00
14. किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (केयूसयूएम)	776.30	...	776.30	540.26	...	540.26
15. बायोगैस कार्यक्रम	37.58	...	37.58	95.00	...	95.00	25.00	...	25.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
16. अन्य अक्षय ऊर्जा अनुप्रयोग (सौर शहर, हरित भवन, राज्यों को सहायता, अक्षय ऊर्जा अनुप्रयोगों का प्रदर्शन, कुक स्टोव आदि)	120.61	...	120.61	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
जोड़-ऑफ-ग्रिड/वितरित एवं विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा	322.63	...	322.63	1180.50	...	1180.50	812.44	...	812.44
अनुसंधान, विकास और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग												
17. अनुसंधान और विकास	36.47	...	36.47	75.00	...	75.00	27.50	...	27.50
सहायक कार्यक्रम												
18. निगरानी/मूल्यांकन और अन्य अध्ययन	0.30	...	0.30	0.10	...	0.10
19. सूचना, शिक्षा और संचार	0.92	...	0.92	8.00	...	8.00	2.00	...	2.00
20. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध-निवेश संबंधन एवं अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को सहायता सहित अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	19.35	...	19.35	20.00	...	20.00	3.40	...	3.40
21. मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण	19.33	...	19.33	37.00	...	37.00	20.10	...	20.10
जोड़-सहायक कार्यक्रम	39.60	...	39.60	65.30	...	65.30	25.60	...	25.60
सौर ऊर्जा												
22. सौर ऊर्जा (ग्रिड)	3304.03	...	3304.03
23. सौर ऊर्जा (ऑफ-ग्रिड)	61.50	...	61.50
24. किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (केयूसयूएम)	1715.90	...	1715.90
25. अन्य नवीकरणीय ऊर्जा एप्लीकेशन्स (ओआरईए)	0.10	...	0.10
26. ब्याज भुगतान और बांड्स पर खर्च जारी करना	124.36	...	124.36
जोड़-सौर ऊर्जा	5205.89	...	5205.89
जैव ऊर्जा कार्यक्रम												
27. जैव ऊर्जा (ग्रिड)	50.00	...	50.00
28. जैव ऊर्जा (ऑफ-ग्रिड)	20.00	...	20.00
29. बायोगैस कार्यक्रम (ऑफ-ग्रिड)	30.00	...	30.00
जोड़-जैव ऊर्जा कार्यक्रम	100.00	...	100.00
वायु एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा हेतु कार्यक्रम												
30. पवन ऊर्जा (ग्रिड)	1050.00	...	1050.00
31. जल ऊर्जा (ग्रिड)	50.00	...	50.00
32. जल ऊर्जा (ऑफ-ग्रिड)	2.00	...	2.00
जोड़-वायु एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा हेतु कार्यक्रम	1102.00	...	1102.00
समर्थन कार्यक्रम												
33. निगरानी और मूल्यांकन	0.10	...	0.10
34. सूचना और सार्वजनिक विज्ञापन (आईएंडपीए)	6.00	...	6.00
35. मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण	30.93	...	30.93
36. अंतर्राष्ट्रीय संबंध	8.00	...	8.00
37. अनुसंधान और विकास	35.00	...	35.00
जोड़-समर्थन कार्यक्रम	80.03	...	80.03

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
हाइड्रोजन मिशन												
38. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन	0.01	...	0.01
भंडारण और संचरण												
39. हरित ऊर्जा कोरिडोर	300.00	...	300.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	2866.81	...	2866.81	5645.28	...	5645.28	4987.50	...	4987.50	6787.93	...	6787.93
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
40. राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान	13.50	...	13.50	20.84	...	20.84	20.00	...	20.00	22.00	...	22.00
41. राष्ट्रीय बायो ऊर्जा संस्थान	4.70	...	4.70	8.33	...	8.33	4.96	...	4.96	7.00	...	7.00
42. राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान	12.65	...	12.65	19.50	...	19.50	15.04	...	15.04	16.00	...	16.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	30.85	...	30.85	48.67	...	48.67	40.00	...	40.00	45.00	...	45.00
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
43. भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए)	1500.00	1500.00
44. भारतीय सौर ऊर्जा निगम	1000.00	1000.00
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	2500.00	2500.00
अन्य												
45. अधिभुगतान की वसूली की कटौती	-438.53	...	-438.53
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	-407.68	...	-407.68	48.67	...	48.67	40.00	2500.00	2540.00	45.00	...	45.00
कुल जोड़	2493.34	149.96	2643.30	5743.00	10.00	5753.00	5071.80	2610.00	7681.80	6888.94	11.74	6900.68
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	2459.13	...	2459.13	5128.95	...	5128.95	4528.50	...	4528.50	6153.93	...	6153.93
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	34.21	...	34.21	49.05	...	49.05	44.30	...	44.30	56.01	...	56.01
3. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय	...	149.96	149.96	...	10.00	10.00	...	2610.00	2610.00	...	11.74	11.74
जोड़-आर्थिक सेवाएं	2493.34	149.96	2643.30	5178.00	10.00	5188.00	4572.80	2610.00	7182.80	6209.94	11.74	6221.68
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	565.00	...	565.00	499.00	...	499.00	679.00	...	679.00
जोड़-अन्य	565.00	...	565.00	499.00	...	499.00	679.00	...	679.00
कुल जोड़	2493.34	149.96	2643.30	5743.00	10.00	5753.00	5071.80	2610.00	7681.80	6888.94	11.74	6900.68

(₹ करोड़)

बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
------------	----------------	------	------------	----------------	------	------------	----------------	------	------------	----------------	------

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	...	8926.28	8926.28	...	11017.82	11017.82	1500.00	18139.74	19639.74	...	27572.34	27572.34
2. भारतीय सौर ऊर्जा निगम	...	579.28	579.28	...	760.18	760.18	1000.00	834.45	1834.45	...	998.65	998.65
जोड़	...	9505.56	9505.56	...	11778.00	11778.00	2500.00	18974.19	21474.19	...	28570.99	28570.99

(₹ करोड़)

- सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय व्यय के लिए है।
- कार्यालय भवन:** यह प्रावधान कार्यालय भवन : अटल अक्षय ऊर्जा भवन के प्रमुख निर्माण कार्य के लिए है।
- सौर ऊर्जा (ग्रिड):** वर्ष -2022-23 में सौर ऊर्जा के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता
- सौर ऊर्जा (ऑफ-ग्रिड):** ऑफग्रिड सौर पीवी कार्यक्रम के चरण 3 का कार्यान्वयन, जिसमें 3 लाख सौर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना, 25 लाख सौर स्टडी लैम्पों के वितरण और 100 मेगावाट पी वी की कुल क्षमता के सौर पावर पैक की स्थापना शामिल है। इसके अलावा अजय योजना चरण 2 के अंतर्गत 3 लाख से अधिक सौर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा 20 मेगावाट समतुल्य क्षमता की केंद्रीत सौर तापीय (सीएसटी) परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी।
- किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (केयूएसयूएम):** मंत्रालय ने विकेंद्रीकृत ग्राउंड माउंटेन ग्रीड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र, कृषि के लिए एकल सौर जल पम्प तथा किसानों को वित्तीय तथा जल सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मौजूदा ग्रीड कनेक्टेड कृषि पम्प की स्थापना के लिए किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) योजना शुरू की है। राज्य सरकार/वितरण कंपनियों को एक ऐसी प्रणाली तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिसके माध्यम से अधिशेष और सौर ऊर्जा को राज्यों द्वारा निर्धारित टैरिफ पर वितरण कंपनियों द्वारा खरीद की जा सकेगी।
- अन्य नवीकरणीय ऊर्जा एप्लीकेशन्स (ओआरईए):** अन्य नवीकरणीय ऊर्जा अनुप्रयोग (राज्यों को सहायता सहित सौर शहर हरित भवन इत्यादि, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रदर्शन, कुक-स्टोव इत्यादि)- घरेलू उपयोग के लिए स्वच्छ ऊर्जा हेतु ऊर्जा दक्षता और संरक्षण तथा उपलब्धता संबंधन हेतु समुचित रूपरेखा सृजन के लिए राज्यों को सहायता।
- ब्याज भुगतान और बांड्स पर खर्च जारी करना:** ब्याज का भुगतान और जारी करने संबंधी व्यय:- अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए (आईआरईडीए) द्वारा जारी किए गए/जारी किए जाने वाले बांडों के लिए ब्याज का भुगतान
- जैव ऊर्जा (ग्रिड):** सीएफए के प्रावधान का उपयोग वर्ष 2022-23 में जैव-ऊर्जा के लिए किया जाएगा।
- जैव ऊर्जा (ऑफ- ग्रिड):** सीएफए के प्रावधान का उपयोग वर्ष 2022-23 में ऑफ-लिड/वितरित जैव ऊर्जा के लिए किया जाएगा।
- बायोगैस कार्यक्रम (ऑफ- ग्रिड):** खाना पकाने के लिए वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराने के लिए 1 लाख बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करने के लिए।
- पवन ऊर्जा (ग्रिड):** पवन ऊर्जा के लिए जीबीआई योजना प्रावधान की जाएगी।
- जल ऊर्जा (ग्रिड):** अनुकूल माहौल तथा स्वच्छ ऊर्जा के विकास से संबंधित लघु जल विद्युत परियोजना कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता।
- जल ऊर्जा (ऑफ-ग्रिड):** अनुकूल माहौल तथा स्वच्छ ऊर्जा के विकास से संबंधित लघु जल विद्युत परियोजना कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता।
- निगरानी और मूल्यांकन:** अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में मूल्यांकन और अन्य अध्ययन कार्य पूरा करने के लिए।

- सूचना और सार्वजनिक विज्ञापन (आईएंडपीए):** जनता के बीच जागरूकता का सृजन करने के लिए अक्षय ऊर्जा अनुप्रयोगों का प्रदर्शन, जनता एवं शिक्षण संस्थाओं को सूचना का प्रदर्शन।
- मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण:** सूर्य मित्र, राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा विज्ञान फैलोशिप प्रयोगशालाओं के उन्नयन, पुस्तकालय सुविधाओं, पाठ्यक्रम मॉड्यूलों में विकास सहित अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता
- अंतरराष्ट्रीय संबंध:** निवेश संवर्धन एवं अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन भवन और सचिवालय स्थापना को सहायता सहित अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए आबंटन की परिकल्पना।
- अनुसंधान और विकास:** अनुसंधान और विकास परियोजनाएं निरंतर प्रकृति की होती हैं। वर्ष 2022-23 तक प्रत्येक वर्ष में विभिन्न अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों में परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी।
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन:** यह प्रावधान हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कई क्षेत्रों में उत्पादन और उपयोग को बढ़ाएगा।
- हरित ऊर्जा कोरिडोर:** हरित ऊर्जा कॉरिडोर :- सीएफए के प्रावधान का उपयोग वर्ष 2022-23 में अंतःराज्यीय हरित ऊर्जा कोरिडोर परियोजना के अंतर्गत संचयी रूप से 6000 सीकेएम पारेपन अवसंरचना क्षमता जोड़ने के लिए किया जाएगा।
- राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान:** एनआईडब्ल्यूई पवन ऊर्जा में अनुसंधान और विकास कार्य करता है।
- राष्ट्रीय बायो ऊर्जा संस्थान:** एनआईबीई बायो ऊर्जा में अनुसंधान और विकास कार्य करता है।
- राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान:** एनआईएसई, ऊर्जा में अनुसंधान और विकास कार्य करता है।
- भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए):** भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) में पूंजी निवेश/इक्रिटी।
- भारतीय सौर ऊर्जा निगम:** भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) में पूंजी निवेश/इक्रिटी।

पंचायती राज मंत्रालय

मांग संख्या 72

पंचायती राज मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	686.26	...	686.26	913.43	...	913.43	868.38	...	868.38	868.57	...	868.57
वसूलियां
प्राप्तियां
निवल	686.26	...	686.26	913.43	...	913.43	868.38	...	868.38	868.57	...	868.57
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	29.55	...	29.55	37.23	...	37.23	37.97	...	37.97	42.37	...	42.37
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
कार्य अनुसंधान और प्रचार												
2. कार्य अनुसंधान	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00	2.50	...	2.50	3.00	...	3.00
3. अंतर्राष्ट्रीय अंशदान	0.16	...	0.16	0.20	...	0.20	0.17	...	0.17	0.20	...	0.20
4. मीडिया एवं प्रचार	7.50	...	7.50	12.00	...	12.00	5.52	...	5.52	10.00	...	10.00
जोड़-कार्य अनुसंधान और प्रचार												
5. स्वामित्व	79.65	...	79.65	200.00	...	200.00	140.00	...	140.00	150.00	...	150.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	89.31	...	89.31	215.20	...	215.20	148.19	...	148.19	163.20	...	163.20
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)												
6. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	499.93	...	499.93	593.00	...	593.00	618.00	...	618.00	593.00	...	593.00
7. पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण	49.68	...	49.68	48.00	...	48.00	52.51	...	52.51	50.00	...	50.00
8. ई-पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना	17.79	...	17.79	20.00	...	20.00	11.71	...	11.71	20.00	...	20.00
जोड़-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)												
	567.40	...	567.40	661.00	...	661.00	682.22	...	682.22	663.00	...	663.00
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	567.40	...	567.40	661.00	...	661.00	682.22	...	682.22	663.00	...	663.00
कुल जोड़	686.26	...	686.26	913.43	...	913.43	868.38	...	868.38	868.57	...	868.57

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	167.52	...	167.52	313.20	...	313.20	217.81	...	217.81	255.40	...	255.40
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	29.55	...	29.55	37.23	...	37.23	37.97	...	37.97	42.37	...	42.37
जोड़-आर्थिक सेवाएं	197.07	...	197.07	350.43	...	350.43	255.78	...	255.78	297.77	...	297.77
अन्य												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	87.62	...	87.62	83.05	...	83.05	82.62	...	82.62
4. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	464.19	...	464.19	435.38	...	435.38	489.55	...	489.55	448.18	...	448.18
5. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	25.00	...	25.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00
जोड़-अन्य	489.19	...	489.19	563.00	...	563.00	612.60	...	612.60	570.80	...	570.80
कुल जोड़	686.26	...	686.26	913.43	...	913.43	868.38	...	868.38	868.57	...	868.57

- सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय व्यय के लिए है।
- कार्य अनुसंधान:** पंचायती राज के विभिन्न पहलुओं, मुख्य रूप से इसे बेहतर नीति निर्माण के एक उपकरण के रूप में प्रयोग करने, के बारे में कार्य अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन करने के लिए ग्रामीण विकास के क्षेत्रों एवं मूल्यांकन में विशेषीकृत अनुभव वाले शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- अंतर्राष्ट्रीय अंशदान:** प्रावधान स्थानीय गवर्नेंस के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान के लिए है।
- मीडिया एवं प्रचार:** मीडिया और प्रचार योजना का उद्देश्य पंचायती राज और इसके कार्यक्रमों के बारे में पक्ष समर्थन और प्रचार के लिए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल, समकालीन और पारंपरिक मीडिया के माध्यम से बेहतर और अधिक प्रभावी संवाद करना है, जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर पंचायतों का क्षमता निर्माण करना उनके प्रदर्शन को बढ़ाना है। मंत्रालय ग्रामीण लोगों और अन्य हितधारकों के बीच प्रासंगिक सूचनाओं के प्रसार के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया और जनसंचार के पारंपरिक रूपों के माध्यम से प्रयास कर रहा है। मीडिया गतिविधियों का उद्देश्य पीआरआई की भूमिका से संबंधित मुख्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है, जिससे उनके पक्ष में उनकी प्रभावशीलता और पक्ष समर्थन बढ़े।
- स्वामित्व:** स्वामित्व गांवों का सर्वेक्षण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से मैपिंग स्कीम एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम है जिसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 24 अप्रैल 2020 को की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों के ग्रामीण घरों के मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' हक विलेख प्रदान करना एवं संपत्ति कार्ड जारी करना है। यह ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए ग्रामीण आवासीय संपत्तियों के मुद्रीकरण को सक्षम बनाता है।
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान:** वर्ष 2016-17 के माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण के संदर्भ में सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आरजीएसए की पुनर्गठित केंद्र प्रायोजित योजना सीएसएस को वित्तीय वर्ष 2018-19 में 21.04.2018 को मंजूरी दे दी। योजना में सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को हासिल करने के लिए पीआरआई को मजबूत करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ मिशन अंत्योदय के साथ अभिसरण और 117 आंकांशी जिलों में पीआरआई को मजबूत करने पर जोर दिया गया। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 24.04.2018 को राष्ट्रीय पंचायती राज

दिवस के अवसर पर इस योजना का शुभारंभ किया गया था। योजना को 01.04.2018 से 31.03.2022 तक कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। इस योजना का कुल परिव्यय 7255.50 करोड़ रूपए है जिसमें राज्य का हिस्सा 2755.50 करोड़ रूपए और केंद्रीय शेषर 4500.00 करोड़ रूपए होगा। यह योजना भाग IX क्षेत्रों सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों तक फैली है, जिसमें लगभग 2.48 लाख ग्राम पंचायतें और गैर-स्थानीय IX क्षेत्रों में जहां पंचायतें मौजूद नहीं हैं, वहां की ग्रामीण स्थानीय शासन के संस्था शामिल हैं। राज्य घटक के लिए निधि साझाकरण का प्रारूप पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों को छोड़कर 60:40 के अनुपात में है। पूर्वोत्तर, पर्वतीय राज्यों और संघ राज्य जम्मू और कश्मीर के लिए केंद्र और राज्य साझाकरण 90:10 के अनुपात में है। सभी क्षेत्रों के लिए केंद्रीय हिस्सा 100% है।

योजना के अनुमोदन के बाद, पंचायती राज संस्थाओं पीआरआई को सार्थक, ठोस और परिणामोन्मुखी तरीके से आरजीएसए को लागू करने में सक्षम बनाने के लिए, योजना के कार्यान्वयन के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है और इसे राज्यों के साथ साझा किया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 34 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजनाओं को मंजूरी दी गई है और धनराशि जारी की गई है।

7. **पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण:** पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) वर्ष 2011-12 से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को पुरस्कार के माध्यम से प्रोत्साहित करता आ रहा है जो पंचायतों और ग्राम सभाओं और पंचायत को मॉडल बनाने के लिए विशेष प्रयास करने वाले प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करती हैं। वर्ष 2018-19 से इस योजना को मामूली संशोधनों के साथ फिर से तैयार किया गया है और यह राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के केंद्रीय घटकों में से एक है। पुरस्कार हर साल 24 अप्रैल को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर दिए जाते हैं।

8. **ई-पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना:** ई-पंचायत के तहत भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायतों के आंतरिक स्वचालन और देश की सभी पंचायतों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण को सक्षम बनाने के लिए प्रयास जारी हैं। पंचायतों के कामकाज के विभिन्न पहलुओं, जैसे नियोजन, बजटन, कार्यान्वयन, लेखा, निगरानी, सोशल ऑडिट और नागरिक सेवाओं के वितरण जैसे प्रमाण पत्र, लाइसेंस, आदि के मुद्दों का समाधान के लिए अनुप्रयोगों का एक तंत्र विकसित किया गया है।

संसदीय कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 73

संसदीय कार्य मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	28.98	...	28.98	65.07	...	65.07	65.00	...	65.00	66.40	...	66.40
वसूलियां
प्राप्तियां
निवल	28.98	...	28.98	65.07	...	65.07	65.00	...	65.00	66.40	...	66.40
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	28.98	...	28.98	25.07	...	25.07	29.00	...	29.00	26.40	...	26.40
2. राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन	40.00	...	40.00	36.00	...	36.00	40.00	...	40.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	28.98	...	28.98	65.07	...	65.07	65.00	...	65.00	66.40	...	66.40
कुल जोड़	28.98	...	28.98	65.07	...	65.07	65.00	...	65.00	66.40	...	66.40
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	28.98	...	28.98	65.07	...	65.07	65.00	...	65.00	66.40	...	66.40
जोड़-सामान्य सेवाएं	28.98	...	28.98	65.07	...	65.07	65.00	...	65.00	66.40	...	66.40
कुल जोड़	28.98	...	28.98	65.07	...	65.07	65.00	...	65.00	66.40	...	66.40

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान संसद सदस्यों के सचिवालय स्टाफ के वेतन इत्यादि, विदेश जाने वाले संसद सदस्यों के प्रतिनिधिमंडलों हेतु व्यय, पारस्परिक आधार पर विदेशी संसदीय प्रतिनिधियों की भारत यात्रा, युवा संसद प्रतियोगिताओं के आयोजन एवं अन्य व्यय की व्यवस्था के लिए है।

2. **राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन:** सभी राज्यों के विधान मंडलों को डिजिटल हाऊसेस में बदलने के लिए नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन-एनईवीए, जोकि एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, जिससे कि इनकी कार्य प्रणाली को पेपरलेस बनाया जा सके।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

मांग संख्या 74

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1531.77	116.18	1647.95	1860.21	198.36	2058.57	1796.40	153.60	1950.00	2111.88	225.30	2337.18
<i>वसूलियां</i>	-6.44	...	-6.44
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	1525.33	116.18	1641.51	1860.21	198.36	2058.57	1796.40	153.60	1950.00	2111.88	225.30	2337.18
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	128.58	...	128.58	197.70	...	197.70	187.34	...	187.34	170.57	...	170.57
2. <i>संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय</i>												
2.01 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो	719.20	64.40	783.60	749.69	85.70	835.39	796.00	74.50	870.50	801.91	109.96	911.87
2.02 कर्मचारी चयन आयोग	380.28	...	380.28	382.59	...	382.59	374.36	...	374.36	263.00	...	263.00
2.03 केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण	108.83	4.97	113.80	112.03	10.00	122.03	127.56	5.44	133.00	134.00	25.00	159.00
2.04 प्रशिक्षण प्रभाग, आईएसटीएम और एलबीएसएनएए	60.11	...	60.11	79.03	...	79.03	75.03	...	75.03	77.39	...	77.39
2.05 सीआईसी और पीईएसबी	28.41	...	28.41	31.25	...	31.25	31.20	...	31.20	32.70	...	32.70
2.06 लोकपाल	13.58	...	13.58	29.67	10.00	39.67	16.00	10.00	26.00	24.00	10.00	34.00
<i>जोड़- संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय</i>	<i>1310.41</i>	<i>69.37</i>	<i>1379.78</i>	<i>1384.26</i>	<i>105.70</i>	<i>1489.96</i>	<i>1420.15</i>	<i>89.94</i>	<i>1510.09</i>	<i>1333.00</i>	<i>144.96</i>	<i>1477.96</i>
3. एआईएस अधिकारियों को ऋण	...	1.65	1.65	...	1.65	1.65	...	1.65	1.65	...	2.00	2.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	1438.99	71.02	1510.01	1581.96	107.35	1689.31	1607.49	91.59	1699.08	1503.57	146.96	1650.53
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
4. प्रशिक्षण योजनाएं	41.75	40.78	82.53	87.31	91.01	178.32	71.68	62.01	133.69	132.41	78.34	210.75
5. प्रशासनिक सुधार और पेंशनभोगी स्कीम	13.63	...	13.63	20.00	...	20.00	15.31	...	15.31	44.25	...	44.25
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	55.38	40.78	96.16	107.31	91.01	198.32	86.99	62.01	149.00	176.66	78.34	255.00
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
6. राष्ट्रीय सुशासन केंद्र आईआईपीए और एनसीजीजी	31.10	...	31.10	28.75	...	28.75	33.02	...	33.02	29.45	...	29.45
7. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के स्वायत्त निकाय	4.78	...	4.78	136.69	...	136.69	65.40	...	65.40	399.20	...	399.20
जोड़-स्वायत्त निकाय	35.88	...	35.88	165.44	...	165.44	98.42	...	98.42	428.65	...	428.65

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अन्य												
8. सीआईसी और आरटीआई	1.52	4.38	5.90	5.50	...	5.50	3.50	...	3.50	3.00	...	3.00
9. वास्तविक वसूलियां	-6.44	...	-6.44
जोड़-अन्य	-4.92	4.38	-0.54	5.50	...	5.50	3.50	...	3.50	3.00	...	3.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	30.96	4.38	35.34	170.94	...	170.94	101.92	...	101.92	431.65	...	431.65
कुल जोड़	1525.33	116.18	1641.51	1860.21	198.36	2058.57	1796.40	153.60	1950.00	2111.88	225.30	2337.18
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. न्याय प्रशासन	108.26	...	108.26	112.03	...	112.03	127.56	...	127.56	134.00	...	134.00
2. लोक सेवा आयोग	380.22	...	380.22	382.59	...	382.59	374.36	...	374.36	263.00	...	263.00
3. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	130.90	...	130.90	334.39	...	334.39	252.74	...	252.74	569.77	...	569.77
4. पुलिस	718.86	...	718.86	749.69	...	749.69	796.00	...	796.00	801.91	...	801.91
5. सतर्कता	13.58	...	13.58	29.67	...	29.67	16.00	...	16.00	24.00	...	24.00
6. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	173.51	...	173.51	251.84	...	251.84	229.74	...	229.74	319.20	...	319.20
7. पुलिस पर पूंजी परिव्यय	...	64.40	64.40	...	85.70	85.70	...	74.50	74.50	...	109.96	109.96
8. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	50.13	50.13	...	111.01	111.01	...	77.45	77.45	...	113.34	113.34
जोड़-सामान्य सेवाएं	1525.33	114.53	1639.86	1860.21	196.71	2056.92	1796.40	151.95	1948.35	2111.88	223.30	2335.18
अन्य												
9. राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	...	1.65	1.65	...	1.65	1.65	...	1.65	1.65	...	2.00	2.00
जोड़-अन्य	...	1.65	1.65	...	1.65	1.65	...	1.65	1.65	...	2.00	2.00
कुल जोड़	1525.33	116.18	1641.51	1860.21	198.36	2058.57	1796.40	153.60	1950.00	2111.88	225.30	2337.18

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान निम्नलिखित के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के व्यय हेतु है :

(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को नियम एवं विनियम बनाने/ब्याख्या करने; भर्ती, पदोन्नति और आरक्षण नीति; सिविल सेवाओं के पदों के सभी स्तरों/ग्रेडों हेतु प्रवेशन, प्रशिक्षण और पुनश्चर्चा कार्यक्रम; केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों, करिअर और जनशक्ति योजना, सतर्कता, अनुशासन और कल्याण संबंधी गतिविधियों; भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर अपराधों के मामलों की जांच-पड़ताल और अभियोजन; सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण संबंधी कार्य सौंपा गया है।

(ख) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को केन्द्रीय सरकारी अभिकरणों से जुड़ी शिकायतों सहित, प्रशासनिक सुधार, ओ. एण्ड एम. तथा नीति, केन्द्र सरकार एजेंसियों से संबंधित समन्वय और शिकायतों के निवारण से संबंधित मामले, सिविल सेवा दिवस, प्रधानमंत्री पुरस्कार, मुख्य सचिवों का सम्मेलन इत्यादि के आयोजन कार्य सौंपे गए हैं।

(ग) पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा उपदान, पेंशन, पेंशनभोगियों के छुटपुट लाभ इत्यादि सहित सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं।

2.01. **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो:** यह प्रावधान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है जिसे सरकारी कर्मचारियों, गैर-सरकारी व्यक्तियों, फर्मों तथा गंभीर अपराध के अन्य मामलों के अन्वेषण और अभियोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

के प्रशिक्षण केन्द्रों के आधुनिकीकरण, तकनीकी एवं फारेंसिक सपोर्ट यूनिटों की स्थापना, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की शाखाओं के लिए कार्यालय/आवास परिसरों का निर्माण, सीबीआई शाखाओं/कार्यालयों का व्यापक आधुनिकीकरण आदि जैसी विभिन्न स्कीमों हेतु प्रावधान भी शामिल है।

2.02. **कर्मचारी चयन आयोग:** यह प्रावधान केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों इत्यादि के कर्मचारियों की भर्ती की परीक्षाओं के संचालन पर व्यय सहित कर्मचारी चयन आयोग के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

2.03. **केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण:** यह प्रावधान केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है, जिसे केवल सरकारी कर्मचारियों की शिकायत निवारण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की विभिन्न पीठों के लिए भूमि की खरीद और भवन निर्माण का प्रावधान भी शामिल है।

2.04. **प्रशिक्षण प्रभाग, आईएसटीएम और एलबीएसएनएए:** इस प्रावधान में सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी तथा प्रशिक्षण प्रभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की स्थापना से संबंधित व्यय शामिल है। ये संस्थान कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिनमें आधुनिक (फाउण्डेशन) पाठ्यक्रम पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम, करिअर मध्य प्रशिक्षण आदि शामिल होते हैं ताकि सभी स्तरों/ग्रेडों के सचिवालयीय पदधारियों को नवीनतम नियमावली तथा विनियमावली, अभिरूचि आदि की पर्याप्त जानकारी दी जा सके। केन्द्रीय सचिवालय सेवा/केन्द्रीय आधुनिकीकरण सचिवालय सेवा के कार्मिकों, जिन्हें अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति विचार के लिए पूर्व शर्त के रूप में सचिवालय

प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान में अतिवार्य प्रशिक्षण पूरा करना होता है, के घरेलू/विदेशी यात्रा तथा पाठ्यक्रम शुल्क आदि पर होने वाले व्यय को भी इस मंत्रालय के बजट में केन्द्रीकृत रूप में शामिल किया गया है।

2.05. **सीआईसी और पीईएसबी:** यह प्रावधान केन्द्रीय सूचना आयोग और लोक उद्यम चयन बोर्ड के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

2.06. **लोकपाल:** यह प्रावधान लोकपाल की स्थापना और निर्माण से संबंधित भारित व्यय के लिए है।

3. **एआईएस अधिकारियों को ऋण:** यह प्रावधान अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को अदा किए गए भवन निर्माण अग्रिम भुगतान हेतु राज्य सरकारों को क्षतिपूर्ति के लिए है।

4. **प्रशिक्षण योजनाएं:** इसमें सभी के लिए प्रशिक्षण, विदेशी प्रशिक्षण के लिए घरेलू वित्तपोषण, एलबीएसएनएए का एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उन्नयन, आईएसटीएम में प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि तथा राष्ट्रीय सिविल सेवा और क्षमता निर्माण कार्यक्रम-मिशन कर्मयोगी जैसी प्रशिक्षण योजनाओं के लिए प्रावधान भी शामिल हैं।

5. **प्रशासनिक सुधार और पेंशनभोगी स्कीम:** इसमें सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण हेतु प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की स्कीम, प्रशासनिक सुधारों पर प्रायोगिक परियोजनाओं, जिनमें सुशासन को बढ़ावा देना, सफलता से सीखना, सेवोत्तम आदि शामिल हैं, की स्कीम के प्रावधान भी शामिल हैं। इसमें पेंशन विभाग की स्कीम "पेंशनभोगियों के पोर्टल" हेतु आवंटन भी शामिल है।

6. **भारतीय लोक प्रशासन संस्थान राष्ट्रीय सुशासन केंद्र आईआईपीए और राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र एनसीजीजी:** इसमें भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए अनुदान हेतु योजना और स्थापना से संबंधित प्रावधान और राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र की स्थापना हेतु योजनागत प्रावधान शामिल है।

7. **कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के स्वायत्त निकाय:** इस प्रावधान में गृह कल्याण केन्द्र, केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृति तथा खेल बोर्ड और राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को की जानी वाली अनुदान सहायता शामिल है।

8. **सीआईसी और आरटीआई:** कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार के संबंध में निधि का आवंटन किया गया है।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
सं 75 (विनियोग)
केंद्रीय सतर्कता आयोग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	33.56	...	33.56	38.67	...	38.67	38.63	...	38.63	41.96	...	41.96
वसूलियां	-0.07	...	-0.07
प्राप्तियां
निवल	33.49	...	33.49	38.67	...	38.67	38.63	...	38.63	41.96	...	41.96
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. केंद्रीय सतर्कता आयोग	33.49	...	33.49	38.67	...	38.67	38.63	...	38.63	41.96	...	41.96
कुल जोड़	33.49	...	33.49	38.67	...	38.67	38.63	...	38.63	41.96	...	41.96
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. सतर्कता	33.49	...	33.49	38.67	...	38.67	38.63	...	38.63	41.96	...	41.96
जोड़-सामान्य सेवाएं	33.49	...	33.49	38.67	...	38.67	38.63	...	38.63	41.96	...	41.96
कुल जोड़	33.49	...	33.49	38.67	...	38.67	38.63	...	38.63	41.96	...	41.96

1. **केंद्रीय सतर्कता आयोग:** यह प्रावधान केंद्रीय सतर्कता आयोग के सचिवालय व्यय हेतु है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

मांग संख्या 76

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	39876.88	2313.00	42189.88	15866.78	427.00	16293.78	8448.47	397.66	8846.13	8339.86	600.00	8939.86
वसूलियां	-350.00	...	-350.00
प्राप्तियां
निवल	39876.88	2313.00	42189.88	15516.78	427.00	15943.78	8448.47	397.66	8846.13	8339.86	600.00	8939.86
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	34.33	...	34.33	45.41	...	45.41	47.15	...	47.15	49.16	...	49.16
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. राज्य सरकारों को रॉयल्टी अंतर का भुगतान	13.54	...	13.54	24.00	...	24.00	0.93	...	0.93	1.11	...	1.11
कार्यनीतिक तेल भंडार												
3. इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) चरण 2 (कंदराओं का निर्माण)	210.00	210.00	...	210.00	210.00	...	600.00	600.00
4. कच्चे तेल भंडार के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) को भुगतान	...	2250.00	2250.00
5. स्ट्रेटेजिक कूड ऑयल रिजर्व (ओ एंड एम) लिए आईएसपीआरएल को भुगतान	178.24	...	178.24	186.34	...	186.34	163.54	...	163.54	210.58	...	210.58
जोड़-कार्यनीतिक तेल भंडार	178.24	2250.00	2428.24	186.34	210.00	396.34	163.54	210.00	373.54	210.58	600.00	810.58
रिफाइनरी और संरक्षण												
6. प्रधान मंत्री जी-वीएएन योजना	233.31	...	233.31	189.38	...	189.38	314.36	...	314.36
7. राष्ट्रीय जैव-ईंधन निधि	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
जोड़-रिफाइनरी और संरक्षण	234.31	...	234.31	190.38	...	190.38	315.36	...	315.36
एलपीजी सप्लाय												
8. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण- एलपीजी	23666.61	...	23666.61	12480.00	...	12480.00	3400.00	...	3400.00	4000.00	...	4000.00
9. गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन	9235.42	...	9235.42	1618.00	...	1618.00	800.00	...	800.00
10. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सहित अन्य सप्लाय देय	494.62	...	494.62	450.00	...	450.00	391.00	...	391.00	811.00	...	811.00
11. वीसीपीएल/असम गैस क्रैकर परिसर के लिए फीडस्टॉक सप्लाय	1700.00	...	1700.00	1078.35	...	1078.35	1042.92	...	1042.92	137.50	...	137.50
12. परियोजना प्रबंधन व्यय	98.64	...	98.64	65.00	...	65.00	65.00	...	65.00	64.00	...	64.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-एलपीजी सन्निडी	35195.29	...	35195.29	14073.35	...	14073.35	6516.92	...	6516.92	5812.50	...	5812.50
मिट्टी तेल सन्निडी												
13. मिट्टी तेल वितरण सुधारों के लिए नकद प्रोत्साहन	576.22	...	576.22
14. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण-केरोसीन	5.83	...	5.83
15. कम वसूली (अन्य सन्निडी देय)	2677.30	...	2677.30
जोड़-मिट्टी तेल सन्निडी	3259.35	...	3259.35
16. फूलपुर धामरा हल्दिया पाइपलाइन परियोजना												
16.01 कार्यक्रम घटक	728.03	...	728.03	250.00	...	250.00	499.71	...	499.71
17. राष्ट्रीय भूकंप कार्यक्रम	...	63.00	63.00	...	217.00	217.00	...	187.66	187.66
18. इंद्रधनुष गैस ग्रिड लि0- पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड का भाग												
18.01 केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) को अंतरण	350.00	...	350.00
18.02 कार्यक्रम घटक	180.00	...	180.00	500.00	...	500.00	850.00	...	850.00	1798.27	...	1798.27
18.03 घटाएं-केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) से पूरी की गई राशि	-350.00	...	-350.00
	<i>निवल</i> 180.00	...	180.00	500.00	...	500.00	850.00	...	850.00	1798.27	...	1798.27
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	39554.45	2313.00	41867.45	15268.00	427.00	15695.00	8221.48	397.66	8619.14	8137.82	600.00	8737.82
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
19. पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड	3.48	...	3.48	23.53	...	23.53
20. भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान	281.82	...	281.82	95.00	...	95.00	95.00	...	95.00	150.00	...	150.00
21. पेट्रोलियम प्रयोगशाला सोसायटी	2.80	...	2.80	2.84	...	2.84	2.84	...	2.84	2.88	...	2.88
22. राजीव गांधी पेट्रोलियम एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी), असम की स्थापना	32.00	...	32.00	32.00	...	32.00
23. ऊर्जा उत्कृष्टता केंद्र, बंगलौर की स्थापना	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	288.10	...	288.10	203.37	...	203.37	179.84	...	179.84	152.88	...	152.88
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	288.10	...	288.10	203.37	...	203.37	179.84	...	179.84	152.88	...	152.88
कुल जोड़	39876.88	2313.00	42189.88	15516.78	427.00	15943.78	8448.47	397.66	8846.13	8339.86	600.00	8939.86
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. पेट्रोलियम	39252.79	...	39252.79	15447.37	...	15447.37	8400.39	...	8400.39	8289.59	...	8289.59
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	34.33	...	34.33	45.41	...	45.41	47.15	...	47.15	49.16	...	49.16
3. पेट्रोलियम पर पूंजी परिव्यय	...	2313.00	2313.00	...	427.00	427.00	...	397.66	397.66	...	600.00	600.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	39287.12	2313.00	41600.12	15492.78	427.00	15919.78	8447.54	397.66	8845.20	8338.75	600.00	8938.75
अन्य												

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
4. राज्य सरकारों की सहायता अनुदान	589.76	...	589.76	24.00	...	24.00	0.93	...	0.93	1.11	...	1.11
जोड़-अन्य	589.76	...	589.76	24.00	...	24.00	0.93	...	0.93	1.11	...	1.11
कुल जोड़	39876.88	2313.00	42189.88	15516.78	427.00	15943.78	8448.47	397.66	8846.13	8339.86	600.00	8939.86

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़

(₹ करोड़)

ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश

अन्वेषण और उत्पादन

1. ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड	...	26859.27	26859.27	...	29800.00	29800.00	...	30500.00	30500.00	...	29950.00	29950.00
2. गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	728.03	5868.04	6596.07	250.00	5447.20	5697.20	499.71	6140.69	6640.40	...	6594.79	6594.79
3. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	...	1150.00	1150.00	...	1290.00	1290.00	...	1290.00	1290.00	...	1380.00	1380.00
4. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड	...	50.94	50.94	...	160.49	160.49	...	129.13	129.13	...	129.18	129.18
5. ऑयल इंडिया लिमिटेड	...	13331.93	13331.93	...	4108.00	4108.00	...	4277.00	4277.00	...	4302.00	4302.00
6. ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन विदेश लिमिटेड	...	5733.98	5733.98	...	8379.99	8379.99	...	5620.01	5620.01	...	8180.01	8180.01

जोड़-अन्वेषण और उत्पादन

तेल शोधक और विपणन सेक्टर

7. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड	...	25244.49	25244.49	...	24329.58	24329.58	...	23185.21	23185.21	...	23083.35	23083.35
8. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	...	14700.29	14700.29	...	14500.00	14500.00	...	13510.00	13510.00	...	14500.00	14500.00
9. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	...	8926.96	8926.96	...	7740.00	7740.00	...	8947.00	8947.00	...	8120.00	8120.00
10. चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	...	583.13	583.13	...	384.00	384.00	...	559.00	559.00	...	584.00	584.00
11. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	...	1028.99	1028.99	...	2000.00	2000.00	...	2200.00	2200.00	...	6774.00	6774.00
12. मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	...	2178.88	2178.88	...	850.00	850.00	...	965.76	965.76	...	815.00	815.00

जोड़-तेल शोधक और विपणन सेक्टर

पेट्रोरसायन सेक्टर

13. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड	...	3388.92	3388.92	...	4057.03	4057.03	...	5232.76	5232.76	...	5336.47	5336.47
14. गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	...	385.45	385.45	...	414.00	414.00	...	520.05	520.05	...	905.21	905.21
15. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	...	987.43	987.43	...	970.00	970.00	...	263.00	263.00	...	500.00	500.00

जोड़-पेट्रोरसायन सेक्टर

अभियांत्रिकी सेक्टर

16. वामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	...	42.94	42.94	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00
17. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	...	732.74	732.74	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00	...	160.00	160.00

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			(₹ करोड़)		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
जोड़-अभियांत्रिकी सेक्टर	...	775.68	775.68	...	190.00	190.00	...	190.00	190.00	...	200.00	200.00
जोड़	728.03	111194.38	111922.41	250.00	104620.29	104870.29	499.71	103529.61	104029.32	...	111354.01	111354.01

- सचिवालय:** मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए प्रावधान है।
- राज्य सरकारों को रॉयल्टी अंतर का भुगतान:** कच्चे तेल पर उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के अनुसार दरों और अधिसूचित रॉयल्टी के बीच का अंतर है, का संबंधित राज्य सरकारों को ब्लॉक के लिए भुगतान।
- इंडियन स्ट्रेटिजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) चरण 2 (कंदराओं का निर्माण):** चरण II के अंतर्गत स्थानों पर 12.5 एमएमटी की कुल क्षमता वाले कैवर्नस का निर्माण।
- कच्चे तेल भंडार के लिए इंडियन स्ट्रेटिजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) को भुगतान:** भारत की तेल सुरक्षा मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, इंडियन स्ट्रेटिजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) द्वारा विशाखापत्तनम, मंगलौर और पाडुर में भूमिगत रॉक कैवर्नस में 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) क्षमता का कार्यान्वित कच्चा तेल भंडार, का निर्माण किया गया है। कंदरा को कच्चे तेल से भरने का प्रावधान है।
- स्ट्रेटिजिक कूड ऑयल रिजर्व (ओ एंड एम) लिए आईएसपीआरएल को भुगतान:** विशाखापत्तनम, मंगलौर और पाडुर में कैवर्नस के प्रचालन और रखरखाव लागत का भुगतान।
- प्रधान मंत्री जी-वीएन योजना:** प्रधानमंत्री जी-वन योजना इप्रो-सेलुलोजिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक पर आधारित एकीकृत जैव एथेनोल परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए है।
- राष्ट्रीय जैव-ईंधन निधि:** राष्ट्रीय जैव ईंधन निधि की परिकल्पना, जून, 2008 में अधिसूचित राष्ट्रीय जैव ईंधन निधि-2018 में की गई है। जैव ईंधन पहलों के सहायतार्थ इस निधि को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सुजति किए जाने का प्रस्ताव है।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण- एलपीजी:** पहल प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के अंतर्गत उपभोक्ता को एलपीजी नकद सस्मिडी के सीधे अंतरण के लिए तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को भुगतान।
- गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन:** गरीब परिवारों को मिट्टी के तेल, कोयला, ईंधन की लकड़ी, गोबर, फसलों के अवशेषों, आदि के रूप में जीवाश्म ईंधन से एक स्वच्छ ईंधन का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वीपीएल गरीब परिवारों को सहायता देने की योजना। गरीब परिवारों को नये कनेक्शन प्रदान करते समय, सुविधाहित राज्यों और क्षेत्रों विशेषकर देश के पूर्वी भागों को वरीयता दी जाएगी।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सहित अन्य सस्मिडी देय:** यह प्रावधान पिछले सालों / योजनाओं की बकाया राशि (माल दुलाई सस्मिडी और एलपीजी और पीडीएस के लिए मिट्टी के तेल पर सस्मिडी) के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र इत्यादि को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने हेतु सस्मिडी के लिए तेल कंपनियों को भुगतान।
- बीसीपीएल/असम गैस क्रेकर परिसर के लिए फीड स्टॉक सस्मिडी:** इस योजना को वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पिछले वर्ष के अवैतनिक बिल प्राप्त हुए/जागीरी की गई धनराशि का उपयोग किया जा रहा है और 2022-23 के बजट अनुमान कैबिनेट की मंजूरी द्वारा अनुमोदित फीडस्टॉक सस्मिडी पर आधारित हैं।
- परियोजना प्रबंधन व्यय:** पहल (डीबीटी) एलपीजी योजना के तहत नकद सस्मिडी का सीधे अंतरण के कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन व्यय के लिए तेल विपणन कंपनियों को भुगतान।
- मिट्टी तेल वितरण सुधारों के लिए नकद प्रोत्साहन:** मिट्टी के तेल में डीबीटी लागू करने के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:** मिट्टी के तेल के लिए डीबीटी लागू करने हेतु एक प्रावधान जिसके अंतर्गत सस्मिडी की राशि को सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।
- कम वसूली (अन्य सस्मिडी देय):** पीडीएस मिट्टी के तेल की विक्री पर पिछले वर्षों / पिछली योजनाओं (माल दुलाई सस्मिडी और एलपीजी और पीडीएस के लिए मिट्टी के तेल पर सस्मिडी) की सस्मिडी के बकायों, कम वसूली के लिए किया गया प्रावधान।
- फूलपुर धामरा हल्विया पाइपलाइन परियोजना:** पीडीएचपीएल उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों को राष्ट्रीय गैस ग्रिड के साथ जोड़ेगी। यह एक महत्वपूर्ण गैस अवसंरचना है जो इन आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों के औद्योगीकरण को सुगम करेगी।
- राष्ट्रीय भूकंप कार्यक्रम:** इस योजना में ओआईएल और ओएनजीसी के पास उपलब्ध सभी भूमि की मैपिंग की परिकल्पना की गई थी। कुछ तकनीकी कारणों से उत्तर-पूर्व में लेह और लद्दाख और मणिपुर जैसे कुछ कठिन क्षेत्रों का मानचित्रण नहीं किया जा सका। अब हवाई भू-भौतिक सर्वेक्षण का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। प्रावधान अवैतनिक बिलों का निपटान करना और हवाई सर्वेक्षण पूरा करने की लागत के लिए है।
- इंद्रधनुष गैस ग्रिड लि0- पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड का भाग:** यह योजना नई परियोजना है जिसे वित्त वर्ष 2020-21 में शुरू किया गया था। कैबिनेट की मंजूरी के आधार पर, परियोजना के लिए व्यवहार्यता अंतर निधियन (वीजीएफ) योगदान के रूप में धनराशि प्रदान की जाती है।

19. **पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड:** पीएनजीआरबी का खर्च कॉर्पस फंड पर मिलने वाली ब्याज आय से पूरा किया जाएगा।
20. **भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान:** आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार आंध्र प्रदेश में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रावधान है।
21. **पेट्रोलियम प्रयोगशाला सोसायटी:** यह प्रावधान ईंधन के परीक्षण के लिए पेट्रोलियम प्रयोगशाला सोसायटी हेतु है।
22. **राजीव गांधी पेट्रोलियम एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी), असम की स्थापना:** असम में बुनियादी अनुसंधान सहित ऊर्जा उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किया गया है।
23. **ऊर्जा उत्कृष्टता केंद्र, बंगलौर की स्थापना:** बेंगलूरु में बुनियादी अनुसंधान सहित ऊर्जा के लिए उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किया गया है।

योजना मंत्रालय

मांग संख्या 77

योजना मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	749.01	0.28	749.29	1061.99	0.78	1062.77	1070.01	0.77	1070.78	310.67	10.75	321.42
वसूलियां	-0.61	...	-0.61
प्राप्तियां
निवल	748.40	0.28	748.68	1061.99	0.78	1062.77	1070.01	0.77	1070.78	310.67	10.75	321.42
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	73.29	...	73.29	82.10	...	82.10	116.05	...	116.05	132.49	...	132.49
2. विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय	24.44	...	24.44	16.00	...	16.00	16.00	...	16.00	17.00	...	17.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	97.73	...	97.73	98.10	...	98.10	132.05	...	132.05	149.49	...	149.49
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
3. स्व-रोजगार एवं प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित अटल तबोन्मेष मिशन (एआईएम)	332.41	...	332.41	342.00	...	342.00	342.00	...	342.00	145.31	10.00	155.31
4. चालू कार्यक्रम और स्कीमें	309.37	0.28	309.65	31.22	0.78	32.00	5.70	0.77	6.47	6.00	0.75	6.75
5. संवहनीय विकास लक्ष्यों के लिए अधिकारिक विकास सहायता (ईएपी घटक)	581.00	...	581.00	581.00	...	581.00	0.01	...	0.01
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	641.78	0.28	642.06	954.22	0.78	955.00	928.70	0.77	929.47	151.32	10.75	162.07
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
6. राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान	9.50	...	9.50	9.67	...	9.67	9.26	...	9.26	9.86	...	9.86
अन्य												
7. वास्तविक वसूलियां	-0.61	...	-0.61
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	8.89	...	8.89	9.67	...	9.67	9.26	...	9.26	9.86	...	9.86
कुल जोड़	748.40	0.28	748.68	1061.99	0.78	1062.77	1070.01	0.77	1070.78	310.67	10.75	321.42
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	73.29	...	73.29	82.10	...	82.10	116.05	...	116.05	132.49	...	132.49
2. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	675.11	...	675.11	979.89	...	979.89	953.96	...	953.96	178.18	...	178.18
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.28	0.28	...	0.78	0.78	...	0.77	0.77	...	10.75	10.75
जोड़-आर्थिक सेवाएं	748.40	0.28	748.68	1061.99	0.78	1062.77	1070.01	0.77	1070.78	310.67	10.75	321.42
कुल जोड़	748.40	0.28	748.68	1061.99	0.78	1062.77	1070.01	0.77	1070.78	310.67	10.75	321.42

- सचिवालय:** नीति आयोग सहित सचिवालय व्यय हेतु प्रावधान करता है।
- विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय:** विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) के व्यय हेतु प्रावधान करता है।
- स्व-रोजगार एवं प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम):** अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम) एक नवोन्मेष प्रोत्साहन मंच है जिसमें शिक्षाविदों, उद्यमियों और अनुसंधानकर्ताओं को शामिल किया गया है और यह भारत में नवोन्मेष, अनुसंधान और विकास तथा वैज्ञानिक अनुसंधान की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अनुभवों का लाभ उठाता है। एआईएम अनुदानों, पुरस्कारों और चुनौतीपूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से नवोन्मेषकों को प्रोत्साहित करने के लिए तंत्र का सृजन करेगा। स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (सेतु) में विशेष रूप से प्रौद्योगिकी-बहुल क्षेत्रों में स्टार्ट-अप व्यवसायों के सभी पहलुओं और स्वरोजगार के अन्य कार्यक्रमों के संबंध में सहायता प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी-वित्तीय, इनक्यूबेशन और सुविधा कार्यक्रम होंगे।
- चालू कार्यक्रम और स्कीमों:** पूर्ववर्ती योजना आयोग के चालू कार्यक्रमों और स्कीमों जैसे कि कार्यालय प्रक्रियाओं और प्रणालियों के सुदृढीकरण, अंतरराष्ट्रीय अंशदान, अनुसंधान और अध्ययन, योजना निर्माण मूल्यांकन और समीक्षा के संबंध में खर्च मुहैया कराता है।
- संवहनीय विकास लक्ष्यों के लिए अधिकारिक विकास सहायता (ईएपी षटक):** आकांक्षी जिलों के लिए विशेष कार्यक्रम जिसके तहत भारत सरकार चुनौती पद्धति के आधार पर आकांक्षी जिलों को असम्बद्ध निधियां प्रदान करती है। इस कार्यक्रम के अनुसार, जिलों को उनके द्वारा हासिल किए गए रैंक के आधार पर प्रत्येक माह (जनवरी 2019 से) अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया जाना है और इस रैंक का परिकलन आकांक्षी जिला कार्यक्रम के प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतकों के संबंध में हासिल की गई वृद्धिकारी प्रगति के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के लिए सचिवों की अधिकार-प्राप्त समिति गठित की है। इस समिति को भारत में एसडीजी से संबंधित डेटा के अनुवीक्षण और मान्यकरण हेतु परियोजनाएं आरंभ करने के अतिरिक्त आकांक्षी जिलों के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाएं संस्वीकृत करने का अधिकार है।
- राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान:** राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) को सहायता-अनुदान का प्रावधान करना।

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

मांग संख्या 78

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1588.43	319.20	1907.63	1859.35	353.00	2212.35	1336.57	758.80	2095.37	1495.19	749.31	2244.50
<i>वसूलियां</i>	-0.41	-150.57	-150.98	...	-170.00	-170.00	...	-150.00	-150.00	...	-175.00	-175.00
<i>प्राप्तियां</i>	-368.95	...	-368.95	-340.00	...	-340.00	-360.00	...	-360.00	-360.00	...	-360.00
निवल	1219.07	168.63	1387.70	1519.35	183.00	1702.35	976.57	608.80	1585.37	1135.19	574.31	1709.50
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	54.50	...	54.50	77.00	...	77.00	75.14	...	75.14	80.00	...	80.00
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
पत्तनों का विकास												
2. लघु पत्तनों का विकास												
2.01 लघु पत्तन	58.01	59.99	118.00	75.90	58.00	133.90
3. अनुसंधान एवं विकास	0.19	...	0.19	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
जोड़-पत्तनों का विकास	58.20	59.99	118.19	76.90	58.00	134.90	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
सागरमाला												
4. सागरमाला												
4.01 सागरमाला स्कीमें और परियोजनाएं	95.82	...	95.82	251.00	...	251.00	293.68	...	293.68	412.79	...	412.79
4.02 सागरमाला के अंतर्गत अन्य स्कीमे	51.04	...	51.04	50.00	...	50.00
4.03 सागरमाला विकास कंपनी	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00
4.04 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना (सीआरआईएफ) निधि को अंतरण	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00
4.05 सीआरआईएफ से व्यय	...	-100.00	-100.00	...	-100.00	-100.00	...	-100.00	-100.00
<i>निवल</i>	<i>146.86</i>	<i>100.00</i>	<i>246.86</i>	<i>301.00</i>	<i>100.00</i>	<i>401.00</i>	<i>293.68</i>	<i>100.00</i>	<i>393.68</i>	<i>412.79</i>	<i>...</i>	<i>412.79</i>
पोत और पोत निर्माण,												
5. पोत निर्माण, अनुसंधान और विकास के लिए सहायता	150.15	...	150.15	101.00	...	101.00	101.00	...	101.00	112.00	...	112.00
अंतर्देशीय जल परिवहन												
6. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान	193.20	...	193.20	252.10	...	252.10	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
7. आईडब्ल्यूआई परियोजना												
7.01 ईएपी घटक	231.50	...	231.50	150.00	...	150.00
7.02 कार्यक्रम घटक	30.00	...	30.00	145.00	...	145.00
7.03 ईवीआर के तहत व्याज	76.42	...	76.42	76.50	...	76.50	76.50	...	76.50	76.50	...	76.50
जोड़- आईडब्ल्यूआई परियोजना	337.92	...	337.92	371.50	...	371.50	76.50	...	76.50	76.50	...	76.50
जोड़-अंतर्देशीय जल परिवहन	531.12	...	531.12	623.60	...	623.60	96.50	...	96.50	96.50	...	96.50
8. वास्तविक वसूलियां	-0.41	...	-0.41
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	885.92	159.99	1045.91	1102.50	158.00	1260.50	492.18	100.00	592.18	622.29	...	622.29
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
9. महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण	9.60	...	9.60	10.60	...	10.60	9.00	...	9.00	11.00	...	11.00
10. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
11. कोलकाता पत्तन न्यास	203.82	...	203.82	183.00	...	183.00	183.00	...	183.00	195.10	...	195.10
12. छोटे बंदरगाहों का विकास	75.69	...	75.69	75.70	...	75.70
13. भारतीय अंतःस्थलीय जल परिवहन प्राधिकरण												
13.01 केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को अंतरण	100.00	100.00
13.02 सीआरआईएफ से पूरी की जाने वाली आईडब्ल्यूआई निवेश	-100.00	-100.00
13.03 निवेश	483.80	483.80	...	544.31	544.31
जोड़- भारतीय अंतःस्थलीय जल परिवहन प्राधिकरण	483.80	483.80	...	544.31	544.31
जोड़-स्वायत्त निकाय	213.42	...	213.42	194.60	...	194.60	268.69	483.80	752.49	282.80	544.31	827.11
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
14. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	21.10	...	21.10	25.00	...	25.00	25.10	...	25.10
अन्य												
15. नौवहन महानिदेशालय	95.72	8.64	104.36	120.25	25.00	145.25	140.56	25.00	165.56	125.00	30.00	155.00
16. दीप स्तंभ एवं दीप पोत महानिदेशालय												
16.01 दीपस्तंभ एवं दीप पोत महानिदेशालय	317.36	50.57	367.93	340.00	70.00	410.00	360.00	50.00	410.00	360.00	75.00	435.00
16.02 वसूली	...	-50.57	-50.57	...	-70.00	-70.00	...	-50.00	-50.00	...	-75.00	-75.00
16.03 प्राप्तियां	-368.95	...	-368.95	-340.00	...	-340.00	-360.00	...	-360.00	-360.00	...	-360.00
निवल	-51.59	...	-51.59
जोड़-अन्य	44.13	8.64	52.77	120.25	25.00	145.25	140.56	25.00	165.56	125.00	30.00	155.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	278.65	8.64	287.29	339.85	25.00	364.85	409.25	508.80	918.05	432.90	574.31	1007.21
कुल जोड़	1219.07	168.63	1387.70	1519.35	183.00	1702.35	976.57	608.80	1585.37	1135.19	574.31	1709.50
ख. विकास शीर्ष												

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	151.48	...	151.48	103.00	...	103.00	103.00	...	103.00	114.00	...	114.00
2. बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	331.40	...	331.40	521.50	...	521.50	536.87	...	536.87	645.59	...	645.59
3. नौवहन	116.74	...	116.74	146.25	...	146.25	141.56	...	141.56	151.10	...	151.10
4. अंतर्देशीय जल परिवहन	531.12	...	531.12	524.50	...	524.50	76.50	...	76.50	76.50	...	76.50
5. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	53.02	...	53.02	75.00	...	75.00	73.14	...	73.14	78.00	...	78.00
6. बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों पर पूंजी परिव्यय	...	159.99	159.99	...	158.00	158.00	...	100.00	100.00
7. नौवहन पर पूंजी परिव्यय	...	8.64	8.64	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	30.00	30.00
8. अंतर्देशीय और जल परिवहन पर पूंजी परिव्यय	399.00	399.00	...	444.51	444.51
जोड़-आर्थिक सेवाएं	1183.76	168.63	1352.39	1370.25	183.00	1553.25	931.07	524.00	1455.07	1065.19	474.51	1539.70
अन्य												
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र	99.10	...	99.10	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
10. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	35.31	...	35.31	50.00	...	50.00	25.50	...	25.50	50.00	...	50.00
11. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	84.80	84.80	...	99.80	99.80
जोड़-अन्य	35.31	...	35.31	149.10	...	149.10	45.50	84.80	130.30	70.00	99.80	169.80
कुल जोड़	1219.07	168.63	1387.70	1519.35	183.00	1702.35	976.57	608.80	1585.37	1135.19	574.31	1709.50

(₹ करोड़)

	बजट 2022-2023			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2020-2021		
	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
ऋण सहायता समितियों को उधार												
1. कोचीन बंदरगाह न्यास	...	17.11	17.11	...	33.07	33.07	...	24.47	24.47	...	23.88	23.88
2. पाराद्वीप बंदरगाह न्यास	...	206.13	206.13	...	109.50	109.50	...	109.00	109.00	...	162.64	162.64
3. वोचिदम्बरन बंदरगाह न्यास	...	71.08	71.08	...	232.06	232.06	...	70.30	70.30	...	98.05	98.05
4. जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह न्यास	...	726.84	726.84	...	2197.41	2197.41	...	1588.40	1588.40	...	1868.92	1868.92
5. न्यू मैंगलोर बंदरगाह न्यास	...	12.63	12.63	...	11.11	11.11	...	17.26	17.26	...	18.54	18.54
6. चेन्नई बंदरगाह न्यास	...	32.13	32.13	...	83.46	83.46	...	56.05	56.05	...	40.31	40.31
7. मुम्बई बंदरगाह न्यास	...	213.48	213.48	...	338.21	338.21	...	343.60	343.60	...	261.20	261.20
8. दीनदयाल बंदरगाह न्यास कांडला	...	260.56	260.56	...	543.55	543.55	...	473.30	473.30	...	726.01	726.01
9. मोरमंगांव बंदरगाह न्यास	...	5.27	5.27	...	85.34	85.34	...	29.27	29.27	...	84.38	84.38
10. विशाखापत्तनम बंदरगाह न्यास	...	78.97	78.97	...	290.09	290.09	...	104.70	104.70	...	207.99	207.99

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
11. कामराजर बंदरगाह न्यास	...	94.57	94.57	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00	...	250.00	250.00
12. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण	483.80	...	483.80	544.31	...	544.31
13. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	...	473.85	473.85	...	400.00	400.00	...	300.00	300.00	...	400.00	400.00
14. भारतीय पोत निगम	...	204.39	204.39	...	80.00	80.00	...	150.00	150.00	...	80.00	80.00
15. स्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता	...	255.47	255.47	...	213.32	213.32	...	217.57	217.57	...	238.41	238.41
16. सागरमाला विकास कंपनी	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
जोड़-ऋण सहायता समितियों को उधार जोड़	...	2652.48	2652.48	100.00	4817.12	4917.12	583.80	3683.92	4267.72	544.31	4460.33	5004.64
	...	2652.48	2652.48	100.00	4817.12	4917.12	583.80	3683.92	4267.72	544.31	4460.33	5004.64

(₹ करोड़)

- सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय के खर्च के लिए है।
- अनुसंधान एवं विकास (पत्तन):** यह प्रावधान पोत प्रावधान के अंतर्गत अनुसंधान और विकास योजनाओं पर व्यय के लिए है।
- सागरमाला:** यह प्रावधान तटीय समुदाय के विकास, समुद्र / राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा कार्गो / यात्रियों की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए सहायता, अनूठी नवाचार परियोजनाओं के वित्तपोषण की सहायता के लिए है। सागरमाला कार्यक्रम के तहत चिन्हित इस परियोजना से बुनियादी ढाँचे के निवेश में 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक जुटने, मॉडल मिश्रण में घरेलू जलमार्ग (अंतर्देशीय और तटीय) का दोगुना हिस्सा, लॉजिस्टिक कोस्ट सेविंग उत्पन्न करने, माल निर्यात को बढ़ावा देने और नई नौकरियां पैदा करने की उम्मीद है। इसमें छोटे बंदरगाहों के विकास की परियोजनाएं भी शामिल हैं।
- पोत निर्माण, अनुसंधान और विकास के लिए सहायता:** यह प्रावधान पोत निर्माण के लिए अनुसंधान और विकास योजनाओं के लिए अनुदान देने के लिए है। इसमें रक्षा से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शिपयार्ड को छोड़कर सभी भारतीय शिपयार्डों को वित्तीय सहायता का भुगतान भी शामिल है।
- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान:** यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र में आईडब्ल्यूआई की परियोजनाओं के लिए है।
- महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण:** ये प्रमुख बंदरगाहों आदि के लिए टैरिफ प्राधिकरण की स्थापना के लिए अनुदान हैं।
- कोलकाता पत्तन न्यास:** यह कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा हल्दिया चैनल और हुगली नदी में रखरखाव और ड्रेजिंग के लिए सन्निडी के भुगतान के लिए है।
- भारतीय अंतःस्थलीय जल परिवहन प्राधिकरण:** यह प्रावधान आईडब्ल्यूआई में निवेश के लिए है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई) का गठन अक्टूबर, 1986 में जहाजरानी और नेविगेशन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। IWAJ मुख्य रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग (NWS) के बुनियादी ढाँचे के विकास और विनियमन का

कार्य करता है। एनडब्ल्यू में अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) विकास गतिविधियां कार्यान्वित की जा रही हैं। इस प्रावधान में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई) की ईपी परियोजनाओं पर व्यय शामिल है जिसमें जेएमवीपी के तहत विभिन्न उप-परियोजनाओं का कार्यान्वयन और कमीशनिंग शामिल है। इसमें शामिल हैं (i) एमएमटी, वाराणसी का निर्माण; (ii) एमएमटी, साहिबगंज का निर्माण; (iii) फरक्का में नए नेविगेशन लॉक का निर्माण; (iv) एमएमटी, हल्दिया का निर्माण; (v) वाराणसी-गाजीपुर के बीच 2.2 मीटर, गाजीपुर-बाइ के बीच 2.5 मीटर और बाइ-हल्दिया के बीच 3.0 मीटर की सुनिश्चित गहराई; (vi) रो-रो टर्मिनलों का विकास; (vii) आरआईएस और डीजीपीएस सहित सूचना और संचार सुविधाएं; और अन्य सहायक घटक। यह प्रावधान आईडब्ल्यूआई में निवेश के लिए है। इस प्रावधान का एक हिस्सा सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से भी पूरा किया जाता है।

14. **शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड:** यह प्रावधान मिनिकॉय-कोचीन-तूतीकोरिन-माले मार्ग में भारत और मालदीव के बीच समुद्र द्वारा कार्गो और यात्री सेवाओं की स्थापना के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

15. **नौवहन महानिदेशालय:** यह प्रावधान शिपिंग महानिदेशालय के स्थापना व्यय के लिए है, जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है। यह मर्चेंट शिपिंग कानूनों से संबंधित सभी मामलों के लिए नियामक कार्य करता है। निदेशालय नाविकों का कल्याण भी देख रहा है। यह प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी सहित समुद्री आपात कोष और डीजी शिपिंग ऑनलाइन परीक्षा व्यय के प्रशासन के लिए भी है।

16. **दीप स्तंभ एवं दीप पोत महानिदेशालय:** लाइटहाउस और लाइटशिप ऑर्गनाइजेशन सरकार का एक अधीनस्थ संगठन है जो नौवहन सहायता प्रदान करता है, जैसे कि हल्के जहाजों, ध्वनि संकेतों, बाँय, रेडियो बीकन इत्यादि। यह लाइटहाउस के निर्माण और रखरखाव और जहाजों के मार्गदर्शन का भी कार्य करता है। पूंजी प्रावधान प्रकाशस्तंभों और अन्य नौवहन सहायता के निर्माण और विकास के लिए है। यह भारतीय प्रकाशस्तंभ अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अनुसार एकत्र किए गए हल्के बकाया से पूरा किया जाता है। व्यय का मिलान वसूली और प्राप्तियों से किया जाता है।

विद्युत मंत्रालय

मांग संख्या 79

विद्युत मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	14556.51	383.98	14940.49	17727.03	3180.77	20907.80	15583.08	2153.08	17736.16	18421.11	13.11	18434.22
वसूलियां	-4344.57	-14.00	-4358.57	-3970.00	-1615.80	-5585.80	-1346.70	-1067.46	-2414.16	-2359.48	...	-2359.48
प्राप्तियां
निवल	10211.94	369.98	10581.92	13757.03	1564.97	15322.00	14236.38	1085.62	15322.00	16061.63	13.11	16074.74
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	42.95	...	42.95	58.86	...	58.86	45.50	...	45.50	56.00	...	56.00
	-0.13	...	-0.13
<i>निवल</i>	<i>42.82</i>	...	<i>42.82</i>	<i>58.86</i>	...	<i>58.86</i>	<i>45.50</i>	...	<i>45.50</i>	<i>56.00</i>	...	<i>56.00</i>
2. संवैधानिक प्राधिकरण												
2.01 केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	113.96	...	113.96	130.66	...	130.66	129.05	...	129.05	121.00	...	121.00
2.02 संघ राज्य क्षेत्रों तथा गोवा के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) की स्थापना	10.38	...	10.38	14.00	...	14.00	12.00	...	12.00	13.49	...	13.49
2.03 बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण	21.32	...	21.32	23.08	...	23.08	23.50	...	23.50	41.30	...	41.30
2.04 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) निधि	220.00	...	220.00	290.00	...	290.00	205.00	...	205.00
2.05 घटाएं- सीईआरसी द्वारा दी गई राशि	-220.00	...	-220.00	-290.00	...	-290.00	-205.00	...	-205.00
<i>निवल</i>	<i>145.66</i>	...	<i>145.66</i>	<i>167.74</i>	...	<i>167.74</i>	<i>164.55</i>	...	<i>164.55</i>	<i>175.79</i>	...	<i>175.79</i>
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	188.48	...	188.48	226.60	...	226.60	210.05	...	210.05	231.79	...	231.79
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता												
3. ऊर्जा संरक्षण योजनाएं												
3.01 ऊर्जा संरक्षण	5.02	...	5.02	80.00	...	80.00	40.00	...	40.00	60.00	...	60.00
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना												
4. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	1984.77	...	1984.77	3600.00	...	3600.00	3103.29	...	3103.29
एकीकृत विद्युत विकास योजना												
5. एकीकृत विद्युत विकास योजना												

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
5.01 केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) को अंतरण	3523.01	...	3523.01	3750.00	1550.00	5300.00	482.54	1067.46	1550.00
5.02 आईपीडीएस - अनुदान	3662.74	...	3662.74	3750.00	...	3750.00	2506.66	...	2506.66
5.03 आईपीडीएस - ऋण	...	300.00	300.00	...	1550.00	1550.00	...	1067.46	1067.46
5.04 घटाएं- केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) से पूरी की गई राशि	-3523.01	...	-3523.01	-3750.00	-1550.00	-5300.00	-482.54	-1067.46	-1550.00
<i>निवल</i>	<i>3662.74</i>	<i>300.00</i>	<i>3962.74</i>	<i>3750.00</i>	<i>1550.00</i>	<i>5300.00</i>	<i>2506.66</i>	<i>1067.46</i>	<i>3574.12</i>
पावर सिस्टम्स का सुदृढीकरण												
<i>6. पावर सिस्टम्स का सुदृढीकरण</i>												
6.01 स्मार्ट ग्रिड	16.07	...	16.07	40.00	...	40.00	28.40	...	28.40	35.73	...	35.73
6.02 हरित ऊर्जा कॉरिडोर	...	18.67	18.67	...	14.95	14.95	...	18.16	18.16	...	13.11	13.11
6.03 राष्ट्रीय विद्युत कोष के लिए ब्याज सन्निधि	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	1000.00	...	1000.00	582.89	...	582.89
6.04 पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर (कार्यक्रम घटक)	81.00	...	81.00	335.00	...	335.00	380.00	...	380.00	371.00	...	371.00
6.05 पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर (ईएपी घटक)	200.00	...	200.00	265.00	...	265.00	295.01	...	295.01	273.00	...	273.00
6.06 अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	300.00	...	300.00	600.00	...	600.00	1600.00	...	1600.00	1700.00	...	1700.00
<i>जोड़- पावर सिस्टम्स का सुदृढीकरण</i>	<i>797.07</i>	<i>18.67</i>	<i>815.74</i>	<i>1440.00</i>	<i>14.95</i>	<i>1454.95</i>	<i>3303.41</i>	<i>18.16</i>	<i>3321.57</i>	<i>2962.62</i>	<i>13.11</i>	<i>2975.73</i>
पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड												
<i>7. पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड</i>												
7.01 पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (पीएसडीएफ) को अंतरण	821.42	...	821.42	574.16	...	574.16	574.16	...	574.16	604.48	...	604.48
7.02 पावर सिस्टम विकास (पीएसडीएफ) योजना	370.48	...	370.48	121.54	...	121.54	121.54	...	121.54	151.86	...	151.86
7.03 ऋण पर ब्याज का भुगतान	450.94	...	450.94	452.62	...	452.62	452.62	...	452.62	452.62	...	452.62
7.04 घटाएं- पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड से प्राप्त राशि	-821.42	...	-821.42	-574.16	...	-574.16	-574.16	...	-574.16	-604.48	...	-604.48
<i>निवल</i>	<i>821.42</i>	...	<i>821.42</i>	<i>574.16</i>	...	<i>574.16</i>	<i>574.16</i>	...	<i>574.16</i>	<i>604.48</i>	...	<i>604.48</i>
<i>8. सुधार आधारित वितरण स्कीम</i>												
8.01	1550.00	...	1550.00
8.02	0.01	...	0.01	1000.00	...	1000.00	7565.59	...	7565.59
8.03	-1550.00	...	-1550.00
<i>निवल</i>	<i>0.01</i>	...	<i>0.01</i>	<i>1000.00</i>	...	<i>1000.00</i>	<i>7565.59</i>	...	<i>7565.59</i>
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	7271.02	318.67	7589.69	9444.17	1564.95	11009.12	10527.52	1085.62	11613.14	11192.69	13.11	11205.80
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
<i>9. प्रशिक्षण और अनुसंधान</i>												
9.01 केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान	80.00	...	80.00	180.00	...	180.00	120.00	...	120.00	302.77	...	302.77
9.02 राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान	18.45	...	18.45	70.00	...	70.00	30.00	...	30.00	50.00	...	50.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़- प्रशिक्षण और अनुसंधान	98.45	...	98.45	250.00	...	250.00	150.00	...	150.00	352.77	...	352.77
10. संरक्षण और ऊर्जा दक्षता												
10.01 ऊर्जा दक्षता व्यूरो (कार्यक्रम घटक)	56.00	...	56.00	115.82	...	115.82	115.82	...	115.82	148.00	...	148.00
10.02 ऊर्जा दक्षता व्यूरो (ईएपी घटक)	60.72	...	60.72	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
जोड़- संरक्षण और ऊर्जा दक्षता	116.72	...	116.72	117.82	...	117.82	117.82	...	117.82	150.00	...	150.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	215.17	...	215.17	367.82	...	367.82	267.82	...	267.82	502.77	...	502.77
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
11. सीपीएसयू को सहायता												
11.01 नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	...	65.31	65.31
11.02 टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन (टीएचडीसी)	...	-14.00	-14.00
11.03 चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुदान के रूप में जम्मू और कश्मीर पीएमडीपी 2015 के तहत पाकुल डुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हेतु केंद्रीय सहायता	203.73	...	203.73	602.53	...	602.53	763.99	...	763.99	1455.98	...	1455.98
11.04 भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से ऋण शोधन बांड निर्गम व्यय और ब्याज (पीएफसी बांड)	376.39	...	376.39	376.40	...	376.40	376.40	...	376.40	376.40	...	376.40
11.05 भारत सरकार द्वारा पूर्णतः ऋण शोधन बांड निर्गम व्यय और ब्याज (आरईसी बांड)	1920.82	...	1920.82	2416.00	...	2416.00	1945.00	...	1945.00	1986.52	...	1986.52
11.06 एनटीपीसी द्वारा लौहारी नागपाला हाइड्रो पावर पर पहले ही किए गए किसी व्यय के दावे की प्रतिपूर्ति	104.40	...	104.40	43.32	...	43.32	104.40	...	104.40
11.07 सुबनसिरि लोअर परियोजना के अनुप्रवाह संरक्षण कार्य के लागत के लिए अनुदान	145.00	...	145.00	74.08	...	74.08	56.98	...	56.98
जोड़- सीपीएसयू को सहायता	2500.94	51.31	2552.25	3644.33	...	3644.33	3202.79	...	3202.79	3980.28	...	3980.28
12. एनटीपीसी के लिए कोयला उत्पादन क्षेत्रों का अधिग्रहण												
12.01 कोयला उत्पादन क्षेत्रों का अधिग्रहण	65.80	65.80
12.02 कम वसूली	-65.80	-65.80
<i>निवल</i>
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	2500.94	51.31	2552.25	3644.33	...	3644.33	3202.79	...	3202.79	3980.28	...	3980.28
अन्य												
13. सीपत, छत्तीसगढ़ में एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
14. केओडब्ल्यूईपीओ मामले में कानूनी फर्म पीएंडए लॉ एसोसिएट्स को भुगतान	4.18	...	4.18
15. एसडीएमसी - बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन को भुगतान	32.15	...	32.15	16.08	...	16.08	16.08	...	16.08	16.08	...	16.08
16. सक्षम अवसंरचना अर्थात् सड़कों एवं पुलों के लिए लागत सहायता	0.01	0.01
17. बाढ़ मंदन भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता	0.01	0.01
18. विवाद निपटान प्राधिकरण	0.01	...	0.01
19. केन्द्रीय ट्रांसमिशन उपयोगी सेवा का सृजन	30.00	...	30.00	0.10	...	0.10	0.01	...	0.01
20. अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामले संबंधी भुगतान	28.00	...	28.00	12.00	...	12.00	28.00	...	28.00
21. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	100.00	...	100.00
22. भारतीय नौपरिवहन कंपनियों को सस्सिडी	10.00	...	10.00

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-अन्य	36.33	...	36.33	74.11	0.02	74.13	28.20	...	28.20	154.10	...	154.10
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	2752.44	51.31	2803.75	4086.26	0.02	4086.28	3498.81	...	3498.81	4637.15	...	4637.15
कुल जोड़	10211.94	369.98	10581.92	13757.03	1564.97	15322.00	14236.38	1085.62	15322.00	16061.63	13.11	16074.74
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. विद्युत	10169.12	...	10169.12	11925.67	...	11925.67	11398.37	...	11398.37	13661.63	...	13661.63
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	42.82	...	42.82	58.86	...	58.86	45.50	...	45.50	56.00	...	56.00
3. विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	...	4.67	4.67	...	14.97	14.97	...	18.16	18.16	...	13.11	13.11
4. विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	...	365.31	365.31	...	1430.00	1430.00	...	1057.46	1057.46
जोड़-आर्थिक सेवाएं	10211.94	369.98	10581.92	11984.53	1444.97	13429.50	11443.87	1075.62	12519.49	13717.63	13.11	13730.74
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	1772.50	...	1772.50	2792.51	...	2792.51	2344.00	...	2344.00
6. पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए ऋण	120.00	120.00	...	10.00	10.00
जोड़-अन्य	1772.50	120.00	1892.50	2792.51	10.00	2802.51	2344.00	...	2344.00
कुल जोड़	10211.94	369.98	10581.92	13757.03	1564.97	15322.00	14236.38	1085.62	15322.00	16061.63	13.11	16074.74

(₹ करोड़)

	बजट 2022-2023			बजट 2021-2022			बजट 2021-2022			बजट 2022-2023		
	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड												
9. पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	...	19.30	19.30	34.01	34.01	...	36.87	36.87
जोड़-पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	...	19.30	19.30	34.01	34.01	...	36.87	36.87
नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड												
2. नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड	65.31	5230.69	5296.00	...	8057.44	8057.44	...	6772.21	6772.21	...	7361.05	7361.05
जोड़-नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	65.31	5230.69	5296.00	...	8057.44	8057.44	...	6772.21	6772.21	...	7361.05	7361.05
दामोदर घाटी निगम लिमिटेड												
3. दामोदर वैली कारपोरेशन लिमिटेड	...	2342.00	2342.00	...	2857.06	2857.06	...	2536.95	2536.95	...	2009.87	2009.87
जोड़-दामोदर घाटी निगम लिमिटेड	...	2342.00	2342.00	...	2857.06	2857.06	...	2536.95	2536.95	...	2009.87	2009.87
पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड												
4. उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	...	965.00	965.00	...	810.02	810.02	...	733.20	733.20	...	900.81	900.81

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़		

जोड़-पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	...	965.00	965.00	...	810.02	810.02	...	733.20	733.20	...	900.81	900.81	...	900.81	900.81	...	900.81	900.81
<i>सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड</i>
5. सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड	...	2880.00	2880.00	...	5000.00	5000.00	...	5000.00	5000.00	...	8000.00	8000.00	...	8000.00	8000.00	...	8000.00	8000.00
जोड़-सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड	...	2880.00	2880.00	...	5000.00	5000.00	...	5000.00	5000.00	...	8000.00	8000.00	...	8000.00	8000.00	...	8000.00	8000.00
<i>टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड</i>
6. टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	...	1828.03	1828.03	...	2730.00	2730.00	...	2693.93	2693.93	...	3207.54	3207.54	...	3207.54	3207.54	...	3207.54	3207.54
जोड़-टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	...	1828.03	1828.03	...	2730.00	2730.00	...	2693.93	2693.93	...	3207.54	3207.54	...	3207.54	3207.54	...	3207.54	3207.54
<i>पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड</i>
7. पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	...	10500.00	10500.00	...	7500.00	7500.00	...	7500.00	7500.00	...	7500.00	7500.00	...	7500.00	7500.00	...	7500.00	7500.00
जोड़-पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	...	10500.00	10500.00	...	7500.00	7500.00	...	7500.00	7500.00	...	7500.00	7500.00	...	7500.00	7500.00	...	7500.00	7500.00
<i>ग्रामीण विद्युतीकरण निगम</i>
8. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	...	2500.00	2500.00	...	9300.00	9300.00
जोड़-ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	...	2500.00	2500.00	...	9300.00	9300.00
<i>नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड</i>
1. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड	...	21000.00	21000.00	...	23736.00	23736.00	...	23736.00	23736.00	...	22454.00	22454.00	...	22454.00	22454.00	...	22454.00	22454.00
जोड़-नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	...	21000.00	21000.00	...	23736.00	23736.00	...	23736.00	23736.00	...	22454.00	22454.00	...	22454.00	22454.00	...	22454.00	22454.00
जोड़	65.31	47265.02	47330.33	...	59990.52	59990.52	...	49006.30	49006.30	...	51470.14	51470.14	...	51470.14	51470.14	...	51470.14	51470.14

1. **सचिवालय:** विद्युत मंत्रालय के सचिवालय के लिए स्थापना संबंधी मामलों पर व्यय के लिए प्रावधान किया जाता है।

2.01. **संवैधानिक प्राधिकरण:** केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) एक सांविधिक संगठन के रूप में विद्युत क्षेत्र की समग्र आयोजना, समन्वय, जल विद्युत स्कीमों को सहमति प्रदान करने, परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और उनको समय से पूरा करने में सहायता देने, तकनीकी मानकों और सुरक्षा अपेक्षाओं, ग्रिड मानकों के साथ-साथ, देश में विद्युत क्षेत्र में लगने वाले मीटरों की स्थापना के लिए शर्तों को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है।

2.02. **संघ राज्य क्षेत्र औरगोवा के लिए जेईआरसी की स्थापना:** केंद्र सरकार ने दिल्ली को छोड़कर गोवा एवं सभी संघ शासित क्षेत्रों के लिए एक संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) का गठन किया है। संयुक्त आयोग के व्यय का वहन केंद्र सरकार और गोवा सरकार द्वारा 6:1 के अनुपात में किया जाता है।

2.03. **संवैधानिक प्राधिकरण:** विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत, केन्द्रीय सरकार ने विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की है। यह विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन न्याय-निर्णयन अधिकारी या समुचित आयोगों के आदेशों के विरुद्ध सुनवाई करता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अधीन, एपटेल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अपीलीय न्यायाधिकरण है।

2.04. **केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग निधि:** सीईआरसी एक पूर्ववर्ती विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के प्रावधान के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है और यह विद्युत अधिनियम, 2003 (जिसके पूर्ववर्ती ईआरसी अधिनियम, 1998 अन्यथा को निरस्त कर दिया गया है) के तहत जारी है। सीईआरसी के मुख्य कार्य केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित कंपनियों के अलावा उत्पादक कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करना, केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रित उसके द्वारा नियंत्रित कंपनियों को छोड़कर अन्य कम्पनियों के टैरिफ को विनियमित करना है, अगर ऐसी सृजनशील कंपनियां दर्ज हों या अन्यथा अंतरराज्यीय संचरण और व्यापार के लिए लाइसेंस प्रदान करने और राष्ट्रीय बिजली नीति और टैरिफ नीति बनाने के लिए केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए ट्रांसमिशन उपयोगिताओं के टैरिफ सहित अंतर-राज्य संचरण को विनियमित करने के लिए, एक से अधिक राज्यों में बिजली के उत्पादन और बिक्री के लिए समग्र योजना शामिल है।

3.01. **ऊर्जा संरक्षण:** इस निधि का उपयोग (1) जन साधारण के लिए प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक और अन्य मीडिया माध्यमों से ऊर्जा संरक्षण संबंधी जागरूकता लाने के लिए निधियों का उपयोग। (2) ऊर्जा संरक्षण पर ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार एवं चित्रकला प्रतियोगिताएं जारी रखने, (3) नेशनल मिशन फॉर इन्हेंड एनर्जी एफिसिएंसी(एनएमईईई) को कार्यान्वित करने और (4) निवेशों का मार्ग खोलने के लिए ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार तैयार करने और उसे स्थिर बनाने के लिए प्रयासों को बढ़ाने हेतु भी निधि का उपयोग किया जाएगा। (5) संचालन, प्रोजेक्ट प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण में मेधावी प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए एमओपी द्वारा शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने वाले स्टेथनों, संचरण और वितरण उपयोगिता और ग्रामीण वितरण फ्रेंचाइजी द्वारा किया जाएगा।

4. **दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना:** दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं: (क) कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्ट्रिंग में डिस्कोंमें की सुविधा के लिए कृषि और गैर-कृषि फीडों को अलग करना (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढीकरण और संबर्द्धन और (ग) ग्रामीण विद्युतीकरण करना। इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए कार्यों में फीडर पृथक्करण, नए सब-स्टेशन बनाना, माइक्रो ग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क का प्रावधान, एचटी/एलटी लाइनें, सब-स्टेशनों का संबर्द्धन और सभी स्तरों पर मीटरिंग शामिल है। स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार स्कीम के कार्यान्वयन के लिए डिस्कोंमें को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। निजी क्षेत्र डिस्कोंमें सहित सभी डिस्कों स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। वर्ष 2022-23 से इस योजना को 'सुधार आधारित वितरण योजना' में शामिल कर दिया गया है।

5. **एकीकृत विद्युत विकास योजना:** इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को 24x7 घंटे विद्युत की आपूर्ति, एटी एंड सी हानियों में कमी और सभी घरों को विद्युत पहुँच उपलब्ध कराना है। स्कीम में तीन मुख्य घटक अर्थात् शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण प्रणाली का सुधार, मीटरिंग और चालू आर-एपीडीआरपी योजना जिसे आईपीडीएस के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है, के अंतर्गत वितरण क्षेत्र में आईटी को सक्षम बनाना शामिल है। आर-एपीडीआरपी में दो मुख्य घटक हैं : भाग क में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित ऊर्जा लेखा तथा परियोजना क्षेत्रों में सत्यापन योग्य बेसलाइन एटी एंड सी हानि स्तरों को अंतिम रूप देने वाली लेखा परीक्षा प्रणाली की शुरूआत हेतु परियोजनाएं शामिल हैं। भाग ख में हानि स्तर में कमी लाने वाले वितरण नेटवर्क सुदृढीकरण निवेशों पर विचार किया जाता है। इस योजना में अनुदान और ऋण घटक दोनों हैं। वर्ष 2022-23 से इस योजना को 'सुधार आधारित वितरण योजना' में शामिल कर दिया गया है।

5.01. **केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) को अंतरण:** इस योजना के तहत धनराशि केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से पूरी की जाती है।

5.02. **आईपीडीएस - अनुदान:** एक विशेष समय सीमा के भीतर इस योजना के तहत गतिविधियों को पूरा करने के लिए नोडल एजेंसी के माध्यम से उपयोगी सेवाओं के लिए अनुदान दिया जाता है।

5.03. **आईपीडीएस - ऋण:** नोडल एजेंसी के माध्यम से गतिविधियों को पूरा करने के लिए उपयोगी सेवाओं के लिए ऋण दिया गया है, जो कार्यक्रम के सफल समापन के बाद अनुदान में परिवर्तित हो जाएगा।

6.01. **स्मार्ट ग्रिड:** इस स्कीम में "राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन" को शुरू करके संस्थागत तंत्र की स्थापना की परिकल्पना की गई है जोकि ऑटोमेशन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की आवश्यकता को पूरा करेगी जो उत्पादन स्थल से उपभोग स्थल तक विद्युत प्रवाह की निगरानी कर सकती है और विद्युत प्रवाह का नियंत्रण या वास्तविक समय आधार पर उत्पादन के अनुरूप भार की कमी सुनिश्चित कर सकती है।

6.02. **हरित ऊर्जा कॉरिडोर:** इस स्कीम में विद्युत प्रणाली की सुरक्षा और स्थायित्व से समझौता किए बिना नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को अधिकतम करने और मुख्य ग्रिड के साथ एकीकरण करने का प्रस्ताव है।

6.03. **राष्ट्रीय विद्युत कोष के लिए ब्याज सन्निधि:** आरजीजीवीवाई तथा आर-एपीडीआरपी स्कीमों (जो क्रमशः डीडीयूजीजेवाई तथा आईपीडीएस में समाहित की गई हैं) परियोजना क्षेत्रों में शामिल न किए गए क्षेत्रों के लिए, वितरण नेटवर्क को सुधारने के लिए सार्वजनिक तथा निजी, दोनों ही क्षेत्रों की वितरण कंपनियों (डिस्कोंम्स) को संवितरित किए जाने वाले ऋणों पर ब्याज सन्निधि प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत निधि (एन.ई.एफ.) की स्थापना की जा रही है।

6.05. **पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर (कार्यक्रम घटक):** यह परियोजना छह पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं नागालैंड में विद्युत प्रणाली में सुधार के लिए है। इसका वित्तपोषण विश्व बैंक

द्वारा किया जाता है। सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की संवेदनशील सीमाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के बजटीय सहायता के माध्यम से कार्यान्वित करने के लिए इन राज्यों के अंतर्राज्यी परेषण एवं वितरण परियोजनाओं को अलग किया गया है।

6.07. **अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण:** सिक्किम सहित संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में पारेषण, उप-पारेषण तथा वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण की व्यापक स्कीम की संकल्पना की गई है।

7. **पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड:** स्कीम में (क) अनुदानों के माध्यम से आंशिक वित्तपोषण द्वारा वर्तमान वितरण एवं पारेषण अवसंरचना के सुदृढीकरण (गैर-गैस घटक) (ख) स्ट्रैंडिड गैस आधारित विद्युत संयंत्रों (गैस घटक) से विद्युत खरीदकर डिस्कोंमें के लिए सन्निधि के प्रावधान की परिकल्पना की गई है।

8. **सुधार आधारित वितरण स्कीम:** यह योजना में सभी और वित्तीय रूप से व्यवहार्य संवितरण क्षेत्र के लिए 24X7 संवहनीय विद्युत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिणाम और सुधार आधारित वित्तीय सहायता के संमिश्रण के रूप में संवितरित उप क्षेत्र के लिए है। इस योजना को संवितरण कंपनियों की सार्वजनिक निजी स्वामित्व, बहु आपूर्ति फ्रेंचाइजी सहित संवितरण स्थिर में विभिन्न फ्रेंचाइजी प्रतिरूपों की अनुकूलन सहित सुधार पैकेजों के अनुकूलन के मामले में डिस्कोंम को मदद करने की परिकल्पना की गई है।

9.01. **केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान:** केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर, इलेक्ट्रिकल पावर के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और परीक्षण, मूल्यांकन और वैद्युत उपकरण और घटकों के सत्यापन के लिए भी स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।

9.02. **राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान:** राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान विद्युत स्टेशनों के प्रचालन एवं अनुसंधान सहित विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण देने का कार्य करता है।

10. **संरक्षण और ऊर्जा दक्षता:** ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) को घरेलू प्रकाश व्यवस्था, वाणिज्यिक भवनों, उपस्करों का मानकीकरण और लेबलीकरण, कृषि अथवा नगरपालिकाओं में मांग पक्ष प्रबंधन, उप क्षेत्रों के लिए ऊर्जा खपत मानकों के विकास की प्रक्रिया की शुरूआत सहित एसएमई तथा बड़े उद्योग, एसडीए, डिस्कोंम इत्यादि का क्षमता निर्माण सरकार द्वारा की गई इन पहलों से ऊर्जा खपत की दक्षता बढ़ेगी और ऊर्जा खपत की वृद्धि दर कम होगी।

11.03. **चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुदान के रूप में जम्मू और कश्मीर पीएमडीपी 2015 के तहत पाकुल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हेतु केंद्रीय सहायता:** यह प्रधानमंत्री विकास पैकेज (2015) का भाग है। सहायता चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से कार्यान्वित पाकुल दुल एचईपी परियोजना के लिए है।

11.04. **भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से ऋण शोधन बांड निर्गम व्यय और ब्याज (पीएफसी बांड):** विद्युत वित्तीय निगम (पीएफसी) द्वारा अवसंरचना बांड पर देय ब्याज, बांड जारी करने और संबंधित खर्चों के लिए अपेक्षित है।

11.05. **भारत सरकार द्वारा पूर्णतः ऋण शोधन बांड निर्गम व्यय और ब्याज (आरईसी बांड):** डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य (ग्रामीण) के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 4000 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 15000 करोड़ रुपये ईवीआर के कारण ब्याज भुगतान जुटाए गए।

11.06. **एनटीपीसी द्वारा लौहारी नागपाला हाइड्रो पावर पर पहले ही किए गए किसी व्यय के दावे की प्रतिपूर्ति:** यह योजना लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना के संबंध में पुरस्कार के वितरण के लिए है।

- 11.07. **सुबनसिरि लोअर परियोजना के अनुप्रवाह संरक्षण कार्य के लागत के लिए अनुदान:** सुबनसिरि लोअर परियोजना के अनुप्रवाही संरक्षण कार्य पर व्यय। 24.09.2019 को आयोजित नीति आयोग की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, सुबनसिरि लोअर परियोजना के अनुप्रवाही संरक्षण कार्य की लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
12. **एनटीपीसी के लिए कोयला उत्पादन क्षेत्रों का अधिग्रहण:** एनटीपीसी के लिए कोयला असर वाले क्षेत्रों के अधिग्रहण पर एनटीपीसी से रिकवरी के माध्यम से मुलाकात के रूप में आवंटन बजट तटस्थ है।
13. **सीपत, छत्तीसगढ़ में एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट:** सीपत, छत्तीसगढ़ में प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजना की स्थापना।
15. **एसडीएमसी - बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन को भुगतान:** बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन के संबंध में भूमि के पट्टे पर लिए जाने के कारण दक्षिण दिल्ली नगर निगम को भुगतान।
16. **सक्षम अवसंरचना अर्थात् सड़कों एवं पुलों के लिए लागत सहायता:** जल परियोजना के स्थल पर सक्षम अवसंरचना अर्थात् सड़कों एवं पुलों आदि के विकास के लिए आवंटन।
17. **बाढ़ मंदन भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता:** जल विद्युत परियोजनाओं में बाढ़ मंदन भंडारण के लिए सहायता हेतु आवंटन।
18. **विवाद निपटान प्राधिकरण:** धारा 79(1)(च) - विद्युत् एक्ट, 2003 के अंतर्गत विवाद समाधान प्राधिकरण का प्रावधान है जिसके अंतर्गत उत्पादन कंपनियों या पारेषण लाइसेंसी से सम्बंधित विवाद का निपटारन किया जाना प्रस्तावित है।
19. **केन्द्रीय ट्रांसमिशन उपयोगी सेवा का सुजन:** पावरग्रिड से सीटीयू के अलग होने की प्रगति की समीक्षा के दौरान यह तय किया गया था कि अलग सीटीयू कंपनी के निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। यह भारत सरकार की एक अलग कंपनी के रूप में सीटीयू के गठन के लिए स्थापना व्यय से संबंधित समिति के विचाराधीन है।
20. **अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामले संबंधी भुगतान:** भारत सरकार की ओर से मामले तथा विवाद के प्रतिवाद के लिए इंडिया कोरिया सीईपीए तथा इंडिया कोरिया वीआईटी के अंतर्गत कानूनी फर्म को भुगतान।
21. **आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र:** यह योजना तीन विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाने वाले बिजली एवं नवीकरणीय उपकरण के लिए 3 विनिर्माण क्षेत्रों को स्थापित करने के लिए है। इन क्षेत्रों में विनिर्माण सुविधाएं बिजली क्षेत्र एवं नवीकरण के लिए अपेक्षित उपकरण के आयात, महत्वपूर्ण घटकों, मूल कच्ची सामग्री, महत्वपूर्ण अतिरिक्त पूर्जें आदि पर निर्भरता कम करने के लिए अत्याधुनिक, स्वच्छ एवं ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी पर आधार होंगी।
22. **भारतीय नौपरिवहन कंपनियों को सन्मिडी:** आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने सरकारी कार्गो के आयात के लिए मंत्रालयों / विभागों और सीपीएसई द्वारा जारी वैश्विक निविदाओं में भारतीय शिपिंग कंपनियों को सन्मिडी सहायता के रूप में पांच साल के लिए एक योजना को मंजूरी दी।

राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय
सं 80 (विनियोग)

राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास और भत्ते

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	68.35	...	68.35	74.47	...	74.47	70.00	...	70.00	79.45	...	79.45
वसूलियां	-0.22	...	-0.22
प्राप्तियां
निवल	68.13	...	68.13	74.47	...	74.47	70.00	...	70.00	79.45	...	79.45
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. राष्ट्रपति	0.44	...	0.44	0.60	...	0.60	0.59	...	0.59	0.60	...	0.60
2. सचिवालय	31.87	...	31.87	34.70	...	34.70	33.24	...	33.24	37.17	...	37.17
3. अन्य व्यय	36.04	...	36.04	39.17	...	39.17	36.17	...	36.17	41.68	...	41.68
4. वास्तविक वसूलियां	-0.22	...	-0.22
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	68.13	...	68.13	74.47	...	74.47	70.00	...	70.00	79.45	...	79.45
कुल जोड़	68.13	...	68.13	74.47	...	74.47	70.00	...	70.00	79.45	...	79.45
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	68.13	...	68.13	74.47	...	74.47	70.00	...	70.00	79.45	...	79.45
जोड़-सामान्य सेवाएं	68.13	...	68.13	74.47	...	74.47	70.00	...	70.00	79.45	...	79.45
कुल जोड़	68.13	...	68.13	74.47	...	74.47	70.00	...	70.00	79.45	...	79.45

1. **राष्ट्रपति:** भारत के माननीय राष्ट्रपति के संबंध में वेतन एवं भत्तों का प्रावधान करता है।

3. **अन्य व्यय:** कर्मचारियों के वेतन सहित माननीय राष्ट्रपति के घरेलू संस्थापना से संबंधित व्यय का प्रावधान करता है।

2. **सचिवालय:** राष्ट्रपति सचिवालय की स्थापना एवं अन्य सम्बंधित व्ययों का प्रावधान करता है. इसमें डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय के लिए सहायता अनुदान शामिल है.

इसमें माननीय राष्ट्रपति के विवेकाधीन अनुदान शामिल हैं।

राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय

मांग संख्या 81

लोक सभा

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	559.79	...	559.79	855.00	...	855.00	700.45	...	700.45	800.00	...	800.00
वसूलियां
प्राप्तियां
निवल	559.79	...	559.79	855.00	...	855.00	700.45	...	700.45	800.00	...	800.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष	0.32	...	0.32	1.00	...	1.00	0.60	...	0.60	1.00	...	1.00
2. सदस्य	186.30	...	186.30	301.44	...	301.44	255.48	...	255.48	313.69	...	313.69
3. सचिवालय	371.20	...	371.20	549.72	...	549.72	441.43	...	441.43	482.34	...	482.34
4. सचिवालय (चीफ व्हीप)	0.17	...	0.17	0.32	...	0.32	0.32	...	0.32	0.32	...	0.32
5. अन्य व्यय	1.80	...	1.80	2.52	...	2.52	2.62	...	2.62	2.65	...	2.65
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	559.79	...	559.79	855.00	...	855.00	700.45	...	700.45	800.00	...	800.00
कुल जोड़	559.79	...	559.79	855.00	...	855.00	700.45	...	700.45	800.00	...	800.00
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	559.79	...	559.79	855.00	...	855.00	700.45	...	700.45	800.00	...	800.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	559.79	...	559.79	855.00	...	855.00	700.45	...	700.45	800.00	...	800.00
कुल जोड़	559.79	...	559.79	855.00	...	855.00	700.45	...	700.45	800.00	...	800.00

1. **अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष:** यह प्रावधान लोक सभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्तों आदि के लिए है।

2. **सदस्य:** इसमें संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों के लिए व्यय प्रावधान, अन्य सुविधाओं, संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की विदेश यात्राओं और विदेशी संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की भारत यात्राओं के कारण व्यय शामिल हैं।

3. **सचिवालय:** इसमें स्टाफ एवं अधिकारियों के वेतन, स्थापना संबंधी जरूरतों और संसद भवन में संचालित रेलवे कैंटीन के लिए सस्मिडी और संसद टीवी से संबंधित सहायता अनुदान और व्यय का प्रावधान है।

4. **सचिवालय (चीफ व्हीप):** मुख्य सचेतकों के सचिवालय के स्टाफ और अधिकारियों के संबंध में वेतन और भत्तों का प्रावधान है।

5. **अन्य व्यय:** अंतर-संसदीय संघ और राष्ट्रमण्डल संसदीय एसोसिएशन की वार्षिक सदस्यता शुल्क के लिए अंशदान और माननीय अध्यक्ष के विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान है।

राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय

मांग संख्या 82

राज्य सभा

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	346.56	...	346.56	446.50	...	446.50	405.54	...	405.54	430.96	...	430.96
वसूलियां	-0.05	...	-0.05
प्राप्तियां
निवल	346.51	...	346.51	446.50	...	446.50	405.54	...	405.54	430.96	...	430.96
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सभापति तथा उपसभापति	0.70	...	0.70	1.21	...	1.21	1.05	...	1.05	1.21	...	1.21
2. विपक्ष के नेता और सचिवालय	1.81	...	1.81	2.55	...	2.55	2.65	...	2.65	2.84	...	2.84
3. सदस्य	85.70	...	85.70	127.06	...	127.06	114.61	...	114.61	118.51	...	118.51
4. सचिवालय	258.31	...	258.31	315.21	...	315.21	286.85	...	286.85	307.83	...	307.83
5. मान्यता प्राप्त पार्टियों एवं दलों के नेता, उप-नेता एवं मुख्य सचेतक का सचिवालय	0.01	...	0.01	0.21	...	0.21	0.12	...	0.12	0.22	...	0.22
6. अन्य व्यय	0.03	...	0.03	0.26	...	0.26	0.26	...	0.26	0.35	...	0.35
7. वास्तविक वसूलियां	-0.05	...	-0.05
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	346.51	...	346.51	446.50	...	446.50	405.54	...	405.54	430.96	...	430.96
कुल जोड़	346.51	...	346.51	446.50	...	446.50	405.54	...	405.54	430.96	...	430.96
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	346.51	...	346.51	446.50	...	446.50	405.54	...	405.54	430.96	...	430.96
जोड़-सामान्य सेवाएं	346.51	...	346.51	446.50	...	446.50	405.54	...	405.54	430.96	...	430.96
कुल जोड़	346.51	...	346.51	446.50	...	446.50	405.54	...	405.54	430.96	...	430.96

1. **सभापति तथा उपसभापति:** यह प्रावधान राज्य सभा सचिवालय में सभापति और उपसभापति के वेतन एवं भत्तों आदि के लिए है।

2. **विपक्ष के नेता और सचिवालय:** यह प्रावधान राज्यसभा में विपक्ष के नेता और उनके सचिवालय के वेतन एवं भत्तों आदि के लिए है।

3. **सदस्य:** इसमें संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों के लिए व्यय, उनकी सुविधाओं के लिए व्यय, संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की विदेश यात्राओं और विदेशी संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की भारत यात्राओं के लिए व्यय शामिल है और राज्यसभा सचिवालय में संसद अध्ययन पीठ (चेयर इन पार्लियामेंट स्टडीज) की स्थापना से संबंधित व्यय की व्यवस्था की गई है।

4. **सचिवालय:** यह प्रावधान राज्य सभा सचिवालय, आर एस टी वी और वेतन एवं लेखा कार्यालय, राज्य सभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन के लिए है। स्थापना प्रभार (कैटीन), आकस्मिक व्यय, रेंट, रेड्स एवं टैक्स, व्यावसायिक शुल्क का भुगतान, मजदूरी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर व्यय जैसी स्थापना संबंधी ज़रूरतों पर व्यय शामिल है।

5. **मान्यता प्राप्त पार्टियों एवं दलों के नेता, उप-नेता एवं मुख्य सचेतक का सचिवालय:** यह प्रावधान मान्यता प्राप्त दलों एवं समूहों के नेताओं, उप-नेताओं एवं मुख्य सचेतकों को सचिवालय सुविधा प्रदान करने के लिए नियुक्त किए गए निजी सचिवों के वेतन और भत्तों से संबंधित है।

6. **अन्य व्यय:** यह प्रावधान परामर्शदात्री समिति की बैठकों के संबंध में संसद सदस्यों की घरेलू यात्राओं से संबंधित व्यय और पीठासीन अधिकारी के विवेकाधीन अनुदानों की व्यवस्था के लिए है।

राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय

मांग संख्या 83

उप-राष्ट्रपति का सचिवालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	5.93	...	5.93	7.43	...	7.43	7.31	...	7.31	8.64	...	8.64
वसूलियां
प्राप्तियां
निवल	5.93	...	5.93	7.43	...	7.43	7.31	...	7.31	8.64	...	8.64
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	5.91	...	5.91	7.35	...	7.35	7.23	...	7.23	8.56	...	8.56
2. अन्य	0.02	...	0.02	0.08	...	0.08	0.08	...	0.08	0.08	...	0.08
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	5.93	...	5.93	7.43	...	7.43	7.31	...	7.31	8.64	...	8.64
कुल जोड़	5.93	...	5.93	7.43	...	7.43	7.31	...	7.31	8.64	...	8.64
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	5.93	...	5.93	7.43	...	7.43	7.31	...	7.31	8.64	...	8.64
जोड़-सामान्य सेवाएं	5.93	...	5.93	7.43	...	7.43	7.31	...	7.31	8.64	...	8.64
कुल जोड़	5.93	...	5.93	7.43	...	7.43	7.31	...	7.31	8.64	...	8.64

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान यात्रा व्यय, अन्य प्रशासनिक व्यय और आकस्मिक व्यय सहित उपराष्ट्रपति के सचिवालय के अधिकारियों और स्टाफ पर व्यय की व्यवस्था के लिए है। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मांग सं. 82 से प्रदान किया जाता है।

2. **अन्य:** यह प्रावधान उपराष्ट्रपति के विवेकाधीन अनुदान पर व्यय के लिए है।

राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय
सं 84 (विनियोग)
संघ लोक सेवा आयोग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	284.94	...	284.94	304.17	...	304.17	316.18	...	316.18	330.58	...	330.58
वसूलियां
प्राप्तियां
निवल	284.94	...	284.94	304.17	...	304.17	316.18	...	316.18	330.58	...	330.58
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. प्रशासनिक व्यय	138.12	...	138.12	148.43	...	148.43	157.43	...	157.43	171.55	...	171.55
2. परीक्षा एवम् चयन	146.82	...	146.82	155.74	...	155.74	158.75	...	158.75	159.03	...	159.03
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	284.94	...	284.94	304.17	...	304.17	316.18	...	316.18	330.58	...	330.58
कुल जोड़	284.94	...	284.94	304.17	...	304.17	316.18	...	316.18	330.58	...	330.58
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. लोक सेवा आयोग	284.94	...	284.94	304.17	...	304.17	316.18	...	316.18	330.58	...	330.58
जोड़-सामान्य सेवाएं	284.94	...	284.94	304.17	...	304.17	316.18	...	316.18	330.58	...	330.58
कुल जोड़	284.94	...	284.94	304.17	...	304.17	316.18	...	316.18	330.58	...	330.58

1. **प्रशासनिक व्यय:** इसमें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा स्थापना के वेतन एवं भत्तों पर व्यय एवं प्रशासनिक व्यय का प्रावधान है।

2. **परीक्षा एवम् चयन:** इसमें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं, भर्ती परीक्षा और चयन के संबंध में व्यय का प्रावधान है।

रेल मंत्रालय
मांग संख्या 85
रेल मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	194663.60	222575.33	417238.93	276452.65	304928.96	581381.61	259771.06	326344.47	586115.53	303552.14	329187.70	632739.84
वसूलियां	-51044.42	-113251.64	-164296.06	-56038.01	-197828.96	-253866.97	-54814.94	-209244.47	-264059.41	-60285.01	-192087.70	-252372.71
प्राप्तियां	-140783.55	...	-140783.55	-217460.00	...	-217460.00	-202000.00	...	-202000.00	-240000.00	...	-240000.00
निवल	2835.63	109323.69	112159.32	2954.64	107100.00	110054.64	2956.12	117100.00	120056.12	3267.13	137100.00	140367.13
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. कार्यचालन व्यय												
1.01 कर्मचारी लागत	84297.70	...	84297.70	93675.58	...	93675.58	90618.81	...	90618.81	99839.70	...	99839.70
1.02 कार्यालय व्यय (आकस्मिक व्यय)	1637.89	...	1637.89	2069.69	...	2069.69	1692.42	...	1692.42	2271.94	...	2271.94
1.03 घटाइए-प्राप्तियां	-1668.56	...	-1668.56	-2400.00	...	-2400.00	-1825.00	...	-1825.00	-2640.00	...	-2640.00
निवल	84267.03	...	84267.03	93345.27	...	93345.27	90486.23	...	90486.23	99471.64	...	99471.64
2. अन्य सामान्य कार्यचालन व्यय												
2.01 कर्षण हेतु डीजल	10838.55	...	10838.55	11000.02	...	11000.02	13528.35	...	13528.35	15002.99	...	15002.99
2.02 बिजली कर्षण	8922.43	...	8922.43	13000.00	...	13000.00	12012.48	...	12012.48	14550.00	...	14550.00
2.03 मरम्मत और अनुरक्षण के लिए सामग्री	7848.86	...	7848.86	7751.67	...	7751.67	7403.69	...	7403.69	8170.29	...	8170.29
2.04 संविदागत भुगतान	8055.51	...	8055.51	8527.80	...	8527.80	7446.91	...	7446.91	8206.70	...	8206.70
2.05 भारतीय रेल वित्त निगम इत्यादि को पट्टे/किराए के लिए देय प्रभार	11948.63	...	11948.63	15648.08	...	15648.08	15068.33	...	15068.33	20013.13	...	20013.13
2.06 अंतररेलवे वित्तीय समायोजन (नामे/जमा का अंतरण)	860.67	...	860.67	1126.68	...	1126.68	669.36	...	669.36	770.79	...	770.79
2.07 कर्षण के अलावा अन्य कार्यों के लिए बिजली	1558.36	...	1558.36	1644.82	...	1644.82	1551.36	...	1551.36	1714.10	...	1714.10
2.08 कर्षण के अलावा अन्य कार्यों के लिए ईंधन	297.75	...	297.75	439.82	...	439.82	537.01	...	537.01	587.33	...	587.33
2.09 उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, वैट इत्यादि	795.85	...	795.85	847.98	...	847.98	614.39	...	614.39	664.57	...	664.57
2.10 सुरक्षा- सरकारी रेलवे पुलिस इत्यादि	1061.09	...	1061.09	1086.43	...	1086.43	929.07	...	929.07	1118.67	...	1118.67
2.11 प्रतिपूर्ति दावे तथा कर्मकार प्रतिपूर्ति दावा	446.22	...	446.22	698.73	...	698.73	588.18	...	588.18	633.38	...	633.38
2.12 खान-पान	10.53	...	10.53	23.33	...	23.33	7.64	...	7.64	16.20	...	16.20
2.13 वार्षिक रख-रखाव संविदा/ स्पैक्ट्रम शुल्क इत्यादि	359.46	...	359.46	272.19	...	272.19	256.32	...	256.32	303.15	...	303.15

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2.14 विविध व्यय	1070.98	...	1070.98	924.19	...	924.19	911.29	...	911.29	962.07	...	962.07
2.15 मूल्यहास आरक्षित निधि में विनियोग	200.00	...	200.00	800.00	...	800.00	500.00	...	500.00	2000.00	...	2000.00
2.16 पेंशन निधि में विनियोग	623.00	...	623.00	53400.00	...	53400.00	49100.00	...	49100.00	60100.00	...	60100.00
2.17 पेंशन पर व्यय	48434.97	...	48434.97	54000.00	...	54000.00	52500.00	...	52500.00	58000.00	...	58000.00
2.18 पेंशन निधि से प्राप्त राशि को कम करना	-48434.97	...	-48434.97	-54000.00	...	-54000.00	-52500.00	...	-52500.00	-58000.00	...	-58000.00
2.19 घटाइए-वसूलियां	-2597.41	...	-2597.41	-2038.01	...	-2038.01	-2310.61	...	-2310.61	-2285.01	...	-2285.01
<i>निवल</i>	<i>52300.48</i>	...	<i>52300.48</i>	<i>115153.73</i>	...	<i>115153.73</i>	<i>108813.77</i>	...	<i>108813.77</i>	<i>132528.36</i>	...	<i>132528.36</i>
3. अधिशेष से रेलवे निधियों में विनियोग												
3.01 विकास निधि में विनियोग	1547.48	...	1547.48	1561.00	...	1561.00	875.00	...	875.00	1000.00	...	1000.00
3.02 पूंजी निधि में विनियोग	2360.00	...	2360.00
3.03 राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के लिए विनियोजन	1000.00	...	1000.00	5000.00	...	5000.00	2000.00	...	2000.00
3.04 घटाइए-प्राप्तियां	-2547.48	...	-2547.48	-6561.00	...	-6561.00	-875.00	...	-875.00	-5360.00	...	-5360.00
<i>निवल</i>
4. रेलवे राजस्व प्राप्तियां												
4.01 यात्री	-15248.49	...	-15248.49	-61000.00	...	-61000.00	-44375.00	...	-44375.00	-58500.00	...	-58500.00
4.02 अन्य कोचिंग	-2096.74	...	-2096.74	-6200.00	...	-6200.00	-5000.00	...	-5000.00	-6000.00	...	-6000.00
4.03 माल	-113015.78	...	-113015.78	-128849.00	...	-128849.00	-142575.00	...	-142575.00	-157000.00	...	-157000.00
4.04 फुटकर	-5938.61	...	-5938.61	-12000.00	...	-12000.00	-7000.00	...	-7000.00	-10000.00	...	-10000.00
4.05 उचित	-54.86	...	-54.86	-100.00	...	-100.00	-100.00	...	-100.00	-100.00	...	-100.00
4.06 अन्य विविध प्राप्तियां	-213.03	...	-213.03	-350.00	...	-350.00	-250.00	...	-250.00	-400.00	...	-400.00
<i>जोड़</i>	<i>-136567.51</i>	...	<i>-136567.51</i>	<i>-208499.00</i>	...	<i>-208499.00</i>	<i>-199300.00</i>	...	<i>-199300.00</i>	<i>-232000.00</i>	...	<i>-232000.00</i>
5. सामान्य राजस्व से बजट सहायता												
5.01 सामरिक लाईनों के प्रचालन पर हुई हानियों की प्रतिपूर्ति	2215.63	...	2215.63	2356.64	...	2356.64	2358.12	...	2358.12	2447.13	...	2447.13
5.02 आपातकालीन अनुक्रिया और स्वास्थ्य प्रक्रिया तत्परता पैकेज इत्यादि	620.00	...	620.00
5.03 2018-19 में राष्ट्रीय परियोजनाओं हेतु लिए गए बाजार ऋण की अदायगी (ब्याज घटक)	598.00	...	598.00	598.00	...	598.00	820.00	...	820.00
<i>जोड़- सामान्य राजस्व से बजट सहायता</i>	<i>2835.63</i>	...	<i>2835.63</i>	<i>2954.64</i>	...	<i>2954.64</i>	<i>2956.12</i>	...	<i>2956.12</i>	<i>3267.13</i>	...	<i>3267.13</i>
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	2835.63	...	2835.63	2954.64	...	2954.64	2956.12	...	2956.12	3267.13	...	3267.13
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
6. केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में अंतरण	...	60398.00	60398.00	...	49800.00	49800.00	...	59700.00	59700.00	...	52700.00	52700.00
7. राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण	...	5000.00	5000.00	...	57300.00	57300.00	...	57400.00	57400.00	...	50000.00	50000.00
8. नई लाइनें	...	1058.04	1058.04	...	16246.00	16246.00	...	18344.53	18344.53	...	25243.00	25243.00
9. आमान परिवर्तन	...	117.12	117.12	...	1803.01	1803.01	...	2363.09	2363.09	...	2850.00	2850.00
10. दोहरी लाइन बिछाना	...	379.18	379.18	...	3000.00	3000.00	...	6324.69	6324.69	...	12108.08	12108.08
11. संगणकीकरण	...	196.66	196.66	...	545.00	545.00	...	485.05	485.05	...	470.00	470.00

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12. यातायात सुविधाएं – यार्ड के ढांचे में परिवर्तन तथा अन्य कार्य	...	115.32	115.32	...	1128.00	1128.00	...	2003.22	2003.22	...	2045.00	2045.00
13. रेल अनुसंधान	...	57.26	57.26	...	85.65	85.65	...	23.48	23.48	...	51.05	51.05
14. चल स्टॉक	...	839.04	839.04	...	6815.36	6815.36	...	11181.11	11181.11	...	7977.84	7977.84
15. पट्टागत परिसंपत्तियां – पूंजी भाग का भुगतान	...	11948.24	11948.24	...	19458.80	19458.80	...	14702.00	14702.00	...	22188.00	22188.00
16. सड़क संरक्षा कार्य – समपार	800.00	800.00	...	731.00	731.00	...	1000.00	1000.00
17. सड़क संरक्षा कार्य – उपरी/निचले सड़क पुल	...	2.44	2.44	...	5500.00	5500.00	...	3862.13	3862.13	...	6500.00	6500.00
18. रेलपथ नवीकरण	...	0.17	0.17	...	10695.00	10695.00	...	15229.72	15229.72	...	13335.47	13335.47
19. पुल संबंधी कार्य, टर्नल कार्य एवं दृष्टिकोण	...	14.33	14.33	...	900.00	900.00	...	1365.48	1365.48	...	940.00	940.00
20. सिगनल और दूरसंचार संबंधी कार्य	...	6.05	6.05	...	2448.30	2448.30	...	2332.40	2332.40	...	2500.00	2500.00
21. विद्युतीकरण परियोजनाएं	...	1.21	1.21	...	10.00	10.00
22. विजली संबंधी अन्य कार्य	...	71.39	71.39	...	850.00	850.00	...	662.81	662.81	...	650.00	650.00
23. मशीनरी और संयंत्र	...	355.52	355.52	...	630.00	630.00	...	866.59	866.59	...	600.00	600.00
24. कारखाने, उत्पादन इकाइयों सहित	...	222.04	222.04	...	1850.00	1850.00	...	2512.89	2512.89	...	2045.00	2045.00
25. कर्मचारी कल्याण	...	345.29	345.29	...	650.33	650.33	...	518.96	518.96	...	495.00	495.00
26. यात्री के लिए सुविधाएँ	...	1788.48	1788.48	...	2800.00	2800.00	...	2351.42	2351.42	...	2700.00	2700.00
27. पीएसयू/जेवी/एसपीवी इत्यादि में निवेश	...	15629.65	15629.65	...	37269.80	37269.80	...	32244.41	32244.41	...	38686.59	38686.59
28. अन्य विनिर्दिष्ट कार्य	...	119.71	119.71	...	775.00	775.00	...	862.24	862.24	...	740.00	740.00
29. प्रशिक्षण/मानव संसाधन विकास	...	10.27	10.27	...	97.40	97.40	...	144.93	144.93	...	335.00	335.00
30. भंडार उच्चत	...	12037.60	12037.60	...	20342.14	20342.14	...	19450.53	19450.53	...	20880.32	20880.32
31. निर्माण उच्चत	...	31102.76	31102.76	...	40097.49	40097.49	...	42434.09	42434.09	...	47065.22	47065.22
32. विविध अग्रिम	...	1105.88	1105.88	...	1131.68	1131.68	...	1247.70	1247.70	...	1082.13	1082.13
33. महानगर परिवहन परियोजनाएं	...	255.68	255.68	...	1900.00	1900.00	...	2000.00	2000.00	...	2000.00	2000.00
34. राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष में अंतरण												
34.01 सामान्य राजस्व से	15000.00	15000.00	...	25000.00	25000.00	...	10000.00	10000.00
34.02 रेलवे संसाधनों से	5000.00	5000.00	2000.00	2000.00
जोड़- राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष में अंतरण	20000.00	20000.00	...	25000.00	25000.00	...	12000.00	12000.00
35. से प्रदत्त राशि												
35.01 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि	...	-60398.00	-60398.00	...	-49800.00	-49800.00	...	-59700.00	-59700.00	...	-52700.00	-52700.00
35.02 राष्ट्रीय निवेश निधि	...	-5000.00	-5000.00	...	-57300.00	-57300.00	...	-57400.00	-57400.00	...	-50000.00	-50000.00
35.03 पूंजी निधि	-2000.00	-2000.00
35.04 मूल्य ह्रास आरक्षित निधि	...	-671.92	-671.92	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-2000.00	-2000.00
35.05 विकास निधि	...	-1075.89	-1075.89	...	-1500.00	-1500.00	...	-1500.00	-1500.00	...	-1000.00	-1000.00
35.06 जमा / वसूलियाँ	...	-45791.58	-45791.58	...	-68028.96	-68028.96	...	-64444.47	-64444.47	...	-72187.70	-72187.70
35.07 निर्भया निधि	-200.00	-200.00	...	-200.00	-200.00	...	-200.00	-200.00
35.08 राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष	...	-314.25	-314.25	...	-20000.00	-20000.00	...	-25000.00	-25000.00	...	-12000.00	-12000.00

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़	...	-113251.64	-113251.64	...	-197828.96	-197828.96	...	-209244.47	-209244.47	...	-192087.70	-192087.70
36. कोविड संबंधी संसाधन की कमी के लिए विशेष ऋण	...	79398.00	79398.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	...	109323.69	109323.69	...	107100.00	107100.00	...	117100.00	117100.00	...	137100.00	137100.00
कुल जोड़	2835.63	109323.69	112159.32	2954.64	107100.00	110054.64	2956.12	117100.00	120056.12	3267.13	137100.00	140367.13
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. भारतीय रेलवे-नीति निर्माण, दिशा-निर्देश, अनुसंधान एवं अन्य विविध संगठन
2. भारतीय रेलवे-वाणिज्यिक लाइन-कार्य संचालन व्यय
3. भारतीय रेलवे-सामरिक लाइन-कार्य संचालन व्यय
4. रेलवे अधिशेष से विनियोग
5. अन्य परिवहन सेवाएं	2835.63	...	2835.63	2954.64	...	2954.64	2956.12	...	2956.12	3267.13	...	3267.13
6. भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइन पर पूंजी परिव्यय	...	29909.58	29909.58	...	106907.14	106907.14	...	116998.73	116998.73	...	136978.91	136978.91
7. भारतीय रेलवे सामरिक लाइनों पर पूंजी परिव्यय	...	16.11	16.11	...	192.86	192.86	...	101.27	101.27	...	121.09	121.09
8. रेलवे को ऋण	...	79398.00	79398.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	2835.63	109323.69	112159.32	2954.64	107100.00	110054.64	2956.12	117100.00	120056.12	3267.13	137100.00	140367.13
कुल जोड़	2835.63	109323.69	112159.32	2954.64	107100.00	110054.64	2956.12	117100.00	120056.12	3267.13	137100.00	140367.13

	बजट 2022-2023			बजट 2021-2022			बजट 2021-2022			बजट 2022-2023		
	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
भारतीय रेल												
1. भारतीय रेल वित्त निगम	116.51	107261.15	107377.66	5235.00	65258.00	70493.00	...	70200.00	70200.00	...	66500.00	66500.00
2. डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन आफ इंडिया लि0	11200.00	77.18	11277.18	16086.00	3483.00	19569.00	16853.18	4360.77	21213.95	12134.73	3575.71	15710.44
3. कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0	800.00	...	800.00	900.00	...	900.00	900.00	...	900.00	1100.00	...	1100.00
4. नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लि0	3400.00	...	3400.00	14000.00	...	14000.00	13605.00	3370.00	16975.00	19102.00	5000.00	24102.00
5. राज्य संयुक्त उपक्रम तथा अन्य में इक्विटी	113.14	6636.34	6749.48	800.00	7897.00	8697.00	800.00	5452.00	6252.00	6200.00	3000.00	9200.00
6. भारतीय रेल	93694.04	2059.16	95753.20	70079.00	7500.00	77579.00	84941.82	2500.00	87441.82	98563.27	7000.00	105563.27
7. सरकारी निजी भागीदारी	...	9221.50	9221.50	...	23620.00	23620.00	...	11817.23	11817.23	...	23424.29	23424.29
जोड़-भारतीय रेल	109323.69	125255.33	234579.02	107100.00	107758.00	214858.00	117100.00	97700.00	214800.00	137100.00	108500.00	245600.00

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			(₹ करोड़)		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़		आं. ब. बा. सं.	जोड़		आं. ब. बा. सं.	जोड़		आं. ब. बा. सं.	जोड़	
जोड़	109323.69	125255.33	234579.02	0	107758.00	214858.00	117100.00	97700.00	214800.00	137100.00	108500.00	245600.00
				0								

रेलवे का निवल राजस्व व्यय संशोधित अनुमान 2021-22 में 202000 करोड़ रुपए की तुलना में बजट अनुमान 2022-23 में 240000 करोड़ रुपए रखा जाता है।

सामरिक लाइनों के परिचालन पर हुई हानि की प्रतिपूर्ति संशोधित अनुमान 2021-22 में 2358.12 करोड़ की तुलना में बजट अनुमान 2022-23 में 2447.13 करोड़ रुपए रखा गया है। राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए बाजार ऋण को चुकाने के लिए बजट अनुमान 2022-23 में 820 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

इस मांग के पूंजीगत भाग में प्रावधान परिसंपत्तियों, अधिग्रहण, निर्माण और प्रतिस्थापन पर किए गए व्यय के लिए है, जिसे सकल बजटीय सहायता (रेल संरक्षा निधि और राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष सहित) और रेलवे के आंतरिक संसाधनों के रूप में सामान्य राजस्व को पूरा किया गया। इसमें निर्भया निधि से किया गया प्रावधान भी शामिल है। बजट अनुमान 2022-23 में पूंजीगत व्यय (निवल) के लिए दिए गए 245800 करोड़ रुपए के पूंजी परिव्यय में सामान्य राजस्व से 137100 करोड़ रुपए, निर्भया निधि से 200 करोड़ रुपए और आईईवीआर से 108500 करोड़ रुपए शामिल हैं।

रेलवे की कुल प्राप्ति, जिसमें यात्री, मालभाड़ा, अन्य कोचिंग, अन्य शीर्ष आर रेलवे भर्ती बोर्डों आदि से प्राप्त राजस्व भी शामिल है, संशोधित अनुमान 2021-22 में 202000 करोड़ रुपए की तुलना में बजट अनुमान 2022-23 में 2,40,000 करोड़ रुपए रखा गया है।

माल राजस्व का हिस्सा विविध व्यय और रेल निधि के विनियोग पर व्यय से घटा दिया जाता है। इन प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए, 2020-21 (वास्तविक), बजट अनुमान 2021-22, संशोधित अनुमान 2021-22 और बजट अनुमान 2022-23 में माल भाड़े से हुई आमदनी क्रमशः 1,17,231.82 करोड़ रुपए, 1,37,810 करोड़ रुपए, 1,145,275 करोड़ रुपए और 1,65,000 करोड़ रुपए है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

मांग संख्या 86

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	19266.45	170523.43	189789.88	19668.06	207850.29	227518.35	19676.23	234753.19	254429.42	22584.19	369176.14	391760.33
वसूलियां	-9302.18	-81328.61	-90630.79	-9797.17	-99620.18	-109417.35	-9777.79	-113502.56	-123280.35	-11220.48	-181432.14	-192652.62
प्राप्तियां
निवल	9964.27	89194.82	99159.09	9870.89	108230.11	118101.00	9898.44	121250.63	131149.07	11363.71	187744.00	199107.71
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	130.70	...	130.70	153.65	...	153.65	153.65	...	153.65	163.23	...	163.23
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण												
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण												
2.01 एनएचआई में निवेश	...	46061.33	46061.33	...	57350.00	57350.00	...	65060.00	65060.00	...	134015.00	134015.00
2.02 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण	...	27300.00	27300.00	...	34700.00	34700.00	...	39410.00	39410.00	...	100100.00	100100.00
2.03 सीआरआईएफ से पूरा किया गया एनएचआई निवेश	...	-27299.33	-27299.33	...	-34700.00	-34700.00	...	-39410.00	-39410.00	...	-100100.00	-100100.00
2.04 स्थायी पुल शुल्क निधि में अंतरण	...	11500.00	11500.00	...	12650.00	12650.00	...	12650.00	12650.00	...	13915.00	13915.00
2.05 पीबीएफएफ से पूरा किया गया एनएचआई निवेश	...	-11500.00	-11500.00	...	-12650.00	-12650.00	...	-12650.00	-12650.00	...	-13915.00	-13915.00
2.06 राष्ट्रीय राजमार्ग निधि में मुद्रीकरण को अंतरण	...	7262.00	7262.00	...	10000.00	10000.00	...	13000.00	13000.00	...	20000.00	20000.00
2.07 राष्ट्रीय राजमार्ग मुद्रीकरण निधि में से पूरा किया गया एनएचआई निवेश	...	-7262.00	-7262.00	...	-10000.00	-10000.00	...	-13000.00	-13000.00	...	-20000.00	-20000.00
निवल	...	46062.00	46062.00	...	57350.00	57350.00	...	65060.00	65060.00	...	134015.00	134015.00
सड़क एवं पुल												
3. सड़क निर्माण कार्य												
3.01 सड़क स्कंध के अंतर्गत कार्य	...	31521.38	31521.38	...	36947.00	36947.00	...	40779.00	40779.00	...	38303.00	38303.00
3.02 कार्यक्रम घटक	...	758.07	758.07	...	1400.00	1400.00	...	1234.00	1234.00	...	1133.00	1133.00
3.03 ईएपी घटक	...	2010.44	2010.44	...	2350.00	2350.00	...	3062.00	3062.00	...	3098.00	3098.00
3.04 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से वित्तपोषित राज्तीय स्कीमें	6409.75	...	6409.75	6535.00	...	6535.00	6588.18	...	6588.18	8047.71	...	8047.71
3.05 सीआरआईएफ से वित्तपोषित संघ-राज्य क्षेत्रीय स्कीमें	87.87	115.75	203.62	137.13	273.11	410.24	131.50	275.56	407.06	165.67	346.38	512.05

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.06 अंतर-राज्यीय एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान-सीआरआईएफ से वित्तपोषित स्कीमें	...	315.13	315.13	...	300.00	300.00	...	295.00	295.00	...	250.00	250.00
3.07 विकास, आयोजना, गुणवत्ता आश्वासन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण - सीआरआईएफ से वित्तपोषित	34.37	...	34.37	48.96	...	48.96	48.96	...	48.96	79.00	...	79.00
3.08 राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण- सीआरआईएफ से वित्तपोषित	2701.50	...	2701.50	2660.08	...	2660.08	2752.65	...	2752.65	2580.10	...	2580.10
3.09 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एस.ए.आर. डी. पी .)	...	2992.98	2992.98	...	7500.00	7500.00	...	8430.00	8430.00	...	10565.00	10565.00
3.10 जीबीएस से एनईआर को वित्तपोषण करने के लिए एसएआरडीपी	...	4943.66	4943.66	...	2090.00	2090.00	...	2090.00	2090.00
3.11 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को अंतरण	9359.96	32731.54	42091.50	9381.17	34730.11	44111.28	9521.29	39987.49	49508.78	10872.48	36818.52	47691.00
3.12 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से पूरा किया गया	-8998.58	-31927.82	-40926.40	-9381.17	-34730.11	-44111.28	-9521.29	-39987.49	-49508.78	-10872.48	-36818.52	-47691.00
3.13 राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण	...	3000.00	3000.00	...	7500.00	7500.00	...	8430.00	8430.00	...	10565.00	10565.00
3.14 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरा किया गया	...	-2962.65	-2962.65	...	-7500.00	-7500.00	...	-8430.00	-8430.00	...	-10565.00	-10565.00
<i>निवल</i>	<i>9594.87</i>	<i>43498.48</i>	<i>53093.35</i>	<i>9381.17</i>	<i>50860.11</i>	<i>60241.28</i>	<i>9521.29</i>	<i>56165.56</i>	<i>65686.85</i>	<i>10872.48</i>	<i>53695.38</i>	<i>64567.86</i>
4. पीबीएफएफ से वित्तपोषित कार्य												
4.01 चुंगी पुलों का रख-रखाव	...	0.31	0.31	...	20.07	20.07	...	20.07	20.07	...	5.62	5.62
4.02 पीबीएफएफ को अंतरण	18.32	...	18.32	20.07	...	20.07	...	20.07	20.07	...	5.62	5.62
4.03 पीबीएफएफ से पूरा किया गया	-20.07	-20.07	...	-20.07	-20.07	...	-5.62	-5.62
<i>निवल</i>	<i>18.32</i>	<i>0.31</i>	<i>18.63</i>	<i>20.07</i>	<i>...</i>	<i>20.07</i>	<i>...</i>	<i>20.07</i>	<i>20.07</i>	<i>...</i>	<i>5.62</i>	<i>5.62</i>
जोड़-सड़क एवं पुल	9613.19	43498.79	53111.98	9401.24	50860.11	60261.35	9521.29	56185.63	65706.92	10872.48	53701.00	64573.48
सड़क परिवहन एवं सुरक्षा												
5. अनुसंधान, प्रशिक्षण और अध्ययन और अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं												
5.01 सीआरआईएफ से वित्तपोषित योजनाएं	159.65	5.34	164.99	316.00	20.00	336.00	223.50	5.00	228.50	328.00	28.00	356.00
5.02 सीआरआईएफ को अंतरण	225.00	5.50	230.50	316.00	20.00	336.00	223.50	5.00	228.50	328.00	28.00	356.00
5.03 सीआरआईएफ से पूरा किया गया	-159.65	-5.34	-164.99	-316.00	-20.00	-336.00	-223.50	-5.00	-228.50	-328.00	-28.00	-356.00
<i>निवल</i>	<i>225.00</i>	<i>5.50</i>	<i>230.50</i>	<i>316.00</i>	<i>20.00</i>	<i>336.00</i>	<i>223.50</i>	<i>5.00</i>	<i>228.50</i>	<i>328.00</i>	<i>28.00</i>	<i>356.00</i>
6. महिला सुरक्षा पर योजना												
6.01 सार्वजनिक सड़क परिवहन पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजना	139.33	...	139.33	100.00	...	100.00	33.00	...	33.00	20.00	...	20.00
6.02 निर्भया निधि से वित्तपोषित	-139.33	...	-139.33	-100.00	...	-100.00	-33.00	...	-33.00	-20.00	...	-20.00
<i>निवल</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
जोड़-सड़क परिवहन एवं सुरक्षा	225.00	5.50	230.50	316.00	20.00	336.00	223.50	5.00	228.50	328.00	28.00	356.00
7. वास्तविक वसूलियां	-4.62	-371.47	-376.09
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	9833.57	89194.82	99028.39	9717.24	108230.11	117947.35	9744.79	121250.63	130995.42	11200.48	187744.00	198944.48
कुल जोड़	9964.27	89194.82	99159.09	9870.89	108230.11	118101.00	9898.44	121250.63	131149.07	11363.71	187744.00	199107.71

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. सड़क और पुल	3066.30	...	3066.30	2729.11	...	2729.11	2801.61	...	2801.61	2659.10	...	2659.10
2. सड़क परिवहन	220.53	...	220.53	316.00	...	316.00	223.50	...	223.50	328.00	...	328.00
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	130.55	...	130.55	153.65	...	153.65	153.65	...	153.65	163.23	...	163.23
4. सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	...	89189.32	89189.32	...	98620.11	98620.11	...	110725.63	110725.63	...	177151.00	177151.00
5. सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय	...	5.50	5.50	...	20.00	20.00	...	5.00	5.00	...	28.00	28.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	3417.38	89194.82	92612.20	3198.76	98640.11	101838.87	3178.76	110730.63	113909.39	3150.33	177179.00	180329.33
अन्य												
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	6409.76	...	6409.76	6535.00	...	6535.00	6588.18	...	6588.18	8047.71	...	8047.71
7. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	137.13	...	137.13	137.13	...	137.13	131.50	...	131.50	165.67	...	165.67
8. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	9590.00	9590.00	...	10520.00	10520.00	...	10565.00	10565.00
जोड़-अन्य	6546.89	...	6546.89	6672.13	9590.00	16262.13	6719.68	10520.00	17239.68	8213.38	10565.00	18778.38
कुल जोड़	9964.27	89194.82	99159.09	9870.89	108230.11	118101.00	9898.44	121250.63	131149.07	11363.71	187744.00	199107.71

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	46062.00	65035.00	111097.00	57350.00	65000.00	122350.00	65060.00	65000.00	130060.00	134015.00	0.01	134015.01
जोड़	46062.00	65035.00	111097.00	57350.00	65000.00	122350.00	65060.00	65000.00	130060.00	134015.00	0.01	134015.01

3.01. **सड़क संकंध के अंतर्गत निर्माण कार्य:** यह प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर व्यय के लिए है, जिसमें एक्सप्रेसवे से

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय पर व्यय के लिए है।

2. **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण:** यह प्रावधान निष्पादन के लिए संगठन को प्रदत्त भारतमाला परियोजना हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की मुख्य निर्माण कार्य के लिए है। इस व्यय को केन्द्रीय सड़क निधि, राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि और राष्ट्रीय राजमार्ग निधि को मुद्रीकरण से पूरा किया जाता है।

संबंधित परियोजनाएं और स्वर्णिम चतुर्भुज के भीड़-भाड़ वाले हिस्सों के 6 लेन और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के तहत राजमार्गों के 2 लेन बनाने के विशेष कार्यक्रम शामिल हैं। नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क का विकास, विजयवाड़ा-रांची रोड का विकास और अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) द्वारा एजेंसी कार्यों के आधार पर राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसमें वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क के विकास से संबंधित आदिवासी घटक के प्रावधान भी शामिल हैं, पूर्वोत्तर राज्यों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य है। प्रावधान में रोपवे का विकास भी शामिल है।

3.02. **कार्यक्रम घटक:** यह प्रावधान सड़क स्कंध के अंतर्गत बाह्य-सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्त-पोषित हेतु किया गया है।

3.03. **ईएपी घटक:** इस प्रावधान में सड़क स्कंध के अंतर्गत बाह्य-सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए विदेशी ऋण शामिल हैं।

3.04. **केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से वित्तपोषित राज्याय स्कीमें:** यह प्रावधान विभिन्न राज्यों में सड़क संबंधी कार्यों की अनुमोदित स्कीमों के वित्त-पोषण हेतु है। इन निधियों को केंद्रीय सड़क निधि से राज्यों के लिए निर्मुक्त किया जाता है। तथापि, इन परियोजनाओं का प्रशासनिक रूप से अनुमोदन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तकनीकी अनुमोदन एवं वित्तीय संस्वीकृति संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है।

3.05. **सीआरआईएफ से वित्तपोषित संघ-राज्य क्षेत्रीय स्कीमें:** यह प्रावधान विभिन्न संघ-राज्य क्षेत्रों में सड़क संबंधी कार्यों की अनुमोदित स्कीमों के वित्त-पोषण हेतु है। इन निधियों को केंद्रीय सड़क निधि से संघ-राज्य क्षेत्रों के लिए निर्मुक्त किया जाता है। तथापि, इन परियोजनाओं का प्रशासनिक रूप से अनुमोदन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तकनीकी अनुमोदन एवं वित्तीय संस्वीकृति संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी जाती है।

3.06. **अंतर-राज्याय एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान-सीआरआईएफ से वित्तपोषित स्कीमें:** यह प्रावधान बेहतर सड़क अवसंरचना का संवर्धन करने के लिए अंतर-राज्याय और आर्थिक महत्व की चयनित सड़कों के विकास के लिए है। केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार यह प्रावधान केंद्रीय सड़क निधि का एक भाग है।

3.07. **विकास, आयोजना, गुणवत्ता आश्वासन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण - सीआरआईएफ से वित्तपोषित:** इसमें सड़क विकास पर अनुसंधान एवं विकास तथा आयोजना संबंधी अध्ययन तथा भारतीय सड़क कांग्रेस और अन्य संस्थानों द्वारा संचालित किए जाने वाले प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं व सेमिनारों पर होने वाले व्यय शामिल हैं। यह व्यय सीआरआईएफ से वित्तपोषित होता है।

3.08. **राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण- सीआरआईएफ से वित्तपोषित:** यह प्रावधान मुख्यतः केंद्रीय सड़क निधि से वित्त-पोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण पर व्यय करने के लिए है। इन कार्यों का निष्पादन राज्यों के लोक निर्माण विभागों, सीमा सड़क संगठन, एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल द्वारा एजेंसी-आधार पर किया जाता है। इसमें स्वच्छता कार्य योजना के अंतर्गत संचालित किए जाने वाले कार्यकलाप भी शामिल हैं।

3.09. **राष्ट्रीय निवेश निधि से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एस.ए.आर. डी. पी.):** यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में राजधानी सड़क-संपर्कता, जिला-संपर्कता, अंतरराष्ट्रीय सीमा तक सड़क-संपर्कता, सड़कों का सुधार एवं सुदृढीकरण सहित ट्रांस-अरुणाचल राजमार्ग तथा कलादान मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना एवं अन्य सड़क विकास परियोजनाओं सहित विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के लिए है। इसका वित्तपोषण राष्ट्रीय निवेश निधि से किया जाता है।

4. **पीबीएफएफ से वित्तपोषित कार्य:** इस राज्य-विशेष निधि का उपयोग उन पुलों का रख-रखाव करने के लिए किया जाता है जिन पर संबंधित राज्यों द्वारा चुंगी एकत्रित की जाती है। व्यय स्थायी पुल शुल्क निधि में से पूरा किया जाता है।

5. **अनुसंधान, प्रशिक्षण और अध्ययन और अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं:** यह प्रावधान मुख्यतः परिवहन उद्योग के संबंध में अनुसंधान व विकास, प्रशिक्षण एवं अध्ययन, प्रदूषण नियंत्रक उपकरणों, सड़क सुरक्षा के कार्यक्रमों, सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुविधाओं की स्थापना करना, जिसमें पीड़ितों के प्राथमिक उपचार का प्रावधान तथा यातायात की बहाली हेतु क्षतिग्रस्त

वाहन को स्थल पर से हटाने का प्रावधान शामिल है, राष्ट्रीय आंकड़ा-संचय नेटवर्क के विकास, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड की स्थापना, लोक परिवहन का सुदृढीकरण आदि के लिए है। यह व्यय सीआरआईएफ से वित्तपोषित होता है।

6. **महिला सुरक्षा पर योजना:** यह प्रावधान सार्वजनिक सड़क परिवहन संबंधी महिला सुरक्षा के लिए है। इसका व्यय निर्भया निधि से पूरा किया जाता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 87

ग्रामीण विकास विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	336116.76	...	336116.76	234019.08	...	234019.08	285058.07	...	285058.07	247944.29	...	247944.29
वसूलियां	-139700.05	...	-139700.05	-	...	-102500.00	-	...	-131500.00	-112000.00	...	-112000.00
प्राप्तियां	102500.00	131500.00
निवल	196416.71	...	196416.71	131519.08	...	131519.08	153558.07	...	153558.07	135944.29	...	135944.29
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	61.55	...	61.55	53.08	...	53.08	53.08	...	53.08	57.90	...	57.90
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता एवं जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढीकरण	135.18	...	135.18	364.38	...	364.38	176.53	...	176.53	212.19	...	212.19
3. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना सर्वेक्षण	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
4. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान	80.43	...	80.43
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	215.61	...	215.61	364.39	...	364.39	176.54	...	176.54	212.20	...	212.20
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
5. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद	124.00	...	124.00	124.00	...	124.00	135.46	...	135.46
अन्य												
6. व्यय कटौती के फलस्वरूप समायोजित वसूलियां	-7.18	...	-7.18
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	-7.18	...	-7.18	124.00	...	124.00	124.00	...	124.00	135.46	...	135.46
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं												
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम												
7. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)	8965.36	...	8965.36	6259.08	...	6259.08	5944.71	...	5944.71	6564.31	...	6564.31
8. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	374.57	...	374.57	622.69	...	622.69	582.74	...	582.74	675.01	...	675.01
9. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यून पीएस)	1881.32	...	1881.32	1938.80	...	1938.80	1844.51	...	1844.51	2027.00	...	2027.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
10. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)	263.17	...	263.17	297.37	...	297.37	284.84	...	284.84	290.00	...	290.00
11. अन्नपूर्णा योजना	62.84	...	62.84	53.98	...	53.98	95.99	...	95.99
12. प्रशासनिक व्यय	15.00	...	15.00	19.22	...	19.22	19.22	...	19.22
13. पीएमजेडीवाई महिला खाताधारकों के लिए डीबीटी	30943.69	...	30943.69
जोड़-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	42443.11	...	42443.11	9200.00	...	9200.00	8730.00	...	8730.00	9652.31	...	9652.31
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम												
14. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि को अंतरण	111170.86	...	111170.86	73000.00	...	73000.00	98000.00	...	98000.00	73000.00	...	73000.00
15. मनरेगा- कार्यक्रम घटक	111169.54	...	111169.54	73000.00	...	73000.00	98000.00	...	98000.00	73000.00	...	73000.00
16. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से पूरी की गई राशि	-111170.87	...	-111170.87	-73000.00	...	-73000.00	-98000.00	...	-98000.00	-73000.00	...	-73000.00
जोड़-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	111169.53	...	111169.53	73000.00	...	73000.00	98000.00	...	98000.00	73000.00	...	73000.00
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना												
17. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना												
17.01 केन्द्रीय सड़क निधि/केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण	9022.00	...	9022.00	10000.00	...	10000.00	14000.00	...	14000.00	19000.00	...	19000.00
17.02 पीएमजीएसवाई- कार्यक्रम घटक	12592.81	...	12592.81	11993.50	...	11993.50	11649.10	...	11649.10	16090.00	...	16090.00
17.03 पीएमजीएसवाई- ईएपी घटक	1016.50	...	1016.50	506.50	...	506.50	510.90	...	510.90	10.00	...	10.00
17.04 पूर्वोत्तर क्षेत्र	1500.00	...	1500.00	1500.00	...	1500.00	1900.00	...	1900.00
17.05 वामपंथी उपवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों के लिए परियोजना	78.19	...	78.19	1000.00	...	1000.00	340.00	...	340.00	1000.00	...	1000.00
17.06 घटाएँ केन्द्रीय सड़क/केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से पूरी की गई राशि	-9022.00	...	-9022.00	-10000.00	...	-10000.00	-14000.00	...	-14000.00	-19000.00	...	-19000.00
<i>निवल</i>	<i>13687.50</i>	...	<i>13687.50</i>	<i>15000.00</i>	...	<i>15000.00</i>	<i>14000.00</i>	...	<i>14000.00</i>	<i>19000.00</i>	...	<i>19000.00</i>
राष्ट्रीय आजीविका मिशन-आजीविका												
18. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन												
18.01 एनआरएलएम- कार्यक्रम घटक	8762.16	...	8762.16	11613.34	...	11613.34	9837.34	...	9837.34	11552.77	...	11552.77
18.02 एनआरएलएम- ईएपी घटक	446.00	...	446.00	773.89	...	773.89	773.89	...	773.89	500.00	...	500.00
18.03 पूर्वोत्तर क्षेत्र	1290.38	...	1290.38	1098.38	...	1098.38	1283.65	...	1283.65
<i>जोड़- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन</i>	<i>9208.16</i>	...	<i>9208.16</i>	<i>13677.61</i>	...	<i>13677.61</i>	<i>11709.61</i>	...	<i>11709.61</i>	<i>13336.42</i>	...	<i>13336.42</i>
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबिन मिशन												
19. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबिन मिशन	369.29	...	369.29	600.00	...	600.00	375.00	...	375.00	550.00	...	550.00
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)												
20. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - ग्रामीण												
20.01 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में अंतरण	19500.00	...	19500.00	19500.00	...	19500.00	19500.00	...	19500.00	20000.00	...	20000.00
20.02 पीएमएवाई- कार्यक्रम घटक	16864.42	...	16864.42	16999.99	...	16999.99	16999.99	...	16999.99	15999.99	...	15999.99
20.03 ईवीआर ऋणों के लिए नावाई को ब्याज भुगतान	2404.72	...	2404.72	2500.00	...	2500.00	3389.84	...	3389.84	4000.00	...	4000.00
20.04 ब्याज सस्मिडी	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
20.05 घटाएँ केन्द्रीय सड़क/केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से	-19500.00	...	-19500.00	-19500.00	...	-19500.00	-19500.00	...	-19500.00	-20000.00	...	-20000.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
पूरी की गई राशि												
निवल	19269.14	...	19269.14	19500.00	...	19500.00	20389.84	...	20389.84	20000.00	...	20000.00
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	196146.73	...	196146.73	130977.61	...	130977.61	153204.45	...	153204.45	135538.73	...	135538.73
कुल जोड़	196416.71	...	196416.71	131519.08	...	131519.08	153558.07	...	153558.07	135944.29	...	135944.29
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. आवास	2427.86	...	2427.86	2599.86	...	2599.86	3489.70	...	3489.70	4082.44	...	4082.44
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	33773.84	...	33773.84	24.56	...	24.56	24.56	...	24.56	22.56	...	22.56
जोड़-सामाजिक सेवाएं	36201.70	...	36201.70	2624.42	...	2624.42	3514.26	...	3514.26	4105.00	...	4105.00
आर्थिक सेवाएं												
3. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2115.30	...	2115.30	2119.67	...	2119.67	2064.82	...	2064.82	3089.42	...	3089.42
4. ग्रामीण रोजगार	111169.53	...	111169.53	73000.00	...	73000.00	98000.00	...	98000.00	73000.00	...	73000.00
5. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	218.85	...	218.85	561.01	...	561.01	321.16	...	321.16	404.13	...	404.13
6. सड़क और पुल	86.05	...	86.05	197.82	...	197.82	197.01	...	197.01	250.80	...	250.80
7. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	61.54	...	61.54	53.08	...	53.08	53.08	...	53.08	57.90	...	57.90
जोड़-आर्थिक सेवाएं	113651.27	...	113651.27	75931.58	...	75931.58	100636.07	...	100636.07	76802.25	...	76802.25
अन्य												
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र	5747.78	...	5747.78	5055.79	...	5055.79	6232.45	...	6232.45
9. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	44007.25	...	44007.25	45657.51	...	45657.51	42761.59	...	42761.59	46814.10	...	46814.10
10. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	2556.49	...	2556.49	1557.79	...	1557.79	1590.36	...	1590.36	1990.49	...	1990.49
जोड़-अन्य	46563.74	...	46563.74	52963.08	...	52963.08	49407.74	...	49407.74	55037.04	...	55037.04
कुल जोड़	196416.71	...	196416.71	131519.08	...	131519.08	153558.07	...	153558.07	135944.29	...	135944.29

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
आवासन												
1. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	17867.00	17867.00
जोड़-आवासन	17867.00	17867.00
जोड़	17867.00	17867.00

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान ग्रामीण विकास विभाग के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।
2. **ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता एवं जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढीकरण:** इसमें ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता और प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलापों, जागरूकता सृजन (आईईसी), निगरानी तंत्र के सुदृढीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है।
3. **सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना सर्वेक्षण:** यह प्रावधान अभावग्रस्त जीवन बसर करने वाले उन ग्रामीण परिवारों के निर्धारण के लिए एसईसीसी जनगणना कराने के लिए है, जिन्हें मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत लक्षित किया जा सकता है।
4. **राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान:** राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भारत में ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण और शोध का एक शीर्षस्थ संस्थान है। एनआईआरडी का मुख्य सरोकार विकासात्मक मुद्दों के संबंध में पाठ्यक्रम चलाने के अलावा ग्रामीण विकास और पंचायती राज कार्यकर्ताओं के लिए निगरानी और आंतरिक लेखा परीक्षा में क्षमता निर्माण करना है। वित्त वर्ष 2020-21 से इसे अन्य केन्द्रीय व्यय के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।
5. **राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद:** राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भारत में ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण और शोध का एक शीर्षस्थ संस्थान है। एनआईआरडी का मुख्य सरोकार विकासात्मक मुद्दों के संबंध में पाठ्यक्रम चलाने के अलावा ग्रामीण विकास और पंचायती राज कार्यकर्ताओं के लिए निगरानी और आंतरिक लेखा परीक्षा में क्षमता निर्माण करना है।
7. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस):** इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के व्यक्ति को सहायता दी जाती है। 60-79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को प्रति माह ₹ 200 रुपए तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रति माह ₹ 500 रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है।
8. **राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना:** इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के 18-59 वर्ष की आयु के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु हो जाने पर यह परिवार एकमुश्त सहायता प्राप्त करने का पात्र होता है। इसमें दी जाने वाली सहायता की राशि 20,000 रु. है।
9. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यू पीएस):** इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 40-79 वर्ष की आयु की विधवाओं को प्रति माह 300 रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है। 80 वर्ष की आयु हो जाने पर लाभार्थियों को आईजीएनओएपीएस में शामिल कर लिया जाता है, ताकि वे प्रति माह 500 रुपए पेंशन सहायता प्राप्त कर सकें।
10. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस):** इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 18-79 वर्ष की आयु के गंभीर या विविध प्रकार की निशक्तताओं से प्रभावित व्यक्तियों को प्रति माह 300 रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है। 80 वर्ष की आयु हो जाने पर लाभार्थियों को आईजीएनओएपीएस में शामिल कर लिया जाता है, ताकि वे प्रति माह 500 रुपए पेंशन सहायता प्राप्त कर सकें।

11. **अन्नपूर्णा योजना:** इस योजना के तहत ऐसे लाभार्थियों, जो आईजीएनओएपीएस के तहत पात्र तो हैं, किन्तु आईजीएनओएपीएस के तहत वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया जाता है।

12. **प्रशासनिक व्यय:** वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं, निशक्त व्यक्तियों और आय अर्जनकर्ता की मृत्यु के मामले में गरीब परिवारों के लिए एनएसएपी एक सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अथवा भविष्य में उपलब्ध कराए जाने वाले लाभों के न्यूनतम राष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करना है।

15. **मनरेगा- कार्यक्रम घटक:** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) का लक्ष्य किसी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार जिसके व्यक्ति सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं उन्हें कम से कम 100 दिन की गारंटीकृत मजदूरी वाला रोजगार प्रदान करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना है। पहले चरण में, महात्मा गांधी नरेगा का कार्यान्वयन 02 फरवरी, 2006 से 200 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में किया गया था तथा इसके पश्चात 01 अप्रैल, 2007 तथा 15 मई, 2007 से क्रमशः 113 तथा 17 अतिरिक्त जिलों में इसका विस्तार किया गया था। शेष जिलों को 01 अप्रैल, 2008 से इस अधिनियम के तहत शामिल किया गया था। इस प्रकार इस अधिनियम में अब देश के सभी ग्रामीण जिले शामिल हैं। इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:- मांग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 दिनों का अकुशल मजदूरी कार्य उपलब्ध कराकर निर्धारित गुणवत्ता और टिकाऊ स्वरूप की उपयोगी परिसंपत्तियों का सृजन करना; गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूती प्रदान करना; सक्रियतापूर्वक सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना; और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को मजबूत बनाना।

17. **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना:** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण भारत में सबसे सफल पहल के रूप में निर्धारित जनसंख्या आकार (जनगणना 2001 के अनुसार एलडब्ल्यूई क्षेत्र में समतल क्षेत्र में 500 से अधिक, पूर्वोत्तर पहाड़ी, आदिवासी और मरुस्थल क्षेत्र में 250 से अधिक, 100-239 जनसंख्या आकार) के सभी पास पर्यावास के लिए बारहमास सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। शुरूआत से 20 जनवरी, 2021 तक कुल 1,70,034 पर्यावास को कनेक्टिविटी प्रदान किया गया है।

इसके पश्चात वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के उन्नयन और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए पीएमजीएसवाई कार्यक्रम के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों के लिए नई सहायक योजनाएँ अर्थात् पीएमजीएसवाई-II, सड़क संपर्क परियोजना और पीएमजीएसवाई-III शामिल की गई थी।

इसकी शुरूआत से लेकर 20 जनवरी, 2021 तक पीएमजीएसवाई को विभिन्न सहायक योजनाओं के अंतर्गत कुल 7,47,990 कि.मी. लम्बी सड़क को स्वीकृति दी गई है और 6,43,999 कि.मी. पूरी कर दी गई है। इस कार्यक्रम के लिए राज्यों को भागीदारी से पीएमजीएसवाई के सभी चालू घटकों को पूरा करने के लिए मार्च, 2025 तक प्रत्येक वर्ष 19000 करोड़ रुपए की निरंतर सहायता की जरूरत पड़ेगी।

18. **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन:** कुल 10.63 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है औरशुरूआत (सितंबर, 2014) से दिसंबर, 2020 तक 6.80 लाख उम्मीदवारों को डीडीयूजीकेवाई के तहत रखा गया है।

आरएसईटीआई ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक बैंक की अगुवाई वाली पहल है, जिसे समर्पित देश के प्रत्येक जिले में बुनियादी ढाँचे के साथ कौशल विकास और कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण देने, प्रेरित करने, प्रशिक्षण प्रदान करने और 18-45 आयु वर्ग के बेरोजगार ग्रामीण गरीब युवाओं को स्व-रोजगार उद्यम उद्यम शुरू करने के लिए सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। आरएसईटीआई को भारत सरकार और राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से बैंकों द्वारा प्रायोजित, प्रबंधित और संचालित किया जाता है।

गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बैंकों और राज्य सरकारों के सहयोग से देश के प्रत्येक जिले में आरएसईटीआई की स्थापना, डीएवाई-एनआरएलएम का एक प्रमुख घटक है। आरएसईटीआई युवाओं को दीर्घकालिक सहायता के साथ अल्पकालिक आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, कुछ आरएसईटीआई आधारभूत स्थिति और व्यवहार्यता के आधार पर युवाओं को ऑफ-साइट प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं।

किसी भी जाति, पंथ, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति के बावजूद 18-45 वर्ष के आयु वर्ग में कोई भी बेरोजगार युवा, स्वरोजगार या मजदूरी रोजगार लेने की योग्यता रखने वाला और संबंधित क्षेत्र में कुछ बुनियादी ज्ञान रखने के लिए आरएसईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है।

वर्तमान में आरएसईटीआई चार प्रमुख क्षेत्रों जैसे कृषि, प्रसंस्करण, उत्पाद निर्माण और सामान्य उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत वर्गीकृत 61 व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वर्तमान में, 585 आरएसईटीआई देश भर में कार्य कर रहे हैं। आरएसईटीआई ने 34.26 लाख को प्रशिक्षित किया है और दिसंबर, 2020 तक 24.08 लाख का निपटान किया है। वर्तमान में, प्रशिक्षण पूरा होने के बाद दो साल की अवधि के लिए आरएसईटीआई प्रशिक्षित उम्मीदवारों को पोस्ट ट्रेनिंग हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान की जाती है।

लीड बैंक की जिम्मेदारी वाले प्रत्येक प्रायोजक बैंक को आरएसईटीआई भवन के निर्माण के लिए 1.0 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की जाती है, इसके अलावा पात्र उम्मीदवारों (ग्रामीण गरीबों) के प्रशिक्षण की लागत की प्रतिपूर्ति की जाती है, जबकि राज्य सरकारों से मुफ्त में जमीन उपलब्ध कराने की उम्मीद की जाती है।

19. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर अर्बन मिशन: श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) एक अनोखा कार्यक्रम है जिसे विकास की निर्धारित न्यूनतम सीमा पर ग्रामीण क्षेत्रों में उत्प्रेरकपरक हस्तक्षेप किए जाने के लिए तैयार किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य चयनित ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक आर्थिक और भौतिक रूप से स्थायी क्षेत्र के रूप में विकसित करना है और इसे आर्थिक, सामाजिक, मूलभूत और डिजिटल सुविधाओं को उपलब्ध कराकर मजबूत बनाना है। जिससे कि देश में सतत् और संतुलित क्षेत्रीय विकास हो सके।

इस अभिनव मिशन के अंतर्गत देशभर में 300 अर्बन वस्तियों का विशेष विषयक आर्थिक विकास किया जा रहा है। आज की तारीख तक 28 राज्यों और 07 संघ राज्य क्षेत्रों के 246 वस्तियों की पहचान की गई है और उनको अनुमोदित किया गया है इसके अलावा, राज्यों के साथ घनिष्ठतापूर्वक मिलकर के 28 राज्यों और 07 संघ राज्य क्षेत्रों में 279 इन्टीग्रेडिड क्लस्टर एक्शन प्लान्स (आईसीएपी को मंजूरी दे दी गई है और प्रत्येक आर्बन वस्ती में किए जाने वाले अनुमोदित निवेश के 30 प्रतिशत की सहायता दे दी गई है जबकि बाकी 70 प्रतिशत धन की व्यवस्था राज्य अपने राजकीय एवं केंद्रीय कार्यक्रमों से मिलाकर करेंगे।

कुछ चुनी हुई ग्राम पंचायतों में केंद्रीय क्षेत्र विकास के क्लस्टर आधारित मॉडल से विकेंद्रीकृत नियोजन सुनिश्चित हो सकेगा और अपने महत्वकांक्षी विकास को प्राप्त करने के लिए अस्थानीय प्रयासों और संसाधनों का कुशल उपयोग हो सकेगा। इस मिशन के अंतर्गत 21 घटकों की परिकल्पना की गयी है जो कि इन वस्तियों के समग्र विकास में प्रमुख संचालक का काम करेंगे। इस मिशन के तीन चरणों के अंतर्गत इन 289 वस्तियों में 27,945 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है जिसे करवर्जन एंड क्रिटिकल गैप फंडिंग (सीजीएफ) क्रियाकलापों में निवेश किया जाना है।

20. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - ग्रामीण: 2022 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार 01 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई) - जी चला रही है। इस पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मार्च, 2019 तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1.00 करोड़ पक्के मकानों का निर्माण किया जाना है। ग्रामीण राजगीरों के प्रशिक्षण, स्थायी रूप से यथोचित मकानों की डिजाइन के टाइपोलॉजी के विकास और विभिन्न स्तरों पर इनकी मॉनीटरिंग के लिए समर्पित तंत्र की स्थापना से इन घरों का काम घमवत्तापूर्वक और समयपूर्वक पूरा किया गया है। मंत्रीमंडल ने पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवास रहित लोगों के लिए 2.95 करोड़ मकानों के लिए स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा इसके प्रथम चरण में 2016-17 से 2018-19 तक के तीन वर्षों की अवधि में 1.0 करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। बाकी 1.95 करोड़ मकानों को अगले तीन वर्षों (2019-20 से 2021-22) में पूरा किया जाना है। जिसमें केंद्र सरकार पर 1,56,634 करोड़ रुपए का वित्तीय खर्च आएगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 88

भूमि संसाधन विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1236.50	...	1236.50	2170.42	...	2170.42	1484.52	...	1484.52	2259.34	...	2259.34
<i>वसूलियां</i>	-60.52	...	-60.52
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	1175.98	...	1175.98	2170.42	...	2170.42	1484.52	...	1484.52	2259.34	...	2259.34
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	13.00	...	13.00	20.42	...	20.42	18.52	...	18.52	20.09	...	20.09
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों/परियोजनाएं												
डिजिटल इंडिया संबंधी पहल-भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम												
2. भूमि रिकार्ड के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम	225.14	...	225.14	150.00	...	150.00	250.00	...	250.00	239.25	...	239.25
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना												
3. एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम												
3.01 कार्यक्रम घटक	998.36	...	998.36	2000.00	...	2000.00	1211.95	...	1211.95	1982.12	...	1982.12
	-60.52	...	-60.52
<i>निवल</i>	<i>937.84</i>	...	<i>937.84</i>	<i>2000.00</i>	...	<i>2000.00</i>	<i>1211.95</i>	...	<i>1211.95</i>	<i>1982.12</i>	...	<i>1982.12</i>
3.02 इएपी घटक	4.05	...	4.05	17.88	...	17.88
जोड़- एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम	937.84	...	937.84	2000.00	...	2000.00	1216.00	...	1216.00	2000.00	...	2000.00
कुल जोड़	1175.98	...	1175.98	2170.42	...	2170.42	1484.52	...	1484.52	2259.34	...	2259.34
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	13.85	...	13.85	50.00	...	50.00	37.66	...	37.66	59.00	...	59.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2. भू सुधार	225.14	...	225.14	135.00	...	135.00	225.00	...	225.00	215.33	...	215.33
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	13.00	...	13.00	20.42	...	20.42	18.52	...	18.52	20.09	...	20.09
जोड़-आर्थिक सेवाएं	251.99	...	251.99	205.42	...	205.42	281.18	...	281.18	294.42	...	294.42
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	215.00	...	215.00	146.60	...	146.60	223.92	...	223.92
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	832.78	...	832.78	1700.00	...	1700.00	1026.74	...	1026.74	1697.00	...	1697.00
6. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	91.21	...	91.21	50.00	...	50.00	30.00	...	30.00	44.00	...	44.00
जोड़-अन्य	923.99	...	923.99	1965.00	...	1965.00	1203.34	...	1203.34	1964.92	...	1964.92
कुल जोड़	1175.98	...	1175.98	2170.42	...	2170.42	1484.52	...	1484.52	2259.34	...	2259.34

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान भूमि संसाधन विभाग के सचिवालयीय व्यय के लिए है।

2. **भूमि रिकार्ड के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम:** भूमि संसाधन विभाग का प्रयास तथा ज़ोर डीआईएलआरएमपी के तत्वावधान में एक एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) भूमि संबंधी रियल-टाईम सूचना में सुधार (ii) भूमि संसाधनों का इष्टतम उपयोग (iii) भूमि स्वामियों तथा भावी क्रेता और विक्रेता दोनों को लाभ (iv) नीति एवं योजना में सहायता (v) भूमि विवादों में कमी (vi) धोखाधड़ीपूर्ण या बेनामी लेनदेनों पर रोक (vii) राजस्व पंजीकरण कार्यालयों के प्रत्यक्ष दौरो की आवश्यकता से मुक्ति (viii) योजना निर्णय लेने कल्याणकारी स्कीमों विकास तथा ऐसी अन्य आवश्यकताओं के उद्देश्य के लिए विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों व एजेंसियों के साथसूचना तथा डाटा साझा करने में सक्षम बनाना शामिल होगा।

3. **एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम:** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक

भूमि संसाधन विभाग आईडब्ल्यूएमपी को कार्यान्वित कर रहा है जिसे 2015-2016 में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना डब्ल्यूडीसी पीएमकेएसवाई के वाटरशेड विकास घटक के रूप में समामेलित किया गया था आईडब्ल्यूएमपीके तहत 2009-2010 से 2014-2015 के दौरान 28 राज्यों (गोवा को छोड़कर अब 27 राज्य) और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 39.07 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र शामिल करते हुए 8214 वाटरशेड विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, जिसमें 33642.24 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा है कुल लागत 50739.58 करोड़ रुपए शेयरिंग पैटर्न 60 और 40 का अनुपात एनईआर और पहाड़ी राज्यों में 90 और 10 का अनुपात शुरुआत से राज्यों को 31-12-2021 की स्थिति के अनुसार 19926.67 करोड़ रुपये का केन्द्रीय हिस्सा जारी किया जा चुका है

(ख) कुल स्वीकृत 1832 परियोजनाओं में से शुरू न हो पायीं 435 और विलम्बित 1487 परियोजनाओं को 2018 में राज्यों के पास स्थानान्तरित कर दिया गया था जिससे कि वे इन्हें अपने बजट से पूरा कर सकें और बाकी 6382 परियोजनाओं को भूमि संसाधन विभाग से वित्तपोषित किया जा रहा है। 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार 6382 परियोजनाओं में से 5220 (81.79%) के पूरा हो जाने की जानकारी है।

(ग) डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई की परियोजना अवधि मार्च 2021 में समाप्त हो गई हालांकि विभिन्न राज्यों के अनुरोध पर और सक्षम प्राधिकारी के उचित अनुमोदन के साथ यह अवधि मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है इस बीच 4.95 मिलियन हेक्टेयर वर्षा सिंचित और

अवक्रमित क्षेत्रों के विकास के लिए वाटरशेड की नई पीढ़ी योजना यानी डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 सरकार के विचारधीन है 06-08-2021 को आयोजित ईएफसी बैठक में 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 8134.00 करोड़ रुपये केंद्रीय शेयर के परिव्यय पर सहमती बनी।

4. ईएफसी सिफारिशों के आलोक में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई योजना को जारी रखने के संबंध में सीसीईए के लिए एक नोट पहले ही पीएमकेएसवाई के लिए नोडल विभाग अर्थात डीओडब्ल्यूआर आरडी और जीआर को इस विभाग के दिनांक 21-09-2021 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा पीएमकेएसवाई की अम्ब्रेला योजना हेतु सीसीईएप्रस्ताव के लिए समेकित नोट तैयार करने के लिए प्रस्तुत किया जा चुका है सीसीईए ने 15-12-2021 को हुई अपनी बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया और उसे मंजूरी दी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मांग संख्या 89

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	4826.85	86.48	4913.33	5949.59	122.00	6071.59	5175.00	69.20	5244.20	5919.50	82.70	6002.20
वसूलियां	-19.77	...	-19.77	-4.20	...	-4.20	-4.20	...	-4.20	-2.20	...	-2.20
प्राप्तियां
निवल	4807.08	86.48	4893.56	5945.39	122.00	6067.39	5170.80	69.20	5240.00	5917.30	82.70	6000.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	78.56	50.00	128.56	93.40	30.00	123.40	89.34	20.00	109.34	100.00	15.00	115.00
2. भारतीय सर्वेक्षण	396.60	27.08	423.68	460.10	73.50	533.60	441.04	33.50	474.54	474.10	52.00	526.10
	-0.69	...	-0.69	-2.20	...	-2.20	-2.20	...	-2.20	-2.20	...	-2.20
<i>निवल</i>	<i>395.91</i>	<i>27.08</i>	<i>422.99</i>	<i>457.90</i>	<i>73.50</i>	<i>531.40</i>	<i>438.84</i>	<i>33.50</i>	<i>472.34</i>	<i>471.90</i>	<i>52.00</i>	<i>523.90</i>
3. राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन	18.78	9.40	28.18	28.40	18.50	46.90	25.13	15.70	40.83	34.50	15.70	50.20
4. विदेश स्थित विज्ञान परामर्शदाता	10.52	...	10.52	12.00	...	12.00	12.91	...	12.91	13.35	...	13.35
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	503.77	86.48	590.25	591.70	122.00	713.70	566.22	69.20	635.42	619.75	82.70	702.45
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत एवं मानवीय क्षमता निर्माण	900.25	...	900.25	1101.80	...	1101.80	986.20	...	986.20	1128.00	...	1128.00
	-7.00	...	-7.00	-2.00	...	-2.00	-2.00	...	-2.00
<i>निवल</i>	<i>893.25</i>	<i>...</i>	<i>893.25</i>	<i>1099.80</i>	<i>...</i>	<i>1099.80</i>	<i>984.20</i>	<i>...</i>	<i>984.20</i>	<i>1128.00</i>	<i>...</i>	<i>1128.00</i>
6. अनुसंधान और विकास	396.05	...	396.05	593.94	...	593.94	456.75	...	456.75	604.03	...	604.03
7. नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन	629.93	...	629.93	951.95	...	951.95	700.63	...	700.63	812.52	...	812.52
8. अन्तरविषयक साइबर भौतिकी प्रणाली संबंधी राष्ट्रीय मिशन	270.16	...	270.16	270.00	...	270.00	350.00	...	350.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	2189.39	...	2189.39	2915.69	...	2915.69	2141.58	...	2141.58	2894.55	...	2894.55
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
9. विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड	741.18	...	741.18	900.00	...	900.00	900.00	...	900.00	803.00	...	803.00
10. प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड	10.00	...	10.00	50.00	...	50.00	75.00	...	75.00	100.00	...	100.00
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	751.18	...	751.18	950.00	...	950.00	975.00	...	975.00	903.00	...	903.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
स्वायत्त निकाय												
11. स्वायत्तशासी निकायों को सहायता	1374.82	...	1374.82	1488.00	...	1488.00	1488.00	...	1488.00	1500.00	...	1500.00
अन्य												
12. वास्तविक वसूलियां	-12.08	...	-12.08
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	2113.92	...	2113.92	2438.00	...	2438.00	2463.00	...	2463.00	2403.00	...	2403.00
कुल जोड़	4807.08	86.48	4893.56	5945.39	122.00	6067.39	5170.80	69.20	5240.00	5917.30	82.70	6000.00
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	4728.52	...	4728.52	5851.99	...	5851.99	5081.46	...	5081.46	5817.30	...	5817.30
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	78.56	...	78.56	93.40	...	93.40	89.34	...	89.34	100.00	...	100.00
3. अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	...	86.48	86.48	...	122.00	122.00	...	69.20	69.20	...	82.70	82.70
जोड़-आर्थिक सेवाएं	4807.08	86.48	4893.56	5945.39	122.00	6067.39	5170.80	69.20	5240.00	5917.30	82.70	6000.00
कुल जोड़	4807.08	86.48	4893.56	5945.39	122.00	6067.39	5170.80	69.20	5240.00	5917.30	82.70	6000.00

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के स्थापना व्यय के लिए है।

2. **भारतीय सर्वेक्षण:** यह प्रावधान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के तहत निर्देशन और प्रशासन (महा सर्वेक्षक), प्रशिक्षण संगठनों और नक्शे, चार्ट, रिपोर्ट आदि के प्रकाशन के लिए है।

3. **राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन:** यह प्रावधान राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन के तहत अंग्रेजी और हिन्दी में भारत के राष्ट्रीय एटलस के संकलन, समस्त भारत को समावेश करने वाली स्वर्णिम मानचित्र सेवा और भौगोलिक/कार्टोग्राफिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किया गया है।

4. **विदेश स्थित विज्ञान परामर्शदाता:** यह प्रावधान विदेश स्थित विभिन्न भारतीय दूतावासों में तैनात परामर्शदाताओं के लिए किया गया है।

5. **विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत एवं मानवीय क्षमता निर्माण:** इसमें आर एंड डी सहायता, राज्य एस एंड डी कार्यक्रम, नीति अनुसंधान प्रकल्प, विज्ञान में महिलाओं के लिए डिसा कार्यक्रम, सहसंबंध और आर एंड डी मिशन (इंस्पायर पुरस्कार और इंस्पायर कार्यक्रम) के लिए आवंटन शामिल है।

6. **अनुसंधान और विकास:** इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, राष्ट्रीय नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी मिशन, आधारभूत अनुसंधान के लिए वृहत सुविधाएं, सहसंबंध और आर एंड डी मिशन (जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम), सुपर कंप्यूटिंग सुविधा एवं क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी संलयन और अनुप्रयोग अनुसंधान के लिए आवंटन शामिल है।

7. **नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन:** इसमें प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम, सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एस एंड डी कार्यक्रम, कार्यक्रम (प्रदर्शनी एवं मेले), औपधि तथा भेषज अनुसंधान और तकनीकी अनुसंधान केन्द्रों के लिए आवंटन शामिल है।

8. **अन्तरविषयक साइबर भौतिकी प्रणाली संबंधी राष्ट्रीय मिशन:** साइबर फिजिकल सिस्टम (सीपीएस) इंजीनियर सिस्टम की नई श्रेणी है जो एक गतिशील वातावरण में संगणना और भौतिक प्रक्रियाओं को एकीकृत करता है। सीपीएस साइबरनेटिक्स, मेकट्रोनिक्स, डिजाइन और एंबेडेड सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (एलओटी), विंग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और कई और अधिक के प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को शामिल करता है। सीपीएस सिस्टम बुद्धिमान, स्वायत्त और कुशल हैं और इनसे कृषि, जल, ऊर्जा, परिवहन, बुनियादी ढाँचे, सुरक्षा, स्वास्थ्य और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में नवाचार को चलाने की उम्मीद है। इस प्रकार, यह प्रौद्योगिकी में अगली प्रतिमान बदलाव के रूप में हेराल्ड है जो तेजी से विकास और विकास को गति दे सकता है।

9. **विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड:** इसमें एसईआरबी, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, में बोर्ड के प्राथमिक एवं विशिष्ट अधिदेश के तहत विज्ञान और इंजीनियरी के उभरते हुए क्षेत्रों में आधारभूत अनुसंधान को सहायता प्रदान करने हेतु प्रावधान शामिल है।

10. **प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड:** इसमें टीडीबी, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, में घरेलू प्रौद्योगिकी के विकास और वाणिज्यीकरण को बढ़ावा देने और व्यापक अनुप्रयोग के लिए आयातित प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु प्रावधान शामिल है।

11. **स्वायत्तशासी निकायों को सहायता:** इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित स्वायत्त संस्थानों और वृत्तिक निकायों के लिए प्रावधान शामिल है:-

- 1) एमएसीएस- अघारकर अनुसंधान संस्थान, पुणे
- 2) आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल
- 3) बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान , लखनऊ
- 4) बोस संस्थान, कोलकाता
- 5) नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केन्द्र, बंगलौर,
- 6) इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स (एआरसी आई), हैदराबाद
- 7) नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली
- 8) इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साईंस ,कोलकाता
- 9) भारतीय भू-चुंबकत्व संस्थान, नवी मुम्बई
- 10) जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बेंगलुरु
- 11) राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान- भारत, गांधीनगर
- 12) रमन अनुसंधान संस्थान , बंगलौर,
- 13) सत्येंद्र नाथ बसु राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र, कोलकाता
- 14) श्री चिन्ना तिरूनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनन्तपुरम
- 15) विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान, गुवाहाटी
- 16) प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद (टाइफैक), नई दिल्ली
- 17) वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून
- 18) विज्ञान प्रसार , नोएडा
- 19) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत, इलाहाबाद
- 20) भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था, कोलकाता,
- 21) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली
- 22) भारतीय विज्ञान अकादमी, बेंगलोर
- 23) भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी , गुडगाँव
- 24) भारतीय तारा भौतिक संस्थान, बंगलौर
- 25) उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र (नेक्टर), शिलांग

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मांग संख्या 90

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2259.72	...	2259.72	3502.37	...	3502.37	2961.00	...	2961.00	2581.00	...	2581.00
वसूलियां	-0.62	...	-0.62
प्राप्तियां
निवल	2259.10	...	2259.10	3502.37	...	3502.37	2961.00	...	2961.00	2581.00	...	2581.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	26.40	...	26.40	35.18	...	35.18	34.82	...	34.82	35.18	...	35.18
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास	1287.42	...	1287.42	1660.28	...	1660.28	1494.00	...	1494.00	1315.00	...	1315.00
3. औद्योगिक और उद्यमिता विकास	340.90	...	340.90	960.00	...	960.00	710.00	...	710.00	365.00	...	365.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	1628.32	...	1628.32	2620.28	...	2620.28	2204.00	...	2204.00	1680.00	...	1680.00
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
4. स्वायत्तशासी संस्थानों को सहायता	577.00	...	577.00	806.91	...	806.91	697.38	...	697.38	830.82	...	830.82
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
5. जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद	28.00	...	28.00	40.00	...	40.00	24.80	...	24.80	35.00	...	35.00
अन्य												
6. वास्तविक वसूली	-0.62	...	-0.62
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	604.38	...	604.38	846.91	...	846.91	722.18	...	722.18	865.82	...	865.82
कुल जोड़	2259.10	...	2259.10	3502.37	...	3502.37	2961.00	...	2961.00	2581.00	...	2581.00
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	2232.70	...	2232.70	3205.17	...	3205.17	2705.78	...	2705.78	2377.82	...	2377.82
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	26.40	...	26.40	35.18	...	35.18	34.82	...	34.82	35.18	...	35.18
जोड़-आर्थिक सेवाएं	2259.10	...	2259.10	3240.35	...	3240.35	2740.60	...	2740.60	2413.00	...	2413.00

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मांग संख्या 91

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	4239.46	5.42	4244.88	5202.12	22.15	5224.27	5285.57	12.15	5297.72	5623.96	12.50	5636.46
<i>वसूलियां</i>	-46.06	...	-46.06
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	4193.40	5.42	4198.82	5202.12	22.15	5224.27	5285.57	12.15	5297.72	5623.96	12.50	5636.46
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	11.76	3.50	15.26	17.00	20.00	37.00	14.00	10.00	24.00	17.70	10.00	27.70
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास	12.55	...	12.55	19.35	1.65	21.00	19.35	1.65	21.00	27.00	2.00	29.00
3. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान स्कीमों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों को सहायता	7.58	1.80	9.38	14.00	...	14.00	11.00	...	11.00	10.00	...	10.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	20.13	1.80	21.93	33.35	1.65	35.00	30.35	1.65	32.00	37.00	2.00	39.00
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
4. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)												
4.01 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं	3802.00	...	3802.00	4669.27	...	4669.27	4758.72	...	4758.72	5102.70	...	5102.70
4.02 क्षमता निर्माण तथा मानव संसाधन विकास	400.00	...	400.00	475.00	...	475.00	475.00	...	475.00	460.06	...	460.06
जोड़- वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)	4202.00	...	4202.00	5144.27	...	5144.27	5233.72	...	5233.72	5562.76	...	5562.76
अन्य												
5. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एशियन तथा प्रशांत केंद्र (एपीसीटीटी) को योगदान	5.57	0.12	5.69	7.50	0.50	8.00	7.50	0.50	8.00	6.50	0.50	7.00
6. वास्तविक वसूलियां	-46.06	...	-46.06
जोड़-अन्य	-40.49	0.12	-40.37	7.50	0.50	8.00	7.50	0.50	8.00	6.50	0.50	7.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	4161.51	0.12	4161.63	5151.77	0.50	5152.27	5241.22	0.50	5241.72	5569.26	0.50	5569.76
कुल जोड़	4193.40	5.42	4198.82	5202.12	22.15	5224.27	5285.57	12.15	5297.72	5623.96	12.50	5636.46
ख. विकास शीर्ष												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
सामान्य सेवाएं												
1. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.50	3.50	...	20.00	20.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	...	3.50	3.50	...	20.00	20.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00
आर्थिक सेवाएं												
2. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	4181.64	...	4181.64	5185.12	...	5185.12	5271.57	...	5271.57	5606.26	...	5606.26
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	11.76	...	11.76	17.00	...	17.00	14.00	...	14.00	17.70	...	17.70
4. दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	1.80	1.80
5. अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	...	0.12	0.12	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50
6. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ऋण	1.65	1.65	...	1.65	1.65	...	2.00	2.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	4193.40	1.92	4195.32	5202.12	2.15	5204.27	5285.57	2.15	5287.72	5623.96	2.50	5626.46
कुल जोड़	4193.40	5.42	4198.82	5202.12	22.15	5224.27	5285.57	12.15	5297.72	5623.96	12.50	5636.46

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	1.80	...	1.80
जोड़	1.80	...	1.80

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान केन्द्र के स्थापना व्यय के अंतर्गत सचिवालय के व्यय के लिए है।

2. **औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास:** इसमें विभाग के कार्यक्रमों अर्थात् व्यष्टियों, स्टार्टअप और एमएसएमई में नवप्रवर्तनों को प्रोत्साहन (प्रिज्म), पेंटेंट अर्जन और सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास (पेस), औद्योगिक अनुसंधान और विकास एवं सामान्य अनुसंधान सुविधाओं का निर्माण (बर्ड) तथा प्रौद्योगिकी विकास और प्रसार के लिए ज्ञान तक पहुंच से संबंधित योजना (ए2के प्लस) के लिए प्रावधान सम्मिलित हैं।

3. **अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान स्कीमों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों को सहायता:** इसमें सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि0 (सीईएल) और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) के लिए राजस्व आवंटन के लिए प्रावधान सम्मिलित हैं।

4.01. **राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं:** इसमें सीएसआईआर स्कीम की राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, प्रशासन, सीएसआईआर 800 स्कीमें, एकीकृत, भागीदारीकृत तथा सहयोगात्मक अनुसंधान तथा विकास के लिए सीएसआईआर शुरूआत, बौद्धिक सम्पदा तथा प्रौद्योगिकी प्रबन्धन, नई सहस्राब्दी भारतीय अग्रणी पहल, राष्ट्रीय नागरिक वायुयान विकास, के मुक्त नवप्रवर्तन के लिए सीएसआईआर स्कीम प्रावधान सम्मिलित हैं।

4.02. **क्षमता निर्माण तथा मानव संसाधन विकास:** इसमें सीएसआईआर स्कीमों: अनुसंधान स्कीमों, छात्रवृत्तियां तथा अध्येतावृत्ति और वैज्ञानिक पूल के लिए प्रावधान सम्मिलित हैं।

5. **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एशियन तथा प्रशांत केंद्र (एपीसीटीटी) को योगदान:** इसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एशिया तथा प्रशांत केन्द्र (एपीसीटीटी) के लिए अंशदान सम्मिलित हैं।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

मांग संख्या 92

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2558.28	74.17	2632.45	2711.53	73.70	2785.23	2701.53	83.70	2785.23	2847.54	151.46	2999.00
वसूलियां	-7.04	...	-7.04
प्राप्तियां
निवल	2551.24	74.17	2625.41	2711.53	73.70	2785.23	2701.53	83.70	2785.23	2847.54	151.46	2999.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	185.57	74.15	259.72	206.70	73.53	280.23	248.23	83.53	331.76	234.47	151.29	385.76
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
2. वास्तविक वसूलियां	-6.94	...	-6.94
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
कार्य एवं कौशल विकास												
3. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना												
3.01 कौशल विकास	1668.15	...	1668.15	1600.00	...	1600.00	1600.00	...	1600.00	1643.00	...	1643.00
3.02 प्रशिक्षण को प्रोत्साहन	107.64	...	107.64	120.00	...	120.00	150.00	...	150.00
3.03 राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रोत्साहन योजना	170.00	...	170.00
3.04 उद्यमिता विकास	11.80	...	11.80	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
3.05 संस्थागत प्रशिक्षण की अवसंरचना को सुदृढ़ करना	110.95	0.02	110.97	96.00	...	96.00	150.00	...	150.00	110.00	...	110.00
3.06 कौशल संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	7.01	...	7.01	11.83	0.17	12.00	11.83	0.17	12.00	19.83	0.17	20.00
3.07 विनियामक संस्थानों को सहायता	11.00	...	11.00	16.00	...	16.00	18.00	...	18.00	20.24	...	20.24
3.08 आजीविका संवर्धन के लिए कौशल प्राप्ति तथा ज्ञान जागरूकता	151.95	...	151.95	271.00	...	271.00	193.47	...	193.47	300.00	...	300.00
3.09 औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण	304.11	...	304.11	340.00	...	340.00	280.00	...	280.00	300.00	...	300.00
जोड़- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	2372.61	0.02	2372.63	2504.83	0.17	2505.00	2453.30	0.17	2453.47	2613.07	0.17	2613.24

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल जोड़	2551.24	74.17	2625.41	2711.53	73.70	2785.23	2701.53	83.70	2785.23	2847.54	151.46	2999.00
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	74.15	74.15	...	73.53	73.53	...	73.53	73.53	...	146.29	146.29
जोड़-सामान्य सेवाएं	...	74.15	74.15	...	73.53	73.53	...	73.53	73.53	...	146.29	146.29
सामाजिक सेवाएं												
2. श्रम, रोजगार और कौशल विकास	1655.77	...	1655.77	1569.64	...	1569.64	1771.44	...	1771.44	1717.31	...	1717.31
3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	185.57	...	185.57	206.70	...	206.70	248.23	...	248.23	234.47	...	234.47
4. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	0.02	0.02	...	0.17	0.17	...	0.17	0.17	...	0.17	0.17
जोड़-सामाजिक सेवाएं	1841.34	0.02	1841.36	1776.34	0.17	1776.51	2019.67	0.17	2019.84	1951.78	0.17	1951.95
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	248.70	...	248.70	247.59	...	247.59	286.32	...	286.32
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	686.10	...	686.10	666.89	...	666.89	342.91	...	342.91	581.99	...	581.99
7. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	23.80	...	23.80	19.60	...	19.60	91.36	...	91.36	27.45	...	27.45
8. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	10.00	10.00	...	5.00	5.00
जोड़-अन्य	709.90	...	709.90	935.19	...	935.19	681.86	10.00	691.86	895.76	5.00	900.76
कुल जोड़	2551.24	74.17	2625.41	2711.53	73.70	2785.23	2701.53	83.70	2785.23	2847.54	151.46	2999.00

1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएं:** सचिवालय:- यह मंत्रालय के सचिवालय, एमएसडीई के प्रधान लेखा कार्यालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय, जन शिक्षण संस्थान और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) के लिए व्यय प्रदान करता है।

3.01. **कौशल विकास:** कौशल का विकास:- कौशल विकास में प्रमुख रूप से प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) और जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) की योजना शामिल है। पीएमकेवीवाई के तहत देश भर के युवाओं को रोजगार के योग्य बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दो चरणों यानी चरण 1 (2015-16) और चरण II (2016-20) को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। वर्तमान में, 15 जनवरी 2021 को शुरू किए गए पीएमकेवीवाई यानी पीएमकेवीवाई 3.0 के उन्नत तीसरे चरण को 948.90 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लागू किया जा रहा है। पीएमकेवीवाई 3.0 मांग आधारित है और जिला कौशल समितियों (डीएससी) से प्राप्त मांग के आधार पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा, मंत्रालय छह स्वास्थ्य संबंधी नौकरी भूमिकाओं में लगभग एक लाख कोविड योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से पीएमकेवीवाई के तहत विशेष कार्यक्रम, 'कोविड योद्धाओं के लिए अनुकूलित कैंथ कोर्स कार्यक्रम' भी लागू कर रहा है। मंत्रालय गैर-साक्षर, नव-साक्षर व्यक्तियों के लिए गैर-औपचारिक तरीके से व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से जन शिक्षण संस्थान की योजना को लागू कर रहा है, जिसमें 8वीं तक की शिक्षा और 15-45 वर्ष के आयु वर्ग में 12वीं कक्षा तक स्कूल छोड़ने वाले व्यक्ति शामिल हैं। प्राथमिकता समूह महिलाएं, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और समाज के अन्य पिछड़े वर्ग हैं।

3.02. **प्रशिक्षुता को प्रोत्साहन:** प्रशिक्षुता का संवर्धन:- इस योजना का उद्देश्य प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत किए गए प्रावधानों के अनुपालन में, उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करके उद्योग में प्रशिक्षुओं को नौकरी हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना है।

3.03. वर्ष 2022-23 से 'प्रशिक्षुता का संवर्धन' योजना को युक्तिसंगत बनाया गया है और इसका नाम बदलकर 'राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना' कर दिया गया है।

3.04. **उद्यमिता विकास:** उद्यमशीलता का विकास:- इस योजना का उद्देश्य उद्यमशीलता शिक्षा और प्रशिक्षण, सलाह और उद्यमशीलता ईकोसिस्टमके विभिन्न घटकों के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए अनुकूल पारिधिनी तंत्र, सृजन करना है के लिए आसान पहुंच बनाना है, जिसमें संरक्षक नेटवर्क, क्रेडिट, इनक्यूबेटर और एक्सीलेटर, सूचना मंच और अनुसंधान शामिल हैं।

3.05. **संस्थागत प्रशिक्षण की अवसंरचना को सुदृढ़ करना:** संस्थागत प्रशिक्षण (एसआईआईटी) के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाना:- संस्थागत प्रशिक्षण (एसआईआईटी) के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाना योजना एक समग्र योजना है जिसमें (i) पूर्वोत्तर राज्यों में कौशल विकास के मौजूदा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में कौशल विकास को बढ़ावा देना, (ii) 10 राज्यों के वामपंथ उग्रवाद प्रभावित (एलडब्ल्यूई) जिलों में कौशल विकास के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वामपंथ उग्रवाद प्रभावित 47 जिलों के लिए कौशल विकास, (iii) आईटीआईका मॉडलआईटीआईमें उन्नयन करने के लिए मौजूदा आई.टी.आई का मॉडलआई.टी.आई.में उन्नयन करना और (iv) पॉलिटेक्निक की स्कीम शामिल है।

3.06. **कौशल संस्थानों का सुदृढीकरण:** कौशल संस्थानों का सुदृढीकरण: - बजट प्रावधानों में (i) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत पाठ्यक्रमों के लिए निर्देशात्मक मीडिया पैकेज (आईएमपी) के विकास के लिए राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान (निमि), (ii) स्टाफ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करने और व्यावसायिक प्रशिक्षण में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार करने, अनुसंधान करने के लिए केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएसटीएआरआई) को अनुदान और 3 भारतीय कौशल संस्थानों (आईआईएस) की स्थापना के लिए व्यय करने का प्रावधान शामिल है।

3.07. **विनियामक संस्थानों को सहायता:** विनियामक संस्थाओं को सहायता:- राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) मंत्रालय के तहत एकमात्र विनियामक संस्थान है। एनसीवीईटीके मुख्य कार्य मान्यता प्राप्त निकायों, आकलन निकायों, अवार्डिंग निकायों और क्षेत्र कौशल परिषदों द्वारा विकसित अर्हताओं को अनुमोदित करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का अप्रत्यक्ष विनियमन करना है।

3.08. **आजीविका संवर्धन के लिए कौशल प्राप्ति तथा ज्ञान जागरूकता:** आजीविकासंवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता: - विश्व बैंक सहायता प्राप्त इस परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर संस्थागत तंत्र को मजबूत करना, गुणवत्ता वाले प्रशिक्षकों और आकलनकर्ताओं का एक समूह बनाना, राज्य स्तर में सभी कौशल गतिविधियों के बीच अभिसरण बनाना कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मजबूत निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली की स्थापना करना है।

3.09. **औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण:** औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण: - विश्व बैंक सहायता प्राप्त इस परियोजना का उद्देश्य लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) की भागीदारी की चुनौती का सामना करने के लिए उद्योग समूहों/भौगोलिक क्षेत्र के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करना है। इस परियोजना का उद्देश्य आईटीआई की वितरण गुणवत्ता को एकीकृत करना और उसे बढ़ाना भी है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

मांग संख्या 93

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	8136.84	100.00	8236.84	10197.62	370.00	10567.62	10234.48	95.00	10329.48	11687.51	235.00	11922.51
<i>वसूलियां</i>	-171.81	...	-171.81	-50.00	...	-50.00	-149.48	...	-149.48
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	7965.03	100.00	8065.03	10147.62	370.00	10517.62	10085.00	95.00	10180.00	11687.51	235.00	11922.51
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	51.36	...	51.36	67.00	...	67.00	67.00	...	67.00	66.00	...	66.00
राष्ट्रीय आयोग												
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	15.83	...	15.83	27.00	...	27.00	27.00	...	27.00	30.00	...	30.00
3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग	9.39	...	9.39	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	15.00	...	15.00
4. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग	4.31	...	4.31	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	11.00	...	11.00
जोड़-राष्ट्रीय आयोग	29.53	...	29.53	49.00	...	49.00	49.00	...	49.00	56.00	...	56.00
5. विमुक्त, घुमंतू तथा अर्धघुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड	0.15	...	0.15	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	81.04	...	81.04	121.00	...	121.00	121.00	...	121.00	127.00	...	127.00
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों/परियोजनाएं												
6. अनुसूचित जातियों के लिए उच्चतर शिक्षा यूवा एचीवर स्कीम छात्रवृत्ति												
6.01 एससी के लिए राष्ट्रीय अध्येता वृत्ति	300.00	...	300.00	125.00	...	125.00	173.00	...	173.00
6.02 एससी और ओबीसी के लिए निःशुल्क कोचिंग	50.00	...	50.00	30.00	...	30.00	47.00	...	47.00
6.03 एससी के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	108.00	...	108.00
6.04 एससी के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति	30.00	...	30.00	35.00	...	35.00	36.00	...	36.00
<i>जोड़- अनुसूचित जातियों के लिए उच्चतर शिक्षा यूवा एचीवर स्कीम छात्रवृत्ति</i>	<i>450.00</i>	...	<i>450.00</i>	<i>260.00</i>	...	<i>260.00</i>	<i>364.00</i>	...	<i>364.00</i>
7. अनुसूचित जाति के लिए लक्षित क्षेत्र में उच्च विद्यालय में छात्र हेतु आवासीय शिक्षा योजना	200.00	...	200.00	63.21	...	63.21	89.00	...	89.00
8. वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना	20.00	...	20.00	150.00	...	150.00	20.00	...	20.00	80.00	...	80.00
9. प्रधानमंत्री दक्षता और कुशल सम्पन्न हितग्राही योजना	100.00	...	100.00	79.48	...	79.48	84.00	...	84.00
10. अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए वेंचर पूंजी निधि	120.00	120.00	...	90.00	90.00	...	110.00	110.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
11. अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उच्चतर शिक्षा युवा एचीवर स्कीम छात्रवृत्ति												
11.01 ओबीसी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	100.00	...	100.00	60.00	...	60.00	53.00	...	53.00
11.02 ओबीसी और ईबीसी के लिए विदेशों में अध्ययन पर ब्याज सस्मिडी	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	27.00	...	27.00
जोड़- अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उच्चतर शिक्षा युवा एचीवर स्कीम छात्रवृत्ति	130.00	...	130.00	90.00	...	90.00	80.00	...	80.00
12. डीएनटी/एनटी/एसएनटी (सीड) की आर्थिक सशक्तिकरण स्कीम	50.00	...	50.00	40.40	...	40.40	28.00	...	28.00
13. वंचित व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम सहायता												
13.01 भीख मांगने वाले व्यक्ति को व्यापक पुनर्वास	50.00	...	50.00	10.00	...	10.00	15.00	...	15.00
13.02 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास	20.00	...	20.00	25.00	...	25.00	30.00	...	30.00
जोड़- वंचित व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम सहायता	70.00	...	70.00	35.00	...	35.00	45.00	...	45.00
14. मैला ढोने वालों व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना	16.60	...	16.60	100.00	...	100.00	43.31	...	43.31	70.00	...	70.00
15. सूचना निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा	2.78	...	2.78	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	19.50	...	19.50
केंद्रीय छात्रवृत्तियां												
16. अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	119.00	...	119.00
17. अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	33.00	...	33.00
18. अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग	11.96	...	11.96
19. अनुसूचित जातियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा	52.87	...	52.87
20. अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति	33.09	...	33.09
21. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति	32.61	...	32.61
जोड़-केंद्रीय छात्रवृत्तियां	282.53	...	282.53
22. राष्ट्रीय वयोश्री योजना												
22.01	26.50	...	26.50
23. अनुसूचित जाति के लिए कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	55.81	...	55.81
24. अनुसूचित जाति के लिए ऋण गारंटी कोष
25. सामाजिक सुरक्षा सेवा प्रदान करने वाले स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता	3.00	...	3.00
26. ओबीसी के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक समूहों को सहायता	47.29	...	47.29
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम/परियोजनाएं	454.51	...	454.51	1275.00	120.00	1395.00	656.40	90.00	746.40	859.50	110.00	969.50
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
27. बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर संघ	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	11.00	...	11.00	10.00	...	10.00
28. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान	28.88	...	28.88	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	29.88	...	29.88	21.00	...	21.00	31.00	...	31.00	30.00	...	30.00
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
29. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम	100.00	100.00	50.00	50.00
30. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम	...	40.00	40.00	...	50.00	50.00	...	5.00	5.00	...	25.00	25.00
31. राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग वित्त और विकास निगम	...	30.00	30.00	...	100.00	100.00	50.00	50.00
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	...	70.00	70.00	...	250.00	250.00	...	5.00	5.00	...	125.00	125.00
अन्य												
32. डॉ. बी.आर. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	30.00	...	30.00
33. अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिए उपक्रम पूंजी कोष	...	30.00	30.00
जोड़-अन्य	25.00	30.00	55.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	30.00	...	30.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	54.88	100.00	154.88	46.00	250.00	296.00	56.00	5.00	61.00	60.00	125.00	185.00
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
अनुसूचित जाति के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना												
34. अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिक परीक्षा के उपरांत छात्रवृत्ति	3415.62	...	3415.62	4196.59	...	4196.59
35. अनुसूचित जाति और अन्य के लिए मैट्रिक परीक्षा से पूर्व छात्रवृत्ति	725.00	...	725.00	725.00	...	725.00
36. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना	1800.00	...	1800.00	1800.00	...	1800.00	1950.00	...	1950.00
37. नागरिक अधिकार अधिनियम, 1995 का संरक्षण और एट्रोसिटी अधिनियम, 1989 के संरक्षण को प्रवर्तन के लिए तंत्र को सुदृढीकरण	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00
38. राश्ट्रियक अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता	25.00	...	25.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
39. शैक्षिक सशक्तिकरण												
39.01 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	4010.16	...	4010.16
39.02 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	569.51	...	569.51
39.03 बालक और बालिका छात्रावास	56.40	...	56.40
39.04 अस्वच्छ व्यवसायों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर कार्यों में संलग्न व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	26.81	...	26.81
39.05	5660.00	...	5660.00
39.06	500.00	...	500.00
जोड़- शैक्षिक सशक्तिकरण	4662.88	...	4662.88	6160.00	...	6160.00
40. विशेष केन्द्रीय सहायता												
40.01 अनुसूचित जाति उप-स्कीमों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	387.00	...	387.00
41. नागरिक अधिकार												
41.01 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन हेतु तंत्र को मजबूत बनाना	593.39	...	593.39
42. आजीविका												

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
42.01 राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम	15.86	...	15.86
43. अवसंरचना विकास												
43.01 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	216.52	...	216.52
जोड़-अनुसूचित जाति के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना	5875.65	...	5875.65	6565.62	...	6565.62	7321.60	...	7321.60	8710.01	...	8710.01
अन्य वंचित समूहों के विकास हेतु अम्ब्रेला कार्यक्रम												
44. अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और डीएनटी के लिए पीएम यंग एचीवर्स स्कालरशिप एवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेन्ट इंडिया (पीएम यशस्वी)												
44.01 अन्य पिछड़े वर्ग, ईवीसी और डीएनटी के लिए मैट्रिक के उपरांत छात्रवृत्ति	1300.00	...	1300.00	1300.00	...	1300.00	1083.00	...	1083.00
44.02 ओबीसी, ईवीसी और डीएनटी के लिए मैट्रिक से पूर्व छात्रवृत्ति	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00	478.00	...	478.00
44.03 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बालक एवं बालिका छात्रावास	20.00	...	20.00
जोड़- अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और डीएनटी के लिए पीएम यंग एचीवर्स स्कालरशिप एवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेन्ट इंडिया (पीएम यशस्वी)				1550.00	...	1550.00	1550.00	...	1550.00	1581.00	...	1581.00
45. अन्य पिछड़े वर्ग के बाल और बालिकाओं के लिए छात्रावास	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
46. अटल बयो अभ्युदय योजना												
46.01 सकल बजटीय सहायता से बजट सहायता	300.00	...	300.00	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00
46.02 वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि से सहायता	50.00	...	50.00	149.48	...	149.48
46.03 वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि से राशि को पूरा करना	-50.00	...	-50.00	-149.48	...	-149.48
	<i>निवल</i>	<i>300.00</i>	...	<i>300.00</i>	<i>150.00</i>	...	<i>150.00</i>	<i>150.00</i>	...	<i>150.00</i>
47. औषध मांग को कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना	260.00	...	260.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00
48. पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएं												
48.01 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1159.58	...	1159.58
48.02 मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	165.85	...	165.85
48.03 बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास	31.59	...	31.59
48.04 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए योजना	25.00	...	25.00
48.05 विमुक्त और घुमन्तू जनजातियों के विकास के लिए योजना	9.00	...	9.00
जोड़- पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएं	1391.02	...	1391.02
49. अन्य वंचित समूहों के लिए योजनाएं												
49.01 वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना	130.31	...	130.31
49.02 ड्रग की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना	149.43	...	149.43
जोड़- अन्य वंचित समूहों के लिए योजनाएं	279.74	...	279.74
जोड़-अन्य वंचित समूहों के विकास हेतु अम्ब्रेला कार्यक्रम	1670.76	...	1670.76	2140.00	...	2140.00	1930.00	...	1930.00	1931.00	...	1931.00
50. वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (एससीडब्ल्यूएफ) राशि	-162.38	...	-162.38
51. वास्तविक वसूलियां	-9.43	...	-9.43
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	7374.60	...	7374.60	8705.62	...	8705.62	9251.60	...	9251.60	10641.01	...	10641.01
कुल जोड़	7965.03	100.00	8065.03	10147.62	370.00	10517.62	10085.00	95.00	10180.00	11687.51	235.00	11922.51

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. मंत्रिपरिषद	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04
जोड़-सामान्य सेवाएं	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04
सामाजिक सेवाएं												
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	511.11	...	511.11	1346.30	...	1346.30	790.74	...	790.74	1091.42	...	1091.42
3. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	167.17	...	167.17	556.50	...	556.50	344.50	...	344.50	357.75	...	357.75
4. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	49.43	...	49.43	66.96	...	66.96	66.96	...	66.96	65.96	...	65.96
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय	...	100.00	100.00	...	366.00	366.00	...	91.60	91.60	...	229.60	229.60
जोड़-सामाजिक सेवाएं	727.71	100.00	827.71	1969.76	366.00	2335.76	1202.20	91.60	1293.80	1515.13	229.60	1744.73
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	400.02	...	400.02	372.40	...	372.40	404.23	...	404.23
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	7225.62	...	7225.62	7730.70	...	7730.70	8463.26	...	8463.26	9719.61	...	9719.61
8. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	11.66	...	11.66	47.10	...	47.10	47.10	...	47.10	48.50	...	48.50
9. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4.00	4.00	...	3.40	3.40	...	5.40	5.40
जोड़-अन्य	7237.28	...	7237.28	8177.82	4.00	8181.82	8882.76	3.40	8886.16	10172.34	5.40	10177.74
कुल जोड़	7965.03	100.00	8065.03	10147.62	370.00	10517.62	10085.00	95.00	10180.00	11687.51	235.00	11922.51

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त पोषण और विकास निगम	100.00	...	100.00	50.00	...	50.00
2. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त पोषण और विकास निगम	40.00	...	40.00	50.00	...	50.00	5.00	...	5.00	25.00	...	25.00
3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त पोषण और विकास निगम	30.00	...	30.00	100.00	...	100.00	50.00	...	50.00
जोड़	70.00	...	70.00	250.00	...	250.00	5.00	...	5.00	125.00	...	125.00

1. सचिवालय: सचिवालय व्यय का प्रावधान है।

2. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना व्यय हेतु किया गया है।
3. **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हेतु किया गया है।
4. **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग हेतु किया गया है।
5. **विमुक्त, घुमंतू तथा अर्धघुमंतू संदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड:** यह आवंटन विमुक्त, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू समुदायों हेतु विकास और कल्याण बोर्ड के लिए है।
6. **अनुसूचित जातियों के लिए उच्चतर शिक्षा युवा एचीवर स्कीम छात्रवृत्ति:** यह चार उप-योजनाओं वाली एक छत्रक योजना है, अर्थात्
 - 6.01. **एससी के लिए राष्ट्रीय अध्येता वृत्ति:** यह योजना अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में फेलोशिप प्रदान करती है जो भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेज में विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में एम.फिल और/या पीएचडी करने के लिए उच्चतर अध्ययन करना चाहते हैं। इस योजना की क्रियान्वयन एंजेंसी यूजीसी है।
 - 6.02. **एससी और ओबीसी के लिए निःशुल्क कोचिंग:** यह योजना आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करती है ताकि वे (iii) उन्हें उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने और सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में उचित नौकरी हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकें।
 - 6.03. **एससी के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा:** यह योजना उत्कृष्टता के शॉर्टलिस्ट किए गए शीर्ष श्रेणी के शिक्षा संस्थानों में प्रवेश हासिल करने वाले मेधावी छात्रों को ट्यूशन फीस, रहने का खर्च, किताबों और एक कंप्यूटर के लिए बड़ी मात्रा में छात्रवृत्ति प्रदान करके अनुसूचित जाति के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करती है।
 - 6.04. **एससी के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति:** यह योजना अनुसूचित जातियों, गैर-अधिभूत घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारंपरिक कारीगरों की श्रेणी के कम आय वाले छात्रों को उच्च शिक्षा जैसे मास्टर डिग्री या पीएच.डी. विदेश में अध्ययन करके पाठ्यक्रम करने की सुविधा प्रदान करती है। जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होता है।
7. **अनुसूचित जाति के लिए लक्षित क्षेत्र में उच्च विद्यालय में छात्र हेतु आवासीय शिक्षा योजना:** इस योजना का उद्देश्य हाई स्कूल (9वीं/10वीं/11वीं/12वीं कक्षाओं में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए जिले में या उसके आस-पास उपलब्ध उच्च श्रेणी के आवासीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना है। यह उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करके मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों को बेहतर भविष्य के लिए सक्षम बनाने, अनुसूचित जाति के छात्रों की छोड़ने की दर को नियंत्रित करने में सहायता करेगी। एनजीओ स्कूलों के अलावा वर्तमान में अनुदान सहायता दी जा रही है, बशर्ते कि वे अच्छी तरह से काम कर रहे हों और उनके पास अच्छी बुनियादी सुविधाएं हों।
8. **वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना:** इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य समान वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के पात्र गरीब सदस्यों और विभाग के दोनों निगमों (एनबीसीएफडीसी और एनएसएफडीसी) के व्यक्तिगत ऋण लेने वालों को कम ब्याज दर का लाभ प्रदान करना है।
9. **प्रधानमंत्री दक्षता और कुशल सम्पन्न हितग्राही योजना:** इस कार्यक्रम का फोकस अच्छी गुणवत्ता वाले संस्थानों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले कौशल प्रदान करने पर होगा ताकि प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप नौकरी या स्वरोजगार उद्यम मिल सकें। इसके अलावा, बाजार में बेहतर तकनीकों के आने से हाथिये पर रहने वाले ग्रामीण कारीगरों को नई प्रक्रियाओं को अपनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
10. **अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए वेंचर पूंजी निधि:** यह योजना एससी और ओबीसी उद्यमियों को नए भारत के व्यापार और उद्योग क्षेत्र में प्रवेश करने और देश के संसाधन निर्माण में सहायता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक क्षेत्र की पहल है।
11. **अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उच्चतर शिक्षा युवा एचीवर स्कीम छात्रवृत्ति:** इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर उच्च शिक्षा और ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने में फेलोशिप (वित्तीय सहायता) प्रदान करके ओबीसी और ईबीसी छात्रों का शैक्षिक सशक्तिकरण है।
 - 11.01. **ओबीसी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति:** इस स्कीम का उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/महाविद्यालयों में विज्ञान, मानविकीय, सामाजिक शिक्षा और इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी में एम.फिल और पीएचडी करने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति मुहैया करना है।
 - 11.02. **ओबीसी और ईबीसी के लिए विदेशों में अध्ययन पर ब्याज सब्सिडी:** इस स्कीम का उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के मेधावी छात्रों को ब्याज सब्सिडी देना है ताकि उन्हें विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने और रोजगार का अवसर बढ़ाने के लिए बेहतर अवसर मिल सकें। अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों को विदेश अध्ययन के लिए स्वीकृत शिक्षा ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज पर सब्सिडी के रूप में केन्द्र सरकार से केन्द्रीय सहायता प्राप्त करके लाभान्वित हुए हैं।
12. **डीएनटी/एनटी/एसएनटी (सीड) की आर्थिक सशक्तिकरण स्कीम:** इस योजना का उद्देश्य इस प्रकार हैं i. डीएनटी उम्मीदवारों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना; ii. डीएनटी समुदायों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना iii. डीएनटी/एनटी/एसएनटी समुदाय संस्थाओं के छोटे समूहों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए सामुदायिक स्तर पर आजीविका पहल को सुगम बनाना; iv. डीएनटी समुदायों के सदस्यों को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
13. **वंचित व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम सहायता:** स्माइल एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और उन व्यक्तियों के कल्याण के लिए कई व्यापक उपाय शामिल हैं जो पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक संबंधों आदि पर व्यापक ध्यान देने के साथ भीख मांगने के कार्य में लगे हुए हैं। स्माइल में निम्नलिखित दो उप-योजनाएँ हैं:
 - 13.01. **भीख मांगने वाले व्यक्ति का व्यापक पुनर्वास:** देश को भीखावृत्ति मुक्त भारत बनाने के लिए राज्य सरकार, स्थानीय निकायों स्वयंसहायता समूह क्षेत्र में कार्य करने वाले, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक जैसी विभिन्न हितधारकों के समन्वय कार्य के माध्यम से भीखावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों का व्यापक पुनर्स्थापन के लिए रणनीति बनाना ।
 - 13.02. **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास:** शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए कल्याण स्कीम और कार्यक्रम तैयार करने के लिए प्रावधान किया गया है।
14. **मैला ढोने वालों व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना:** मंत्रालय राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) के माध्यम से मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास (एसआरएमएस) के लिए एक स्वरोजगार योजना लागू कर रहा है ताकि पहचान किए गए मैनुअल स्कैवेंजर्स को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जा सकें: (i) पहचान किए गए मैनुअल स्कैवेंजर्स को 40,000/- रुपये की एकमुश्त नकद

सहायता। (ii) परियोजना लागत के लिए ब्याज की रियायती दरों पर 15.00 लाख रुपये तक का ऋण। (iii) 5,00,000/- रुपये तक क्रेडिट लिंकड बैंक-एंड कैपिटल सन्डिडी (iv) 3000/- रुपये प्रति माह के वजीफा के साथ दो साल तक का कौशल विकास प्रशिक्षण।

15. **सूचना निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा:** सूचना और जन शिक्षा प्रकोष्ठ नाम की योजना का नाम बदलकर सूचना-निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा (आई-एमईएसए) कर दिया गया है: - इस योजना में निम्नलिखित घटक हैं: i) सूचना प्रसार। ii) परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) द्वारा फील्ड स्तरीय विवादों की निगरानी। iii) एक आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से योजनाओं की प्रगति की निगरानी करना जिसका एक प्रौद्योगिकी सेवा समूह (टीएसजी) द्वारा डिजाइन और रखरखाव किया जाएगा। iv) केंद्रीय स्मार्ट निगरानी इकाई (सीएसएसयू) की स्थापना v) विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा 5 वर्षों में एक बार योजनाओं का मूल्यांकन और अध्ययन। vi) हितधारकों पर विशेष ध्यान देने के साथ समुदाय के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की गहराई से जांच करके योजनाओं के परिणामों की सामाजिक लेखा-परीक्षा करना।

27. **बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर संघ:** डॉ अंबेडकर फाउंडेशन (डीएएफ) की स्थापना 24 मार्च, 1992 को भारत के तत्कालीन माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित डॉ बी. आर. अम्बेडकर की शताब्दी समारोह समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की गई थी। डॉ अंबेडकर फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ भारत के साथ-साथ विदेशों में भी जनता के बीच डॉ अंबेडकर की विचारधारा और संदेश को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों और गतिविधियों का कार्यान्वयन शामिल है। फाउंडेशन को डॉ बी आर अंबेडकर के शताब्दी समारोह के दौरान पहचानी गई महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रबंधन, प्रशासन और संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

28. **राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान:** राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन, सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप के लिए नोडल प्रशिक्षण संस्थान है। संस्थान मुख्य रूप से राज्य स्तरीय समन्वय एजेंसियों (पहले क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र (आरआरटीसी) के रूप में जाना जाता है), स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, एनएसएस, एनवाईके, एसआईआरडी, पीआरआई, पुलिस अकादमियां और अन्य संस्थान/संगठन। के सहयोग से वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम और अन्य सामाजिक रक्षा मुद्दों से संबंधित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने में लागू हुआ।

29. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, वित्तीय और विकास निगम को पूंजी देने के लिए किया गया है।

30. **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय सफाई कर्मचारियों वित्त एवं विकास निगम को पूंजी देने के लिए किया गया है।

31. **राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग वित्त और विकास निगम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को पूंजी देने के लिए किया गया है।

32. **डॉ. बी.आर. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र:** डीएआईसी के उद्देश्य इस प्रकार हैं: i) सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर उच्च गुणवत्ता वाले शोध करना। ii) एक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करना और ज्ञान का प्रसार करना। iii) नीति समीक्षा, अनुसंधान और हिमायत करना। iv) सामाजिक क्षेत्र में सरकार, कॉरपोरेट क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों के लिए थिंक टैंक। V) अनुसंधान में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। vi) विद्वानों और सरकार के लिए प्रशिक्षण और अभिविन्यास केंद्र। vii) डॉ अम्बेडकर के दृष्टिकोण, विचारधाराओं, सिद्धांतों और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और समावेशी विकास की नीतियों पर शोध करना। viii) सतत विकास और आजीविका के क्षेत्र में अनुसंधान करना। ix) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य ज्ञान केंद्रों के साथ सहयोग और नेटवर्किंग।

36. **प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना:** पीएमएजेवाई की योजना, अनुसूचित जाति उप योजना (एससीए एससीएसपी), प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) और बाबू जगजीवन राम छत्रवास योजना (बीजेआरसीवाई) के लिए मंत्रालय की विशेष केंद्रीय सहायता की 3 मौजूदा योजनाओं का विलय करती है, जिसका उद्देश्य कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करके अनुसूचित जाति समुदायों और अनुसूचित जाति बहुल गांवों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे और आवश्यक सेवाओं को सुनिश्चित करके सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार करके गरीबी को कम करना है।

37. **नागरिक अधिकार अधिनियम, 1995 का संरक्षण और एट्रोसिटी अधिनियम, 1989 के संरक्षण को प्रवर्तन के लिए तंत्र का सुदृढीकरण:** पीसीआर अधिनियम, 1995 और एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के निम्नलिखित प्रमुख घटक हैं: i) अंतर्जातीय विवाह जहां पति या पत्नी में से एक अनुसूचित जाति का सदस्य है ii) अत्याचार पीड़ितों/उनके आश्रितों के राहत और पुनर्वास, iii) अत्याचार के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना, iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सुरक्षा कक्षाओं और विशेष पुलिस स्टेशनों को मजबूत करना v) जागरूकता पैदा करना और प्रचार करना।

38. **राष्ट्रिय अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता:** इस योजना के उद्देश्य पात्र अनुसूचित जाति परिवारों की पहचान करना और उन्हें आर्थिक विकास योजनाओं को शुरू करने के लिए प्रेरित करना, उन योजनाओं को वित्तीय संस्थानों को ऋण सहायता के लिए प्रायोजित करना, कम ब्याज दर पर मार्जिन मनी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना और चुकौती देयता; और अन्य गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के साथ आवश्यक लिंक/संबंध प्रदान करके उन्हें कम करने के लिए सन्डिडी प्रदान करना है।

39.05. **अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति :** इस योजना का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के सकल नामांकन अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि लाना है और साथ ही उन पर विशेष ध्यान देना है जो गरीब से गरीब परिवार से आते हैं। ऐसा मैट्रिकुलेशन के पश्चात् वित्तीय सहायता प्रदान करके किया जा सकता है जिससे कि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।

39.06. **अनुसूचित जाति और अन्य लोगों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति-इसमें दो उप योजनायें आती हैं यथा-(क) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना और (ख) उन विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना जो घातक पेशे वाले परिवारों से आते हैं। यह योजना केवल 9 और 10 कक्षा के लिए लागू होगी जिससे सामान्य और उच्चतर शिक्षा के बीच पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या कम से कम हो।**

44. **अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और डीएनटी के लिए विबरांत भारत प्रधानमंत्री एचीवर छात्रवृत्ति पुरस्कार स्कीम:** ओबीसी, ईबीसी और डीबीटी के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए चार केंद्रीय प्रायोजित स्कीम नामतः ओबीसी के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, ओबीसी के लिए मैट्रिक के उपरांत छात्रवृत्ति, ईबीसी के लिए डॉ. अम्बेडकर मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति और डीएनटी के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति को दो उप स्कीम सहित ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रेन्ट भारत (पीएम यशस्वी) हेतु पीएम युवा एचीवर छात्रवृत्ति पुरस्कार स्कीम के नाम से एकल स्कीम में विलय कर दिया गया है।

44.01. **अन्य पिछड़े वर्ग, ईबीसी और डीएनटी के लिए मैट्रिक के उपरांत छात्रवृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों को मैट्रिक / माध्यमिक स्तर के बाद की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाना है।

44.02. **ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए मैट्रिक से पूर्व छात्रवृत्ति:** इस योजना का मुख्य उद्देश्य कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए छात्रवृत्ति के माध्यम से ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

44.03. **इस योजना का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए छात्रावास की सुविधा प्रदान करना है।**

46. **अटल बयो अभ्युदय योजना:** इस योजना के दो घटक हैं: (i) वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएससी) वरिष्ठ नागरिक गृहों, क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्रों, मनोभ्रंश / अल्जाइमर रोग से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए निरंतर देखभाल गृहों की सहायता करना। ii) वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी) में पांच साल के लिए दीर्घकालिक रणनीति शामिल है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी राज्य कार्य योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए निधियां जारी करेगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाने के लिए अपने स्वयं के धन का निवेश करें।

47. **औषध मांग को कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना:** एनएपीडीडीआर केंद्रीय क्षेत्र के घटकों के साथ एक एकमात्र केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया है: i) निवारक शिक्षा, जागरूकता सृजन, पहचान, परामर्श, उपचार और नशीली दवाओं पर निर्भर व्यक्तियों के पुनर्वास, प्रशिक्षण और पर ध्यान केंद्रित करके देश में दवा की मांग में कमी। केंद्र और राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण। ii) व्यक्ति, परिवार, कार्यस्थल और समाज पर बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना और लोगों को शिक्षित करना और समाज में उन्हें वापस एकीकृत करने के लिए ड्रग्स पर निर्भर समूहों और व्यक्तियों के कलंक और भेदभाव को कम करना।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

मांग संख्या 94

दिव्यांजन सशक्तीकरण विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	861.63	...	861.63	1171.76	0.01	1171.77	1044.31	...	1044.31	1212.41	0.01	1212.42
वसूलियां	-9.11	...	-9.11
प्राप्तियां
निवल	852.52	...	852.52	1171.76	0.01	1171.77	1044.31	...	1044.31	1212.41	0.01	1212.42
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	23.46	...	23.46	34.06	...	34.06	34.00	...	34.00	40.50	...	40.50
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
दिव्यांगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम												
2. दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र/सहायक सामग्री की फिटिंग एवं उपकरण की खरीददारी के लिए सहायता	189.13	...	189.13	220.00	...	220.00	180.00	...	180.00	235.00	...	235.00
3. दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना	83.18	...	83.18	125.00	...	125.00	105.00	...	105.00	125.00	...	125.00
4. राष्ट्रीय न्यास की सहायता	29.80	...	29.80	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	35.00	...	35.00
5. भारतीय स्पाइनल इंजुरी सेंटर	3.99	...	3.99
6. दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना	103.43	...	103.43	209.77	...	209.77	147.31	...	147.31	240.39	...	240.39
जोड़-दिव्यांगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	409.53	...	409.53	584.77	...	584.77	462.31	...	462.31	635.39	...	635.39
7. दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	97.40	...	97.40	125.00	...	125.00	110.00	...	110.00	105.00	...	105.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	506.93	...	506.93	709.77	...	709.77	572.31	...	572.31	740.39	...	740.39
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
8. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, पुनर्वास विज्ञान एवं दिव्यांगता अध्ययन	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
9. भारतीय पुनर्वास परिषद	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50	6.40	...	6.40
10. दिव्यांगता खेल-कूद केन्द्र	18.93	...	18.93	53.41	...	53.41	40.00	...	40.00	60.00	...	60.00
11. राष्ट्रीय विस्तृत और सार्वभौमिक डिजाइन संस्थान	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
12. राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता	256.81	...	256.81	319.00	...	319.00	332.50	...	332.50	365.00	...	365.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	281.24	...	281.24	377.93	...	377.93	378.00	...	378.00	431.42	...	431.42

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
13. राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम	0.01	0.01	0.01	0.01
14. भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	60.00	...	60.00	0.10	...	0.10
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	50.00	...	50.00	50.00	0.01	50.01	60.00	...	60.00	0.10	0.01	0.11
अन्य												
15. वास्तविक वसूलियां	-9.11	...	-9.11
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	322.13	...	322.13	427.93	0.01	427.94	438.00	...	438.00	431.52	0.01	431.53
कुल जोड़	852.52	...	852.52	1171.76	0.01	1171.77	1044.31	...	1044.31	1212.41	0.01	1212.42
ब. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	769.49	...	769.49	988.59	...	988.59	908.55	...	908.55	1007.84	...	1007.84
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	20.50	...	20.50	29.00	...	29.00	29.00	...	29.00	35.00	...	35.00
3. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय	0.01	0.01	0.01	0.01
जोड़-सामाजिक सेवाएं	789.99	...	789.99	1017.59	0.01	1017.60	937.55	...	937.55	1042.84	0.01	1042.85
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	70.98	...	70.98	54.73	...	54.73	70.54	...	70.54
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	62.53	...	62.53	83.16	...	83.16	52.00	...	52.00	99.00	...	99.00
6. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
जोड़-अन्य	62.53	...	62.53	154.17	...	154.17	106.76	...	106.76	169.57	...	169.57
कुल जोड़	852.52	...	852.52	1171.76	0.01	1171.77	1044.31	...	1044.31	1212.41	0.01	1212.42

(₹ करोड़)

	बजट 2022-2023			बजट 2021-2022			बजट 2020-2021			बजट 2019-2020		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय दिव्यांग वित्तपोषण और विकास	...	90.00	90.00	0.01	...	0.01	...	100.00	100.00	...	120.00	120.00
2. भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम	...	54.35	54.35	70.00	70.00	...	85.00	85.00
जोड़	...	144.35	144.35	0.01	...	0.01	...	170.00	170.00	...	205.00	205.00

1. **सचिवालय:** दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं मुख्य आयुक्त दिव्यांगता के सचिवालय पर व्यय का प्रावधान है।

2. **दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र/सहायक सामग्री की फिटिंग एवं उपकरण की खरीददारी के लिए सहायता:** दिव्यांगजनों के शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ाने के लिए जरूरतमंद दिव्यांगजनों को टिकाऊ, परिष्कृत एवं वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक यंत्र एवं उपकरणों की खरीद के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
3. **दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना:** योजना के अंतर्गत, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं संबद्ध गतिविधियों के माध्यम से दिव्यांगजनों की पुनर्वास परियोजनाओं से संबंधित स्वैच्छक संगठनों के जरिए यह योजना कार्यान्वित की जाती है।
4. **राष्ट्रीय न्यास की सहायता:** इस स्कीम के अंतर्गत, राष्ट्रीय न्यास को उसकी स्कीमों के लिए निधि जारी की जाती है।
5. **भारतीय स्पाइनल इंजुरी सेंटर:** सरकार द्वारा गरीब रोगियों के उपचार हेतु 25 निःशुल्क बेड उपलब्ध कराने के लिए एस आई सी को सहायता प्रदान की जाती है।
6. **दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना:** इस स्कीम के अंतर्गत दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 विशेषतः पुनर्वास और मुक्त पहुंच के प्रावधान के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों को सहायता देने के लिए स्वायत्त निकायों तथा विश्वविद्यालयों सहित केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विभिन्न निकायों को वित्तीय सहायता दी जाती है।
7. **दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति:** सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अध्यक्षता में स्थायी वित्त समिति ने अनुमोदित किया है कि दिव्यांग छात्रों के लिए सभी 6 छात्रवृत्ति योजनाएं बजट आवंटन की मांग आपूर्ति असंतुलन को समाप्त करने के विषय में दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां शीर्षक के तहत एक योजना में विलय की जाएं। अन्य शब्दों में, यदि इसमें एक घटक में अधिशेष निधि उपलब्ध है, तो वह अधिशेष अन्य घटकों में उपयोग में लाया जा सकता है।
8. **राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, पुनर्वास विज्ञान एवं दिव्यांगता अध्ययन:** राष्ट्रीय पुनर्वास विज्ञान एवं दिव्यांगता अध्ययन विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है।
9. **भारतीय पुनर्वास परिषद:** यह भारतीय पुनर्वास परिषद को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है, जो दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण के समान मानक लागू करने की सर्वोच्च सांविधिक निकाय है।
10. **दिव्यांगता खेल-कूद केन्द्र:** दिव्यांगजनों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रावधान है।
11. **राष्ट्रीय विस्तृत और सार्वभौमिक डिजाइन संस्थान:** राष्ट्रीय संस्थान/सार्वभौमिक डिजाइन एवं बाधामुक्त वातावरण केंद्र की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया है।
12. **राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता:** दिव्यांग क्षेत्र में प्रशिक्षित मानवशक्ति विकसित करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना तथा विभिन्न अन्य पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। ये संस्थान पंजीकृत सोसाइटियां हैं तथा केन्द्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित हैं।
13. **राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम:** इस प्रावधान में राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम के लिए शेयर पूंजी की व्यवस्था की गई है।
14. **भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम:** कृत्रिम अंग निर्माण निगम : निगम द्वारा दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग निर्मित किए जाते हैं।

अंतरिक्ष विभाग

मांग संख्या 95

अंतरिक्ष विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	4853.56	4636.49	9490.05	5720.46	8228.63	13949.09	5720.46	6921.54	12642.00	6234.40	7465.60	13700.00
<i>वसूलियां</i>	-13.11	-2.53	-15.64
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	4840.45	4633.96	9474.41	5720.46	8228.63	13949.09	5720.46	6921.54	12642.00	6234.40	7465.60	13700.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	21.70	...	21.70	26.50	...	26.50	34.00	...	34.00	33.00	...	33.00
2. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) मुख्यालय	133.18	21.51	154.69	142.09	7.88	149.97	162.83	8.17	171.00	185.00	8.00	193.00
3. भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस)	10.00	...	10.00	1.00	...	1.00	24.70	8.30	33.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	154.88	21.51	176.39	178.59	7.88	186.47	197.83	8.17	206.00	242.70	16.30	259.00
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
4. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी	2939.74	3617.50	6557.24	3573.26	6676.90	10250.16	3610.51	5404.69	9015.20	3843.73	6690.77	10534.50
5. अंतरिक्ष अनुप्रयोग	902.01	268.41	1170.42	1074.82	402.03	1476.85	1030.14	292.10	1322.24	1119.07	363.73	1482.80
6. अंतरिक्ष विज्ञान	33.17	154.08	187.25	107.36	167.14	274.50	87.61	124.19	211.80	128.25	77.86	206.11
7. इन्सैट उपग्रह प्रणालियां	188.71	574.99	763.70	54.93	274.68	329.61	41.82	347.86	389.68	102.65	315.94	418.59
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	4063.63	4614.98	8678.61	4810.37	7520.75	12331.12	4770.08	6168.84	10938.92	5193.70	7448.30	12642.00
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
8. भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.एस.टी.)	69.25	...	69.25	112.00	...	112.00	106.00	...	106.00	115.00	...	115.00
9. सेमी कण्डक्टर प्रयोगशाला (एस.सी.एल.)	360.91	...	360.91	393.00	...	393.00	417.55	...	417.55	400.00	...	400.00
10. उत्तर-पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (एन.ई.-सैक)	26.50	...	26.50	30.00	...	30.00	31.50	...	31.50	37.50	...	37.50
11. राष्ट्रीय वायुमण्डलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एन.ए.आर.एल.)	29.55	...	29.55	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00	43.00	...	43.00
12. भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पी.आर.एल.)	146.84	...	146.84	158.50	...	158.50	160.00	...	160.00	200.00	...	200.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	633.05	...	633.05	728.50	...	728.50	750.05	...	750.05	795.50	...	795.50
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
13. न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एन.एस.आई.एल.)	700.00	700.00	...	744.53	744.53	...	1.00	1.00

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अन्य												
14. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50
15. वास्तविक वसूलियां	-13.11	-2.53	-15.64
जोड़-अन्य	-11.11	-2.53	-13.64	3.00	...	3.00	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	621.94	-2.53	619.41	731.50	700.00	1431.50	752.55	744.53	1497.08	798.00	1.00	799.00
कुल जोड़	4840.45	4633.96	9474.41	5720.46	8228.63	13949.09	5720.46	6921.54	12642.00	6234.40	7465.60	13700.00
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. अंतरिक्ष अनुसंधान	4818.76	...	4818.76	5693.96	...	5693.96	5686.46	...	5686.46	6201.40	...	6201.40
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	21.69	...	21.69	26.50	...	26.50	34.00	...	34.00	33.00	...	33.00
3. अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	...	4633.96	4633.96	...	8228.63	8228.63	...	6921.54	6921.54	...	7465.60	7465.60
जोड़-आर्थिक सेवाएं	4840.45	4633.96	9474.41	5720.46	8228.63	13949.09	5720.46	6921.54	12642.00	6234.40	7465.60	13700.00
कुल जोड़	4840.45	4633.96	9474.41	5720.46	8228.63	13949.09	5720.46	6921.54	12642.00	6234.40	7465.60	13700.00

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़			
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश																		
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड																		
1. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड	700.00	...	700.00	744.53	...	744.53	1.00	...	1.00	1.00			
जोड़-न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड	700.00	...	700.00	744.53	...	744.53	1.00	...	1.00	1.00			
जोड़	700.00	...	700.00	744.53	...	744.53	1.00	...	1.00	1.00			

- सचिवालय:** आर्थिकसेवाएं: अंतरिक्ष विभाग के सचिवालय पर खर्च किये जाने वाले व्यय हेतु प्रावधान किया गया है।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) मुख्यालय:** इसरो मुख्यालय: इसके अंतर्गत, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) मुख्यालय के व्यय, डिजिटल कार्य प्रवाह प्रणालियों एवं स्पेसनेट संवर्धन के निर्माण, सम्मेलनों, संगोष्ठीय तथा इसरो पुरस्कार योजना के लिए सहायता के लिए प्रावधान शामिल किए गए हैं।
- भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस):** इन-स्पेस: भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र, जो कि एक एकल विंडो नोडल एजेंसी है, गैर सरकारी निजी इकाइयों के क्रिया-कलापों की अनुमति देगा तथा उसका निरीक्षण करेगा, जिसमें प्रमोचक रॉकेटों, उपग्रहों का निर्माण, अंतरिक्ष आधारित सेवाओं को प्रदान करना, अंतरिक्ष अवसंरचना को साझा करना आदि शामिल है।

- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी:** इसके अंतर्गत, विभिन्न इसरो केन्द्रों जैसे - विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसरो जड़त्वीय प्रणाली यूनिट, द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स, यू.आर. राव उपग्रह केंद्र, विद्युत-प्रकाशिकी तंत्र प्रयोगशाला, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसरो दूरमिति, अनुवर्तन तथा आदेश नेटवर्क, मुख्य नियंत्रण सुविधा एवं समानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के क्रिया-कलापों, इसरो केंद्रों में सामान्यतः सिविल कार्य एवं आवासीय कार्यों, विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिसमें विकासात्मक एवं प्रचालनात्मक परियोजनाओं सहित प्रमोचक रॉकेट परियोजनाएं तथा उपग्रह परियोजनाएं शामिल हैं।
- अंतरिक्ष अनुप्रयोग:** इसके अंतर्गत, विभिन्न इसरो केन्द्रों जैसे अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, विकास तथा शैक्षिक संचार यूनिट, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न अंतरिक्ष अनुप्रयोग परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के लिए प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली, भू प्रेक्षण अनुप्रयोग मिशन एवं आपदा प्रबंधन सहायता शामिल हैं।

6. **अंतरिक्ष विज्ञान:** इसके अंतर्गत, इसरो द्वारा किए गए अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रमों के व्यय के लिए प्रावधान शामिल किया गया है, जिसमें शिक्षा जगत तथा उद्योग के लिए प्रायोजित अनुसंधान, संवेदक नीतभार विकास/ग्रहीय विज्ञान कार्यक्रम, जलवायु एवं वायुमंडलीय कार्यक्रम, वायुमंडलीय अध्ययन और खगोल विज्ञान हेतु लघु उपग्रह, अंतरिक्ष विज्ञान प्रचार, आदित्य-एल1, चंद्रयान-1।।, एक्सव-किरण ध्रुवणमापी उपग्रह एवं अंतरिक्ष डॉकिंग परीक्षण मिशन शामिल हैं।
7. **इन्सैट उपग्रह प्रणालियां:** इसके अंतर्गत, प्रमोचन सेवा संविदाओं पर व्यय और प्रेषानुकरों को पट्टे पर लेने के व्यय के साथ विभिन्न इन्सैजट/जीसेट श्रेणी के उपग्रहों के व्यय के लिए प्रावधान शामिल किया गया है।
8. **भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.एस.टी.):** आई.आई.एस.टी., अं.वि. के तहत एक स्वायत्त संस्थान है, जिसका उद्देश्य है उन्नत अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षण के क्षेत्र में विश्व स्तर के संस्थान का मुजन करना और अं.वि/इसरो के लिए आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाला मानव संसाधन तैयार करना। इस संस्थान में अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयोग के क्षेत्र में स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर तथा डॉक्टोरल कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
9. **सेमी कण्डक्टर प्रयोगशाला (एस.सी.एल.):** एस.सी.एल., सामरिक महत्व के क्षेत्रों की सख्त गुणवत्ता वाली आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु अत्यंत बड़े पैमाने पर समेकित परिपथ उपकरणों तथा बड़े स्तर के उत्पादों के डिजाइन बनाने, विकास करने और उनका निर्माण कार्य में कार्यरत है।
10. **उत्तर-पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र (एन.ई.-सैक):** उत्तर-पूर्वी परिपथ के साथ संयुक्त रूप से स्थापित उ.पू.-सैक एक स्वायत्त सोसाइटी है और यह सुदूर संवेदन और उपग्रह संचार के अंतरित प्रौद्योगिकी जानकारियों का उपयोग करते हुए प्राकृतिक संसाधनों की उपयोगिता और मॉनीटरिंग, अवसंरचना की विकासात्मक योजना बनाने तथा अन्योन्य क्रियाशील प्रशिक्षण पर सूचना प्रदान करते हुए उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों की सहायता करता है।
11. **राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एन.ए.आर.एल.):** एन.ए.आर.एल., जो एक पंजीकृत सोसाइटी है, वायुमंडलीय और अंतरिक्ष विज्ञान तथा संबंधित विषयों में उन्नत अनुसंधान करने हेतु जिम्मेदार है।
12. **भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पी.आर.एल.):** पी.आर.एल. सहायता अनुदान के माध्यम से अंतरिक्ष विभाग द्वारा वित्त-पोषित एक स्वायत्त संस्थान है, जो कि देश में परीक्षणात्मक एवं सैद्धांतिक भौतिकी तथा भू-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत अनुसंधान को निष्पादित करने वाली एक अग्रणी अनुसंधान संस्था है। पी.आर.एल., उदयपुर सौर वेधशाला के प्रशासनिक कार्य हेतु भी उत्तरदायी है।
13. **न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एन.एस.आई.एल.):** एनसिल की स्थापना अंतरिक्ष विभाग/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा किए जा रहे अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लाभों का उपयोग करने हेतु की गई है। यह कंपनी प्रमोचक राकेटों के उत्पादन, प्रौद्योगिकियों का अंतरण और अंतरिक्ष उत्पादों के विपणन सहित विविध अंतरिक्ष उत्पादों के वाणिज्यीकरण को और बढ़ाएगी।
14. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** इसके अंतर्गत, अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा एशिया एवं प्रशांत सागर में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षण केंद्र (सी.एस.एस.टी.ई.-ए.पी.) के व्यय हेतु प्रावधान शामिल किया गया है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

मांग संख्या 96

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2435.34	2.88	2438.22	1396.09	13.04	1409.13	3721.17	15.83	3737.00	5378.08	20.00	5398.08
<i>वसूलियां</i>	-14.96	...	-14.96
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	2420.38	2.88	2423.26	1396.09	13.04	1409.13	3721.17	15.83	3737.00	5378.08	20.00	5398.08
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	26.20	...	26.20	32.76	...	32.76	32.44	...	32.44	73.03	...	73.03
2. भारतीय सांख्यिकी संस्थान	272.98	...	272.98	320.01	...	320.01	289.12	...	289.12	321.70	...	321.70
3. <i>संबद्ध कार्यालय</i>												
3.01 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन	51.09	...	51.09	55.30	...	55.30	58.21	...	58.21	63.69	...	63.69
3.02 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय	332.65	...	332.65	354.08	...	354.08	376.73	...	376.73	412.55	...	412.55
<i>जोड़- संबद्ध कार्यालय</i>	<i>383.74</i>	<i>...</i>	<i>383.74</i>	<i>409.38</i>	<i>...</i>	<i>409.38</i>	<i>434.94</i>	<i>...</i>	<i>434.94</i>	<i>476.24</i>	<i>...</i>	<i>476.24</i>
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	682.92	...	682.92	762.15	...	762.15	756.50	...	756.50	870.97	...	870.97
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
4. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी)	1108.16	...	1108.16	20.10	...	20.10	2633.50	...	2633.50	3965.00	...	3965.00
5. <i>क्षमता का विकास (सीडी)</i>												
5.01 क्षमता निर्माण सीएसओ और एनएसएसओ	185.83	2.88	188.71	271.88	13.04	284.92	254.40	15.83	270.23	432.46	20.00	452.46
5.02 आर्थिक गणना	451.76	...	451.76	280.00	...	280.00	64.77	...	64.77	57.01	...	57.01
5.03 सांख्यिकीय सुदृढीकरण के लिए सहायता	6.09	...	6.09	33.44	...	33.44	12.00	...	12.00	52.63	...	52.63
<i>जोड़- क्षमता का विकास (सीडी)</i>	<i>643.68</i>	<i>2.88</i>	<i>646.56</i>	<i>585.32</i>	<i>13.04</i>	<i>598.36</i>	<i>331.17</i>	<i>15.83</i>	<i>347.00</i>	<i>542.10</i>	<i>20.00</i>	<i>562.10</i>
6. भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी गुणवत्ता विकास कार्यक्रम	28.52	...	28.52	0.01	...	0.01
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	1751.84	2.88	1754.72	633.94	13.04	646.98	2964.67	15.83	2980.50	4507.11	20.00	4527.11
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
7. वास्तविक वसूलियां	-14.38	...	-14.38
कुल जोड़	2420.38	2.88	2423.26	1396.09	13.04	1409.13	3721.17	15.83	3737.00	5378.08	20.00	5398.08

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	6.14	...	6.14	7.49	...	7.49	6.90	...	6.90	7.54	...	7.54
जोड़-सामान्य सेवाएं	6.14	...	6.14	7.49	...	7.49	6.90	...	6.90	7.54	...	7.54
आर्थिक सेवाएं												
2. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	1108.16	...	1108.16	20.10	...	20.10	2633.50	...	2633.50	3965.00	...	3965.00
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	20.06	...	20.06	25.27	...	25.27	25.54	...	25.54	65.49	...	65.49
4. जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	1300.40	...	1300.40	1303.13	...	1303.13	1033.07	...	1033.07	1296.98	...	1296.98
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.88	2.88	...	13.04	13.04	...	15.83	15.83	...	20.00	20.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	2428.62	2.88	2431.50	1348.50	13.04	1361.54	3692.11	15.83	3707.94	5327.47	20.00	5347.47
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	40.10	...	40.10	22.16	...	22.16	43.07	...	43.07
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	-14.38	...	-14.38
जोड़-अन्य	-14.38	...	-14.38	40.10	...	40.10	22.16	...	22.16	43.07	...	43.07
कुल जोड़	2420.38	2.88	2423.26	1396.09	13.04	1409.13	3721.17	15.83	3737.00	5378.08	20.00	5398.08

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय की स्थापना खर्च के लिए है।

2. **भारतीय सांख्यिकी संस्थान:** भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कि एक स्वतंत्र संस्थान है, को पूर्णतः सहायता अनुदान के तहत सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। यह देश का एक महत्वपूर्ण संस्थान है।

3. **संबद्ध कार्यालय:** मंत्रालय के अधीन एक संबद्ध कार्यालय जिसे केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहते हैं एवं एक अधीनस्थ कार्यालय, जिसे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय कहते हैं, कार्यरत हैं। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के गैर-योजना खर्चों का प्रावधान है जो कि मानकीकरण, राष्ट्रीय लेख तैयार करने, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण पर रिपोर्ट प्रकाशित करने और भारत में सांख्यिकी प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए जिम्मेदार है। यह केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के अन्तर्गत आने वाली कैटीन के खर्चों को भी वहन करती है। इसके अलावा यह राष्ट्रीय आय एवं संपत्ति में अनुसंधान सम्बन्धी भारतीय संघ के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता एवं सहायता अनुदान देती है। इसके अतिरिक्त इसमें राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के गैर-योजना खर्चों का भी प्रावधान है जो कि आंकड़ों के संग्रहण के लिए एक बुनियादी एवं समुचित रूप से जुड़े कार्यक्रम का विकास करने के लिए जिम्मेदार है। यह आंकड़ों के अनुपूरक संग्रहण के द्वारा अन्य मंत्रालयों की एजेन्सीज की ओर से भी आंकड़ों के संग्रहण एवं सारणीयन का कार्य भी करता है।

4. **सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी):** यह प्रावधान सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए है।

5. **क्षमता का विकास (सीडी):** क्षमता विकास अम्रेला योजना है जिसमें सीएसओ और एनएसएसओ और अन्य दो उप-योजनाओं, आर्थिक गणना और सांख्यिकीय सुदृढीकरण के लिए सहयोग की आवश्यकता को शामिल किया गया है।

6. **भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी गुणवत्ता विकास कार्यक्रम:** भारत में सांख्यिकी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीआईक्यूएसआई), जो कि एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, के लिए 1.00 लाख रुपये का टोकन प्रावधान किया गया है।

इस्पात मंत्रालय

मांग संख्या 97

इस्पात मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	74.31	...	74.31	39.25	...	39.25	43.00	...	43.00	47.00	...	47.00
वसूलियां
प्राप्तियां
निवल	74.31	...	74.31	39.25	...	39.25	43.00	...	43.00	47.00	...	47.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	29.06	...	29.06	32.78	...	32.78	36.73	...	36.73	40.51	...	40.51
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना	0.54	...	0.54	5.00	...	5.00	4.81	...	4.81	4.49	...	4.49
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
3. अन्य कार्यक्रम	0.47	...	0.47	1.47	...	1.47	1.46	...	1.46	2.00	...	2.00
4. इस्पात सामान्य अस्पताल राउरकेला का उच्च विशिष्ट अस्पताल में उन्नयन												
4.01 इस्पात सामान्य अस्पताल राउरकेला का उच्च विशिष्ट अस्पताल में उन्नयन	44.24	...	44.24
जोड़-अन्य	44.71	...	44.71	1.47	...	1.47	1.46	...	1.46	2.00	...	2.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	44.71	...	44.71	1.47	...	1.47	1.46	...	1.46	2.00	...	2.00
कुल जोड़	74.31	...	74.31	39.25	...	39.25	43.00	...	43.00	47.00	...	47.00
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	44.24	...	44.24
जोड़-सामाजिक सेवाएं	44.24	...	44.24
आर्थिक सेवाएं												
2. उद्योग	1.01	...	1.01	6.47	...	6.47	6.27	...	6.27	6.49	...	6.49
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	29.06	...	29.06	32.78	...	32.78	36.73	...	36.73	40.51	...	40.51

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-आर्थिक सेवाएं	30.07	...	30.07	39.25	...	39.25	43.00	...	43.00	47.00	...	47.00
कुल जोड़	74.31	...	74.31	39.25	...	39.25	43.00	...	43.00	47.00	...	47.00

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड	...	4283.00	4283.00	...	8000.00	8000.00	...	8000.00	8000.00	...	8000.00	8000.00
2. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	...	737.39	737.39	...	595.00	595.00	...	730.00	730.00	...	910.00	910.00
3. एनएमडीसी लिमिटेड	...	2031.00	2031.00	...	3720.00	3720.00	...	3720.00	3720.00	...	3512.00	3512.00
4. केआईओसीएल लिमिटेड	...	41.05	41.05	...	653.60	653.60	...	653.60	653.60	...	384.63	384.63
5. मैगनीज ओर इंडिया लिमिटेड	...	136.66	136.66	...	293.50	293.50	...	293.71	293.71	...	304.58	304.58
6. मेकॉन लिमिटेड	...	3.22	3.22	...	12.50	12.50	...	12.50	12.50	...	17.25	17.25
7. एमएसटीसी लिमिटेड	...	20.56	20.56	...	17.40	17.40	...	17.40	17.40	...	10.00	10.00
8. फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	...	13.48	13.48	...	10.00	10.00	...	11.00	11.00	...	18.00	18.00
9. सैल रिफ्रेक्ट्री कंपनी लिमिटेड	...	0.34	0.34	0.86	0.86
जोड़	...	7266.70	7266.70	...	13302.00	13302.00	...	13439.07	13439.07	...	13156.46	13156.46

1. **सचिवालय:** इस्पात मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान हैं।

2. **लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना:** इस्पात मंत्रालय लौह एवम् इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास संवर्धन स्कीम के अंतर्गत लौह एवम् इस्पात क्षेत्र के राष्ट्रीय महत्व की अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

3. **अन्य कार्यक्रम:** इसमें विशिष्ट धातु कर्म, ओईसीडी/जीएफएसईसी के लिए सदस्यता शुल्क के भुगतान, के लिए पुरस्कार वार्षिक रूप से दिए जाते हैं; और विज्ञापन और प्रचार के लिए प्रावधान।

4.01. **इस्पात सामान्य अस्पताल राउरकेला का उच्च विशिष्ट अस्पताल में उन्नयन:** यह प्रावधान इस्पात जनरल हॉस्पिटल, राउरकेला को एक सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में उन्नयन करने के लिए है।

कपड़ा मंत्रालय

मांग संख्या 98

वस्त्र मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3098.88	48.09	3146.97	3591.61	40.03	3631.64	11408.81	40.51	11449.32	12357.11	25.03	12382.14
वसूलियां	-37.52	...	-37.52
प्राप्तियां
निवल	3061.36	48.09	3109.45	3591.61	40.03	3631.64	11408.81	40.51	11449.32	12357.11	25.03	12382.14
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	28.13	...	28.13	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	45.00	...	45.00
2. वस्त्र आयुक्त	39.72	...	39.72	50.00	...	50.00	48.60	...	48.60	50.00	...	50.00
3. जूट आयुक्त	10.34	...	10.34	12.00	...	12.00	12.28	...	12.28	12.00	...	12.00
4. विकास आयुक्त (हथकरघा)	80.00	20.00	100.00
5. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)	125.00	...	125.00
6. नियमित प्रोत्साहन अध्ययन और गतिविधियां	5.00	...	5.00
7. सीओपी और सीओपी जूट	0.18	...	0.18
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	78.19	...	78.19	102.00	...	102.00	100.88	...	100.88	317.18	20.00	337.18
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
8. संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना	556.38	...	556.38	700.00	...	700.00	650.00	...	650.00	650.00	...	650.00
9. भारतीय कपास निगम द्वारा मूल्य समर्थन स्कीम के तहत कपास की खरीद	662.71	...	662.71	136.00	...	136.00	8439.88	...	8439.88	9243.09	...	9243.09
राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम												
10. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम	160.35	19.21	179.56	200.00	20.00	220.00	160.00	20.00	180.00	200.00	...	200.00
11. हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण स्कीम	0.05	...	0.05	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50
12. रेशा आपूर्ति स्कीम	60.32	...	60.32	155.00	...	155.00	105.00	...	105.00
13. व्यापार सुविधा केंद्र और हस्तशिल्प संग्रहालय	13.50	...	13.50	7.50	...	7.50
14. हथकरघा क्लस्टर विकास योजना - हथकरघा मेगा क्लस्टर	8.68	...	8.68	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00
15. बुनकर सेवा केंद्र	50.23	...	50.23	61.50	...	61.50	55.00	...	55.00
16. अन्य हथकरघा योजनाएं	28.07	...	28.07	34.32	...	34.32	33.00	...	33.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम	307.70	19.21	326.91	475.32	20.00	495.32	366.00	20.00	386.00	200.00	...	200.00
राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम												
17. राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)	195.00	5.00	200.00
18. प्रशिक्षण एवं विस्तार	13.23	...	13.23	18.00	...	18.00	16.00	...	16.00
19. डिज़ाइन एवं तकनीकी उन्नयन योजना	50.88	...	50.88	74.00	...	74.00	54.00	...	54.00
20. अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना	19.56	...	19.56	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
21. विपणन सहायता एवं सेवाएं	24.05	...	24.05	55.00	...	55.00	40.00	...	40.00
22. हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजनाएं	24.04	...	24.04	29.00	...	29.00	15.00	...	15.00
23. अनुसंधान एवं विकास - हस्तशिल्प	5.85	...	5.85	9.50	...	9.50	9.00	...	9.00
24. मानव संसाधन विकास - हस्तशिल्प	17.80	...	17.80	26.00	...	26.00	20.00	...	20.00
25. अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी विकास योजना	4.70	28.20	32.90	16.00	20.00	36.00	16.00	20.00	36.00
26. व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास कार्यक्रम - हस्तशिल्प मेगा क्लस्टर	19.31	...	19.31	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	20.00	...	20.00
27. अन्य हस्तशिल्प योजनाएं	52.93	...	52.93	65.00	...	65.00	54.50	...	54.50
जोड़-राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम	232.35	28.20	260.55	337.50	20.00	357.50	269.50	20.00	289.50	215.00	5.00	220.00
ऊनी वस्त्र का विकास												
28. एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम	9.33	...	9.33	16.50	...	16.50	10.00	...	10.00	15.00	...	15.00
रेशम वस्त्र का विकास												
29. केन्द्रीय रेशम बोर्ड	650.00	...	650.00	875.00	...	875.00	875.00	...	875.00	875.00	...	875.00
30. रेशम मेगा क्लस्टर	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
जोड़-रेशम वस्त्र का विकास	650.00	...	650.00	876.00	...	876.00	876.00	...	876.00	875.00	...	875.00
पटसन उद्योग का विकास												
31. जूट क्षेत्र के विकास हेतु योजना	40.00	...	40.00	80.00	...	80.00	60.00	...	60.00	70.00	...	70.00
32. बाजार प्रचालन के लिए भारतीय जूट निगम को सन्मिडी	30.00	...	30.00	70.00	...	70.00	50.00	...	50.00	45.00	...	45.00
33. अन्य (आईजेआईआरए, सीओपीजेसी)	1.50	...	1.50	3.01	...	3.01	2.01	...	2.01
जोड़-पटसन उद्योग का विकास	71.50	...	71.50	153.01	...	153.01	112.01	...	112.01	115.00	...	115.00
विद्युत करघा संवर्धन योजना												
34. पावर टेक्स इंडिया	54.33	0.68	55.01	50.00	...	50.00	35.00	0.48	35.48
35. व्यापक विद्युत करघा क्लस्टर विकास कार्यक्रम - विद्युत करघा मेगा क्लस्टर	24.28	...	24.28	12.00	...	12.00
जोड़-विद्युत करघा संवर्धन योजना	54.33	0.68	55.01	74.28	...	74.28	47.00	0.48	47.48
वस्त्र अवसंरचना												
36. एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना	49.71	...	49.71	75.00	...	75.00	45.00	...	45.00	70.00	...	70.00
37. एकीकृत वस्त्र पार्क योजना	79.91	...	79.91	80.00	...	80.00	55.00	...	55.00
38. वस्त्र समिति को सहायक	65.55	...	65.55	45.00	...	45.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00
39. फ्लैट फैक्टरी सह इन्क्यूबेटर	3.00	...	3.00	4.00	...	4.00	1.00	...	1.00
जोड़-वस्त्र अवसंरचना	198.17	...	198.17	204.00	...	204.00	126.00	...	126.00	95.00	...	95.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अनुसंधान और क्षमता निर्माण												
40. निर्यात संवर्धन के लिए अध्ययन	1.61	...	1.61	30.00	...	30.00	3.84	...	3.84
41. टैक्सटाइल हेतु उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम	0.50	...	0.50	15.00	...	15.00
42. अन्य (टीआरए, सीओपी)	11.16	...	11.16	17.00	...	17.00	16.76	...	16.76
43. एकीकृत कौशल विकास योजना	100.00	...	100.00	90.00	...	90.00	100.00	...	100.00
44. वस्त्र अनुसंधान एवं विकास	3.57	...	3.57	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
45. राष्ट्रीय फ्रैशन प्रौद्योगिकी संस्थान	91.70	...	91.70	100.00	...	100.00	95.00	...	95.00	120.00	...	120.00
46. तकनीकी वस्त्र पर प्रौद्योगिकी मिशन	90.97	...	90.97
47. राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन	100.00	...	100.00	60.00	...	60.00	100.00	...	100.00
48. टैक्सटाइल क्लस्टर विकास योजना	133.83	...	133.83
जोड़-अनुसंधान और क्षमता निर्माण	199.01	...	199.01	357.00	...	357.00	276.10	...	276.10	478.83	...	478.83
एनईआर वस्त्र संवर्धन योजना												
49. एनईआर वस्त्र संवर्धन योजना	78.38	...	78.38	75.00	...	75.00	49.94	...	49.94
50. पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव-वस्त्रों के उपयोग की योजना	0.83	...	0.83
जोड़-एनईआर वस्त्र संवर्धन योजना	79.21	...	79.21	75.00	...	75.00	49.94	...	49.94
51. पीएम-एमआईटीआरए	0.50	...	0.50	15.00	...	15.00
52. हथकरघा का उत्पादन और हथकरघा का कार्यान्वयन (वस्तु और उत्पादन का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के रक्षण हेतु स्कीम	5.00	...	5.00
53. खुदरा सामग्री आपूर्ति योजना	105.00	...	105.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	3020.69	48.09	3068.78	3404.61	40.00	3444.61	11222.93	40.48	11263.41	12011.92	5.00	12016.92
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
54. टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन और आईजेआईआरए	17.00	...	17.00
55. भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी)	9.00	...	9.00
56. सरदार बल्लभभाई पटेल टैक्सटाइल प्रबंधन संस्थान को सहायता	0.50	...	0.50
जोड़-स्वायत्त निकाय	26.50	...	26.50
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
57. राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
58. बर्ड जूट निर्यात निगम	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
59. ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
60. पीएसयू को सहायता	85.00	...	85.00	85.00	...	85.00	0.01	...	0.01
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	85.00	0.03	85.03	85.00	0.03	85.03	0.01	0.03	0.04
अन्य												
61. कपास और कपास सलाहकार समिति के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान को योगदान	1.50	...	1.50
62. वास्तविक वसूलियां	-37.52	...	-37.52

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-अन्य	-37.52	...	-37.52	1.50	...	1.50
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	-37.52	...	-37.52	85.00	0.03	85.03	85.00	0.03	85.03	28.01	0.03	28.04
कुल जोड़	3061.36	48.09	3109.45	3591.61	40.03	3631.64	11408.81	40.51	11449.32	12357.11	25.03	12382.14
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. ग्राम एवं लघु उद्योग	1236.59	...	1236.59	1637.46	...	1637.46	1441.38	...	1441.38	1513.14	...	1513.14
2. उद्योग	1796.64	...	1796.64	1687.01	...	1687.01	9740.37	...	9740.37	10673.11	...	10673.11
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	28.13	...	28.13	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	45.00	...	45.00
4. ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	48.09	48.09	...	40.00	40.00	...	40.48	40.48	...	25.00	25.00
5. उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03
जोड़-आर्थिक सेवाएं	3061.36	48.09	3109.45	3364.47	40.03	3404.50	11221.75	40.51	11262.26	12231.25	25.03	12256.28
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	227.14	...	227.14	187.06	...	187.06	125.86	...	125.86
जोड़-अन्य	227.14	...	227.14	187.06	...	187.06	125.86	...	125.86
कुल जोड़	3061.36	48.09	3109.45	3591.61	40.03	3631.64	11408.81	40.51	11449.32	12357.11	25.03	12382.14

1. **सचिवालय:** मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **वख आयुक्त:** वख आयुक्त विनियामक आदेशों को क्रियान्वित करता है, विद्युत करघा सेवा केंद्रों का संचालन करता है, संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) और कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन को मॉनीटर करता है, वख आदि के डाटाबेस का रख-रखाव करता है।

3. **जूट आयुक्त:** पटसन आयुक्त भारत में पटसन उद्योग के विकास की देखभाल करता है और पटसन वख (नियंत्रण) आदेश, 1956 और पटसन (अनुज्ञा एवं नियंत्रण) आदेश, 1961 का संचालन भी करता है जिसे अब समामेलित कर दिया गया है और जिसे पटसन एवं पटसन वख (नियंत्रण) आदेश, 2000 के रूप में जाना जाता है।

4. **आयुक्त का विकास (हथकरघा):** व्यय, विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय से संबंधित स्थापना व्यय, कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय और अन्य विविध व्यय से संबंधित है।

5. **आयुक्त का विकास (हस्तशिल्प):** व्यय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय से संबंधित स्थापना व्यय, कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय और अन्य विविध व्यय से संबंधित है।

6. **निर्यात प्रोत्साहन अध्ययन और गतिविधियां:** इसका कार्य निर्यात को बढ़ावा देना, तकनीकी और आर्थिक क्षेत्रों में अनुसंधान, परामर्श, वख और कपड़ा मशीनरी के लिए मानक स्थापित करना, प्रयोगशालाओं की स्थापना और डेटा संग्रह करना है।

7. **सीओपी और सीओपी जूट:** भुगतान आयुक्त एवं पटसन कंपनियों के भुगतान आयुक्त के व्यय की स्थापना।

8. **संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना:** यह योजना पात्र मशीनरी के लिए एकबारगी पूंजी सस्मिडी के साथ वख उद्योग के संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करती है।

9. **भारतीय कपास निगम द्वारा मूल्य समर्थन स्कीम के तहत कपास की खरीद:** भारतीय कपास निगम (सीसीआई) को समर्थन मूल्य अभियान चलाने का अधिदेश दिया गया है। जब कभी कपास का बाजार मूल्य कम होता है/न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के बराबर होता है, तो सीसीआई एमएसपी पर समर्थन मूल्य अभियान चलाता है और कपास की खरीद करता है। समर्थन मूल्य अभियान के कारण हानि, यदि कोई, होती है, तो सरकार द्वारा सीसीआई को प्रतिपूर्ति की जाती है।

10. **राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम:** योजना में राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना, यार्न आपूर्ति योजना, व्यापार सुविधा केंद्र एवं शिल्प संग्रहालय, सीएचसीडीएस-हथकरघा मेगाकलस्टर, बुनकर सेवा केंद्र और अन्य हथकरघा कार्यक्रम शामिल होते हैं।

11. **हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण स्कीम:** i) हथकरघा बुनकरों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना ii) हथकरघा बुनकरों को जीवन बीमा कवर प्रदान करना

12. **रेशा आपूर्ति स्कीम:** एनएचडीसी के माध्यम से हथकरघा बुनकरों को सभी प्रकार के रेशा मुहैया करना।

13. **व्यापार सुविधा केंद्र और हस्तशिल्प संग्रहालय:** वाराणसी के हथकरघा की समृद्ध परम्परा का विकास और संवर्धन करना
14. **हथकरघा क्लस्टर विकास योजना - हथकरघा मेगा क्लस्टर:** आधुनिक अवसंरचना सहित सुविधाओं की स्थापना करने के लिए उद्यमियों/बुनकरों को सहायता करना, बड़े हुए बाजार हिस्से के संबंध में क्लस्टरों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और उत्पादों के उच्च इकाई मूल्य वसूली द्वारा उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करना। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवेकशील एवं बदलते बाजार मांग को पूरा करना और बुनकरों के जीवन स्तर को बढ़ाना।
15. **बुनकर सेवा केंद्र:** हथकरघा बुनकरों को कौशल, उन्नयन, डिजाइन एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना तथा राज्य सरकारों के साथ संपर्क में रहना
16. **अन्य हथकरघा योजनाएं:** स्थापना, कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय और विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय से संबंधित अन्य विविध व्यय, संग्रहालय, हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्पादन अधिनियम, 1985 के अनुच्छेद के हथकरघा (संरक्षण) के क्रियान्वयन और विकास आयुक्त हथकरघा (प्रवर्तन) से संबंधित है।
17. **राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी):** हथकरघा बुनकरों और हथकरघा क्षेत्र के कारीगरों का विकास।
18. **प्रशिक्षण एवं विस्तार:** यह प्रशासनिक व्यय हैं जिन्हें बंद विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों के लिए पूरा करना होता है।
19. **डिजाइन एवं तकनीकी उन्नयन योजना:** इस योजना का उद्देश्य नई डिजाइन के विकास और शिल्पियों के मुधरे/आधुनिक उपकरणों के प्रोटोटाइप की आपूर्ति, परंपरागत विरासत के संरक्षण के लिए दुर्लभ शिल्प के पुनरुद्धार के माध्यम से कारीगरों के कौशल का उन्नयन करना है।
20. **अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना:** इस योजना का उद्देश्य शिल्पियों के क्लस्टरों को व्यवसायिक तौर पर प्रबंधित और प्रभावशाली सदस्य प्रतिभागिता और पारस्परिक सहयोग के सिद्धांत पर आत्मनिर्भर सामुदायिक उद्यम के रूप में विकसित करके भारतीय हस्तशिल्प का संवर्धन करना है।
21. **विपणन सहायता एवं सेवाएं:** रोजगार और शिल्पकारों की आय में वृद्धि करने तथा विश्व बाजार में हस्तशिल्प की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि करने, बाजार अनुसंधान करने, भारत और विदेश में कार्यशाला तथा संगोष्ठी करने के लिए काउंसिल और हस्तशिल्प विकास निगम को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हस्तशिल्प का विकास, विस्तार करना और विपणन को बनाए रखना है।
22. **हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजनाएं:** इस योजना का उद्देश्य 18-60 वर्ष की आयु के बीच वाले हस्तशिल्प कारीगरों को सुविधा प्रदान करने के लिए जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करना है।
23. **अनुसंधान एवं विकास - हस्तशिल्प:** आर्थिक और सामाजिक तथा हस्तशिल्प के परंपरागत और संवर्धनात्मक पहलू पर फीडबैक के लिए अध्ययन करना।
24. **मानव संसाधन विकास - हस्तशिल्प:** विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय और एनजीओ में कार्यरत स्टाफ को आईटी, वित्तीय प्रबंधन और परियोजनाओं का क्रियान्वयन के विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना।
25. **अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी विकास योजना:** यह प्रावधान अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास स्कीम के लिए है।
26. **व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास कार्यक्रम - हस्तशिल्प मेगा क्लस्टर:** हस्तशिल्प मेगाक्लस्टर की स्थापना हेतु है।
27. **अन्य हस्तशिल्प योजनाएं:** यह व्यय स्थापना, कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय से संबंधित अन्य विविध व्यय, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रशिक्षण एवं विस्तार, विपणन एवं सेवा विस्तार, आर्थिक एवं शिल्प अनुसंधान और निर्यात संवर्धन से संबंधित है।
28. **एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम:** ऊन उद्योग एवं ऊन उत्पादकों को सहायता मुहैया कराने के लिए, गुणवत्ता के संबंध में उत्पाद एवं तकनीक को अध्ययन करने के लिए, परिशोधन, कार्वनीकरण, धुनाई, रंगाई, कटाई, बुनाई और मौजूदा मशीनों/संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए ऊन परिशोधन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए, लद्दाख क्षेत्र में पशमीना ऊन का उत्पादन बढ़ाने के लिए, ऊन उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए और ऊन उत्पादकों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए और ऊन विकास बोर्ड से संबंधित प्रशासनिक व्यय के लिए।
29. **केन्द्रीय रेशम बोर्ड:** केन्द्रीय रेशम बोर्ड रेशम के विकास में सहायता प्रदान करता है।
30. **रेशम मेगा क्लस्टर:** रेशम मेगाक्लस्टर की स्थापना करना।
31. **जूट क्षेत्र के विकास हेतु योजना:** इस योजना में राष्ट्रीय जूट बोर्ड के प्रशिक्षण / विकास, बाजार संवर्धन और विकास गतिविधियों के लिए प्रावधान है। यह व्यय पहले जूट उपकर संग्रह के निपटान किए गए भुगतान से पूरा किया जा रहा था।
32. **बाजार प्रचालन के लिए भारतीय जूट निगम को सस्मिडी:** एमएसपी अभियान चलाने के लिए जेसीआई को सहायता
33. **अन्य (आईजेआईआरए, सीओपीजेसी):** भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ, पटसन कंपनियों के भुगतान आयुक्त के प्रशासनिक व्यय।
34. **पावर टेक्स इंडिया:** विद्युत्करघा क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए, विद्युत्करघा उद्योग/बुनकरों को बेहतर तकनीकी सेवा मुहैया कराने के लिए, नये पीएससी स्थापित करने के लिए, क्रेता-विक्रेता सम्मेलन के माध्यम से उनके उत्पादों के विक्रय की सुविधा मुहैया कराने के लिए, नवीनतम डिजाइनों, उत्पादों और उत्पाद विविधताओं आदि के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए, क्लस्टरों में समान्य सुविधा केन्द्र, यार्न बैंक और सूत उद्यम पूंजी निधि स्थापित करने के लिए और विद्युत्करघा उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए। मौजूदा एवं नये क्लस्टर में आधुनिक करघों के लिए कार्यशाला स्थापित करने के लिए जिससे व्यवसाय परिचालन के लिए अपेक्षित अर्थव्यवस्था का मानदण्ड प्राप्त होगा।
35. **व्यापक विद्युत् करघा क्लस्टर विकास कार्यक्रम - विद्युत् करघा मेगा क्लस्टर:** इस प्रावधान में विद्युत्करघा मेगाक्लस्टर की स्थापना शामिल है।
36. **एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना:** पर्यावरण अनुकूल प्रसंस्करण मानकों तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने के लिए वस्त्र उद्योग को सुविधा प्रदान करना
37. **एकीकृत वस्त्र पार्क योजना:** वस्त्र इकाइयों की स्थापना हेतु विश्व स्तरीय अवसंरचना के विकास को सुविधा प्रदान करना।
38. **वस्त्र समिति को सहायक:** इसके कार्यों में निर्यातों को बढ़ावा देना, तकनीकी एवं आर्थिक क्षेत्रों में अनुसंधान, परामर्श, वस्त्र एवं वस्त्र मशीनरी के लिए मानकों को स्थापित करना, प्रयोगशालाओं की स्थापना और आंकड़ों का संग्रहण आदि शामिल हैं।

39. **फ्लैट फैक्टरी सह इन्क्यूबेटर:** स्टार्ट—अप के लिए एकीकृत कार्यस्थल तथा संपर्क आधारित उद्यमीय वातावरण सृजित करना।
40. **निर्यात संवर्धन के लिए अध्यक्षन:** वस्त्र निर्यातों हेतु गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप से महत्वपूर्ण कदमों और रणनीतियों से संबंधित अनुसंधान अध्ययनों को बढ़ावा देना।
41. **टैक्सटाइल हेतु उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम:** वस्त्रों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना एमएमएफ परिधान, एमएमएफ कपड़े और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है।
42. **अन्य (टीआरए, सीओपी):** टीआरए तथा भुगतान आयुक्त के स्थापना व्यय के आवर्ती व्यय के लिए अनुदान सहायता उपलब्ध कराना।
43. **एकीकृत कौशल विकास योजना:** कौशल विकास के लिए वस्त्र एवं संबद्ध क्षेत्रों में लोगों को प्रशिक्षित करना।
44. **वस्त्र अनुसंधान एवं विकास:** वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना और टीआरए, संस्थानों आदि को वित्तीय सहायता उपलब्ध विकास आयुक्त ध कराना।
45. **राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान:** निफ्ट पेशेवर लोगों को फैशन उद्योग के लिए विकसित करने हेतु विभिन्न पूर्णअवधि के डिग्री/डिप्लोमा तथा अंशकालिक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है।
46. **तकनीकी वस्त्र पर प्रौद्योगिकी मिशन:** तकनीकी वस्त्र उद्योग में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।
47. **राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन:** तकनीकी वस्त्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए।
48. **टैक्सटाइल क्लस्टर विकास योजना:** टेक्सटाइल क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम टेक्सटाइल क्लस्टर को बढ़ावा देने के लिए है।
49. **एनईआर वस्त्र संवर्धन योजना:** पूर्वोत्तर वस्त्र संवर्धन योजना का उद्देश्य कच्ची सामग्री, बीज बैंकों, मशीनरी, सामान्य सुविधा केंद्रों, कौशल विकास, डिजाइन एवं विपणन सहायता आदि आवश्यक सरकारी सहायता उपलब्ध कराकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र क्षेत्र को विकसित एवं आधुनिकीकृत करना है।
50. **पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव-वस्त्रों के उपयोग की योजना:** सामान्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में अवसंरचना के विकास के लिए जैव-टेक्सटाइल का उपयोग करना।
51. **पीएम-एमआईटीआरए:** पीएम - मित्र कपड़ा श्रमिकों के कौशल विकास के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना है।
52. **हथकरघा का संरक्षण और हथकरघा का कार्यान्वयन (वस्तु और उत्पादन का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के रक्षण हेतु स्कीम:** हथकरघा संरक्षण और हथकरघा के कार्यान्वयन के लिए योजना (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985।
53. **खुदरा सामग्री आपूर्ति योजना:** कच्चे माल की आपूर्ति योजना एनएचडीपी के माध्यम से हथकरघा बुनकरों को सभी प्रकार के धागे उपलब्ध कराने के लिए है।

54. **टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन और आईजेआईआरए:** कपड़ा अनुसंधान संघों (टीआरए) संस्थानों आदि के आवर्ती व्यय के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए जूट उद्योग अनुसंधान संघ के प्रशासनिक व्यय।
55. **भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी):** कालीन प्रौद्योगिकी और संस्थागत खर्चों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी)।
56. **सरदार बल्लभभाई पटेल टैक्सटाइल प्रबंधन संस्थान को सहायता:** सरदार बल्लभभाई पटेल वस्त्र प्रबंधन संस्थान को सहायता।
57. **राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम:** सरकार की खाद्य प्रसंस्करण एजेंसियों को आपूर्ति हेतु पटसन के सामानों (बोरों) के विनिर्माण के कारोबार का संचालन करना।
58. **बर्ड जूट निर्यात निगम:** पटसन फैब्रिक की एक विनिर्माण इकाई।
59. **ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड:** वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत एक वीआईएफआर संदर्भित कंपनी।
60. **पीएसयू को सहायता:** वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत पीएसयू के कर्मचारियों के लिए वीआरएस के कार्य प्रचालन और अनुदान को समाप्त करने के लिए।
61. **कपास और कपास सलाहकार समिति के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान को योगदान:** इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन एंड कॉटन एडवाइजरी कमेटी में योगदान।
62. **वास्तविक वसूलियां:** वास्तविक वसूली।

पर्यटन मंत्रालय

मांग संख्या 99

पर्यटन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1138.43	...	1138.43	2032.04	...	2032.04	975.07	...	975.07	2405.27	...	2405.27
वसूलियां	-41.61	...	-41.61	-5.27	...	-5.27	-5.27	...	-5.27	-5.27	...	-5.27
प्राप्तियां
निवल	1096.82	...	1096.82	2026.77	...	2026.77	969.80	...	969.80	2400.00	...	2400.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	6.55	...	6.55	8.75	...	8.75	8.93	...	8.93	8.67	...	8.67
2. पर्यटन महानिदेशक	91.87	...	91.87	117.35	...	117.35	109.37	...	109.37	115.72	...	115.72
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	98.42	...	98.42	126.10	...	126.10	118.30	...	118.30	124.39	...	124.39
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
पर्यटन अवसंरचना												
3. विशिष्ट विषयों के आसपास पर्यटन सर्किट के समन्वित विकास (स्वदेश दर्शन)	560.76	...	560.76	630.00	...	630.00	262.00	...	262.00	1181.30	...	1181.30
4. आइकानिक पर्यटन स्थल का विकास	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	130.00	...	130.00
5. तीर्थयात्री पुनर्जागरण और आध्यात्मिक, विरासत वृद्धि संवर्धन अभियान (प्रसाद)	124.79	...	124.79	153.00	...	153.00	150.95	...	150.95	235.00	...	235.00
6. केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता												
6.01 चैम्पियन सर्विस सेक्टर स्कीम	46.87	...	46.87	190.00	...	190.00	84.51	...	84.51	101.54	...	101.54
6.02 केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता	68.98	...	68.98	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00	80.00	...	80.00
6.03 बाज़ार अनुसंधान	5.61	...	5.61	20.00	...	20.00	4.24	...	4.24	10.00	...	10.00
6.04 गंतव्य एवं परिपथों के लिए उत्पादन/अवसंरचना विकास	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
	-35.36	...	-35.36
निवल	-30.36	...	-30.36	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
निवल	91.10	...	91.10	305.00	...	305.00	183.75	...	183.75	191.54	...	191.54
7. कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी स्कीम	0.50	...	0.50	12.50	...	12.50
जोड़-पर्यटन अवसंरचना	776.68	...	776.68	1088.03	...	1088.03	597.23	...	597.23	1750.34	...	1750.34

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
संवर्धन एवं प्रचार												
8. बाजार विकास सहायता सहित विदेशी संवर्धन और प्रचार	108.07	...	108.07	524.02	...	524.02	89.00	...	89.00	341.00	...	341.00
9. बाजार विकास सहायता सहित स्वदेशी संवर्धन एवं प्रचार	33.89	...	33.89	144.70	...	144.70	60.00	...	60.00	75.00	...	75.00
जोड़-संवर्धन एवं प्रचार	141.96	...	141.96	668.72	...	668.72	149.00	...	149.00	416.00	...	416.00
प्रशिक्षण एवं कौशल विकास												
10. आई.एच.एम्./ एफ़.सी.आई./आई.आई.टी.टी.एम्./ एन.डब्ल्यू.आई.एस. को सहायता	50.00	...	50.00	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	70.00	...	70.00
11. सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण	23.51	...	23.51	63.65	...	63.65	25.00	...	25.00	34.00	...	34.00
जोड़-प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	73.51	...	73.51	138.65	...	138.65	100.00	...	100.00	104.00	...	104.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	992.15	...	992.15	1895.40	...	1895.40	846.23	...	846.23	2270.34	...	2270.34
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
12. महिलाओं के लिए संरक्षित पर्यटन स्थल												
12.01 निर्भया निधि में अंतरण	6.25	...	6.25	5.27	...	5.27	5.27	...	5.27	5.27	...	5.27
12.02 कार्यक्रम घटक	6.25	...	6.25	5.27	...	5.27	5.27	...	5.27	5.27	...	5.27
12.03 निर्भया निधि से राशि को पूरा करना	-6.25	...	-6.25	-5.27	...	-5.27	-5.27	...	-5.27	-5.27	...	-5.27
<i>निवल</i>	<i>6.25</i>	<i>...</i>	<i>6.25</i>	<i>5.27</i>	<i>...</i>	<i>5.27</i>	<i>5.27</i>	<i>...</i>	<i>5.27</i>	<i>5.27</i>	<i>...</i>	<i>5.27</i>
कुल जोड़	1096.82	...	1096.82	2026.77	...	2026.77	969.80	...	969.80	2400.00	...	2400.00
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. विविध सामान्य सेवाएं	0.08	...	0.08	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
जोड़-सामान्य सेवाएं	0.08	...	0.08	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
सामाजिक सेवाएं												
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़-सामाजिक सेवाएं	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
आर्थिक सेवाएं												
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	6.55	...	6.55	8.75	...	8.75	8.93	...	8.93	8.67	...	8.67
4. पर्यटन	1090.19	...	1090.19	1827.51	...	1827.51	875.36	...	875.36	2163.82	...	2163.82
जोड़-आर्थिक सेवाएं	1096.74	...	1096.74	1836.26	...	1836.26	884.29	...	884.29	2172.49	...	2172.49
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	190.00	...	190.00	85.00	...	85.00	227.00	...	227.00
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान
जोड़-अन्य	190.00	...	190.00	85.00	...	85.00	227.00	...	227.00

7. **कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी स्कीम:** वित्त मंत्रालय द्वारा 28.06.2021 को की गई घोषणा के अनुसार कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र (एलजीएससीएटीएसएस) के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की गई थी। पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित यात्रा और पर्यटन हितधारकों (टूर ऑपरेटर/ट्रैवल एजेंट/पर्यटक परिवहन ऑपरेटर) के लिए प्रत्येक के लिए रु.10.00 लाख तक की गारंटी मुक्त ऋण और पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आरएलजी/आईआईटीजी को रु.1.00 लाख तक का मुक्त ऋण, राज्य सरकार/ संघ शासित प्रशासन द्वारा अनुमोदित पर्यटक गाइड इस योजना के अंतर्गत शामिल है। योजना को एनसीजीटीसी के माध्यम से ठीक किया जाना है। लगभग दस अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने योजना शुरू की है और एल जीसीएटीएसएस के कुछ लाभार्थियों को चेक/स्वीकृति पत्र वितरित किए गए हैं।

8. **बाजार विकास सहायता सहित विदेशी संवर्धन और प्रचार:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को वैश्विक रूप से सर्वाधिक पंसदीदा स्थल के रूप में स्थापित करना है इस योजना के अंतर्गत जोरदार प्रचार और मार्किटिंग अभियान चलाए जाते हैं। मंत्रालय इंफ्लुएंसर इंडिया ब्रांड की मार्किटिंग के लिए दोहरे लाभ की नीति पर कार्य कर रहा है। स्पेन, चीन, फ्रांस आदि जैसे कुछ बाजारों में अधिक व्यापक और लक्षित पहुंच के लिए संवर्धनात्मक गतिविधियां स्थानीय भाषाओं में चलाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त, नए बाजारों में मंत्रालय के प्रतिनिधि कार्यालयों की स्थापना के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

9. **बाजार विकास सहायता सहित स्वदेशी संवर्धन एवं प्रचार:** इस योजना के अंतर्गत स्वदेशी पर्यटन के संवर्धन और सामाजिक जागरूकता संदेशों को प्रचारित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं। देश के महत्वपूर्ण पर्यटक उत्पादों के संवर्धन के लिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में अभियान चलाए गए। पर्यटक स्थल के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू एवं कश्मीर के संवर्धन के लिए भी अभियान चलाए गए।

10. **आई.एच.एम./ एफ.सी.आई./आई.आई.टी.टी.एम./ एन.डब्ल्यू.आई.एस. को सहायता:** देश में पर्यटन क्षेत्र गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों की भारी कमी का सामना कर रहा है। पर्यटन मंत्रालय पर्यटन उद्योग में प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यमान आईएचएम/ एफसीआई/ आईआईटीएम/ एमसीएचएमसीटी/ एनआईडब्ल्यूएस के विस्तार तथा उन्नयन के लिए तथा नए संस्थानों जैसे कि होटल प्रबंध संस्थानों (आईएचएम) तथा भोजन कला संस्थानों (एफसीआई) की स्थापना के लिए भी केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है और इस योजना के अंतर्गत आवंटित निधियां उक्त उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती हैं।

11. **सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण:** सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण योजना के तहत, पर्यटन मंत्रालय (एमओटी) ने एक प्रमुख कार्यक्रम रखा है, जिसका शीर्षक हुनर से रोजगार तक है, जो न्यूनतम 8 वीं पास और 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र की कुशल मानव शक्ति की आवश्यकता को पूरा करना है, साथ ही समाज में गरीबों तक रोजगारपरक कौशल प्रदान करना है। उन्हें आतिथ्य क्षेत्र में कार्यरत सेवा प्रदाताओं के कौशल को समेकित करने के लिए एक कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। युवाओं में क्षमता विकसित करने और सूक्ष्म और लघु व्यवसाय स्टार्ट-अप आरम्भ करने के उद्देश्य से, मंत्रालय ने एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम को शुरू किया।

12. **महिलाओं के लिए संरक्षित पर्यटन स्थल:** महिलाओं के लिए संरक्षित पर्यटन स्थल एक ऐसी स्कीम है, जिसमें पर्यटन स्थल के आसपास और आसपास के इलाकों में महिलाएं बिना किसी डर और उत्पीड़न के सुरक्षित यात्रा कर सकेंगी।

जनजातीय कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 100

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	5494.64	...	5494.64	7524.85	0.02	7524.87	6181.30	...	6181.30	8401.92	50.00	8451.92
वसूलियां	-0.13	...	-0.13
प्राप्तियां
निवल	5494.51	...	5494.51	7524.85	0.02	7524.87	6181.30	...	6181.30	8401.92	50.00	8451.92
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	24.37	...	24.37	29.80	...	29.80	33.95	...	33.95	33.00	...	33.00
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	8.60	...	8.60	11.00	...	11.00	20.89	...	20.89	12.00	...	12.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	32.97	...	32.97	40.80	...	40.80	54.84	...	54.84	45.00	...	45.00
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
केन्द्रीय छात्रवृत्तियां												
3. अजजा के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति	120.00	...	120.00	150.00	...	150.00	120.00	...	120.00
4. विदेश में अध्ययन हेतु अजजा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	4.76	...	4.76	3.00	...	3.00	5.00	...	5.00
जोड़-केन्द्रीय छात्रवृत्तियां	124.76	...	124.76	153.00	...	153.00	125.00	...	125.00
जनजातीय संस्थानों को समर्थन												
5. राष्ट्रीय / राज्य अनुसूचित जनजाति एवं वित्त विकास निगम को समर्थन	0.01	0.01
6. जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन (ट्राइफेड आदि)	105.00	...	105.00	150.00	...	150.00	120.00	...	120.00
7. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता	59.66	...	59.66	110.00	...	110.00	90.00	...	90.00
8. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	1200.00	...	1200.00	1418.03	0.01	1418.04	1057.74	...	1057.74
9. उत्तर पूर्वी क्षेत्र से आदिवासी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और रसद विकास	36.00	...	36.00
जोड़-जनजातीय संस्थानों को समर्थन	1364.66	...	1364.66	1678.03	0.02	1678.05	1303.74	...	1303.74
राष्ट्रीय आदिवासी कल्याण कार्यक्रम												
10. जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुदान	110.00	...	110.00
11. अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि	50.00	50.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12. प्रधानमंत्री जन धन विकास मिशन (पीएमजेवीएम)	499.00	...	499.00
13. जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और स्पर्धाएं (टीआरआई-ईसीई)	15.00	...	15.00
14. निगरानी, आंकलन, सर्वेक्षण सोशल ऑडिट (एमईएसएसए)	15.00	...	15.00
15. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप और छात्रवृत्ति	145.00	...	145.00
16. राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति स्कीम	4.00	...	4.00
17. उत्तर पूर्वी क्षेत्र से आदिवासी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और रसद विकास	107.53	...	107.53
जोड़-राष्ट्रीय आदिवासी कल्याण कार्यक्रम	895.53	50.00	945.53
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)	2000.00	...	2000.00
18. एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल (ईएमआरएस)	2000.00	...	2000.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	1489.42	...	1489.42	1831.03	0.02	1831.05	1428.74	...	1428.74	2895.53	50.00	2945.53
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अंब्रेला कार्यक्रम												
19. जनजातीय शिक्षा												
19.01 मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति	248.91	...	248.91	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00
19.02 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1830.18	...	1830.18	1993.00	...	1993.00	2257.72	...	2257.72
जोड़- जनजातीय शिक्षा	2079.09	...	2079.09	2393.00	...	2393.00	2657.72	...	2657.72
20. वन बंधु कल्याण योजना												
20.01 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास (पीवीटी जीएस)	140.00	...	140.00	250.00	...	250.00	160.00	...	160.00
20.02 लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के लिए एमएसपी)	82.86	...	82.86	155.00	...	155.00	115.00	...	115.00
20.03 जनजातीय महोत्सव, अनुसंधान, सूचना और जन शिक्षा	9.00	...	9.00	30.00	...	30.00	15.00	...	15.00
20.04 निगरानी और मूल्यांकन	1.82	...	1.82	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
20.05 जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम (ईएपी)	0.01	...	0.01
जोड़- वन बंधु कल्याण योजना	233.68	...	233.68	440.01	...	440.01	295.00	...	295.00
21. विशेष केंद्रीय सहायता												
21.01 जनजातीय उप-घटकों को विशेष केंद्रीय सहायता	799.48	...	799.48	1350.00	...	1350.00	785.00	...	785.00
22. जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के लिए सहायता												
22.01 जनजातीय अनुसंधान संस्थान	60.00	...	60.00	119.99	...	119.99	60.00	...	60.00
22.02 जनजातीय स्मारक	0.01	...	0.01
जोड़- जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के लिए सहायता	60.00	...	60.00	120.00	...	120.00	60.00	...	60.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
23. वास्तविक वसूली	-0.13	...	-0.13
24. अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम (प्रधान मंत्री वनबन्धु कल्याण योजना)												
24.01 अ.ज. जाति के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	419.00	...	419.00
24.02 अ.ज. जाति के लिए मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति	1965.00	...	1965.00
24.03 जनजाति अनुसंधान संस्थानों को सहायता	121.00	...	121.00
24.04 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास	252.00	...	252.00
24.05 जनजातीय उप योजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम (प्रधान मंत्री वनबन्धु कल्याण योजना)	1354.38	...	1354.38
जोड़-	4111.38	...	4111.38
जोड़-अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अंत्रेला कार्यक्रम	3172.12	...	3172.12	4303.01	...	4303.01	3797.72	...	3797.72	4111.38	...	4111.38
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	3172.12	...	3172.12	4303.01	...	4303.01	3797.72	...	3797.72	4111.38	...	4111.38
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत अनुदान												
25. संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत अनुदान	800.00	...	800.00	1350.00	...	1350.00	900.00	...	900.00	1350.00	...	1350.00
26. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के द्वितीय प्रावधान के खण्ड क के तहत असम सरकार को अनुदान	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़-संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत अनुदान	800.00	...	800.00	1350.01	...	1350.01	900.00	...	900.00	1350.01	...	1350.01
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	800.00	...	800.00	1350.01	...	1350.01	900.00	...	900.00	1350.01	...	1350.01
कुल जोड़	5494.51	...	5494.51	7524.85	0.02	7524.87	6181.30	...	6181.30	8401.92	50.00	8451.92
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	1625.22	...	1625.22	2026.72	...	2026.72	1616.50	...	1616.50	2906.57	...	2906.57
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	24.34	...	24.34	29.80	...	29.80	33.95	...	33.95	33.00	...	33.00
3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय	0.02	0.02	50.00	50.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	1649.56	...	1649.56	2056.52	0.02	2056.54	1650.45	...	1650.45	2939.57	50.00	2989.57
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	760.00	...	760.00	615.82	...	615.82	842.00	...	842.00
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3836.68	...	3836.68	4657.32	...	4657.32	3902.03	...	3902.03	4598.34	...	4598.34
6. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	8.27	...	8.27	51.01	...	51.01	13.00	...	13.00	22.01	...	22.01
जोड़-अन्य	3844.95	...	3844.95	5468.33	...	5468.33	4530.85	...	4530.85	5462.35	...	5462.35
कुल जोड़	5494.51	...	5494.51	7524.85	0.02	7524.87	6181.30	...	6181.30	8401.92	50.00	8451.92

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़		

ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश																		
1. राष्ट्रीय और राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को सहायता	0.01	...	0.01
जोड़	0.01	...	0.01

(₹ करोड़)

- सचिवालय:** यह प्रावधान जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग:** प्रावधान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिवालय व्यय के लिए है।
- जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुदान:** सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच में सहायता के लिए स्वैच्छिक संगठनों को जीआईए भी दिया जाता है और शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका आदि जैसे क्षेत्रों में सेवा की कमी वाले जनजातीय क्षेत्रों में अंतराल को भरने के लिए, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के सामाजिक-आर्थिक उत्थान हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए दिया जाता है। वर्ष 2022-2023 से इस उप-योजना को अम्ब्रेला योजना 'राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण कार्यक्रम' के अंतर्गत लाया गया है।
- अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि:** सामाजिक क्षेत्र की पहल के रूप में, अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष की योजना का उद्देश्य भारत में अनुसूचित जनजातियों की आबादी के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, जो नवाचार और विकास प्रौद्योगिकियों की ओर उन्मुख हैं। इस योजना का उद्देश्य एसटी उद्यमियों द्वारा नए नवीन विचारों और स्टार्ट-अप विचारों को सहायता प्रदान करना है। यह योजना अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों जो समाज के लिए धन और मूल्य सृजन करेंगे और साथ ही लाभदायक व्यवसायों को बढ़ावा देंगे, को रियायती वित्त प्रदान करती है।
- प्रधानमंत्री जन धन विकास मिशन (पीएमजेवीएम):** प्रधानमंत्री जन जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) योजना का उद्देश्य जनजातीय आजीविका में परिवर्तनकारी परिवर्तन लाना और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में जनजातीय उद्यमों की क्षमता का उपयोग करना है। मिशन का मुख्य उद्देश्य कृषि/फूलों की खेती/बागवानी/औषधीय और सुगंधित पौधों/अन्य के आधार पर गैर-एमएफपी गतिविधियों को भी शुरू करके जनजातियों के लिए वर्ष भर आय सृजन करने के अवसर सुनिश्चित करना होगा।
- जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और स्पर्धाएं (टीआरआई-ईसीई):** जनजातियों से संबंधित मुद्दों के लिए जनजातीय उल्लवों के आयोजन और अनुसंधान/मूल्यांकन परियोजनाओं, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं और पुस्तकों के प्रकाशन के लिए भी अनुदान दिया जाता है। उत्कृष्टता केंद्रों को देश में जनजातियों के विकास के लिए दीर्घकालिक और नीति उन्मुख अनुसंधान अध्ययन के लिए उन्हें शामिल करने के लिए मान्यता दी गई है। वर्ष 2022-2023 से इस उप-योजना को अम्ब्रेला योजना 'राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण कार्यक्रम' के अंतर्गत लाया गया है।
- निगरानी, आंकलन, सर्वेक्षण सोशल ऑडिट (एमईएसएसए):** इस मंत्रालय की योजनाओं एवं परियोजनाओं की निगरानी (मॉनिटरिंग) एवं मूल्यांकन पर व्यय का भी प्रावधान किया गया है। वर्ष 2022-2023 से इस उप-योजना को अम्ब्रेला योजना 'राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण कार्यक्रम' के अंतर्गत लाया गया है।
- अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप और छात्रवृत्ति:** अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति के माध्यम से एम.फिल और पीएचडी के साथ-साथ पहचाने गए शीर्ष श्रेणी के संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों को भारत में उच्च अध्ययन करने के लिए अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2022-2023 से इस उप-योजना को अम्ब्रेला योजना 'राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण कार्यक्रम' के अंतर्गत लाया गया है।
- राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति स्कीम:** विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टोरल अध्ययन करने के लिए चयनित अनुसूचित जनजातियों (एसटी) छात्रों को छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाती है। वर्ष 2022-2023 से इस उप-योजना को अम्ब्रेला योजना 'राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण कार्यक्रम' के अंतर्गत लाया गया है।
- उत्तर पूर्वी क्षेत्र से आदिवासी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और रसद विकास:** "पूर्वोत्तर से जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और (लॉजिस्टिक्स) विकास" योजना का उद्देश्य कारीगरों की पहचान करना और उनके उत्पादों के लिए बाजार विकसित करना, पूर्वोत्तर उत्पादों की बिक्री को मुख्यधारा और बड़े पैमाने पर बिक्री करना और उत्तर पूर्व के जनजातियों की आय में वृद्धि व समुदाय के लिए सालभर की आजीविका की सुविधा करना है।
- एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल (ईएमआरएस):** देश में सभी क्षेत्रों और पर्यावासों (हैबीटेट) में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय विद्यालय स्थापित करने की प्रवृत्ति के संदर्भ में, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), जवाहर नवोदय विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में अपना महत्व रखते हैं। ईएमआरएस का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण मध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना है, ताकि वे न केवल उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में और सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में नौकरियों में आरक्षण का लाभ लेने में सक्षम हो सकें बल्कि गैर-अनुसूचित जनजाति आबादी के समान शिक्षा में सर्वोत्तम अवसरों तक पहुंच प्राप्त कर सकें।
- अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति का उद्देश्य एसटी बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना है।** राज्य सरकारों को उनके वित्तीय बोझ को कम करने और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षा तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए कैफेटेरिया मोड

के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 2022-2023 से इस उप-योजना को अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है।

24.01. अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति का उद्देश्य एसटी बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना है। राज्य सरकारों को उनके वित्तीय बोझ को कम करने और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षा तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए कैफेटेरिया मोड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 2022-2023 से इस उप-योजना को अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है।

24.02. अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति का उद्देश्य एसटी बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना है। राज्य सरकारों को उनके वित्तीय बोझ को कम करने और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षा तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए कैफेटेरिया मोड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 2022-2023 से इस उप-योजना को अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है।

24.03. जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता योजना के तहत राज्यों के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को अनुसंधान और मूल्यांकन, जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत, स्वदेशी प्रथाओं, कला और संस्कृति के संरक्षण और प्रलेखन, पंचायती राज संस्थान के (पीआरआई) प्रतिनिधियों, एफआरए, पेसा, संवैधानिक प्रावधानों संबंधी अधिकारियों, शिक्षकों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि के माध्यम से जनजातियों के कल्याण के लिए राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 2022-2023 से, इस उप-योजना को अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना कार्यक्रम के तहत लाया गया है।

24.04. अनुसूचित जनजातियों की पिछड़ी आबादी के समग्र विकास के लिए विभिन्न उपायों हेतु योजना के तहत प्रावधान रखा गया है। जीआईए संबंधित राज्यों को उनकी संस्कृति और विरासत को बनाए रखते हुए व्यापक तरीके से पहचाने गए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास के लिए दिया जाता है। 2022-2023 से इस उप-योजना को अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है।

24.05. जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय उप योजना (टीएसएस) को विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) के माध्यम से सहायता अनुदान प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों का पूरक है। योजना के तहत मंत्रालय राज्यों को रोजगार-सह-आय सृजन गतिविधियों के लिए सहायता अनुदान प्रदान करता है और बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं से संबंधित बुनियादी ढांचे के काम को लागू करने के लिए किया जाता है। टीएसएस को एससीए विस्तारित करने का मुख्य उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में मांग-आधारित आय-सृजन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है।

25. **संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत अनुदान:** इस प्रावधान के तहत, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों की आबादी वाले राज्यों को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए जनजातीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं के निर्माण के लिए और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को बाकी राज्य के स्तर तक बढ़ाने के लिए अनुदान दिया जाता है जोकि उन्हें विकसित क्षेत्रों के बराबर लाने की दृष्टि से है।

26. **संविधान के अनुच्छेद 275(1) के द्वितीय प्रावधान के खण्ड क के तहत असम सरकार को अनुदान:** संविधान के अनुच्छेद 275(1) के द्वितीय प्रावधान के उप-नियम (क) के तहत असम सरकार को अनुदान का प्रावधान है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय

मांग संख्या 101

महिला और बाल विकास मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	19243.56	0.48	19244.04	24930.00	5.00	24935.00	23698.00	2.00	23700.00	25670.28	2.00	25672.28
वसूलियां	-12.98	...	-12.98	-500.00	...	-500.00	-500.00	...	-500.00	-500.00	...	-500.00
प्राप्तियां
निवल	19230.58	0.48	19231.06	24430.00	5.00	24435.00	23198.00	2.00	23200.00	25170.28	2.00	25172.28
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	42.59	...	42.59	60.80	...	60.80	54.48	...	54.48	64.10	...	64.10
2. खाद्य एवं पोषण बोर्ड	12.13	...	12.13	17.00	...	17.00	15.00	...	15.00	9.00	...	9.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	54.72	...	54.72	77.80	...	77.80	69.48	...	69.48	73.10	...	73.10
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
3. राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड)	50.13	...	50.13	60.00	...	60.00	45.50	...	45.50	56.80	...	56.80
4. केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा)	7.52	...	7.52	10.00	...	10.00	6.60	...	6.60	10.00	...	10.00
5. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)	15.27	...	15.27	18.00	...	18.00	18.66	...	18.66	21.09	...	21.09
6. राष्ट्रीय महिला आयोग	20.83	...	20.83	27.00	...	27.00	25.80	...	25.80	27.00	...	27.00
7. केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड	68.49	...	68.49	73.00	...	73.00	66.47	...	66.47	37.74	...	37.74
जोड़-स्वायत्त निकाय	162.24	...	162.24	188.00	...	188.00	163.03	...	163.03	152.63	...	152.63
अन्य												
8. राष्ट्रीय पुरस्कार	0.32	...	0.32	1.60	...	1.60	1.60	...	1.60	1.60	...	1.60
9. यूनिसेफ के लिए अंशदान	5.60	...	5.60	5.60	...	5.60	5.60	...	5.60	5.60	...	5.60
जोड़-अन्य	5.92	...	5.92	7.20	...	7.20	7.20	...	7.20	7.20	...	7.20
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	168.16	...	168.16	195.20	...	195.20	170.23	...	170.23	159.83	...	159.83
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अम्ब्रेला आई. सी. डी. एस.												
10. आंगनवाड़ी सेवाएं (पूर्व में मुख्य आईसीडीएस)	15784.42	...	15784.42
11. राष्ट्रीय पोषण मिशन (आईएसएसएनपी सहित)												
11.01 कार्यक्रम घटक	407.79	0.48	408.27
12. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	1112.13	...	1112.13
13. किशोरियों के लिए स्कीम	40.82	...	40.82
14. राष्ट्रीय क्रेच स्कीम	11.60	...	11.60
15. बाल संरक्षण सेवाएं	846.63	...	846.63
जोड़-अम्ब्रेला आई. सी. डी. एस.	18203.39	0.48	18203.87
महिलाओं का संरक्षण और सशक्तिकरण मिशन												
16. महिला शक्ति केंद्र	14.32	...	14.32
17. स्वाधार गृह	24.40	...	24.40
18. उज्वला	8.00	...	8.00
19. कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल	19.51	...	19.51
20. सूचना एवं जन संचार (मीडिया)	16.63	...	16.63
21. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	60.57	...	60.57
22. महिला हेल्पलाइन	12.53	...	12.53
23. वन स्टॉप सेंटर	159.78	...	159.78
24. निर्भया कोष से वित्त पोषित अन्य योजनाएं	0.10	...	0.10	48.00	...	48.00	10.00	...	10.00	20.00	...	20.00
25. निर्भया कोष को अंतरण	499.90	...	499.90	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00
26. निर्भया कोष से पूरी की गयी राशि	-500.00	...	-500.00	-500.00	...	-500.00	-500.00	...	-500.00
27. महिला-उन्मुखी बजटन एवं अनुसन्धान, प्रकाशन तथा मॉनिटरिंग	0.55	...	0.55
28. महिला पुलिस स्वयं सेवक
29. विधवाओं के लिए आवास	1.00	...	1.00
जोड़-महिलाओं का संरक्षण और सशक्तिकरण मिशन	817.29	...	817.29	48.00	...	48.00	10.00	...	10.00	20.00	...	20.00
30. वास्तविक वसूलियां	-12.98	...	-12.98
31. सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (किशोरियों, अम्ब्रेला आईसीडीएस - आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान स्कीम)	20100.00	5.00	20105.00	19997.55	2.00	19999.55	20261.07	2.00	20263.07
32. मिशन वास्तव्य (बाल संरक्षण सेवा और बाल कल्याण सेवा)	900.00	...	900.00	829.65	...	829.65	1472.17	...	1472.17
33. मिशन शक्ति (महिला संरक्षण और सशक्तिकरण मिशन)												
33.01 सम्बल (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एकछत्र केन्द्र, महिला पुलिस स्वयंसेवक, महिला हेल्पलाइन आदि)	587.00	...	587.00	258.00	...	258.00	562.00	...	562.00
33.02 सामर्थ्य (क्रेच, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना/ महिलोन्मुखी /अनुसंधान/कौशल/प्रशिक्षण आदि)	2522.00	...	2522.00	1863.09	...	1863.09	2622.11	...	2622.11
जोड़- मिशन शक्ति (महिला संरक्षण और सशक्तिकरण मिशन)	3109.00	...	3109.00	2121.09	...	2121.09	3184.11	...	3184.11
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	19007.70	0.48	19008.18	24157.00	5.00	24162.00	22958.29	2.00	22960.29	24937.35	2.00	24939.35

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल जोड़	19230.58	0.48	19231.06	24430.00	5.00	24435.00	23198.00	2.00	23200.00	25170.28	2.00	25172.28
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2332.39	...	2332.39	3493.16	...	3493.16	2783.19	...	2783.19	3437.78	...	3437.78
2. पोषाहार	12.09	...	12.09	17.00	...	17.00	15.00	...	15.00	9.00	...	9.00
3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	42.54	...	42.54	60.80	...	60.80	54.48	...	54.48	64.10	...	64.10
4. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय	...	0.48	0.48	...	5.00	5.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	2387.02	0.48	2387.50	3570.96	5.00	3575.96	2852.67	2.00	2854.67	3510.88	2.00	3512.88
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	2417.00	...	2417.00	2274.15	...	2274.15	2494.00	...	2494.00
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	16412.62	...	16412.62	17658.22	...	17658.22	17327.83	...	17327.83	18383.70	...	18383.70
7. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	430.94	...	430.94	783.82	...	783.82	743.35	...	743.35	781.70	...	781.70
जोड़-अन्य	16843.56	...	16843.56	20859.04	...	20859.04	20345.33	...	20345.33	21659.40	...	21659.40
कुल जोड़	19230.58	0.48	19231.06	24430.00	5.00	24435.00	23198.00	2.00	23200.00	25170.28	2.00	25172.28

1. **सचिवालय:** मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए प्रावधान है। इसमें मंत्रालय में ई-गवर्नेंस की गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की खरीद, हार्ड-वेयर एवं सॉफ्ट-वेयर की खरीद, प्रशिक्षण आदि की आवश्यकता भी शामिल हैं।

2. **खाद्य एवं पोषण बोर्ड:** खाद्य एवं पोषण बोर्ड (एफएनबी) मंत्रालय के बाल विकास ब्यूरो के अधीन तकनीकी सहायता प्रकोष्ठ है। मंत्रालय एफएनबी पोषण से संबंधित नीतिगत मुद्दों के लिए जिम्मेदार है। यह व्यापक श्रेणी की पोषण शिक्षा एवं विस्तार सेवाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पोषण शिक्षा एवं जागरूकता के लिए इनपुट प्रदान करने का भी प्रमुख कार्य करता है।

3. **राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड):** निपसिड जन सहयोग एवं बाल विकास के क्षेत्र में अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन संचालित करता है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों का आयोजन करता है, सूचना सेवाएं प्रदान करता है और नई दिल्ली में अपने मुख्यालय तथा बंगलोर, गुवाहाटी, इंदौर एवं लखनऊ में अपने चार क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परामर्श की आवश्यकता भी पूरी करता है।

4. **केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा):** दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का केंद्रीय सांविधिक निकाय है। यह भारतीय बच्चों के दत्तक-ग्रहण के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है और इसको देश में और अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण को मॉनिटर और विनियमित करने की जिम्मेदारी दी गई है। कारा प्राथमिक रूप से अपनी संबद्ध/मान्यता प्राप्त दत्तक-ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से अनाथ,परित्यक्त और अभ्यर्षित बच्चों के दत्तक-ग्रहण से संबंधित कार्य करता है। किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम,2015 की धारा 68 (ग) के तहत यथा अधिदेशित 'केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण'(कारा) द्वारा तैयार किए गए दत्तक-ग्रहण विनियमन,2017 04 जनवरी 2017 को अधिसूचित किये गए हैं। दत्तक-ग्रहण विनियमन, 2017 ने दत्तक-ग्रहण दिशानिर्देश, 2015 को प्रतिस्थापित किया है।

5. **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर):** बच्चों की संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की निगरानी तथा बच्चों की उत्तरजीविता, कल्याण और विकास से संबंधित कार्यक्रमों की निगरानी के माध्यम से बच्चों के अधिकारों को बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत आयोग का गठन किया गया।

6. **राष्ट्रीय महिला आयोग:** राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। इसको संविधान एवं अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के लिए प्रदान किए गए सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच एवं अन्वेषण करने के लिए अधिदेय किया गया है। यह शिकायतों की जांच पड़ताल करता है तथा महिलाओं के अधिकारों आदि के अपवचन से संबंधित मामलों का स्व-प्रेरणा से संज्ञान लेता है।

7. **केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड:** सीएसडब्ल्यूबी ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण एवं विकास के लिए kR कार्यक्रम शुरू किए हैं। इस समय कार्यान्वित किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल हैं- महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा का संघनित पाठ्यक्रम जागरूकता मुजन कार्यक्रम, शिशुपृष्ठ स्कीम, परिवार काउंसलिंग केंद्र तथा अल्पाजवाब गृह। ये स्कीमें राज्य समाज कल्याण बोर्डों के सहयोग से स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं।

8. **राष्ट्रीय पुरस्कार:** इनमें बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

9. **यूनिसेफ के लिए अंशदान:** यह यूनिसेफ को भारत के अंशदान पर व्यय को पूरा करने के लिए है।

10. **आंगनवाड़ी सेवाएं (पूर्व में मुख्य आईसीडीएस):** इस योजना में 6 सेवाओं अर्थात् अनुपूरक पोषण, गैर औपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा, पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच तथा रीफरल सेवाओं की व्यवस्था की गई है। सेवा के वैश्वीकरण के पश्चात, सरकार ने देश के प्रत्येक आवासीय स्तर को शामिल करते हुए 7076 परियोजनाओं में 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को अनुमोदन प्रदान किया है। अम्नेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवाओं को नवम्बर 2017 में संशोधित कार्य-क्षेत्र, ढांचा तथा लागत हिस्सेदारी अनुपात के साथ युक्तिसंगत बनाया गया था। सरकार ने अक्टूबर 2017 (राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी) में अनुपूरक पोषण कार्यक्रम के लागत मानदण्डों को संशोधित भी किया है) और दिनांक 1 अक्टूबर 2018 से आंगनवाड़ी कर्मचारियों तथा सहयोगियों को देय मानदेय को भी बढ़ाया है।

11.01. **कार्यक्रम घटक:** सरकार ने पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) की स्थापना की है जिसकी शुरूआत झुनझून राजस्थान से दिनांक 8 मार्च 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई थी। 9046.17 करोड़ (50 प्रतिशत सरकारी खोत से और 50 प्रतिशत आईबीआरडी से) के कुल बजट में से, यह कार्यक्रम प्रौद्योगिकी, लक्षित दृष्टिकोण तथा अभिसरण के माध्यम से किशोरियों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान करवाने वाली माताओं पर ध्यान देते हुए बच्चों में बौनापन, कुपोषण, खून की कमी तथा कम वजन की समस्या को दूर करने के लिए संघर्षरत है अतः इस प्रकार यह समग्र रूप में कुपोषण की समस्या को दूर कर रहा है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य प्रौद्योगिकी, अभिसरण के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन तथा अगले कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न निगरानी पैरामीटरों में शामिल किए जाने वाले विशेष लक्ष्य के निर्धारण द्वारा सेवा प्रदायगी और हस्तक्षेप करना है। समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए इस योजना का कार्यान्वयन सभी 36 राज्यों, संघ राज्यों क्षेत्रों तथा जिलों में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम द्वारा 10 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त होगा। इससे पहले पोषण को देश में इस प्रकार की प्रसूखता कभी नहीं मिली है।

इस अभियान का लक्ष्य सहक्रियात्मक रूख तथा परिणामोन्मुख दृष्टिकोण अपनाते हुए जीवन चक्र की धारणा के माध्यम से चरणबद्ध रूप से देश में कुपोषण को कम करना है। यह अभियान समयबद्ध सेवा प्रदायगी तथा सुदृढ़ निगरानी तथा हस्तक्षेप ढांचे के लिए तंत्र सुनिश्चित करेगा। इस अभियान का लक्ष्य 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में बौनेपन को वर्ष 2022 तक 38.4 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक कम करना है। बजट अनुमान 2021-22 में पोषण अभियान के लिए 2700 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

12. **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना:** माननीय प्रधानमंत्री ने 31 दिसंबर, 2016 को देश के नाम अपने संबोधन में पात्र गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यूएंडएलएम) के लिए मातृत्व लाभ कार्यक्रम के समस्त भारत में कार्यान्वयन की घोषणा की। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने आईडी दिनांक 16.06.2017 के माध्यम से सूचित किया कि मातृत्व लाभ कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के नाम से जाना जाएगा। पीएमएमवीवाई एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसके अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केंद्र और राज्यों तथा विधानमंडल वाले संघ शासित प्रदेशों के बीच 60:40, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 के लागत हिस्सेबदारी अनुपात में और विधानमंडल रहित संघ शासित प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है।

इस स्कीम का उद्देश्य मजदूरी की क्षति के लिए नकद प्रोत्साहन के रूप में आंशिक सुआवजा प्रदान करना है ताकि महिला पहले बच्चे के प्रसव से पहले और बाद में पर्याप्त आराम ले सके और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में बेहतर स्वास्थ्य आचरण का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस योजना में विशिष्ट शर्तों को पूरा करने वाली गर्भवती और दुग्ध पान कराने वाली महिलाओं को डीवीटी में गर्भवती और दुग्ध पान कराने वाली महिलाओं के बैंक, डाकघर खाते में तीन किस्तों में प्रत्यक्ष रूप से नकद प्रोत्साहन प्रदान करने की परिकल्पना है। पात्र लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ के अनुमोदित मानकों के अनुसार शेष नकद राशि प्राप्त करेगी।

13. **किशोरियों के लिए स्कीम:** सरकार 11-14 साल की स्कूल बाह्य किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार और उनके कौशल में वृद्धि के लिए किशोरी स्कीम का क्रियान्वयन कर रही है। किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के अलावा, इस योजना का उद्देश्य स्कूल बाह्य लड़कियों को पुनः औपचारिक स्कूली शिक्षा या व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना है। इस योजना को देश के सभी जिलों में 01.05.2018 से लागू कर दिया गया है। इस प्रकार, यह योजना 2019-20 में देश भर के सभी जिलों में लागू की जाएगी।

14. **राष्ट्रीय क्रेच स्कीम:** इस स्कीम का उद्देश्य कार्यरत माताओं और परिवार से संबंधित अन्य पात्र माताओं के बच्चों (0-6 वर्ष की आयु वर्ग) को दिन में देखरेख सुविधाएं प्रदान करना है। इस योजना के द्वारा पूरक पोषण, स्वास्थ्य देखभाल इनपुट्स जैसे प्रतिरक्षण, पोलियो ड्राप, बुनियादी स्वास्थ्य देखरेख, शयन सुविधाएं, प्रारंभिक सिमुलेशन (03वर्ष से कम), 3-6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्कूल पूर्व शिक्षा और तात्कालिक औपधियों की व्यवस्था की जाती है।

15. **बाल संरक्षण सेवाएं:** मंत्रालय कानून विरोधी कार्य करने वाले और अन्य संवेदनशील जटिलतम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक सुरक्षित और संरक्षित परिवेश सृजित करने हेतु इस केन्द्र प्रायोजित स्कीम को लागू कर रहा है। यह स्कीम वित्त वर्ष 2009-10 से लागू की जा रही है। कार्यक्रम के घटकों में बाल देखरेख संस्थाओं के माध्यम से संस्थागत सेवाएं और प्रायोजन के माध्यम से परिवार आधारित गैर-संस्थागत देखरेख, धात्री-देखरेख और दत्तक ग्रहण सेवाएं शामिल हैं। यह चाईल्डलाइन और चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम के माध्यम से देखभाल पश्चात कार्यक्रम और 'आपातकालीन आउटरीच सेवा' के लिए भी सहायता प्रदान करता है।

16. **महिला शक्ति केंद्र:** भारत सरकार ने सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक कार्यान्वित करने के लिए महिला शक्ति केंद्र (तत्कालीन राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन योजना का विलय करके) नामक एक नई योजना को संजूरी दी है। एमएसके के ब्लॉक स्तर पर पहलों के हिस्से के रूप में 115 सबसे पिछड़े जिलों में कॉलेज के छात्र स्वयंसेवकों के माध्यम से समुदायों की भागीदारी की संकल्पना की गई है। चरणबद्ध तरीके से शामिल करने हेतु 640 जिलों के लिए नए जिला स्तरीय महिला केंद्र (डीएलसीडब्ल्यू) की भी परिकल्पना की गई है।

17. **स्वाधार गृह:** स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों की शिकार महिलाओं के लिए समाधान निकालना है, जिन्हें पुनर्वास के लिए संस्थानिक सहायता की जरूरत है ताकि वे अपने जीवन को गरिमापूर्ण ढंग से जी सकें। इसके अंतर्गत ऐसी महिलाओं के लिए आश्रय, भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य की संकल्पना की गई है तथा आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

18. **उज्वला:** यह अनैतिक दुर्व्यापार के रोकथाम के लिए विस्तृत स्कीम है और वाणिज्यिक यौन शोषण के अनैतिक दुर्व्यापार की पीड़ितों का बचाव, पुनर्वास, परिवार से पुनर्मिलन और प्रत्यावर्तन कराना है।

19. **कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल:** यह निवास-स्थल से दूर रह रही कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास-सुविधा सुनिश्चित करती है।

20. **सूचना एवं जन संचार (सीडिया):** सूचना तथा जन संचार (सीडिया) का उद्देश्य नीतियों / कार्यक्रमों / कार्यक्रमों / कार्यकलापों, विधायी उपायों तथा मनोदशा में बदलाव लाने के लिए सर्वसाधारण के लिए सुव्यवस्थित उपाय में जागरूकता बढ़ाने / प्रचार करने का है।

21. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ:** सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का लक्ष्य कम बाल लिंगानुपात वाले 161 चयनित जिलों में पूरे देश में व्यापक अभियान तथा केंद्रीयकृत हस्तक्षेप और बहुक्षेत्रक कार्रवाई के माध्यम से बाल लिंगानुपात (सीएसआर) में कमी के मुद्दे का समाधान करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के विस्तार को 405 जिलों में बहुस्तरीय हस्तक्षेप तथा 235 जिलों में सक्रिय जिला मीडिया तथा सहायता की पहुंच जिला आउटरीच के माध्यम से देश के सभी 640 जिलों (अब 2011 की जनगणना के अनुसार) को शामिल करते हुए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य बेटी के जन्म पर खुशियां मनाना और उसे शिक्षित होने में समर्थ बनाना है। इस स्कीम के विशिष्ट लक्ष्य हैं पहले लिंग भेद की दुर्भावना के साथ लिंग के चयन का उन्मूलन करो दूसरे उसका जन्म सुनिश्चित करो तीसरे बेटी की रक्षा करो तथा चौथे बच्ची की शिक्षा और सहभागिता सुनिश्चित करो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। जिला कलेक्टर/उपायुक्त इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी है।

22. **महिला हेल्पलाइन:** मंत्रालय ने महिला हेल्प लाइन सर्वसुलभीकरण की स्कीम 19 फरवरी, 2015 को अनुमोदित कर दी है। यह स्कीम 01.04.2015 से क्रियान्वित की जा रही है। महिला हेल्प लाइन (डबल्यूएचएल) सार्वजनिक तथा निजी दोनों स्थानों पर हिंसा से पीड़ित सभी महिलाओं को 24 घंटे आपात प्रतिक्रिया उपलब्ध कराएगी।

23. **वन स्टॉप सेंटर:** वन स्टेप सेंटर मुख्य रूप से परिवार, समाज, कार्यस्थल सहित निजी तथा सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को मेडिकल सहायता पुलिस सहायता, कानूनी सहायता/मामला प्रबंधन, मनोवैज्ञानिक परामर्श तथा अस्थायी सहायता सेवाओं सहित समेकित सेवा सीमा की सुलभता सुकर कराना है। यह स्कीम 1 अप्रैल, 2015 से क्रियान्वित की जा रही है।

27. **महिला-उन्मुखी बजटन एवं अनुसन्धान, प्रकाशन तथा मॉनिटरिंग:** लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सरकारी आयोजना एवं बजट के जरिए सतत निवेश सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक जबरदस्त साधन के रूप में महिला उन्मुखी को अपनाया गया। महिला उन्मुखी कार्यक्रम, नीति निर्माण, लक्षित समूहों की जरूरतों के आकलन, मौजूदा नीतियों और दिशानिर्देशों की समीक्षा, संसाधनों के आवंटन, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, जेंडर संवेदनशील प्रतिफल, परिणाम, जेंडर लेखा परीक्षा और प्रभाव निर्धारण, और संसाधनों के पुनः वरीयताक्रमण के विभिन्न स्तरों पर जेंडर परिप्रेक्ष्य बनाए रखता है। मंत्रालय खाद्य और पोषण से संबंधित पहलुओं सहित महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास के क्षेत्रों में शोध, प्रकाशन एवं मॉनिटरिंग की परियोजनाओं को प्रायोजित करता है।

28. **महिला पुलिस स्वयं सेवक:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से राज्यों/संघ राज्य अन्य क्षेत्रों में महिला पुलिस वालेंटियर (एमपीवी) की सेवाएं लेना शुरू कर दिया है जो पुलिस और समाज के मध्य एक लिंक के रूप में कार्य करेंगी और संकट में पड़ी महिलाओं को सुविधा प्रदान करेंगी। कर्नाल और महेंद्रगढ़ जिलों में इस पहल को अपनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इसके अतिरिक्त, महिला पुलिस वालेंटियर के कार्यान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया गया है। अन्य राज्यों द्वारा भी इस कार्यक्रम का शीघ्र ही अनुपालन किए जाने की संभावना है।

29. **विधवाओं के लिए आवास:** विधवाओं के रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं, कानूनी एवं परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए वृदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश में भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित 1000 निवासियों की क्षमता वाला विधवाओं के लिए घर अर्थात् कृष्णा कुटीर का निर्माण किया गया है। इसमें रेम्प, लिफ्टों तथा फिजिओथेरापी जैसी वृद्ध हितैषी सुविधाएं हैं।

31. **सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (किशोरियों ,अम्बेला आईसीडीएस - आंगनवाड़ी सेवाएं , पोषण अभियान स्कीम:** इसमें स्कीम क्र0सं0 10, 11 और 13 शामिल है।

32. **मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवा और बाल कल्याण सेवा):** इसमें स्कीम क्र0सं0 15 शामिल है।

33.01. **सम्बल (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एकछत्र केन्द्र , महिला पुलिस स्वयंसेवक, महिला हेल्पलाइन आदि):** इसमें स्कीम क्र0सं0 21, 22, 23 और 28 शामिल हैं।

33.02. **सामर्थ्य (क्रेच, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना/ महिलोन्मुखी /अनुसंधान/कौशल/प्रशिक्षण आदि):** इसमें स्कीम क्र0सं0 12,16, 17, 18, 19, 27 और 29 शामिल हैं।

युवा मामले और खेल मंत्रालय

मांग संख्या 102

युवा मामले और खेल मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1787.83	...	1787.83	2549.41	46.73	2596.14	2754.52	2.50	2757.02	3057.28	5.32	3062.60
वसूलियां	-39.38	...	-39.38
प्राप्तियां
निवल	1748.45	...	1748.45	2549.41	46.73	2596.14	2754.52	2.50	2757.02	3057.28	5.32	3062.60
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	29.66	...	29.66	36.00	...	36.00	35.02	...	35.02	39.10	...	39.10
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. राष्ट्रीय सेवा योजना	84.29	...	84.29	165.00	...	165.00	231.00	...	231.00	283.50	...	283.50
राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम												
3. राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम	2.70	...	2.70	14.00	...	14.00	8.00	...	8.00	12.00	...	12.00
4. राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम												
4.01 कार्यक्रम घटक	12.79	...	12.79	21.00	...	21.00	24.00	...	24.00	22.00	...	22.00
5. राष्ट्रीय युवा कोर	57.55	...	57.55	75.00	...	75.00	57.50	...	57.50	75.00	...	75.00
6. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	6.39	...	6.39	14.00	...	14.00	14.00	...	14.00	20.00	...	20.00
7. स्काउटिंग और गाइडिंग	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50
8. युवा छात्रावास	1.89	...	1.89	3.00	3.00	6.00	1.50	2.50	4.00	2.18	5.32	7.50
जोड़-राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम	81.32	...	81.32	128.50	3.00	131.50	106.50	2.50	109.00	132.68	5.32	138.00
खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पुरस्कार												
9. उत्कृष्ट खेलों को बढ़ावा हेतु सहायता												
9.01 राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता	128.62	...	128.62	280.00	...	280.00	181.00	...	181.00	280.00	...	280.00
9.02 खेलों में मानव संसाधन विकास योजना	0.45	...	0.45	3.80	...	3.80	2.00	...	2.00	4.00	...	4.00
जोड़- उत्कृष्ट खेलों को बढ़ावा हेतु सहायता	129.07	...	129.07	283.80	...	283.80	183.00	...	183.00	284.00	...	284.00
10. खिलाड़ियों को प्रोत्साहन	36.46	...	36.46	53.00	...	53.00	55.00	...	55.00	55.00	...	55.00
11. राष्ट्रीय खेल विकास कोष	7.23	...	7.23	25.00	...	25.00	5.00	...	5.00	16.00	...	16.00
12. खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पुरस्कार	174.76	...	174.76	363.80	...	363.80	245.00	...	245.00	357.00	...	357.00
खेलो इंडिया - खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम												
13. खेलो इण्डिया	338.06	...	338.06	657.71	...	657.71	869.00	...	869.00	974.00	...	974.00
14. जम्मू और कश्मीर में खेल सुविधाओं में बढ़ोतरी	25.00	...	25.00	50.00	...	50.00	15.00	...	15.00	50.00	...	50.00
15. राष्ट्रमंडल खेल	75.00	...	75.00	30.00	...	30.00	100.00	...	100.00	30.00	...	30.00
जोड़-खेलो इंडिया - खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	438.06	...	438.06	737.71	...	737.71	984.00	...	984.00	1054.00	...	1054.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	778.43	...	778.43	1395.01	3.00	1398.01	1566.50	2.50	1569.00	1827.18	5.32	1832.50
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
16. नेहरू युवा केंद्र संगठन	267.75	...	267.75	326.50	...	326.50	365.00	...	365.00	325.00	...	325.00
17. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	21.00	...	21.00	32.00	...	32.00	25.00	...	25.00	24.00	...	24.00
18. भारतीय खेल प्राधिकरण	607.79	...	607.79	660.41	...	660.41	599.00	...	599.00	653.00	...	653.00
19. लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान	45.00	...	45.00	55.00	...	55.00	52.00	...	52.00	56.00	...	56.00
20. अन्य स्वायत्त निकाय	29.29	...	29.29	41.99	43.73	85.72	109.00	...	109.00	130.00	...	130.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	970.83	...	970.83	1115.90	43.73	1159.63	1150.00	...	1150.00	1188.00	...	1188.00
अन्य												
21. विश्व डोप रोधी एजेंसी	8.91	...	8.91	2.50	...	2.50	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
22. वास्तविक बसूलियां	-39.38	...	-39.38
जोड़-अन्य	-30.47	...	-30.47	2.50	...	2.50	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	940.36	...	940.36	1118.40	43.73	1162.13	1153.00	...	1153.00	1191.00	...	1191.00
कुल जोड़	1748.45	...	1748.45	2549.41	46.73	2596.14	2754.52	2.50	2757.02	3057.28	5.32	3062.60
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. खेल और युवा मामले	1719.23	...	1719.23	2306.57	...	2306.57	2444.31	...	2444.31	2688.24	...	2688.24
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	29.22	...	29.22	35.00	...	35.00	34.02	...	34.02	38.10	...	38.10
3. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	3.23	3.23	...	2.50	2.50	...	5.31	5.31
जोड़-सामाजिक सेवाएं	1748.45	...	1748.45	2341.57	3.23	2344.80	2478.33	2.50	2480.83	2726.34	5.31	2731.65
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	207.84	...	207.84	276.19	...	276.19	330.94	...	330.94
5. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	43.50	43.50	0.01	0.01
जोड़-अन्य	207.84	43.50	251.34	276.19	...	276.19	330.94	0.01	330.95
कुल जोड़	1748.45	...	1748.45	2549.41	46.73	2596.14	2754.52	2.50	2757.02	3057.28	5.32	3062.60

2. **राष्ट्रीय सेवा योजना:** राष्ट्रीय सेवा योजना एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना है जिसका लक्ष्य स्कूलों व कॉलेजों में विद्यार्थी/ युवाओं के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करना है। एन एस एस का संचालन विश्वविद्यालय/कॉलेज तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्कूल स्तर पर किया जाता है। एन एस एस का लक्ष्य विद्यार्थियों की सामाजिक चेतना को जगाना तथा उन्हें गांवों व मलिन बस्तियों के लोगों के साथ कार्य करने का अवसर उपलब्ध कराना है।

3. **राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम का लक्ष्य युवाओं को उनके संगत क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने हेतु प्रेरित करना तथा उन्हें विकास प्रक्रिया के अग्रणी स्तर पर लाना है। इसमें राष्ट्र-निर्माण के लिए विशाल युवा ऊर्जा का उपयोग करने की अपेक्षा की गयी है।

4. **राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम:** यह योजना 10वीं योजनावधि के दौरान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की चार 100% केन्द्रीय क्षेत्र सहायता अनुदान प्राप्त योजनाओं नामतः युवा गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण, राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन, साहस का संवर्धन तथा किशोरों का विकास और अधिकारिता को मिलाकर तैयार की गई थी। इसका उद्देश्य एक जैसे उद्देश्यों वाली योजनाओं की संख्या को कम करना, वित्त पोषण तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया में एकरूपता सुनिश्चित करना, फील्ड स्तर पर धन की उपलब्धता में विलम्ब को रोकना तथा परियोजना तैयार करने और इसके कार्यान्वयन में राज्य सरकार की संस्थागत सहभागिता को सुनिश्चित करना है। बेहतर और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तथा निधियों के अधिकतम सकारात्मक उपयोग के लिए भी प्रत्येक घटक के लिए पृथक प्रावधान करने के बजाय समेकित बजट का प्रावधान है। इससे परिचालन प्रक्रिया तथा कार्यक्रम करने में सहक्रियाशीलता और समाभिरूपता होगी। इस योजना की भावना के अनुसार इस कार्यक्रम के लक्षित लाभार्थी युवा और किशोर हैं।

5. **राष्ट्रीय युवा कोर:** योजना का लक्ष्य पूर्णकालिक आधार पर विशिष्ट अवधि के लिए राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में युवाओं को स्वेच्छिक आधार पर शामिल करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना है। यह प्रावधान स्वयंसेवकों के मानदेय के लिए है।

6. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान युवा आदान-प्रदान कार्यक्रमों और संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवकों हेतु अंशदान के लिए है।

7. **स्काउटिंग और गाइडिंग:** यह प्रावधान स्काउट्स और गाइड्स की विभिन्न गतिविधियों जैसे प्रशिक्षण शिविरों, कौशल विकास कार्यक्रमों आदि के लिए वित्तीय सहायता हेतु है।

8. **युवा छात्रावास:** युवा छात्रावास देश के युवाओं की यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। निर्माणाधीन युवा छात्रावासों के व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान किया गया है।

9.01. **राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता:** मंत्रालय मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को विदेश में प्रशिक्षण तथा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने, भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने, राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करने और खेल उपस्करों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कोचिंग शिविर आयोजित करने, राष्ट्रीय टीम की तैयारी और विदेशी कोचों की सेवाएं लेने के लिए भा.खे.प्रा. के माध्यम से भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

9.02. **खेलों में मानव संसाधन विकास योजना:** देश में खेलकूद के समग्र विकास के लिए खेल विज्ञान और खेल चिकित्सा में मानव संसाधन विकास।

10. **खिलाड़ियों को प्रोत्साहन:** स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर और विश्वविद्यालय/कॉलेज स्तर के खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उच्च उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार दिए जाते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के खिलाड़ियों और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार दिए जाते हैं। ओलंपिक, विश्व कप और विश्व चैम्पियनशिपों के पदक विजेताओं तथा एशियाई, राष्ट्रमंडल और पैरा-ओलंपिक खेलों के पदक विजेताओं को पेंशन दी जाती है। विभिन्न खेल विधाओं में उत्कृष्टता के लिए खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान है। जीवनपर्यंत उपलब्धि के लिए खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान है।

11. **राष्ट्रीय खेल विकास कोष:** सामान्य रूप से खेलों के संवर्धन तथा विशेष रूप से खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए यह एक स्थायी निधि है। यह स्कीम सार्वजनिक-निजी-सहभागिता पर आधारित है तथा भारत सरकार अन्य स्रोतों से प्राप्त योगदान की तुलना में समतुल्य योगदान देती है।

12. **खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष:** खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना निर्धन परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे पूर्व प्रतिभावान खिलाड़ियों, जिन्होंने खेलों में देश का गौरव बढ़ाया था।

13. **खेलो इण्डिया:** खेलों इंडिया स्कीम एक अम्ब्रेला योजना है, जिसका उद्देश्य खेल के व्यापक आधार और खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करना है, जो कि देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देगा, जिससे जनसंख्या को इसके लाभों को प्राप्त करने का मौका मिलेगा जो बच्चों और युवाओं का सामुदायिक विकास, लिंग समानता, राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्र निर्माण, स्वस्थ जीवन शैली, राष्ट्रीय गौरव और खेल के विकास से संबंधित समान अवसर प्रदान करता है।

14. **जम्मू और कश्मीर में खेल सुविधाओं में बढोत्तरी:** यह स्कीम शान्ति तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। जम्मू एवं कश्मीर में खेल अवसरचनाओं तथा खेल सुविधाओं को अपग्रेड तथा विकसित किया जाएगा।

16. **नेहरू युवा केंद्र संगठन:** मंत्रालय के अधीन नेहरू युवा केन्द्र संगठन एक स्वायत्त निकाय है जो समुदाय आधारित युवा क्लबों के माध्यम से नामित किए गए 15-29 आयु समूह के गैर-विद्यार्थी ग्रामीण युवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह गैर-विद्यार्थी ग्रामीण युवाओं के क्षेत्र में प्रमुख प्रेरणादायक व विकास गतिविधियों के लिए सरकारी कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करता है। नेहरू युवा केंद्र संगठन के अब 29 राज्य कार्यालय हैं जो देश के 623 जिलों में कार्य कर रहे हैं।

17. **राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान:** इसकी स्थापना 1983 में श्रीपेरम्बुदूर (तमिलनाडु) में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत स्वायत्तशासी निकाय के रूप में की गई थी और यह सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। यह देश में युवाओं से संबंधित प्रशिक्षण, प्रलेखन, अनुसंधान तथा मूल्यांकन और सभी गतिविधियों के विस्तार के लिए जिम्मेदार है। आर जी एन आई वाई डी, युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत संसद से अधिनियम संख्या 35/2012 द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित है।

18. **भारतीय खेल प्राधिकरण:** भारत सरकार ने 1984 में भा.खे.प्रा. की स्थापना की थी जिसके दो लक्ष्य विभिन्न आयु-समूहों के बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों का पता लगाने और उन्हें उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु अपेक्षित अवसरचना तथा सहायक उपकरण, कोचिंग तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। भा.खे.प्रा. दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों के दौरान निर्मित/नवीनीकृत किए गए स्टेडियमों के रखरखाव और उपयोग के लिए भी जिम्मेदार है।

19. **लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान:** लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, 1957 में ग्वालियर में स्थापित किया गया था और इसे 1995 में समकक्ष विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। संस्थान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्तशासी संगठन है जो पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

20. **अन्य स्वायत्त निकाय:** अन्य स्वायत्त निकायों में निम्न हैं राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय खेल कोचिंग केंद्र और पूर्वोत्तर में खेल विश्वविद्यालय हैं।

21. **विश्व डोप रोधी एजेंसी:** यह अंतरराष्ट्रीय निकायों के लिए अंशदान का प्रावधान करना है।